Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वार्षिकी

हिन्दुस्थान समाचार

१९७५

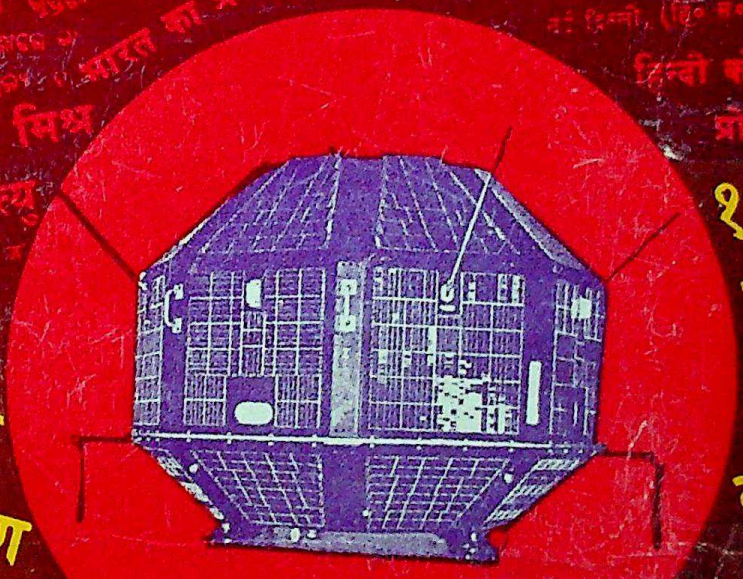

भारत का पहला सफल आणविक परीक्षण

स्वर्ण व

पूर्ण शराब बंदी लागू हो

समग्र सरकारी कामकाज में दक्षता के लिए नि

हिन्दी का एकमात्र प्रामाणिक सन्दर्भ ग्रन्थ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

where I bask in the warmth of the tourist's admiring glance... where only lions are lionised... where you can have the lion's share of a roaring good time and relax at the restful sasan forest lodge.....

GIR

the only place in asia to see lions in their natural habitat

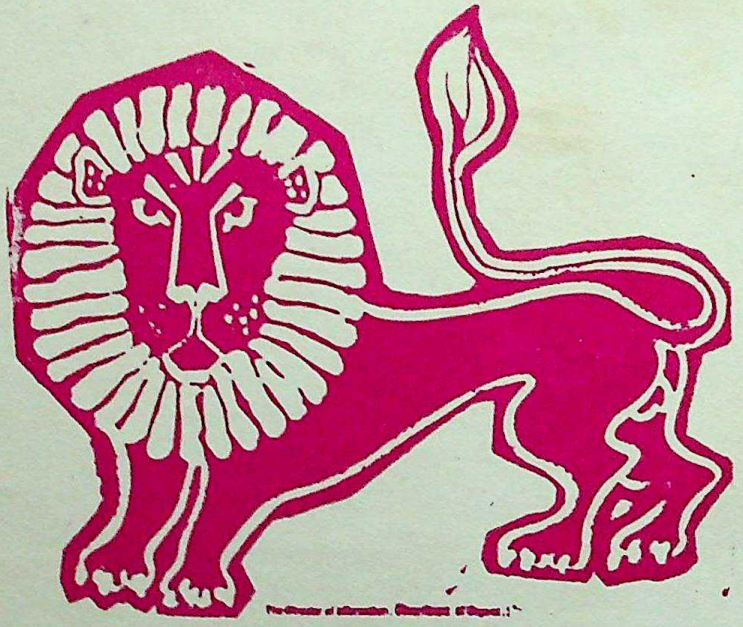

For details please contact :

DIRECTOR OF TOURISM

Government of Gujarat
Sachivalaya, Gandhinagar
Phone : 2439

Asstt. Director of Tourism
JUNAGADH (Gujarat)
Phone : 834

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बन्धुवर श्री नन्दकुमार अवस्थी जी को

सप्रेम भेंट

वाजेश्वर अग्रवाल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हिन्दुस्थान समाचार

		दूरभाष :
मुख्य कार्यालय :	जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	३८२२६०, ३१२०३०
शाखा कार्यालय :		
१. असम	नवजान रोड, उझान बाजार, गोहाटी	६१३३
२. आंध्र प्रदेश	५-९-२२।१०६, आदर्श नगर, हैदराबाद-४	३७९९२
३. उत्तर प्रदेश	विश्वेश्वरनाथ रोड, पोस्ट बाक्स नं० १२६, लखनऊ	२४२०१
४. उड़ीसा	हाइकोर्ट रोड, कटक-२	२२७५४
५. केरल	२६।९७ उप्पलम रोड, त्रिवेन्द्रम-१	४७६७
६. कर्नाटक	३९, अनयप्पा ब्लाक, बंगलोर-२०	२७६१९
७. गुजरात	भगवती भवन, शाहपुर मिल कम्पाउण्ड, अहमदाबाद-१	२३१३७
८. गोआ	गवर्नमेंट कालोनी पणजी	२३२९
९. जम्मू-कश्मीर	पम्पोश बिल्डिंग, श्रीनगर	२८६५
१०. तमिलनाडु	१५ विचूर मुथिया मुडाली स्ट्रीट, वेपरी, मद्रास-७	३६७५४
११. त्रिपुरा	२९।३, कृष्णनगर, अगरतल्ला	१२६८
१२. पंजाब	जी० टी० रोड, जालंधर नगर	३५१४
१३. पंजाब व हरियाणा	हाउस नं० ४०२, सेक्टर नं० २२-ए चण्डीगढ़	२३९५९
१४. पश्चिम बंगाल	१२-ए, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड कलकत्ता-१३	२४२१६०
१५. बिहार	पोस्ट बाक्स नं० ११०, पटना-१	२२४२१
१६. मध्य प्रदेश	३, हाथी खाना, भोपाल	३५७७
	फालके बाजार, गोल बिल्डिंग, लश्कर, ग्वालियर	२२९१२
१७. मणिपुर	नगा मपाल, इम्फाल	८२२
१८. महाराष्ट्र	वीर नारीमन रोड, बम्बई-१	२५२०४८
	३८८ वेस्ट पार्क रोड़, धन्तोली, नागपुर-१२	२२९७६
	तिलक पथ, पूना-९	५६७७४
१९. राजस्थान	न्यू कालोनी, मिर्जा इस्माइल रोड़, जयपुर	७२९६५
२०. सिक्किम	मेन रोड, गंगटोक	५९६
२१. हिमाचल प्रदेश	४।६८ यू० एस० क्लब, शिमला-१	३८८३
२२. नेपाल	डिल्ली बाजार, पोस्ट बाक्स नं० ११०, काठमाण्डू	११२७६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी

१९७५

(Year Book 1975)

[विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शिक्षण संस्थाओं एवं पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत]

संपादक

शिवकुमार गोयल

प्रकाशक

हिन्दुस्थान समाचार

(प्रसंग लेख एवं प्रकाशन विभाग)

जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट,

नई दिल्ली-११०००१

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रकाशक :

हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति

(प्रसंग-लेख एवं प्रकाशन विभाग)

जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट

नई दिल्ली-११०००१

सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन

आवरण पृष्ठ : श्री अमिताभ सेन गुप्त

नौवां संस्करण : १९७५

मूल्य : २५ रुपये

मुद्रक:

मयूर प्रेस, बी-९९ जी० टी० करनाल रोड

इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-११००३३

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भूमिका

देश के सभी लोग इस बात से सहमत रहे हैं कि देश का आंतरिक काम देश की ही किसी भाषा में होना चाहिए । इस दृष्टि से संविधान में हिन्दी को संघ के कार्यों के लिए राजभाषा माना गया ।

हिन्दी को सरकारी कामकाज की भाषा के नाते प्रतिष्ठित करने का यह कार्य उसी स्वदेश भावना से प्रेरित है जो हमारी आजादी की लड़ाई में शक्ति प्रदान करती रही और आजादी के बाद हमारी प्रगति और समृद्धि का मापदण्ड है ।

नि:सन्देह राष्ट्र की स्व-भाषाएं ही राष्ट्र की भावात्मक एकता स्थापित करने का एक-मात्र मार्ग बन सकती हैं । यह तभी संभव है जब देश की इन सभी भाषाओं को जोड़ने वाली राष्ट्रभाषा हिन्दी पूर्ण समर्थ और सक्षम बने । इसीलिए यह कहा जाता है कि हिन्दी की प्रतिष्ठापना राष्ट्र की समस्त भाषाओं की ही प्रतिष्ठापना है ।

राष्ट्रीय प्रगति में हिन्दी की इस महत्ता को ध्यान में रखकर ही ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में तेजी से श्रम हो रहा है । सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग न केवल देश के औसत आदमी को अधिक जानकार बना रहा है वरन् प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत कर रहा है । इसके साथ-साथ तकनीकी, चिकित्सा, कानून तथा वैज्ञानिक विविध क्षेत्रों में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है । हिन्दी के इस बढ़ते हुए प्रयोग को ध्यान में रख कर संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता स्वयं स्पष्ट हो जाती है । हिन्दी को व्यवहार में पूर्णत: राष्ट्रभाषा और राजभाषा का रूप देने के लिए आवश्यक है कि छात्रों, व्यवसायियों, पत्रकारों, प्रशासकों तथा जन-सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं के पास वह सब जानकारी संकलित रूप में उपलब्ध हो जिसे वे अपने कामधंधों के उपयोग में ला सकें । इसी उद्देश्य को सामने रखकर 'हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति' की ओर से विगत नौ वर्षों से वार्षिकी का प्रकाशन किया जा रहा है । इतने वर्षों में 'हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी' ने अपना स्थान भी बना लिया है ।

अपने देश के राजकाज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा पर निर्भर बने रहना एक ऐसी बात थी जो प्रत्येक स्वाभिमानी अन्त:करण को खटकती थी। सौभाग्य से 'हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी' प्रकाशन से यह कमी दूर हुई है । हिन्दुस्थान समाचार के इस प्रयास में सहयोग देकर उत्साहवर्धन करना राष्ट्रभाषा और राष्ट्र के प्रत्येक प्रेमी का कर्तव्य है ।

वार्षिकी के १९७५ के संस्करण में भारत के आणविक विस्फोट व अंतरिक्ष प्रवेश की महान् उपलब्धियां, सिक्किम का भारत में विलय तथा महिला वर्ष आदि नये अध्याय जोड़े गए हैं ।

मुझे आशा है कि केवल हिन्दी ही नहीं वरन् समस्त भारतीय भाषाओं की प्रगति में रुचि रखने वाले सुधीजन इस 'वार्षिकी' सन्दर्भ ग्रन्थ का आदर करेंगे । साथ ही मैं नम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि यदि इस सन्दर्भ ग्रन्थ में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी वे दे सकें तो हम उनके अत्यन्त आभारी होंगे ।

जीवन विहार
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-१

भवदीय
सरोजिनी महिषी
केन्द्रीय विधि राज्यमंत्री
अध्यक्ष, हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रकाशक की ओर से

"हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी" का यह नौवां संस्करण राष्ट्रवासियों के हाथों में पहुंचाते समय असीम प्रसन्नता का अनुभव होना स्वाभाविक ही है।

हिन्दी में अपने राष्ट्रजीवन के विविध अंग-उपांगों की जानकारी संकलित कर संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने का यह कार्य अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह क्षेत्र बहुत विस्तृत है तथा हिन्दी में सन्दर्भ ग्रन्थों के अन्य प्रकाशन भी होते रहे हैं। फिर भी "हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी" ने विगत आठ प्रकाशनों में अपना विशेष स्थान बना लिया है।

अपने राष्ट्र की यह परम्परागत विशेषता रही है कि हम विविधता में एकता और समन्वय की स्थापना कर पाते हैं। भारत के वर्तमान प्रजातांत्रिक ढांचे में यह कार्य और भी अधिक आवश्यक हो गया है। आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक सभी स्तरों पर असमानता और उत्पीड़न को समाप्त कर प्रगतिशील, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए सरकार की ओर से घोषित लक्ष्यों तक पहुंचने की जोरदार कोशिश हो रही है। ऐसे समय में सरकारी प्रयत्नों की सफलता के लिए प्रत्येक देशवासी का हाथ बंटाना अतीव आवश्यक है। परन्तु यह तो तभी संभव है जब देश का हर सोचने-समझने वाला नागरिक राष्ट्रीय प्रगति के प्रयत्नों की ठीक-ठीक जानकारी रखे। विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन कर जनता को हर स्थिति में जागरूक और सक्रिय रखा जाय। यही वह उद्देश्य है जिसे इस संदर्भ ग्रंथ द्वारा प्राप्त करने का छोटा-सा यत्न किया गया है।

हमें प्रसन्नता है कि हिन्दुस्थान समाचार के वार्षिकी प्रकाशन के इस कदम को केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने सराहा है। हम उनकी ओर से प्राप्त सहायता तथा प्रोत्साहन के लिए अतीव आभारी हैं।

इसी प्रकार देश के प्रमुख उद्योग संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, नगरपालिका और निगमों, विभिन्न छोटे-बड़े व्यापारी, मिलमालिकों, प्रशासकों आदि उन सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है जो देश की प्रगति में हाथ बंटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनकी ओर से प्राप्त विज्ञापनों के लिए भी हम हृदय से आभारी हैं।

विश्वास है कि प्रतिवर्षानुसार यह प्रकाशन भी पुस्तकालयों, शिक्षा केन्द्रों के वाचनालयों, छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षार्थियों तथा अन्य सभी के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ जब यह प्रकाशन आप सबके हाथों में प्रस्तुत किया जा रहा है तब हिन्दुस्थान समाचार के विभिन्न कार्यालयों के साथी तथा सुदूर जिला केन्द्रों तक कार्यरत अपने संवाददाता सहयोगियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जा सकता जिनके कठोर परिश्रम के बिना यह संदर्भ ग्रंथ बन पाना कठिन था।

समस्त विज्ञापनदाताओं, ग्राहकों तथा पुस्तक विक्रेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए यह संदर्भ ग्रन्थ पाठकों के हाथों में सादर अर्पित है। आशा है पिछले प्रकाशनों की तरह इसका भी हार्दिक स्वागत होगा और भविष्य के लिए हमें उन सभी से उत्साह तथा सहायता मिलेगी।

धन्यवाद,

बालेश्वर अग्रवाल
सचिव
हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
१. **भारत :** भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक संरचना, हिमालय, भारतीय पठार, नदी प्रणालियां, मरुस्थल, जलवायु, भूगर्भीय ढांचा ।	१—८
२. **कालगणना :** काल का सूक्ष्मतम विभाजन, कालचक्र, अन्य पंचांग, कालमान ।	९— १५
३. **भारतीय इतिहास :** वैदिककाल, रामायणकाल, महाभारतकाल, मध्यकाल, प्रसिद्ध राजवंश, मुस्लिमकाल, सिक्खों का उत्थान, मराठाकाल, ब्रिटिश काल, भारत के वायसराय, राष्ट्रपति ।	१७—३५
४. **स्वाधीनता संग्राम का इतिहास :** १८५७ का स्वातन्त्र्य समर, कांग्रेस, विदेशों में क्रांति की ज्वाला, आजाद हिन्द सेना, देश स्वाधीन हुआ, भारतीय इतिहास का तिथिक्रम ।	३७—५३
५. **भारतीय प्राचीन साहित्य :** वेदांग, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य ।	५५—६०
६. **भारतीय विचारक :**	६१—६७
७. **भारतीय पर्व और त्यौहार :**	६९—७२
८. **भारत दर्शन :**	७३—८६
९. **राष्ट्रीय मानबिन्दु :** हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीयगीत ।	८७—८८
१०. **भारत का परमाणु परीक्षण व अंतरिक्ष में प्रवेश :**	८९—९४
११. **भारत की शासन व्यवस्था :** संविधान, नागरिकता, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व, केन्द्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, संघीय प्रदेश, भाषा, संविधान में संशोधन, राज्य, संघ और राज्यों का सम्बन्ध, स्वायत्त शासन ।	९५—११६
१२. **भारत की न्याय व्यवस्था :** सर्वोच्च न्ययालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों का न्याय क्षेत्र, अधीनस्थ अदालतें, विधि मंत्रालय, विधि आयोग ।	११७—१२३

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१३. **भारत की रक्षा व्यवस्था :** १२५—१३६

भारत के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय, सेनाओं का संगठन, स्थल सेना, नौसेना, वायु सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, हमारी सैनिक शक्ति, सेना के सम्मान व पुरस्कार ।

१४. **शिक्षा** १३७—१४६

बजट, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्तियां, प्रौढ़शिक्षा, पुरातत्व, विदेशों में हिन्दी प्रचार, भारत के विश्वविद्यालय, भारतीय भाषाएं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, स्वतंत्र भारत में शिक्षा ।

१५. **जन स्वास्थ्य :** १५१—१५६

भारतीय चिकित्सा पद्धतियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, चेचक से मुक्ति, कुष्ठ नियंत्रण, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, मैडिकल कालेज, आयुर्वेद कालेज, परिवार नियोजन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ।

१६. **परिवहन तथा पर्यटन** १६१—१७०

वायु परिवहन, रेलवे परिवहन, सड़क परिवहन, जलमार्ग परिवहन, पर्यटन ।

१७. **डाक-तार संचार :** १७१—१७४

डाक सेवाएं, टेलीफोन, डाक-बीमा, तार सेवा, विभाग में हिन्दी की प्रगति, देवनागरी तार सेवा, १९७५ के डाक टिकट ।

१८. **कृषि :** १७४—१८६

प्रमुख फसलें, उत्पादनशील किस्में, कृषि नीति, कृषि ऋण, उर्वरक, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, उत्पादन के लक्ष्य, चीनी का रिकार्ड उत्पादन ।

१९. **सिंचाई और बिजली :** १८७—१९१

जल स्रोत, विद्युत खपत, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, परिव्यय ।

२०. **सहकारिता :** १९३—१९७

सहकारिता का विकास, बैंकों की मदद, समितियों का क्षेत्र, पांचवीं योजना ।

२१. **समाचारपत्र एवं प्रसारण :** १९९—२०९

भारतीय पत्र, भाषानुसार पत्रों की प्रसार संख्या, स्वामित्व, समाचार समितियां, प्रेस परिषद, दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, प्रकाशन विभाग ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२२. **आयोजन :** २११—२१९

पंचवर्षीय योजना, बचत, वित्तीय साधन, योजना परिव्यय ।

२३. **उद्योग :** २२१—२२९

उत्पादन वृद्धि, इस्पात उद्योग में रिकार्ड उत्पादन, सरकारी उद्योग में भारी लाभ ।

२४. **वाणिज्य व्यापार :** २३१—२३४

आयात-निर्यात, व्यापारिक क्रांति का आरम्भ, मुख्य आयात, मुख्य निर्यात ।

२५. **बजट :** २३५—२३९

२६. **भारत : जनसांख्यिकी विवरण :** २४१—२४८

भू-क्षेत्र और जनसंख्या, जन्मदर व मृत्युदर, स्त्री-पुरुष अनुपात, साक्षरता, कितने नर-कितने नारी, विभिन्न राज्यों में अदिवासी ।

२७. **क्रीड़ा** २४९—२६४

१९७४ में खेलों की प्रमुख उपलब्धियां, म्युनिख ओलम्पिक, विश्व मुकाबलों में भारत, राष्ट्रीय मुकाबले, विभिन्न खेल परिणाम, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार व सम्मान ।

२८. **प्रवासी भारतीय** २६५—२६९

बर्मा से शुरुआत, श्रीलंका, मलयेशिया और सिंगापुर, मारीशस, फिजी ।

२९. **भारत में विस्थापित** २७१—२७६

३०. **विज्ञान** २७७—२८६

३१. **भारतीय चलचित्र** २८७—२९३

एक बड़ा उद्यम, सबसे पहली फिल्में, वृत्तचित्र, नई लहर की फिल्में, फिल्म समारोह, सेंसरशिप, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना ।

३२. **अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष** २९५—३००

३३. **राजनीतिक दल** ३०१—३०६

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के दो दल, भारतीय लोकदल, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्यु०, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कषगम ।

३४. **विश्व हिन्दी सम्मेलन** ३०७—३११

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३५. **पाकिस्तानी आक्रमण** ३१३—३१९

भारत पर पाक आक्रमणों का इतिहास, कश्मीर पर आक्रमण, कच्छ पर आक्रमण, कश्मीर पर दूसरा आक्रमण, १९७१ का आक्रमण व भारत की विजय, ।

३६. **हिन्दुस्थान समाचार** ३२०—३२८

विकास, प्रगति का तीसरा चरण, सुदृढ़ आधार सहकारिता, अनेक महापुरुषों का सहकार्य, प्रगति के आंकड़े, भावी योजनाएं, वर्तमान गठन, हमारी प्रतिबद्धता, रजत जयन्ती समारोह ।

परिशिष्ट ३२९—४०८

केन्द्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, एवं राज्यसभा, राज्य और संघीय क्षेत्र, भारत का २२वां राज्य सिक्किम, गुजरात विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रीय घटनाचक्र, दूतावास ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

PLANNING A HOLIDAY ?

MAKE IT **SIKKIM** THIS TIME
FOR YOUR HOLIDAY IN THE HILLS
YOU CAN'T DO BETTER THAN

GANGTOK

SET AGAINST THE TOWERING,
SNOW-CAPPED KHANGCHENDZONGA RANGE;
MORE THAN FIVE THOUSAND FEET
ABOVE SEA LEVEL
IF YOU WOULD LIKE TO LEARN OF OUR WAY OF LIFE;
OUR ROBEDLAMAS AND OUR MONASTERIES,
OUR ORCHIDS
OR EVEN JUST HOW TO GET HERE,
WE WOULD BE MOST HAPPY
TO RECEIVE YOUR ENQUIRIES
ADDRESSED TO

THE TOURIST DEPARTMENT
GOVERNMENT OF SIKKIM, GANGTOK

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

SNOW LION FOR QUALITY

When "QUALITY" counts

SIKKIM LIQUORS

are a must

SIKKIM DISTILLERIES Ltd,
RANGPO, SIKKIM

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १ :

भारत

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा,
हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य,
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ।।

महाकवि कालिदास ने 'कुमार संभव' में वर्णन किया है कि भारत के उत्तर में देवतात्मा पर्वताधिराज हिमालय, पूरब और पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ, पृथ्वी के मानदण्ड की तरह स्थित है। हिमाच्छादित हिमालय की चोटी में ही संसार की सर्वोच्च चोटी गौरी-शंकर (सगर माथा) है जिसके कारण संसार के साहसी पर्वतारोही हिमालय की ओर आकृष्ट होते रहे हैं।

हिमालय पर्वतमालाओं में से हमारे देश को शस्यश्यामला बनाने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी आदि नदियों का उद्भव हुआ है। भौगोलिक तथा प्राकृतिक दृष्टि से हिमालय को देश के प्रहरी के रूप में माना जाता था किन्तु १९६२ में चीन द्वारा उत्तर-पूर्व सीमा की ओर से आक्रमण किये जाने के बाद हिमालय के क्षेत्र में स्थित नेपाल, भूटान तथा तिब्बत आदि पड़ोसी देशों का महत्त्व बढ़ गया है। हिमालय के उस पार रूस तथा अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी राष्ट्रों के भारत के साथ मैत्री सम्बन्धों को भी एक विशेष तथा असाधारण महत्त्व प्राप्त हुआ है।

हिमालय की छत्रछाया में जिस भारतीय सभ्यता-संस्कृति का जन्म तथा विकास हुआ है उसके प्रभाव के कारण ही भारतभूमि की वन्दना अनेक विदेशियों ने भी की है। इसे 'देव भूमि' कह कर इसकी वन्दना की गई है। भारतीय संस्कृति में हिमालय की पर्वतमालाओं को तथा गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को इतना महत्त्व प्राप्त हुआ है कि किसी भी शुभकार्य का प्रारम्भ करते समय—

गंगे च यमुने चैव, गोदावरि सरस्वति,
नर्मदे सिन्धु कावेरि, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ।।

इनके नामों का पुण्य स्मरण किया जाता है। आधुनिक भारत में इन्हीं महान् नदियों की शक्ति का उपयोग सिंचाई तथा विद्युत निर्माण के लिए करके भारत कृषि-उद्योग में क्रांति द्वारा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भरतखंड, आर्यावर्त, सप्तसिंधु, भारतवर्ष आदि इसके प्राचीन नाम हैं। विष्णु पुराण में कहा है कि इस देश की गाथा देवता

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भी गाते हैं और स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देवगण मोक्षसाधना के लिए पुनः भारत में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं।

'गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमिभागे।
स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥'

भारत को "विश्व-गुरु" कहलाने का गौरव प्राप्त है। न केवल यूरोप अपितु प्राचीन फारस व अरब आदि देशों में भारत को "सोने की चिड़िया" या "स्वर्णभूमि" कह कर इस की स्तुति की जाती रही है।

भगवान मनु ने भारत को मानव मात्र के लिए प्रेरणा व शिक्षा का केन्द्र बताते हुए कहा था—

एतद्देश प्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

अर्थात् यदि संसार में किसी व्यक्ति को सदाचार की शिक्षा ग्रहण करनी हो तो वह भारत के विद्वानों से जाकर ग्रहण करे।

संसार में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया और वे देखते ही देखते मिट गयीं किन्तु भारतीय संस्कृति आज भी संसार को अमरत्व का सन्देश दे रही है। इसीलिए एक भारतीय शायर ने कहा था—

यूनान, मिश्र, रोमां, सब मिट गए जहाँ से
अब तक मगर है बाकी, नामोनिशां हमारा।

भौगोलिक परिचय

अंग्रेजी में भारत को "इंडिया" कहा जाता है। फारस आदि देशों में प्राचीनकाल में भारत को "हिन्द" कहा जाता था। इस नाम तथा सिन्धु नदी के लिए यूनानी नाम 'इण्डस' के आधार पर भारत का नाम "इंडिया" बना।

भारत के संविधान में भी इसका मूल नाम "इंडिया—जो भारत है", कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सूची में इस देश का नाम "इंडिया" है।

भारत के लिए एक और नाम "हिन्दुस्तान" भी प्रचलित है। किन्तु संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से ७वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत-भूमि एशिया के दक्षिण में एक प्रायद्वीप है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में ८°४' से ३७°६' उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा ६८°७' से ९७°२५' पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है।

भारत का कुल क्षेत्रफल ३२,८०,४८३ वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ३,२१४ कि० मी० है। इसकी चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम में २,९९३ कि० मी० है। इसकी स्थल-सीमा १५,२०० कि० मी० है। भारत का समुद्र तट ५,६८९ कि० मी० लम्बा है।

प्राकृतिक रचना : भारत की उत्तरीय सीमा हिमालय बनाता है। पश्चिम में सिन्धु सागर या अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिन्द महासागर लहरा रहा है। देश हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। वायु पुराण में कहा है—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणंच यत् ।
वर्ष यद् भारतं नामय त्रेयं भारती प्रजा ।।

समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो भू भाग है वही भारत है और इसमें निवास करने वाली प्रजा भारती कहलाती है ।

नक्शे में भारत त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसका आधार उत्तर में हिमालय है और शीर्ष दक्षिण में हिन्द महासागर में है । दक्षिणी छोर पर त्रिभुज नाशपाती की शक्ल ले लेता है और यह अन्तरीप कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है ।

उत्तर में स्थित हिमालय साधारणतः भारत को एशिया के शेष भू-भाग से अलग करता है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है । भारत के पश्चिम व पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में पूर्व से पश्चिम चीनी तुर्किस्तान (सिकियांग), तिब्बत व नेपाल हैं । पश्चिम में बर्मा है । बंगला देश, पश्चिमी बंगाल व असम के दक्षिणी अंचल के बीच स्थित है । उत्तर में भूटान विशेष संधियों के अंतर्गत भारत से सम्बद्ध है । दक्षिण में श्रीलंका द्वीप है जिसे मन्नार की खाड़ी भारत से अलग करती है । बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्ष्यद्वीप मिनीकॉय तथा अमीन दीवी द्वीप-समूह भारत सघ के अंतर्गत हैं ।

भारत लघु विश्व है । इस कारण राष्ट्रीय 'औसत तापमान' और 'औसत वर्षा' इन शब्दों का भारत के लिए कोई अर्थ नहीं है । राजस्थान की मरुभूमि में औसत वार्षिक वर्षा ४ इंच होती है, पर चेरापूंजी में ४२५ इंच होती है । इसी प्रकार कश्मीर के कुछ स्थानों में न्यूनतम तापमान ४०° फारनहाईट रहता है और राजस्थान के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान १२०° एफ० रहता है । इसलिए स्थानीय औसत की बात की जा सकती है, भारतीय या राष्ट्रीय औसत की नहीं ।

देश के विस्तार के अनुपात में समुद्र-तट कम है, क्योंकि खाड़ियों और उप-खाड़ियों की संख्या कम है । भारत का पश्चिमी-तट चट्टानी है । पूर्व में समुद्र उथला है, अतः महासागर-गामी बड़े जहाज दूर से लंगर डालने को बाध्य होते हैं ।

प्राकृतिक संरचना

तीन प्राकृतिक भाग : प्राकृतिक दृष्टि से भारत तीन क्षेत्रों में विभक्त है—(१) हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र । (२) गंगा-सिन्धु का मैदान और (३) दक्षिणी पठार ।

हिमालय : भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी २५०० किलोमीटर की लम्बाई में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है । इसकी चौड़ाई २४० से ३२० कि० मी० है । इस पर्वत श्रेणी के पहाड़ों, घाटियों, पठारों आदि का कुल क्षेत्रफल ५ लाख किलोमीटर है । पूर्व में बर्मा और भारत के मध्य की पर्वतीय दीवार को 'पतकोई' कहते हैं । असम में जयन्तिया, खासी और गारो शाखाएं हैं । हिमालय की पूर्वी शाखाएं असम से नीचे उतरकर बंगाल की खाड़ी तक जा पहुंचती हैं । उत्तर पश्चिम शाखाएं अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करती हुई अरब सागर तक जा पहुँचती हैं । उत्तर पश्चिम शाखाओं में सुलेमान, कान्धार, हिन्दूकुश आदि पर्वत प्रसिद्ध हैं । अफगानिस्तान की सीमा पर सुलेमान पर्वत में खैबर, खुर्रम, गोमर, बोलन, टोची आदि संकीर्ण मार्ग (दर्रे) हैं । भारत पर प्रारम्भिक आक्रमण इन्हीं दर्रों से हुए ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हिमालय पर्वत को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है : महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय एवं शिवालिक पहाड़ियां।

महान हिमालय : यह भाग बर्फीला है। इस भाग की ऊंचाई साधारणतः ६,००० से ७,००० मीटर तक है। विश्व के उच्चतम पर्वत शिखर इसी भाग में हैं। एवरेस्ट (गौरीशंकर) ८,८४८ मीटर, कंचनजंघा ८,५८६ मीटर, धौलागिरि ८,०७५ मीटर, नन्दा देवी ७,८१६ मीटर, कामत ७,७५५ मीटर तथा अन्नपूर्णा ७,६५० मीटर ऊंचे हैं।

लघु या मध्यम हिमालय : ये महान हिमालय के निचली ढलान में ३,५०० से ५,००० मीटर की ऊंचाई के हैं तथा ८० कि० मीटर चौड़ाई में फैले हुए हैं। इनमें शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय केन्द्र हैं।

शिवालिक पहाड़ियाँ : इनकी ऊंचाई १,००० से १,५०० मीटर तथा चौड़ाई १० से ५० कि० मी० तक है। पश्चिम क्षेत्र में कंटीले जंगल तथा उथले झरने हैं जबकि पूर्वी भाग नेपाल और बंगाल में यह तराई का रूप धारण कर लेती हैं। ऊपरी हिस्सों में घने जंगल हैं जहां वन्यपशु काफी हैं।

हिमालय की घाटियां : कश्मीर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू आदि हिमालय की अनेक घाटियाँ हैं। ये प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण हैं। इन घाटियों में नदियां ऊंचे-ऊंचे जलप्रपात बनाती हैं जिनमें विद्युत उत्पादन की बड़ी क्षमता है।

मैदान : भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से गंगा का मैदान उत्तरीय सीमा के पहाड़ों का अगला गहरा भाग है। इस भाग का निर्माण पहाड़ों से आयी मिट्टी-बालू आदि के जमाव से हुआ है। यह निक्षेप से भरा गड्ढा है। पूर्व में इस निक्षेप में पर्वतों से आई कछारी सामग्री है। पश्चिम में मैदान हवा से उड़ाई गई सामग्री से पूर्ण हैं। यह सारा निक्षेप पंक और बालू से बना हुआ है।

गंगा-सिन्धु का मैदान २,००० कि० मी० से २,४०० कि० मी० लम्बा तथा २५० से ३२० कि० मी० चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल ७७७,००० वर्ग कि० मी० है। यह पृथक-पृथक तीन नदी प्रणालियों—सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन या सिंचित क्षेत्र से बना है। इस सारे मैदान के बीच कहीं कोई पहाड़ी नहीं है। पहाड़ से समुद्र तक ढलान इतना क्रमिक रूप से हुआ है कि गंगा के मुहाने से १६० कि० मी० ऊपर का भाग समुद्री सतह से १५० मी० से अधिक ऊंचा नहीं है। दुनिया भर में इससे बड़ा और इससे अधिक सघन बसा हुआ दूसरा मैदान नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यह मैदान असुरक्षित है। चढ़ाई करने वाले आक्रामक को रोकने वाला कोई प्राकृतिक अवरोध इसमें नहीं है। इसी कारण इस देश का मुख्य इतिहास इसी मैदान में बना।

सिन्धु : पश्चिम में सतलुज और व्यास नदियाँ, सिन्धु नदी की शाखा-नदियां हैं। रावी भी सिन्धु नदी की शाखा है। सिन्धु नदी अरब सागर में गिरती है। भारत की राजधानी सिन्धु और गंगा के मध्य-जलद्वार (वाटर शेड) पर अवस्थित है।

ब्रह्मपुत्र : इन तीनों नदी प्रणालियों में से तीसरी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर की ओर से निकल कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और भारत में पूर्वी सीमा के छोर पर प्रवेश करती है। यह बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से पहले गंगा में मिल जाती है। गंगा की शाखा-नदियों के समान ब्रह्मपुत्र की शाखा नदियाँ नहीं हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत के मैदान की नदियों की तीन विशेषताएं हैं—१. बारहों मास इनमें पानी प्रवाहित होता है। गर्मियों में ये सूखती नहीं। २. ये सपाट मैदान में बहती हैं। यह मैदान बहुत उपजाऊ है। यह भू-भाग सिंचाई के उपयुक्त है। ३. बारह मास पानी रहता है, अतः वर्षा के अधिकांश समय में इनमें नौकायन सम्भव है।

पश्चिम से पूर्व की ओर हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं उसी के परिमाण में वर्षा का परिमाण भी बढ़ता जाता है।

भारतीय पठार

देश का तीसरा प्राकृतिक भाग भारतीय पठार या प्रायद्वीपी पठार के नाम से प्रसिद्ध है। यह तीन ओर से उच्च समतल भूमि से घिरा हुआ है और समुद्र तक चला गया है।

भारत के मैदान से इस पठार को अलग करने वाली अनेक पहाड़ियों का समूह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चली गई हैं। इसके पूर्व और पश्चिम में, दोनों ओर संकीर्ण समुद्र-तट हैं।

हिन्दुस्तान के मैदान से पठार को विभक्त करने वाली मुख्य पर्वत-श्रेणियों के नाम हैं : अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकल और अजन्ता। इनकी ऊंचाई ५५५ से १२०० मीटर तक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई ६१० मीटर है। पश्चिमी घाट ९१५ से १२२० मीटर तक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कहीं-कहीं २४४० मीटर तक भी हो जाती है। इस समय इसमें सड़कें बन गई हैं तथा रेलगाड़ियाँ चलने लगी हैं। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के मध्य जगल और पहाड़ियों का अवरोध है।

पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आरम्भ विन्ध्य पर्वत की ढाल से हो जाता है। ये दोनों दूर दक्षिण में जाकर नीलगिरी पर्वत में मिल जाते हैं। जहाँ इनका मेल होता है, वहां एक ऊंचा उठा हुआ शेर है जो देश का दक्षिणी कोण बनाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और मैसूर से होकर जाता है। इसके पर्वत शिखरों की ऊंचाई १६०० से २७३५ मीटर के मध्य है। घाट की औसत ऊंचाई ९१५ मीटर है। पूर्वी घाट आन्ध्र प्रदेश से होकर मद्रास तक पहुँचता है। इसकी औसत ऊंचाई ४६० मीटर है। दोनों घाटों के बीच के त्रिभुजाकार पठार के दक्षिण में नीलगिरि पर्वत है, जिसमें प्रसिद्ध दर्शनीय तीर्थ-स्थल ऊटकमंड है।

नदी प्रणालियां

भारत की नदियां या नदी प्रणालियां (जल-निकासी प्रणाली) तीन प्रकार की हैं : (१) उत्तर की ओर बहने वाली, (२) पश्चिम की ओर बहने वाली, और (३) पूर्व की ओर बहने वाली। भारतीय पठार के उत्तरीय किनारे या विन्ध्य से निकली नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। जैसे—सोन, चम्बल आदि। दूसरे वर्ग में नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ये क्रमशः विन्ध्य और सतपुड़ा से निकलकर लगभग समानांतर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इससे और दक्षिण में पश्चिम घाट से निकली नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। मैदानी नदियों से इनमें अन्तर है : (१) इनकी जल-पूर्ति एकमात्र वर्षा से होती है। अतः इनसे निरन्तर पानी नहीं मिलता। (२) इनकी घाटियां सिंचाई के कम उपयुक्त हैं। (३) साल के कुछ मासों में जब नदियाँ सूख जाती हैं, तब ये नौकायन के योग्य नहीं रहतीं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत की नदियों का एक दृष्टि से चार भागों में वर्गीकरण किया गया है : (१) हिमालय की नदियां, (२) दक्षिण की नदियां, (३) तटवर्ती नदियां तथा आन्तरिक जल क्षेत्र की नदियां। तटीय नदियाँ, विशेषत: पश्चिमी तट की लम्बाई में होती हैं। इनका प्रसवण क्षेत्र सीमित है। पश्चिमी राजस्थान के आन्तरिक जल क्षेत्र की नदियां अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जातीं और यदि गईं तो, साम्भर झील तक पहुंचकर ही रह जाती हैं। एकमात्र लूनी नदी समुद्र के समीप कच्छ के रण तक ही पहुंचती है। कहते हैं, सरस्वती भी इस मरु-भूमि में विलीन हो गई है।

गंगा : गंगा का नदी क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत में कुल क्षेत्रफल के एक चौथाई भाग को गंगा से पानी मिलता है। गंगा के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्य पर्वत है। इस क्षेत्र में नदियां भी पर्याप्त संख्या में हैं। गंगा गंगोत्तरी में गोमुख से निकलती है। पहाड़ों में इसका नाम भागीरथी, अलकनन्दा आदि है। यमुना, घाघरा, गण्डक और कोसी हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। बेतवा और सोन भी गंगा में मिलती हैं। हरिद्वार में पहाड़ों से निकलने के बाद यह सीधी दक्षिण की ओर न जाकर एक बड़ी कमान बनाते हुए पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। राजमहल पर्वत (बिहार) के पास गंगा दक्षिण-पूर्व की ओर घूमती है और पं० बंगाल में जाती है। फिर यह बंगला देश (पूर्व बंगाल) में प्रवेश करती है तथा पद्मा कहलाती है। एक धारा हुगली नाम से पं० बंगाल में बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है।

गोदावरी : इसका क्षेत्र भारत में गंगा नदी-क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा है। यह सम्पूर्ण भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र में व्याप्त है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र और पश्चिम में सिंधु नदी का क्षेत्र भी लगभग इतने ही हैं। कृष्णा नदी का क्षेत्र प्रायःद्वीप में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। महानदी क्षेत्र का स्थान इसके बाद है। दूर दक्षिण में कावेरी का नदी क्षेत्र भी इसके ही समान है।

उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में पेन्नार के नदी-क्षेत्र छोटे हैं, लेकिन दोनों कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

ब्रह्मपुत्र : ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास है। यहां से निकलने पर पूर्व की ओर लगभग १२८० कि० मी० बहती है। तिब्बत में इस नदी का नाम त्सांग-पो है। भारत में प्रवेश करने पर यह दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ इसमें दीवांग और लोहित नदियां मिलती हैं और इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहाँ से फिर असम घाटी में जाती हुई पश्चिम को मुड़ती है। असम घाटी ८०० कि० मी० लम्बी और ८० किलो मीटर चौड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी गोआलुंडो (बंगला देश) के पास दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ती है। यहां यह गंगा की सर्वाधिक पूर्वी शाखा पद्मा से मिलती हैं। इन दोनों का मिला प्रवाह बंगाल की खाड़ी में गिरता है लेकिन इसके गिरने से पहले इसमें अनेक नदियां आकर मिलती हैं। इन मिलने वाली नदियों में मेघना नदी (बंगला देश) मुख्य है।

पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। ये पठार की ढाल पर बहती हैं और इसको गहरा काटती हुई जाती हैं तथा बंगाल की खाड़ी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में और दो महत्वपूर्ण नदियां है—महानदी और दामोदर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शारावती, नेत्रवती, चेरियाल, पेन्नानी और पेरियार नदियां हैं। ये सब नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर या सिंधु सागर में गिरती हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां उत्तरी मैदान की ओर जाती हैं। इन नदियों में चम्बल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चम्बल यमुना नदी में मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी सोन है जो दानापुर (पटना) के पास गंगा में मिलती है। परन्तु सबसे बड़ी दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर या सिन्धु सागर में गिरती हैं।

मरुस्थल

गंगा के मैदान के दक्षिण पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक फैला हुआ है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र की चौड़ाई ३०० से ६४० कि० मी० तथा क्षेत्रफल १,७५,००० वर्ग कि० मी० है। पश्चिमी मरुस्थल रेतीला तथा पूर्वी मरुस्थल पथरीला है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा नदियाँ नहीं हैं। सरस्वती नदी का इसी क्षेत्र में अदृश्य होना माना गया है। इस समय इस क्षेत्र में एक-मात्र नदी लूनी है जो अमेर की अनासागर झील से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ के रण में प्रवेश करती है। इस नदी का पानी भी बालोया तक मीठा तथा उसके बाद खारा हो जाता है। यहाँ गर्मी की ऋतु में पीने का पानी मुश्किल से मिलता है। राजस्थान का रेतीला भाग साधारणतः अकालग्रस्त रहता है तथा पीने का पानी मिलना भी कठिन हो जाता है।

जलवायु

भारत का मौसम-विज्ञान-विभाग चार ऋतुएं मानता है—(१) शीत ऋतु (दिसम्बर-मार्च), (२) ग्रीष्म-ऋतु (अप्रैल-मई), (३), वर्षा-ऋतु (जून-सितम्बर) और (४) दक्षिण पश्चिम मधुवात (मानसून) की वापसी का काल (अक्तूबर-नवम्बर)।

भारतीय परम्परा से साधारणतः ६ ऋतुएं मानते हैं—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर। यह वर्ष-विभाग वैदिक है तथा सौर-मण्डल के अनुसार है।

वर्षा की दृष्टि से देश के चार भाग किए गए हैं—(१) सम्पूर्ण असम और पश्चिमी घाट की तली का पश्चिमी तट तथा उत्तर में बम्बई और दक्षिण में त्रिवेन्द्रम का सारा क्षेत्र भारी वर्षा का हैं। यहाँ वर्ष में २०५ से० मी० से अधिक वर्षा होती है, (२) १२७ से २०५ से० मी० तक की वर्षा के प्रदेश हैं—उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा-घाटी का मध्य भाग, (३) कच्छ तक फैली राजस्थान की मरुभूमि, लद्दाख तथा गिलगित तक कश्मीर का पठार बहुतकम वर्षा का क्षेत्र है, (४) मद्रास, दक्षिणी पठार का दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग तथा गंगा के मैदान के उत्तरी क्षेत्र में ५० से १०० से० मी० इंच ही वर्षा होती है।

भूगर्भीय ढांचा

भूगर्भ की दृष्टि से भी भारत के तीन पृथक्-पृथक् भाग हैं। पठार इनमें प्राचीनतम है। हिमालय पर्वत और उसके साथ के पहाड़ और सिन्धु-गंगा का मैदान उसकी तुलना में पीछे के हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रायद्वीप भूगर्भीय स्थिरता का एक महान प्रदेश है। विलक्षण बात यह है कि यह साधारणतः भूकंपीय जोरदार धक्कों से मुक्त है। प्रायद्वीप काल द्वारा रूपान्तरित चट्टानों के आधारभूत मिश्रण से बना है।

भूगर्भ-शास्त्र के इतिहास की दृष्टि से आज जहाँ हिमालय है, वहाँ कुछ समय पहले तक समुद्र था। भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से आज भी इस क्षेत्र का बहुत-सा भाग अज्ञात है। पूर्व के बारे में यह बात विशेष रूप से सत्य है। कुछ बातें अभी विवादास्पद हैं। शिवालिक पहाड़ का निर्माण ही पहाड़ों के क्षरण से हुआ है। हिमालय के ऊंचा उठने के कारण बने अग्रगर्त को इसने भरा। ये निक्षेप आजकल बन रहे निक्षेपों से बहुत भिन्न नहीं हैं।

सिन्धु-गंगा का मैदान एक बड़ा कछारी प्रदेश है। कछारी निक्षेप की गहराई काफी है। इस गड्ढे की भराई एक समान रूप से नहीं हुई है। इसकी प्रकृति भी अलग-अलग है।

भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से पठार बिल्लौरी चट्टान का बना हुआ है। यह हिमालय से बहुत पुराना है। पठार के उत्तर-पूर्व किनारे पर तलहटी चट्टानें हैं। देश का अधिकांश कोयला इनसे मिलता है। देश का कुल कोयला उत्पादन का ९० प्रतिशत इसी पठारी भाग में स्थित झरिया (बिहार) और रानीगंज (प० बंगाल) से मिलता है, यद्यपि कोयला-क्षेत्र अन्य भी हैं जैसे—गोदावरी घाटी और विन्ध्य पर्वत की उत्तरी ढाल।

पठार का उत्तर-पश्चिमी भाग लावा से पूर्ण है। इसका नाम दक्कन लावा है। यह विश्व भर में सबसे बड़ा लावा क्षेत्र तथा ६,४०,००० वर्ग कि० मी० में फैला हुआ है। यह हजारों मीटर गहरा है। बड़ी मात्रा में लावा होने पर भी, विचित्र बात है कि इस प्रदेश में ज्वालामुखियों का कोई चिन्ह नहीं पाया जाता या बहुत कम मिलता है।

शेष पठार में जहाँ-तहाँ मूल्यवान खनिज द्रव्य मिलते हैं। पुरानी बिल्लौरी चट्टानों से मैसूर में सोना मिलता है। मैंगनीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, ताँबा और लोहा-बिहार और उड़ीसा में, अभ्रक-आंध्र और दक्षिण-पूर्व में, तथा हीरा पन्ना (मध्य प्रदेश) में पाया जाता है। कुरनूल (आंध्र) में भी हीरे वाली एक चट्टान मिली है।

काठियावाड़ का कच्छ अर्ध-द्वीप है। कच्छ सूखा, चट्टानी, शिलामय और वृक्षहीन क्षेत्र है। यहां भूतेल (पैट्रोल) निकलने की सम्भावना है। तेल के अन्य प्रमुख क्षेत्र असम, त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान आदि हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २ :

काल गणना

वस्तु एवं समय के 'सूक्ष्मतम' एवं 'महत्तम' स्वरूप का ज्ञान भारतीय ऋषियों को अनादि काल से रहा है। पृथ्वी का जो भाग सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता उसको 'परमाणु' कहते हैं। जिस समग्र का यह परमाणु अंश है उसे 'परम महान्' कहते हैं। यह वस्तु का 'सूक्ष्मतम' और 'महत्तम' स्वरूप है। श्रीमद्भागवत के अनुसार—

'जो काल परमाणु में व्याप्त है, वह परम सूक्ष्म है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय-पर्यन्त व्याप्त है, वह परम महान् है।'

कालमान को सूक्ष्मतम रूप में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने निश्चित किया। सूक्ष्मतम मान त्रुटि और तत्परस हैं। एक दिन-रात में १७,४६६,०००,००० त्रुटियाँ या ४६,६५६,०००, ००० तत्परस होते हैं। पाश्चात्य देश अणुबम के बनने से पहले तक सेकेंड तक ही पहुंचे थे और भारतीय एक सेकेंड को २०२,५०० त्रुटियों और ५,१४०,००० तत्परसों में विभक्त कर चुके थे। १९५५ ई० में आणविक घड़ी बनी और पश्चिम ने भी सेकेंड को ९१,९३१,७७० भागों में बांट दिया।

काल का सूक्ष्मतम विभाजन

२ परमाणुओं के संयोग से एक 'अणु' बनता है।

३ अणुओं के संयोग के एक 'त्रसरेणु' बनता है।

(झरोखे में आयी सूर्यकिरणों में त्रसरेणु उड़ा करते हैं, ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं)

त्रुटि मान पद्धति

१०० त्रुटि एक वेध
३ वेध—लव
३ लव—निमेष
३ निमेष—क्षण
५ क्षण—काष्ठा
१५ काष्ठा—लघु
१५ लघु—नाडिका
६ नाडिका—प्रहर
८ प्रहर—एक दिन-रात

तत्परस मान-पद्धति

६० तत्परस = १ परस
६० परस = ५ विलिप्ता
६० विलिप्ता = १ लिप्ता (विपल)
६० लिप्ता = १ विघटिका (पल)
६० विघटिका = १ घटिका (दण्ड)
६० घटिका = १ दिन-रात

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१५ दिन-रात —एक पक्ष
२ पक्ष—शुक्ल+कृष्ण—एक मास।
२ मास—एक ऋतु होती है।
६ मास—एक अयन (उत्तरायण-दक्षिणायन। ये देवों के दिन-रात हैं)।
२ अयन—एक वर्ष।

कालचक्र

समय का पुनरावर्तन ही 'कालचक्र' है। गति बिना कालचक्र गतिशील नहीं हो सकता है। वास्तव में कालचक्र का दूसरा नाम 'कालगति' ही है। गति बिना संसार की कोई भी क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती है। यह गति ही सब पदार्थों, जीवों, तत्त्वों तथा लोकों-परलोकों से युक्त होकर उन सबको गतिशील बनाती है। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, तारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु—सब इस गति द्वारा ही गतिशील हैं।

सूर्य अथवा चन्द्र की गति के आधार पर ही विभिन्न देशों ने समय चक्र का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। फलस्वरूप देश-विदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पंचागों का प्रचलन हुआ। भारत में ही अनेक पंचांग प्रचलित हैं। सरकार ने सन् १९५२ ई० में समस्त भारत के लिए देशी पंचांगों की गणित पद्धति में एकरूपता लाने तथा समान पंचांग का निर्धारण करने के लिए एक पंचांग सुधार समिति नियुक्त की थी। समिति के सुझाव पर भारत सरकार ने देश भर के लिए राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक सम्वत् को निर्धारित करने की घोषणा की।

शक सम्वत् पंचांग का पहला मास चैत्र है और यह ३६५ दिन का है। सरकार ने २२ मार्च १९५७ को जारी घोषणा में सरकारी कार्यों के लिए भी अंग्रेजी पंचांग के साथ-साथ राष्ट्रीय पंचांग के व्यवहार को लागू कर दिया। सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय पंचांग में दिये गये राष्ट्रीय दिनों का सब लौकिक कार्यों में प्रचलित अंग्रेजी तारीखों के समान ही उपयोग किया जाए। इस राष्ट्रीय पंचांग में समस्त भारत के उपयोगों के लिए शालिवाहन शकाब्द स्वीकृत किया गया है एवं शकाब्द १८८६, १८९०, १८९४ आदि वर्ष प्लुन वर्ष (लीप ईयर) होंगे। इस प्रकार ऋतुनिष्ठ वर्ष पर आधारित अंग्रेजी तिथिपत्र के साथ राष्ट्रीय पंचांग का सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

पहले शक सम्वत् का व्यवहार शाकद्वीपी ब्राह्मण (ज्योतिषी लोग) करते थे। शक सम्वत् ईसा से ७८ साल पीछे है। चैत्र के बाद के पांच मास ३१-३१ दिनों के होते हैं। इसमें ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार रूपान्तर किए गए हैं। तदनुसार मासों का आरम्भ इस प्रकार है—

शक कैलेंडर	ईस्वी कैलेंडर	शक कैलेंडर	ईस्वी कैलेंडर
१ चैत्र	२२ मार्च, लीप वर्ष में २१ मार्च	१ आश्विन	२३ सितम्बर
१ वैशाख	२१ अप्रैल	१ कार्तिक	२३ अक्तूबर
१ ज्येष्ठ	२२ मई	२ मार्गशीर्ष-अग्राह्यन	२३ नवम्बर
१ आषाढ़	२२ जून	१ पौष	२२ दिसम्बर
१ श्रावण	२३ जुलाई	१ माघ	२१ जनवरी
१ भाद्रपद	२३ अगस्त	१ फाल्गुन	२० फरवरी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पंचांगों में अब पुनः परिवर्तन की स्थिति दिखाई देती है। अनुभव किया जा रहा है कि पृथ्वी की गति क्रमशः बन्द होती जा रही है। मत है कि पृथ्वी की गति में १७०० ई० से अब तक ४७ सैकेंड की और १९०३ ई० से ३५ सैकेंड की कमी आ गई है। अतः काल का नया माप ढूंढा जायेगा। इस दिशा में पहला प्रयत्न 'ऐफिमेरिज टाइम' है। इस नये काल माप का निर्णय चन्द्रमा के आधार पर किया गया है।

अन्य पंचांग

रोमन पंचांग : विश्व में रोमन पंचांग में ही अधिकाँश कार्य प्रचलित हैं। इस समय १९७५वाँ वर्ष चालू है। इस पंचांग के अंग्रेजी मासों के नाम प्रायः रोमन देवताओं के नामों पर हैं। उनका ग्रहों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे : जनवरी—जानुस, फरवरी—प्रेप्रुअस, मार्च—युद्ध का देवता मार्स (मूलतः मार्च रोमन कलेंडर में पहला मास था), अप्रैल—लैटिन शब्द—एप्रीलिस, मई—रोमन देवी मैया, जून—जूनो (रोमन देव-मण्डल का एक सदस्य), जुलाई—जुलियस-सीजर, अगस्त—अगस्त सीजर। सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर मास क्रमशः ७, ८, ९, १० में रोमन मास हैं तथा इनके नाम संख्या-सूचक लैटिन शब्दों में बने हैं।

विक्रमी सम्वत् : विक्रमी सम्वत् इस देश में सर्वाधिक प्रचलित है। यह राष्ट्रीय संवत् है, यद्यपि सरकार द्वारा मान्य नहीं है। इसका प्रारम्भ ईसा से ५७-५८ वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य से माना जाता है। अनेक शिलालेखों में इसका उल्लेख है। विक्रमादित्य की शकों पर विजय की स्मृति में यह सम्वत् है। इस समय विक्रमी सम्वत् २०३१ चालू है।

बौद्ध पंचांग : भगवान बुद्ध के जन्म-काल ५४३ ई० पू० से इसका प्रारम्भ हुआ। पर अब बुद्ध का जन्म-समय ४८७ ई० पू० भी माना जाने लगा है। इसमें कुछ विवाद है। इस कैलेंडर में वर्ष का प्रारम्भ वैशाख पूर्णिमा से होता है। बुद्ध का जन्म और निर्वाण इसी तिथि को हुआ था।

जैन पंचांग : २४वें तीर्थंकर महावीर के जन्म-काल ५२७ ई० पू० से यह प्रारम्भ हुआ माना जाता है।

सृष्टि संवत् : भारत में सृष्टि सम्वत भी प्रचलित है। दान और संकल्प के समय आज भी इसका प्रयोग होता है।

फसली साल : अकबर के समय १५५५-५६ ई० में खेती और राजस्व की दृष्टि से फसली साल चलाया गया था। बंगाल में इसी फसली साल को बंगाली वर्ष माना जाता है।

कलियुग संवत् : सृष्टि सम्वत् के बाद सबसे पुराना सम्वत् कलियुग सम्वत् है। इसका प्रारम्भ १८ फरवरी ३१०२ ई० पू० को हुआ था। भारत में आज भी दान और संकल्पों में इसका पाठ किया जाता है।

दयानन्द संवत् : आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम पर आर्य समाज ने यह चलाया है। इसका आरम्भ उनके निर्वाण से होता है।

मुस्लिम पंचांग : हिजरी संवत् का पहला दिन १६ जुलाई ६२२ ई० से होता है। यह विशुद्ध रूप से चंद्र वर्ष है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विश्व मान्य समय (स्टैन्डर्ड टाइम) : लन्दन के समीपस्थ गाँव ग्रीनविच से स्टैन्डर्ड टाइम माना जाता है। १८८४ ई० में एक अन्तर्राष्ट्रीय मेरिडियन काँफ्रेंस हुई थी। उसके निश्चय के अनुसार, ग्रीनविच से होकर जाने वाली मध्यान्ह-रेखा (मेरिडियन लाइन) को ही प्रधान मध्यान्ह-रेखा माना गया और संसार के समय का हिसाब उसी से लगाया जाने लगा। ग्रीनविच के 'मेरिडियन' को शून्य अंश पर मानकर वहाँ से १८० अंश तक पूर्वीय और पश्चिमी रेखाँश की गणना की जाती है। ग्रीनविच के पूर्व के किसी स्थान का समय जानने के लिए ग्रीनविच के समय में प्रति १५ अंश पर १ घंटा और १ अंश पर ४ मिनट का समय घटाना पड़ता है तथा पश्चिम के स्थानों के लिए जोड़ना पड़ता है।

भारतीय स्टैन्डर्ड टाइम : भारत का समय ग्रीनविच मीनटाइम (ग्रीनविच मध्यकाल) से साढ़े पाँच घंटा आगे है। यह १ जनवरी १९०६ में स्वीकार किया गया था। भारत में अब भारतीय स्टैन्डर्ड टाइम (काल) चलता है। भारत की रेलवे, तार-घरों आदि में यही समय प्रयोग में लाया जाता है।

कालमान

ब्रह्माण्ड : इस काल का इन्द्रियगोचर विस्तार विशाल ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ड का दूसरा नाम नभोमण्डल भी है। सम्पूर्ण नभोमंडल असंख्य तारों से भरा है। ब्रह्माण्ड में अनेक सौर मन्डल हैं। तारे इन्हीं सौर मण्डलों में से किसी-न-किसी में हैं। मनुष्य को केवल एक ही सौर मण्डल का आंशिक ज्ञान है, जिनमें हमारी पृथ्वी है। आकाश में दिखते ये असंख्य तारे हमारे लोक, पृथ्वी के ही समान लोक हैं और पृथ्वी से लाखों मील दूर हैं। पृथ्वी से तारों की दूरी प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। प्रकाश की गति प्रति सैकेंड २९७,६०० कि० मी० है। इस गति से एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर जाता है, वह 'प्रकाश वर्ष' का मापदंड है। वैज्ञानिक इस प्राचीन भारतीय तथ्य को मानते हैं कि शून्य आकाश में स्थित सभी ज्योतिर्पिड किसी महान् शक्ति को केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर घूमते हैं। यह भी माना जाता है कि सभी पिण्ड अण्डाकार वृत में घूमते हैं। इन तारों-ग्रहों-ज्योतिर्पिडों की संख्या पहले डेढ़ लाख मानी गयी। पर अब इस सम्बन्ध में नये-नये तथ्य सामने आ रहे हैं। यह भी अनुमान है कि पृथ्वी के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रहों में भी प्राणी रहते हैं। ब्रह्माण्ड में ऐसे तारे भी हैं जो हमारे सौर मण्डल के सूर्य से लाखों गुना बड़े और प्रकाशमान हैं। ऐसा एक तारा अगस्त्य है जो सूर्य से ८०,००० गुणा प्रकाशमान है। 'सेण्ट डोरा' समूह के तारों की ज्योति तीन लाख सूर्यों के बराबर बताई जाती है। बहुत से तारों का भार भी बहुत होता है।

हमारा सौर परिवार : हमारे जैसे सौर परिवार और कितने हैं और इनकी कुल संख्या क्या है, यह ज्ञात नहीं है। हमारे सौर परिवार का केन्द्र सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने से इसके अंश विकीर्ण हो जाते हैं और वे सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। हर सौर परिवार में धूमकेतु हैं। पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। बाद का क्रम शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का है। आखिरी तीनों ग्रह भारतीय 'नव-ग्रहों' में नहीं आते। इन ग्रहों के उप-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ग्रह भी हैं, जैसे पृथ्वी का चन्द्रमा। उपग्रह स्वप्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सारे ग्रह अपनी कक्षाओं में चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

सूर्य : हमारे सौर-मण्डल का केन्द्र सूर्य है। यह एक स्व-प्रकाशमान गैसीय पिण्ड गोलाकार और अग्निमय है। यह एक तारा है, जो रोशनी और ताप देता है। पृथ्वी से इसकी दूरी १४८८ लाख कि० मी० है। इसका व्यास १३८४ हजार कि० मी० है तथा पृथ्वी की तुलना में इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुणा और आकार १० लाख गुणा से अधिक है। सूर्य की सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेन्टीग्रेड है और अन्तर्तल का तापमान ८ करोड़ सेण्टीग्रेड है। सूर्य की भी अपनी धुरी है, जिस पर वह सतत् घूमता है। सूर्य विषुवत रेखा पर २५ दिनों में और ध्रुवों पर ३३ दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य में तीव्र गुरुत्व-आकर्षण है। इसी कारण वह अपने ग्रहों को उनकी कक्षाओं में निश्चित रखता है। सूर्य द्वारा यह प्रति सेकेण्ड २० कि० मी० की गति से चलायमान है। सूर्य में काले-काले धब्बे भी हैं। सूर्य में आंधियां उठती हैं। ये धब्बे आंधियों के परिणाम हैं। सूर्य अपने कक्ष का २५ दिन ९ घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है।

पृथ्वी : हमारी पृथ्वी नारंगी के आकार की गोल है। इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कुछ चपटे से हैं। यह भी एक चमकते तारे की भांति है। ग्रहों में यह पांचवां बड़ा ग्रह है। इसका क्षेत्रफल ५० करोड़ ४३ लाख १२ हजार ७२९ कि० मी० है। विषुवत रेखा पर इसकी परिधि ३९ लाख ८४ हजार ३८२ कि० मी० है। इसका व्यास १२ हजार ६७२ कि० मी० है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि ३८४०१३७७ कि० मी० है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर जाने पर हर १५ मिनट पर १० अंश फोरनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर के मध्य भाग का तापमान तप्त पिघली धातु के बराबर है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर २४ घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है। सूर्य के चारों ओर जिस अंडाकार मार्ग से पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसे ग्रह-पथ या 'कक्षा' (आरबिट) कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट ४९७।१० सेकेन्ड लगते हैं। इस कालावधि को ही वर्ष कहते हैं। अंडाकार कक्षा पर पृथ्वी के घूमने और उस पर उसकी धुरी के ६६।। अंश झुके रहने से विभिन्न ऋतुएं बनती हैं।

चन्द्रमा : यह पृथ्वी का एक उपग्रह है तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। पृथ्वी से यह ३ लाख ८२ हजार १७६ कि० मी० दूर है। कुछ यह दूरी ३ लाख ८२ हजार २४० कि० मो० मानते हैं। इसका व्यास ३,४५६ कि० मी० है। इसका पिंड ७४१,०००,०००,०००,००० टन का है। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा २७ दिन ७ घंटे ४३ मिनट १२ सेकेन्ड में पूरा करता है। पृथ्वी के साथ-साथ चन्द्रमा सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और परिक्रमा वह २९ दिन १२ घंटे ४४ मिनट और ५ सेकेन्ड में पूरा करता है। इसको ही चन्द्र-मास कहते हैं। हमारे सामने इसका सदा आधा भाग ही आता है। समुद्र में ज्वार-भाटे चन्द्रमा के कारण आते हैं। अतः वहाँ कोई नहीं रह सकता। सूर्य की ओर इसका जो भाग रहता है, उसका तापमान २०० डिग्री सेंटीग्रेड है। मानव ने चन्द्र पर अपने चरण रख दिये हैं तथा अब उसके विषय में अनेक तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। रूस व अमेरिका दोनों ने चन्द्र विजय में सफलता प्राप्त कर ली है। भारत ने भी इस वर्ष 'आर्यभट्ट' के रूप में अन्तरिक्ष में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त की है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आकाश गंगा : आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक सफेद चौड़ी पट्टी सी है जो रात में दीखती है, यही आकाश गंगा है। यह तारक पुंजों का समूह है। मध्य में इसकी दो शाखायें भी हो गई हैं। अंधेरी रात में यह स्पष्ट दिखाई देती है। अनुमान है कि आकाश-गंगा में हमारे सौर-परिवार सदृश अनेक परिवार हैं।

क्रांति-वृत्त : नक्षत्रों की संख्या २७ है। सूर्य के समान ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। सूर्य तारों के बीच से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर वर्ष भर में चक्कर पूरा करता है। उसके इस पथ का नाम क्रांति-वृत्त है। चन्द्रमा भी इसके आस-पास ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। चन्द्रमा यह चक्कर २७ दिन, १९ घड़ी, १८ पल और १६ विपल में पूरा करता है। यह प्राचीन माप इस प्रकार का है—६० विपल-१ पल, ६० पल-१ घड़ी या दंड, ६० घड़ी या दंड-१ अहो-रात्र दिन-रात। चन्द्रमा २७ दिनों में चक्कर पूरा करता है। अतः गगन-मंडल को भी २७ भागों में विभक्त करके प्रत्येक का उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र साढ़े १३ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक समान नहीं रहती। अतः एक नक्षत्र को पार करने में वह ५४ से लेकर ६५ दंड तक समय लेता है। अतः प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं है। नक्षत्र २७ हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम इस प्रकार हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आद्रा, पुनर्वसु, पुश्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवति। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बांटा गया है। उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण और श्रवण के पहले १५वें भाग को अभिजित नक्षत्र कहते हैं।

राशि : चन्द्रमा की दैनिक गति को नक्षत्र सूचित करते हैं। सूर्य की मासिक गति की सूचना राशियाँ देती हैं। सूर्य के मार्ग क्रांति-वृत्त के १२वें भाग का नाम राशि है। राशियां १२ हैं। एक राशि में ३० अंश होते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धेनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियां हैं। इन राशियों के ये नाम इनकी आकृति के अनुसार हैं। प्रत्येक राशि सवा दो नक्षत्र की होती है। सूर्य जब राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति होती है। राशियों के अनुसार १२ संक्रांतियां हैं। मेष संक्रांति पर कभी दिन-रात बराबर होते थे। परन्तु अब मेष-संक्रांति २३ दिन बाद होती है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वह निरयन राशियां होती हैं। सायन राशियों की गणना क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त के पीछ खिसकते हुए सम्पात बिन्दु से होती है। यह सम्पात-बिन्दु हर साल ५९ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशियों में दो वर्ष पूर्व २३ अंश, १८ कला और ४१ विकला का अन्तर है।

पृथ्वी दिन भर में राशि-चक्र की परिक्रमा कर लेती है। फलतः विभिन्न समयों पर पूर्वी क्षितिजों में विभिन्न राशियां दिखाई देती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार इनका उदय-काल भिन्न-भिन्न होता है। लग्न का निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि लगी।

गोलार्द्ध : यदि आकाश के दो भाग इस प्रकार किए जाएं कि एक भाग के मध्य उत्तरी ध्रुव पड़े और दूसरे भाग के बीच दक्षिणी ध्रुव आये, तो ये दोनों भाग क्रमशः शत्तरी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध होंगे। भूमध्य या विषुवत् रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभक्त माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या राशियां हैं। शेष ६ राशियां दक्षिणी गोलार्द्ध में पड़ती हैं।

चन्द्र की गति के अनुसार बारह मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन हैं। सौर-मास का आरम्भ संक्रांति से होता है। वार का आरम्भ सूर्योदय से होता है। भारतीय वारों के नाम ग्रहों के नामों पर हैं, जैसे—सूर्य-रविवार, चन्द्र-सोमवार, मंगल-मंगलवार, बुध-बुधवार, बृहस्पति-बृहस्पतिवार, शुक्र-शुक्रवार, शनि-शनिवार।

दिनमान : सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष पर आता है तब पृथ्वी पर दिन-रात सर्वत्र समान होते हैं। इसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिण गोलार्द्ध में होता है। सूर्य जब सायन कर्क पर पहुँचता है, तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की ओर फिरता है। इससे उत्तर में क्रमशः दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है।

सूर्य जब भूमध्य रेखा के सामने सायन तुला पर आता है, तो पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में सूर्य का प्रवेश होने पर जब वह सायन मकर पर पहुंचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसका ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्द्ध में होता है, वहां से सूर्य उत्तरायण होता है। इससे दक्षिण में क्रमशः दिन छोटा और रात कुछ-कुछ बड़ी होने लगती है। सूर्य चक्कर लगाता हुआ पुनः भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ९० अंश है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात १२-१२ घंटे के होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर दिन-मान या रात्रिमान बड़ा होने लगता है। साढ़े ६६ अंश पर सबसे बड़ा दिन या रात्रि २४ घण्टे की होती है। ७० अंश पर दो मास के, साढ़े ७८ अंश पर ४ मास के और ९० अंश पर ६ मास के दिन-रात होते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहे पूर्ण हाइड्रो, थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लान्ट हो या स्टील, एलिमूनियम, पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, सिमेन्ट, माइनिंग या अन्य उद्योगों के लिये समस्त विद्युतीकरण; हम प्रारम्भ से अन्त तक सारे काम का उत्तरदायित्त्व लेते हैं। इसके अतिरिक्त देखभाल, स्पेयर कलपुर्ज़े, एवं मरम्मत का काम भी पूर्णतया सन्तोषजनक तरीक़े से होता है।

हमारे इंजीनियर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्रायोजना की विद्युत् पद्धति से मेल खाने वाले, विशिष्ट डिज़ाइन तैयार करते हैं। वे प्लान्ट तथा मशीनों की अधिकतम विश्वसनीयता को अपना ध्येय समझते हैं और निर्माण की प्रत्येक अवस्था जैसे– डिज़ाइनिंग, फ़ेब्रिकेशन, इरेक्शन एवं कमिशनिंग के कार्यों में कठोरतम मानकों का पालन करते हैं। वे कच्चे माल एवं प्रत्येक भाग की घोर जांच करते हैं और हर प्रकार से सम्पूर्ण अथवा सम्पन्न कार्य करते हैं।

इसीलिये बी.एच.ई.एल.भोपाल, प्रारम्भिक अवस्था से प्रोजेक्ट की सफलतापूर्ति तक इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और विद्युत् की सुविधाओं के निर्माण में नायक माने जाते हैं।

BHEL BHOPAL

जनता के लिये शक्ति

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

भोपाल-४६२०२२

पंजीबद्ध कार्यालय :
१८-२०, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-११०००१

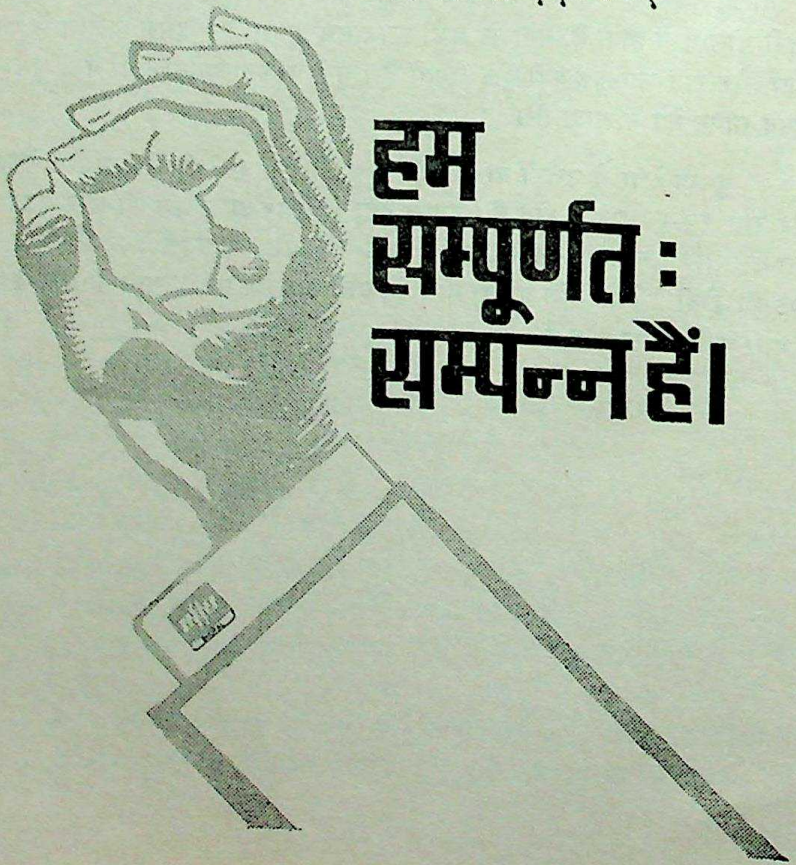

हम सम्पूर्णत: सम्पन्न हैं।

Newfields-BH-233

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३ :

भारतीय इतिहास

एक विहंगम दृष्टि

वैदिक काल

भारत के इतिहास का प्रारंभ वेदों से है। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। विश्व के इस आदि देश भारत का आदिकाल आर्यों से संबंधित है। वेदों में भारत के आदि-काल के भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक जन-जीवन का वर्णन है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। पश्चिमी इतिहासकार ईसा से ५० हजार वर्ष पूर्व तक ऋग्वेद का काल मानते हैं किन्तु भारतीय इतिहासकारों ने इसे लाखों वर्ष प्राचीन माना है।

महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों को संहिता का रूप दिया था। वेदों को भारतीय ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं तथा उनका विश्वास है कि वेद अपौरुषेय हैं।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत—वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का समावेश है। वेदों के छः अंग हैं जो वेदांग कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में एतरेय, तैत्तिरीय, गोपथ, शतपथ और षड्विंश मुख्य हैं। उपनिषदों की संख्या दो सौ से भी अधिक है। पर भारतीय आचार्यों ने ग्यारह को मुख्य माना है और इन्हीं का भाष्य किया है।

आर्य-जन एक बड़े परिवार के समान रहते थे। सब 'सजात' होने से एक समान थे। वर्णाश्रम व्यवस्था गुण-कर्म के आधार पर की गई। गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना जाता था। साधारणतः एक पत्नीव्रत का पालन किया जाता था। स्त्रियां पर्दे में नहीं रहती थीं। अनेक स्त्रियां ब्रह्मवादिनी थीं। आर्यों का भोजन सादा था। चावल, तिल, जौ, घी, दूध की इनमें प्रधानता थी। गाय को को पूज्य और 'अघन्या' माना जाता था।

आर्य लोग ऊन, रेशम और रुई के वस्त्र पहनते थे। सिर पर पगड़ी धारण करते थे। नीचे अधो-वस्त्र (धोती या साड़ी) और उत्तरीय (चादर) धारण करते थे। स्त्री-पुरुष दोनों स्वर्णादि आभूषण पहनते थे। कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव, कण्ठहार आदि प्रचलित थे।

आर्य एक ईश्वर उपासक थे। बहुदेवतावाद प्रचलित नहीं था। पर, आर्य प्रकृति पूजक भी थे।

आर्यों का जीवन सरल और उच्च विचार का था। वे खेती करते थे और पशु पालते थे। भिषग् (वैद्य) विप्र माना जाता था। जुआ खेलना मना था। समुद्र में चलने वाले पोत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और नौयान थे। दूर-दूर तक ये व्यापार करने जाते थे। विमानों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है।

राज्य का संचालन, सभा तथा समिति की सहायता से राजा या गण-प्रमुख करते थे। राज्याभिषेक के समय की गई अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन न करने वाला राजा सिंहासन से उतार दिया जाता था।

रामायण काल

रामायणकाल में अयोध्या में सूर्यवंश कुल का राज्य स्थापित हुआ। सूर्यवंशी महाराजा रघु के कुल के प्रतापी राजा श्री रामचन्द्र ने छोटे-छोटे अनेक राक्षसों को पराजित किया। उन्होंने वनवासियों के सहयोग से लंका के कुमार्गी एवं अहंकारी राजा रावण से संघर्ष किया तथा इस धर्मयुद्ध में भगवान राम ने रावण की सत्ता को नष्ट कर लंका की गद्दी पर रावण के धार्मिक व न्यायप्रिय भाई विभीषण को अधिष्ठित कर दिया। श्री राम अपने आदर्श जीवन के कारण 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहलाये। महर्षि बाल्मीकि ने रामायण काल का रामायण में विस्तार से वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'रामचरितमानस' में राम के काल का सरल वर्णन किया है।

महाभारत काल

महाभारत का युद्ध कौरव-पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। इस भयंकरतम युद्ध में १८ अक्षोहिणी सेना मारी गई थी महाभारत के युद्ध में पांडव मुट्ठी भर थे जबकि कौरवों के पास भारी सेना थी। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिया था क्योंकि श्रीकृष्ण पांडवों के पक्ष को न्यायपूर्ण मानते थे।

इस भयंकर युद्ध की गाथा को महर्षि वेदव्यास ने 'महाभारत' में लिपिबद्ध किया। महाभारत भारतीय साहित्य का बहूमूल्य ग्रंथ है। भगवान श्रीकृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को धर्मयुद्ध में भाग लेने के लिए जो उपदेश दिया था वह 'गीता' के रूप में विख्यात है जो महाभारत का ही अंश है।

मोहनजोदारो हड़प्पा : यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मोहन-जो-दारो और हड़प्पा के खंडहर आर्यों के ही नगरों के ध्वंसावशेष हैं, क्योंकि ये ध्वंसावशेष हड़प्पा तक ही सीमित नहीं हैं। सिंधु-घाटी से लेकर सुदूरपूर्व में वर्द्धवान, चौबीस परगना तक और लोथल से लेकर चित्तल दुर्ग तक ये मिले हैं। गांधारवल (कश्मीर) से ब्रह्मगिरि तक इनका प्रसार है।

सिन्धुघाटी सभ्यता : मोहन-जो-दारो व हड़प्पा, नील नदी की घाटी, यूफ्रेटस और टिग्रिस की घाटी, हवांग हो-चिआंग-त्से-कियांग नदियों की घाटी, और सिंधु घाटी, ये एक समय विश्व में सभ्यता के चार केन्द्र थे। परन्तु भारत में सिंधु-घाटी की सभ्यता नदी-घाटी सभ्यता नहीं थी, समुद्रवर्ती भी थी और ताम्रलिप्ति (कलकत्ता) से लोथल तक फैली हुई थी। सिन्धु-सभ्यता के लोग तांबा और कांसे का व्यवहार करते थे। यह सभ्यता काठियावाड़ से लेकर मकरान तक और उत्तर में हिमालय तक फैली हुई थी। यदि इसका विस्तार एक त्रिभुज के रूप में माना जाय, तो इसकी तीनों भुजाएं १५२०, ९६०,८८० कि० मी० लम्बी होंगी। यह सभ्यता आज मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। ४० से अधिक जगहों की खुदाई हो चुकी है और आगे जारी है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोथल (गुजरात) : की खुदाई १६५३ ई० में हुई। यहां भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समान सब कुछ प्राप्त हुआ है। यह उसी का एक अंग था। इसका काल ३००० ई० पू० से १५०० ई० पू० माना जाता है। यह सभ्यता द्रविड़ियनों या प्रोटोद्रविड़ियनों की सभ्यता बताई जाती है। यह अत्यन्त विकसित व उन्नत नगर-सभ्यता थी। यहां सुनहरे आभूषण मिले हैं जिन पर चित्र अंकित हैं।

मध्य-काल

जैन सम्प्रदाय का उदय : जैन सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या भारत में लगभग एक करोड़ है। जैनी इसे प्राचीनतम सम्प्रदाय मानते हैं। वर्द्धमान महावीर २४वें तीर्थंकर थे। जैन धर्मानुयायी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को वैदिक सूक्तों के व्याख्याता मानते हैं। २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर बिहार में पारसनाथ पर्वत है और यह जैनियों का प्रमुख तीर्थक्षेत्र है। २४वें तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर का जन्म ज्ञातृक राजकुल में हुआ जो बज्जि गणराज्य के संघ में था। इसकी राजधानी कुंडग्राम थी। ३० वर्ष की आयु में वर्द्धमान ने घर-बार छोड़ दिया तथा भिक्षु हो गये। बारह साल की घोर तपस्या के बाद उन्होंने केवली पद प्राप्त किया। संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त होकर तथा सुख-दुख की भावना से ऊपर उठ, सब वस्तुओं से पृथक 'केवल रूप' की अनुभूति कैवल्यावस्था है। धर्म-प्रचार करते हुए ७२ वर्ष की आयु में राजगृह के समीप 'पावापुरी' (पटना) में ५२० ई० में पू० में उनकी मृत्यु हुई।

जैन मत में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह-परिमाण, ये पांच व्रत भिक्षु और गृहस्थ दोनों को पालने चाहियें। जैनों का अहिंसाव्रत बौद्धों से भी अधिक कठोर है।

जैन सम्प्रदाय भारत से बाहर नहीं गया। जैन सम्प्रदाय के अन्तर्गत दिगम्बर और श्वेताम्बर दो सम्प्रदाय हैं। श्वेताम्बरों में अनेक सम्प्रदाय हैं। तेरापंथी इनमें से ही हैं। दिगम्बर जैनियों के मन्दिर में प्रतिमाएं निर्वस्त्र होती हैं।

बौद्ध सम्प्रदाय : शाक्य क्षत्रियों का एक छोटा-सा राज्य हिमालय की तराई में था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य का शासक शुद्धोधन था। इस शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इनका गोत्र गौतम था, अतः ये गौतम ही कहलाये। इनका बालपन ऐश्वर्य और विलास में बीता। सिद्धार्थ को राजकुमारों के योग्य शिक्षा दी गई थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, उनके एक पुत्र भी हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। कपिलवस्तु का भ्रमण करते हुए उन्होंने एक दिन एक मरणासन्न रोगी, एक दिन एक बूढ़ा, और एक दिन श्मशान जा रही एक अर्थी को देखा और इन सबके बाद एक शान्त, प्रसन्न संन्यासी को देखा। इन चारों का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर-बार छोड़कर भिक्षु होने का विचार करने लगे और एक रात पत्नी और पुत्र को छोड़कर घर से निकल गये। गया पहुँच कर उन्होंने वट-वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे भोग-विलास व्यर्थ है, वैसे ही तपस्या भी व्यर्थ है। दोनों के मध्य का मार्ग ही सही है। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है।

३६ वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने धर्म-प्रचार किया। लुम्बिनी उद्यान में ४८७ ई० पू० बुद्ध का जन्म हुआ और ८० साल की आयु में कुशीनगर (कसिया) में ४०७ ई० पू० मृत्यु हुई। ४४ साल निरंतर पर्यटन करते हुए उन्होंने धर्म-प्रचार किया। बुद्ध का अष्टांग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मार्ग है: (१) सम्यक्-दृष्टि (२) सम्यक् प्रयत्न, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् संकल्प, (५) सम्यक् कर्म, (६) सम्यक् आजीविका, (७) सम्यक् विचार और (८) सम्यक् ध्यान। बुद्ध भगवान हिंसा के विरोधी और ऊंच-नीच की भावना से सर्वथा मुक्त थे। प्राणी मात्र को एक समान मानते थे। जन्म के कारण किसी को ऊंच या नीच नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद उनके शिष्य राजगृह में एकत्र हुए। यहां बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध किया गया। बुद्ध ने धर्म-प्रचार के लिए संघ की स्थापना की। स्त्रियों को भी भिक्षु बनने का अधिकार दिया। जैन व बौद्ध दोनों सम्प्रदायों ने संस्कृत को अपने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। बौद्धों का साहित्य पाली में और जैनों का अर्ध मागधी-प्राकृत में है। बाद में संस्कृत में भी इन सम्प्रदायों का साहित्य लिखा गया। दोनों सम्प्रदाय कालांतर में अत्यन्त सीमित होकर रह गए।

यूनानी आक्रमण

ईरान में गये आर्य देश को 'आर्यान' या 'एर्यान' कहते थे। ईरान शब्द का मूल यही है। इनकी दो शाखाएं थीं···पार्श (पर्शियन) और मीड। इनमें से पार्श ने साम्राज्य बनाया। हरबमनी के समय लगभग सारा ईरान पार्श साम्राज्य में आ गया था। हरबमनी के वंशजों में डेरियस या दारयबहु (५२१-४२८ ई० पू०) बड़ा प्रतापी राजा था। इसने भारत के तीन प्रदेश सिन्ध, कम्बोज और गाँधार जीत लिये। डेरियस ने अपने विजय-स्तंभों में अपने को ऐर्य, ऐर्यपुत्र (आर्यपुत्र) कहा है। भारत के सिन्धु नदी के भाग को उसने एक क्षत्रप के अधीन रखा था। इसके कारण भारत का संबंध पश्चिमी एशिया से दृढ हो गया तथा भारतीय व्यापारी एशिया-माइनर और मिस्र पहुंचने लगे।

दारा के आक्रमण के समय उनका नौ-सेनापति स्काईलेक्स (शैलाक्ष) समुद्र मार्ग से सिंध के मुहाने तक आया था। इससे भारत के समुद्री व्यापार को बहुत सहायता मिली। ईरानी आक्रमण के कारण भारत में खरोष्टी लिपि आयी। भारत की अपनी लिपि इस समय ब्राह्मी थी जिसका वर्तमान रूप नागरी है। खरोष्टी दायीं ओर से बायीं ओर को लिखी जाती थी। ईरानी लिपि का नाम अरैमिक था। सिंधु नदी के पश्चिम के भारतीय प्रदेश में अरैमिक लिपि का प्रचार हुआ। खरोष्टी की वर्णमाला ब्राह्मी के समान थी, पर लिपि उसकी अरैमिक से ली गई थी।

ग्रीस में भी आर्य बसे थे। ग्रीस पर मैसीडोनिया ने हमला किया। मैसीडोनिया के प्रतापी राजा का नाम अमिंटस था। उसका लड़का फिलिप हुआ। इसने अपने राज्य का विस्तार किया। फिलिप का लड़का सिकन्दर हुआ। सिकन्दर अरस्तू (अरिस्टाटल) का शिष्य था। वह विश्व-विजय की महत्वाकांक्षा रखता था। सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले ईरानी साम्राज्य को नष्ट किया। इससे उसको अनायास हिन्दुकुश तक का भू-भाग मिल गया। ईरान की राजधानी पर्सिपोलस को जीतकर सिकन्दर भारत की ओर बढ़ा। गांधार के राजा आम्भि ने सिकन्दर से मित्रता कर ली। आम्भि की सहायता पाकर सिकन्दर ने राजा पोरस (पुरु) पर आक्रमण किया। वह वीरता से लड़ा। इस युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में दो मत हैं : सिकन्दर की हार, सिकन्दर की विजय। विद्वानों की नई पीढ़ी दूसरे मत को अधिक पुष्ट व सार्थक मानने लगी है। पुरु की मित्रता प्राप्त कर सिकन्दर आगे बढ़ा। उसको अनेक गणराज्यों से युद्ध करने पड़े। इनमें से ग्लुचुकायन, मद्र और कठ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मुख्य थे। कठ की राजधानी साकल (स्यालकोट) नगरी थी। कठ-युद्ध से सिकन्दर की सेना घबरा गयी और उसने युद्ध करने से इंकार कर दिया। मगध-सम्राट महापद्मनन्द की सेना के आतंक से भयभीत सिकन्दर, व्यास तक पहुंचकर लौट पड़ा। वापसी में सिकन्दर की सेना को मालवों और क्षुद्रकों ने ललकारा। सिकन्दर इनसे संधि करने को बाध्य हुआ। वहाँ उसके कलेजे में बर्छे की चोट लगी। यह साँघातिक सिद्ध हुई। ३२३ ई० पू० सिकन्दर बैबीलोनिया पहुंचा। यहाँ ३३ वर्ष की आयु में बर्छे के घाव से उसकी मृत्यु हो गयी। सिकन्दर के आक्रमण के कारण ग्रीकों का भारत की कला पर प्रभाव पड़ा। मंदिर-निर्माण, मूर्तिकला और मुद्रा-निर्माण तथा इसी प्रकार, ज्योतिष भी प्रभावित हुये। व्यापार बढ़ा। यवनानी लिपि भी आई। भारत का धर्म, दर्शन व ज्योतिष पश्चिम में पहुंचा।

मौर्य वंश

चन्द्रगुप्त मौर्य : आचार्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने भारत से ग्रीक-विजय के प्रभाव को मिटा दिया तथा पुनः भारत की सीमा हिन्दुकुश तक पहुंचा दी। इस प्रकार भारत की राजनीतिक सीमा और प्राकृतिक सीमा एक हो गई। आचार्य चाणक्य का मत था कि हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली एक सहस्र योजन आर्य-भूमि है और इसमें एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित होना चाहिये। इस लक्ष्य को उन्होंने अपने शिष्य चन्द्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाकर पूरा किया। सैल्यूकस सिकन्दर का एक सेनापति था। सिकन्दर के पद-चिन्हों पर चलते हुए उसने भारत पर ३०५ ई० पू० में आक्रमण किया। चन्द्रगुप्त ने उसके मनोरथों को मिट्टी में मिला दिया। पराजित सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को पैरोपनिसडेई (काबुल), एरिया (हिरात), आर्कोशिया (कंदहार) और जद्रोसिया (कलात, लासबेला और मकरान) के प्रदेश दिये। उसने अपनी कन्या भी चन्द्रगुप्त से विवाही। चन्द्रगुप्त ने अपने यूनानी श्वसुर को ५०० हाथी दिये। मैगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनान का राजदूत होकर आया। चन्द्रगुप्त की सेना में ६ लाख पैदल, ३० हजार घुड़सवार और ९ हजार हाथी थे। ८ हजार से अधिक रथ थे। सेना का प्रबन्ध ६ उपसमितियों द्वारा होता था। खानें राज्य की अपनी थीं, इससे राज्य को बड़ी आमदनी थी। समुद्र से मोती निकालने का काम राज्य करता था। नमक का कारोबार भी राज्य के अधीन का। चन्द्रगुप्त ने ३२२ ई० पू० से २९८ ई० पू० तक राज्य किया।

चन्द्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के दरबार में सैल्यूकस के उत्तराधिकारी राजा एण्टीयोकस का दूत रहता था। मिस्र का राजदूत डायोनीसियस भी दरबार में था। बिंदुसार की २७२ ई० पू० में मृत्यु हो गई।

सम्राट अशोक : बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध के राजसिंहासन पर अशोक बैठा। इसने सर्वप्रथम कलिंग (उड़ीसा) को जीता। अशोक ने इस विजय के बाद 'धम्म विजय (धर्म विजय)' की ओर ध्यान दिया। बौद्ध मत के प्रचार के लिए उसने देश-विदेश में अपने प्रचारक भेजे। अशोक के 'महामात्य' का कार्य ही धर्म-प्रचार का कार्य देखना था। अशोक ने चिकित्सालय खोले। शिलाओं पर अपने संदेश अंकित करा उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया। ये शिला-लेख अफगानिस्तान से लेकर मैसूर तक मिले हैं। सारनाथ से प्राप्त स्तम्भ पर सिंह की चार मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कहते हैं अशोक ने ८४ हजार इमारतें बनवाईं। सारनाथ, रांची और पाटलिपुत्र में अशोक के भवनों के कुछ अवशेष मिले हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पाटलिपुत्र के राज-प्रसाद को देखकर चीनी यात्री फाहियान चकित रह गया था। उसने उसको देवताओं का बनाया हुआ बताया। राज्य शक्ति का धर्म-प्रचार और जन-कल्याण में प्रयोग करने वाला विश्व का यह संभवतः पहला सम्राट था।

मौर्य साम्राज्य प्राची, मध्य, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर—इन पांच मंडलों में विभक्त था। जनपद और इनकी जनपद-सभा को कायम रखा गया। ग्राम का शासक 'ग्रामिक' कहलाता था। यह कर वसूल करने के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए प्रेक्षाओं (तमाशों) का भी प्रबन्ध करता था। 'ग्रामिक' शासन का एक महत्वपूर्ण अंग था।

केन्द्रीय शासन अठारह विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग एक महामात्य के अधीन था। न्यायालय के सामने कोई मुकदमा चलने पर निम्न बातें अवश्य लिपिबद्ध की जाती थीं : (१) तिथि, (२) अपराध का स्वरूप, (३) घटनास्थल, (४) यदि ऋण का हो, तो ऋण की मात्रा, (५) वादी प्रतिवादी के देश, गांव, जाति, गोत्र, नाम, पेशा, (६) दोनों पक्षों की युक्तियों-प्रत्युक्तियों का पूर्ण विवरण। मैगस्थनीज ने माना है कि भारत के लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। चोरियां अज्ञातप्राय थीं। लोग सत्यवादी व धर्मात्मा थे।

सारनाथ का स्तम्भ मौर्यकालीन कला का प्रतीक है। अशोक के समय की पाषाण वेष्टनियाँ (रेलिंग) भी दर्शनीय हैं। इन पर जातक की कथाएं उत्कीर्ण हैं। वेष्टनियां पत्थर काटकर बनाई गई हैं। साँची का स्तूप महत्व का है। आधार के समीप इनका व्यास १०० फुट है। यह लाल रंग के पत्थर से बनाया गया है। गुहा-मन्दिर बनाने की परम्परा का प्रारम्भ इसी समय से हुआ। ऐसे मन्दिर बराबर (बिहार) की पहाड़ियों में बने हैं।

मैगस्थनीज के अनुसार भारत में तब सात वर्ग या जातियां थीं : (१) दार्शनिक, (२) किसान, (३) अहीर, गडरिये और चरवाहे, (४) कारीगर, (५) सैनिक, (६) राज्य कर्मचारी, और (७) निरीक्षक या गुप्तचर। लोग मितव्ययी थे तथा स्वच्छता व भव्यता-पूर्वक रहते थे। रत्नों को धारण करने की प्रथा थी। अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने फूलदार कपड़े लोग पहनते थे। तक्षशिला शिक्षा का महाकेन्द्र था। एक आचार्य के पास ५०० से लेकर दस सहस्र तक छात्र रहते थे। राज्य शिक्षा को सहायता देता था। अधिकाँश भाग में सिंचाई होने से साल में दो फसलें होती थीं। अकाल कभी नहीं पड़ता था। अनाज सस्ता था।

मिनान्दर : भारत के ग्रीक राजाओं में मिनान्दर का नाम प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी साकल (सियालकोट) थी। वह बौद्ध था। 'मिलिन्द पाहों' उसका लिखा पाली भाषा में एक ग्रंथ है। तक्षशिला के ग्रीक-नरेश अंतलिखित का राजदूत हेलिउदारे विदिशा में रहता था, वह वैष्णव हो गया था। वासुदेव (विष्णु) की पूजा के लिए उसका बनाया गरुड़-ध्वज, आज भी विद्यमान है। कलिंग नरेश खोरेवेल ने डेमेट्रियस (देमेस्त्रीय) को हरा कर भारत की यवनों से रक्षा की।

शुंग वंश

पुष्यमित्र : मौर्यों का सेनापति था। इसने शुंग राजवंश चलाया। अश्वमेध यज्ञ भी किया। एक शिलालेख में इसे 'द्विरश्वमेध याजी' बताया गया है। यवनों ने उसका छोड़ा अश्व पकड़ लिया था। इसके पौत्र वसुमित्र ने उसको छुड़ाया। महाभाष्यकर्त्ता पातंजलि ने इसका अश्वमेध यज्ञ कराया था। महाभाष्य में कहा गया है : 'पुष्यमित्रं यजामहे।'

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सातवाहन वंश

सिमुक : मौर्यों के निर्बल होने पर दक्षिण में सिमुक ने २१० ई० पू० सातवाहन वंश की नींव डाली। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान नगरी इसकी राजधानी थी। इसके वंशज गौतमिपुत्र सातकर्णि ने पश्चिम में अवन्ति तक राज्य का विस्तार किया। इसने शक, पल्हव (पार्थियन) और यवनों (ग्रीकों) को पराजित किया। इसका काल ६६-४४ ई० पू० था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासज्ञ डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने इसीको शकारि विक्रमादित्य बताया है। वासिष्ठीपुत्र श्री पुलमावि के समय सातवाहन राज्य चोल देश तक फैल गया। पुलमावि ने मगध के राजा सुशर्मा को मार कर मगध के कण्व वंश की समाप्ति कर दी। सातवाहन वंश का शासन २२५ ई० तक चला।

कुशाण साम्राज्य : हूणों से भगाये और सीर नदी घाटी में बसने के बाद उसको छोड़कर बैक्ट्रिया पहुंचे यूइशि लोगों ने पांच राज्य स्थापित किए। इनमें एक कुशाण साम्राज्य था। इसका राजा कदफिसस बौद्ध था। चीन के सम्राट को बौद्ध ग्रंथ भेजने वाला यह पहला भारतीय नरेश था। ८० साल की आयु में वह मर गया। इसका उत्तराधिकारी विम कथफिश शैव था। इसने अपना राज्य मथुरा तक बढ़ाया। पाटलिपुत्र के राजा सातवाहन कुन्तल सातकर्णि ने कुशाणों को अनेक युद्धों में पराजय दी और 'शकारि' कहलाया। ७८ ई० में कनिष्क राजगद्दी पर बैठा। इसने सातवाहनों को हराकर अयोध्या-पाटलिपुत्र तक राज्य का विस्तार किया। कनिष्क पाटलिपुत्र से बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध के एक कमण्डल को साथ ले गया। उत्तरी भारत से इसने सातवाहन वंश के राज्य को समाप्त कर दिया। कनिष्क ने उत्तर में वंक्षु-सीर नदियों तक के प्रदेशों को जीता। चीन से लड़कर काशगर, खोतान और यारकन्द के प्रदेश इसने अपने साम्राज्य में मिला लिए। वंक्षु और यारकन्द से पाटलिपुत्र तक फैले साम्राज्य के शासन के लिए इसने पुष्यपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क के सिक्कों पर देवी-देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। कुण्डलवन (कश्मीर) विहार में कनिष्क के संरक्षण में बौद्धों की चौथी महासभा हुई। अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व इसमें ५०० विद्वानों के साथ सम्मिलित हुए थे। त्रिपिटिका का प्रामाणिक भाष्य संस्कृत में तैयार किया गया। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध-प्रचारक भेजे गए। महायान सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन इसी समय हुआ। कनिष्क की एक सिरकटी मूर्ति मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। कनिष्क ने ४० वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के बाद हविष्क और वासुदेव प्रसिद्ध राजा हुए।

११० ई० में सातवाहनों ने उज्जैन के शक क्षत्रप को हराया और उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब के कुणिद, यौधेय और मालव गणराज्यों ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। कुशाण साम्राज्य को इन सबने समाप्त कर दिया।

नागभारशिव वंश : कुशाणों के साम्राज्य के भस्मावशेष से उत्पन्न राज्यों में नाग भारशिव वंश मुख्य है। इन्होंने ग्वालियर के पास पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया। कौशाम्बी से बढ़ते-बढ़ते ये मथुरा पहुंचे। इन्होंने गंगा-यमुना का प्रदेश कुशाणों से जीता था, अतः गंगा-यमुना को अपना राज्य चिन्ह बनाया। इस वंश के शासक वीरसेन ने बनारस में गंगा-घाट पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाकाटक वंश : भारशिव राजाओं का एक सामंत था विन्ध्य शक्ति (२७८ ई०)। इसने कुशाणों को हराया। इसके पुत्र प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ के शकों को मार भगाया। प्रवरसेन के पुत्र का नाम गौतमिपुत्र था। इसका विवाह नाग भारशिव वंश के राजा भगनाग की कन्या से हुआ। इससे उत्पन्न पुत्र रुद्रसेन भारशिव और वाकाटक, दोनों वंशों के राज्यों का शासक हुआ। उत्तरी भारत इसके राज्य में आ गया।

गुप्त साम्राज्य : (३१९ ई०—५१० ई०) वाकाटकों के निर्बल होने पर लिच्छिवियों ने गंगा के दक्षिण में पाटलिपुत्र को भी जीत लिया। कुशाण साम्राज्य के अन्त में उत्पन्न वीरों में श्रीगुप्त एक था। इसने पूर्वी मगध में अपना राज्य स्थापित किया। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसका पौत्र चन्द्रगुप्त (३१९ ई०—३३५ ई०) महापराक्रमी हुआ। वह महाराजाधिराज हो गया। चन्द्रगुप्त ने लिच्छवी-गण से मैत्री की तथा उसकी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया।। इस विवाह के कारण गुप्त राज्य और लिच्छवी राज्य एक हो गए। कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता है। प्रयाग के एक पुराने स्तम्भ पर इसकी विजय-प्रशस्ति अंकित है। प्रशस्ति हरिषेण की लिखी हुई है। समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश का राज्य समाप्त कर दिया, कांची के राजा विष्णु-गोप को हराया। समतट (गंगा-ब्रह्मपुत्र का मुहाना), दवाक (चटगांव-त्रिपुरा), कामरूप (असम), नेपाल और कुर्तृपुर (कुमायूं) के राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। कुशाण 'शाहानुशाही' ने भी समुद्रगुप्त का प्रभाव स्वीकार किया। समुद्रगुप्त विद्या और कला-प्रेमी सम्राट था। ३७८ ई० में समुद्रगुप्त का देहान्त हो गया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०—४१३ ई०) : रामगुप्त पर कुशाण-नरेश 'शाहानुशाही' ने हमला कर दिया। रामगुप्त ने संधि की जो शर्तें स्वीकार की थीं, वे उसके छोटे भाई चन्द्र-गुप्त को स्वीकार नहीं थीं। चन्द्रगुप्त ने स्त्री-वेष धारण करके कुशाण राजा के अन्तःपुर में प्रवेश किया और उसको मार दिया। रामगुप्त के पराभव पर वह गुप्त राज्य का स्वामी हो गया। ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी के साथ उसने विवाह कर लिया। चन्द्रगुप्त ने कुशाणों को हराया। चन्द्रगुप्त की सेना हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर बाल्हीक (वल्ख) तक जा पहुंची। दिल्ली में महरौली के पास एक लाट खड़ी है। इस पर चन्द्रगुप्त की विजय की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। वंक्षु नदी से अरब सागर तक साम्राज्य स्थापित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।

कुमार गुप्त (४१४—४५५ ई०) : इसका ४१ वर्ष का शासन शान्ति का शासन रहा। नालन्दा महाविहार की स्थापना इसी ने की। इसमें दूर-दूर के विद्यार्थी शिक्षा पाने आते थे। इस समय हूणों के हमले पुनः प्रारम्भ हो गये इसके कारण गुप्त वंश की सत्ता डगमगाने लगी।

स्कन्द गुप्त (४५५-४६७ ई०) : हूणों से यह वीरतापूर्वक लड़ा, गुप्त राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया, शकों को हराया।

स्कन्द गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य क्षीण होता गया। तीरमाण हूण ने ५०० ई० में पंजाब और मालवा जीता। इसका उत्तराधिकारी मिहिरकुल था। इसको गुप्त वंश के नरसिंह बालादित्य ने हराया। मिहिर कुलधर्म से शैव था।

यशोवर्मा : हूणों को विजयी करने वाले इस सेनानी का नाम शिलालेखों में जनेन्द्र यशोवर्मा कहा गया। मन्दसौर (मध्य प्रदेश) का विजय-स्तम्भ इसकी यश-गाथा गा रहा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गुप्त वंश का साम्राज्य नष्ट होने पर भारत में सार्वभौम सम्राटों का भी अन्त हो गया। पाटलिपुत्र साम्राज्य का इसके बाद फिर उदय नहीं हुआ।

फाहियान : चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राटों के राज्यकाल में भारत आया था। बौद्ध-ग्रंथ 'त्रिपिटक' की खोज में वह भारत आया तथा यहां १५ वर्ष रहकर एक भारतीय जहाज पर चीन लौटा। इसने अपने यात्रा-विवरण में भारतीय शासन की बड़ी प्रशंसा की। इसने लिखा है कि राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई भी सोना उछालता चला जाये, कोई उसे नहीं छेड़ता। लेन-देन मौखिक ही होता था, लिखा-पढ़ी और पंचायत की कोई जरूरत नहीं होती। अपराधियों को अपराध के अनुसार अर्थ-दंड दिया जाता था। प्राण-दण्ड और शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। राज्य भर में जीव हिंसा नहीं होती। कोई मद्य भी नहीं पीता। चाँडाल को छोड़कर लहसुन-प्याज भी कोई नहीं खाता। सुअर और मुर्गी नहीं पाले जाते। शराब की दुकानें नहीं थीं। सूनागार (बूचड़खाने) भी नहीं थे। केवल चांडाल मछली पकड़ते, शिकार खेलते और मांस बेचते थे।

हर्षवर्धन : गुप्त साम्राज्य का अन्त होने पर (१) कन्नौज में मौखरि वंश, (२) थानेश्वर में वर्धन वंश और (३) वल्लभि में मैत्रिक वंश राज्य कर रहे थे। गुप्तों का राज्य मगध तक सीमित रहा। इनमें वर्धन वंश का हर्षवर्धन, गुप्त वंश के बाद भारत का सबसे विख्यात राजा हुआ।

मौखरि राज-वंश ने गुप्तों की अधीनता त्यागकर ईसा की छठी सदी में कन्नौज में अपना राज्य स्थापित किया। ईश्वरवर्मा हूणों से लड़ा था। इसके बाद कन्नौज की गद्दी पर ईश्वरवर्मा और सर्ववर्मा बैठे। सर्ववर्मा ने गुप्तवंशी राजा दामोदर गुप्त को एक युद्ध में मार दिया। सर्ववर्मा के बाद अवन्तिवर्मा और गृहवर्मा राजगद्दी पर बैठे। गृहवर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। गृहवर्मा की मृत्यु के बाद राज्यश्री कन्नौज की स्वामिनी हुई। प्रभाकरवर्धन के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो पुत्र थे। राज्यश्री के राजगद्दी पर आने पर गुप्तों के एक सामन्त नरेन्द्र गुप्त शशांक ने, कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यश्री को कैद कर लिया। इस पर राज्यवर्धन एक बड़ी सेना लेकर अपनी बहिन की सहायता के लिए कन्नौज पहुँचा। शशांक ने युद्ध न करके, राज्यवर्धन को संधि-वार्ता के आमंत्रण का धोखा देकर उसकी हत्या कर दी। भाई की हत्या का समाचार सुनकर राज्यश्री घबरा गई। उसने सती होने का निश्चय किया और विंध्याचल के जंगल में चली गई। हर्षवर्धन अब भाई की मृत्यु का बदला लेने कन्नौज पहुंचा। हर्षवर्धन स्वतः बहिन की खोज में निकला। शशांक का सामना उसके ममेरे भाई भण्डी ने किया। राज्यश्री चिता में प्रवेश करने को जब उद्यत थी, तब हर्षवर्धन ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया। राज्यश्री की रक्षा हो गई। भण्डी ने इधर शशांक को हराया। हर्षवर्धन थानेश्वर के साथ-साथ अपनी बहिन का प्रतिनिधि होकर कन्नौज का भी राज्य करने लगा। राज्यश्री निःसन्तान थी। हर्षवर्धन ने ६ साल तक विजय-यात्रा की। गुप्तवंश का राजा माधवगुप्त हर्षवर्धन का बालसखा था। अतः गुप्तों की ओर से उसका विरोध नहीं हुआ। प्रागज्योतिषि (असम) का राजा भास्करवर्मा हर्षवर्धन का मित्र हो गया। हर्षवर्धन ने वल्लभि के शासक मैत्रकवंशीय ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। फिर उसने मैत्री कर ली और अपनी पुत्री भी उसको विवाह दी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चालुक्यवंश : पुलकेशी द्वितीय : नर्मदा के दक्षिण में चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय का शासन था। इसकी राजधानी वातापी (वादामी-बीजापुर) थी। पुलकेशी ने पल्व-वंशी महेन्द्रवर्मा को जीतकर कावेरी तक अपना राज्य-विस्तार किया था। चोल, पांड्य और केरल राज्य तक उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच अनेक युद्ध हुए। हर्षवर्धन उनमें सफल नहीं हुआ। हर्षवर्धन प्रयाग के संगम पर हर पाँचवें साल एक बड़ा मेला लगवाता था जिसमें वह विपुल धन-राशि दान करता था। हर्ष ने कन्नौज में एक महासभा का आह्वान किया था। इसमें राजा-महाराजाओं के अतिरिक्त चार हजार बौद्ध भिक्षु और तीन हजार पौराणिक पण्डित सम्मिलित हुए थे।

ह्यु एन्त्सांग : यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में आया था। १४ साल बाद जब स्वदेश लौटा तब यह अपने साथ अनेक मूर्तियों तथा बुद्ध अस्थ्यावशेषों के अतिरिक्त ६५७ संस्कृत के ग्रंथ भी ले गया था। इसकी संग्रहीत सामग्री सियान नगर के समीप 'तायेन' (करुण-कल्याण) नामक विहार में आज भी विद्यमान है। ह्यु एन्त्सांग ने यहां रहकर भारत से लाये हुए ग्रंथों का ३० साल तक चीनी में अनुवाद किया। उसकी समाधि इस विहार से कुछ मील दूर है। इस महायात्री ने १२८ देशों की सीमाओं को पार किया और हजारों ग्रंथों का अनुवाद किया। ह्यु एन्त्सांग नालन्दा विश्वविद्यालय में ६ साल रहा था। उस समय वहां दस हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। वहां की एक इमारत नौ मंजिली थी। विद्यार्थियों के छात्रावास थे। हरेक विद्यार्थी का कक्ष अलग-अलग था। परन्तु ऐसे भी भवन थे, जहां दस हजार छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन करते थे। छात्रों को द्वार-पण्डित की परीक्षा में उतीर्ण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। 'द्वार-पंडित' की परीक्षा बड़ी कड़ी थी। २०-३० प्रतिशत ही परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। शिक्षा, निवास, भोजन, वस्त्र सब निःशुल्क थे।

मुस्लिम आक्रमण

भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण ७१२ ई० में हुआ। मुहम्मद-बिन कासिम ने ७१२ ई० में सिन्ध और मुलतान को जीता। परन्तु अरब भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर सके। सिन्ध में बौद्धों ने शहर का दरवाजा खोल दिया था अतः महाराजा दाहर को अरबों के हाथों पराजय देखनी पड़ी।

महमूद गजनवी (९९७-१०३० ई०) : पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु पर यह गज़नी की गद्दी पर ९९७ ई० में बैठा। १००० से १०२६ ई० मध्य इसने भारत पर १७ हमले किये। भारत पर उसके आक्रमण साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं हुए वरन् उसका उद्देश्य देश को लूटना था। उसने भारत पर बार-बार हमला किया, परअपना राज्य स्थापित करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। १०२५ ई० में उसने सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण कर उसे लूटा।

मोहम्मद गौरी (११८६-१२०६) : ११८६ ई० में इसने लाहौर जीता। ११९१ ई० में इसको पृथ्वीराज चौहान ने पानीपत के समीप तरावड़ी में हराया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से १७ बार लड़ा और हमेशा हारा। १८वीं बार मोहम्मद गौरी ने धूर्त्तता से काम लिया और पृथ्वीराज को कैद कर लिया। पृथ्वीराज ने अपने सखा कविवर चन्दबरदाई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के सहयोग से मोहम्मद गौरी से प्रतिशोध लिया और उसे बाण से मार डाला। पृथ्वीराज चौहान शब्द-बेधी धनुर्विद्या में निपुण था।

गुलाम वंश (१२०६-१२९० ई०)

कुतुबुद्दीन एबक (१२०६-१२१० ई०) : यह मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। गौरी के मरने पर यह दिल्ली का शासक हो गया। इसने गुलाम राजवंश की स्थापना की।

अल्तमश (१२१०-१२३६ ई०) : यह कुतुबुद्दीन एबक का दामाद था। यह उत्तरी भारत का स्वामी हो गया।

रजिया बेगम (१२३६-१२४० ई०) : यह अल्तमश की लड़की थी। यह दिल्ली की मुस्लिम स्त्री शासिका थी।

रजिया के पश्चात् ३० वर्ष तक दिल्ली के सिंहासन पर नसीरउद्दीन महमूद शासक रहा। किन्तु वास्तविक शक्ति बलबन के हाथ में थी। १२३६ ई० में बलबन स्वयं मुसलमान बन गया। बलबन को मेवात, दोआबा एवं आस-पास के क्षेत्रों में हिन्दू जनता के विद्रोह का कठोर दमन करने का श्रेय दिया जाता है। बलबन ने पहली बार दरबार में ईरानी वैभव एवं शिष्टाचार को लागू किया। वस्तुतः बलबन ने डगमगाती हुई दिल्ली सल्तनत को पुनः ठोस आधारों पर खड़ा कर दिया।

खिलजी वंश

अलाउद्दीन खिलजी : (१२९६-१३१६ ई०) : यह अपने चाचा और श्वसुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसके शासन के साथ इस्लामी साम्राज्य का प्रारम्भ हुआ। दक्षिण भारत को पहली बार इसके सेनापति मलिक काफूर ने विजय किया। दक्षिण भारत को लूटकर मलिक काफूर १३११ ई० में दिल्ली लौटा। अलाउद्दीन ने राजपूताना में रणथम्भौर को जीतने के बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वह मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को चाहता था। १३१३ ई० में जब उसने चित्तौड़ जीता और किले में प्रवेश किया तो वहां उसको एक भी महिला नहीं मिली। रानी पद्मिनी ने एक हजार वीरांगनाओं के साथ जौहरव्रत किया था—चिता में कूदकर भस्म हो गई थीं। यह चित्तौड़ का 'पहला साका' के नाम से प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी हृदयहीन तथा धर्मांध था। अतः प्रजा का प्रेम नहीं प्राप्त कर सका। इसके मरते ही खिलजी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

तुगलक वंश (१३२०-१४१४ ई०)

मोहम्मद तुगलक (१३२५-१३५१ ई०) : ग्यासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उसको 'बुद्धिमान पागल' बादशाह कहा जाता है। यह दक्षिण विजय के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद (देवगिरि) ले गया। दिल्ली उजड़ गई। युद्धों का खर्च पूरा करने के लिए इसने ताम्बे के सिक्के चलाये। राजकोष खाली हो जाने पर इसने कर बढ़ाये। किसानों को कुचला। किसान खेत छोड़कर जंगलों में भाग गये। आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। फलतः जगह-जगह विद्रोह हो गये।

फिरोजशाह (१३५१-१३८८ ई०) : मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक गद्दी पर बैठा। वह कट्टर मुसलमान था। धर्मांध होने से उसने गैर-मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के लिए अनेक उपाय बरते। जजिया कर कठोरता से वसूल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया। ब्राह्मण भी इससे मुक्त नहीं रखे गये। तुगलक साम्राज्य में हो रहे विद्रोह को शांत करने में सर्वथा असमर्थ रहा। इसके बाद के शासक दुर्बल थे। १३९८ ई० में तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा और कत्लेआम किया। इसने राज्य न किया और लौट गया।

लोदी वंश (१४५१-१५२६)

इस वंश का पहला शासक बहलोल लोदी था। इसके बाद सिकन्दर लोदी (१४८९-१५१७ ई०) हुआ।

इब्राहीम लोदी (१५१७-१५२६ ई०) : यह सिकन्दर लोदी का लड़का था। इसको बाबर ने पानीपत के पहले संग्राम में हराया। लोदी राज्य-वंश का १५२६ ई० में अन्त हो गया।

मुगल वंश

बाबर (१५२६-१५३० ई०) : बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की। पानीपत, खानवा और घाघरा की लड़ाईयां जीतीं। पठानों और राजपूतों को हराया। तुर्की में इसने अपना आत्म-चरित्र लिखा है।

हुमायूं (१५३०-१५५६ ई०) : यह बाबर का बेटा था और शेरशाह सूरी से हारकर ईरान चला गया। शेरशाह की मृत्यु के बाद इसने फ़िर राज्य कायम किया। अकबर इसका बेटा था।

सूरी राजवंश (१५४०-१५५५ ई०) : शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। सहसराम (बिहार) में बना इसका मकबरा कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसकी मृत्यु १५४५ ई० में हुई।

अकबर (१५५६-१६०५ ई०) : यह १३ साल की आयु में १४ फरवरी, १५५६ ई० को गद्दी पर बैठा। सेनापति बैरमखां ने पानीपत में हिन्दू राजा हेमचन्द्र को १५५६ ई० में हराया। इसके उपरान्त अकबर का राज्य स्थिर हो गया। राजपूतों को अकबर ने पदों का लालच देकर मुगल-साम्राज्य में स्थान दिया किन्तु महाराणा प्रताप आजन्म अकबर से संघर्ष करते रहे। हल्दीघाटी के मैदान में उन्होंने अकबर की सेना से डटकर लोहा लिया। वे अकबर के सम्मुख कभी नहीं झुके। अकबर ने दीन-ए-इलाही मजहब चलाया। वह बहुत ही चतुर शासक था तथा हिन्दुओं को प्रसन्न रखने के लिए उसने कुछ दिनों तक तिलक लगाना व सूर्य को जल देना प्रारम्भ किया। १६०५ ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

जहांगीर (१६०५-१६२७ ई०) : यह अकबर का पुत्र था। इसके शासन में चित्रकारी और आलेखन में उन्नति हुई। मेहरुन्निसा से विवाह कर उसने उसको नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी थी।

शाहजहां (१६२८-१६५८ ई०) : शाहजहां का काल मुगल-शासन का स्वर्ण-युग माना जाता है। इसके ही शासनकाल में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जामा मस्जिद सदृश इमारतें बनीं तथा वास्तु या स्थापत्य-कला ने बहुत प्रगति की।

औरंगजेब (१६५८-१७०७ ई०) : राज्य में खून की नदियां बहाकर, भाइयों की हत्या कर तथा अपने वृद्ध पिता शाहजहां को कैद में डालकर गद्दी पर बैठा। इसने धर्मांधता की नीति बरती। इसका सारा जीवन हिन्दुओं से लड़ते हुए बीता। शिवाजी ने औरंगजेब से डटकर संघर्ष किया तथा अनेक बार उसके शासन की जड़ें हिला दीं। गुरु गोविन्दसिंह ने भी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध तलवार उठाई। औरंगजेब ने हिन्दुओं से जजिया वसूल किया व उनके धर्मस्थानों के प्रति संकीर्ण नीति अपनाई। सिखों के गुरु तेगबहादुर व बन्दा वैरागी की निर्मम हत्या उसकी धर्मांध नीति का ही परिचायक है।

सिखों का उत्थान

मुस्लिम काल में अनेक धार्मिक आन्दोलनों का उद्भव हुआ। इनमें सिख मत का आन्दोलन विशेष महत्वपूर्ण है। इस मत के संस्थापक गुरु नानकदेव थे। उनका उद्देश्य हिन्दू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करके उसकी रक्षा करना था। परन्तु राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस मत ने एक सैनिक संगठन का रूप धारण कर लिया। सिख शब्द शिष्य शब्द का अपभ्रंश है। गुरु ग्रंथसाहब में भगवान राम-कृष्ण आदि अवतारों की प्रशस्ति भरी पड़ी है। सभी सिख गुरु देवी-देवताओं के आराधक थे तथा हिन्दू धर्म की रक्षा ही उनका उद्देश्य था।

गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) : गुरु नानकदेव का जन्म १४६९ में पश्चिमी पंजाब में ननकाना साहब में हुआ। उनमें बाल्यवस्था में ही वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। फलतः तीस वर्ष की आयु में उन्होंने ईश्वर भक्ति का प्रचार आरम्भ कर दिया। गुरुनानक एक ईश्वर को मानते थे। उनका विचार था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए निरन्तर नाम का जप करना चाहिये। इसके लिए वे सच्चे गुरु की सहायता प्राप्त करना आवश्यक मानते थे। वे जाति-पाति के विरोधी थे। गुरु नानक देव ने अपने युग में भक्ति की गंगा प्रवाहित करके आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की।

गुरुअंगददेव (१५३८-१५५२ ई०) : उनका वास्तविक नाम भाई लहना था। वे गुरु नानक देव के प्रमुख शिष्य थे और उनके बाद गुरु की गद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई और इसमें गुरुनानक की जीवनी गद्य में लिखी जिसे 'जन्मसाखी' कहा जाता है।

गुरु अमरदास : (१५५२-७४ ई०) : यह गुरु अंगददेव के शिष्य थे। उन्होंने गुरु लंगर जारी किया। उन्होंने सिख मत के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए।

गुरु अर्जुनदेव (१५८१-१६०६ ई०) : यह गुरु रामदास के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने अमृतसर को सिखों का तीर्थ स्थान बनाया। आपने 'गुरु-ग्रंथ-साहब' तैयार कराया जिसमें समस्त गुरुओं की वाणियाँ वर्णित हैं। इनके समय में सिखों ने राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया। गुरु अर्जुनदेव को हिन्दू धर्म त्याग कर मुसलमान बनने पर विवश किया गया तथा इन्कार करने पर तेल के खौलते कड़ाहे में उबाल कर मार डाला गया। गरुजी शहीद हो गये किन्तु उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की।

गुरु हरगोविंद सिंह (१६०६-१६४५ ई०) : गुरु अर्जुनदेव ने मृत्यु से पूर्व अपने उत्तराधिकारी को आदेश दिया कि सिख शस्त्र ग्रहण करें। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही 'सच्चे बादशाह' का पद ग्रहण किया। इन्होंने सैनिक वेश धारण किया और सिखों को भी ऐसा करने का आदेश दिया। इनको मुगलों के साथ तीन बार युद्ध करना पड़ा जिसमें हमेशा इनकी विजय हुई।

गुरु हरराय (१६४५-१६६१ ई०) : यह गुरु हरगोविंदसिंह के पुत्र थे। इन्होंने औरंगजेब के भाई दाराशिकोह को शरण दी जिससे वह इनसे कुपित हो गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गुरु हरकिशन (१६६१-६४ ई०) : जब यह गुरु की गद्दी पर बैठे तो इनकी आयु केवल पाँच वर्ष की थी।

गुरु तेगबहादुर (१६६४-७५ ई०) : यह गुरु हरगोविंदसिंह के छोटे पुत्र थे। इनके समय में सिख शक्तिशाली तथा संगठित बन गए। औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम स्वीकार न करने पर ११ नवम्बर १६७५ ई० को इनकी निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी।

गुरु गोविंदसिंह (१६७५-१७०८ ई०) : इनका जन्म २६ दिसम्बर १६६६ ई० को पटना में हुआ। जब यह गद्दी पर बैठे तो इनकी आयु केवल ९ वर्ष की थी। इन्होंने मुगलों के अत्याचार के विरोध में सारी आयु धार्मिक युद्ध छेड़े रखा। इन्होंने सिखों का संगठन किया और उन्हें सैनिक शिक्षा दी। प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा पहनने का आदेश दिया। १६९० ई० में मुगल सेनाओं को पराजित किया। १६९५ में उन्होंने राजकुमार मुअज्जम से युद्ध में विजय प्राप्त की। १६९९ में उन्होंने सिखों की एक बड़ी सभा की जहाँ बलि देने के उत्सुक 'पाँच प्यारों' को चुना। इनके दो पुत्रों को सरहिन्द के मुसलमान शासक ने मुसलमान न बनने पर दीवार में जीवित चुनवा दिया। १७०८ ई० में उन पर एक पठान ने प्राणघातक आक्रमण कर दिया। आप गुरुओं की गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को समर्पित कर स्वर्गवासी हो गये एवं गुरु प्रथा की समाप्ति हो गई।

बन्दा वैरागी : यह राजपूत डोगरा था। यह युवावस्था में ही साधु बन गया। गुरु गोविन्दसिंह ने इनको सिखों का सैनिक नेता नियुक्त किया। इसने मुगलों को कई युद्धों में भारी पराजय दी। सरहिंद के शासक से गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों की हत्या का बदला लिया। मुगल उसे पकड़ने में सफल हुए तथा गरम-गरम चीमटों से माँस नुचवाकर हत्या कर दी। बन्दा वैरागी ने धर्म की रक्षा की किन्तु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। बन्दा बहादुर के पश्चात् सिखों ने पर्वतों पर शरण ली। बाद में सिख संगठन बिखर गया।

महाराजा रणजीतसिंह (१७८०-१८३९ ई०) : १७९९ में इन्होंने लाहौर पर और १८०२ में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। १८०९ ई० तक वह सतलुज नदी तक अपने राज्य की सीमा विस्तृत करने में सफल हो गये। १८०९ में ही इन्होंने अमृतसर की संधि के अनुसार अंग्रेजों से संधि कर ली, जिससे सतलुज नदी महाराजा के राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित हुई। महाराजा रणजीतसिंह अत्यन्त धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई गोहत्या नहीं कर सकता था। उनकी यह अभिलाषा थी कि वे अपने कोहनूर हीरे को भगवान विट्ठलदेव की मूर्ति को भेंट करें। उन्होंने अटक (१८१३), मुल्तान (१८१७), कश्मीर (१८१९) और डेरा इस्माइल खाँ (१८३५) को विजय किया। उनका जून १८३९ ई० में देहान्त हो गया।

महाराजा रणजीतसिंह के पश्चात् कोई ऐसा योग्य व्यक्ति न निकला जो राज्य को संभाल सकता। अंग्रेजों ने १८४९ ई० में सिखों को पराजित कर सिख राज्य का अन्त कर दिया।

मराठा काल

मराठा शब्द महाराष्ट्र के निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है। मराठों का इतिहास वीरता, दूरदर्शिता तथा साहस का इतिहास है। मराठे बम्बई के दक्षिण-पूर्वी पठारों में रहते थे। वे स्वभावतः वीर, तेजस्वी तथा नीति कुशल माने जाते हैं। सत्रहवीं शताब्दी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मराठों के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। इस काल में महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास संत एकनाथ और संत तुकाराम आदि महापुरुषों ने धार्मिक जागृति का अभियान छेड़कर धार्मिक चेतना के साथ-साथ स्वधर्म व स्वदेश पर मरने की भावना जागृत की। इन महापुरुषों ने मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त जनता में संघर्ष की भावना उत्पन्न की।

शिवाजी का उदय : इसी काल में मराठों को वीर, नीति निपुण एवं दूरदर्शी नेता शिवाजी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने सभी मराठों को एक झंडे के नीचे संगठित कर दिया। शिवाजी का जन्म १० अप्रैल १६२७ ई० को पूना के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सुलतान की सेना में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी की माता जीजाबाई परम आस्तिक, हिन्दुत्वाभिमानी नारी थीं। वह शिवाजी को प्रतिदिन महाभारत, रामायण व पुराणों की वीर गाथाएं सुना कर उनमें वीरता का भाव भरती थीं। जीजाबाई ने बालक शिवा को गो-ब्राह्मण की रक्षा की शपथ दिलाई। शिवाजी पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही एक गोहत्यारे कसाई का वध करके गाय की रक्षा की।

जीजाबाई शिवाजी को संघर्षशील नेता बनाना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का भार कोणदेव नामक एक सुयोग्य ब्राह्मण के हाथों सौंपा। उन्हें शासन प्रणाली व युद्धकला की शिक्षा दी गई। उसी समय समर्थ गुरु रामदास नामक तेजस्वी सन्त धार्मिक प्रचार के साथ-साथ हिन्दुओं में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में लगे हुए थे। उन्हें एक ऐसे वीर की आवश्यकता थी जो मराठों को संगठित करके विदेशी आक्रामक मुगलों के साम्राज्य से लोहा ले व उसे चकनाचूर करके 'हिन्दवी साम्राज्य' की स्थापना करे। शिवाजी के रूप में उन्हें एक महान शिष्य मिल गया और शिवाजी को समर्थ गुरु के रूप में तेजस्वी महापुरुष का नेतृत्व।

शिवाजी ने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के सम्मुख प्रतिज्ञा की—"विदेशी आक्रामक म्लेच्छों के शासन को चकनाचूर करने के लिए सतत संघर्षशील रहूँगा तथा 'हिन्दू साम्राज्य' स्थापित करके ही चैन से बैठ पाऊंगा।" शिवाजी ने मराठों को एकत्र किया तथा छोटी-छोटी टोलियां बनाकर नकली दुर्गों पर आक्रमण करके युद्ध का पूर्वाभ्यास प्रारम्भ किया। उन्होंने अल्प समय में ही अपनी शक्ति बढ़ा ली। सन् १६४४ ई० में अचानक एक दिन उन्होंने तोरण के दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने बीजापुर के दुर्ग रायगढ़-सिंहगढ़-पुरन्दर और कल्याण पर अपना अधिकार कर लिया। सन् १६५९ में बीजापुर के सेनापति अफजल खां ने संधि के बहाने शिवाजी की हत्या का षड़यन्त्र रचा, किन्तु शिवाजी ने गले मिलते समय सतर्क रहकर अफजल खां के वार को असफल कर दिया व उसकी हत्या कर डाली। सन् १६६३ ई० में शिवाजी ने औरंगजेब के सेनापति शाइस्तखां को पराजित किया। औरंगजेब ने जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। शिवाजी को उस विशाल सेना के सम्मुख घिर जाना पड़ा। उन्होंने चतुराई से काम लेकर संधि कर ली। जयसिंह के अनुरोध पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। किन्तु औरंगजेब ने उन्हें दरबार में धोखे से बन्दी बना लिया। शिवाजी चतुराई के साथ मिठाई के एक बड़े टोकरे में छिपकर जेल से बाहर निकल गये। मुक्त हो जाने पर उन्होंने पुनः अपने सभी किलों पर अधिकार कर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लिया। १६७४ ई० में उनका राज्याभिषेक किया गया और उन्हें 'छत्रपति' की उपाधि से विभूषित किया गया।

शिवाजी अत्यन्त धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय तथा वीर शासक थे। छापामार युद्ध-नीति के कारण उन्होंने मुगलों की बड़ी-बड़ी सेनाओं को करारी मात दी। शिवाजी अपने धर्मशास्त्रों का निष्ठा के साथ पालन करते थे। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को शत्रुओं की स्त्रियों में भी माता की भावना रखने का आदेश दिया था। निर्धनों व कृषकों के हित के लिए उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। १३ अप्रैल १६८० ई० को शिवाजी का देहान्त हो गया।

शिवाजी के उत्तराधिकारी

सम्भाजी (१६८०-८९ ई०) : शिवाजी का पुत्र सम्भाजी एक अयोग्य और विलासी व्यक्ति था। पिता की मृत्यु के पश्चात् जब वह गद्दी पर बैठा तो मराठों का संगठन कमजोर पड़ गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब का ध्यान मराठों की ओर पुनः आकृष्ट हुआ। उसने सम्भाजी पर आक्रमण कर दिया। सम्भाजी और उसका पेशवा पकड़े गये। सम्भाजी में आखिर था तो शिवाजी का ही रक्त। अतः उसका स्वाभिमान जाग उठा और उसने मुगलों को मराठों का कोष बताने से इन्कार कर दिया। बादशाह की आज्ञा से सम्भाजी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई।

राजाराम (१६८९-१७०० ई०) : सम्भाजी की हत्या के बाद उसके छोटे भाई राजाराम ने अपने को राजा घोषित किया। परन्तु वह भी कोई योग्य शासक नहीं था। मराठा सरदारों ने उसे जिंजी के किले में भेज दिया और मुगलों से युद्ध जारी रखा। सन १७०० ई० में राजाराम की मृत्यु हो गई।

ताराबाई (१७००-१७०८ ई०) : राजाराम के बाद उसकी विधवा रानी ताराबाई ने अपने चार वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन-भार अपने हाथों में ले लिया। उसके समय में मराठों ने बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच पर आक्रमण किये।

शाहूजी (१७०८-१४ ई०) : १७०८ ई० में सम्भाजी का पुत्र शाहूजी गद्दी पर बैठा। उस समय वह मुगलों की कैद में था। औरंगजेब की मृत्यु पर बहादुरशाह ने उसे रिहा कर दिया। उसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। शाहूजी भी एक अयोग्य शासक था। १७१४ ई० में राज्य पेशवाओं के हाथ आ गया।

पेशवाओं का उत्थान

शिवाजी के उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण पेशवाओं की शक्ति बढ़ गई। शाहू ने सत्तारूढ़ होने के बाद बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना लिया और स्वयं निश्चिन्त होकर भोग-विलास में मग्न रहने लगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ एक योग्य राजनीतिज्ञ था। उसने सैयद भाइयों की सहायता से मुगल बादशाह फरुखसियर को मरवा दिया। सैयद भाइयों ने जो प्रदेश शिवाजी के समय मराठों से जीते थे वे पुनः पेशवा को लौटा दिये।

बाजीराव प्रथम (१७२०-४० ई०) : पेशवाओं के पैतृक अधिकार के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु पर उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसकी यह हार्दिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आकांक्षा थी कि 'हिन्दू राज्य' का झंडा अटक से कृष्णा नदी तक फहरा उठे। उसने १७२४ में मालवा पर अधिकार किया। १७२८ ई० में उसने निजाम को पराजित किया। उसने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की और बुन्देलखंड जीतकर बुन्देला को दे दिया। उसने मुगलों और निजाम की संयुक्त सेना को १७३८ ई० में पराजित किया जिससे उसे ३० लाख रुपया हर्जाना एवं मालवा, नर्मदा और चम्बल के मध्य की भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। १७३९ ई० में उसने पुर्तगालियों पर हमला किया और उनसे कुछ क्षेत्र छीन लिये। उसने मराठा संघ की स्थापना की। १७४० ई० में उसका निधन हो गया।

बालाजी बाजीराव (१७४०-६१ ई०) : बाजीराव की मृत्यु पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। उस समय उसकी आयु १९ वर्ष थी। १७४८ में शाहूजी की मृत्यु पर वह स्वयं राजा बन बैठा और अपनी राजधानी पूना में बनाई। उसने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव ने १७५८ में हैदराबाद के निजाम को उदगीर में परास्त किया जिससे मराठों को बीजापुर का बहुत सा प्रदेश एवं बुरहानपुर व असीरगढ़ के किले प्राप्त हुए। मराठों ने अब लगभग सारे भारत से चौथ वसूल की। परन्तु उनकी १७६१ ई० में विदेशी आक्रमणकारी अब्दाली के हाथों भयंकर पराजय हुई। इस युद्ध ने मराठों का भारत में 'हिन्दू साम्राज्य' स्थापित करने का स्वप्न सदा के लिए ध्वस्त कर दिया। इस पराजय से बालाजी बाजीराव के हृदय पर गहरा आघात लगा और १७६१ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

माधवराव (१७६१-७२ ई०) : माधवराव पेशवा १६ वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। पानीपत की पराजय से हैदराबाद का निजाम, मैसूर का हैदरअली व अंग्रेज मराठों को दुर्बल समझकर अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। परन्तु माधवराव ने कहीं युद्ध और कहीं नीति से सबको अपने वश में कर लिया। माधवराव ने वे सभी प्रदेश पुनः हस्तगत कर लिये जो पानीपत के युद्ध से पूर्व मराठों के पास थे। माधवराव ने जाटों, राजपूतों और रूहेलों से भी चौथ वसूल की। १७७२ में उसने मुगल गद्दी के उत्तराधिकारी शाह आलम को देहली में सेना भेजकर गद्दी पर बैठाया। १७७२ ई० में २८ वर्ष की अल्पायु में माधवराव की मृत्यु हो गई।

मराठों का पतन

माधवराव के कोई पुत्र न था। अतः उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके भाई नारायणराव को पेशवा बनाया गया। परन्तु उसके चाचा नारायण ने १७७३ में षड़यन्त्र द्वारा उसकी हत्या करा दी। मराठा सरदारों ने नारायण को पेशवा मानने से इन्कार कर दिया और १२ व्यक्तियों की एक शासनकर्तृ समिति बनाई जिसने शासन की बागडोर संभाल ली।

बाजीराव द्वितीय (१७६९-१८१८ ई०) : माधवराव द्वितीय भी निःसन्तान ही मर गया। इस कारण पेशवा पद के लिए फिर झगड़ा उत्पन्न हो गया। नाना फड़नवीस ने रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव को पेशवा बना दिया लेकिन वह स्वयं सर्वेसर्वा बना रहा और टीपू सुल्तान को पराजित किया। १७९५ में उसने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। १७९४ ई० में मराठों के प्रसिद्ध सरदार महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। सन् १८०० ई० में नाना फड़नवीस भी मृत्यु-ग्रस्त हो गये। नाना फड़नवीस की मृत्यु के पश्चात् छोटे-छोटे सरदारों की फूट को कोई न रोक सका और मराठों की शक्ति भी समाप्त हो गई। अब

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पेशवा के पद के लिए झगड़ा उठ खड़ा हुआ। जसवन्तराव होल्कर ने अमृतराव को पेशवा घोषित किया। बाजीराव द्वितीय ने पूना से भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने उसके साथ सन् १८०३ ई० में बसीन की संधि की और उसे पुनः पेशवा बना दिया। परन्तु उस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व छा गया। इस प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए उसको अंग्रेजों से १८१७ ई० में युद्ध करना पड़ा। युद्ध में उसकी हार हुई और अंग्रेजों ने मराठा राज्य छीन लिया। पेशवा को वार्षिक पेंशन और छोटी-सी जागीर दे दी गई। इस प्रकार मराठों के इतिहास का अन्त हो गया।

अंग्रेजों का अधिकार

अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की आड़ लेकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना करके पैर जमाये और धीरे-धीरे उन्होंने देश पर अपना अधिकार जमा लिया।

ब्रिटेन ने भारत पर आधिपत्य करने के बाद क्लाइव को बंगाल के शासन का प्रमुख बनाया। सन् १७५७ ई० में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस विजय ने क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में चर्चित कर दिया।

भारत के गवर्नर जनरल

ब्रिटेन ने भारत में अपना पहला गवर्नर जनरल **वारेन हेस्टिंग्ज** (१७७४-१७८५ ई०) को नियुक्त किया। उसने बंगाल, अवध और निजाम को ब्रिटिश शासन में मिलाया। वारेन हेस्टिंग्ज के बाद **लार्ड डलहौजी** (१८४८-१८५६ ई०) गवर्नर जनरल बना। उसने पंजाब, दक्षिण बर्मा को ब्रिटिश शासन में मिलाया। उसके समय में ही भारत में रेलवे लाइन बननी प्रारम्भ हुई, डाक-तार घर खोले गए।

लार्ड डलहौजी के बाद **लार्ड केनिंग** (१८५६-५८ई०) गवर्नर जनरल बना। भारत की स्वाधीनता के लिए प्रथम संग्राम १८५७ में उसी के समय में प्रारम्भ हुआ। १८५७ के आन्दोलन के विफल हो जाने पर भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। बाद में गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया।

वायसराय

लार्ड केनिंग (१८५८-१८६३ ई०) ने भारत में ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन किया।

लार्ड रिपन (१८८०-१८८४ ई०) ने भाषाई समाचारपत्र कानून रद्द किया। स्वायत्त शासन कानून बनाया। शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया तथा मजदूरों की रक्षा के लिए फैक्ट्री कानून बनाया।

लार्ड कर्जन (१८९९-१९०५ ई०) ने तिब्बत को पराजित करके अंग्रेजों को उसकी परराष्ट्र नीति का भार सौंपा। उसने कबाइली इलाके की रक्षा के लिए कबाइली सेना गठित की। १९०५ ई० में उसने बंगाल को विभक्त किया। जब देश में बंग विभाजन के विरोध में जनरोष भड़का तो १९११ ई० में उसे रद्द कर दिया गया।

लार्ड मिन्टो (१९०५-१९१० ई०) ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन प्रणाली मान्य करके मुसलमानों में पृथकता के बीज बोये जिसके कारण पाकिस्तान की योजना बनी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लार्ड हार्डिग (१९१०-१९१६ ई०) : जार्ज पंचम के राज्याभिषेक के समय दिल्ली में जशन मनाया गया तथा लार्ड हार्डिग की शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन चाँदनी चौक में शोभा यात्रा पर क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया। लार्ड हार्डिग सौभाग्य से बच गया।

लार्ड चेम्सफोर्ड (१९१६-१९२० ई०) ने इण्डिया एक्ट १९१९ बनवाया। रौलट एक्ट, मार्शल ला और असहयोग आन्दोलन लार्ड चेम्सफोर्ड के समय की मुख्य घटनाएं हैं।

लार्ड रीडिंग (१९२१-२६ ई०) के समय में गाँधीजी के नेतृत्व में प्रिंस आफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया गया। सविनय कानून भंग आन्दोलन बना तथा विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन भी उसी के समय में हुआ।

लार्ड इरविन (१९२६-१९३० ई०) गांधीजी के नेतृत्व में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य घोषित किया तो नमक कानून भंग के साथ-साथ सामूहिक कानून भंग आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया। गाँधीजी ने दांडी में नमक कानून भंग किया। मार्च १९३१ ई० में लार्ड इरविन ने आन्दोलन की व्यापकता देखकर गाँधीजी से समझौता किया तब जाकर यह आन्दोलन समाप्त हुआ।

लार्ड विलिंगडन (१९३१-१९३६ ई०) : के समय १९३० ई० में दूसरी व तीसरी गोलमेज कान्फ्रेंस हुई। ज्र्सी के आदेश पर काँग्रेस को अवैध घोषित किया गया। रैम्जे मैकडानेल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा के विरोध में गाँधीजी ने आमरण अनशन किया।

लार्ड लिनलिथगो (१९३६-४३ ई०) : ने प्रान्तों में इण्डिया एक्ट १९३५ ई० लागू कंराया तथा चुनाव होने पर देश के आठ प्रान्तों में काँग्रेसी मन्त्रिमंडल बने। लार्ड लिनलिथगो द्वारा अड़ंगे व असहयोग की नीति अपनाये जाने पर १९३९ ई० में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया। ८ अगस्त १९४२ ई० को कांग्रेस ने बम्बई में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का सूत्रपात किया तो लार्ड लिनलिथगो ने दमनचक्र प्रारम्भ करके भारतीय जनता पर अत्याचार कराये।

लार्ड वेवल (१९४३-४७ ई०) : के समय में १९ दिसम्बर १९४६ ई० को संविधान परिषद् की पहली बैठक डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया तथा भारत विभाजन की माँग की। जिन्ना आदि ने स्पष्ट घोषणा की कि मुसलमान अलग राष्ट्र हैं तथा वह किसी भी कीमत पर हिन्दुओं के साथ रहने को तैयार नहीं हैं। इस काल में आजाद हिन्द फौज के तीन जनरलों पर लालकिले में मुकदमा चला।

लार्ड माउण्टबेटन (१३ मार्च १९४७ ई० से १४ अगस्त १९४७ ई०) : ३ जून १९४७ को भारत विभाजन की घोषणा की गई। १५ जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया। १५ अगस्त १९४७ ई० को विधिवत् भारत को विभक्त करके पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई।

भारत संघ के वैधानिक गवर्नर जनरल

लार्ड माउण्टबेटन (१५ अगस्त ४७ से २० जून ४८ तक) : **श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी** (२१ जून ४८ से २५ जनवरी ५० तक)।

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति

भारत के प्रथम राष्ट्रपति **डा० राजेन्द्रप्रसाद** चुने गये। २६ जनवरी १९५० ई० से १९६२ ई० तक वे इस पद पर आसीन रहे। उसके बाद उपराष्ट्रपति **डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्** मई १९६२ में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने अप्रैल १९६७ तक इस पद को प्रतिष्ठित किया। अप्रैल १९६७ ई० में **डा० जाकिरहुसैन** राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ३ मई १९६९ ई० को उनका अचानक निधन हो गया। भारत के चौथे राष्ट्रपति **डा० वी० वी० गिरि** निर्वाचित हुए। अगस्त १९७४ में श्री फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति चुने गये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ४ :

स्वाधीनता संग्राम

भारत पर सबसे पहले मुसलमानों ने आक्रमण किया तथा उन आक्रमणों का भारतीय जनता ने डटकर प्रतिकार किया। किन्तु भारत के राजा-महाराजाओं की आपसी फूट का आक्रामकों ने लाभ उठाया और उनका शासन देश पर स्थापित हो गया।

अकबर के शासनकाल में जहां महाराणा प्रताप देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे वहां औरंगजेब आदि मुस्लिम बादशाहों के शासन के विरुद्ध एक ओर छत्रपति शिवाजी ने तो दूसरी ओर सिख नेता गुरु गोविन्दसिंह, बन्दा वैरागी आदि ने संघर्ष किया। मुगल शासकों से देश को स्वाधीन कराने के लिए देश में प्रतिक्षण स्वाधीनता संग्राम चलता ही रहा। भारतीय रणबांकुरों ने विदेशी आक्रांता शासकों को चैन से कदापि नहीं बैठने दिया।

मुगलों के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में व्यापार की आड़ में अपने पांव जमाने प्रारम्भ किये। उन्होंने व्यापारिक सुविधा के नाम पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की। अंग्रेज कम्पनी के नाम पर छोटे-छोटे राजाओं में फूट डालकर उन्हें लड़ाते रहे व सम्पूर्ण देश पर शासन करने का षड़यन्त्र रचते रहे। अन्त में चालाक अंग्रेज आपसी फूट का लाभ उठाने में सफल हुए और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया।

१८५७ का स्वातन्त्र्य समर

देश की बागडोर छल-बल से अपने हाथों में लेते ही देश को सदैव के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया तथा 'फूट डालो और राज्य करो' का सूत्र अपनाकर देश की जनता को लड़ाने का षड़यन्त्र रचा। स्थान-स्थान पर गो-हत्या को प्रोत्साहन देकर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े प्रारम्भ करा दिये गये।

१८५१ ई० में जब बाजीराव पेशवा का देहान्त हुआ तो अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र नाना को गद्दी पर बैठाने से इन्कार कर दिया। १८५६ ई० में झांसी के महाराजा गंगाधर-राव का देहान्त हुआ तो उनके दत्तक पुत्र दामोदर के राज्याभिषेक में भी अंग्रेजों ने बाधा डाली। फिर क्या था सुसुप्त चिनगारी भड़क उठी। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने उद्-घोष किया—'मेरी झांसी, फिरंगी को नहीं दूंगी।' महारानी लक्ष्मीबाई रणचंडी का रूप धारण करके रणांगण में कूद पड़ी और अंग्रेजों से प्रबल संघर्ष किया। उधर नाना साहब पेशवा आदि ने स्वाधीनता संग्राम की तैयारियां प्रारम्भ कर दीं। चारों ओर अंग्रेज शासकों के विरुद्ध वातावरण बनने लगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रथम आहुति

१८५७ के स्वातन्त्र्य समर के महान यज्ञ में पहली आहुति दी युवा सैनिक वीर मंगल पाण्डे ने। अंग्रेज हिन्दू सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने की दृष्टि से कारतूसों में गाय की चर्बी लगाते थे। जैसे ही सैनिकों को यह पता चला कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं कि उनके अन्दर रोष व क्षोभ की भावना व्याप्त हो गयी। एक दिन अचानक एक सैनिक मंगल पाण्डे ने सेना की परेड में खुला विद्रोह कर दिया और घोषणा की—'गोमाता की चर्बी से बने कारतूस को मुंह लगाकर अपना धर्म भ्रष्ट कदापि नहीं करेंगे।' मंगल पाण्डे से जब राइफल रख देने के लिए कहा गया तो उस तेजस्वी वीर सेनानी ने अंग्रेज सार्जेंट पर आक्रमण करके उसे जान से मार डाला। मगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिक अदालत ने उसे मौत की सजा दी और इस प्रकार १८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध के महान् यज्ञ में पहली आहुति उस वीर ने दी।

वीर मंगल पांडे का बलिदान रंग लाया और सेना में विद्रोह की भावना फैलती गयी। मंगल पांडे के बलिदान के बाद ६ मई १८५७ ई० को मेरठ छावनी के ९० घुड़सवार सैनिकों ने गाय की चर्बी लगे कारतूसों को छूने तक से इंकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें बन्दी बना लिया गया। सैनिक अदालत ने उन्हें दस-दस वर्ष की सजाएं सुना दीं।

भारतीय सिपाहियों ने संगठित होकर क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने १० मई को मेरठ के तोपखाने व शस्त्रागार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर दिया और १५ मई को दिल्ली पहुंच कर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया व उनके पैर उखाड़ दिये। एक बार पुनः बहादुरशाह जफर को दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया गया।

मेरठ के बाद कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ आदि में भी अंग्रेजों का कत्लेआम प्रारम्भ हो गया। ३१ मई तक समस्त उत्तर प्रदेश क्रांति की ज्वाला में धधकने लगा। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों को खदेड़कर शासन पर अधिकार कर लिया। तात्यां टोपे आदि ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। उधर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों से युद्ध करते समय बलिदान हो जाने से समस्त देश में नई चेतना उत्पन्न हुई। दूसरी ओर बिहार के वीर राजा कुंवरसिंह और नाना साहब, तात्यां टोपे आदि ने फिरंगियों के विरुद्ध नेतृत्व करके जनता में स्वाधीनता की भावनाएं भरीं। स्थान-स्थान पर अंग्रेजों का कत्लेआम प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों ने दमन व अत्याचार का सहारा लेकर स्वाधीनता की इस चिनगारी को बुझाने का भरसक प्रयास किया किन्तु देश के कोने-कोने से 'निकालो फिरंगी को' की आवाज और भी तेजी से गूंज उठी। कुछ भारतीय सैनिकों द्वारा ही अंग्रेजों को सहयोग दिये जाने के परिणामस्वरूप समस्त भारत पर पुनः अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। अंग्रेज इस बार क्रांति को दबाने में सफल हो गये। स्थान-स्थान पर क्रांतिकारियों को सामूहिक रूप से फांसी पर लटकाया गया, तोपों के मुंह से बांधकर उड़ाया गया।

कूकों का बलिदान

सन् १८७२ ई० में नामधारी सिखों के नेता कूका सद्गुरु रामसिंह ने देश से अंग्रेजी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साम्राज्य को उखाड़ने के लिए अभियान प्रारम्भ किया। असहयोग आन्दोलन का सूत्रपात भी कूकों ने ही किया। स्वदेशी का प्रयोग करके उन्होंने जनता में राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न कीं। सरकार कूकों के इस अभियान से बौखला उठी। उसने उन पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये। मलेरकोटला में कुछ कसाइयों ने गोहत्या कर दी तो धर्माभिमानी कूकों ने यह सहन नहीं किया तथा उन्होंने कसाइयों का वध कर डाला। अंग्रेजों को मौका मिल गया और उन्होंने अनेक कूका वीरों को फाँसी पर लटका दिया। ४८ कूकों को तोपों के मुंह से बाँध-कर उड़ा दिया गया। सद्गुरु रामसिंह को जेल में डालकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गये।

कांग्रेस की स्थापना

सन् १८८५ ई० में सर ए० ओ० ह्यूम नामक अंग्रेज ने काँग्रेस की स्थापना की। २७ दिसम्बर १८८५ ई० को बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कुछ ही समय में कांग्रेस में देश के अनेक प्रमुख नेता शामिल हो गये। पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल, महात्मा गाँधी, अजमल खाँ आदि ने जैसे ही कांग्रेस में प्रवेश किया वैसे ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया तो कांग्रेस ने उसका प्रबल विरोध किया। कुछ ही समय में काँग्रेस में दो दल बन गये, एक का नाम था 'नरम-दल' और दूसरे का 'गरम दल'। गरम दल में लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल एवं लाला लाजपतराय आदि थे। नरम दल में मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले आदि थे। लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' के माध्यम से जनता में स्वाधीनता की भाव-नाएं उत्पन्न करने का अभियान चलाया। दूसरी ओर पंजाब में लाला लाजपतराय ने अपने लेखों के माध्यम से जनता में स्वाधीनता की चिंगारी प्रज्ज्वलित की।

बंग-भंग का विरोध करने के लिए बंगाल से स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। काँग्रेस के गरमदलीय नेताओं की अपील पर जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। बंगाल से प्रारम्भ हुआ यह स्वदेशी आन्दोलन कुछ ही समय में समस्त देश में फैल गया। उधर दूसरी ओर पंजाब में अंग्रेजों ने दमनचक्र को और कड़ा कर दिया। लाला लाजपतराय ने दमनकारी प्रवृत्ति का खुलकर विरोध किया। लालाजी के ओजस्वी भाषणों व लेखों ने न केवल पंजाब में अपितु समस्त देश में खलबली मचा दी। अन्त में सरकार ने उन्हें बन्दी बना लिया। उधर महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य तिलक को बन्दी बना कर माँडले जेल में नजरबन्द कर दिया गया।

गांधीजी का सत्याग्रह

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने 'गोरों' द्वारा कालों पर, विशेषकर भारतीयों के साथ, किये जाने वाले भेदभाव व अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। गोरों ने उन पर आक्रमण भी किये किन्तु गाँधीजी ने अहिंसात्मक तरीके से आन्दोलन जारी रखा। उन्हें बन्दी बनाया गया। जेल से छूटते ही उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। सत्याग्रह की व्यापकता से अंग्रेजों को झुकना पड़ा। सत्याग्रह की सफलता के बाद गाँधीजी अफ्रीका से भारत वापस आ गये। श्री गोपालकृष्ण गोखले की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हो गये। गांधीजी ने भारत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की जनता को अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा की गई ज्यादतियों व भेदभाव की नीति से अवगत कराया।

प्रथम महायुद्ध

सन् १९१४ ई० में यूरोप में युद्ध प्रारम्भ हो गया। अंग्रेज भी उस युद्ध में कूद पड़े। कांग्रेस के नरमदल के नेताओं ने अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने की घोषणा की तो गरमदल के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। लाला लाजपतराय ने स्पष्ट घोषणा की कि 'अंग्रेज हमारे शत्रु हैं, अतः हमें उनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी चाहिये।' देश की अधिकांश जनता की यही आकांक्षा थी कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की पराजय होनी चाहिये, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो और वे देश से भगाये जा सकें।

विदेशों में क्रांति की ज्वाला

इधर लोकमान्य तिलक आदि देश में जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, उधर श्री तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्रीय युवक विनायक दामोदर सावरकर लन्दन पहुँचकर सशस्त्र क्रांति की ज्वाला धधकाने में संलग्न थे।

इंगलैन्ड में भारतीय देशभक्त श्री श्यामजीकृष्ण वर्मा ने 'इंडिया हाउस' को भारतीय क्रांतिकारियों का एक केन्द्र बनाया हुआ था। सावरकर भी इण्डिया हाउस में ही रहकर युवकों का संगठन कर रहे थे। लन्दन में भाई परमानन्द, सेनापति बापट, मदनलाल ढींगरा, श्री रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल आदि देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने 'फ्री इंडिया सोसायटी' नामक संस्था खोल रखी थी।

सबसे पहले इंगलैन्ड में वीर सावरकर लिखित '१८५७ का भारतीय स्वातंत्र्य समर' ग्रन्थ ने खलबली मचायी। अंग्रेजों ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित होने से पूर्व ही जब्त कर लिया। सावरकर की प्रेरणा पर १ जुलाई १९०९ ई० को लन्दन में भारतीय युवक श्री मदनलाल ढींगरा ने सर कर्जन वायली को भरी सभा में गोली से उड़ा दिया तथा खुलकर अपने कार्य के समर्थन में वक्तव्य दिया तो समस्त विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की ओर आकर्षित हुआ। अंग्रेज सावरकर को बन्दी बनाने के लिए तत्पर हो गये।

१९ अप्रैल १९०९ ई० को नासिक के अंग्रेज जिलाधीश मि० जैक्सन को १६ वर्षीय बालक कान्हेरे ने गोली से भून डाला। इस कांड के सम्बन्ध में सावरकर के बड़े भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। १३ मार्च १९१० ई० को लन्दन के रेलवे स्टेशन पर श्री सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। बन्दी बनाकर भारत लाये जाते समय सावरकर जलयान से समुद्र में कूद पड़े किन्तु उन्हें फ्राँस के किनारे पर पुनः पकड़ लिया गया और भारत लाकर दो आजन्म कारावासों का दण्ड देकर अण्डमान भेज दिया गया। वीर सावरकर ने पूरे १३ वर्षों तक अण्डमान में यातनाएं सहन कीं। इसी काल में रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, राजा महेन्द्रप्रताप, सरदार अजीतसिंह आदि ने विदेशों में गदरपार्टी के माध्यम से सशस्त्र क्रान्ति द्वारा देश को स्वाधीन कराने का अभियान चलाया।

देश की अधिकांश जनता का यह विश्वास बन चुका था कि अत्याचारी व साम्राज्यवादी अंग्रेजों को सशस्त्र क्रान्ति से ही देश से खदेड़ा जा सकता है। इसलिए स्थान-स्थान पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सशस्त्र क्रान्तिकारियों के संगठन बने तथा कहीं खुदीराम बोस ने, तो कहीं हेमू कालानी ने और कहीं बब्बर अकालियों ने अंग्रेजों की हत्या की। युवकों में शहीद होने की होड़ लग गई।

लार्ड हार्डिग पर बम

राजधानी दिल्ली में लार्ड हार्डिग की शोभा-यात्रा का आयोजन था। २३ दिसम्बर १९१२ ई० को जैसे ही लार्ड की शोभा-यात्रा चांदनी चौक से गुजर रही थी कि उस पर एक बम फेंका गया। लार्ड तो बच गये किन्तु उनके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। इस घटना से समस्त विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की ओर आकर्षित हुआ। 'दिल्ली षड़यन्त्र' केस के नाम से १३ क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। अवधबिहारी, मास्टर अमीरचन्द, भाई बालमुकुन्द और बसन्तकुमार को तो फांसी पर लटका दिया गया, बाकी ९ को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। श्री रासबिहारी बोस पर भी अभियोग था, किन्तु वे पुलिस के हाथ नहीं आये तथा विदेश चले गये। उधर लाला हरदयाल के नेतृत्व में विदेशों में अमेरिका में बसे भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। भारत की स्वाधीनता के प्रचार के लिए अमेरिका से 'गदर' नामक एक पत्र भी निकाला गया। स्थान-स्थान पर प्रवासी भारतीयों ने चन्दा एकत्रित किया तथा क्रांतिकारी योजना के लिए भारी मात्रा में धन भेंट किया। गदर पार्टी ने जहां विदेशों से भारत को गुप्त रूप से शस्त्र भिजवाये वहां बम आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर युवकों को भारत भेजा गया। भारत में क्रांति की पुनः योजना बनाई गई। काशी को केन्द्र बनाकर क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कीं। अनेक क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से सैनिक छावनियों में पहुँचकर सैनिकों से सम्पर्क स्थापित किया तथा उनमें देशभक्ति व स्वाधीनता की भावनाएं जागृत कीं। मराठा युवक श्री विष्णु गणेश पिंगले ने अमरीका से भारत आकर इस योजना में भाग लिया। इसी बीच कुछ सरकारी भेदिये क्रांतिकारियों में आ मिले और एक दिन उन्होंने श्री पिंगले को मेरठ छावनी में कुछ बमों के साथ रंगे हाथों पकड़वा दिया। पुलिस ने भेदिये के आधार पर अनेक स्थानों पर छापे मारे तथा अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से एक बार पुनः क्रांति की योजना विफल हो गई। सरकार ने पिंगले व अन्य क्रांति-वीरों को फांसी देकर आतंक फैलाने का पूरा प्रयास किया।

काले कानून का विरोध

क्रांतिकारी आन्दोलन को दबाने के बाद अंग्रेजों ने सन् १९१८ ई० में रौलट एक्ट बना कर जनता को और भी अधिक बेड़ियों में जकड़ दिया। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं ने इस काले कानून का डटकर विरोध किया। इसी बीच श्री लोकमान्य तिलक ने उद्घोष किया—'स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे'। लोकमान्य तिलक के इस उद्घोष ने समस्त देश में नई चेतना व जागृति उत्पन्न कर दी। उधर गांधीजी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। जगह-जगह हड़तालें हुईं, विदेशी माल की होली जलाई गई।

जलियांवाला कांड

रौलट एक्ट का समस्त देश में भारी विरोध किया गया। १३ अप्रैल १९१९ ई० को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अमृतसर में वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में काले कानून को एक कलंक बताया गया। इसी बीच अंग्रेज अधिकारी डायर ने जलियांवाला बाग को सशस्त्र सैनिकों द्वारा चारों ओर से घिरवा दिया। जलियांवाला बाग के द्वार पर मशीनगनें व राइफलें लगवा दी गयीं। डायर ने सभा में शांत बैठे श्रोताओं पर गोलियों की बौछार प्रारम्भ करा दी। छोटे-छोटे बच्चों, वृद्धों व महिलाओं तक को बुरी तरह से गोलियों से भून डाला गया। जब निहत्थे लोगों ने बाग के पास की एक गली में शरण लेने का प्रयास किया तो गोरों ने उनका पीछा करके उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर डाली। इस हत्याकांड में सैकड़ों जानें गयीं तथा सैकड़ों को घायल होना पड़ा। जलियांवाला बाग का समाचार फैलते ही समस्त देश में जगह-जगह रोषपूर्ण सभाएं व प्रदर्शन किये गये।

काकोरी कांड

जलियांवाला कांड ने युवकों के हृदय को विद्रोह व विक्षोभ से भर दिया। सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि ने सशस्त्र क्रांति द्वारा देश को स्वाधीन कराने की प्रतिज्ञा ली। क्रांति के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सन् १९२५ ई० में सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई गई। उत्तर प्रदेश के काकोरी (शाहजहांपुर) रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में ले जाये जा रहे सरकारी खजाने को लूटा गया। इस संबंध में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाखां, ठाकुर रोशनसिंह एवं राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटका दिया गया तथा अन्य अनेक क्रांतिकारियों को कालापानी भेजा गया।

साइमन कमीशन का विरोध

भारतीय जनता के क्षोभ को शांत करने के लिए सन् १९२८ ई० में इंग्लैंड से सर जान साइमन के नेतृत्व में 'साइमन कमीशन' भारत भेजा गया। यह घोषणा की गयी कि कमीशन भारतीय जनता के क्षोभ के कारणों का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के हल के लिए सुझाव देगा। कांग्रेस ने कमीशन के बहिष्कार की घोषणा कर दी। कमीशन के सदस्य जहां भी गये उन्हें काले झंडे दिखाए तथा 'साइमन कमीशन वापस जाओ' के नारे लगाये गये। ३० अक्तूबर १९२८ ई० को जैसे ही कमीशन लाहौर पहुँचा कि लाला लाजपतराय के नेतृत्व में जनता ने कमीशन को काले झंडे दिखाने के लिए एक जुलूस निकाला। अंग्रेज अधिकारियों ने पुलिस को जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाने का आदेश दिया। पुलिस ने जनता पर तथा विशेषकर लाला लाजपतराय पर अमानुषिक ढंग से लाठियां बरसाईं। लालाजी पर बुरी तरह से लाठियों के प्रहार किए गए जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। लालाजी को भयंकर चोटें आई थीं, जिसके कारण १७ नवम्बर को उनका निधन हो गया। निधन से पूर्व लाला जी ने कहा था 'मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक-एक कील बनेगी।' लाला लाजपतराय के निधन का समाचार फैलते ही समस्त देश में हड़ताल हो गयी, शोक सभाएं करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयीं। सरदार भगतसिंह एवं उनके साथी क्रांतिकारियों ने लालाजी की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। राजगुरु ने १५ दिसम्बर १९२८ ई० के दिन सैंडर्स की गोली मार कर हत्या कर दी। राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव आदि की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयत्नशील थी। इसी बीच फरारी की अवस्था में भगतसिंह ने केन्द्रीय असे-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

म्बली भवन में पहुंचकर दर्शकदीर्घा से एक बम फेंक दिया जिसके धड़ाके से समस्त अंग्रेजी साम्राज्य दहल उठा। मुकदमे का नाटक रचकर अंग्रेज सरकार ने भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर लटका कर शवों को सतजुज नदी के किनारे जला दिया। फांसी पर लटकाये जाने के समाचार से देश में रोष की लहर दौड़ गई। अनेक नगरों में हड़तालें हुईं। गांधी-इरविन समझौते का भी जनता ने तीव्र विरोध किया।

गोलमेज सम्मेलन

भारतीय जनता में स्वाधीनता के प्रति उमंग व जागृति को देखकर ब्रिटिश शासन दहल उठा। उसने भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार करने के नाम पर इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन आमंत्रित किया। सम्मेलन में गांधीजी व अन्य भारतीय नेता सम्मिलित हुए, किन्तु अंग्रेजों का झूठा 'नाटक' सफल नहीं हुआ। गांधीजी जैसे ही सम्मेलन से वापस भारत लौटे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने खीझकर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। स्थान-स्थान पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्त्ताओं की अंधाधुन्ध गिरफ्तारियां प्रारम्भ कर दी गयीं। लाखों व्यक्तियों को जेल में बन्द कर दिया गया। सन् १९३६ ई० में समस्त देश में आम चुनावों का नाटक रचा गया। काँग्रेस भी चुनाव मैदान में उतरी और उसने ११ प्रदेशों में से सात प्रदेशों में बहुमत प्राप्त कर लिया। कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि यदि गवर्नर मन्त्रिमंडल के कार्यों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देंगे तभी काँग्रेस मन्त्रिमंडल का गठन करेगी। पहले तो अंग्रेजों ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया, किन्तु जब गैर कांग्रेसी मन्त्रिमंडल विश्वास प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो गए तो यह शर्त माननी पड़ी और काँग्रेसी मन्त्रिमंडल स्थापित हो गए।

सन् १९३८ ई० के नवम्बर मास में जर्मनी व ब्रिटेन के बीच युद्ध की ज्वालायें धधक उठीं। ब्रिटिश सरकार ने बिना मंत्रिमंडलों से सहमति लिए यह घोषणा कर दी कि भारत भी ब्रिटेन की ओर से लड़ाई में शामिल है। इस घोषणा का काँग्रेस व गांधीजी ने खुला विरोध किया। देश के ९ प्रान्तों ने विरोध में प्रस्ताव पारित किये।

अंग्रेजो भारत छोड़ो

सन् १९४० ई० के प्रारम्भ में गांधीजी ने भारतीयों का आव्हान किया कि वे इस लड़ाई में किसी भी तरह सहयोग कदापि न दें। उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। हजारों व्यक्ति सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए।

८ अगस्त १९४२ ई० को बम्बई कांग्रेस में गांधीजी ने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन की घोषणा कर दी। ९ अगस्त को सरकार ने काँग्रेस कार्यसमिति के तमाम सदस्यों को बंदी बना लिया। देश के कोने-कोने में कांग्रेसी नेताओं की पकड़-धकड़ प्रारम्भ कर दी गयी। अनेक स्थानों पर पुलिस ने अहिंसक व शांत जुलूसों व सत्याग्रहियों पर लाठियां व गोलियां चलाकर सैकड़ों देशभक्तों को मार डाला। १९४२ ई० के इस जन-आन्दोलन में प्रत्येक स्थान पर 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' के उद्घोष गूंज उठे। महिलाओं व बालकों ने भी अपनी आहुतियां दीं।

आजाद हिन्द सेना की स्थापना

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने सन् १९४० ई० में बम्बई में वीर सावरकर से भेंट की और उनसे विचार-विनिमय करके वे गुप्त रूप से भारत से निकल गये तथा विदेशों में जाकर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रवासी भारतीयों से भारत की स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया। नेताजी ने सन् १९४२ में आजाद हिन्द सेना की स्थापना की। जापान और ब्रिटेन में उन दिनों युद्ध छिड़ा हुआ था। नेताजी ने 'आजाद हिन्द सेना' के माध्यम से युद्ध में ब्रिटेन को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने आजाद हिन्द सेना का मुख्य केन्द्र सिंगापुर में बनाया। वहीं से 'आजाद हिन्द' नामक एक पत्र भी निकाला। नेताजी के आह्वान पर प्रवासी भारतीयों ने धन का अम्बार उनके चरणों में लगा दिया। छोटे-छोटे बच्चों ने भी उनकी सहायता की। नेताजी को सोने में तोलकर सोना भेंट किया गया। नेताजी ने आजाद हिन्द सेना के अन्तर्गत महिलाओं की एक ब्रिगेड भी बनायी, जिसका नाम 'रानी झांसी ब्रिगेड' रखा गया। महिलाओं ने भी अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया व उनके छक्के छुड़ाये। जापान में नेताजी की प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्री रासबिहारी बोस का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। श्री बोस ने पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र सेना का गठन कर लिया था। २१ अक्तूबर १९४३ ई० को सिंगापुर में आजाद भारत की एक अन्तरिम सरकार की घोषणा की गई। नेताजी ने घोषणा की—'तुम मुझे खून दो—मैं तुम्हें आजादी दूंगा।' उन्होंने 'दिल्ली चलो' व 'जयहिन्द' का नारा दिया। सन् १९४४ में आजाद हिन्द सेना ने बर्मा और असम के मोर्चों पर अंग्रेजों से डटकर टक्कर ली। एक बार तो आजाद हिन्द सेना ने अंडमान द्वीप तक अंग्रेज के झंडे को उतार कर उस पर भारतीय ध्वज फहरा दिया। नेताजी ने अंडमान पहुँच कर उस जेल कोठरी को देखा, जिसमें वीर सावरकर आदि क्रांतिकारियों ने अनेक वर्षों तक यातनाएं सहन की थीं।

सन् १९४५ ई० में अचानक जापान की पराजय हो गयी। अंग्रेजों ने जापानी सैनिकों के साथ-साथ आजाद हिन्द सेना के जवानों पर भी अत्याचार प्रारम्भ किये। सैकड़ों भारतीय सैनिकों को निर्ममता के साथ मार डाला गया।

अंग्रेजों की जीत के बाद नेताजी सेगांव से जापान के लिए रवाना हुए। माना जाता है कि रास्ते में फारमोसा के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनका देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में अभी भी विवाद बना हुआ है।

देश स्वाधीन हुआ

देश में चारों ओर अंग्रेजों के विरुद्ध विषाक्त वातावरण बनता जा रहा था। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर आतंक जमा रखा था, दूसरी ओर कांग्रेस के जन आन्दोलन ने। अन्त में लाचार होकर अंग्रेजों को भारत से अपना बिस्तर गोल करने का निर्णय लेना ही पड़ा। अंग्रेजों ने कांग्रेस प्रतिनिधि के नाते श्री जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। २ सितम्बर १९४६ ई० को कांग्रेस मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी गई।

अंग्रेजों व मुस्लिम लीगियों ने भारत-विभाजन का षड़यंत्र रचा तथा इसकी भूमिका बनाने के लिए जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़काये। मुस्लिमलीग के नेता जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर घोषणा की कि भारत में मुसलमान अलग राष्ट्र हैं तथा वे किसी भी स्थिति में हिन्दुओं के साथ नहीं रह सकते। जिन्ना के संकेत पर नोआखाली, लाहौर, मुलतान, झंग तथा अन्य स्थानों पर वहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अमानवीय अत्याचार किये गये। उन्हें मार-काटकर भगाया जाने लगा। उनके घरों व सम्पत्ति को जला

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर राख कर डाला गया। मुस्लिम लीग का षड़यन्त्र सफल हुआ और भारत-विभाजन स्वीकार कर लिया गया। भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। मुसलमानों ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा।

१५ अगस्त १९४७ ई० को जहां देश स्वाधीन हुआ वहां उसी दिन भारत मां के अंग खंड-खंड भी किये गये। स्वाधीनता की घोषणा के साथ ही मार-काट कर भगाये जाने वाले लाखों-लाखों लोगों की चीत्कार सुनाई दी। लाखों व्यक्तियों को बेघरबार होकर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं लाखों को गाजर-मूली की तरह काट डाला गया। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बलिदानियों की पंक्ति से, भारत-विभाजन के परिणामस्वरूप शहीद हुए लाखों नर-नारियों को अलग कदापि नहीं किया जा सकता।

अंग्रेजों के देश से विदा होने के बाद भी देश की कुछ बस्तियों पर फ्रांस और पुर्तगालियों का आधिपत्य था। दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी तथा गोआ पराधीन थे। जहां इन बस्तियों की जनता ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया वहां अन्त में भारत सरकार को सशस्त्र कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ा तथा इन बस्तियों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

स्वाधीनता के पश्चात्

१५ अगस्त १९४७ ई० को स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में देश ने नई दिशा ग्रहण की।

भारत में ५५० से अधिक रियासतें थीं। देश की स्वाधीनता व अखंडता की रक्षा के लिए उनका एकीकरण आवश्यक था। सरदार पटेल स्वाधीन भारत के प्रथम गृहमंत्री बने। उन्होंने बड़ी कुशलता व दृढ़ता के साथ अधिकांश रियासतों के राजाओं से भारतीय केन्द्रीय शासन के अधीन होने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। जूनागढ़ व हैदराबाद के नवाबों ने पाकिस्तान से मिलने की शरारत की किन्तु लौह पुरुष सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ काम लिया। जूनागढ़ रियासत की जनता ने नवाब की पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अन्त में यह राज्य काठियावाड़ में मिला लिया गया। इसी प्रकार हैदराबाद के नवाब ने पाकिस्तान से सांठगांठ करके रजाकारों की सेना गठित की किन्तु सरदार पटेल ने स्थिति पर काबू पाने के लिए १३ सितम्बर १९४८ ई० को भारतीय सेना हैदराबाद भेजकर निजाम की सेना व रजाकारों के छक्के छुड़ा दिये। अन्त में निजाम ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया।

कश्मीर पर पाक आक्रमण : कश्मीर के महाराजा हरिसिंह अपनी रियासत को स्वाधीन रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विलयपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। पाकिस्तान के कश्मीर पर दांत थे अतः पाकिस्तान ने १९४७ में ही सीमान्त कबाइलियों को उकसाकर व खुले रूप में उनकी सहायता कर कश्मीर पर आक्रमण करा दिया। जब पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर से कुछ ही मील दूर रह गये तो महाराजा हरिसिंह ने भारत से मिलने की घोषणा कर, भारत सरकार से कश्मीर की रक्षा की मांग की। सेनाध्यक्ष महाराजा राजेन्द्रसिंह के नेतृत्व में सेना ने कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी कबाइलियों के षड़यन्त्र को असफल कर दिया। राष्ट्रसघ ने 'युद्धविराम' का आदेश दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर अधिकार कर लिया जिस पर वह आज भी बलात् कब्जा किये हुए है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गांधीजी की हत्या : देश के विभाजन के परिणामस्वरूप हुए साम्प्रदायिक दंगों के विषाक्त वातावरण में ३० जनवरी १९४८ ई० को एक युवक ने गांधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधीजी की हत्या से देश में शोक की लहर दौड़ गई।

प्रथम राष्ट्रपति : भारत का संविधान बनाया गया तथा २६ जनवरी १९५० ई० को देश में प्रजातांत्रिक शासन की घोषणा की गई। डा० राजेन्द्रप्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिये गये तथा भारत को 'धर्मनिरपेक्ष' गणराज्य घोषित किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग : स्वाधीनता के बाद कुछ प्रांतों की जनता ने भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की माँग की। आंदोलनों के कारण सरकार को बाध्य होकर २९ दिसम्बर १९५३ ई० को 'राज्य पुनर्गठन आयोग' नियुक्त करना पड़ा। आयोग के सुझावों पर राज्यों में हेरफेर हुए। बम्बई को गुजरात व महाराष्ट्र दो राज्यों में विभक्त किया गया तथा अन्य अनेक राज्यों का पुनर्गठन हुआ।

गोआ की स्वाधीनता : गोआ को पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया हुआ था तथा उस की मुक्ति के लिए १५ अगस्त १९५५ ई० को अनेक सत्याग्रहियों ने गोआ की सीमा पर पहुँच कर पुर्तगालियों की गोलियां खाईं। गोआ के अन्दर क्रांतिवीर मोहन रानाडे, सुधीर फड़के तथा अन्य क्रांतिकारियों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सशस्त्र क्राँति का संघर्ष छेड़ दिया था। गोआ की जनता सालाजार के अत्याचारों से त्रस्त होकर स्वाधीनता के लिए संघर्षरत थी।

दिसम्बर १९६१ ई० में सरकार ने गोआ की मुक्ति के लिए सेना को आदेश दिया तथा भारतीय सेना ने पुर्तगाली साम्राज्यवादियों को कुछ ही घंटों में देश छोड़ने को बाध्य कर दिया। गोआ व दमन-दीव पर पुर्तगाली झंडे के स्थान पर तिरंगा फहरा उठा।

सन् १९६२ ई० में डा० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए। उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन् ने मई १९६२ ई० में राष्ट्रपति पद ग्रहण किया।

चीन का आक्रमण : भारत स्वाधीनता के बाद तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। देश के विकास के लिए नई-नई परियोजनाएं चालू थीं तथा कृषि, औद्योगिक व अन्य क्षेत्रों में वह आशातीत प्रगति कर रहा था। चीन से यह प्रगति सहन न हुई और उसने प्रगति को अवरुद्ध करने की दृष्टि से भारत को धमकियां देनी प्रारम्भ कर दीं। २० अक्तूबर १९६२ ई० को चीन ने अचानक उत्तरी सीमान्त पर आक्रमण कर दिया। देश ने एक होकर चीनी आक्रमण का मुकाबला किया। भारतीय सैनिकों ने चीनियों से चप्पे-चप्पे की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अन्त में चीन को विश्व का जनमत देखकर युद्ध बन्द करना पड़ा।

नागालैंड : नागाप्रदेश के विद्रोही नागाओं ने चीन व पाकिस्तान के संकेत पर विध्वंसात्मक गतिविधियां जारी कीं। नागाओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने सन् १९६३ में 'नागालैंड' को भारत का १६वां राज्य घोषित कर दिया।

नेहरूजी का निधन : २७ मई १९६४ ई० को अचानक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। समस्त देश में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई। श्री लालबहादुर शास्त्री उनके स्थान पर प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। शास्त्री जी ने बड़ी कुशलता के साथ देश को प्रगति की ओर अग्रसर करने में योग दिया। उन्होंने 'कृषि-क्रांति'

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को मुख्य लक्ष्य बनाया तथा देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की।

लालबहादुर शास्त्री

पाकिस्तान का आक्रमण : इसी बीच अगस्त १९६५ ई० में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठिये भेजकर उस पर बलात् अधिकार करने का षड़यन्त्र रचा। भारतीय सैनिकों ने पाक के षड़यन्त्र को असफल कर दिया। पाक के नापाक इरादों को चकनाचूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को लाहौर की ओर कूच करने का आदेश दिया। सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान के मद को चूर किया तथा उसके काफी भू-भाग पर अपना अधिकार कर लिया। शास्त्रीजी ने देश को 'जय-जवान—जय किसान' का नारा दिया।

रूस ने मध्यस्थता करके ताशकन्द में जनवरी १९६६ में समझौता बैठक का आयोजन किया। श्री लालबहादुर शास्त्री ने ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये किन्तु अचानक १० जनवरी १९६६ ई० को ताशकन्द में उनका निधन हो गया। उनके निधन से विश्वभर में शोक की लहर दौड़ गई।

श्रीमती इन्दिरा गांधी

शास्त्रीजी के निधन के बाद सन् १९६६ ई० में श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वतन्त्र भारत की तीसरी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं। श्री मोरारजी देसाई उपप्रधानमंत्री चुने गये। श्रीमती गांधी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने व विकास की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से पंचवर्षीय योजना पर विशेष ध्यान दिया। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गत कुछ वर्षों से भारी सफलता मिल रही है। हरित क्रांति की सफलता ने भारतीय जनसाधारण के हृदय में आशा व उल्लास की भावना व्याप्त की।

हरियाणा व असम के पहाड़ी प्रदेश : पंजाब में १९६५ ई० में अकाली नेता मास्टर तारासिंह एवं सन्त फतहसिंह ने अलग पंजाबी भाषी प्रदेश की मांग उठाई। मास्टर तारासिंह ने 'सिख राज्य' की मांग की। सन्त फतहसिंह ने पंजाबी सूबे के निर्माण के लिए आमरण अनशन किया। उनके विरोध में अनशन होते रहे। प्रदेश की जनता की मांग को देखते हुए सरकार ने नवम्बर १९६९ ई० में हिन्दी-भाषी क्षेत्र को 'हरियाणा' प्रदेश तथा पंजाबी भाषी क्षेत्र को 'पंजाब' प्रदेश में विभक्त कर दिया। असम की खासी, जयंतिया, गारो, मिकिर, आदि पहाड़ियों की जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक स्वशासन प्राप्त करने की मांग की। जनवरी १९६७ ई० में भारत सरकार ने असम को दो स्वशासित प्रदेशों का एक राज्य बना देने का निर्णय किया।

राजनीतिक अस्थिरता : सन् १९६७ ई० के चतुर्थ महानिर्वाचन में कांग्रेस पहली बार ६ प्रदेशों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। इस निर्वाचन के बाद दल-बदल की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ी कि समस्त देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हो गया। अनेक विधानसभा सदस्यों ने एक-एक दिन में दो-दो दल बदलकर कठिनाइयां उत्पन्न कर दीं। कई राज्यों में एक के बाद एक सरकारें गिरीं और नई बनीं, किन्तु वह भी स्थिर न

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रह सकीं। अन्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फरवरी १९६९ में बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब व पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव हुए। इनमें भी काँग्रेस को किसी भी राज्य में स्पष्ट बहुमत न मिल सका तथा पंजाब व बंगाल में संयुक्त दलों की सरकारें बन गई व उत्तरप्रदेश व बिहार में कांग्रेस मन्त्रिमंडल बनाने में सफल हुई।

कांग्रेस का विघटन : सितम्बर-अक्तूबर १९६९ ई० में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का विघटन हो गया। एक कांग्रेस सत्तारूढ़ दल कहलाया और दूसरा संगठन कांग्रेस कहा जाने लगा। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने शासन सत्ता के सूत्र संभाले।

बैंक राष्ट्रीयकरण : नई कांग्रेस ने १९६९ ई० में देश के प्रमुख १४ व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश के आर्थिक क्षेत्र को नया मोड़ दिया।

प्रिवीपर्स एवं विशेषाधिकार उन्मूलन : देशी रियासतों के भारत संघ में विलय हेतु राजाओं एवं भारत सरकार के बीच पूर्व काल में हुए समझौतों के अनुसार, उनको मिलने वाले प्रिवीपर्स एवं विशेषाधिकार-समाप्ति सम्बन्धी विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस कदम के फलस्वरूप नयी काँग्रेस एवं वामपंथी दलों का सहयोग अधिक प्रगाढ़ हुआ। परन्तु राज्य सभा में यह विधेयक पारित न हो सका। तत्काल राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भूतपूर्व नरेशों की मान्यता समाप्त कर दी गई और प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये।

मध्यावधि चुनाव

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी व उनके मन्त्रिमण्डल ने लोकसभा के मध्यावधि चुनाव का निर्णय लिया तथा फरवरी १९७१ में चुनाव सम्पन्न हुये जिसमें सत्ता कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई तथा भारी बहुमत से श्रीमती गांधी पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुई।

पाकिस्तान का आक्रमण व बंगला देश का निर्माण

३ दिसम्बर १९७१ को अचानक पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हवाई आक्रमण कर दिया। भारत ने आक्रमण का जोरदार जवाब दिया तथा पूर्वी सीमा पर बंगला देश की मुक्तिवाहिनी को सहयोग देते हुए भारतीय सेना बंगला देश को पाकिस्तानी खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ी।

भारतीय सेना ने दोनों क्षेत्रों में पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेना के दांत खट्टे किये। प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में समस्त देश एक होकर देश की सुरक्षा के लिये खड़ा हो गया।

१६ दिसम्बर को ढाका पर अधिकार होते ही भारत ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। लगभग एक लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान की भारी पराजय ने राष्ट्रपति याह्या खाँ को सत्ता से हटने को बाध्य किया। नये राष्ट्रपति श्री भुट्टो ने भारत से समझौते की पेशकश की और २८ जून को श्री भुट्टो समझौते के लिए शिमला पहुंचे। तीन जुलाई को एक समझौते पर प्रधानमन्त्री श्रीमती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इन्दिरा गांधी तथा श्री भुट्टो ने हस्ताक्षर किये। समझौते के बाद श्री भुट्टो व पाकिस्तान ने पुनः अपना रवैया बदलना प्रारम्भ कर दिया जिससे समझौते के कार्यान्वयन में बाधाएं आईं, किन्तु भारत ने समझौते के प्रति रुचि ली। अन्त में अजीज अहमद के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल १७ अगस्त १९७३ को दिल्ली आया तथा १० दिन की वार्ता के बाद २७ अगस्त को दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुये। भारत ने पाकिस्तानी युद्धबन्दी लौटा कर सद्भावना का परिचय दिया।

भारतीय इतिहास का तिथिक्रम

ईसा पूर्व

३१०२	महाभारत युद्ध का अन्त एवं कलियुग सम्वत् का आरम्भ; परीक्षित का राज्याभिषेक
२७००	वर्ष में पायी गयी सिन्धु घाटी मुद्राओं की तिथि
१३७५	वैदिक देवताओं का उल्लेख करने वाले बोगज कुई अभिलेख की तिथि
८१७	जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मकाल
५४४	बुद्ध निर्वाण की तिथि लंका की परम्परा के अनुसार
५२७	महावीर निर्वाण के सम्वत् का आरम्भ जैन परम्परा के अनुसार
३२७-२६	सिकन्दर का आक्रमण
३२४	मौर्य साम्राज्य की स्थापना

ईसा पश्चात्

७८	शक सम्वत् का आरम्भ
२४८	त्रैकूटक कलचुरि सम्वत् का आरम्भ
३२०	गुप्त साम्राज्य का उदय एवं गुप्त सम्वत् का आरम्भ
३८८	शक शासन का भारत में अंत
६०६	हर्षवर्धन का राज्याभिषेक
६०९	पुलकेशिन का राज्याभिषेक
६२०	चीनी यात्री ह्यूएनसांग की भारत यात्रा
७११	सिन्ध पर मुहम्मदबिन कासिम का आक्रमण
७१२	दाहिर की पराजय एवं मृत्यु, सिन्ध पर अरबों का अधिकार
७५३	राष्ट्रकूट वंश का उदय
८१५	नागभट्ट (प्रतिहार) द्वारा अरबों पर आक्रमण
८३८	भोज प्रतिहार का कन्नौज की गद्दी पर अभिषेक
८७५	पश्चिमी अफगानिस्तान पर मुस्लिम आधिपत्य
१००१	शाही राजा जयपाल महमूद गजनवी द्वारा पराजित
१०२६	सारनाथ के मन्दिर पर महमूद का आक्रमण
११९१	तराइन का प्रथम युद्ध, मुहम्मद गोरी की पराजय
११९२	तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, दिल्ली पर मुस्लिम अधिकार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

११९४	कन्नौज के राजा जयचन्द्र की पराजय व मृत्यु
१२००	इख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर अधिकार
१२९२	अलाउद्दीन खिलजी का भिलसा (विदिशा) पर अधिकार
१२९४	अलाउद्दीन द्वारा देवगिरि की लूट
१२९७	गुजरात पर मुस्लिम आधिपत्य
१३०१	रणथम्भौर पर खिलजी की विजय
१३०२-१३०३	चित्तौड़ की विजय
१३०६-१३१०	मलिक काफूर के दक्षिण भारत पर हमले
१३२१-२३	वारंगल पर मुहम्मद-बिन तुगलक के धावे
१३२७	मुहम्मद-बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से देवगिरि (दौलताबाद) को
१३३६	विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
१४६९	गुरु नानक का जन्म
१४९८	वास्कोडिगामा भारतीय तट पर
१५१०	गोआ पर पुर्तगालियों का अधिकार
१५२६	पानीपत का प्रथम युद्ध : बाबर की लोदी पर विजय
१५२७	खनुआ का युद्ध, बाबर से राणा सांगा पराजित
१५२९-३०	विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय की मृत्यु
१५३३	चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार
१५३८	गुरु नानक की मृत्यु
१५४०	हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा
१५५५	हुमायूं का दिल्ली पर पुन: अधिकार
१५५६	पानीपत का द्वितीय युद्ध : हेमचन्द्र विक्रमादित्य अकबर से पराजित
१५६५	तालीकोट्टा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त
१५६८	हल्दीघाटी की लड़ाई
१५६९	रणथम्भौर और कालिंजर का पतन
१५८२	उड़ीसा पर मुस्लिम अधिकार
१५९७	राणाप्रताप की मृत्यु
१६०६	गुरु अर्जुनदेव का बलिदान
१६०९	पहली डच फैक्टरी की पुलीकट में स्थापना
१६१२	पहली अंग्रेज फैक्टरी की सूरत में स्थापना
१६३४	अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति
१६४६	शिवाजी का तोरण दुर्ग पर अधिकार
१६५६	शिवाजी का जावली पर अधिकार
१६५८	औरंगजेब का राज्याभिषेक
१६५९	शिवाजी द्वारा अफजलखां का वध
१६६४	शिवाजी का सूरत पर पहला धावा
१६६६	शिवाजी की आगरा में गिरफ्तारी और पलायन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१६६८	औरंगजेब द्वारा मन्दिरों के विध्वंस की आज्ञा
१६६९	मथुरा के निकट जाटों का विद्रोह
१६७०	सूरत पर शिवाजी का दूसरा धावा
१६७२	सतनामी विद्रोह
१६७४	शिवाजी द्वारा हिन्दू पदपादशाही की स्थापना
१६७५	गुरु तेग बहादुर का बलिदान
१६७९	जजिया पुनः लागू
१६८०	शिवाजी की मृत्यु
१६८१	औरंगजेब का दक्षिण को प्रस्थान
१६८६	बीजापुर राज्य का पतन
१६८७	गोलकुण्डा राज्य का पतन
१६९०	सम्भाजी की हत्या
१७०७	औरंगजेब की दक्षिण में मृत्यु
१७०८	शाह मराठों का राजा बना, गुरु गोविन्दसिंह की दक्षिण में मृत्यु
१७१६	बन्दा वैरागी की हत्या
१७१७	जजिया पुनः लागू
१७३५	मालवा पर मराठों का अधिकार
१७४४	अँग्रेज-फ्राँसिसी प्रतिस्पर्धा भारत में
१७४७	अहमदशाह अब्दाली का पहला आक्रमण
१७५७	दिल्ली और मथुरा पर अब्दाली के हमले, प्लासी की लड़ाई, बंगाल में अंग्रेजों के पैर जमे
१७५८	पंजाब पर मराठों का कब्जा, अटक पर भगवा फहराया
१७६१	पानीपत का तृतीय युद्ध, अब्दाली से मराठों की हार, कर्नाटक में हैदरअली का उदय, अंग्रेजों ने फ्राँसिसियों को खदेड़ा
१७६४	बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत
१७७०	बंगाल में भीषण अकाल, सन्यासी विद्रोह
१७७२	मराठों ने मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया
१७७५	राजा नन्दकुमार को अंग्रेजों द्वारा फाँसी
१७७५-८२	प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध
१७८१	काशी के राजा चेतसिंह को गद्दी से उतारा गया
१७९२	महाराजा रणजीतसिंह गद्दी पर बैठे
१७९९	टीपू की पराजय और मृत्यु, मैसूर की स्वतंत्रता का अन्त
१८१८	मराठा साम्राज्य का अन्त
१८२४-२६	प्रथम बर्मा युद्ध
१८३५	अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के पक्ष में निर्णय
१८३९	महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु
१८३९-४२	प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१८४३	सिन्ध की स्वाधीनता का अपहरण
१८४५	पंजाब की स्वाधीनता का अन्त
१८५२	द्वितीय बर्मा युद्ध
१८५३	पहली रेलवे एवं टेलीग्राफ लाइन
१८५५	सन्थाल विद्रोह
१८५७-५९	प्रथम स्वातन्त्र्य समर
१८५८	ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जगह सम्राट का सीधा शासन; झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान
१८६५	उड़ीसा में अकाल; यूरोप से टेलीग्राफ सम्बन्ध प्रारम्भ
१८७४	बिहार में अकाल; आर्यसमाज की स्थापना
१८७६	भारतीय जनता का निरस्त्रीकरण
१८७९-८०	वासुदेव बलवन्त फड़के का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह
१८८३	आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का निधन
१८८५	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म
१८९१	मणिपुर विद्रोह
१८९३	विवेकानन्द का शिकागो-वक्तृत्व; अरविन्द घोष का भारत को प्रस्थान
१९०५	प्रथम बंग-भंग
१९०६	मुस्लिम लीग का जन्म; सूरत कांग्रेस भंग; तिलक माण्डले जेल को
१९०९	मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व मिला
१९११	बंग-भंग वापस; वीर सावरकर को दो आजन्म कारावास की सजा
१९१२	राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को
१९१४-१५	प्रथम विश्वयुद्ध
१९१५	गांधीजी का भारत आगमन
१९१६	हिन्दू-मुस्लिम लखनऊ-समझौता
१९१९	जलियांवाला बाग काण्ड; भारत सरकार एक्ट; प्रान्तों में शासन
१९२०	खिलाफत व असहयोग आन्दोलन; तिलक की मृत्यु; कांग्रेस का नेतृत्व गांधीजी के हाथों में
१९२१	मोपला विद्रोह
१९२५	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना; स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान
१९२७	साइमन कमीशन, लाला लाजपतराय की लाठी-प्रहारों से मृत्यु
१९२८	पण्डित मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट; गांधीजी की एक वर्ष में स्वराज्य लाने की घोषणा
१९२९	भगतसिंह ने असेम्बली में बम फेंका; यतीन्द्रनाथ की भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु; कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा
१९३०	(२६ जनवरी) स्वाधीनता दिवस मनाया गया
१९३०-३४	गांधीजी का डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह
१९३५	नया भारत सरकार एक्ट; संघीय संविधान का जन्म; प्रान्तों में उत्तरदायी शासन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९३७-३९	सात प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमंडल
१९३९	द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ; त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र
१९४०	सुभाषचन्द्र बोस की गिरफ्तारी; कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह
१९४१	सुभाषचन्द्र बोस का भारत से बाहर जाना; जापान युद्ध में सम्मिलित; विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का निधन
१९४२	'भारत छोड़ो' आन्दोलन
१९४३	सुभाषचन्द्र बोस जापान में; आजाद हिन्द सेना का निर्माण
१९४५	द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त; शिमला सम्मेलन
१९४६	जलसेना में विद्रोह; कैबिनेट मिशन का आगमन; अन्तरिम सरकार; मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन; भयंकर रक्तपात
१९४७	लार्ड माउण्टबेटन का आगमन; भारत का विभाजन एवं स्वाधीनता प्राप्ति; पाकिस्तानी कबाइलियों का कश्मीर पर आक्रमण
१९४८	महात्मा गांधी की हत्या
१९५०	गणतन्त्रात्मक संविधान लागू; अरविन्द घोष का निधन
१९५३	डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में निधन
१९६१	गोआ पुर्तगाली गुलामी से मुक्त
१९६२	चीन का भारत पर आक्रमण
१९६४	प्रधानमंत्री श्री नेहरू का निधन
१९६५	पाकिस्तान का आक्रमण
१९६६	प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का ताशकन्द में निधन
१९६९	राष्ट्रपति डा० जाकिरहुसैन का निधन
१९६९	राष्ट्रपति श्री वराह गिरि व्यंकट गिरि निर्वाचित; बैंकों का राष्ट्रीयकरण
१९७०	असम के अन्तर्गत मेघालय उपराज्य की स्थापना एवं केन्द्र-शासित हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दजा; प्रिविपर्स एवं विशेषाधिकार उन्मूलन प्रस्ताव लोकसभा में पारित परन्तु राज्यसभा में पारित न हो सका
१९७१	लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में नई कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त; बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के भीषण नरसंहार के परिणामस्वरूप एक करोड़ विस्थापित भारत में
१९७१	३ दिसम्बर को पाकिस्तान का भारत पर खुला आक्रमण; १४ दिनों के युद्ध में बंगलादेश पाक के चंगुल से मुक्त
१९७१	१६ दिसम्बर को ढाका में भारतीय सेना के समक्ष जनरल नियाजी के नेतृत्व में ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण
१९७२	शिमला में भुट्टो-इन्दिरा समझौता वार्ता सफल
१९७३	भारत द्वारा पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की रिहाई प्रारम्भ
१९७४	१८ मई को भारत ने अपना पहिला सफल आणविक परीक्षण पोखरण (राजस्थान) में किया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

KIRLOSKAR CA/TA...

IDEAL ENGINES FOR ALL YOUR FARM MACHINERY

- Light and compact
- Easy to install, operate and maintain.
- Trouble free performance even in extreme climatic conditions.
- Easily adaptable to a variety
- Range—5 to 15 B H P
- Countrywide after-sales service-over 900 service points.
- Abundant genuine spares.

For details, contact our authorised distributors

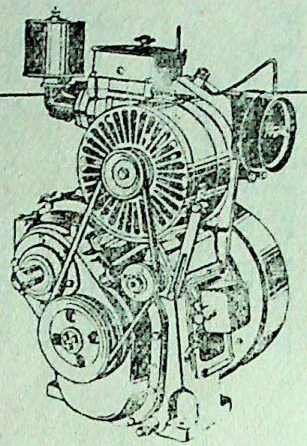

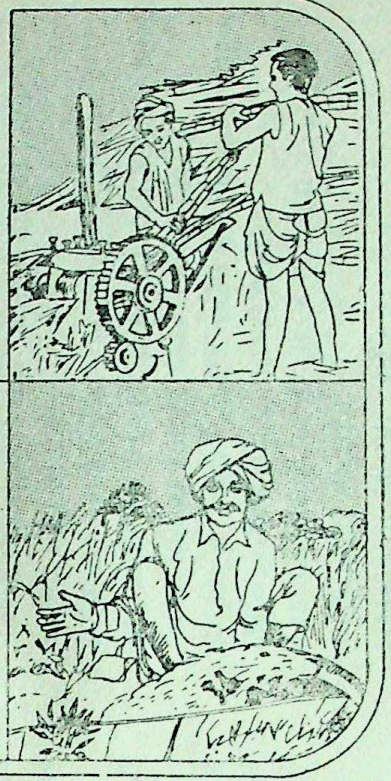

Kirloskar

Kirloskar Oil Engines Ltd.

Kirkee, POONA-411 003.

® Registered User – Kirloskar Oil Engines Ltd., Poona-3.

PRATIBHA 757

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ५ :

भारतीय प्राचीन साहित्य

—वैदिक संहिता

भारत का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मुख्यतया पद्य में है यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को 'ऋग् या ऋचा' कहते हैं, वैदिक गद्य को 'युजुष्' कहा जाता है और वेदों में जो गीतात्मक (छन्दरूप) पद्य हैं, उन्हें 'साम' कहते हैं। प्राचीन समय में वेदों को 'त्रयी' भी कहते थे। ऋचा, युजुष् और साम, इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की 'त्रयी' संज्ञा भी थी। पर वैदिक मंत्रों का संकलन जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, उसे 'संहिता' कहते हैं। विविध ऋषि-वंशों में जो श्रुति द्वारा मंत्र चले आते थे, बाद में उनका संकलन व संग्रह किया गया। इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदव्यास को है। वेदव्यास ने वैदिक सूक्तों का संहिता रूप में संग्रह किया। उनके द्वारा संकलित वैदिक संहितायें चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ सूक्त हैं। यदि ११ बाल-खिल्य सूक्तों को भी इसके अन्तर्गत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या १०२८ हो जाती है। संभवतः ये बालखिल्य सूक्त परिशिष्ट रूप में हैं, और बाद में जोड़े गये हैं। यही कारण है कि अनेक विद्वान् इन्हें ऋग्वेद का अंग नहीं मानते और इस वेद की कुल सूक्त संख्या १०१७ समझते हैं। ये १०१७ या १०२५ सूक्त १८ मण्डलों में विभक्त हैं। वेद के प्रत्येक सूक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋषि' और 'देवता' का नाम दिया गया है। ऋषि का अर्थ है, मन्त्र-द्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने वाला। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल-यजुर्वेद और कृष्ण-यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, जिसकी दो शाखायें उपलब्ध हैं कृण्व और माध्यन्दिनीय। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखायें प्राप्त होती हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता, और तैतरीय संहिता।

सामवेद की तीन शाखायें इस समय मिलती हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। पुराणों में तो सामवेद की सहस्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। दोनों भागों को मिलाकर मन्त्र-संख्या १८१० है। इसमें अनेक मन्त्र ऐसे भी हैं, जो एक से अधिक बार आये हैं। यदि इन्हें अलग कर दिया जाय, तो सामवेद मन्त्रों की कुल संख्या १५४९ रह जाती है। इनमें से भी १४७४ मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं। इस प्रकार सामवेद के अपने मन्त्रों की संख्या केवल ७५ रह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जाती है। सामरूप में ऋचाएं वैदिक ऋषियों द्वारा संगीत के लिए प्रयुक्त होती थीं। अथर्ववेद की दो शाखायें इस समय मिलती हैं, शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद में कुल मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूक्त हैं। सूक्तों में मन्त्रों को यदि गिना जाय, तो उनकी संख्या ६००० के लगभग पहुंच जाती है। इनमें से भी बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं।

वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण ग्रन्थों में उन अनुष्ठानों का विशद रूप से वर्णन है, जिनमें वैदिक मन्त्रों को प्रयुक्त किया जाता है। अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेद मन्त्रों के अभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। प्रत्येक ब्राह्मण-ग्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है और उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना जाता है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-ग्रन्थ ऐतरेय है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण-ग्रंथ कौशीतकी या सांख्यायन है। कृष्ण-यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, जो अत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। इसमें कुल मिलाकर सौ अध्याय हैं, जिन्हें चौदह कांडों में विभक्त किया गया है। सामवेद के तीन ब्राह्मण हैं, तांड्य महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अनेक विद्वानों के अनुसार ये तीनों ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है।

वैदिक ऋषि आध्यात्मिक, दार्शनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिन्तन किया करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, सृष्टि किन तत्वों से बनी है, इस सृष्टि का कर्त्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है, उसका क्या स्वरूप है—इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे विचार किया करते थे। इन गूढ़ विषयों का चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्रायः जंगलों व अरण्यों में निवास करते थे, जहां वे आश्रम बनाकर रहते थे। यहीं उस साहित्य की सृष्टि हुई, जिसे आरण्यक व उपनिषद् कहते हैं। अनेक आरण्यक-ब्राह्मण-ग्रंथों के ही भाग हैं। इन ऋषियों ने अरण्य में स्थापित आश्रमों में जिन आरण्यकों व उपनिषदों का विकास किया, उनकी संख्या दो सौ से भी ऊपर है।

ऐतरेय उपनिषद्—यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण-ग्रंथ कौशीतकी ब्राह्मण के अन्त में भी आरण्यक भाग है, जिसे कौशितकी उपनिषद् कहते हैं।

यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय ईशोपनिषद् के रूप में है। शुक्ल-यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग आरण्यक रूप में है, जिसे बृहदारण्यकोपनिषद् कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रंथों के अन्तर्गत कठोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्, तैत्तरीय उपनिषद् और मैत्राणीय-उपनिषद् है। सामवेद के ब्राह्मण-ग्रन्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाले उपनिषद् केन और छान्दोग्य हैं। अथर्ववेद के साथ मुण्डकोपनिषद् प्रश्नोपनिषद् और माण्डूक्य-उपनिषद् का सम्बन्ध है।

वेदांग

वैदिक-साहित्य के महत्वपूर्ण भाग वे ग्रन्थ भी हैं, जिन्हें 'वेदांग' नाम से जाना जाता है। वेदांग संख्या में छः हैं—शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प।

शिक्षा का अभिप्राय उस शास्त्र से है, जिसमें वर्णों व शब्दों का सही उच्चारण प्रति-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहाते हैं। विभिन्न वैदिक संहिताओं के प्रातिशाख्य निम्नलिखित हैं—(१) शौनक द्वारा रचित ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, (२) तैतिरीय प्रातिशाख्य-सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विरचित वाजसनेयी प्रातिशाख्य सूत्र और (४) अथर्ववेद प्रातिशाख्य-सूत्र। इन चार मुख्य प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त भारद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा रचित अन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थ भी हैं। इन सब में वेद-मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के ढंग का प्रतिपादन किया गया है। प्रातिशाख्य से पूर्व भी शिक्षा शास्त्र की सत्ता थी। प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इस शास्त्र का प्रारम्भ बाभ्रव्य ऋषि द्वारा हुआ था।

वेदों को भली प्रकार से समझने के लिए व्याकरण-शास्त्र बहुत उपयोगी है। संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय अष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनी मुनि ने बनाया था। किन्तु पाणिनी की अष्टाध्यायी वेदांग के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रधान तथा लौकिक संस्कृत-भाषा का व्याकरण दिया गया है। वेद या छन्दस् भाषा के नियम उसमें अपवाद रूप से ही दिये गये हैं। अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत-व्याकरण अपने विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुंच गया था। चन्द्र, इन्द्र आदि अनेक प्राचीन वैयाकरणों के ग्रन्थों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में शाकपूणि नामक एक आचार्य का उल्लेख आता है, जो व्याकरण शास्त्र का बड़ा आचार्य था।

निरुक्त शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। ज्योतिष शास्त्र भी छः वेदांगों में से एक है। बाद में इस शास्त्र का भारत में बहुत विकास हुआ और आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि अनेक ऐसे आचार्य हुए, जिन्होंने इस विद्या को बहुत उन्नत किया, पर प्राचीन युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता है जिसका नाम 'ज्योतिषवेदांग' है।

वैदिक साहित्य के पश्चात सूत्र साहित्य प्रारम्भ होता है। सूत्रों के तीन विभाग हैं—(१) कल्पसूत्र, (२) गृह्यसूत्र, और (३) धर्मसूत्र। कल्पसूत्रों में वैदिक यज्ञों का शास्त्रीय ढंग से वर्गीकरण और वर्णन किया गया है। गृह्यसूत्र में गृहस्थ से सम्बन्ध रखने वाले संस्कारों, कर्मकाण्ड और मौसमी यज्ञों का विधान है।

वर्तमान समय में जो सूत्र-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं—गौतम धर्मसूत्र, बौधायनसूत्र, आपस्तम्बसूत्र, मानवसूत्र, काठकसूत्र, कात्यायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र, आश्वालायन श्रौतसूत्र, आश्वालायन गृह्यसूत्र, सांख्यायन श्रौतसूत्र, सांख्यायन गृह्यसूत्र, लाट्यायान श्रौतसूत्र, गोभिल गृह्यसूत्र, कौशिकसूत्र और वैतान श्रौतसूत्र। इन विविध सूत्र-ग्रन्थों के नाम से ही यह बात सूचित होती है कि इनका निर्माण विविध प्रदेशों में और विविध सम्प्रदायों में हुआ है।

सूत्रों के पश्चात् अपने वर्तमान रूप में रामायण और महाभारत, दो भारतीय महा-काव्य आते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने अपने नायक राम के चरित्र के आधार से तत्कालीन राजनीति, समाजनीति, धर्म और दूसरे अन्य विषयों का चित्रण किया है। मूल महाभारत के रचयिता व्यासजी थे। इन दोनों ग्रन्थों के साथ ही पुराणों का उल्लेख करना आवश्यक है। शायद रचनाक्रम में ये अपने मुख्य भागों में महाकाव्यों के ही समकालीन हैं, परन्तु विषय की दृष्टि से भारतीय इतिहास के आदिमकाल से लेकर गुप्तकाल तक की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सामग्री इनमें संग्रहीत है। परम्परानुसार पुराणों की संख्या अट्ठारह बतायी जाती है। वाराह पुराण में पुराणों की नामावली इस क्रम से दी हुई है—ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, भागवतपुराण, नारदपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, लिंगपुराण, बाराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुणपुराण, वायुपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण। वैसे सभी पुराणों का उपयोग किसी न किसी रूप में भारतीय इतिहास-रचना के निमित्त होता ही है, किन्तु मत्स्यपुराण, वायुपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्माण्ड-पुराण, भागवतपुराण, भविष्यपुराण और अग्निपुराण का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। पौराणिक परिभाषा के अनुसार इनमें पाँच विषय हैं—(१) सर्ग (सृष्टि), (२) प्रतिसर्ग, (३) वंश (देवताओं का), (४) मन्वन्तर और (५) वंशानुचरित (राजवंशों का क्रमिक इतिहास)।

छः वेदांगों के अतिरिक्त इस युग में चार उपवेदों का भी विकास हुआ। ये उपवेद निम्नलिखित हैं—आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, और गान्धर्ववेद। चिकित्साज्ञान आयुर्वेद के अन्तर्गत है। चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे वे आजकल उपलब्ध हैं। इन विद्याओं का उपवेद समझा जाना ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन आर्य केवल याज्ञिक अनुष्ठान और ब्रह्मविद्या का ही चिन्तन नहीं करते थे, अपितु चिकित्सा, युद्ध-विद्या, शिल्प और संगीत आदि लौकिक विषयों का भी अनुशीलन करते थे।

छान्दोग्य

इस उपनिषद् के सप्तम प्रपाठक में महर्षि सनत्कुमार और नारद का संवाद आता है, जिसमें सनत्कुमार के यह पूछने पर कि उन्होंने किन-किन विषयों का अध्ययन किया है नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया—"हे भगवन्! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व-वेद का अध्ययन किया है, मैंने पंचमवेद इतिहास पुराण को पढ़ा है, मैंने पितृविद्या, राशि-विद्या (गणित), दैवविद्या, निधि-विद्या (खान सम्बन्धी विद्या), वाक्योवाक्य (तर्कशास्त्र), एकायन (नीतिशास्त्र), ब्रह्मविद्या (अध्यात्म-शास्त्र), भूतविद्या, क्षात्रविद्या (युद्ध-शास्त्र), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष), सर्प-विद्या और देवजन विद्या को पढ़ा है।"

अन्य अनेक लौकिक विद्याओं के समान इस युग में दण्ड-नीति या अर्थशास्त्र का भी भलीभांति विकास हुआ। महाभारत का शांतिपर्व राजधर्मशास्त्र का अत्यन्त उत्कृष्ट व विशद ग्रन्थ है। उससे इस युग की राजनीति व राजनीतिक विचारों पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्यीय अर्थशास्त्र की रचना बौद्धकाल के बाद में हुई, पर उसमें अनेक प्राचीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिसकी सम्मति को बार-बार आचार्य चाणक्य ने उद्धृत किया है। इनमें से कतिपय के नाम निम्नलिखित हैं—भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याधि और बाहुदन्तीपुत्र। इन आचार्यों के अतिरिक्त चाणक्य ने मानव, बार्हस्पत्य, औशनस आदि अनेक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, जिनमें दण्डनीति व राज-नीतिशास्त्र-सम्बन्धी विविध विचारधाराओं का विकास हुआ था।

भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार छः आस्तिक दर्शन हैं। इनके नाम निम्न-लिखित हैं—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये छः दर्शन आस्तिक व वेदसम्मत माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य दर्शनों का विकास भी प्राचीन समय में हुआ था, जिन्हें नास्तिक व लोकायत कहा जाता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जैन साहित्य

जैन लोगों के धार्मिक साहित्य को हम प्रधानतया छः भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) द्वादश अंग, (२) द्वादश उपांग, (३) दस प्रकीर्ण, (४) षट् छेद-सूत्र, (५) चार मूल सूत्र, (५) विविध।

द्वादश अंग : (१) आयारंग सुत, (२) सूत्रकृदंग, (३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) भगवती सूत्र, (६) ज्ञानधर्म कथा, (७) उवासगदसाओ, (८) अन्तःकृद्दशा, (९) अनुतरोपपातिक दशा, (१०) प्रश्न-व्याकरण, (११) विपाकश्रुतम, (१२) दृष्टिवाद।

द्वादश उपांग : प्रत्येक अंग का एक-एक उपांग है—इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) औपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३) जीवाभिगम (४) प्रज्ञापना, (५) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्रज्ञप्ति, (७) सूर्यप्रज्ञप्ति, (८) निरयावली, (९) कल्पावतंसिका, (१०) पुष्पिका, (११) पुष्यचूलिका, (१२) वृष्णिदशाः।

दस प्रकीर्ण : इनमें जैन धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) चतुःशरण, (२) संस्तारक, (३) आतुरप्रत्याख्यानम भक्तापरिज्ञा, (४) तन्दुल वैचारिका, (५) चन्द्रवैध्यक, (६) गणिविद्या, (७) देवेन्द्रस्तव, (८) वीरस्तव, (९) महाप्रख्यान।

षट् छंदसूत्र : इन सूत्रों में जैन-भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विविध नियमों का वर्णन कर उन्हें दृष्टान्तों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छन्दसूत्रों के नाम निम्नलिखित हैं—(१) व्यवसाय सूत्र, (२) बृहत्कल्प सूत्र, (३) दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, (४) निशीथ सूत्र, (५) महानिशीथ सूत्र, (६) जितकल्प सूत्र।

चार मूलसूत्र—इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) उत्तराध्ययन सूत्र, (२) दशवैकालिक सूत्र, (३) आवश्यक सूत्र, (४) ओकनिर्युति सूत्र।

विविध

इस श्रेणी में बहुत से ग्रन्थ आते हैं, परन्तु उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण नन्दिसूत्र और अनुयोगद्वार हैं। इनमें बहुत प्रकार के विषयों का समावेश है। जैन भिक्षुओं को जिन विषयों का भी परिज्ञान था, वे प्रायः सभी इनमें आ गये हैं।

बौद्ध साहित्य

विनय पिटक के तीन भाग हैं—(१) सुत विभंग, (२) खन्धक और (३) परिवार। सुतविभंग दो भागों में विभक्त हैं, भिक्खुविभंग और भिक्खुनीविभंग। खन्धक के अन्तर्गत दो ग्रन्थ हैं—महावग्ग और चल्लुवग्ग। विनय पिटक का सार 'परिवार' है और उसमें प्रश्नोत्तर रूप से बौद्ध-भिक्खुओं के नियम व कर्त्तव्य दिए गए हैं। सुत-पिटक के अन्तर्गत पांच निकाय हैं—(१) दीर्घ निकाय, (२) मज्झिम निकाय, (३) अंगुतर निकाय, (४) संयुक्त निकाय और (५) खुद्दकनिकाय। दीर्घनिकाय के तीन खण्ड हैं और उनमें कुल मिलाकर ३४ दीर्घाकार सुत या सूक्त हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध महापरिनिब्बानसुत है। मज्झिमनिकाय में कुल मिलाकर मध्य आकार के १२५ सुत हैं। अंगुतुरनिकाय के कुल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सुतों की संख्या २३०० है, जिन्हें ११ खण्डों में विभक्त किया गया है। संयुक्तनिकाय में ५६ सुत हैं, जिन्हें पांच वग्गों (वर्गों) में बांटा गया है। खुद्दकनिकाय के अन्तर्गत १५ विविध पुस्तकें हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं—खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिबुतक, सुतपिपात, विमानवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पहिसंभिदा, अपदान, बुद्धवंस और चरिया-पिटक। इनमें ५५० के लगभग कथायें दी गई हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के रूप में लिखा गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन और आध्यात्मचिन्तन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सात ग्रन्थ हैं—(१) धम्मसंगनि, (२) विभंग, (३) धातु कथा, (४) पुल पंजति, (५) कथावत्थु, (६) यमक और (७) पट्ठान। बौद्ध-धर्म के जिस साहित्य का हमने ऊपर परिचय दिया है वह पालि भाषा में है।

खनिज उद्योग के माध्यम से
राष्ट्रीय सम्पदा - वृद्धि की साधना
में संलग्न

मैसर्स बनारसीदास भनोत
एण्ड सन्ज

मुख्य कार्यालय :
भनोत हाउस
गोरखपुर, जबलपुर (म० प्र०)
(दूरभाष : २३३५)

उप कार्यालय :
किरंदुल (बैलाडिला)
जिला बस्तर (म० प्र०)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ६ :

भारतीय विचारक

महापुरुष एवं समाज-सुधारक

भारत ऋषि-मुनियों एवं महापुरुषों का धर्मप्राण देश है। विभिन्न कालों में अनेक ऋषि-महात्माओं, महापुरुषों एवं समाज-सुधारकों ने नास्तिकता एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का प्रचार-प्रसार किया। इन महान् पुरुषों के कारण ही भारत ने जगत्गुरु पद प्राप्त किया।

महर्षि वेदव्यास : ये महर्षि पाराशर के पुत्र थे। उन्होंने वेद-ज्ञान को संकलित किया इसलिए वेदव्यास कहलाये। बाद में उन्होंने पुराणों का संकलन किया। 'महाभारत' के रचयिता भी वेदव्यास ही थे। 'वेदांत दर्शन' की भी उन्होंने रचना की।

मनु : मनु ने ही 'मनुस्मृति' के रूप में मानव (व्यक्ति एवं समाज) के लिए प्रथम आचार-विचार संहिता की रचना की। मनु ने महर्षि भृगु से ज्ञान प्राप्त किया था। मनुस्मृति धर्मशास्त्र एवं समाजशास्त्र का मुख्य आधार है।

महर्षि याज्ञवल्क्य : मिथिला में महाराजा विदेह की सभा में गार्गी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने 'शतपथ ब्राह्मण' 'प्रतिज्ञासूत्र' एवं 'याज्ञवल्क्य स्मृति' की रचना की। उन्होंने व्याकरण, धनुर्वेद तथा आयुर्वेद पर भी कुछ ग्रंथ लिखे।

आदि कवि वाल्मीकि : "मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः
यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।"

आदि कवि के मुख से प्रथम उपर्युक्त श्लोक व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारे जाने पर निकला। वाल्मीकि प्रारम्भ में लूटमार व हिंसा करके परिवार का पालन करते थे। एक बार घरवालों के इस उत्तर से कि "लूट आप करते हैं अतः फल भी आप ही भोगें, हम क्यों?" उनका जीवन बदल गया। वाल्मीकि ने पापों के प्रायश्चित के लिए तपस्या की। वे महर्षि बन गये। तमसा तट पर उनके आश्रम में श्री राम द्वारा निर्वासिता सीता रहीं, वहीं लव-कुश हुए। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की।

महर्षि पतंजलि : पाणिनी के व्याकरण पर महाभाष्य के अतिरिक्त उन्होंने वैद्यक शास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं योग शास्त्र की रचना की। आयुर्वेद शास्त्र के क्षेत्र में वही चरक कहलाये। योग व तपस्या के बल पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अथाह ज्ञान प्राप्त किया।

महावीर : जैनधर्म के २४वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म वज्जि गणराज्य के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ज्ञातृक राजकुल में हुआ था। ३० वर्ष की आयु में भिक्षु होकर उन्होंने केवलि पद प्राप्त किया तथा धर्म का प्रचार किया। पावापुरी (बिहार) में धर्मप्रचार करते हुए ५२० ई० पूर्व में उनका निधन हो गया।

गौतम बुद्ध : लुम्बिनी उद्यान में ५६७ ई० पूर्व महाराजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अचानक सांसारिक माया के कुछ दृश्य देखकर वे गृहस्थी से विरक्त हो भाग निकले। गया में वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने के बाद उन्होंने बौद्ध मत की स्थापना की। वे हिंसा व ऊंच-नीच की भावना के प्रबल विरोधी थे तथा समानता के पोषक।

आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य : जिस समय भारत पर बौद्धों का प्रभाव बढ़ रहा था उस समय केरल के एक नम्बूद्रीपाद ब्राह्मण के घर में शंकर ने जन्म लिया। शंकर ने अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करके सनातनधर्म की रक्षा के लिए नास्तिकों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उन्होंने समस्त देश की यात्रा की तथा सनातनधर्म की पुनः स्थापना की। आचार्य शंकर ने पुरी, द्वारका, शृंगेरी एवं बद्रीनाथ में अपने पीठ स्थापित करके एक-एक शिष्य पर देश के चारों कोनों में धर्म प्रचार का भार सौंपा। उन्होंने अनेक शास्त्रों का भाष्य किया। उनके शास्त्रार्थों से पराजित होकर अनेक बौद्ध विद्वानों ने सनातनधर्म की शरण ग्रहण की। उनके अद्वैतवाद का न केवल भारत अपितु विदेशों में भी भारी प्रभाव पड़ा। आज भी उनके द्वारा स्थापित चारों पीठों पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य अधिष्ठित हैं।

श्री रामानुजाचार्य : श्री रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के तिरुकुनूर ग्राम में हुआ। उन्होंने कांची में विद्या व शास्त्रों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण भारत की यात्रा करके धर्म प्रचार किया। विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया तथा 'प्रस्थानत्रयी' का श्रीभाष्य किया। श्रीरंगम में श्री रंगनाथ मंदिर का विस्तार कराया। आचार्य रामानुज की परम्परा में अब तक अनेक उच्चकोटि के विद्वान् आचार्य होते आये हैं।

श्री माधवाचार्य : श्री माधवाचार्य का जन्म विक्रम सम्वत् १२९५ में मद्रास के वेलालि ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम वासुदेव था। ११ वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने संन्यास लेकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया तथा गीता का भाष्य किया। देश का भ्रमण करके उन्होंने भक्ति की धारा प्रवाहित की। उन्होंने द्वैत मत का प्रचार किया।

श्री निम्बार्काचार्य : गोदावरी के तट पर वैद्यर्पत्तन के निकट श्री अरुमुनि के घर नियमानन्द का जन्म हुआ। वे ही आगे चलकर निम्बार्काचार्य के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने वेदान्त सूत्रों पर 'वेदांत पारिजात सौरभ' के नाम से भाष्य लिखा। श्रीमद्भागवत को प्रमुख धर्मग्रंथ मानकर उन्होंने देश में द्वैताद्वैत सिद्धान्त का प्रचार किया।

श्री बल्लभाचार्य : श्री बल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के एक विद्वान् तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने ग्यारह वर्ष की आयु में ही काशी में श्री माधवेन्द्रपुरी नामक शास्त्रज्ञ विद्वान् से शास्त्राध्ययन किया। देश की धर्मप्रचार यात्रा की तथा पंडितों से शास्त्रार्थ किये। उन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना की। वे 'पुष्टि मार्ग' के संस्थापक थे।

श्री रामानन्दाचार्य : मुगलों के समय में पीड़ित हिन्दू जनता में भक्ति की भावना के द्वारा आत्मविश्वास उत्पन्न करने वालों में आचार्य रामानन्द का नाम प्रमुख है। संत कबीर दास ने आचार्य रामानन्द से ही रामनाम की दीक्षा ली थी। उन्होंने शैव और वैष्णवों के द्वेष को दूर किया तथा हिन्दू जनता में मुसलमान शासकों के अत्याचारों का धैर्यपूर्वक सामना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने की भावना जागृत की। उन्होंने ऊंच-नीच की भावना को अधर्म बताया तथा एकता व समानता का प्रचार किया।

चैतन्य महाप्रभु : जन्म बंगाल के नदिया ग्राम में हुआ था। जन्म का नाम निमाई था। अल्पायु में ही पांडित्य प्राप्त कर लिया तथा तत्पश्चात् भक्ति की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने श्रीमद्भागवत् को ही गीता एवं ब्रह्मसूत्र का भाष्य माना। भगवन्नाम संकीर्तन को वे मुक्ति का साधन मानते थे।

समर्थगुरु रामदास : औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त हिन्दू जनता में नवचेतना उत्पन्न करने के लिए महाराष्ट्र में समर्थगुरु रामदास का जन्म हुआ था। बारह वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात् श्री समर्थ ने बद्रीनाथ से रामेश्वरम् तक की तीर्थ यात्रा की तथा अनेक स्थानों पर भगवान राम व महावीर हनुमान के मंदिर स्थापित कराये। उन्होंने 'श्री राम जयराम-जय-जय-राम' का महामन्त्र हिन्दू जनता को दिया तथा शिवाजी को मुगल साम्राज्य ध्वस्त करके हिन्दूराज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। 'दासबोध' समर्थगुरु रामदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है।

संत तुकाराम : उनका जन्म सम्वत् १६६५ में महाराष्ट्र में हुआ था। अल्पायु में ही वे भजन, कीर्तन एवं स्वाध्याय में लीन रहने लगे। उन्होंने प्रभु भक्ति के अनेक पद रचे। संत तुकाराम भगवान विट्ठलनाथ के उपासक थे। कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र बता कर उनके विरुद्ध प्रचार किया किन्तु उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि भगवान के मंदिर में कोई-ऊंच-नीच नहीं है, सब बराबर हैं। छत्रपति शिवाजी का समर्थगुरु रामदास से साक्षात्कार कराने वाले संत तुकाराम ही थे। उनके 'अभंग' महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं।

संत ज्ञानेश्वर : उनका जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। उनको भी कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने अस्पृश्य बताकर घृणा प्रकट की, किन्तु उन्होंने चमत्कार दिखाकर कट्टरपंथियों को लज्जित कर दिया। १५ वर्ष की आयु में ही 'ज्ञानेश्वरी' गीताभाष्य कर लिया। संतज्ञानेश्वर ऊंच-नीच की भावना के प्रबल विरोधी थे।

संत एकनाथ : पैठण (महाराष्ट्र) में जन्म लेने के बाद केवल सात वर्ष की आयु में ही उन्होंने शूलभंजन पर्वत पर भगवान श्रीकृष्ण की उपसना की। चतुःश्लोकी भागवत पर ओवी छन्दों में एक ग्रन्थ लिखा। वे प्राणीमात्र में भगवान के दर्शन करते थे। गंगोत्री से गंगाजल की कांवर लेकर रामेश्वरम् जाते समय रास्ते में प्यास से तड़पते गधे को उन्होंने गंगाजल पिला दिया, साक्षात् रामेश्वरम् ने प्रगट होकर उन्हें दर्शन दिये। इसी प्रकार पितृ श्राद्ध के समय पाँच भूखे चमारों को उन्होंने भोजन कराया। इस पर ब्राह्मणों ने भोजन करने से इन्कार कर दिया, किन्तु पितरों ने साक्षात् प्रकट होकर श्राद्ध भोजन ग्रहण किया। उन्होंने भागवत् एवं एकादश स्कन्ध का भाष्य किया। रुक्मिणी स्वयंवर एवं रामायण भी लिखी।

संत नामदेव : छीपी परिवार में जन्मे संत नामदेव की भक्ति से प्रभावित होकर अनेक ब्राह्मणों को भी उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ा। पंढरपुर में विट्ठल भगवान की उपासना की तथा घमंडी ब्राह्मणों के मद को चूर करके भगवद्-साक्षात्कार किया। संत ज्ञानेश्वर जी के साथ तीर्थयात्रा करके भगवन्नाम संकीर्तन का प्रचार किया। पंजाब जाकर वहाँ भी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भक्ति की धारा प्रवाहित की। गुरुमुखी में 'नामदेव की जन्मसाखी' लिखी गई। गुरु ग्रंथ-साहब में उनके पद मिलते हैं।

गुरु गोरखनाथ : वे नेपाल के सिद्ध संत मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने तप एवं हठयोग का उद्धार किया तथा सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने आलस्य, प्रमाद, भोग तथा भेद-भाव की भावना का प्रबल विरोध करके तप, त्याग एवं योग को साधना का मार्ग बताया। उनके नाथ सम्प्रदाय का भारत के अतिरिक्त नेपाल में भी प्रमुख स्थान है।

संत कबीरदास : छुआछूत, पाखंड एवं कुरीतियों पर तीव्र प्रहार करने वाले संत कबीरदास ने स्वामी रामानन्द से 'राम-नाम' की दीक्षा प्राप्त करके कपड़ा बुनने के साथ-साथ दोहे लिखने प्रारम्भ किये। ढोंग एवं पाखंड पर उन्होंने अपनी साखियों में तीव्र व्यंग्य किया तथा आडम्बररहित भक्ति का प्रचार किया। वे राम के उपासक थे। उनके दोहों में वेद, रामायण व पुराणों का सार है।

गुरु नानकदेव : सिख पंथ के संस्थापक संत नानकदेव का जन्म १४६९ ई० में पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। भेदभाव एवं घृणा को त्यागकर एक ईश्वर की आराधना का उन्होंने संदेश दिया। तीर्थयात्रा के बाद वे बलोचिस्तान होते हुए बगदाद, ईरान, कन्धार तथा मक्के तक गये तथा ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। ईश्वर की सर्वव्यापकता को उन्होंने अपने चमत्कारों से सिद्ध कर दिखाया। गुरु ग्रंथसाहब में नानकदेव की अमर वाणियों का संग्रह है।

संत तुलसीदास : मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त हिन्दू जनता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के तेजस्वी जीवन-चरित्र से आशा का संचार करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का भारत के जनजीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 'रामचरितमानस' लिखकर जनता में धार्मिक चेतना जागृत की तथा अत्याचारों से प्रबल संघर्ष करने का साहस उत्पन्न किया। संवत् १६३१ में गोस्वामीजी ने अयोध्या में 'रामचरितमानस' लिखना प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् काशी के असीघाट पर उनकी भक्ति एवं लेखनी दोनों चलती रहीं। गोस्वामीजी ने कवितावली, दोहावली, विनयपत्रिका, जानकीमंगल, पार्वतीमंगल आदि की भी रचना की। उन्होंने ब्रज भाषा व अवधी में काव्य लिखे।

राजा राममोहनराय : बंगाल के राधानगर में सन् १७७४ ई० में उनका जन्म हुआ। फारसी पढ़ने के बाद वे संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गये। उपनिषदों से 'एक ही ब्रह्म' की प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने बहुदेवतावाद का विरोध किया। वैष्णवधर्म में व्याप्त कुरीतियों का उन्होंने खण्डन किया। हिन्दू समाज में कुछ समय से स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचारों का उन्होंने विरोध किया। सन् १८२८ ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की तथा सती-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-विक्रय आदि का विरोध किया। वे स्त्री शिक्षा तथा स्त्री-पुरुष के समानाधिकार के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयास से स्त्री शिक्षा का भारी प्रसार हुआ। अपने विचारों के प्रचारार्थ वे इंग्लैंड गए। २७ सितम्बर १८३३ ई० को वहीं उनका निधन हो गया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती : सन् १८२४ ई० में काठियावाड़ के टंकारा गांव में उन्होंने जन्म लिया। मथुरा में स्वामी विरजानन्द से शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने हिन्दू समाज में आयी कुरीतियों पर प्रहार करने का बीड़ा उठाया व आर्यसमाज की स्थापना की।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उन्होंने मूर्तिपूजा, अवतारवाद, मृतक श्राद्ध, अस्पृश्यता आदि का विरोध किया तथा काशी के कट्टरपंथी सनातनी पंडितों से शास्त्रार्थ किया। वेदों का शुद्ध भाष्य किया तथा 'सत्यार्थ-प्रकाश' व 'गोकरुणानिधि' लिखीं। 'सत्यार्थप्रकाश' में उन्होंने अवैदिक मतों का तर्कपूर्ण खंडन किया तथा अस्पृश्यता व आडम्बरों को धर्म विरोधी सिद्ध किया। स्वामीजी ने बाल-विवाह का विरोध किया व विधवा-विवाह का समर्थन। उन्होंने सबसे पहले हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का नाम दिया, गोहत्याबंदी की मांग की तथा भारत की स्वाधीनता की ज्योति प्रज्ज्व-लित की। उन्हें कई बार जान से मार डालने का प्रयास किया गया। जोधपुर में धोखे से भोजन में विष दिये जाने से १६ अक्तूबर १८८३ ई० को ६० वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस : हुगली जिले के कामारपुर ग्राम में १८ फरवरी १८३६ ई० को श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय के घर में बालक गदाधर का जन्म हुआ। इसी बालक ने आगे चलकर माँ काली के मन्दिर के पुजारी के रूप में धर्म साधना प्रारम्भ की। काली उपासना के अतिरिक्त उन्होंने राम व कृष्ण के नाम का संकीर्तन किया। काली मां ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर सिद्ध संत बना दिया। वे अत्यन्त त्यागी व विरक्त संत थे। नरेन्द्र जैसे नास्तिक युवक को स्वामी विवेकानन्द बनाने वाले परमहंस ही थे। १५ अगस्त १८८६ ई० को वे ब्रह्म-लीन हो गये।

संत नारायण गुरु : केरल के एक गांव में १८५४ ई० में एड़वार (पिछड़ी) जाति में जन्म हुआ। उस समय पिछड़ी जाति के लोगों को अछूत मानकर उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था तथा मन्दिरों में नहीं जाने दिया जाता था जिसके कारण पिछड़ी जाति के लोग धर्म परिवर्तन करने को बाध्य हो रहे थे। संत जी ने एड़वा जाति के २० लाख व्यक्तियों में हिन्दू धर्म के प्रति गौरव की भावना जागृत की तथा उनके लिये स्थान-स्थान पर नए मन्दिर व विद्यालय बनवाए। उन्होंने अपने अनुयायियों को स्वधर्म पर मर मिटने तथा 'एक जाति, एक धर्म व एक भगवान' की प्रेरणा दी तथा धर्मान्तरित होने से रोका। रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने हिन्दू धर्म शास्त्रों की महत्ता का प्रचार किया।

लोकमान्य तिलक : 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है', के उद्घोषक बाल गंगा-धर तिलक का जन्म २३ जुलाई १८५६ ई० को रत्नागिरि में हुआ था। 'केसरी' व 'मराठा' के सम्पादक के रूप में उन्होंने जहां देश की स्वाधीनता की ज्योति जलाई वहां हिन्दू धर्म की महत्ता, गोरक्षा एवं युवकों में नैतिकता उत्पन्न करने में भारी योगदान दिया। १९०२ ई० में जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया तो जेल में ही उन्होंने 'गीता रहस्य' लिखा। ३१ जुलाई १९२० ई० को उनका निधन हो गया।

स्वामी श्रद्धानन्द : जालन्धर जिले के तलवन गांव में १८५९ ई० में जन्म हुआ। काशी में शिक्षा-दीक्षा हुई। बरेली में स्वामी दयानन्द जी के सत्संग से प्रभावित होकर आर्यसमाज को जीवन समर्पित कर दिया। संस्कृत एवं वैदिक धर्म के प्रचार से लिए जालन्धर व अन्य स्थानों पर कन्या महाविद्यालयों की स्थापना कराई। गुरुकुल की स्थापना की। अंतिम समय तक गुरुकुल के प्रचार व प्रसार में लगे रहे। विधर्मी बनाये गये हिन्दुओं को शुद्ध करके पुनः वैदिक धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। २३ दिसम्बर १९२६ ई० को अब्दुल रशीद नामक एक मतांध व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

महामना पं० मदनमोहन मालवीय : मालवीयजी का जन्म २५ दिसम्बर १८६१ ई० को तीर्थराज प्रयाग में हुआ था। वे दृढ़ सनातनधर्मी थे। हिन्दू संस्कृति का प्रचार एवं गोरक्षा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उनके मुख्य लक्ष्य थे। पुराणों पर उनकी दृढ़ आस्था थी। महामना ने भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रसार के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्पृश्यता को वे अधर्म मानते थे। स्त्री व अछूतों को उन्होंने मन्त्र व यज्ञोपवीत का अधिकार दिया तथा हरिजन मंदिर प्रवेश का खुला समर्थन किया। समाज सुधार व शिक्षा प्रसार के साथ-साथ राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 'अभ्युदय' का सम्पादन किया। नोआखाली के हत्याकांड के समाचारों से उन्हें आघात लगा व १२ नवम्बर १९४६ ई० को उनका निधन हो गया।

स्वामी विवेकानन्द : १२ जनवरी १८६३ ई० को बंगाली परिवार में नरेन्द्रदत्त का जन्म हुआ। कालेज में अध्ययन करते समय नास्तिकता व भौतिकवाद ने घर कर लिया। जब एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट के समय नरेन्द्र ने कहा—'यदि ईश्वर है तो क्या आप उसे दिखा सकते हैं ?' परमहंस ने हंसते हुए कहा, 'देखो यह रहा ईश्वर' बस फिर क्या था नरेन्द्र परम आस्तिक बन गया व आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से विख्यात हुआ। सन् १८९३ ई० में शिकागो की विश्वधर्म परिषद् में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तीन वर्षों तक उन्होंने अमेरिका में हिन्दू दर्शन व भारत की महत्ता का प्रचार किया। स्वामी विवेकानन्द ने घोषणा की—'आध्यात्मविद्या, हिन्दू धर्म एवं दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जायेगा।' स्वामी विवेकानन्द ने अस्पृश्यता, शोषण तथा आडम्बर पर प्रहार किये। दरिद्रनारायण की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, स्विटजरलैंड आदि देशों में पहुंच कर हिन्दू दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने भौतिकतावादियों से कहा कि 'धर्म अनुभूति की वस्तु है, तर्क की नहीं।'

योगीराज अरविन्द : उनका जन्म १८७१ ई० में बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपने ओजस्वी लेखों व भाषणों द्वारा शिक्षित समुदाय में राष्ट्रीयता के अंकुर उत्पन्न किये। उन्होंने आह्वान किया कि राष्ट्र माता है, जगज्जननी का स्वरूप, है, वन्देमातरम् गीतमात्र न होकर एक मंत्र है। क्रान्तिकारियों से भी उनका सम्पर्क रहा। राष्ट्रभक्ति के आरोप में उन्हें जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ीं। जेल में उन्होंने आध्यात्म साधना की व भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात्कार किया। पाण्डीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। १९५० में निधन हो गया।

स्वामी रामतीर्थ : उनका जन्म २२ अक्तूबर १८७३ ई० को दीपावली के दूसरे दिन पंजाब के मुरालीवाल गांव में हुआ था। प्रारम्भिक नाम तीर्थराम था। अल्पायु में ही धार्मिक रुचि उत्पन्न हो गयी, किन्तु साथ ही पढ़ाई में भी भारी रुचि रही तथा मैट्रिक से एम० ए० तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उतीर्ण कीं। गणित में विशेष योग्यता प्राप्त की। रामतीर्थ भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे। उन्होंने भारत में धर्म प्रचार के बाद जापान व अमेरिका में हिन्दू संस्कृति का प्रचार किया। पाश्चात्य विद्वान उनकी विद्वत्ता एवं वक्तृत्व शक्ति से भारी प्रभावित हुए। सन् १९०६ ई० में ३३ वर्ष की आयु में दीपावली के दिन उनका देहान्त हो गया।

महात्मा गाँधी : महात्माजी उन समाज-सुधारक महापुरुषों में से थे जिन्होंने हरिजनोद्धार को प्राथमिकता देकर अस्पृश्यता के नाश का कदम उठाया। उनका जन्म २ अक्तूबर १८६९ ई० को पोरबन्दर में हुआ था। उन्होंने ऊंच-नीच व भेदभाव के विरुद्ध जन-आंदोलन प्रारम्भ किया तथा स्वदेशी का प्रचार किया। स्वाधीनता आंदोलन के साथ-साथ उन्होंने समाज-सुधार आंदोलन प्रारम्भ किये तथा सफलता प्राप्त की। रामनाम में वे अपूर्व शक्ति मानते थे। धार्मिक सहिष्णुता के लिए वे आजन्म कार्यरत रहे। उनके मत में राम-रहीम में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कोई भेद नहीं था। जाति-पांति के वे कड़े विरोधी थे तथा उन्होंने अपने आश्रम में अनेक हरिजन-ब्राह्मण विवाह कराकर जन्मगत जाति प्रथा का उन्मूलन किया। सत्य-अहिंसा को वे सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया तथा अहिंसात्मक 'सत्याग्रह' को साधन बनाया। ३० जनवरी १९४८ ई० को उनकी हत्या कर दी गई।

डा० हेडगेवार : संवत् १९४६ में वर्ष प्रतिपदा के दिन नागपुर में श्री बलीराम पन्त के घर जन्म हुआ। बचपन में ही स्वाधीनता आन्दोलन में कूद पड़े। सन् १९२५ ई० में विजयादशमी के दिन हिन्दू संगठन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हिन्दू समाज में व्याप्त ऊंच-नीच व अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करके सभी को एक संगठन-सूत्र में बांधने की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ किया। हिन्दू समाज में स्व-राज्य के लिए जागृति उत्पन्न की। अनुशासित जीवन को सफलता का प्रमुख साधन प्रति-पादित किया। उनका मूलमन्त्र था—'आपसी भेदभावों को समाप्त करके, पूर्ण रूपेण संगठित एवं अनुशासित होकर राष्ट्र व समाज की सेवा में संलग्न रहना।' सन् १९४० ई० में उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री वि० दा० सावरकर : श्री सावरकर केवल क्रान्तिकारी देशभक्त ही नहीं थे अपितु सामाजिक व धार्मिक क्रान्ति के क्षेत्र में उन्होंने भारी कार्य किया। हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अस्पृश्यता, सामाजिक कुरीतियों, सड़ी-गली परम्पराओं के विरुद्ध लेखनी उठाकर समाज के संगठन पर बल दिया। रत्नागिरि में अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान चलाया। वे उच्च कोटि के विचारक व समाज सुधारक थे।

श्री मा० स० गोलवलकर (गुरुजी) : उनका जन्म १९ फरवरी १९०६ को नागपुर में हुआ था। हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० एस० सी० किया तथा नागपुर में कानून की डिग्री प्राप्त की। डा० हेडगेवार जी के सम्पर्क में आकर अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को समर्पित कर दिया। १९४० में डाक्टर साहब के दिवंगत होने पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक का भार सम्भाला।

श्री गुरुजी एक कुशल संगठक, महान सुलझे हुये विचारक तथा आध्यात्मिक महा-पुरुष थे। उन्होंने हिन्दू समाज को ऊंच-नीच की भावना त्यागकर संगठित होने की प्रेरणा दी। वे राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि महत्व देते थे। 'विचार नवनीत' आदि ग्रन्थों में उनके विभिन्न विषयक विचार देखने को मिलते हैं।

५ जून १९७३ को नागपुर में उनका देहावसान हो गया।

डा० राधाकृष्णन : भारत के राष्ट्रपति के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्शनिक तथा महान विचारक। ५ सितम्बर १८८८ को जन्म हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, उपकुलपति रहे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वहीं उपनिषदों का भाष्य किया।

वे हिन्दू दर्शन तथा हिन्दू धर्म के महान ज्ञाता थे। हार्ट आफ हिन्दुस्तान, हिन्दू वे आफ लाइफ, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, धर्म और समाज आदि उनकी बहुचर्चित तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तकें हैं।

१७ अप्रैल १९७५ को मद्रास मे उनका निधन हो गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राजस्थान आवासन बोर्ड

हमारी प्रतिबद्धता	आपकी उपलब्धि
1. बिना लाभ-हानि के अनुसार कम कीमत पर मजबूत भवन निर्माण	अनावश्यक धन, श्रम और समय की बचत।
2. आय के अनुरूप उपयुक्त किश्तों द्वारा मूल्य प्राप्ति	आर्थिक भार से मुक्ति और निश्चिन्तता।
3. प्रशिक्षित अनुभवी अभियंताओं द्वारा निर्मित डिजाइन	निर्माण कार्य में सन्तोष और सुरक्षा।
4. पूरी कालोनी के निर्माण द्वारा सभी आवश्यक सुविधाओं का दायित्व	सुविधा, आराम और साफ सुथरा पर्यावरण।
5. पंजीकरण के बाद तीन वर्षों में मकान देने का प्रयत्न	कम समय में आपका अपना मकान। निष्पक्षता और समानता।
6. लाटरी विधि से मकानों का वितरण	

पंजीकरण योजना जुलाई से सितम्बर तक।
लाटरी योजना-वर्ष में दो बार अप्रैल व अक्तूबर में।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ७ :

भारतीय पर्व और त्यौहार

भारत में विभिन्न मतावलम्बियों द्वारा जो पर्व व त्यौहार मनाये जाते हैं उनका देश की ऋतु, संस्कृति व इतिहास से अटूट सम्बन्ध है। ये पर्व और त्यौहार जन-जीवन में नया उल्लास व उत्साह भरने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भारतीय पर्वों के पीछे धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी विद्यमान है।

राष्ट्रीय त्यौहारों में दीपावली, होली, विजयादशमी एवं रक्षाबन्धन चार प्रमुख हैं। धार्मिक दृष्टि से शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दुर्गापूजा आदि प्रमुख पर्व हैं। जैन समाज महावीर-जयन्ती, बौद्ध समाज बुद्ध जयन्ती एवं सिख समाज गुरु नानक जयन्ती पर्व विशेष उत्साह से मनाता है। मुसलमानों के त्यौहारों में बकरीद, मुहर्रम, इदुलफितर एवं रमजान प्रमुख हैं। ईसाई क्रिसमस, इस्टर-डे, गुडफ्राइडे आदि त्यौहार मनाते हैं।

दीपावली : भारत का यह विजयोत्सव कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक अमावस्या (अक्तूबर-नवम्बर) को पड़ता है। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से यह त्यौहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की राक्षसराज रावण पर विजय के बाद लंका से अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय पर्व के पीछे वैज्ञानिक पुट यह है कि वर्षा में मकानों में जो सील व कीड़े-मकोड़े, मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए दीपावली पर्व पर मकानों व दुकानों की सफाई, सफेदी एवं रोशनी की जाती है। पौराणिक दृष्टि से यह पर्व लक्ष्मी-पूजन का पर्व है। इस दिन विशेष रूप से व्यापारी समाज नया बही-खाता बदल कर लक्ष्मी-पूजन करता है।

छठ (सूर्य पूजन) : यह पर्व दीपावली के बाद कार्तिक (अक्तूबर-नवम्बर) मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी एवं सप्तमी दो दिनों तक मनाया जाता है इसलिए इसे 'षष्ठी-व्रत' भी कहते हैं। यह वास्तव में सूर्यपूजन का पर्व है। इसमें षष्ठी की संध्या एवं सप्तमी की प्रातः क्रमशः डूबते और उगते सूर्य को, किसी तालाब, झील या नदी के किनारे नारियल केले एवं पकवानों (गेहूँ और गुड़ से बने) का अर्घ्य दिया जाता है। छठ, बिहार का सर्वप्रमुख पर्व है तथा यह उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि में भी मनाया जाता है।

विजयादशमी : विजयादशमी पर्व आश्विन शुक्ल १० (सितम्बर-अक्तूबर) को होता है। इस त्यौहार को दशहरा के नाम से भी पुकारते हैं। इतिहास एवं सांस्कृतिक दृष्टि से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह दिन भगवान श्री राम द्वारा अधर्म पर धर्म की व असत्य पर सत्य की विजय के पर्व के रूप में देश के कोने-कोने में मनाया जाता है। विजयादशमी से कुछ दिन पूर्व समस्त देश के ग्राम-ग्राम नगर-नगर में रामलीलाएं प्रारम्भ हो जाती हैं। विजयादशमी के दिन रामलीलाओं में रावण के बड़े-बड़े पुतलों को जलाया जाता है। इस दिन शस्त्रास्त्रों का पूजन किया जाता है। दशहरे के दिनों में ही आसुरी प्रवृत्तियों पर दैविक प्रवृत्तियों की विजय के प्रतीकस्वरूप देश में शक्ति पूजा के रूप में दुर्गापूजा महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम, नेपाल, बंगला देश आदि में दुर्गा-पूजा पर विशेष उत्सव आयोजित किये जाते हैं। मैसूर का दशहरा समस्त देश में प्रसिद्ध है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, इंडोनेशिया, मारीशस व अन्य देशों में भी विजयादशमी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।

रक्षाबन्धन : यह भाई-बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। यह श्रावण मास की पूर्णमासी (अगस्त) के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन समस्त हिन्दू समाज में बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र (राखी) बांधती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा इन्द्र के काल में राक्षस, साधु-सन्तों व ब्राह्मणों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। ब्राह्मणों ने इन्द्र के पास जाकर उनको राक्षसों के उन्मूलन की प्रेरणा दी और स्मरण रखने के लिए इन्द्र के हाथ में धागा बांधा। इन्द्र ने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राक्षसों का वध कर डाला। उसी उपलक्ष्य में यह प्रारम्भ हुआ तथा ब्राह्मण आज भी क्षत्रियों को राखी बांधते हैं।

सरस्वती पूजा (बसंत पंचमी) : माघ मास (फरवरी-मार्च) के शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्या की अधिष्ठात्री देवी 'सरस्वती' की पूजा की जाती है। समस्त भारत में छात्र-छात्राएं इस त्यौहार को बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं। इस अवसर पर सरस्वती की प्रतिमाएं बनायी जाती हैं तथा पूजन के दूसरे दिन विसर्जित होकर जल में प्रवाहित कर दी जाती हैं। इस तिथि को बसन्त का आगमन दिन भी मानते हैं। इस दिन अनेक स्थानों पर हकीकतराय बलिदान दिवस भी मनाते हैं।

होली : यह उल्लास व आमोद-प्रमोद का प्रमुख पर्व है। यह फाल्गुनी पूर्णिमा (मार्च) को होता है। होली पर बिना भेद-भाव के समस्त हिन्दू जन आपस में गले मिलते हैं। एक दूसरे पर रंग व गुलाल डालकर आमोद-प्रमोद करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार होली का प्रारम्भ हिरण्यकश्यप के समय से हुआ। अनीश्वरवादी हिरण्यकश्यप पर उसके ही ईश्वर विश्वासी पुत्र भक्त प्रहलाद की विजय का यह पर्व है। पुत्र की हत्या के अनेक प्रयत्नों में असफल होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर प्रहलाद को आग में जलाना चाहा। होलिका को आग में न जलने का वरदान था। ईश्वर की विचित्र लीला कि होलिका तो जलकर राख हो गई किन्तु प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। होली की रात लकड़ियों व गोबर उपलों के एक बड़े ढेर में आग लगाकर उस आग में गेहूँ की बालियां भूनने की प्रथा है। इसे 'नवन्नैष्टि यज्ञ' के नाम से पुकारते हैं। यह हिन्दुओं के पुराने वर्ष की समाप्ति एवं नव वर्ष के प्रारम्भ का पर्व है।

महावीर जयन्ती : भारत में जैन मतावलम्बियों की काफी संख्या है। वे जैनमत के संस्थापक भगवान महावीर का जन्मदिन प्रति वर्ष धूम-धाम से मनाते हैं। महावीर जयन्ती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के दिन समस्त देश के जैन मन्दिरों को सजाया जाता है। मंदिरों में जैनमत से संबन्धित उपदेश होते हैं तथा भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य आदि के सिद्धान्तों पर विद्वान प्रकाश डालते हैं।

बुद्ध जयन्ती पर्व : बुद्ध जयन्ती समारोह प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा (मई) को मनाया जाता है। यह गौतम बुद्ध (राजकुमार सिद्धार्थ) का जन्म, ज्ञान-प्राप्ति एवं महानिर्वाण दिवस है। बुद्ध विहारों में लामा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। बुद्ध मतावलम्बी व्रतादि धार्मिक कार्य करते हैं तथा बुद्ध भगवान की शिक्षाओं पर चलने का व्रत लेते हैं।

नानक जयन्ती : सिख मत के संस्थापक गुरु नानकदेव की जयन्ती प्रतिवर्ष समस्त देश में धूमधाम से मनाई जाती है। नानक जयन्ती पर गुरुद्वारों को सजाया जाता है, उन पर रोशनी की जाती है तथा 'गुरु ग्रन्थ साहब' का स्थान-स्थान पर पाठ किया जाता है। नानक जयन्ती के अतिरिक्त सिख समाज गुरु गोविन्दसिंह जयन्ती, गुरु अर्जुनदेव बलिदान दिवस, गुरु तेगबहादुर बलिदान दिवस आदि समारोह भी मनाता है। गुरु गोविन्दसिंह के जन्मदिन पर पटना स्थित हर-मंदिर में एक विशाल समारोह आयोजित किया जाता है।

पोंगल : जनवरी के महीने में किसान वर्ग तमिलनाडू, कर्नाटक एवं आन्ध्र में पोंगल त्यौहार मनाता है। पोंगल सूर्य, वरुण और वायु को फसल की सफलता के लिए धन्यवाद देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन बैलों व गायों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इन प्रदेशों में पोंगल त्यौहार तीस दिन तक मनाया जाता है।

ओणम् : यह त्यौहार केरल में सितम्बर में वर्षा समाप्त होते ही असुर राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन बसंती रंग के कपड़े पहनकर लोग उल्लास मनाते हैं।

गणेश चतुर्थी : बुद्धि के देवता गणेश की पूजा का यह पर्व है। यह चतुर्थी (अगस्त-सितम्बर) के दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा का भारी महत्व है। इस दिन के एक माह पूर्व से गणेश पूजन प्रारम्भ होकर मूर्ति विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय दिवस के रूप में गणेश चतुर्थी पर्व मनाना प्रारम्भ किया था। इस पर्व के माध्यम से स्वाधीनता के प्रचार में भारी योगदान मिला। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन युवक देश को स्वाधीन कराने की प्रतिज्ञा लेते थे।

कृष्ण जन्माष्टमी : यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अष्टमी (जुलाई-अगस्त) को सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज विशेषकर गोकुल, मथुरा व वृन्दावन में विशेष उत्सव आयोजित किये जाते हैं।

रामनवमी : चैत्र शुक्ला ९ को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी पर्व भी समस्त देश में मनाया जाता है।

शिवरात्रि : फाल्गुन कृष्णपक्ष चतुर्दशी (मार्च) को समस्त देश में शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। शिवालयों (मंदिरों) को सजाया जाता है व धार्मिक श्रद्धालु रात्रि जागरण कर भगवान शिव की अराधना करते हैं। आर्यसमाजी शिवरात्रि पर्व को 'बोध दिवस' के रूप में मनाते हैं। आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। शिवरात्रि पर्व पर काशी में विशेष दर्शनीय आयोजन किये जाते हैं। भारत के अतिरिक्त नेपाल में शिवरात्रि महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहां भगवान पशुपति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नाथ की पूजा के लिए अनेक देशों के हिन्दू पहुंचते हैं। मारीशस में भी शिवरात्रि पर्व विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है।

मुस्लिम त्यौहार

ईद-उज्जुहा (बकरीद) : यह मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार मुस्लिम वर्ष के अन्तिम मास के दसवें दिन इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश से अपने पुत्र को स्वयं बलिदान करने और उसके पुनःजीवित हो जाने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान अपने घरों में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं।

मुहर्रम : मुस्लिम संवत के मुहर्रम मास के दसवें दिन पैगम्बर के नातियों हसन और हुसैन के बलिदान की याद में मनाया जाता है। मुसलमानों का एक वर्ग इस दिन ऊंचे-ऊंचे ताजिये बनाकर निकालता है। मुस्लिम नर-नारी हसन-हुसैन की याद में विलाप करते हैं। शोक दस दिनों तक मनाया जाता है। ताजियों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। मुसलमानों का दूसरा वर्ग ताजिये निकालने को बुतपरस्ती मानकर उसका विरोध करता है।

रमजान : मुस्लिम पंचांग के रमजान मास में इस्लाम मतावलम्बी दिन भर रोजे रखते हैं तथा शाम को नमाज के पश्चात् रोजे खोलते हैं। यह क्रम पूरे मास चलता है।

ईद-उल फितर : रमजान के पश्चात् पूरे चांद के दूसरे दिन यह पर्व आता है। इस दिन मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थ कुरान की रचना सामने आई थी।

ईसाई त्यौहार

क्रिसमस : प्रतिवर्ष २५ दिसम्बर को क्रिसमस अर्थात् बड़ा दिन मनाया जाता है। यह ईसा का जन्म दिन है। इस दिन समस्त देश के ईसाई गिरजों को सजाते हैं, ईसा की पूजा करते हैं व बाइबिल का पाठ करते हैं। घरों में केक काटकर व नाच-गाकर उल्लास मनाया जाता है।

राष्ट्रीय दिवस

स्वाधीनता दिवस : सांस्कृतिक व धार्मिक पर्वों के अतिरिक्त स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस भारत के दो राष्ट्रीय पर्व हैं। १५ अगस्त १९४७ को भारत स्वाधीन हुआ था इसलिए प्रत्येक वर्ष १५ अगस्त को देश में स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया जाता है। १५ अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं व जनसमूह को स्वाधीनता पर्व का संदेश देते हैं। इस दिन समस्त देश में सभायें, जुलूस एवं अन्य आयोजन करके हर्ष मनाया जाता है। सभी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों व अन्य स्थानों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, बच्चों में मिठाई वितरित की जाती है।

गणतंत्र दिवस : २६ जनवरी १९५० को नया संविधान लागू करके गणतंत्र की विधिवत् घोषणा की गई थी। प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने से लाल किले तक विशाल परेड निकलती है, जिसमें विभिन्न झाँकियों, सेना के जवान, आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों आदि का प्रदर्शन किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर जगह-जगह गणतंत्र व देश की स्वाधीनता की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा अन्य सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ८ :

भारत दर्शन

तीर्थ, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल

भारत देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों एवं संत-महात्माओं का दिव्य धर्मप्राण देश है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भारत का कण-कण पवित्र है, इसका हर कंकर—शंकर है। भारत में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण के समुद्र के किनारे तक ऐसे असंख्य तीर्थ हैं जिनका अपना विशेष धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। इन तीर्थों अर्थात् मंदिरों, मठों व धामों के दर्शनों के लिए देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के लाखों यात्री श्रद्धापूर्वक आते जाते हैं। इन पावन तीर्थों में धार्मिक एकता व सहिष्णुता के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता साकार दृष्टिगोचर होती है। दक्षिण के श्रद्धालु नर-नारी जब हजारों मील उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है कि जैसे समस्त भारत एक है, भेदभाव की दीवारें कहीं नजर नहीं आतीं। तीर्थ-स्थलों के अतिरिक्त पर्यटनस्थलों का अपना अलग महत्व है।

उत्तर प्रदेश

गंगोत्री : गंगा नदी का भारतीय इतिहास में भारी महत्व है। गंगा की महत्ता शास्त्रों के अतिरिक्त विदेशियों ने भी स्वीकार की है। गंगा गंगोत्री से निकली है। गंगोत्री हिमालय की चोटी के पास स्थित पवित्र व रमणीक तीर्थस्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा भागीरथ घोर तपस्या के बाद जन-कल्याण की दृष्टि से गंगा को गोमुख के नीचे भूतल पर लाए थे। गंगोत्री तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां गंगा जी का एक सुन्दर मन्दिर है। श्रद्धालु नर-नारी गंगा स्नान के साथ-साथ गंगा मन्दिर के दर्शन-परिक्रमा करते हैं।

केदारनाथ : यह भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पाण्डवों ने इस स्थान पर निवास किया था। केदारनाथ लगभग ३५०० मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मन्दिर के पास ही द्रोपदी और पांचों पाण्डवों की मूर्तियां विद्यमान हैं।

बद्रीनाथ : चार धामों में बद्रीनाथ धाम का प्रमुख स्थान है। जब आने-जाने के साधन नहीं थे तब भी लाखों हिन्दू नर-नारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़ते थे और महीनों तक चलकर बद्रीनाथ धाम पहुँचते थे। बद्रीनाथ की यात्रा के लिए हरिद्वार,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऋषिकेश, टिहरी व जोशीमठ होकर जाना पड़ता है। जोशीमठ में आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पीठ है। वहां शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। बद्रीनाथपुरी अलकनन्दा के पवित्र तट पर बसी हुई है। मन्दिर का पुजारी रावल कहलाता है तथा वह केरल का नम्बूद्रीपाद ब्राह्मण ही होता है। उत्तर भारत के मन्दिर में दक्षिण का पुजारी रखा जाना राष्ट्रीय, धार्मिक व सांस्कृतिक एकता का जीता जागता उदाहरण है।

हस्तिनापुर (मेरठ) : कुरुवंश की प्राचीन राजधानी था।

कुशीनागर (देवरिया) : भगवान बुद्ध का निर्वाणस्थल।

हरिद्वार : हरिद्वार उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख तीर्थस्थल है। गंगा गोमुख से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्र में आई तथा उसी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार बसा हुआ है।

हरिद्वार में पहाड़ियों की तलहटी के किनारे गंगा बहती है तथा उसी पर 'हर की पौड़ी' बनी हुई है। हर की पौड़ी के बिल्कुल पास ही ब्रह्मकुंड है। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत मंथन के समय देवताओं व असुरों के बीच छीना-झपटी में अमृत की एक बूंद ब्रह्मकुंड में गिरी थी। ब्रह्मकुंड में स्नान करना मुक्ति का साधन कहा गया है। सप्तऋषि आश्रम, भीमगोड़ा तथा अन्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। हरिद्वार की पहाड़ियों में मनसा देवी व चंडी के मन्दिर हैं। हरिद्वार में कुम्भ का मेला भी लगता है। शिक्षा की दृष्टि से भी हरिद्वार का अपना विशेष महत्व है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा ज्वालापुर महाविद्यालय के माध्यम से संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। हरिद्वार के पास ही ऋषिकेश एवं लक्ष्मण झूला तीर्थ हैं। ऋषिकेश में गंगा तट पर स्वर्गाश्रम, गीता आश्रम तथा अन्य अनेक मठ-मन्दिर व सत्संग भवन बने हुए हैं।

काशी (वाराणसी) : वाराणसी को प्राचीन शास्त्रों में काशी के नाम से सम्बोधित किया गया है। काशी आशुतोष भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। पुराणों में 'काशी तीन लोक से न्यारी' कहकर इसकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है। काशी में भगवान श्री विश्वनाथ का अत्यन्त प्राचीन व विशाल मन्दिर है। विश्वनाथ मन्दिर के एक भाग को धर्मांध बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त करके उस पर मस्जिद का निर्माण कराया था, वह मस्जिद आज भी विद्यमान है। काशी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संसार के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिना जाता है।

प्रयाग : प्रयाग को पुराणों व प्राचीन ग्रन्थों में 'तीर्थराज' के नाम से पुकारा गया है। अग्नि पुराण में इसे प्रजापति की वेदी तथा प्रजापति का क्षेत्र कहा गया है। प्रयाग में गंगा यमुना व सरस्वती का संगम है। महाराजा हर्षवर्धन हर पांचवे वर्ष प्रयाग पहुँचकर अपने राजकोष का एक बहुत बड़ा भाग दान करते थे। प्रयाग में त्रिवेणी, बिंदु माधव, सोमेश्वर, भारद्वाज आश्रम, नाग वासुकी, अक्षयवट, शेषजी एवं दशाश्वमेध घाट दर्शनीय स्थल हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी प्रयाग का भारी महत्व है। पं० मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान 'आनंद भवन' स्वाधीनता आंदोलन का एक केन्द्र रहा। आज वह राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में दर्शनीय स्थल है।

राजापुर : गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मस्थान।

श्रावस्ती : हिमालय की उपत्यका में गौतमबुद्ध की जन्मस्थली।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चित्रकूट : उत्तर प्रदेश में जिला बांदा में स्थित चित्रकूट एक पवित्र तीर्थस्थल है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसी इस नगरी में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण व सीता ने बनवास के समय काफी दिनों तक विश्राम किया था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी चित्रकूट में ही तपस्या की थी तथा उन्हें भगवान श्री राम का साक्षात्कार हुआ था। चित्रकूट में तुलसी मन्दिर भी दर्शनीय है। मंदाकिनी के पास ही कामदगिरि नामक एक चोटी है जिस पर भगवान राम ने तपस्या की थी। इस स्थल की परिक्रमा की जाती है। पास ही हनुमान गढ़ी, सीता रसोयी आदि पवित्र स्थान हैं।

अयोध्या : जिला फैजाबाद स्थित श्री अयोध्याजी भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में दर्शनीय स्थल है। अयोध्या में श्री राम का ऐतिहासिक व प्राचीन मन्दिर है। सरयू नदी के घाट दर्शनीय हैं। अयोध्या नगरी कभी अपने वैभव के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी किन्तु अब वहां पर प्राचीन खण्डहर ही विद्यमान हैं। अयोध्या सप्त पुरियों में से प्रथम पुरी मानी गयी है। भगवान श्री राम से पूर्व के भी सूर्यवंशी राजाओं की यह राजधानी रही। अयोध्या नगरी पर अनेक बार मुसलमान बादशाहों ने आक्रमण कर उसे ध्वस्त करने के प्रयास किये। श्रीराम के जन्म-स्थल को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई।

मथुरा-वृन्दावन : भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली व लीला भूमि होने के कारण ब्रज क्षेत्र का तीर्थों में अग्रणी स्थान है। मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना आदि भगवान श्रीकृष्ण के कारण प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। मथुरा यमुना के किनारे बसा हुआ प्राचीन नगर हैं। यहां द्वारिकाधीश जी की मूर्ति में कीमती हीरा जड़ा हुआ है। वृन्दावन मन्दिरों का नगर है। रंगजी के मन्दिर में एक विशाल सोने का खम्भा है जिस पर कला का सुन्दर चित्रण है। बांकेबिहारी जी का मंदिर भी विशेष दर्शनीय है। वृन्दावन के पास ही श्रीकृष्ण की जन्मस्थली गोकुल ग्राम है। तीर्थयात्री वृन्दावन के बाद गोकुल व बरसाना की यात्रा करते हैं। देश के अनेक श्रद्धालु नर-नारी ब्रज के साढ़े ८४ कोस क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं।

आगरा : 'ताजमहल' के कारण यह विश्वभर के पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। ताजमहल के अतिरिक्त आगरा किला, सिकन्दरा, आसफजहां का मकबरा आदि मुगल शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं।

फतेहपुर सीकरी : आगरा से ३२ कि० मी० दूर यह ऐतिहासिक स्थल है। अकबर द्वारा निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दर्शनीय है।

लखनऊ : उत्तरप्रदेश की राजधानी के साथ-साथ यह नगर मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक है। इमामबाड़ा मुस्लिम शैली का अद्‌भुत नमूना है। यहाँ के नवाबों की शान-शौकत के सम्बन्ध में अनेक किस्से प्रचलित हैं। लक्ष्मण टीला नामक स्थान के कारण इस नगर का नामकरण हुआ होगा ऐसा माना जाता है। गोमती नदी शहर के बीच से बहती है।

मसूरी : यह देश के प्रमुख पर्वतीय स्थलों में से एक है। इसे 'पर्वतों की रानी' के नाम से पुकारते हैं। यह लगभग दो हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित अत्यन्त रमणीक स्थल है। गर्मियों के दिनों में पर्यटकों के लिए यह स्वर्ग समान है। पास ही चकरौता नामक सुन्दर पर्यटन स्थल है।

नैनीताल : यह एक सुन्दर व आकर्षक झील के किनारे बसा हुआ पर्वतीय स्थल है। यह समुद्र तल से २२०० मीटर ऊंचा है। इसके पास ही रानीखेत एवं भीमताल नामक सुन्दर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नगरी है। अल्मोड़ा भी नैनीताल के पास ही है। उत्तरप्रदेश में मसूरी नैनीताल एवं अल्मोड़ा पर्वतीय स्थल हैं।

बिहार

पटना : यह चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के ध्वंसावशेषों पर स्थापित अत्यन्त प्राचीन नगर है। एक हजार वर्ष तक भारत की राजधानी रहा है। सिखों के अन्तिम गुरू गोविन्दसिंह के जन्मस्थल के कारण यह सिखों का तीर्थस्थल भी है। 'हर-मन्दिर' के दर्शनार्थ सिख यात्री आते हैं। यह बिहार की राजधानी है।

नालन्दा : गुप्त सम्राटों द्वारा स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय कभी संसार का सर्वाधिक विशाल व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। १० हजार छात्र एक साथ अध्ययन करते थे। चीनी विद्वान ह्यू एन्त्सांग ने उसमें सात वर्ष रहकर अध्ययन किया था। १३वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रान्ताओं ने उसे ध्वस्त कर डाला। आज भी विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेषों के दर्शनार्थ देश-विदेश के पर्यटक आते हैं।

बुद्ध गया : यह गया से १० कि० मी० की दूरी पर है। इसी नगरी में भगवान बुद्ध ने बौधि वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अशोक द्वारा निर्मित ५५ मीटर ऊंचा बुद्ध का मन्दिर दर्शनीय है। श्राद्ध संस्कार के लिए गया प्रसिद्ध है।

वैशाली : यह लिच्छवी राजवंश की राजधानी थी। इसे वैभव की नगरी माना जाता था। गौतम बुद्ध ने भी कुछ समय वैशाली में व्यतीत किया था अतः अशोक ने उनकी स्मृति में एक स्मृतिचिन्ह बनवाया। गुप्त सम्राटों के समय वैशाली सभ्यता का एक महान् केन्द्र थी।

पावापुरी : जैनमत के संस्थापक तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली के रूप में पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। जलमंदिर तथा अन्य जैन मन्दिर दर्शनीय हैं।

पारसनाथ पर्वत : २४वें जैनतीर्थंकर पारसनाथ का निर्वाणस्थल होने के कारण यह जैनियों का तीर्थस्थल है। अत्यन्त रमणीक होने के कारण पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। पहाड़ी पर पारसनाथजी के चरण चिन्ह तथा मन्दिर हैं। यह हजारीबाग से लगभग ८० कि० मी० की दूरी पर स्थित है।

रांची : यह बिहार का पर्वतीय स्थल है। इस नगरी की प्राकृतिक रमणीयता, सुन्दर पहाड़ियां, वन तथा झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हिरनी झरना, मोरावड़ी पहाड़ी आदि रमणीक स्थल हैं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों के कारण इस नगरी ने भारी प्रगति की है।

राजगृह : कभी वहां मगध सम्राट बिम्बिसार का शासन था। गौतम बुद्ध भी इसी नगरी में रहे। जैनतीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी १४ वर्ष राजगृह व नालन्दा में व्यतीत किये थे। यह बौद्धों, जैनियों तथा सनातनधर्मियों सभी का तीर्थस्थल है। मनियार मठ, सप्तपर्णी गुफा, गर्म झरने की सप्त धाराएं, करण्डा तालाब, बिम्बसार जेल, गृद्धकूट पर्वत आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह पटना से १०४ कि० मी० दूर है। जरासंध और कृष्ण का मल्लयुद्ध यहीं हुआ था। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार हर चौथे वर्ष पड़ने वाले अधिक मास (मलिमास) में सभी देवी-देवता यहीं वास करते हैं जिसके उपलक्ष में एक मास तक यहां

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लाखों तीर्थयात्रियों का जमाव रहता है। यहां इस अवसर पर उष्ण जल के कुंडों में स्नान का महत्त्व है।

हजारीबाग-नेशनल पार्क : घने जंगलों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) पर्यटकों के लिए भारी मनोरंजन का केन्द्र है। १८१ वर्ग कि० मी० क्षेत्र के इस विशाल उद्यान में विभिन्न नस्लों के शेर, चीते, गैंडे, हिरन, जंगली जानवर, चिड़िया, तोते, मोर आदि की बहुतायत है।

शेरशाह का मकबरा (सहसराम) : बिहार के मुगल बादशाह शेरशाह का विशाल मकबरा मुस्लिम शिल्प का महान नमूना है। सोन नदी के किनारे बना यह मकबरा अत्यन्त विशाल व कलात्मक है।

सीतामढ़ी : यह वही स्थान है जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। अकाल पड़ने की स्थिति में राजा जनक ने यहां हल चलाया था जहाँ पृथ्वी से एक कुम्भ निकला जिसमें सीता थीं। राजा जनक की राजधानी यहाँ से २८ मील दूर जनकपुर में थी जो अब नेपाल में है। यहां जानकी नवमी का विशाल मेला लगता है।

मध्य प्रदेश

सांची (विदिशा) : यहां दो हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन स्तूप हैं। ये सम्राट अशोक के समय के हैं। स्तूपों के द्वारों पर जातक कथाओं के दृश्य अंकित हैं। स्तूपों के आस-पास प्राचीन विहार व मन्दिरों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। यह भोपाल से ६५ कि० मी० दूर है।

खजुराहो : यहां के विश्वविख्यात मन्दिर हिन्दू स्थापत्यकला के अद्भुत नमूने हैं। मन्दिरों की ऊंचाई को देखकर बड़े-बड़े विदेशी वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। खजुराहो की पत्थर की मूर्तियां बिल्कुल प्राणवान जैसी दिखती हैं। देश-विदेश के कलाकार इस भारतीय कला को देखकर मुग्ध हो जाते हैं।

भोपाल : मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है।

पंचमढ़ी : यह मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल है। रजत प्रपात, जलावतरण, सुन्दर-कुण्ड, पाण्डव गुफायें, छोटा महादेव, धूतगढ़, और चौरागढ़ के पर्वत शिखर अत्यन्त दर्शनीय हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय गर्मियों में पंचमढ़ी में ही पहुँच जाते हैं। पंचमढ़ी बम्बई कलकत्ता मुख्य रेलवे लाइन के पिपरिया रेलवे स्टेशन से ४८ कि० मी० दूर है।

उज्जैन : उज्जैन को प्राचीन शास्त्रों में उज्जयिनी या अवन्तिका के नाम से सम्बोधित किया गया है। महाराजा विक्रमादित्य के समय में उज्जयिनी भारत की राजधानी थी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग तथा ५१ शक्तिपीठों में से एक पीठ यहाँ प्रतिष्ठित है। उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा को भगवान विष्णु के शरीर से प्रगट नदी माना जाता है। क्षिप्रा तट पर पक्के व आकर्षक घाट बने हुए हैं। उज्जैन में १२ वर्ष में एक बार कुम्भ भी लगता है। महाकालेश्वर मन्दिर यहाँ का सबसे प्रमुख व दर्शनीय मन्दिर है।

संगमरमर की चट्टानें : जबलपुर से लगभग २४ कि० मी० दूर संगमरमर की चट्टानें प्रारम्भ हो जाती हैं। संगमरमर की पहाड़ियों के मध्य नर्मदा की किलकिल करती धारा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। यह घाटी अत्यन्त मनोरम है। नर्मदा के तट से कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ी पर कलचुरिवंश के समय का एक भव्य चौसठ योगिनी मंदिर है।

मांडू : यह प्रदेश का अत्यन्त रमणीय स्थल है। मालवा के शासक बाजबहादुर और रूपमती के प्रणय के प्रतीक एक भवन के खंडहर से इसकी विशालता का संकेत मिलता है। यह इन्दौर से ९६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है।

शिवपुरी : नैसर्गिक जलप्रपातों एवं तालाबों की नगरी शिवपुरी कभी ग्वालियर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। राष्ट्रीय उद्यान के पास संख्या सागर तथा माधव सागर झीलें सौन्दर्य को और बढ़ाती हैं। १८९ कि० मी० क्षेत्र के विशाल राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीता, रीछ, नीलगाय, हिरन एवं लकड़बग्घे भारी संख्या में पाये जाते हैं।

ग्वालियर : यहां का भव्य किला, अकबर द्वारा सम्मानित फकीर गौस का मकबरा, महान संगीतज्ञ तानसेन की समाधि, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आदि दर्शनीय हैं।

इन्दौर : महारानी अहिल्याबाई होल्कर की राजधानी थी।

राजस्थान

जयपुर : इस नगर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह ने १७२८ में की थी। गुलाबी रंग के पत्थरों से बनाया गया यह नगर हिन्दू वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। महाराजा का म्यूजियम, हवामहल, बाग एवं वेधशाला दर्शनीय हैं। यहां से १० कि० मी० दूर स्थित आमेर भी ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल है। यह राजस्थान की राजधानी है।

उदयपुर : यह राजस्थान के अत्यन्त रमणीक स्थलों में से एक है। इसकी स्थापना महाराजा उदयसिंह ने की थी। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। पहाड़ियों के नीचे आकर्षक झील है जिसमें पर्यटक नौका विहार करके आनन्द प्राप्त करते हैं। महाराणा पैलेस एवं महाराणा द्वारा निर्मित मन्दिर दर्शनीय हैं।

चित्तौड़गढ़ : उदयपुर के निकट ही चित्तौड़ नामक ऐतिहासिक स्थल है। चित्तौड़ में एक विशाल किला है। चित्तौड़ सिसोदिया राजपूतों की राजधानी थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इसी गढ़ में महारानी पद्मनी आदि क्षत्राणियों ने पातिव्रत धर्म की रक्षा के लिए साका (जौहर) किया था। किले में 'पद्मनी पैलेस', मीरा मन्दिर, विजय स्तम्भ आदि दर्शनीय हैं। महाराणा कुम्भा ने मुगल आक्रान्ताओं को पराजित करने के उपलक्ष में विजय स्तम्भ निर्मित कराया था। हल्दीघाटी के ऐतिहासिक मैदान के पास महाराणा प्रताप के 'चेतक' घोड़े की समाधि बनी हुई है। उदयपुर के पास ही महाराणा प्रताप के आराध्यदेव भगवान श्री एकलिंग जी का ऐतिहासिक मन्दिर भी दर्शनीय है।

नाथद्वारा। यह राजस्थान का प्रमुख तीर्थस्थल है। पुष्टीमार्गीय वैष्णवों के आराध्य भगवान विट्ठलदेव की अत्यन्त प्राचीन व ऐतिहासिक प्रतिमा है। विशाल मन्दिर कला का अद्भुत नमूना है।

श्री महावीर जी : जैन सम्प्रदाय का पवित्र तीर्थ स्थान है।

आबू पर्वत : सैलानियों एवं पर्यटकों के लिए अत्यन्त रमणीक स्थान है। ग्रीष्म के समय इसकी अपूर्व छटा होती है। यहाँ के दिलवाड़ा मन्दिर जैन मन्दिरों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ये संगमरमर से निर्मित कराए गये हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पुष्कर : यह देश के प्रमुख तीर्थों में से है। यह अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग के बीच अजमेर के पास पड़ता है। पुष्कर में एक विशाल तालाब है जिसमें यात्री स्नान करने के बाद अपने पुरखों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्रह्माजी एवं वाराह भगवान के अद्भुत मन्दिर हैं। ब्रह्माजी की चार मुखवाली प्रतिमा कलात्मक व दर्शनीय है। पुष्कर में वृन्दावन के रंगजी के मन्दिर की आकृति का रंगजी का मन्दिर भी है। विशाल तालाब के अतिरिक्त ज्येष्ठ सरोवर, कनिष्ठ सरोवर व बूढ़ा सरोवर भी हैं। इन सरोवरी में यात्री स्नान करते हैं।

अजमेर : अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब, भारतीय मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ-स्थल है। मुस्लिम सन्त मुइनेद्दीन चिश्ती का मकबरा भी यहीं है। अकबर द्वारा चित्तौड़ से लाये गये दीपदान भी दरगाह में हैं तथा एक असाधारण आकार का ढोल है। समस्त संसार के कोने-कोने के मुस्लिम श्रद्धालु प्रतिवर्ष अजमेर की दरगाह की तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित होते हैं।

गुजरात

द्वारिकापुरी : द्वारिकापुरी को भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा-वृन्दावन से पश्चिम समुद्र-तट पर जाकर बसाया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण ने राक्षस कंस का वध कर दिया तो उसके श्वसुर जरासन्ध ने बदले की भावना से श्रीकृष्ण पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। युद्ध व झंझट से बचने के लिए एक बार श्रीकृष्ण के हृदय में ब्रज क्षेत्र छोड़कर दूर जाकर बसने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने समुद्रतट पर जाकर एक नगरी बसाई। इस नगरी का नाम आगे चलकर द्वारिकापुरी पड़ा। द्वारिकापुरी में समुद्र से गोमती नदी आकर मिलती है। वहां द्वारिकाधीश का विशाल मन्दिर है जिसे 'रणछोड़जी का मन्दिर' भी कहा जाता है। द्वारिका में अब भी बड़े-बड़े विशाल व प्राचीन महल हैं। महल के दक्षिण में सत्यभामा और जामवन्ती के महल हैं तथा उत्तर की तरफ राधा और रुक्मणी के महल हैं। ऐसी किंवदन्ती है कि यह महल श्रीकृष्ण ने निर्मित कराये थे। द्वारिका से ३९ कि० मी० दूर स्थित भगवान श्रीकृष्ण के मित्र सुदामा जी के नाम पर सुदामापुरी बसी हुई हैं। सुदामापुरी में सुदामाजी व श्रीकृष्ण के मन्दिर हैं। द्वारिका में प्रद्युम्न, द्वारिकाधीश, बलराम, देवकी आदि के भव्य व आकर्षक मन्दिर हैं। मन्दिर के किवाड़ों की चौखटें चांदी के पत्तरों से जड़ित हैं तथा आकर्षक हैं। आद्य जगत्गुरु शंकराचार्य ने चार पीठों में से एक पीठ शारदापीठ के नाम से द्वारिका में स्थापित किया था।

सोमनाथ मन्दिर : समुद्रतट पर वेरावल में ऐतिहासिक सोमनाथ मन्दिर स्थित है। इस मन्दिर को महमूद गजनवी ने लूटा व तोड़ा। देश के स्वाधीन होने पर सरदार पटेल ने मन्दिर का पुनरोद्धार कराया।

सूर्य मन्दिर मोधरा : यह मन्दिर हिन्दू स्थापत्यकला का उत्कृष्ट नमूना है। मन्दिर के खम्भे तथा छत आदि पर सुन्दर कलाकारी की गई है। इसमें सूर्य देवता की प्रतिमा है।

पालिताना के जैन मंदिर : यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ है। इसे मन्दिरों का नगर कहा जाता है। इसमें ८६३ भव्य व विशाल जैन मन्दिर हैं। जैनियों के अतिरिक्त पर्यटक भी भारी संख्या में इस नगर में आते हैं। प्रायः सभी मन्दिर संगमरमर के बने हुए हैं। गिरनार के जैन मन्दिर भी दर्शनीय हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गिर वन : एशिया भर में एकमात्र ऐसा वन है जहां शेरों के झुण्ड मुक्त विचरण करते देखे जा सकते हैं। १२८० वर्ग कि० मी० क्षेत्र के इस वन में लगभग ३०० शेर हैं। पर्यटक कारों व बसों में वन के बीच खड़े हो जाते हैं तथा चारों ओर शेरों के झुण्ड उन्हें घेर लेते हैं।

साबरमती आश्रम : महात्मा गाँधी के कार्यक्षेत्र के रूप में साबरमती आश्रम भी एक तीर्थस्थल व पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केन्द्र है।

टंकारा : आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन्म स्थान के रूप में यह ऐतिहासिक स्थल है। प्रतिवर्ष यहां विशाल मेला लगता है।

अहमदाबाद : अहमदाबाद की हिलती मीनारें पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। इन ऊंची व विशाल मीनारों पर उत्कृष्ट शैली की कारीगरी अंकित है। अहमदाबाद में ही शाहआलम का रोजा, सिद्दी सय्याद की जाली, सरखेज रोजा, राज भवन आदि दर्शनीय हैं। यह गुजरात की राजधानी है।

पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर

अमृतसर : यह सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मन्दिर एवं तालाब तथा सनातनधर्मियों के दुर्ग्याना मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण मन्दिर तालाब के किनारे है। तालाब व मन्दिर दोनों ही भव्य व आकर्षक हैं। जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेजों ने नृशंस हत्याकांड किया था, पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक स्थल है।

चंडीगढ़ : पंजाब व हरियाणा की राजधानी है।

ज्वालाजी : ज्वालाजी होशियारपुर से लगभग ८८ कि० मी० दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह ५१ शक्तिपीठों में से एक पीठ है। यहां पर ज्वाला (ज्योति) के रूप में भगवती का दर्शन होता है। महाराजा रणजीतसिंह ने मन्दिर के ऊपरी भाग को स्वर्णपत्रों में मढ़वा कर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया था। ज्वालाजी से ४० कि० मी० दूर कांगड़ा का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहां पर बज्रेश्वरी देवी की पिण्डी है। कुछ ही दूरी पर चामुण्डादेवी तथा वैद्यनाथ महादेव के मन्दिर हैं।

नैनादेवी : (होशियारपुर) पहाड़ी पर भगवती नैनादेवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। गुरु गोविन्दसिंह नैनादेवी के उपासक थे।

शिमला : यह हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय स्थल है। शिमला के पास ही कांगड़ा घाटी है। ग्रीष्मकाल में देश-विदेश के पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है।

श्रीनगर : जेहलम नदी के किनारे बसी हुई यह नगरी 'भारत का स्वर्ग' मानी जाती है। शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मेशाही आदि मुगल सम्राटों की स्मृति के केन्द्र हैं। पहलगाम, डल झील आदि रमणीक स्थल हैं। कश्मीर के सभी रमणीक स्थल देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए स्वर्गतुल्य हैं।

अमरनाथ : श्रीनगर से ऊंचाई पर अमरनाथजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। पौराणिक कथानुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हुई सती के वियोग में पार्वती को यहाँ अमर कथा सुनाई गई थी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से मार्तण्डतीर्थ, चन्दनबाड़ी, पहलगांव आदि होते हुए जाना पड़ता है। चन्दनबाड़ी में ही भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। ४१०० मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमर गुफा में पहुँचकर यात्री अपना जीवन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सफल मानते हैं। गुफा के पास ही अमरगंगा है। अमरगंगा में बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग भी है जिसे देखकर दर्शकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है।

वैष्णवदेवी : जम्मू प्रांत में ऊधमपुर जिले में त्रिकूट पर्वत के नीचे वैष्णवदेवी का पीठ विद्यमान है। वैष्णवदेवी के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष आश्विन नवरात्र से दिसम्बर के अन्त तक कई लाख यात्री भारत के कोने-कोने से आते हैं। १६ कि०मी० की कठिन चढ़ाई को भी श्रद्धालु जन 'जयमाता की'—'जयमाता की' उद्घोषों के साथ यूं ही पूरा कर लेते हैं। यात्रा के बीच बाणगंगा पड़ती है। पुराणों के अनुसार भगवती ने बाण द्वारा पृथ्वी से जल निकाला था।

उड़ीसा

जगन्नाथपुरी : पूर्वी समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी भारत की अत्यन्त प्राचीन नगरी व तीर्थस्थल है। पुराणों के अनुसार इस नगरी व मन्दिर को स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। पुरी में भगवान जगन्नाथजी का एक विशाल मन्दिर है। मन्दिर में भगवान श्रीकृष्ण, बलराम एवं उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। यह भारत में पहला मन्दिर है जिसमें श्रीकृष्ण के भाई-बहिन की प्रतिमायें हैं। विशाल मन्दिर के चारों ओर श्रेष्ठ वास्तुकला की परिचायक झांकियां, मूर्तियों के रूप में चित्रित हैं। मन्दिर में गणेशजी, बटेरा महादेव, पट मंगलादेवी, नृसिंह, विमलाक्षी देवी और सरस्वती देवी की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। मन्दिर में देश की प्रायः सभी पवित्र नदियों के नाम पर कुएं भी हैं। प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकाली जाती है जिसमें देश के कोने-कोने से लाखों व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। भगवान की मूर्तियों को एक विशाल रथ में सजाकर निकाला जाता है। पुरी समुद्र तट पर बसी हुई है। समुद्र तट अत्यन्त रमणीक है जिसमें तीर्थयात्री स्नान करते हैं। पुरी में आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों में से एक गोवर्धन पीठ भी विद्यमान है।

भुवनेश्वर : यहां लिंगराज, मुक्तेश्वर तथा परशुरामेश्वर मन्दिर हैं। भगवती पार्वती का भी दर्शनीय मन्दिर है। पास की गुफाओं में कभी जैन मुनियों ने तपस्या की थी। उड़ीसा की राजधानी है।

कोणार्क मंदिर : पुरी के निकट ७०० वर्ष पुराना कोणार्क मन्दिर है। पुराणों के अनुसार भुवन भास्कर स्वर्ण रथ पर समुद्र से निकलते दिखाई दिये थे, उनकी छाया पर ही मन्दिर का निर्माण किया गया।

कटक : गत १३०० वर्षों से उत्कल की राजधानी रहा।

हरियाणा

कुरुक्षेत्र : यह महाभारत युद्ध से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। यहां अनेक मन्दिर तथा तालाब हैं। सन्निहित सरोवर विशाल तालाब है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा भगवान कृष्ण के मन्दिर हैं। इनके पास ज्योतिसर नामक स्थान है जहां श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया था। तीन मील दूर बाण गंगा है। इसके अतिरिक्त श्रवणनाथ मन्दिर, गीता भवन, आदि दर्शनीय स्थल हैं।

पानीपत : पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के युद्ध के लिए यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहां मराठों व मुगलों के युद्ध हुए थे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पिंजौर : कालका से तीन मील पूर्व स्थित पिंजौर उत्तर भारत का अद्वितीय मनोरम स्थल है। इसका सम्बन्ध पांडवों के १२ वर्ष के वनवास काल से है। मुगल गार्डन अत्यन्त विशाल व मनोरम है।

सोहना के गर्म झरने : दिल्ली से ५६ कि०मी० दूर स्थित सोहना के गर्म झरने भी दर्शनीय हैं। खाज-खुजली व एक्जीमा के रोगी झरने के पानी में स्नान करने आते हैं।

कलेसर : यह हरियाणा का प्रमुख मनोरंजन व क्रीड़ास्थल है। यहां मछली के शिकार तथा सूअर, हिरन, चीतल तथा अन्य जंगली जानवरों के शिकार के लिए लोग आते हैं। इस-में मोर भी बहुतायत में हैं। यह यमुना नदी के किनारे है।

महाराष्ट्र

बम्बई : यह समुद्र तट पर स्थित भारत के प्रमुख व विशाल नगरों में से है। गेटवे आफ इंडिया, फ्लोराफाउन्टेन, विक्टोरिया गार्डन, हैंगिंग गार्डन, मेरिन ड्राइव, चौपाटी आदि बम्बई के रमणीक व दर्शनीय स्थल हैं। प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इसका प्राचीन नाम मुम्बई है।

ऐलीफेंटा की गुफाएं : ये विश्व-प्रसिद्ध गुफायें बम्बई के अपोलो बन्दरगाह से ९ कि० मी० की दूरी पर हैं। गुफाओं में त्रिमूर्ति भगवान शिव की प्रतिमा अत्यन्त कलात्मक व शिल्प की दृष्टि से अद्‌भुत है।

अजन्ता-ऐलोरा की गुफाएं : यह औरंगाबाद के पास ऐतिहासिक व दर्शनीय गुफायें हैं। अजन्ता की गुफाओं में १७ सनातनधर्मी मन्दिर, १२ बौद्ध तथा ५ जैन मन्दिरों का समावेश है। एक सीधी ८४ मीटर ऊंची चट्टान को काटकर मन्दिर बनाये गये हैं। चट्टानों को खोदकर लम्बी गुफा बनाई गई है। ये भित्तिचित्र विश्व की कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। एलोरा की गुफायें भी सनातनी, बौद्ध व जैनियों की एकता की प्रतीक हैं। गुफायें ४३ हैं। कैलाशपति शिव का मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय है। इसे ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। गुफाओं की चारों ओर की सात कोठरियों में हिन्दू देवता प्रतिष्ठित हैं। इन गुफाओं को देखने देश-विदेश के पर्यटक आते हैं।

पूना : यह महाराष्ट्र का ऐतिहासिक नगर है। शनिवार बाड़ा, जीजामाता उद्यान, पर्वती, केसरीवाड़ा आदि दर्शनीय स्थल हैं। पूना से २५ कि०मी० दूर शिवाजी का सिंहगढ़ ऐतिहासिक स्थल है। देश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों में इसकी गणना है।

प्रतापगढ़ : यहां पर भी शिवाजी का विशाल किला है। इसी स्थान पर शिवाजी ने अफजलखां का वध किया था।

महाबलेश्वर : यह महाराष्ट्र का पर्वतीय स्थल है। यहां ग्रीष्मकाल में देश-विदेश के पर्यटक मनोरंजन के लिए आते हैं।

नासिक : यह देश के प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलों में से है। यहां कुंभ मेला भी लगता है। यहां पंचवटी, त्रम्बकेश्वर आदि स्थान हैं। भगवान श्री राम ने १४ वर्ष वनवास के समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किये थे। श्री राम के अनेक दर्शनीय मन्दिर हैं।

असम व त्रिपुरा

गोहाटी (कामरूप) : यह असम का प्राचीन व सुन्दर नगर है। यह कोच राजाओं की राजधानी थी तथा इसका नाम प्राग्ज्योतिष्पुर था। यहाँ कामाख्या मन्दिर, नवग्रह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मन्दिर, उमानन्दा मन्दिर, भुवनेश्वरी मन्दिर आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे बना हुआ शुक्लेश्वर जनार्दन मन्दिर अत्यन्त रमणीक है। गोहाटी से १२ किलोमीटर दूर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है।

अगरतला : त्रिपुरा की राजधानी।

चन्दुबी झील : गोहाटी से ६४ किलोमीटर दूर खासी एवं गारो पहाड़ियों में सुन्दर व आकर्षक चन्दुबी झील है। यहां मछली के शिकार की सुविधा है।

शिलांग : यह असम की राजधानी तथा पर्वतीय स्थल है। यहां के झरनों, झीलों तथा पार्कों की छटा अत्यन्त मनोरम है। हाथी झरना बहुत रमणीक है।

चेरापूंजी : यह समस्त विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ५०० इंच वर्षा प्रतिवर्ष होती है। यहां रामकृष्ण आश्रम दर्शनीय है।

जोरहट : यह चाय की नगरी है। यहां अनेक तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं। असम में इस नगर का बहुत महत्व है।

शिवसागर : यहां असम का सबसे विशाल मन्दिर है जो शिवसागर तालाब के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण अहोम राजाओं ने कराया था।

तेजपुर : राजा बलि की राजधानी रहा।

दक्षिण भारत

मद्रास : तमिलनाडु की राजधानी मद्रास अत्यन्त सुन्दर, विशाल व आकर्षक नगर है। दक्षिण भारत की सभ्यता का यह प्रमुख केन्द्र है। जहां यहां हिन्दू शैली के अनेक विशाल मन्दिर हैं वहां ईसाइयों के अनेक विशाल व भव्य चर्च भी हैं। यहां का सेंटमेरी चर्च भारत के सबसे पुराने चर्चों में से है जो सन् १६८० ई० में बनाया गया था। नेशनल आर्ट गैलरी में नटराज एवं राम परिवार की कलात्मक प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। मलिकार्जुन, चेन्नाकेशव, भगवान कपलेश्वर, पार्थसारथी आदि शैव एवं वैष्णव मन्दिर हैं।

रामेश्वरम् : दक्षिण भारत में स्थित एक प्राचीन व सुन्दर तीर्थस्थल है। इस तीर्थ का संबंध भगवान राम की लंका विजय से बताया जाता है। भगवान श्री राम ने यहां शिव मन्दिर में पूजा की थी। रामेश्वरम् दक्षिण में समुद्रतट पर स्थित है। रामेश्वरम् में समुद्र तट पर एक विशाल पुल है। पहले यह ढाई मील लम्बा पुल पत्थरों का बना हुआ था किन्तु अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में कुशल इंजीनियरों से पत्थर के पुल पर ही रेलवे पुल तैयार कराया। रामेश्वरम् का विशाल व आकर्षक मंदिर भारत की प्राचीन निर्माण एवं स्थापत्य-कला का अद्भुत नमूना है। मन्दिर के बरामदे में और अन्य भागों में सैकड़ों ऊंचे-ऊंचे खम्भे लगे हुए हैं। खम्भों पर भारतीय कला-कौशल का सुन्दर काम है। मन्दिर का प्रवेश द्वार देखते ही बनता है। समुद्र तट पर अगस्त मुनि का एक आश्रम बना हुआ है। कहा जाता है कि इस स्थान पर अगस्त मुनि ने तपस्या की थी। रामेश्वरम् में अनेक पवित्र कुण्ड हैं।

कन्याकुमारी : तपश्चर्या करती हुई श्रीकुमारीदेवी का मंदिर। स्वामी विवेकानन्द की तपस्यास्थली। विवेकानन्द शिलास्मारक भव्य व दर्शनीय है।

रंगम मन्दिर : तिरुचिरापल्ली के निकट कावेरी के द्वीप को श्रीरंगम कहते हैं। वहां

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विष्णु भगवान का एक विशाल व दर्शनीय मंदिर है जिसमें एक हजार खम्भों से बना विशाल हाल है।

महाबलीपुरम् : यह मद्रास से ८८ कि०मी० की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के तट पर है। मन्दिरों की मूर्तियां ठोस चट्टानों को काटकर-तराशकर बनाई गई हैं। 'पांच रथ', 'महिषासुर मण्डप', 'कृष्ण मण्डपम्', 'अर्जुन तपस्या' आदि दर्शनीय व कलात्मक मूर्तियां हैं।

चिदम्बरम् : यहां विश्वविख्यात नटराज शिव का विशाल व ऐतिहासिक मन्दिर है। मन्दिर की दीवारों पर नाट्यशाला में वर्णित १०८ मुद्राओं का चित्रांकन किया गया है। यह मद्रास से २४० कि०मी० दूर है।

पांडीचेरी : योगी अरविन्द का महान आश्रम।

मीनाक्षी : मदुराई में मीनाक्षी का अत्यन्त दर्शनीय मन्दिर है। मन्दिर चारों ओर गोपुरम् से घिरा हुआ है। मन्दिर का हाल सहस्र स्तम्भों का है। यह द्रविड़ शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है।

तंजौर : यहां श्री वृहदेश्वर का विख्यात विशाल मन्दिर है। यह चोल नरेशों की राजधानी थी।

कांचीपुरम : यह पल्लवों की राजधानी थी। यह मन्दिरों की नगरी है। यहां के वरदाराजा स्वामी मन्दिर, कैलाशनाथ मन्दिर, एकम्बरेश्वर मन्दिर आदि दक्षिण भारतीय शिल्प के सुन्दर नमूने हैं। श्री शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित कामकोटी पीठ है।

कर्नाटक

बंगलौर : कर्नाटक की राजधानी बंगलौर देश के सुन्दर नगरों में से है। यहां का लाल बाग एशिया भर में अपनी किस्म का एक है। इसे हैदरअली एवं टीपू सुल्तान ने बनवाया था। बंगलौर के पास ही नन्दी हिल्स, कोलार सोने की खानें, शिवगंगा, चामराजा सागर आदि आकर्षक स्थल हैं।

मैसूर का दशहरा समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। चामुण्डी पहाड़ी पर देवी चामुण्डा का दर्शनीय मन्दिर है।

वृन्दावन गार्डन : मैसूर से केवल १६ कि०मी० की दूरी पर कृष्णराजा सागर डेम के पास वृन्दावन गार्डन है। कावेरी नदी के तट पर नौका विहार में अपूर्व आनन्द आता है।

बांदीपुर का खेड़ा : मैसूर जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर के जंगलों में हाथियों को घेरकर पकड़ते हैं, उसे 'खेड़ा' कहते हैं। हाथियों के खेड़े को देखने के लिए पर्यटक आते हैं।

शिवसमुद्रम् : यहां के गगनचुक्की तथा बड़ा चुक्की झरने बहुत ही मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। भगवान शिव का मन्दिर भी दर्शनीय है।

बेलूर : होयसाल नरेशों द्वारा निर्मित चन्ना केशव मन्दिर शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। बेलूर से १४ कि०मी० दूर होयशलेश्वर शिव मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय है।

शृंगेरी : जगद्गुरु शंकराचार्य का आद्यपीठ, श्री शारदा देवी का प्रख्यात मन्दिर।

हैम्पी के खण्डहर : यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब भी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर १६ कि०मी० के अंदर प्राचीन नगर के खण्डहर बिखरे पड़े हैं। इन ध्वंसावशेषों को देखकर दक्षिण भारत के एक महान साम्राज्य की विशालता का पता चलता

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। हैम्पी में पट्टाभिरामा मन्दिर, विट्ठल मन्दिर, नृसिंह मन्दिर आदि दर्शनीय हैं।

बीजापुर : बंगलौर से ६६४ कि० मी० दूर बीजापुर आदिलशाह राजवंश का प्राचीन नगर है। यहां की जामा मस्जिद, इब्राहिम रौजा, मोहम्मद आदिलशाह का मकबरा, गोल गुम्बद आदि मुगल शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं।

केरल

तिरुअनन्तपुरम् (त्रिवेन्द्रम्) : यह रोम की तरह पहाड़ी पर बसा हुआ सुन्दर शहर है। नगर में अनन्तनाग मन्दिर, पद्मनाभास्वामी मन्दिर, चित्रालयम (आर्ट गैलरी), चिड़िया-घर एवं म्यूजियम दर्शनीय हैं।

कालडि (त्रिचूर) : आद्य शंकराचार्यजी का जन्म स्थान।

क्विलोन : त्रिवेंद्रम से ७१ कि० मी० उत्तर में स्थित क्विलोन में ही सन् १३३० ई० में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के मुखिया पोप का पहला प्रतिनिधि पहुंचा था। क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक नारियल के घने वृक्षों से घिरा जलमार्ग पर्यटकों को नया अनुभव देता है।

अलेप्पी : इसे नहरों के जाल के कारण भारत का वेनिस कहते हैं। काली मिर्च की खेती और नारियल की जटाओं के सामान का निर्माण प्रमुख धंधे हैं।

पेरियर संरक्षित वन : भारत के वन्य जीवन की सर्वोत्तम झांकी इस वन में देखने को मिलती है। हाथी, हिरण, जंगली भैंसें और बाघ यहाँ स्वच्छन्द विचरण करते दिखाई देते हैं।

कोचीन : अठारह शताब्दी पहले चीन के व्यापारी कोचीन आते थे। यहाँ यहूदियों का प्राचीन मंदिर और डच शासकों द्वारा बनाया गया महल दर्शनीय हैं।

त्रिचूर : कोचीन से ७४ कि० मी० दूर स्थित त्रिचूर केरल का सबसे फैशनेबल नगर समझा जाता है। रेंगने वाले जीवों के कारण यहां का चिड़ियाघर प्रसिद्ध है।

आंध्र प्रदेश

तिरुपति : यहां श्री बालाजी (श्री व्यंकटेश) का प्रख्यात मंदिर है। अत्यन्त विशाल व प्राचीन इस मंदिर की दक्षिण में भारी मान्यता है।

श्री शैलम् (कुर्नूल) : यह ज्योतिर्लिंगों में से एक है।

लेपाक्षी : विजयनगर साम्राज्य कालीन मंदिर कलात्मक हैं।

कालहस्ति (चित्तूर) : यहां प्रख्यात शैव तीर्थ हैं।

हैदराबाद : इसका प्राचीन नाम भाग्यनगर था। यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहाँ की चार मीनारें व सालारजंग म्यूजियम दर्शनीय हैं।

दिल्ली

भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली का विशेष महत्व है। यह सन् १९११ ई० से भारत की राजधानी है। यमुना तट पर बसा हुआ यह विशाल नगर पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र है। लालकिला, जामामस्जिद, हुमायूं का मकबरा, पांडवों का किला, कुतुबमीनार, बिरला मंदिर, चिड़ियाघर, नेहरू संग्रहालय, गुड़ियाघर आदि दर्शनीय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थल हैं। कुतुबमीनार के पास पुष्करणवंशी चंद्रवर्मा द्वारा निर्मित लोहस्तम्भ ऐतिहासिक स्तम्भ है।

प० बंगाल

कलकत्ता : यह भारत के बड़े नगरों में से है। यहां भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलाजिकल गार्डन, सबसे बड़ा संग्रहालय कलकत्ता म्यूजियम तथा सबसे बड़ा पुल हावड़ा ब्रिज है। काली का प्रसिद्ध मन्दिर, रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर मन्दिर तथा स्वामी विवेकानन्द का बेलूर मठ दर्शनीय हैं।

नवद्वीप : भागीरथी गंगा के तट पर चैतन्यमहाप्रभु की लीलाभूमि।

गंगासागर : भागीरथी गंगा यहाँ समुद्र में मिली हैं। कपिल मुनि का आश्रम तथा मन्दिर हैं।

शांतिनिकेतन : विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

हिन्दी प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य रु० पैसे	डाक व्यय रु० पैसे
कपास	१२-००	३-००
मुर्गी पालन	१०-००	३-००
भेड़ पालन	७-५०	२-५०
भारत के किसान	४-५०	३-००
फार्म प्रबन्ध नयी दिशाएं	३-३०	१-५०
भारतीय कृषि ज्ञान कोष	६-२५	४-००
भारत में कृषि और पशुपालन	५-५०	४-००
उर्वरक और खाद	७-५०	४-००
पशु पालन विज्ञान भाग-१	३-५०	४-००
पशु पालन विज्ञान भाग-२	३-५०	४-००
सुहावने उद्यान	१६-५०	५-००
जैविक खाद	२-७०	१-५०
संकर मक्का	१-४०	१-५०
कृषि चयनिका	२-००	१-५०

प्रकाशन मंगाने का पता :

व्यवसाय प्रबन्धक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली-११०००१.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ९ :

राष्ट्रीय मानबिन्दु

हमारा राष्ट्रीय चिन्ह—सारनाथ में अशोक-निर्मित सिंह-स्तम्भ है। भारत सरकार ने २६ जनवरी १९५० को इसकी घोषणा की। राजचिन्ह में तीन सिंह दिखाई देते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में उपनिषद् का एक वाक्य **'सत्यमेव जयते'** अंकित है।

राष्ट्रीय ध्वज—२२ जुलाई, १९४७ को विधानपरिषद् ने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत किया। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में यही झंडा फहराया गया था। इसमें लाल, पीला और हरा रंग था। श्रीमती कामा और उनके साथी क्रांतिकारियों ने पेरिस में भी इसी तरह का झंडा फहराया था। १९१७ में लोकमान्य तिलक ने होमरूल आन्दोलन के सिलसिले में झंडा फहराया। गांधीजी ने १९२१ में तिरंगा झंडा स्वीकार किया। यही विधानपरिषद् ने माना। केवल चर्खे की जगह चक्र कर दिया। यह झंडा आयताकार तीन पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य श्वेत और नीचे हरा रंग है। श्वेत पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भ वाले धर्मचक्र की बनावट का है।

राष्ट्रीय ध्वज के नियम : ध्वज फहराने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। यह ध्वज सर्वोपरि रहना चाहिए। इसके दाहिने ओर इसके ऊपर कोई अन्य ध्वज नही फहराया जा सकता। ध्वज को लिटाकर या झुकाकर कहीं न ले जाया जाए। जुलूस में डंडा ध्वजवाहक के दायें कन्धे पर रहना चाहिए। मकान आदि पर डंडे आदि के सहारे फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए। यह सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, महात्मा गांधी का जन्मदिन व अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज या उससे मिलते-जुलते ध्वज का उपयोग व्यापार, व्यवसाय, पेटेंट आदि में बगैर केन्द्रीय सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता। ऐसा करना अपराध है।

राष्ट्रगान—रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'जन-गण-मन-अधिनायक जय हे' २४ जनवरी १९५० को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गान पहली बार २७ दिसम्बर,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९११ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गान के पांच अंश हैं। प्रथम अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है, जो इस प्रकार है—

जन-गण-मन-अधिनायक, जय हे
भारत-भाग्यविधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा-उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

राष्ट्रीय गीत—उसी समय राष्ट्रीय गीत भी स्वीकार किया गया, और यह निर्णय हुआ कि बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित गीत 'वन्दे मातरम्' को राष्ट्रगान का दर्जा दिया जाए। यह गीत राष्ट्रीय आन्दोलन में एक महान् प्रेरणा-स्रोत रहा। इसे बंकिम के उपन्यास 'आनन्द मठ' से लिया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १८९६ के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। गीत इस प्रकार है—

वन्दे मातरम्
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्
शुभ्र ज्योत्स्ना-पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्

राष्ट्रीय पक्षी—भारत सरकार ने १९६४ में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १० :

भारत का परमाणु परीक्षण व अंतरिक्ष में प्रवेश

भारत ने १९७४ वर्ष के दौरान सफल आणविक परीक्षण करके तथा १९७५ में अन्तरिक्ष में आर्यभट्ट भेजकर विज्ञान के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की उससे तमाम संसार आश्चर्यचकित है।

भारत विश्व का पहला राष्ट्र है, जिसने अपना पहला परमाणु विस्फोट भूमि के अन्दर किया। यह विस्फोट १८ मई, १९७४ को भारतीय समयानुसार सुबह ८ बजकर ५ मिनट पर पोखरण (राजस्थान) में १०० मीटर से अधिक गहराई पर किया गया तथा इसमें अंत:स्फोट की प्रणाली का उपयोग किया गया।

सभी अणुशक्ति राष्ट्रों—अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने परमाणु विस्फोट के सिलसिले में परम्परागत क्रम का पालन किया अर्थात् पहले वायुमंडल में परमाणु विस्फोट, फिर अणु-आयुधों में पूर्णत: और तब भूमिगत विस्फोट।

यह विस्फोट शतप्रतिशत भारतीय प्रयास था तथा इसमें प्रयुक्त प्लूटोनियम भारत में ही तैयार किया गया था। इसके लिए अलग से कोई बजट-व्यवस्था नहीं की गयी थी तथा इसको अनुसंधान व विकास के निर्धारित बजट में ही पूरा किया गया। इस परीक्षण के लिए न तो विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी और न ही किसी अन्य देश का सहारा लेना पड़ा।

प्लूटोनियम और विखण्डन (फिश्त) को पूर्णतया भारतीय तकनीक के उपयोग से किया गया। यह शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट चट्टानों से सम्बन्धित गति विज्ञान तथा नहरें, जलाशय आदि के निर्माण में परमाणु विस्फोट के उपयोग के बारे में अध्ययन करने की दृष्टि से किया गया।

इस परीक्षण का एक और उद्देश्य कमी वाले क्षेत्रों में पृथ्वी के गर्भ में छिपे गैस और तेल को ऊपर की ओर लाने की संभावनाओं का अध्ययन करना भी था। परमाणु विस्फोटों से अन्य तरीकों की अपेक्षा इस दिशा में काफी सहायता मिलती है।

अंत:स्फोट प्रणाली में एक पात्र में प्लूटोनियम के कई टुकड़े एक-दूसरे से अलग करके रखे जाते हैं। एक रासायनिक विस्फोट द्वारा इन टुकड़ों को साथ-साथ लाते हैं जिससे एक विस्फोटक पिण्ड बन जाता है जो परमाणु विस्फोट के लिए आवश्यक होता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परमाणु बम और परमाणु साधन में अन्तर है। परमाणु बम का उद्देश्य विनाश होता है। अत: इसमें रेडियो धर्मिता को नियंत्रित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता जबकि परमाणु साधन का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

विस्फोट के एक घंटे बाद ही परीक्षण स्थल की भूमि से ३० मीटर ऊंचाई पर हैलीकोप्टर से की गई जांच से पता चलता है कि विस्फोट के परिणामस्वरूप कोई उल्लेखनीय रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई है। परीक्षण के डेढ़ घंटे बाद ही वैज्ञानिकों का एक दल परीक्षण स्थल के ३०० मीटर समीप तक पहुँच गया था।

परमाणु अस्त्रों और परमाणु शक्ति के बारे में भारत में भिन्न परम्परा रही है। १२ मार्च, १९५४ को डा० भाभा ने टाटा ट्रस्ट के पास मौलिक शोध संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजते हुए भविष्यवाणी की थी कि जब बिजली के उत्पादन में परमाणु शक्ति का सफल व्यवहार किया जा चुका है, तब अब से कुछ दशक बाद भारत को विशेषज्ञों के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि विशेषज्ञों का दल भारत में ही तैयार हो जाएगा।

डा. भाभा की भविष्यवाणी

१९५४ में जेनेवा में प्रथम 'शान्ति के लिए परमाणु' सम्मेलन में डा० भाभा ने भविष्यवाणी की थी कि अगले बीस वर्षों में द्रवण शक्ति का उद्भव होगा। एशिया में भारत ने चीन और जापान से भी पहले १९५६ में प्रथम अनुसंधान रिएक्टर 'अप्सरा' की स्थापना की थी। इसी प्रकार, प्लूटोनियम अलग करने की पहली सुविधा की स्थापना १९६४ में ही देशी साधनों के आधार पर की गई थी।

हमारे पास थोरियम के विशाल भंडार हैं, जबकि यूरेनियम के भंडार सीमित हैं। हमारी औद्योगिक अवस्थापना पर्याप्त विकसित नहीं थी कि उसके आधार पर एक विस्तृत परमाणु कार्यक्रम शुरु किया जा सकता! एक ओर तो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति है, वहीं दूसरी ओर यह तथ्य भी है कि प्रधान औद्योगिक शक्तियां अन्य देशों में परमाणु उद्योग के विकास के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए जानबूझकर भारी पानी प्राकृतिक यूरेनियम रिएक्टर से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तक के लिए आत्मनिर्भर विकास नीति अपनाई गई। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम को फिसाडल यूरेनियम २३३ में बदलेगा और इस प्रकार से हमारा देश परमाणु शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहेगा। विकास की इन सभी अवस्थाओं में भारत ने बड़ी दूरदर्शिता दिखाई है।

शांतिपूर्ण उपयोग

टाटा मौलिक शोध संस्थान की स्थापना से परमाणु शक्ति का विकास हुआ और जब रचनात्मक कार्यों के लिए शान्तिपूर्ण विस्फोटों का सामान्य रूप से उपयोग होने लगेगा तब हम अमरीकियों, रुसियों और चीनियों पर इस बात के लिए निर्भर नहीं रहना चाहेंगे कि वे ऐसी परियोजनाएं हमारे देश में आरम्भ करें। उस समय तक हम आशा करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अच्छी तरह सुशिक्षित हो जायेंगे और विश्व की नवीनतम तकनीक से अवगत हो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जायेंगे। यह जानते हुए कि इस तकनीक के विकास में १५-२० वर्ष लग जायेंगे, भारत ने इसके लिए अभी से प्रयास आरम्भ कर दिये हैं।

दिसम्बर, १९७१ तक अमरीका और सोवियत संघ ने क्रमशः १४ और १७ भूमिगत विस्फोट किए थे और वे सब शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्यों के लिए थे। उस वक्त इन दोनों देशों ने क्रमशः १० और १७ और ऐसे विस्फोट करने की योजना बनाई थी। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इन विस्फोटों का परीक्षण किया जा चुका है—नहरों की खुदाई, भूमिगत भंडारण, प्राकृतिक गैस उद्दीपन, भूमिगत खनन, भूस्खलन बांध, जलकुण्ड तेल उद्दीपन, गैस के कुएं में आग बुझाना आदि।

भारत के इस सफल आणविक परीक्षण से चीन, पाकिस्तान व अमेरिका आदि देश बौखला उठे तथा भारत के विरुद्ध खुला कुप्रचार शुरु कर दिया गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति श्री भुट्टो ने इसे पाकिस्तान के लिए खतरा बताकर विषवमन किया तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने २२ मई १९७४ को श्री भुट्टो को लिखे पत्र में आश्वासन दिया कि—

"हम अपने परम्परागत परमाणु ऊर्जा साधनों का विकास केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने पर दृढ़ हैं। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हाल में किये गए इस भूमिगत परमाणु प्रयोग से हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह भूमिगत परीक्षण नियंत्रित स्थिति में किया गया है तथा इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में इस्तेमाल करना है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने प्राकृतिक साधनों के विकास करने का अधिकार है और यह इस समय और भी आवश्यक है। विश्व में कच्चे माल तथा ऊर्जा के संकट से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमारे जीवित रहने के लिए हर प्रकार के ऊर्जा साधनों का पता लगाना अनिवार्य है। भारत ने परमाणु अनुसंधान में परमाणु टेक्नोलाजी के विकास के लिए काफी प्रगति की है। इसका उद्देश्य इसे देशी साधनों के उपयोग तथा शान्तिपूर्ण और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में लगाना है। हमने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिए विभन्न देशों के साथ सहयोग किया है।"

'आर्यभट्ट' अन्तरिक्ष की ओर

१९ अप्रैल १९७५ को भारत ने आर्यभट्ट नाम का अपना पहला उपग्रह बाह्य आकाश में छोड़ा। यह उपग्रह हर ९६ मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर रहा है। गत वर्ष (१८ मई १९७४) को भारत ने पहला अणु विस्फोट किया था। इन दो सफलताओं से भारत आज के वैज्ञानिक युग की प्रथम श्रेणी में आ खड़ा हुआ है और अनेक देश भारतीय उपलब्धियों को आदर और अचरज से देख रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़कर भारत ने क्या केवल शक्ति-प्रदर्शन किया है या कि इससे कुछ लाभ भी होने वाला है? क्या इससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर बन सकेगी? इतना धन सामरिक महत्व के हथियार बनाने या शिक्षा के प्रसार पर खर्च किया जाता तो क्या बेहतर न रहता? आदि-आदि।

पहला प्रश्न यह उठता है कि **अंतरिक्ष खोज क्यों जारी है?** इसका सीधा-सादा जवाब यह है कि अंतरिक्ष की खोज भी धरती पर बेहतर जिंदगी की खोज का एक हिस्सा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपग्रह क्या होता है ?

एक ग्रह के इर्द-गिर्द घूमने वाली वस्तु को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी से पहला उपग्रह सोवियत संघ ने ४ अक्तूबर १९५७ को छोड़ा था। इसका नाम था स्पूतनिक-१। तब से अब तक फुटबाल के आकार से लेकर अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काइलैब) तक छोटे-बड़े कई उपग्रह छोड़े जा चुके हैं।

हमारे उपग्रह का नाम प्राचीन भारत के एक बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषशास्त्री और गणितशास्त्री थे। उनका जन्म ४७६ ईस्वी में पाटलिपुत्र (पटना) के कुसुमपुरा में हुआ था। जब वह अभी २३ वर्ष के ही थे, उनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तक 'आर्यभट्टीय' प्रकाशित हुई। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी तथा चंद्रमा आदि विभिन्न खगोल पिंड किसी चुंबकीय शक्ति के कारण एक दूसरे से संबद्ध हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट ही आधुनिक बीजगणित के प्रवर्त्तक थे। त्रिकोणमितीय क्रिया-कलापों की पहली बुनियादी परिभाषा भी आर्यभट्ट ने ही दी और शून्य के महत्व को बताने वाले भी वही थे। उन्होंने ही पहली बार π (पाई) का दशमलव के चार स्थानों तक सही मूल्य निर्धारित किया था।

आर्यभट्ट उपग्रह का वजन और शक्ल !

पहले स्पूतनिक के मुकाबले में आर्यभट्ट काफी बड़ा है। यह एक बहुत बड़ी गेंद की तरह है जिसकी शक्ल हीरे से मिलती है। इसकी २६ सतहें हैं। इसका वजन ३६० किलोग्राम और लंबाई १·६ मीटर और व्यास १·२ मीटर है।

आर्यभट्ट में जिस प्रकार की तकनीकी सामग्री ऊपर भेजी गई है, उससे तीन प्रकार के प्रयोग संभव हो सकेंगे। पहला, अंतरिक्ष में एक्स-रेज (किरणों) को ढूंढ़ना। जो सूर्य और तारे हम देखते हैं, उनसे प्रकाश आता है। लेकिन कुछ तारे हमें दिखाई नहीं देते। फिर भी बहुत तेज किरणें कहीं से आ रही हैं। ऐसी-ऐसी तेज किरणें पृथ्वी की ओर आ रही हैं कि वे अपने 'पद-चिन्ह' छोड़ जाती हैं। कोलार की सोने की खुदानों में इन किरणों के निशान इस तरह पाये गये हैं जिस तरह रेत में किसी जानवर के पांव के निशान। किसी को नहीं मालूम कि ये किरणें कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, कहां चली जाती हैं। हम इसका पता लगाएंगे। इन एक्स-रेज या अनजान किरणों को अब देखा और नापा जा सकेगा। दूसरा प्रयोग शक्तिशाली न्यूट्रोन और गामा किरणों को पहचानने का होगा। तीसरे प्रयोग में आयन मंडल (आयनोस्फीयर) में इलेक्ट्रोन और अल्ट्रा-वायलेट रेडियेशन का पता लगाया जायेगा।

कंट्रोल टावर में संदेश कैसे प्राप्त होते हैं ?

जैसे रेडियो सुनने के लिए एरियल लगाते हैं, बिलकुल उसी तरह उपग्रह से संदेश प्राप्त करने के लिए एरियल लगाये जाते हैं। क्योंकि उपग्रह के संदेश दूर से आने के कारण काफी धीमे होते हैं, इसलिए तश्तरी (डिस्क) जैसे एरियल भी लगाये जाते हैं। आर्यभट्ट के संदेश 'बीप-बीप' की आवाज में आते हैं और इन्हें किसी भी अच्छे रेडियो सैट पर १३६ मेगासाइकल पर सुना जा सकता है। लेकिन ये संदेश तभी आते हैं जब श्रीहरिकोट या मास्को से बटन दबा कर संदेश भेजने का आदेश दिया जाता है।

आर्यभट्ट, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोट भू-केन्द्र और मास्को के पास बीयर्स लेक केन्द्र पर संकेत भेज रहा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आर्यभट्ट को शक्ति कहां से मिलती है ?

आर्यभट्ट सूर्य की किरणों को बिजली में परिवर्तित कर लेता है। इससे उसकी बैटरियां भी चार्ज हो जाती हैं। जब आर्यभट्ट पृथ्वी के उस हिस्से में होता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं होती, तब यही बैटरियां उसको शक्ति प्रदान करती हैं। जिस प्रकार आर्यभट्ट के लिए सूर्य ऊर्जा (सोलर एनर्जी) को बिजली (इलैक्ट्रिक एनर्जी) में बदला जा रहा है, उसी तरह आगे चलकर सूर्य की शक्ति से पृथ्वी पर बहुत से उद्योग चलाने में भी सहायता मिलेगी।

हमारे उपग्रह का जीवन-काल कितना है ?

यह उपग्रह छः महीने तक ठीक संदेश भेजता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी कक्षा में रहेगा। यह कुल दो साल तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। आम भाषा में कहा जा सकता है कि तब इसका तेल खत्म हो चुका होगा। आर्यभट्ट में ठूंस-ठूंस कर भरे हुए नाइट्रोजन गैस के छः सिलेंडर हैं। आमने-सामने लगे नोज़ल से निकलने वाली गैस की वजह से उपग्रह एक मिनट में पचास चक्कर लगाता रहता है। परिक्रमा में रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। लेकिन जब यह गैस खत्म हो जाएगी, तब आर्यभट्ट एक बच्चे के खिलौने की तरह गिर पड़ेगा। यह बिलकुल इस तरह है जैसे एक लट्टू जब तक घूमता रहता है, वह हथेली या ज़मीन पर सीधा खड़ा रहता है, लेकिन ज्यों ही उसका घूमना बंद हुआ, वह गिर पड़ता है।

यह सही है कि हमारे देश में थुंबा में राकेट छोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन भारत के पास ऐसा बूस्टर राकेट नहीं है जो वज़नी आर्यभट्ट को पृथ्वी की परिक्रमा के लिए बाह्य आकाश में धकेल सकता। इस काम के लिए २९,००० मील प्रति घंटे (चुटकी बजाते, यानी एक सैकंड में आठ मील) की रफ्तार की जरूरत होती है। आशा है कि भारत स्वयं भी जल्दी ही ऐसे राकेटों का निर्माण कर लेगा।

इस पर कुल खर्च ढाई करोड़ रुपये के लगभग आया है। लेकिन इसमें ३५ लाख रुपये केवल वेतन-भत्तों आदि के रूप में दिए गये।

इस योजना-कार्य में लगभग ३०० लोगों ने हाथ बटाया। इन सब की औसत आयु तीस साल से कम है। पौने दो सौ से अधिक वे युवक हैं जो अभी तीन-तीन, चार-चार साल पहले ही विश्वविद्यालयों या इंजीनियरी संस्थाओं से निकल कर आये हैं।

इस तरह के उपग्रहों का लाभ क्या होगा ?

अपना देश बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी देश में जो पिछड़ापन है, उसका कारण है अज्ञान। अगर अच्छी खेती नहीं होती और भरपूर अनाज नहीं मिल रहा है, या आबादी बहुत बढ़ रही है, या लोगों को मत क्यों देना चाहिए, या मिलकर क्यों रहना चाहिए यह बताना है तो इन सब के लिए शिक्षा की जरूरत है जो विज्ञान की सहायता से ही जल्दी संभव हो सकती है। अगर इतने बड़े देश को विज्ञान देना है, शिक्षा देनी है तो यह सब जल्दी-जल्दी करना होगा। इसके लिए उपग्रह बहुत सहायक हो सकते हैं। दूसरे, उपग्रह की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मदद से हम यह देख सकते हैं कि खेती कहां-कहां हुई है। पिछले साल से ज्यादा हुई है या कम, कहां-कहां धातुएं मिलेंगी, जमीन के नीचे पानी कहां है, अगर बाढ़ आ जाती है तो उसका रूप क्या है, उससे कितना नुकसान हो रहा है, कहां इसे बांधा या मोड़ा जा सकता है ? थोड़े शब्दों में, राष्ट्रीय संपत्ति की जानकारी, खेती की देखभाल, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार—इन सबके लिए उपग्रह काम आते हैं।

इसी प्रकार मानसून का पता लगाया जा सकता है। हमारी सारी अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून देर से आये तो पक्षी बीज खा जाते हैं। अगर जल्दी आ जाए तो बीज बोने का काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए यह जानकारी भी हमारे बड़े काम की होगी।

राष्ट्र के खनिक

— लौह धातु का खनन १९५८ से ही हमारा मुख्य व्यवसाय रहा है।

— १९५८ में हमने सबसे पहले जापान की धमन भट्टियों को लौहधातु की सप्लाई करने की दृष्टि से अपनी प्रथम मशीनी लौहधातु खान के लिए स्थान प्राप्त करने हेतु किरीबुरु पहाड़ियों में पेड़ काटने शुरु किये थे।

— इस समय किरीबुरु का लोहा विशाल बोकारो संयंत्र की आवश्यकता पूरी करता है।

— तबसे हमने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा।

— बेलादिला की वृक्ष पंक्तियाँ भी तेजी से समाप्त हो रही हैं, जिससे बस्तर के आदिवासियों की सुखसमृद्धि और राष्ट्र के लिये विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिये मार्ग प्रशस्त हो गया है। विदेशी मुद्रा अर्जकों में हमारा स्थान छठा है।

— "दोनीमलाई" और "मेघहातूबुरु" की खानें तैयार हो रही हैं और दूसरी 'बेलादिला' भी। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इनके नाम हर व्यक्ति की जबान पर होंगे।

— अधिक इस्पात, अच्छा इस्पात और सस्ता इस्पात बनाने के लिये हमारी लौह धातु के पेलेट बनाये जायेंगे।

— १९६९ में हमें जो निर्यात-पुरस्कार मिला था वह हमारे निर्यात कार्य की श्रेष्ठता का प्रमाण था। इससे हमें अधिकाधिक उपलब्धियों तथा राष्ट्र के खनिक बनने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
(स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की सहायक)
मुकर्रमजाही रोड, हैदराबाद-५००००१ (आंध्र प्रदेश)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ११ :

भारत की शासन व्यवस्था

संविधान

स्वाधीन भारत का संविधान तैयार करने के लिए १९४६ में संविधान सभा का निर्माण प्रख्यात विधिवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी डा० सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। उनके अस्वस्थ हो जाने के बाद देशरत्न डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

१९४६ के चुनाव से बनी प्रान्तीय सभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों और केन्द्रीय सभा (असेम्बली) के सदस्यों को मिलाकर निर्मित 'संविधान सभा' ने, २९ अगस्त, १९४७ को डा० भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक समिति स्वाधीन भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बनायी थी। सर्व श्री गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, टी० टी० कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, एन० माधव राव और डी०पी० खेतान उसमें सम्मिलित थे। समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने में कुल १४१ दिन लगे। उस पर सारे देश में सूक्ष्म विचार के लिए आठ महीने का समय दिया गया।

संविधान सभा ने ४ नवम्बर, १९४८ को इस पर विचार प्रारम्भ किया और ११४ दिनों की बहस के बाद २६ नवम्बर, १९४९ को संविधान स्वीकार कर लिया। उसमें ३९५ अनुच्छेद व ९ अनुसूचियां थीं। २४ जनवरी, १९५० को प्रारम्भ हुए संविधान सभा के १२वें सत्र में डा० राजेन्द्रप्रसाद, सर्वसम्मति से भारत संघ के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। एक विशाल समारोह में भारत के संविधान की अधिकृत प्रतियों पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और २६ जनवरी, १९५० में यह संविधान लागू हुआ।

संविधान का उद्देश्य भारत में सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है। इसकी उद्देशिका में कहा गया है, "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्य और प्रदेश: भारत राज्यों का संघ है। भारत में निम्नलिखित २२ राज्य हैं: (१) असम, (२) आन्ध्र, (३) उत्तर प्रदेश, (४) उड़ीसा, (५) केरल, (६) जम्मू-कश्मीर (७) गुजरात, (८) नागालैंड, (९) पंजाब, (१०) पं० बंगाल, (११) बिहार, (१२) महाराष्ट्र, (१३) तमिलनाडु, (१४) मध्यप्रदेश, (१५) कर्नाटक*, (१६) राजस्थान, (१७) हरियाणा, (१८) हिमाचल प्रदेश, (१९) मेघालय, (२०) त्रिपुरा, (२१) मणिपुर तथा (२२) सिक्किम।

संघ राज्य क्षेत्र ९ हैं: दिल्ली, लक्ष द्वीप समूह, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पांडीचेरी, गोआ- दमन-दीव, दादरा, नगर हवेली, चंडीगढ़, मिजोराम और अरुणांचल। १९५६ ई० से पूर्व राज्य ४ श्रेणी में (क, ख, ग, घ,) विभक्त थे।

मेघालय राज्य और अरुणांचल एवं मिजोराम के केन्द्र शासित क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम. १९७१ के द्वारा निर्मित किये गये।

संविधान की विशेषताएं

(१) भारत का संविधान लिखित है। यह विश्व का वृहद्तर संविधान है। इसमें संघ तथा इकाइयों की सरकारों का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति और उनके आपसी सम्बन्ध, व्यक्ति के अधिकार आदि विषयों की विशद व सूक्ष्मतम व्याख्या की गई है। इसके २२ भागों में कुल ३९५ अनुच्छेद एवं ९ अनुसूचियां हैं।

(२) इसमें एक सम्पूर्ण प्रभसत्ता सम्पन्न गणराज्य की व्यवस्था की व्यवस्था की गई है संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित अंतिम पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान सर्वसाधारण द्वारा निर्मित है तथा सार्वभौम शक्ति जनता के ही हाथों में है। सरकार का उद्भव प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होता है। यह जनता के नाम पर निर्दिष्ट तथा संस्थापित है अतः इसमें लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। राज्य का प्रधान (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, इस कारण भारतीय संविधान के अनुसार गणराज्य की भी स्थापना हुई है।

(३) संविधान भारत के लिए एक संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है, परन्तु आपात स्थिति में यह एकात्मक सरकार का उपबन्ध करता है। संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों की शक्ति का स्पष्टतः विभाजन किया गया है। इसमें शक्तियों की तीन सूचियां दी गई हैं। संघीय सूची में ९७ विषय हैं जिसके सम्बन्ध में केवल संसद विधि निर्माण कर सकती है। राज्य-सूची में ६६ विषय हैं जिनके अनन्तर केवल विधान मण्डल ही कानून बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची में ४७ विषय दिये गये हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं परन्तु केन्द्र व राज्य विधान मंडलों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद के मत को ही मान्यता दी जायेगी।

(४) संविधान द्वारा कार्यपालिका को विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अतः संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान के अन्तर्गत केन्द्र में द्वि-सदनीय संसद की व्यवस्था निश्चित की गई। राज्यों के लिए दो सदन अनिवार्य नहीं। यह पूर्णतः उनकी इच्छा व आवश्यकता अनुभव करने पर निर्भर है। केन्द्र में दो सदन—लोकसभा व राज्यसभा हैं। राज्यों में प्रायः दो सदन हैं, पर कुछ राज्यों में विधान परिषद को १९७०-७१ में समाप्त कर दिया गया।

---

*पहले इसका नाम मैसूर था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(५) भारत के सभी नागरिकों को, बिना धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म-स्थान के भेद-भाव के कुछ अधिकार प्रदान किए गये हैं। संविधान में मूल अधिकारों को सात समूहों में रखा गया है। नागरिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। राज्यों पर यह पाबन्दी है कि वह ऐसा कोई कानून न बनायें जिसके कारण नागरिक अधिकारों में कटौती हो।

(६) संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद ३८ से ५१ तक राज्य को कुछ आदेश दिये गये हैं जिन्हें राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व कहा जाता है। ये निर्देश राष्ट्र के प्रशासन में बुनियादी महत्त्व के माने गये हैं। इन आदेशों का अनुपालन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक नहीं क्योंकि न्यायालय के माध्यम से सरकार पर इन आदेशों के अनुपालन का दबाव नहीं डाला जा सकता। इन आदेशों में आर्थिक और प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, नागरिकों को रोजी, शिक्षा और कुछ मामलों में सरकारी सुरक्षा पाने का अधिकार दिये जाने, समान नागरिक संहिता बनाने, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का आदेश प्रमुख है।

(७) संविधान की व्याख्या करने, नागरिकों को न्याय दिलाने तथा केन्द्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों आदि को निपटाने के लिए संविधान ने एक स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्याय-पालिका की व्यवस्था की है।

(८) भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है।

(९) इस संविधान में लचीले व कठोर गुणों का अद्‌भुत सम्मिश्रण है। न तो यह इस मात्रा में लचीला है कि कार्यपालिका के हाथों का खिलौना ही बन जाये और न ही इतना कठोर कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन ही न किया जा सके।

(१०) संघीय शासन प्रणाली में दुहरी नागरिकता के गुण भी होते हैं—नागरिक सम्पूर्ण संघ के साथ-साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है। परन्तु भारत में एकल नाग-रिकता ही प्रदान की गई है। सभी भारतीय मात्र संघ के नागरिक हैं।

नागरिकता

भारतीय नागरिकता विषयक साफ प्रश्नों के बारे में संविधान के भाग २ में (अनु-च्छेद ५ से ११ तक) उपबन्ध किया गया है। इसके अनुसार एकल तथा समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार संविधान लागू होने के दिन, २६ जनवरी, १९५०, को प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास था, तथा जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ था, अथवा जिसके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, अथवा जो इसके लागू होने के ठीक पूर्व कम से कम ५ वर्ष तक भारत में समान्यतः निवासी था, भारत का नागरिक होगा। उपरोक्त नियम के अतिरिक्त जो व्यक्ति १९ जुलाई, १९४८ से पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर आया है, वह भारत का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह अनुच्छेद की अन्य शर्तों को पूरा करता है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, यदि वे भारत के विदेश स्थित राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा दें। दिसम्बर, १९५५ में एक नाग-रिकता अधिनियम पारित किया गया जिसमें नागरिकता के अर्जन (प्राप्ति), हानि (छीनने), परित्याग आदि की शर्तें दी गई हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मूल अधिकार

प्रत्येक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें मौलिक समझा जाता है। इन अधिकारों का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के हितों में संतुलन लाना होता है। संविधान के तीसरे अध्याय में (अनुच्छेद १२ से ३५ तक) ये अधिकार प्रदत्त किये गए हैं। हालांकि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुल उतने ही अधिकार नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि संसद मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है। किन्तु संविधान में यह प्रावधान भी है कि राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों को विलम्बित किया जा सकता है।

संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को ७ वर्गों में बांटा गया है—

समता का अधिकार : इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र में, समता के अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष धर्म, मूल-वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव न बरतने की एवं राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सबों के लिए समता की व्यवस्था है। साथ ही, सार्वजनिक होटलों, भोजनालयों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान घाटों एवं सार्वजनिक समागम स्थान का सभी नागरिक उपयोग करने के अधिकारी हैं।

स्वातंत्र्य अधिकार : इसके अन्तर्गत नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, शान्तिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, देश भर में सर्वत्र अबाध भ्रमण-संचरण का, किसी भी स्थान पर निवास का, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विषय में कतिपय संरक्षण दिये गए हैं। प्राण और दैहिक स्वाधीनता भी संरक्षित है। कुछ अवस्थाओं में बंदीकरण और नजरबंदी से भी संरक्षण दिया गया है। किन्तु इन सभी अधिकारों पर युक्तियुक्त बन्धन लगाए जा सकते हैं। युक्तियुक्तता का निर्णय विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय ही कर सकते हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार : इस अधिकार के द्वारा प्राणियों का व्यापार (जिसमें अनैतिक कार्यों के लिए स्त्रियों का व्यापार भी सम्मिलित है) एवं बलपूर्वक काम कराना निषिद्ध कर दिया गया है। ऐसा करने वाले दंडित हो सकते हैं परन्तु राज्य सार्वजनिक हित में 'अनिवार्य सेवा' करा सकता है। १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं किसी अन्य संकटमय नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता।

धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार : इसके अन्तर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता का उल्लंघन न करते हुए व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार : नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। उसे राज्य द्वारा पोषित एवं राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश पाने के लिए धर्म, मूल, वंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का भी अधिकार है।

सम्पत्ति संबंधी अधिकार : कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को बिना प्रतिकर (मुआवजा) दिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता। पर संविधान के २५वें संशोधन के द्वारा मुआवजा शब्द को हटाकर 'राशि' बना दिया गया है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार : डा० अम्बेडकर के शब्दों में 'यह अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है।' इसके द्वारा नागरिकों को, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी सर्वोच्च न्यायालय या संसद द्वारा अधिकृत किसी अन्य न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये न्यायालय निदेश, आदेश तथा समादेश पत्र जारी कर नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं।

राज्य के निर्देशक तत्व

संविधान में कतिपय सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के सिद्धान्तों को सम्मिलित किया गया है, जिनके शक्ति भर पालन की आशा, राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से की गई है। इन सिद्धान्तों का उद्देश्य आर्थिक लोकतन्त्र की प्राप्ति है। उसका विवरण इस प्रकार है—

(१) राज्य, लोक कल्याण की उन्नति के हेतु ऐसी सामाजिक-व्यवस्था बनायेगा और उसका ऐसा संचालन करेगा, जिसमें समान रूप से सभी नर-नारी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हों, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति और साधनों का स्वामित्व और उस पर नियंत्रण, इस प्रकार बंटा हो कि वह सामूहिक-हित का साधन हो आर्थिक प्रणाली ऐसी हो जिसमें धन और उत्पादन के साधन आम लोगों के हित के विरुद्ध केन्द्रित न हों; श्रमिकों की शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और इन्हें विवश होकर ऐसा काम न करना पड़े जो उनकी शक्ति के अनुकूल न हो।

(२) राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

(३) राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार सब को काम और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलाए और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व अपाहिजपन की अवस्था में सबको वित्तीय सहायता दे।

(४) राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

(५) राज्य श्रमिकों को काम, निर्वाह योग्य मजूरी, शिष्ट और उन्नत जीवन स्तर बनाने की दृष्टि से उपयुक्त कानून और व्यवस्था बनाने का, विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को, वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही वह श्रमिकों को अवकाश के उपभोग की दृष्टि से सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर भी प्रदान करेगा।

(६) भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता (सिविल कोड) बनाने का प्रयास करेगा।

(७) राज्य, १४ वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।

(८) राज्य, जनता के दुर्बलतर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ-संबंधी हितों की उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(९) राज्य, नागरिकों को पौष्टिक आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिये भरसक प्रयास करेगा।

(१०) राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषत: गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और संवर्धन के लिए तथा उनके वध का प्रतिशेध करने के लिए अग्रसर होगा।

(११) राज्य राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों एवं सांस्कृतिक सम्पत्ति की रक्षा करेगा।

(१२) राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा।

(१३) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अतंर्राष्ट्रीय विधि और संधि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निबटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

केन्द्रीय कार्यपालिका

सांविधानिक संरचना में शीर्षस्थ व्यक्ति है—राष्ट्रपति। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कर सकता है। राष्ट्रपति को इस संघ का प्रधान एवं राज्यपालों को राज्यों के प्रधान के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रि मंडल का संयुक्त रूप ही केन्द्रीय सरकार से अभिहित होता है। इसी को भारत सरकार या केन्द्र सरकार कहते हैं। भारत सरकार की राजधानी दिल्ली में है जहां से २२ राज्य संबद्ध हैं तथा संघीय क्षेत्रों पर सीधा केन्द्र का शासन है।

राष्ट्रपति

भारत संघ का एक राष्ट्रपति होता है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सेनाओं का सर्वोच्च समादेश भी राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य हैं—(१) वह भारत का नागरिक हो, (२) उसकी आयु पैंतीस वर्ष हो चुकी हो, (३) उसमें लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं विद्यमान हों तथा (४) वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो (उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा मंत्रि-पद लाभकारी नहीं माने जाते)।

राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्षों के लिए होता है। मृत्यु, त्यागपत्र या पद-त्याग की अवस्था में राष्ट्रपति का पद ५ साल के लिए ही भरा जाता है, न कि शेष काल के लिए। राष्ट्रपति को प्रतिमाह १०,००० रु० वेतन और नि:शुल्क आवास प्राप्य है। वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्ते भी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं! १९६२ में पारित राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम के अनुसार सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके जीवन काल के लिए उनकी पेंशन १५,००० रु० और उनके निजी सचिवालय के लिए १२,००० रु० प्रति वर्ष नियत की गई है। उसे नि:शुल्क चिकित्सा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सुविधा भी प्राप्त होगी।

संविधान के ६१वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाये जाने की विधि का विवरण है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' लाने के लिए संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य दोषारोपण कर सकता है, यदि (क) महाभियोग के प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम चौथाई भाग ने हस्ताक्षर किए हों, (ख) प्रस्ताव के लिए कम-से-कम १४ दिन पूर्व लिखित सूचना दी गई हो, (ग) वह प्रस्ताव सदन के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो। इन सारी स्थितियों के बाद दूसरा सदन इन अभियोगों की जांच करेगा। जांच के समय राष्टपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अगर इस जांच करने वाले सदन में दो तिहाई सदस्यों द्वारा अभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र की सूचना वह उपराष्ट्रपति को देगा, जिसकी सूचना वह लोकसभा को दे देगा।

राष्ट्रपति के अधिकार : राष्ट्रपति के अधिकारों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है : (१) **कार्यपालिका अधिकार :** (क) कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। सरकार के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं और वह कार्य सुविधापूर्वक संचालन के लिए नियम बनाता है। (ख) **सैनिक अधिकार :** भारत की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति को सौंपी गई है। वह स्थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना का प्रधान है। (ग) **विदेशी मामले तथा कूटनीतिक अधिकार :** अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है तथा राजदूतों एवं राजनैतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार उसे प्राप्त है। विदेशी राजनयिकों का स्वागत राष्ट्रपति करता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। (२) **संकटकालीन अधिकार :** राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि (क) भारत की सुरक्षा बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण खतरे में पड़ जाये, (ख) किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती हो (ग) वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। (३) **विधायन के अधिकार :** राष्ट्रपति केन्द्रीय विधानमण्डल का एक भाग है। वह संसद को आहूत और सत्रावसान करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। सत्र के पहले दिन संसद में अभिभाषण देता है, नये राज्यों को मान्यता देने की अथवा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन सम्बन्धी सिफारिश करता है, वित्तीय विधेयकों आदि की स्वीकृति देता है। विधेयकों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है, सत्रावसान की अवधि में किसी भी समय वह अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। राज्यसभा में १२ सदस्यों को तथा लोकसभा में दो एंग्लोइंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में वित्तीय विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय-व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है। (४) **न्यायायिक अधिकार :** राष्ट्रपति किसी फी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है तथा उसके दण्ड को स्थगित कर सकता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद ६३ में राष्ट्रपति के अलावा भारत के एक उपराष्ट्रपति का उपबन्ध है। वह राष्ट्रपति के पश्चात् सर्वोच्च पदाधिकारी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पद की पात्रता हेतु भारत का नागरिक, ३५ वर्ष की आयु एवं राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता होना आवश्यक है। इसका कार्यकाल ५ वर्ष है किन्तु इसके पूर्व भी यह त्यागपत्र दे सकता है। राज्यसभा का बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं लोकसभा द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाने पर उपराष्टपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पूर्व देनी पड़ती है। राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने या अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में नये राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेंगे और उसके अभाव में वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करेंगे।

मन्त्रिपरिषद् : राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए, मन्त्रिपरिषद् की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सिफारिश के अनुसार स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। कार्यपालिका शक्ति वस्तुतः प्रधानमन्त्री और उसके मन्त्रिमण्डल में ही सन्निहित है। संघीय सरकार का सारा कार्य सम्भालने का उत्तरदायित्व मन्त्रिपरिषद् पर ही है।

साधारणतः लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् बनाने के लिए आहूत करता है। दल का नेता ही प्रधानमन्त्री होता है। प्रधानमन्त्री फिर अपने सहयोगी मन्त्रियों को चुनता है। प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको मंत्री नियुक्त करता है और उनके विभाग निर्धारित करता है। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। पर राज्यसभा को मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रधानमन्त्री : लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है। सिद्धान्ततः जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उनको व्यवहार में प्रधानमन्त्री ही लाता है। प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यों में एकसूत्रता लाता है। सरकार के सब विभागों पर नियंत्रण और अधीक्षण रखता है। वह किसी भी मन्त्री से त्यागपत्र मांग सकता है। प्रधानमन्त्री के पदत्याग पर सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का पदत्याग माना जाता है। लोकसभा में वह सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का प्रतिनिधित्व करता है। संसद के सम्मुख वह सरकारी नीति, कार्य और निर्णयों का विश्लेषण करता है।

संसद

भारत में शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् करती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष होता है। संघीय संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनी है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संसद की शक्ति और अधिकार : संघीय सूची में दिये गए ९६ और समवेत सूची के ४७ विषयों पर कानून बना सकती है। जो विषय राज्यों को नहीं दिये गए हैं और समवर्ती सूची में नहीं हैं वे भी संसद में निहित माने जाते हैं। साधारणतः राज्यों के विषय संसद के विचार-क्षेत्रों में नहीं आते। राज्यों के लिए निर्धारित ६६ विषयों पर संसद तभी विधि बना सकती है, जब राज्य विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार कर केन्द्रीय सरकार को दे। राष्ट्रीय या सार्वजनिक वित्त पर संसद का पूर्ण नियन्त्रण है। संसद की अनुमति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। भारत संघ के सुशासन के लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। संसद न्याय-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन न्याय की विशुद्धता और न्याय-दान के कार्य को सतत् जारी रखने पर ध्यान रखती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है और उसके पारित होने की दशा में मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। यह न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति शासनकाल में, यह राज्यों के कानून बना सकती है। उनका बजट भी पास कर सकती है।

राज्यसभा : संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या २५० नियत की गयी है। राष्ट्रपति द्वारा १२ सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों में से होता है। शेष राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। इनका चुनाव राज्य की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा सानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है। ३० वर्ष या इससे अधिक आयु का भारत का प्रत्येक नागरिक इसका उम्मीदवार हो सकता है। इसके सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाते हैं जिसमें से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता। उपराष्ट्रपति इस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है।

लोकसभा : इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा जनता के चुने प्रतिनिधि रहते हैं। इसकी सदस्यता के लिए भारत के नागरिक को २५ वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। संविधान की धारा ८१ के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या ५२५ है। इसमें ५०० से अधिक मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। अधिकतम २ एंग्लोइंडियन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में स्वविवेकानुसार मनोनीत किये जा सकते हैं। केन्द्रशासित प्रदेशों से अधिकतम २५ प्रतिनिधि होते हैं। साधारणतः लोकसभा का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है परन्तु राष्ट्रपति इसे इस अवधि के बीच में भी भंग कर सकता है।

लोकसभा और राज्यसभा के मध्य संबंध : दोनों सदनों का कार्य, विधि का निर्माण करना है। विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर ही अधिनियम बन सकते हैं। दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अर्थ विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य सभा का अधिकार केवल विचार करना भर है। मुख्य कार्यपालिका केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विषयों का वर्गीकरण

संविधान की सप्तम अनुसूची में विधियों के विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। प्रथम सूची में संघीय विषय हैं, दूसरी में राज्य के विषय हैं। तीसरी सूची मेंशामिल विषयों पर, संविधान के उपबन्धों के अधीन, विधि बनाने के लिए केन्द्र व राज्य दोनों सशक्त हैं। इसे समवर्ती सूची कहते हैं।

संघीय सूची : सुरक्षा, परराष्ट्र, संचार, डाक-तार, मुद्रा-चलन, आयकर आदि मिला कर कुल ९७ संघीय विषय हैं। **राज्य सूची** : इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्थानीय स्वायत्तशासन, सार्वजनिक कल्याण, कानून और व्यवस्था, भूराजस्व, वन, न्याय व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, पंचायतराज और मत्स्य पालन आदि हैं। इन विषयों की कुल संख्या ६६ है। **समवर्ती सूची** : ये ऐसे विषय हैं जिनमें केन्द्र और राज्य, दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है। इनमें मुख्य हैं विवाह, तलाक, श्रम-कल्याण, दिवालियापन, श्रम-संगठन, सामाजिक सुरक्षा, फौजदारी और दीवानी संहिता, व्यापार और उद्योग, समाचारपत्र, छापाखाना, आर्थिक नियोजन आदि। इन विषयों की संख्या कुल ४७ है।

उपरोक्त वर्गीकरण से छूटे, अनुल्लिखित या नये विषय 'अवशिष्ट विषय' होंगे और वे संघ सरकार के अन्तर्गत होंगे। संसद ही इन विषयों में निर्णय कर सकती है।

संघ-राज्य क्षेत्र

संविधान ने जिन प्रदेशों को पहले 'ग' राज्यों की सूची में रखा था, वे अब संविधान में किये गए सातवें सशोधन (१९५६) के बाद से 'संघ द्वारा शासित' प्रदेश कहे जाते हैं। इनकी कुल संख्या अब ९ है। संविधान के १४वें संशोधन के द्वारा अधिकांश संघीय प्रदेशों में विधानसभा की व्यवस्था १९६३ से की गई है। दिल्ली में उसे महानगर परिषद् कहते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अधिकतम २५ है। दिल्ली के लोकसभा में सात और राज्यसभा में तीन प्रतिनिधि होते हैं। राज्य सभा में पांडिचेरी, मिजोराम और अरुणांचल को एक-एक स्थान दिया गया है।

अल्पसंख्यकों के संबंधों में विशेष उपबन्ध : परिगणित वर्ग और जनजातीय के लिए संसद और राज्यों के विधान-मंडलों में कुछ स्थान सुरक्षित हैं। लोकसभा में एंग्लोइंडियन समाज के दो प्रतिनिधि हैं। यदि राष्ट्रपति अनुभव करें कि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो मनोनीत कर सकते हैं। विधान सभाओं के लिए राज्यपालों को भी यही अधिकार प्राप्त हैं।

संविधान के लागू होने के दस साल बाद, पिछड़े वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखने को व्यवस्था समाप्त होती थी। परन्तु १९६० में एक संशोधन कर वह अवधि १९८० तक बढ़ा दी गयी है।

भाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार भारत संघ की भाषा नागरी लिपि में लिखी हिन्दी है (सरकारी कामों में रोमन अंक रहेंगे)। हिन्दी को प्रशासनिक कार्य के योग्य बनाने के लिए संविधान लागू होने से १५ साल तक अंग्रेजी जारी रहने देने का उपबन्ध किया गया, तदनुसार २६ जनवरी, १९६५ से संघ की भाषा हिन्दी घोषित की गई। १९६५ के बाद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अंग्रेजी का व्यवहार समाप्त किया जाना था। परन्तु १९६३ में ही संविधान की धारा ३४३ (३) के अधीन राज भाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार १९६५ के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्य-वाही अंग्रेजी में जारी रह सकती है। विधेयक और अधिनियम पहले के समान अंग्रेजी में बन सकते हैं। कानूनी तौर पर अंग्रेजी सह-राजभाषा है परन्तु व्यवहार में वही राजभाषा है।

हिन्दी के अतिरिक्त अन्य १४ क्षेत्रीय भाषाओं—असमिया, बंगला, उर्दू, मराठी, गुजराती, पँजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, तेलगू, सिन्धी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया का उल्लेख राष्ट्रीय भाषाएं कहकर हुआ है।

निर्वाचन आयोग

यह एक स्थायी आयोग है। संसद, विधान-मंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस का प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिस तरह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची तैयार कराता है। कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के कारण उसमें अपना नाम लिखाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतदाता सूची हर साल पुनरीक्षित की जाती है। चुनाव-चिन्हों का आवंटन और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है।

वित्त आयोग

संविधान में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है। यह आयोग हर पांचवे वर्ष निगुक्त किया जाता है। आयोग कुछ करों (आयकर, उत्पादन शुल्क व कुछ निर्यात-करों आदि) के विषयों में केन्द्र और राज्यों के मध्य वितरण के अनुपात के विषय में सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग १९५१ में, दूसरा १९५६ में, तीसरा १९६० में, चौथा १९६४ में और पांचवां १९६९ में नियुक्त किया गया था। छठा वित्त आयोग श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी की अध्यक्षता में १९७२ में नियुक्त हुआ।

भारत की संचित निधि

केन्द्र और राज्य क्रमशः 'भारत की संचित निधि' और 'राज्य की संचित निधि' का निर्माण करने के लिए बाध्य हैं। संसद और विधान सभाएं जब तक विनियोग विधेयक पारित न करें और राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति न दें, तब तक सरकार इसमें से एक पैसा भी व्यय करने की अधिकारी नहीं है। भारत और राज्यों के लिए आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। विनियोग विधेयक पारित न होने तक इस निधि से सरकारें खर्च कर सकती हैं।

लोक सेवा आयोग

संविधान में एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के आयोगों की स्थापना का उप-बन्ध है। दो या अधिक राज्य एक ही आयोग रखने के लिए सहमत हो सकते हैं। सदस्यों की नियुक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा होती है। आयोग सेवाओं में नियुक्ति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए परीक्षाएं संचालित करता है। सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति आदि के मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो संसद के समक्ष रख दिया जाता है।

बजट

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। इसे वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। इसे ही बजट कहा जाता है। वार्षिक बजट में अनुमान होने पर भी वर्ष में अकल्पित आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे युद्ध, बाढ़, अकाल आदि के कारण। इस के लिए पूरक अनुमान का उपबन्ध किया गया है। बजट साल भर की आवश्यकता को न पूरा करे तब ही पूरक अनुमान केन्द्रीय सरकार संसद में तथा राज्य सरकारें विधान सभाओं में पेश करती हैं।

व्यापार और व्यवसाय : संविधान भारत भर में नागरिकों को व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता देता है। किन्तु संसद और राज्यों के विधानमण्डलों को इसको मर्यादित और प्रतिबन्धित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था में या राष्ट्रीय हित में आवश्यकता होने पर बनाये जा सकते हैं। सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। संसद उपर्युक्त उपबन्धों को लागू करने के लिए एक परिषद् भी स्थापित कर सकती है।

क्षेत्रीय परिषदें : ये संविधान के भाग नहीं हैं पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के प्रशासन में एकसूत्रता लाने के लिए पांच क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का काम भी ये करती हैं। साथ ही विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को दृढ़ करना भी इनका कार्य है। यह एक विशुद्ध परामर्शदातृ व दो या दो से अधिक राज्यों से संबंधित एक-सी समस्याओं पर विचार करने वाली संस्था है। परिषदें यों हैं :—(१) **उत्तरी क्षेत्र**—पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर (२) **मध्य क्षेत्र** :—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। (३) **पूर्वी क्षेत्र**—बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। (४) **पश्चिमी क्षेत्र** :—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली (५) **दक्षिणी क्षेत्र**—तमिलनाडु, आन्ध्र, कर्नाटक और पांडिचेरी। पूर्वी क्षेत्र को पुनर्गठित कर पूर्वोत्तर क्षेत्र नामक एक नया क्षेत्र बनाया गया।

क्षेत्रीय परिषद् की रचना : (१) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। (२) प्रत्येक सम्बन्धित प्रदेश का मुख्यमंत्री और दो-दो मंत्री भी परिषद् में होते हैं। मंत्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। (३) जहां संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित होगा वहां राष्ट्रपति दो से अधिक व्यक्तियों को परिषद् में मनोनीत न करेंगे।

क्षेत्रीय परिषद् में निम्नलिखित भी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं : (क) राज्यों के मुख्य सचिव। (ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (ग) राज्यों के विकास

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आयुक्त, परिषद् के परामर्शदाता इसके विचार-विमर्श में भाग लेने के अधिकारी हैं, मत देने के नहीं।

क्षेत्रीय परिषद् का कार्य : प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् एक परामर्शदातृ संस्था होती है और राज्यों के पारस्परिक हितों के प्रश्नों पर विचार करती है। यह निम्न विषयों पर विचार और सिफारिश कर सकती है : (क) आर्थिक और सामाजिक नियोजन सम्बन्धी सामान्य हित के विषय। (ख) सीमा-विवाद, भाषायी अल्पसंख्यक और अन्तर्राज्य परिवहन से सम्बद्ध विषय। (ग) राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न कोई विषय।

क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य : (१) देश में भावात्मक एकता का निर्माण करना। (२) उग्र प्रादेशिकता, आंचलिकता, भाषावाद और अन्य इसी प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। (३) सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक अच्छा सहयोग उत्पन्न करना। इस प्रकार समाज के कल्याण के लिए समरूप नीतियों को विकसित करना (४) विकास की मुख्य परिकल्पनाओं को सफल बनाने में परस्पर सहयोग करना। तदनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिल कर चम्बल घाटी के डाकुओं का सफाया करते रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में एक सामान्य पुलिस रिजर्व फोर्स बनाई गई है।

असम के आदिमजातीय क्षेत्र : असम के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था है। इसके द्वारा कुछ स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों का भार सौंपा गया और इन जिलों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का अधिकार दिया गया। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाने, कुछ विषयों में कानून बनाने, विवादों और मुख्य मुकदमों को सुनने और निपटाने के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करने, जिला व प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने और विद्यालय, औषधालय व बाजार आदि स्थापित करने आदि के अधिकार हैं। असम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों व प्रदेशों के प्रशासन का निरीक्षण करने और इस विषय में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है।

विशेष अधिकारी : राष्ट्रपति अनुसूचित भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतें दूर करने में मदद देने के लिए भी एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

आँचलिक समितियाँ : १९५६ में राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के समय से ये समितियां पंजाब और आंध्र प्रदेश की भाषायी और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गईं।

अन्तर्राज्य परिषद् : राष्ट्रपति निम्न बातों के लिए अन्तर्राज्य परिषद् स्थापित कर सकते हैं; (१) राज्यों में उत्पन्न विवादों के कारणों की जांच करने और उनके विषय में राय देने के लिए। जैसे—कृष्णा-गोदावरी नदियों के पानी वितरण के बारे में उठे विवाद के हल के लिए 'गुलाटी समिति' नियुक्त की गई थी। (२) राज्यों और संघ के मध्य के सामान्य विषयों की जांच करने और उनको निपटाने के लिए। (३) संघीय ढांचे को दृढ़ करने और इसकी इकाइयों के साथ इसका सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोक लेखा समितियां : संविधान में निहित है कि लेखा-नियंत्रक, महापरीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति उसको संसद के सदनों के सामने उपस्थित करेंगे। सदनों की सदस्य संख्या चूंकि विशाल है, अतः उनके सदस्यों की एक समिति इस प्रतिवेदन की परीक्षा करती है। यही लोक लेखा समिति है।

भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण की व्यवस्था

(१) राज्य एकभाषी माना जायेगा, यदि जनसंख्या का ७० प्रतिशत से अधिक एक भाषा बोलने वाला हो। (२) यदि जनसंख्या का ३० प्रतिशत या इससे अधिक भाग एक भिन्न भाषा बोलने वाला हो, तो वह द्विभाषी राज्य माना जायगा। (३) राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं में भविष्य में ५० प्रतिशत लोग राज्य से बाहर के भरती किए जायें। इस पर ध्यान रखा जाता है। (४) भाषिक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। यदि एक विद्यालय में ऐसे ४० और एक कक्षा में ऐसे १० छात्र हों तो उन्हें उनकी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। (५) राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देगा। (६) अल्पसंख्यकों के विद्यालय को राज्य मान्यता देगा। राज्य में नौकरी के लिए अधिवास की शर्त हटा दी गयी है।

संघ की न्यायपालिका

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक एवं स्वतंत्र रखा गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या न्याय व्यवस्था अध्याय में है।

संविधान में संशोधन प्रक्रिया

संविधान के २०वें भाग के अनुच्छेद ३६८ में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बतायी गयी है। यदि संसद के दोनों सदन बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से संशोधन विधेयक पारित कर दें, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, वह संशोधन विधान का अंग हो जायेगा। परन्तु यदि कोई संशोधन (क) अनुच्छेद ५४,५५,७३, १६२, २४१ (ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग-६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में, अथवा (ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, (घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व अथवा (ङ) इस अनुच्छेद (३६८) के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने के पूर्व राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मण्डलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त विषयों का साधारणतया राज्यों के अधिकारों, शक्तियों एवं संविधान के संघात्मक रूप पर प्रभाव पड़ता है। संविधान के २४वें संशोधन के द्वारा संसद एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति व्यक्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के द्वारा, संविधान के संशोधन का अधिकार देने वाला अनुच्छेद ३६८ का ही संशोधन किया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती किये जाने पर अनुच्छेद १३ द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को भी समाप्त कर दिया था।

जम्मू-काश्मीर राज्य के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है—'ऐसा संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए।'

संविधान में संशोधन

२६ जनवरी, १९५० को भारतीय संविधान लागू हुआ। तब से अब तक ३७ संशोधन किए गए हैं।

प्रथम संशोधन : (१९५१ ई०) : इसके द्वारा अनुच्छेद १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२ और ३७२ छोटे-मोटे परिवर्तन के अतिरिक्त दो नये अनुच्छेद ३१क और ३१ ख जोड़े गए और आठवीं अनुसूची के बाद नवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसकी मुख्य बातें हैं—भेदभाव का निषेध, विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के हित में और बदनामी फैलाने या किसी अपराध के लिए भड़काने के सम्बन्ध में नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगाने की राज्य शक्ति को विस्तृत कर दिया गया। नवीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न राज्यों के १३ अधिनियमों को शामिल किया गया और कहा गया कि इनको किसी न्यायालय में, मौलिक अधिकारों के हनन के नाम पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

द्वितीय संशोधन (१९५२ ई०) : इस संशोधन के द्वारा ८१ (१) (ख) को संशोधन कर लोकसभा में प्रतिनिधित्व का नया मान नियत किया गया। मूल अनुच्छेद में यह उपबंध था कि लोकसभा में अधिक से अधिक ७,५०,००० व्यक्तियों के लिए कम से कम एक सदस्य होगा और कम से कम ५ लाख व्यक्तियों के लिए १ से अधिक सदस्य नहीं होगा। इस संशोधन के द्वारा जनसंख्या की ऊपरी सीमा हटा दी गई।

तृतीय संशोधन (१९५३) : सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की तेतीसवीं मद के स्थान पर एक नई मद रख दी गई, जिसमें खाद्य सामग्रियों, पशुओं के चारे, कपास और जूट को ऐसी अतिरिक्त मदों के रूप में सम्मिलित किया गया, जिनका उत्पादन-संभरण यदि लोकहित में उपयोगी हो, तो केन्द्र द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता है। इसमें आयातित वस्तुओं का नाम भी जोड़ दिया गया।

चतुर्थ संशोधन (१९५५) : इसका सम्बन्ध केवल जमींदारी उन्मूलन कानूनों से था, जो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम थे। संसद को या राज्य विधान मण्डलों को यह अधिकार दिया गया कि वे व्यापार या वाणिज्य के किसी विशेष क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार शुरू करने के लिए कानून बना सकते हैं। नवीं अनुसूची में ७ नये अधिनियम शामिल किए गए। यह भी प्रावधान किया गया कि मुआवजे की राशि की अनुपयुक्तता के आधार पर सरकार द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

पंचम संशोधन (१९५५ ई०) : इसके द्वारा राष्ट्रपति को समय सीमा नियत करने की शक्ति प्रदान की गयी कि उस सीमा के अन्दर राज्य विधान मण्डल किसी ऐसे प्रस्तावित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

केन्द्रीय कानूनों पर विचार प्रकट कर सकते हैं, जिनका उन राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं आदि पर प्रभाव पड़ता है।

षष्ठ संशोधन (१९५६ ई०) : अन्तर्राज्यीय लेन-देन के सिलसिले में वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर करों से सम्बन्धित है। इसके द्वारा केन्द्र को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में समाचारपत्रों से भिन्न कुछ अन्य वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने तथा उनका नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

सप्तम संशोधन (१९५६ ई०) इस अधिनियम के द्वारा राज्य की तीन श्रेणियाँ (क, ख, ग) समाप्त कर सारे देश को १४ राज्यों, ६ केन्द्रशासित क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन के कारण भी यह संशोधन किया गया। इसी संशोधन के द्वारा विधान सभाओं की क्षेत्रीय समितियां तथा विदर्भ, मराठवाड़ा, बाकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डो की स्थापना की गई। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार इसी संशोधन के द्वारा किया गया।

अष्ठम संशोधन (१९५९ ई०) ; इसके द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए सीटों का आरक्षण और लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियनों का प्रतिनिधित्व २६ जनवरी, १९६० से १० वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

नवम् संशोधन (१९६० ई०) : इस अधिनियम द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में इस प्रकार संशोधन किया गया ताकि १९५८ और १९५९ में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के मध्य समझौते के अनुसार कुछ भू-भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जा सके।

दशम संशोधन : (१९६१ ई०) : इस अधिनियम द्वारा दादर और नागर हवेली के स्वतन्त्र क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिला लिया गया और राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति के अधीन उनके प्रशासन की व्यवस्था की गई।

ग्यारहवां संशोधन (१९६१ ई०) : इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उचित निर्वाचक मण्डल में कोई स्थान रिक्त था। इसके द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे।

बारहवां संशोधन (१९६२ ई०) : इस संशोधन के द्वारा पुर्तगाल से मुक्त कराये गए गोवा, दमन दीव को भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों में सम्मिलित कर लिया गया। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

तेरहवां संशोधन (१९६२ ई०) : यह संशोधन इसलिए किया गया जिससे कि भारत सरकार और 'नागा पिपुल्स कन्वेंशन' के मध्य हुए एक समझौते के अनुसार एक पथक (नागालैंड) राज्य के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए।

चौदहवां संशोधन (१९६२ ई०) : इसके द्वारा व्यवस्था की गई (क) केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विधान मण्डल और मंत्रिपरिषदें बनाई जाएं, (ख) फ्राँस के अधिकार से मुक्त पाँडिचेरी, कारीकरम, माही और यमन को, केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया जाये,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(ग) गोवा, दमन और दीव को एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया जाए जिसका एक पृथक विधान मण्डल हो।

पन्द्रहवां संशोधन (१९६३ ई०): (क) इस संशोधन द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक कार्यवाही के विषय में अधिकार केवल एक जांच तक ही सीमित कर दिया गया, (ख) राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि सन्देह की स्थिति में वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सही आयु का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से कर सकता है, (ग) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु ६० से बढ़ाकर ६२ वर्ष कर दी गई।

सोलहवां संशोधन (१९६३ ई०) : इसके द्वारा राज्य सरकारों को देश के विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा देश से अलग होने की मांग को निर्वाचन का प्रश्न बनाने से रोका गया। इसके अतिरिक्त संसद एवं राज्य विधान मण्डलों के उम्मीदवारों, केन्द्र तथा राज्यों के मन्त्रियों, संसत्सदस्यों एवं विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को 'भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने' की शपथ लेना आवश्यक बना दिया गया।

सत्रहवां संशोधन (१९६४-६५ ई०) : इस संशोधन द्वारा सरकार को बिना बाजार भाव से मुआवजा दिए उस भूमि का अधिग्रहण करने से रोक दिया गया है, जिस पर कोई व्यक्ति स्वयं खेती कर रहा है या जो (उस समय लागू) भूमि रख सकने की अधिकतम सीमा के अन्दर जमीन रखता हो। इसके द्वारा संविधान की नवम सूची में ४३ नये अधिनियम जोड़ दिये गये।

अठारहवां संशोधन (१९६६ई०): यह संशोधन पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने में सुविधा लाने की दृष्टि से किया गया। इसी संशोधन के द्वारा पंजाब का कुछ क्षेत्र हिमाचल में मिलाने तथा चंडीगढ़ को केन्द्रशासित प्रदेश बना देने का अधिकार सरकार को प्रदान किया गया।

उन्नीसवां संशोधन (१९६६ई०): इस संशोधन के द्वारा निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालयों में और उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में करने की व्यवस्था की गयी।

बीसवां संशोधन (१९६६ई०): यह संशोधन उच्च न्यायायिक पदाधिकारियों द्वारा, जिनकी नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावहीन घोषित कर दी गई थीं, की गई नियुक्तियों, तैनातियों, स्थानान्तरणों, निर्णयों, डिक्रियों, सजाओं तथा आदेशों को वैद्य बनाने के लिए किया गया था।

इक्कीसवां संशोधन (१९६६ई०): इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल कर उसे १४ राजभाषाओं में स्थान दिया गया।

बाईसवां संशोधन (१९६९ ई०): इसके द्वारा असम राज्य के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों का एक स्वायत्त राज्य और इस राज्य के लिए एक स्थानीय विधान मण्डल या मंत्रिपरिषद् या दोनों बनाने का उपबन्ध अनुच्छेद २४४ को अन्तःस्थापित करके किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तेईसवां संशोधन (१९६९ई०): इसमें अनुच्छेद ३३०,३३२ व ३३३ का संशोधन किया गया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व के लिए नाम निदेशित करने की मर्यादा और दस वर्ष बढ़ाई गयी।

चौबीसवां संशोधन (१९७१ ई०): इसके द्वारा संसद को संविधान की समस्त धाराओं को संशोधित करने का अधिकार मिला है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने १९६८ में एक निर्णय यह दिया था कि संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। यह संशोधन उसी अधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया है। इसके द्वारा किसी विधेयक पर सहमति व्यक्त करना राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।

पच्चीसवां संशोधन (१९७१ई०): इसके द्वारा संसद को विधि द्वारा जनहित में निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण का असीम अधिकार दिया गया है। इसमें मुआवजा देना अनिवार्य नहीं रह गया। जो भी राशि दी जायगी उसके विरोध में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन में यह प्रावधान भी है कि राज्य निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण सम्बन्धी विधि निर्माण से पूर्व इस विषय में राष्ट्रपति की सम्मति ले।

छब्बीसवां संशोधन (१९७१ ई०): इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेदों २९१ व ३६२ को लुप्त कर नये अनुच्छेद ३६३ (क) का प्रवेश किया गया। इसके द्वारा भूतपूर्व राजाओं के प्रिविपर्सों व विशेषाधिकारों को तत्काल समाप्त कर दिया गया।

सत्ताईसवां संशोधन(१९७१ ई०) इसके द्वारा अनुच्छेद २३९ (क) और २४० में संशोधन किया गया तथा दो नये अनुच्छेद २३९(ख) और ३७१(ग) का समावेश किया गया। इसके द्वारा संसद और राष्ट्रपति को मिजोराम और अरुणांचल समेत उन सभी केन्द्रशासित क्षेत्रों में विधान मंडल बनने तक नियम-कानून बनाने या वहां के प्रशासक को इसके लिए अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

अट्ठाईसवां संशोधन (१९७२ ई०): इसके द्वारा एक नये अनुच्छेद ३१२ (क) का संविधान में प्रवेश हुआ, अनुच्छेद ३१४ लुप्त कर दिया गया। इनके अन्तर्गत संसद को कुछ प्रशासनिक सेवाओ के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन तथा सेवा समाप्ति का अधिकार दिया गया। इसी संशोधन के अनुसार भारतीय नागरिक सेवा अधिकारियों (आई० सी० एस०) के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये।

उनतीसवां संशोधन (१९७२ ई०): इसके द्वारा संविधान की नवम अनुसूची में केरल के भूमि सुधार सम्बन्धी दो और अधिनियम शामिल करके, संरक्षित भूमि सुधार कानूनों की संख्या ६६ कर दी गयी।

तीसवां संशोधन (१९७२ ई०): इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद १३३ में परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से पूर्व २०,००० रुपये अथवा इससे अधिक राशि के दीवानी विवादों पर ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती थी। परन्तु अब सम्पत्ति के मूल्य पर दृष्टिपात न करते हुए मामले के संवैधानिक महत्व के आधार पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो सकती है।

इकतीसवां संशोधन (१९७३) इसके द्वारा संविधान की धारा ८१ में संशोधन कर लोक सभा में राज्यों को ५०० से बढा कर अधिकतम ५२५ स्थान और केन्द्र शासित क्षेत्रों को २५

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

से घटा कर अधिकतम २० स्थान निर्धारित किये गये। यह भी प्रावधान किया गया कि किसी राज्य विशेष की आबादी जब तक ६० लाख से बढ़ न जाये राज्यों को लोक सभा में आवंटित स्थानों में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठेगा।

बत्तीसवां संशोधन (१९७३) इसके द्वारा आन्ध्र में विभाजनवादी आन्दोलन को सुलझाने की दृष्टि से उक्त प्रदेश के आन्ध्र,तेलंगाना एवं रायल सीमा क्षेत्र के निवासियों को शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी सेवाओंमें पृथक-पृथक अनुपात में प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने का राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है।

इसके द्वारा संविधान में धारा ३७१ ई० जोड़ कर आन्ध्र में एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए निर्देश दिया गया है ।

तेतीसवां संशोधन (१९७३) इसके द्वारा विधान मण्डल या संसद के सभाध्यक्षों को विधायकों या संसद सदस्यों के त्याग-पत्र को स्वीकार किये जाने के पूर्व सभाध्यक्ष को जांच-पड़ताल कर इस बात की तसल्ली कर लेने का निर्देश दिया गया है कि सम्बद्ध सदस्य ने स्वेच्छा से त्याग-पत्र दिया है।

चौतीसवां संशोधन (१९७४) इसके द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा निर्मित २२ विभिन्न विधेयकों को, जो भूमि सुधार की दृष्टि से निर्मित हैं, संविधान की नवम् सूची में शामिल कर उसकी वैधानिकता को चुनौती दिये जाने से सुरक्षित कर दिया गया है। उक्त अनुसूची में शामिल विधेयकों की संख्या ८८ हो गई है।

पैंतीसवां संशोधन (१९७४) इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद २ (ए) जोड़कर सिक्किम को भारत राज्य का सह दर्जा प्रदान किया गया और उसे लोक सभा एवं राज्य सभा में एक एक स्थान दिया गया।

छतीसवां संशोधन (१९७५) इस ऐतिहासिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सम्पूर्ण रुप से शामिल किये जाने की, सिक्किम विधान सभा के प्रस्ताव को, जिस पर सिक्किम में जनमत संग्रह कराकर जनता की सम्मति प्राप्त कर ली गई थी, स्वीकार किया गया और सिक्किम भारत का २२वां राज्य घोषित कर दिया गया।

सैंतीसवां संशोधन (१९७५) इसके द्वारा केन्द्र शासित क्षेत्र अरुणांचल में विधान-सभा की स्थापना की गई।

राज्य

राज्यपाल: राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साधारणतः पाँच वर्ष के लिए करता है। इनको ५,५०० रु० मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का नागरिक और ३५ वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल होने का पात्र हो सकता है। राज्यपाल संसद या किसी विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। वह अन्य कोई सरकारी पद भी नहीं ले सकता। राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग का नियम नहीं है। पद पर उसका बना रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राज्यपाल राज्य में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि होता है। वह राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। राज्य में राज्यपाल का वही स्थान है जो केन्द्र में राष्ट्रपति का।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्यपाल के कर्तव्य और अधिकार: कोई अर्थ-विधेयक (बिल) राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में उपस्थित नहीं हो सकता। राज्यपाल विधानसभा और विधान-परिषद (जिन राज्यों में है) की संयुक्त बैठक का प्रतिवर्ष उद्घाटन करता है। विधान मंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। इसके बिना विधेयक अधिनियम नहीं हो सकता। विधानमंडल के अवसानकाल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और उसको विसर्जित करना उसका कर्त्तव्य है। संविधान का राज्य में ठीक-ठीक पालन होता है यह देखना भी राज्यपाल का कर्त्तव्य है। राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है या नहीं चलाया जा सकता, राज्यपाल से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं।

मंत्रिमण्डल : संविधान के १६३ अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। इसका नेता मुख्यमंत्री कहलाता है। विधान-सभा में जिस दल का बहुमत होता है, उसी के नेता को राज्यपाल साधारणतः मुख्य-मन्त्री पद पर नियुक्त करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति मुख्यमन्त्री के परामर्श से राज्य-पाल करता है। मन्त्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमंडल के सदस्यों की संख्या मुख्यमन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। इस विषय में कोई नियम नहीं है। मुख्यमन्त्री प्रायः अपनी सरकार को स्थिर रखने की दृष्टि से मन्त्रियों की संख्या निश्चित करता है। विधानसभा और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या ही इसका कुछ-कुछ नियन्त्रण करती है। राज्य की आय भी एक सीमा तक इस पर प्रतिबन्ध लगाती है। प्रशासन आयोग ने सिफारिश की है कि मन्त्रियों की संख्या विधायकों की संख्या से ११ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य विधानमण्डल : प्रत्येक राज्य में विधानमण्डल है। विधानमण्डल में दो सदन होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विधानसभा है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विधान परिषद है। कई राज्यों में केवल विधानसभा हैं।

विधानसभा : विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक सदस्य साधारणतया ७५,००० लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। **सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक और ६० से कम नहीं हो सकती।** इसमें हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहते हैं। विधानसभा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसका कार्यकाल साधारणतः पाँच साल है। विधानसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो (१) भारत का नागरिक हो, (२) २५ साल से कम आयु का न हो, और (३) उन सब अर्हताओं से युक्त हो, जो संसद निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो-इण्डियन समाज के प्रतिनिधि को नामजद कर सकता है।

विधानपरिषद : इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ४० से कम भी न होनी चाहिए। परि-षद् के एक तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा तथा एक तिहाई विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। १/१२ सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। चुनने का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिकार उसी को है जो तीन साल पुराना स्नातक हो। १/१२ सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं। इनका कम से कम माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर की शिक्षण-संस्थाओं में तीन साल शिक्षक रहना आवश्यक होता है। १/१२ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के लिए विख्यात लोगों में से इनका मनोनयन होता है। अर्थ विधेयक सीधे विधान परिषद् में उपस्थित नहीं किया जा सकता। विधानसभा द्वारा पारित अर्थ विधेयकों पर १४ दिनों के भीतर उसमें संशोधन व परिवर्तन का सुझाव देने भर का अधिकार विधान परिषद् को है। आंध्र, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल में अब तक दो सदन थे, किन्तु अब पंजाब में परिषद् समाप्त हो गई है।

राज्य की न्यायपालिका : संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन न्याय-व्यवस्था में है।

संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध

संविधान के अनुच्छेद २४५ से २६३ तक केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन सम्बन्धों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।

विधायी : विधि बनाने की तीन सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संसद, संघ सूची में दिए गए ९७ विषयों पर अनन्यतः विधि बना सकती है। ४७ विषयों में संघ और राज्य, दोनों विधियां बना सकते हैं। राज्य कोई विधि, संघ-विधि के प्रतिकूल या विपरीत या विरोधी नहीं बना सकते। राज्यों के विधानमंडल ६६ विषयों में विधि बना सकते हैं। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में अंकित विषयों पर भी संसद को विधि बनाने का अधिकार है—जबकि राज्यसभा के दो तिहाई सदस्य इसकी स्वीकृति दे दें। आपातकाल में भी यह अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। संसद सारे देश के लिए कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल केवल अपने क्षेत्र के लिए। केन्द्र का बनाया कोई कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे प्रादेशिक सीमा का अतिक्रमण होता है। केन्द्र को तीनों सूचियों के अतिरिक्त कुछ विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को संचार साधनों के निर्माण और उनके सार संभाल का आदेश दे सकती है। वह किसी भी राजपथ को राष्ट्रीय पथ और जल मार्ग को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार सेना के आवागमन के साधनों का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रपति, राज्य सरकार को उसकी सहमति से, केन्द्रीय सरकार का कुछ कार्य-भार वहन करने के लिए कह सकते हैं। युद्ध और आन्तरिक अशांति के समय राष्ट्रपति राज्यों को विशेष आदेश दे सकते हैं।

प्रशासनिक : केन्द्रीय और राज्यों की कार्यपालिका का अधिकार-क्षेत्र उन सब विषयों तक विस्तृत है जो समवर्ती सूची में दर्ज हैं। कुछ बातों में राज्यों को केन्द्र के निर्देश का पालन करना होता है। अनुच्छेद २६१ के अनुसार भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों के प्रति पूरा विश्वास प्रगट किया जाता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वित्तीय : आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से राज्य बहुत कुछ केन्द्र पर निर्भर करते हैं। राज्य केन्द्र से अनुदान की आशा करते हैं। आयकर और उत्पादन-शुल्क की आय में से अधिकाधिक भाग पाने की इच्छा करते हैं। केन्द्र से राज्यों को किस मात्रा में वित्तीय और आर्थिक सहायता प्राप्त हो, इसका निश्चय हर पांच साल बाद वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।

स्वायत्त शासन

स्थानीय कार्य संचालन के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसे स्वायत्त शासन कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है—शहरी और ग्रामीण। बड़े नगरों की स्थानीय व्यवस्था नगर निगम और मध्यम तथा छोटे नगरों की व्यवस्था नगरपालिकाओं के माध्यम से की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों का स्वायत्त शासन पंचायतों के माध्यम से होने लगा है। **निगम :** नगरनिगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। नगरनिगम का प्रशासन कार्य (क) निगम की सामान्य परिषद् (ख) परिषद की स्थायी समिति तथा (ग) आयक्त अथवा कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित होता है। इसकी कार्यपालिका शक्ति आयुक्त में निहित होती है। **नगरपालिकाएं :** जिन नगरपालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, उनका कार्य भी समितियों द्वारा ही संचालित होता है। इसका संचालन कार्यकारी अधिकारी द्वारा होता है। **जिला स्वायत्त शासन :** जिले भर की व्यवस्था के लिए जिलों को कई प्रखण्डों में बांटा गया है। जिसके अन्तर्गत कई ग्राम होते हैं। इन प्रखण्डों को कुछ अधिकार और कर्त्तव्य भी सौंपे गए हैं। दो एक राज्यों को छोड़कर शेष प्रदेशों में पंचायतीराज लागू किए गए हैं।

ग्राम पंचायतें : ग्रामवासी स्वयं पंचायत का चुनाव करते हैं। इन पंचायतों पर कृषि, उत्पादन, ग्रामीण उद्योगों, सड़कों, गलियों, तालाबों तथा कुओं की देखभाल, सफाई, जल-निकासी आदि का दायित्व है। कहीं-कहीं शिक्षा तथा राजस्व वसूली की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतों के अधीन है। इस समय देश में २,१८,३२१ ग्राम पंचायतें, ३५९८ प्रखंड पंचायतें और २५७ जिला पंचायत काम कर रही हैं। कई राज्यों में पंचायतों को छः माह तक दंड देने का भी अधिकार सौंपा गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १२ :

भारत की न्याय व्यवस्था

भारत की आधुनिक न्याय व्यवस्था सोपान-क्रम में बनी है। उच्चतम न्यायालय इसके शिखर पर है। इसके नीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है जो राज्य में सिविल और दाण्डिक मामलों में अपील और पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालयों की विधि मान्यता और अधिकारिता सम्बन्धित राज्य के अधिनियमों पर आधारित है। यह होते हुए भी सम्पूर्ण देश में न्यायालयों के गठन के बारे में आधारभूत एकरूपता है। प्रत्येक राज्य जिलों में विभाजित है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय है, जो मूल अधिकारिता वाला मुख्य सिविल न्यायालय है। जिला न्यायालय के अधीन कुछ निचले न्यायालय कार्य करते हैं जिनका नाम और अधिकारिता प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। जिला न्यायालय जिले के निचले न्यायालयों से उन सभी वादों में अपील सुनते हैं, जिनका मूल्य पांच हजार रुपये तक है। कुछ राज्यों में यह सीमा दस हजार रुपये तक बढ़ा दी गई है। इस राशि से अधिक की अपीलें जिला न्यायालय को न जाकर, सीधे उच्च न्यायालय को जाती हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलें सुनना और कुछ विशेष कानूनों के अधीन मूल मामलों का संज्ञान करना होता है। ये विशेष कानून हैं, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भूमि अर्जन अधिनियम आदि। इनके अतिरिक्त लघुवाद न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता पांच सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक होती है। साधारणतया जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होता है और इसके नीचे का प्रत्येक सिविल न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीन होता है। जिले के न्यायालयों के काम का नियंत्रण और अधीक्षण का भार जिला न्यायाधीशों के कंधों पर होता है।

दांडिक अधिकारिता के क्षेत्र में, जिला न्यायालय सत्र न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। दांडिक न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हैं। भारत के संविधान ने उच्च न्यायालयों को राज्य में स्थित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति प्रदान की है। उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण के लिए समुचित प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतें भारत की अति प्राचीन पारम्परिक संस्थाएं हैं। १९०७ में भारत में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विकेंद्रीकरण पर राय देने के लिए जो रायल कमीशन नियुक्त हुआ था उसने यह सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायतें गठित की जानी चाहियें और उन्हें प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। १९२५ में सिविल न्याय समिति ने छोटे-छोटे सिविल वादों में ग्राम पंचायतों का उपयोग करने की सिफारिश की। भारत के संविधान के अनुच्छेद ४० में यह उपबन्ध किया गया कि—

> "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

प्रत्येक राज्य में पंचायतें स्थापित कर दी गईं किन्तु अभी तक न्यायिक प्रशासन में ग्राम पंचायतों का स्थान गौण है और उसे प्रायोगिक भी कहा जा सकता है। मोटे तौर से सिविल वादों में उनकी शक्तियां बहुत कम मूल्य के मामलों तक सीमित हैं और इसी प्रकार उनकी दांडिक अधिकारिता भी बहुत मर्यादित है। पंचायतों में वकील उपस्थित नहीं हो सकते, फिर भी पंचायतें बहुत-सा कार्य कर देती हैं और इस प्रकार इनके कारण न्यायालयों का काम कुछ हल्का हुआ। विधि आयोग ने इस संस्था के कार्य का अवलोकन किया और यह सुझाव दिया है कि पंचायतों का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायतों की कार्यवाही शीघ्रता से निपटती है और सस्ती होती है।

प्रेसीडेन्सी शहरों के सिविल न्यायालय

कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीन प्रेसीडेंसी शहरों के सिविल न्यायालयों की योजना देश के अन्य भागों से भिन्न है। इसका मुख्य कारण ऐतिहासिक है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्थानों के उच्च न्यायालयों को नगर क्षेत्र के भीतर साधारण मूल सिविल अधिकारिता प्राप्त है। इन तीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता सभी सिविल मामलों पर है, केवल उनको छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय या अन्य स्थानीय न्यायालयों की अधिकारिता में आते हैं।

प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं का पृथक्करण

प्रशासनिक सेवा के लोगों को न्यायिक पद पर नियुक्त करने की प्रथा १७७२ में प्रारम्भ हुई, जब दीवानी अदालतों में कम्पनी के कर्मचारी नियुक्त किये गए। बहुत समय तक यह प्रथा चलती रही कि किसी भी प्रशासनिक कर्मचारी को किसी भी पद पर चाहे वह प्रशासनिक हो या न्यायिक, नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त के लिए पदों में भेद नहीं किया जाता था। न्यायाधीशों को कुछ काल बाद प्रशासनिक पद सौंप दिये जाते थे। और इसी प्रकार प्रशासनिक कर्मचारी न्यायाधीश बना दिये जाते थे। सर फिट्जजेम्स स्टीफेंस ने १८६२ में इस प्रणाली की आलोचना की थी।

१९४२ में प्रथम विधि आयोग ने इस प्रणाली को विषमतापूर्ण बताया और कहा कि यह एक गम्भीर दोष है। उस आयोग ने स्थिति के सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये। किन्तु, उन्हें लागू नहीं किया गया।

किसी भी देश में विधि और न्याय की अच्छी व्यवस्था करने के लिए यह आवश्यक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है कि अधीनस्थ न्यायालय भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से ऊपर रहें। इस उद्देश्य को सामने रखकर भारत के संविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध रखे गए हैं, जो अधीनस्थ न्यायाधीशों के बारे में हैं। यह कहना सही होगा कि अधीनस्थ न्यायालय, अभी तक प्रशासनिक नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त तो नहीं हुए हैं, किन्तु कुछ हद तक नियंत्रण कम अवश्य हुआ है। संविधान के अनुच्छेद २३३ के अनुसार राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान और पदोन्नति आदि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किये जाते हैं। इसी अनुच्छेद के दूसरे खंड में यह अधिकथित है कि कोई व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि उसने ७ वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय सिफारिश करता हो। राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति राज्यपाल करता है और यह नियुक्ति उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होती है। यह नियम राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाये जाते हैं। इस प्रकार संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के चयन और नियुक्ति के लिए एक समान प्रणाली उपबंधित है।

दांडिक न्यायालय

दांडिक न्यायालय भी सोपान-क्रम में हैं। सबसे नीचे हैं—ग्राम पंचायत और मजिस्ट्रेट के न्यायालय। इनके ऊपर हैं सत्र न्यायालय और उनके ऊपर हैं उच्च न्यायालय और उन सबके ऊपर है उच्चतम न्यायालय जो कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है।

प्रेसीडेंसी शहरों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रत्येक जिले में कुछ मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट, तृतीय वर्ग के मजिस्ट्रेट, धारा ३० के मजिस्ट्रेट और उपखंडीय मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इन सबकी अधिकारिता सीमित होती है।

प्रत्येक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट होता है जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिले के मजिस्ट्रेटों का मुखिया होता है। उसका मुख्य कर्त्तव्य यह देखना है कि जिले के दांडिक न्यायालय ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। मजिस्ट्रेटों के ऊपर सत्र न्यायालय हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सत्र न्यायालय होता है। इन न्यायालयों में डकैती, कत्ल, बलात्कार आदि गम्भीर अपराधों पर विचार होता है। सत्र न्यायालय विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है, किन्तु उसके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद ही वैध होता है। उच्च न्यायालयों को अपील, पुनरीक्षण और निवेदन सुनने का अधिकार है। सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध सभी व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय

संविधान के प्रथम भाग के अनुच्छेद में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तदनुसार किसी भी संघीय शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका से पृथक एवं स्वतंत्र एक ऐसे न्यायालय की आवश्यकता होती है, जो राज्यों तथा केन्द्र के सारे विवादों पर अपना स्वतंत्र निर्णय दे सके और संविधान की व्याख्या कर सके संविधान के। भारत के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुच्छेद १२४ से उच्चतम न्यायालय गठित किया गया है। भारत में केन्द्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करने के लिए एक ही न्यायपालिका है, अमरीका की तरह दो नहीं। उच्चतम न्यायालय संघ की राजधानी दिल्ली में है।

अनुच्छेद १४१ के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी है। संविधान के निर्माणकाल में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक ७ अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, परन्तु १९५६ के सुप्रीम कोर्ट एक्ट ने अन्य न्यायाधीशों की सीमा १० कर दी। बढ़ते हुए काम को देखकर अब संख्या मुख्य न्यायाधीश समेत १४ कर दी गई है। आवश्यकता होने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबन्ध है जिसे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी उच्च न्यायालय के विधिवत् अर्हता प्राप्त न्यायाधीशों में से, एक निश्चित समय के लिए कर सकता है।

न्यायाधीशों की अर्हताएं, नियुक्ति एवं वेतन (क) भारत का नागरिक होना चाहिए, (ख) कम से कम ५ वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम से कम १० वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को सम्बोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। असमर्थता या सिद्ध अभियोगों के कारण वह पदच्युत भी किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश का वेतन ५,००० रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों का ४,००० रु० मासिक संविधान द्वारा नियत है। इसमें परिवर्तन संविधान में संशोधन लाकर ही किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता : संविधान के अनुच्छेद १२९ में इसे 'अभिलेख न्यायालय' कहा गया है जिसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को तीन भागों में बांट सकते हैं—(क) प्रारम्भिक, (२) अपीली, तथा (३) परामर्शदातृ।

प्रारम्भिक अधिकारिता : भारत सरकार तथा एक अथवा अधिक राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के बीच आपसी विवाद, केन्द्र तथा राज्यों के बीच अथवा परस्पर राज्यों के बीच के विवाद चाहे तथ्य पर आधारित हों या कानून पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है, परन्तु यह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिधिकार में भी आता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विरुद्ध किसी याचिका पर विचार केवल उच्चतम न्यायालय में ही हो सकता है।

अपीली अधिकारिता : इसके कई रूप हैं—**संवैधानिक मामले**—किसी वाद में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय, डिक्री अथवा अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है यदि विवाद किसी विधान या संविधान की व्याख्या से संबंधित है। **दीवानी मामले :** यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता हो कि वाद अपील के योग्य है। **दाण्डिक मामले :** यदि उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय से किसी मुकदमें को मंगाकर या निम्न

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदण्ड का आदेश दिया है या मामले को अपील-योग्य होने का प्रमाण पत्र दिया है। **विशेष आज्ञा :** उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी भी मामले पर अपील की विशेष आज्ञा दे सकता है परन्तु सैनिक अधिकरण के निर्णय पर अपील की अनुमति नहीं दे सकता। संसद, विधि द्वारा उसकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय अथवा निर्देश के पुनरीक्षण करने का भी अधिकार है।

परामर्शदातृ अधिकारिता : यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि अथवा तथ्य संबंधी ऐसे प्रश्न पैदा हो गये हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय का मत प्राप्त करना वांछनीय है तो वह इसके समक्ष रख सकता है। उच्चतम न्यायालय उसकी उचित सुनवाई करके अपना अभिमत राष्ट्रपति को भेज देगा।

उच्च न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद २१४ में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है जिसे अपने अवमान के लिए दण्ड देने के अधिकार सहित न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक राज्य के न्याय-प्रशासन में सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होते हैं। दो या अधिक राज्यों का मिलकर एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। इस समय पंजाब और हरियाणा का तथा असम और नागालैंड का संयुक्त उच्च न्यायालय है। केन्द्र राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय केवल दिल्ली में ही है। उच्च न्यायालय का मुख्य स्थल एक स्थान पर होते हुए भी उसकी न्यायपीठ अन्य स्थान पर हो सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ लखनऊ में भी है। महाराष्ट्र की न्यायपीठ बम्बई के अतिरिक्त नागपुर में भी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर के अलावा ग्वालियर और इन्दौर में न्यायपीठ हैं।

इस समय भारत में १८ उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता अंडमान और निकोबार को १९५३ में विस्तारित की गई है। केरल की अधिकारिता में लक्ष द्वीप सम्मिलित है। गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अन्तर्गत आते हैं।

दिल्ली में उच्च न्यायालय १९६६ में स्थापित किया गया।

उच्च न्यायालय का गठन : प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित संख्या में नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उक्त रीति के अतिरिक्त राज्य के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श लिया जाता है। इसके अतिरिक्त बचे हुए कार्य को निपटाने एवं किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अपर न्यायाधीशों एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सहित कोई भी न्यायाधीश ६२ साल की आयु तक ही अपने पद पर कार्य कर सकता है। इन्हें अपने पद से हटाये जाने की विधि भी वही है जो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए है। इस पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किसी राज्य के न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्ष तक कार्य का अनुभव या उच्च न्यायालयों में १० वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधिपति को प्रतिमास ४,००० रु० तथा न्यायाधीशों को ३,५०० रु० वेतनस्वरूप देने की व्यवस्था है। साथ ही इन्हें भत्ते, पेंशन आदि पाने का अधिकार है। यह भत्ते तथा पेंशन संसद तय करती है। इनके पद स्थानान्तरणीय हैं।

राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता : जहां संसद द्वारा दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है या जहां उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर संघीय प्रदेश तक किया गया है, उसे छोड़कर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

मूल अधिकारिता : कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों को केवल नौकाधिकरण, प्रोबेट, वैवाहिक तथा न्यायालय के अवमान के मामलों से मूल अधिकारिता प्राप्त है। उक्त तीन प्रैसीडेंसी नगरों के उच्च न्यायालयों का इन नगरों के अन्दर शुरू हुए मामलों में सिविल व दाण्डिक—दोनों प्रकार की मूल अधिकारिता प्राप्त हैं। इनमें से बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की दाण्डिक अधिकारिता सत्र न्यायालयों को सौंपी गई है। सिविल मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय की स्थापना भी हुई है परन्तु अधिक मूल्यों वाले मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालयों के अधीन है।

अपीली अधिकारिता : उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता सिविल तथा दाण्डिक दोनों मामलों में है। दीवानी मामलों में दो अपीलें होती हैं। उच्च न्यायालय की अधिकारिता (क) मूल दांडिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इसी उच्च न्यायालय के (ख) किसी सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश के, (ग) जिन मामलों से किसी अभियुक्त को चार वर्षों की जेल की सजा दी गई है। उनमें किसी सहायक सत्र न्यायाधीश या विशेष रूप से शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेट के, (घ) किसी प्रेजीडेंसी मजिस्टेट के, या (च) भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४४ क, की किसी सजा के मामले में किसी जिला मजिस्ट्रेट के निर्णयों की अपीलों के लिए है।

अधीक्षण की शक्ति : उच्च न्यायालय का यह अधिकार व्यापक है। इस अधिकार में पुनरीक्षात्मक क्षेत्राधिकार, घोर अन्याय या अधिकारिता का प्रयोग न करने या दुरुपयोग करने के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद २२६ संविधान का अत्यन्त महत्व का अनुच्छेद है। इसे रिट अधिकारिता कहते हैं। उच्च न्यायालय किसी भी न्यायिक कल्प या प्रशासनिक प्राधिकारों को उपयुक्त परिस्थिति में आवश्यक रिट जारी कर सकता है। यह रिट राज्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। संशोधन से पूर्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध केवल पंजाब उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उच्च न्यायालयों का क्षेत्र

नाम	स्थापना	राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता	स्थान
१. कलकत्ता	१८६२	प० बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप-समूह	कलकत्ता
२. बम्बई	१८६२	महाराष्ट्र	बम्बई (नागपुर में न्यायपीठ)
३. इलाहाबाद	१८८६	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ)
४. मैसूर	१८८४	कर्नाटक	बंगलौर
५. पटना	१९१६	बिहार	पटना
६. जम्मू-कश्मीर	१९४३	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू
७. पंजाब व हरियाणा	१९४७	पंजाब व हरियाणा	चंडीगढ़
८. असम व नागालैंड	१९४८	असम व नागालैंड	गोहाटी
९. उड़ीसा	१९४८	उड़ीसा	कटक
१०. केरल	१९४८	केरल, लक्षद्वीप, मिनीकाय व अमीनदीव द्वीप समूह	एर्नाकुलम
११. राजस्थान	१९४९	राजस्थान	जोधपुर
१२. आंध्र प्रदेश	१९५४	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
१३. मध्य प्रदेश	१९५६	मध्य प्रदेश	जबलपुर (इंदौर व ग्वालियर में न्यायपीठ)
१४. गुजरात	१९६०	गुजरात	अहमदाबाद
१५. दिल्ली	१९६६	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश	दिल्ली
१६. मद्रास		तमिलनाडू, पांडिचेरी	मद्रास

विधि की भाषा

अभी तक सम्पूर्ण देश में न्यायालयों का कार्य मुख्यतः अंग्रेजी में ही चल रहा है। इस कारण जनसाधारण के लिए विधि को समझना असंभव है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से राजभाषा (विधायी) आयोग गठित किया गया है। यह आयोग एक मानक विधि शब्दावली का निर्माण कर रहा है और विधियों का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

The Planning & Development Division

(A Division of the Fertilizer Corporation of India Ltd.,)

OFFERS INDIGENOUS DEVELOPED KNOW-HOW IN FERTILIZERS AND HEAVY CHEMICALS.

Catalysts and Chemicals :

*Supply of complete range of catalysts for the Fertilizer Industry, manufactured in our own Plants.

*Supply of Ammonium Bi-carbonate and other Chemicals

**Research & Development*

*Services of our Modern Physical and Chemical Research Laboratories for the Fertilizer Industry.

*Expertise on Scientific Farm Management.

Planning :

*Pre-operational Planning and execution of Projects.

Engineering :

*Detailed Engineering for the Fertilizer and Heavy Chemical Industry.

Industrial Management :

*Through In-Plant Training at all levels.

OUR PRODUCTS & SERVICES ARE BACKED BY YEARS OF FUNDAMENTAL RESEARCH AND COMMERCIAL EXPERIENCE

For Details Please Contact

PLANNING & DEVELOPMENT DIVISION
C.I.F.T. Buildings (Pin No. 828122)
P.O. SINDRI, DIST. DHANBAD.
BIHAR

TELEPHONE No. 60110, 60160, 60260
JHARIA [3 LINES]

GRAM : PLANDEV
Sindri

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १३ :

भारत की रक्षा व्यवस्था

स्वाधीनता के तुरन्त बाद से ही भारत की प्रभुसत्ता व अखंडता के अपहरण का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर निर्लज्जतापूर्ण आक्रमण करके उसके एक हिस्से पर बलात् कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को अपना 'शत्रु नं० १' घोषित करके बराबर छुट-पुट हमले जारी रखे।

पाकिस्तान के बाद पड़ोसी देश चीन ने देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए शत्रुता की नीति अपनाई। भारत अपनी तटस्थता की नीति के अन्तर्गत सभी पड़ोसी देशों से मित्रता का इच्छुक था। चीन को भी वह अपना मित्र मानता था किन्तु चीन ने अचानक सन् १९६२ में भारत पर खुला आक्रमण कर दिया। चीन के इस आक्रमण का हमने दृढ़ता के साथ सामना किया, किन्तु इस आक्रमण के फलस्वरूप हमें अपनी रक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लेना पड़ा।

पाकिस्तान ने छुट-पुट हमलों के बाद सन् १९६४ में फिर से शेष कश्मीर पर बलात् कब्जा करने का षड्यन्त्र रचा। उसने हजारों घुसपैठियों को छिपे रूप से कश्मीर में भेजकर तोड़-फोड़ की विध्वंसात्मक गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दीं। कश्मीर की रक्षा के लिए सेना के जवान सतर्क थे, अतः उन्होंने सम्भावित खतरे को भांप लिया और पाकिस्तानी विध्वँसकारियों का षड्यन्त्र असफल कर दिया। षड्यन्त्र असफल हो जाने पर १९६५ में पाकिस्तान ने खुला आक्रमण कर दिया जिसका हमारी सेना ने डटकर जवाब दिया। तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अमेरिका से लिए पैटन टैंकों व अन्य आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया, किन्तु भारतीय सैनिकों ने पैंटन टैंकों को बुरी तरह से ध्वस्त करके लाहौर के बर्की व इच्छोगिल नहर के किनारे तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत की नीति शांति व मित्रता की नीति है, अतः रूस के बीच में पड़ने से उसने ताशकन्द में हुए समझौते को मान लिया और जीते हुए सभी स्थान पाकिस्तान को वापस कर दिये।

भारत द्वारा सदैव शांति व मित्रता के लिए भूमिका तैयार करने के प्रयास के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व आक्रामक रवैया ही बनाए रखा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान ने २५ मार्च १९७१ को भीषण नरसंहार प्रारम्भ कराकर तथा वहां विशेषकर अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार कर, उन्हें भारत की ओर खदेड़ा। भारत में लगभग एक करोड़ शरणार्थी आ पहुंचे तथा उससे भारत के समक्ष अत्यन्त भयानक समस्या खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने इतना ही नहीं, पूर्वी बंगाल की घटना की आड़ में न केवल भारत विरोधी अभियान चलाया अपितु अनेक स्थानों पर भारतीय सीमा में गोलाबारी भी प्रारम्भ कर दी।

पाक आक्रमण व बंगला देश की मुक्ति

बंगाल देश की स्वतन्त्र सरकार ने बंगला देश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष छेड़ दिया। मुक्तिवाहिनी बराबर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेती रही।

३ दिसम्बर १९७१ को पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हवाई हमला कर दिया। भारतीय सेना ने आक्रमण का डटकर उत्तर दिया। पूर्वी व पश्चिमी दोनों क्षेत्रों से भारतीय सेना के सभी अंगों ने पाकिस्तान की ओर कूच किया। पूर्वी क्षेत्र में मुक्तिवाहिनी के साथ भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ती हुई आगे बढ़ी। ६ दिसम्बर १९७१ को भारत ने बंगला देश को मान्यता दे दी। अन्त में १६ दिसम्बर को भारतीय सेना ने ढाका पर अधिकार कर लगभग एक लाख पाकिस्तानी सैनिकों व अफसरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया।

इस युद्ध में भारतीय सेना ने बंगला देश को मुक्त कराने के अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र में भी पाकिस्तान को भारी पराजय दी।

२ जुलाई १९७२ को सम्पन्न शिमला समझौते के तत्काल बाद ही पाकिस्तान ने पुनः भारत को धमकियां देनी प्रारम्भ कर दीं।उसका रुख समझौते के कार्यान्वयन में बाधक रहा तथा उसने अपने वचन को ठुकराकर बंगला देश को मान्यता देने से इनकार कर दिया।

भारत ने पाकिस्तान के सभी बन्दी रिहा कर दिए तथा उसके साथ मैत्री स्थापित करने का भारी प्रयास जारी रखा। पाकिस्तान ने पुनः अमेरिका, ईरान, चीन, आदि देशों से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र खरीदकर तथा भारत के विरुद्ध विषवमन जारी कर हमारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। चीन व पाकिस्तान दोनों बराबर भारत के विरुद्ध कुचक्र रचने में लगे रहे हैं। कभी भारत के आणविक परीक्षण के विरोध में तो कभी सिक्किम व कश्मीर के प्रश्न पर वे भारत के विरुद्ध विषवमन जारी रखे हुए हैं।

भारत के १५ हजार किलोमीटर सीमांत क्षेत्र में से काफी क्षेत्र चीन व पाकिस्तान के साथ लगता है। भारत के विरुद्ध चीन व पाकिस्तान के गठबंधन के कारण यह खतरा और भी गम्भीर है। चीन तिब्बत में डेढ़ लाख से अधिक सैनिक लगाए हुए है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए रक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक व स्वाभाविक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में नई रक्षा योजना की भी व्यवस्था इसी गंभीरता को देखकर की गई है। भारत रक्षा-सम्बन्धी साधनों में आत्म-निर्भर होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष

राष्ट्रपति	डा० राजेन्द्रप्रसाद	१९५०
राष्ट्रपति	डा० एस० राधाकृष्णन	१९६२
राष्ट्रपति	डा० जाकिरहुसैन	१९६७
राष्ट्रपति	डा० वी० वी० गिरि	१९६९
राष्ट्रपति	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	१९७४ से

भारत के थल सेनाध्यक्ष

जनरल सर आर० एम० लाकहर्ट	१९४८
जनरल एफ० आर० आर० बुचर	१९४८
जनरल के० एम० करियप्पा	१९४९
जनरल महाराज राजेन्द्रसिंह	१९५३
जनरल एस० एम० श्रीनागेश	१९५५
जनरल के० एस० थिमैया	१९५७
जनरल पी० एन० थापर	१९६१
जनरल जे० एन० चौधरी	१९६३
जनरल पी० कुमारमंगलम्	१९६६
जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा	१९६९
जनरल गोपाल गुरुनाथ बेवूर	१९७३
जनरल टी० एन० रैना	१९७५ से

भारत के जल सेनाध्यक्ष

वाइस एडमिरल सर एडवर्ड पेरी	१९४८
वाइस एडमिरल सर सी० टी० एम० पिजे	१९५१
वाइस एडमिरल सर एस० एच० कारलिल	१९५५
वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी	१९५८
वाइस एडमिरल बी० एस० सोमन	१९६२
एडमिरल ए० के० चटर्जी	१९६६
एडमिरल एस० एम० नन्दा	१९७०
एडमिरल सुरेन्द्रनाथ कोहली	१९७३ से

भारत के वायु सेनाध्यक्ष

एयर मार्शल रोनाल्ड इवाला चैपमन	१९४८
एयर मार्शल जी० ई० गिब्स	१९५१
एयर मार्शल एस० मुखर्जी	१९५४
एयर चीफ मार्शल अर्जनसिंह	१९६५
एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल	१९६९
एयर चीफ मार्शल ओ० पी० मेहरा	१९७३ से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रक्षा मन्त्रालय

देश की सुरक्षा का दायित्व रक्षा मन्त्रालय पर है। सेनाओं के प्रशासन तथा कार्य-संचालन पर नियंत्रण रखने का दायित्व सेनाओं की तीनों शाखाओं के मुख्यालय के अतिरिक्त प्रतिरक्षा मंत्रालय पर भी है। मंत्रालय ही सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियों तथा उनके विकास में सामंजस्य रखने, सरकार द्वारा निर्धारित नीति विषयक मामलों से तीनों मुख्यालयों को अवगत कराने तथा उन्हें कार्यान्वित कराने का कार्य करता है। रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत ही रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षापूर्ति विभाग सम्मिलित हैं।

सेनाओं का संगठन

तीनों सेनाओं का दायित्व सुरक्षा मन्त्रालय का है, पर तीनों का कार्यपालन अपने-अपने प्रधान या अध्यक्षों के अन्तर्गत होता है। 'चीफ आफ दी स्टाफ' के मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। अपनी-अपनी सेनाओं की गतिविधि का नियंत्रण यही करते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बने मण्डल और उसके विस्तार का ही नाम 'चीफ आफ दी स्टाफ' है।

स्थल सेना

इसका एक अध्यक्ष या प्रधान होता है जो स्थल सेनाध्यक्ष कहलाता है। इसकी सहायता के लिए उप-सेनाध्यक्ष तथा चार 'प्रिंसिपल स्टाफ अफसर' होते हैं। ये चारों क्रमशः डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल आफ आर्डिनेंस कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त शाखा मुख्य होते हैं जो सैनिक सचिव तथा इंजीनियर-इन-चीफ़ (मुख्य अभियन्ता) कहाते हैं। स्थल सेना की विभिन्न शाखाएं हैं :

जनरल स्टाफ ब्रांच : इनके दो कार्य हैं : (१) स्थल सेना का संगठन व कार्य नियोजन, सैनिक कार्य, जासूसी प्रशिक्षण, युद्ध कौशल का विकास और सैनिक सर्वेक्षण व इजीनियरिंग स्टाफ के मामले। इनका निपटारा उप-सेनाध्यक्ष करते हैं। (२) सैन्य सम्बन्धी काम, हथियार व साज-सामान चुनना तथा तत्संबंधी नीति का समन्वय। ये कार्य डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ करते हैं। इनके विभिन्न कार्यों के लिये ११ निदेशालय हैं।

एडजुटेंट जनरल ब्रांच : यह जन शक्ति, भर्ती, छुट्टी, वेतन, भत्ता व पेंशन तथा सेना की अन्य शर्तों व अनुशासनिक कार्य एवं कल्याण, स्वास्थ्य तथा सैनिक कानून के कार्य देखती है।

क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच : कर्मचारियों, भण्डार तथा साज-सामानों का संचालन, भण्डार-निर्माण, खाद्य-पदार्थ, चारा तथा ईंधन का निरीक्षण व संप्रेषण, सैनिक फार्म, रिमाउण्ट तथा पशु-चिकित्सा सेवाएं, सैनिक डाक-सेवा, श्रम तथा कैंटीन सेवाएं तथा निर्माण कार्यों के तकनीकी निरीक्षक इसके अंतर्गत आते हैं।

मास्टर जनरल आफ आर्डिनेंस ब्रांच : इसके अधीन तीन निदेशालय हैं—आर्डिनेंस सेवा, रक्षा सामग्री का अर्जन, विकास, संगठन तथा बिजली व मैकेनिकल इन्जीनियर्स। इसका मुख्य कार्य, सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति तथा सभी मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल सैनिक सामग्रियों की निगरानी, मरम्मत और रख-रखाव है। नौसेना तथा वायुसेना के काम के साधारण सामान भी इसमें शामिल हैं।

मिलिटरी सेक्रेटरी ब्रांच : यह सैनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत अभिलेख (रिकार्ड)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रखती है तथा उनके पदस्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति तथा कार्यनिवृत्ति आदि के लिए उत्तरदायी है।

इंजीनियर इन-चीफ ब्रांच : इंजीनियर इन चीफ 'कोर आफ इंजीनियर्स' का प्रधान होता है तथा तीनों सेनाध्यक्षों व आर्डिनेंस फैक्टरियों के महानिदेशक को इंजीनियरिंग संबंधी मामलों में राय देता है। इसके अधीन अनेक निदेशालय हैं।

नौसेना

इसका प्रधान नौसेनाध्यक्ष या चीफ आफ नेवल स्टाफ है। इसके नीचे पांच 'प्रिंसिपल स्टाफ अफसर' हैं—उनके कार्य विषय ये हैं :

(१) **वाइस चीफ आफ नेवल स्टाफ** : संक्रियाएं, योजनाएं, हथियार संबंधी नीति, नौसेना-जासूसी, नौसंचार व्यवस्था, सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा नौसेना सचिवालय।

(२) **चीफ आफ पर्सोनेल** : भर्ती, सेना के नियम व शर्तें, प्रशिक्षण, नौसेना के सैनिक व कार्मिकों के कल्याण, अनुशासन, शिक्षा, चिकित्सा नौसेना के वैधानिक मामले।

(३) **चीफ आफ मेटीरियल** : जहाजों, हथियार और साज-सामान, नौसेना डॉकयार्ड और हथियारों की व्यवस्था, शस्त्रों की देखभाल तथा नौसेना इंजीनियरिंग कार्य।

(३) **असिस्टेंट चीफ आफ नेवल स्टाफ** : नौसेना की हवाई शाखा, पनडुब्बी शाखा तथा नौसैनिक शिक्षा।

(४) **चीफ आफ लॉजिस्टिक** : असैनिक कर्मचारी, सिविल इंजीनियरिंग, रसद तथा आपूर्ति।

नौसेना का प्रशासन

प्रशासकीय सुविधाओं के लिए भारतीय नौ-सेना निम्नांकित तीन भागों में विभाजित है :

वेस्टर्न नेवल कमांड : यह कमांड वाइस एडमिरल की अधीनता में तथा जामनगर से लेकर गोवा तक के समुद्र तट और अरब सागर में स्थित हमारी भू-सम्पदा की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। इस तट पर स्थित नौ-सैनिक प्रशिक्षण तथा अन्य संस्थान भी इस कमांड के अंतर्गत हैं।

ईस्टर्न नेवल कमांड : हमारे पूर्वी समुद्र तट तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारी भू-सम्पदा की रक्षा का दायित्व इस कमांड पर है। रियर एडमिरल के अधीन काम करने वाली इस कमांड पर ही पूर्वी समुद्र तट स्थित प्रशिक्षण व अन्य संस्थानों के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी है।

सदर्न नेवल एरिया : यह एरिया कोमोडोर के मातहत है तथा गोवा के दक्षिण से लेकर देश के दक्षिणी छोर तक सारे पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कोचीन तथा अन्य स्थानों में स्थित दीक्षा संस्थायें भी इसी एरिया के अधीन हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वायु सेना

इसका प्रधान वायुसेनाध्यक्ष या चीफ आफ एयर स्टाफ है जिसकी सहायता के लिए चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं—वाइस चीफ आफ एयर स्टाफ (उप-वायुसेनाध्यक्ष), डिप्टी चीफ आफ एयर स्टाफ (प्रति वायुसेनाध्यक्ष), एयर अफसर मैंटेनेंस (वायुसेना पदाधिकारी, संधारण) तथा एयर अफसर एडमिनिस्ट्रेशन (वायुसेना पदाधिकारी, प्रशासन)। वायुसेना मुख्यालय की तीन मुख्य शाखायें हैं :

(१) **वायुसेना कर्मचारी वर्ग शाखा** : (एयर स्टाफ ब्रांच) : नीति तथा योजना, प्रशिक्षण, संकेतक, शिक्षा, सहायक और सुरक्षित तथा नियंत्रित शस्त्र उप-वायुसेनाध्यक्ष के अंतर्गत हैं। संक्रियाएं, उड़ान-सुरक्षा, जासूसी तथा मौसम विज्ञान के कार्य प्रतिवायु-सेनाध्यक्ष देखते हैं।

(२) **वायु सेना प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी** : इसके अधीन प्रशासन शाखा है। कार्य-भर्ती, अनुशासन, सेवा के नियम व शर्त, नियुक्ति, पदोन्नति, कल्याण-कार्य, चिकित्सा, लेखा-बजट और निर्माण।

(३) **संधारण शाखा** : यह वायुसेना संधारण के प्रभारी पदाधिकारी के अधीन है।

कार्य—वायुयानों की देखभाल, हथियारों व अन्य साज सामानों का भंडार रखना, वायुयानों का संग्रह।

वायुसेना कमान : इसकी ५ कमानें हैं—पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी, प्रशिक्षण तथा अनुरक्षण कमान। कुछ विरचनायें वायुसेना मुख्यालय के नीचे काम करती हैं।

भारतीय सेना की परम्परा बहुत पुरानी और अत्यन्त उज्ज्वल है। देश-रक्षा के साधारण कार्य के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं : (१) देश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने में मदद देना। जब स्थिति पुलिस के वश में नहीं रहे तब आंतरिक विद्रोहों का दमन करना भी इसका काम है। केन्द्रीय सरकार की देश में शांति और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी है, इसको वह सेना के ही सहारे पूरी करती है। (२) इसके सिवाय यह प्राकृतिक विपत्ति जैसे भूकम्प, बाढ़, आंधी, अकाल में मुल्की अधिकारियों की मदद करती है। असाधारण स्थिति में सेना नागरिक कार्यों में मदद करती है जबकि नागरिक प्रशासन असमर्थ हो जाता है। (३) यह आकाशीय फोटोग्राफी सर्वे करती है। इससे विकास योजनाओं, जल और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में और उनका स्थान चुनने में सहायता मिलती है। (४) जंगलों को साफ करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने में मदद देती है। सेना ने अपनी छावनियों की जमीन में खेती करके अन्न-संकट को दूर करने में भारी मदद पहुँचाई है। (५) विश्व शांति की रक्षा में यह अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करती है।

देश से बाहर : भारतीय सेना, ब्रिटिश शासन के समय, ब्रिटिश शासन के विस्तार और उसकी रक्षा के लिए भारत से बाहर जाती थी और इसका खर्च भी ब्रिटिश खजाने से नहीं अपितु भारतीय जनता से लिया जाता था। भारतीय सेना अब भी शांति स्थापना हेतु बाहर जाती है। इस दिशा में भारतीय सेना के कार्य सर्वविदित हैं :

(१) कोरिया-युद्ध विराम संधि को भारतीय सेना ने क्रियान्वित कराया, (२) वियतनाम, लाओस व कम्बोडिया में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण का कार्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारतीय सेना ने किया। (३) १६ नवम्बर, १९५५ को भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद के लिए बाहर भेजी गई। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र की इमर्जेंसी फोर्स में भारतीय सेना का एक दस्ता भी था। (४) १९५८ में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षण दल में भारतीय सेना के ७० अफसरों ने भाग लिया। (५) इससे पहले कांगों में शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय कार्य में संयुक्त राष्ट्र की सहायता में ७०० सैनिक गये। फिर कांगों में युद्ध के भयंकर होने पर तोपखाने के साथ एक ब्रिगेड मार्च १९६१ में गया। कांगों में ही भारतीय हवाई सैनिकों के साथ ६ इंटरसेप्टर केनबेरा जेट विमान भेजे गये। चीनी आक्रमण के बाद अप्रैल १९६३ में ब्रिगेड ग्रुप और कुछ प्रशासकीय वर्ग को वापस बुला लिया गया। इसके बाद शेष रहा भाग भी कांगों से वापस बुला लिया गया। (६) सेना के अफसरों का एक छोटा दस्ता यमन भेजा गया। (७) दिसम्बर १९७१ में बंगला देश की मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेना ने बंगला देश को पाकिस्तान के खूनी शासन से मुक्त कराया।

शांति स्थापना : पश्चिमी और दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति बनाये रखने का काम भारतीय सेना ने समय-समय पर सफलतापूर्वक किया है। २७ वर्ष के जीवन में पाँच बार उसको अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापना के कार्य में योग देना पड़ा है।

सीमाओं की रक्षा

अपनी सुख-सुविधा की परवाह किये बगैर हमारे सिपाही, नौसैनिक और हवाबाज चौबीसों घंटे ऐसे खराब मौसम में सीमा की चौकसी करते रहते हैं जिसमें कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना भी मुश्किल है।

बर्फीली चोटियों पर : हमारे जवान उत्तर में शून्य से भी कम तापमान वाली पिकेटों में ड्यूटी पर तैनात हैं। कई महीनों तक ये स्थान बर्फ से ढके रहते हैं और उनका बाहरी सभ्यता से कोई संपर्क नहीं रहता। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हवा का दबाव कम होने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में भी वे मुस्तैदी के साथ सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं।

झुलसते रेगिस्तान में : राजस्थान के मरुस्थल की तपती हुई धूप में भी हमारे जवान सीमा पर तैनात रहते हैं। मीलों घास का एक पत्ता भी दिखाई नहीं देता। ताजा पानी बड़ी नियामत है और दूर-दराज से लाना पड़ता है। कभी-कभी एक आदमी को दिन भर में बस एक बोतल पानी मिलता है। रेगिस्तानी सांप खूब मिलते हैं। रेत भरे तूफान अक्सर आते हैं और सड़कें रातों-रात गायब हो जाती हैं।

नदी-नालों के इलाके में : हमारे जवानों को असम के बर्मा से लगे जंगलों और दल-दल वाले क्षेत्रों में भी काम करना पड़ता है। मानसून के दिनों में जबकि वर्षा के कारण पहाड़ी नदियों में बाढ़ आयी होती है, सेना के जवान इन नदियों को बेड़ों या बांस और रस्सी से बने कमजोर पुलों के जरिये पार करते हैं।

इन कठिन परिस्थितियों में युद्ध-कुशलता बनाये रखना कोई आसान काम नहीं है। हथियारों को साफ रखना भी एक समस्या है। लेकिन पहाड़ी युद्ध विद्यालयों, शीतकालीन युद्ध विद्यालयों, मरुस्थल प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे अनेक विद्यालयों में इस बात को ध्यान में रख कर शिक्षा दी जाती है कि हमारे जवान हर समय लड़ने के लिए तैयार रहें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समुद्री तूफान से जूझते हुए नौसैनिक : कुछ घटनाएं भयावह भी होती हैं, जैसे कि समुद्री तूफान। जब शांत जल उबलते कड़ाहे में बदल जाता है तो ऐसा लगता है कि वह जहाज और चालक दोनों को निगल जाएगा। हमारे नौसैनिकों को बुरे-से बुरे मौसम में अपने जहाजों को निकाल कर ले जाना पड़ता है।

समुद्र में दस से बारह मीटर ऊंची लहरें तो उठती ही रहती हैं। शक्तिशाली लहर एक जहाज को माचिस की तरह उछाल सकती हैं। इस प्रकार की स्थिति जहाज में सवार व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठिन और डरावनी होती है।

वर्षा के या कोहरे के कारण कम दूरी तक दिखाई देने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों में जहाज चलाना भी एक खतरा है।

तूफान में क्षत-विक्षत या डूबते हुए व्यापारिक जहाज को बचाने में बचाव कार्य दल के नाविकों को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक जहाजों के मुसीबत में फंसे बहुत से नाविक अपने जीवन के लिए हमारे बहादुर नौसैनिकों के ऋणी हैं।

हवा की लहरों पर तैरते हुए वायुसैनिक : सर्दी के दिनों का कोहरा या बेहद गर्मी में उठती हुई गरम हवा की लहर वायुयान के उड़ने और भूमि पर उतरने में खतरनाक हो सकती है। हलकी वायु और लद्दाख की कड़कती ठंड में हमारी वायुसेना के विशाल वायु-यान बर्फीले क्षेत्रों में दिन-रात थल सेना के जवानों को खाने-पीने की और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करते रहते हैं।

अजेय साहस का चमत्कार : उत्तर-पूर्व भारत में कोहरे से ढकी घाटियों और बादलों से घिरी पहाड़ी की चोटियों मे उतरते समय हमारी वायुसेना के चालक अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं। इन इलाकों में वायुयान का उड़ना या उतरना मौसम की मनमानी पर निर्भर करता है। बाढ़ में घिरे गांव के लोगों या पर्वतारोहण अभियान के घायल सदस्यों को निकालने में हैलीकोप्टर के चालकों ने कई बार खतरा मोल लिया। इन खतरों पर शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, योजना और सबसे बढ़कर अजेय साहस से काबू पाना होता है।

हमारी रक्षा सेवाओं के जवानों को दिये गये कड़े प्रशिक्षण और उनकी निष्ठापूर्ण सेवा की भावना से ही हम अपनी सीमाओं, समुद्र और आकाश को मुक्त और निर्बंध रखने में सफल हो सकते हैं।

पड़ोसी देशों में हथियारों की होड़

पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों को तेल से जो अपार धनराशि प्राप्त हुई है, उससे उन्होंने इतने हथियार और आधुनिक शस्त्रास्त्र इकट्ठे करने शुरू कर दिये हैं जिनका उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से कोई तालमेल नहीं बिठाया जा सकता। अपनी रक्षा नीति के निर्धारण में हमें इस बात की संभावना का भी ध्यान रखना होगा कि इन देशों से आधुनिक हथियार अथवा पुराने पड़े हथियार पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा ने भी हमारे पड़ोसी देशों में तनाव को और बढ़ा दिया है।

अपनी रक्षा संबंधी योजना में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। हम अपने कुल बजट का लगभग २५ प्रतिशत रक्षा-व्यवस्था पर खर्च कर रहे हैं जो हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन के ४ प्रतिशत से भी कम बैठता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हमारी सैनिक शक्ति

थल सेना : १९६२ में चीनी आक्रमण के पश्चात् यह योजना बनायी गयी थी कि हमारी सैनिक संख्या ८ लाख ३० हजार के आसपास होनी चाहिए, और तब से हमारी स्थायी थल सेना लगभग इतनी ही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में हमारे खतरों के आकार और किस्म, दोनों ही काफी बदल गये हैं, फिर भी हमारी थल सेना में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। बहरहाल, पिछले कुछ वर्षों में इसकी गतिशीलता और मारक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया गया जिससे अब यह अधिक प्रभावशाली बन गयी है। १९६५ और १९७१ में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्षों से जो सीख मिली है, उसका हमने पूरा विश्लेषण किया है और थल सेना की प्रहारक क्षमता को बढाने के लिए उपयुक्त उपाय किये हैं। संसार के अन्य भागों में हुए संघर्षों, विशेषकर अभी १९७३ में हुए अरब-इजराइली युद्ध से भी हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, उसके आधार पर अपने सामरिक सिद्धांत निर्धारित किये हैं। विभिन्न थल सेना यूनिटों को कठोर और अविरत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें युद्धकालीन जैसी स्थिति बनाने की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। कमान और नियन्त्रण व्यवस्थाओं को सुनियोजित रूप दिया गया। प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से तथा व्यावहारिक अभ्यास के जरिये विभिन्न स्तरों के अफसरों में कमान तथा नेतृत्व के गुणों का विकास करने की दिशा में सभी संभव प्रयास किये जाते हैं। कुल मिलाकर, पिछले कुछ वर्षों से थल सेना की रक्षात्मक क्षमता तथा प्रहार शक्ति बराबर बढ़ रही है।

नौसैनिक बेड़े में वृद्धि : भारतीय नौसेना पहले ही से तीनों सेनाओं में सबसे छोटी रही है, लेकिन १९७१ में पाकिस्तान के विरुद्ध झड़पों में इसे जो अपूर्व सफलता मिली, उससे सबको इसकी सामर्थ्य का एहसास हुआ। हिंद महासागर में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए यह महसूस किया गया कि भारतीय नौसेना का और अधिक विकास होना चाहिए। देश की लंबी तट रेखा, तट के पास के द्वीपों तथा तट के पास के तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का भार इसी पर है। भारतीय नौसेना के बेड़े की शक्ति को बढ़ाने तथा मरम्मत, अनुरक्षण और संभारिकी की अधिक अच्छी सुविधाएं जुटाने के लिए कदम उठाये गये हैं। सामुद्रिक युद्धकौशल की नयी तकनीकों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बेड़े को आधुनिकतम बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और इसके लिए युद्धपोतों का अपने यहां ही निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें हम विदेशों से भी प्राप्त कर रहे हैं। देश को होने वाले खतरों को दृष्टिगत रखकर हम अपनी नौसेना संबंधी आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं।

वायुसेना : भारतीय वायुसेना की शक्ति ४५ स्क्वैड्रनों पर ही स्थिर है। हमने वायुसेना के लिए चूंकि विभिन्न देशों से वायुयान खरीदे थे, इसलिए उनके रख-रखाव से संबंधित समस्याएं उठ खड़ी हुईं। अतः हमने कुछ ही गिने-चुने किस्म के वायुयानों से ही अपना हवाई बेड़ा बनाये रखने के लिए कदम उठाये हैं। पुराने वायुयानों को एक सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार हटाकर उनकी जगह नये आधुनिक वायुयान रखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वायुयानों की अपने यहां ही मरम्मत और ओवरहालिंग की सुविधाएं जुटायी गयी हैं ताकि युद्धकाल में उनकी तत्काल मरम्मत हो सके। वायुयानों के निर्माण के लिए देश में ही सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी थोड़े-बहुत पुर्जे हमें बाहर से भी मंगवाने पड़ते हैं। मिग-२१ एम वायुयान वायुसेना में आ गये हैं और अब ऐसी योजना है कि अधिक-से-अधिक स्क्वैड्रनों में यही वायुयान रखे जाएं। दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एक योजना बनायी गयी है जिसमें यथासंभव अधिक-से-अधिक देशी उत्पादन पर बल दिया गया है। यह इन प्रयासों का ही सुपरिणाम है कि भारतीय वायुसेना अब लड़ाकू बमवर्षक, बममार और परिवहन वायुयानों से युक्त एक संतुलित वायुसेना के रूप में आ खड़ी हुई है।

अधिक-से-अधिक आधुनिक सामान : तीनों सेनांगों की रक्षा सामग्री संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ३१ आर्डनेंस कारखाने तथा नौ सरकारी रक्षा उपक्रम स्थापित किये हैं। पिछले वर्ष इन सभी कारखानों का कुल उत्पादन लगभग ४७० करोड़ रुपये का रहा। रक्षा सामग्री के उत्पादन के लिए इतना वृहद् आधार स्थापित करने में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने रक्षा संबंधी साज-सामान को अधिक-से-अधिक आधुनिक बनायें। इसके अतिरिक्त हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य भी सदैव यही रहा है कि हम आत्मनिर्भर बनें और विदेशों पर कम-से-कम आश्रित रहें। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि आपात-स्थिति में, राजनीतिक पहलुओं के कारण, विदेशों से माल का आना कभी भी बंद हो सकता है। हालांकि अपेक्षित तकनॉलोजी के अभाव में तथा देश में बनाये जाने पर उसका उत्पादन-मूल्य अधिक होने के कारण हम आयात को पूर्णतः बंद नहीं कर सकते, फिर भी हमारी नीति मुख्यतः यह रही है कि मुख्य उपस्करों में देशी सामान का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए और विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त की जाए। आयात-प्रतिस्थापन की नीति को सफल बनाने के लिए हमने इन प्रयासों में निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया है और उसे ऐसी सामग्री का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया है जो अब तक विदेशों से मंगाई जाती थी। इन समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप अब हम अपने यहां अनेक प्रकार की गनों, गोला-बारूद, पुलों, विस्फोटकों, वाहनों तथा खास किस्म के खाद्य पदार्थों और वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हैं। जेट वायुयानों, विभिन्न क्षमता वाले नौसैनिक जलयानों, प्रक्षेपास्त्रों, मशीनी औजारों तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे आधुनिकतम रक्षा सामान का भी अब अपने ही देश में उत्पादन हो रहा है। वास्तव में, अब हमने, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष बची सामग्री का थोड़ा-बहुत निर्यात भी शुरू कर दिया है।

अनुसंधान और विकास पर जोर : रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ३२ प्रमुख स्थापनाएं और प्रयोगशालाएं हैं जो तीनों सेनांगों के लिए अपेक्षित शस्त्रास्त्रों तथा उपकरणों के डिजाइन बनाने और उनका विकास करने के काम में जुटी हुई हैं। यह संगठन शैक्षिक स्तर पर देश की विभिन्न वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है ताकि देश में रक्षा और गैर-रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे अनुसंधान-कार्य में बराबर तालमेल कायम रह सके। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप हम अधिक कारगर शस्त्रास्त्रों और देशी टैक्नोलोजी का विकास करने में सफल रहे हैं। सीमांत टैक्नोलोजी के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य हाथ में लेने के लिए अपेक्षित व्यवस्था कर ली गयी है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत वर्षों में हमने अपनी रक्षा सामर्थ्य को काफी बढ़ाया है। तीनों सेनांग अब भली भांति सशस्त्र और सुसज्जित हैं, प्रशिक्षित हैं और उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा है। सीमाओं पर अपने दायित्व को पूरा करने में उनकी सहायता के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लिए संभारिकी सहयोग देने वाली व्यापक प्रणाली है, देश में ही रक्षा सामग्री के उत्पादन का सुदृढ़ आधार है और ऐसी वैज्ञानिक स्थापना है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य युवा पुरुषों एवं महिलाओं में चरित्र निर्माण, सखा भाव, सेवा-भाव तथा नेतृत्व शक्ति का विकास करना और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना है, जिससे उनमें देश रक्षा के प्रति दिलचस्पी बढ़े और आपात स्थिति में सशस्त्र सेनाओं का तुरन्त विस्तार करने में सहायता मिल सके।

संख्या शक्ति

वर्ष के दौरान देश में १०१ विश्वविद्यालयों के ३,४९२ कालेजों और ६,४८१ स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की व्यवस्था रही। ३१ दिसम्बर, १९७४ को राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या शक्ति इस प्रकार थी :—

	सीनियर डिवीजन		जूनियर डिवीजन	
यूनिट	अधिकतम सीमा	वास्तविक संख्या शक्ति	अधिकतम सीमा	वास्तविक संख्या शक्ति
सेना स्कंध	३,१३,८००	२,८६,९४६	५,३१,८५०	४,९७,९५०
नौसेना स्कंध	१२,६००	११,५५०	४९,१००	४४,८३४
वायु सेना स्कंध	११,६००	९,७३७	५२,०५०	४६,२५३
बालिका डिवीजन	६२,०००	५२,९३०	६७,०००	६१,१७३
	४,००,०००	३,६१,१६३	७,००,०००	६,५०,२१०

राष्ट्रीय कैडेट कोर अमला

१९७४-७५ वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्राधिकृत अमले में थल सेना, नौसेना, वायु सेना तथा शिक्षण संवर्ग के १४७३५ अफसर, ४,५९८ जे० सी० ओ० तथा १०,११९ गैर-कमीशंड अफसर थे। अकेले शिक्षण संवर्ग के ही १२,७२० अफसर पूर्णकालिक तथा अंश कालिक आधार पर नियुक्त थे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सम्मान और पुरस्कार

राष्ट्रपति ने २७ जनवरी, १९७४ से २६ जनवरी, १९७५ तक निम्नलिखित शौर्य पुरस्कार और अन्य अलंकरण प्रदान किए हैं :

शौर्य पुरस्कार

कीर्ति चक्र	...	५	
शौर्य चक्र	...	२४	(इनमें पांच मरणोपरांत पुरस्कार भी शामिल हैं)

अन्य अलंकरण (सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को प्रदान किए गए)

परम विशिष्ट सेवा मैडल	...	१५	
अतिविशिष्ट सेवा मैडल	...	४८	
सेना मैडल	...	२४	(इनमें एक मरणोपरांत पुरस्कार भी शामिल है)
नोसेना मैडल	...	१२	
वायु सेना मैडल का बार	...	२	
वायु सेना मैडल	...	२४	
विशिष्ट सेवा मैडल	...	५३	

३० मार्च, १९७४ को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें निम्नलिखित मैडल प्रदान किए गए थे।

परम विशिष्ट सेवा मैडल	...	८
कीर्ति चक्र	...	३
अति विशिष्ट सेवा मैडल	...	२६
वीर चक्र	...	५
शौर्य चक्र	...	१५
योग	...	५७

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १४ :

शिक्षा

भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का मुख्य दायित्व राज्यों पर है किन्तु केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को राज्यों के निर्देशार्थ व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट दायित्वों को निभाना होता है—(१) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (अलीगढ़-मुस्लिम, बनारस-हिन्दू, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू एवं विश्वभारती) तथा विश्व-विद्यालय स्तरीय संस्थानों का संचालन, (२) शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा संस्थानों में तालमेल एवं मानिक रक्षण, (३) हिन्दी का संवर्धन, प्रचार एवं प्रसार, (४) शैक्षणिक योजना बनाना, (५) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, (६) सर्वेक्षण कार्य (अर्थात् भारत सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानविकीय सर्वेक्षण, वनस्पतीय सर्वेक्षण एवं प्राणिकीय सर्वेक्षण आदि संस्थाओं का संचालन), (७) भारत इतर देशों के साथ शैक्षणिक समझौते करना आदि।

संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग के लिए वर्ष १९७४-७५ तथा १९७५-७६ के लिए बजट व्यवस्था इस प्रकार है— (रुपये लाखों में)

विवरण	बजट १९७४-७५	संशोधित १९७४-७५	बजट १९७५-७६
संस्कृति विभाग	६७८·३८	५३२·४९	६७८·४१
पुरातत्व	५१७·५६	४७३·३५	५९०·३२
जोड़	११९५·९४	१००५·८४	१२६८·७३

स्कूल शिक्षा

इस वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान का पुनर्गठन किया गया, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का ही एक अंग है, ताकि शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्य में समन्वय और गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों में प्रगति सुनिश्चित की जा सके। आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, जिसने १७ और विद्यालय खोले थे, अपने पिछले वर्षों के उत्तम रिकार्ड को बनाए रखा। केन्द्रीय मंत्रालय ने चुने हुए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने के लिए,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

व्यावसायीकरण की एक योजना तैयार की है। हाल में शुरु की गई शैक्षिक प्रौद्योगिकी परियोजना ने केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रगति की।

उच्च शिक्षा

देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिये उच्च शिक्षा का विकास महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा आशाजनक भूमिका निभा सकती है यदि प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वविद्यालयों और कालेजों की ओर आकर्षित हों जो कि तभी सम्भव है यदि विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों के वेतनमान आकर्षक हों। आशा है कि अध्यापन तथा अनुसंधान में लगे व्यक्तियों के कार्य की स्थितियों में सुधार के फ़लस्वरूप, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने तथा उच्च शिक्षा की पद्धति स्थापित करने के लिये जिससे कि राष्ट्रीय विकास में मदद मिलेगी, अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। तद्नुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित वेतनमान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के लिये स्वीकृत किये गये हैं तथा इन वेतनमानों को राज्य सरकारों की स्वीकृति के लिये भी सिफारिश की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नये गुणात्मक एवं नवीन कार्यक्रम, जैसे परीक्षा सुधार तथा स्वायत्त कालेज एवं पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन प्रारम्भ किया है। परीक्षा सुधार के क्षेत्र में, आयोग ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा कार्रवाई की एक आयोजना शुरू की है जिसमें शिक्षण की नई पद्धतियों और कक्षा के अनुभवों पर आधारित व छात्रों के विभिन्न वर्गों के स्तरों और उपलब्धियों के उपयुक्त नए प्रकार के परीक्षा प्रश्न-पत्रों की व्यवस्था है। वर्ष के दौरान, आयोग के संकाय सुधार तथा अनुसन्धान अधिछात्रवृत्तियों की व्यवस्था जैसे अन्य कार्यक्रम जारी रहे।

हैदराबाद में नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय २ अक्तूबर, १९७४ को अस्तित्व में आया। आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने सामान्य कार्यों को जारी रखा। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में अनुसंधान कार्यक्रमों में तीव्र प्रगति हुई।

छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय तथा समाज कल्याण मंत्रालय की विभिन्न छात्रवृत्तियों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संचालन की प्रगति को वर्ष के दौरान जारी रखा गया।

पुस्तक प्रोन्नति

छठा राष्ट्रीय पुस्तक मेला बम्बई में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वावधान में भारतीय पुस्तक उद्योग का सर्वेक्षण, जो कि पहली बार किया गया था, वर्ष के दौरान पूरा किया गया।

युवक कल्याण, राष्ट्रीय एकता, खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा

राष्ट्रीय सेवा योजना के सक्रिय होने पर १९७३ में शुरू किए गए "युवकों बनाम अकाल" अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति होने पर, "युवक बनाम गन्दगी तथा बीमारी" नामक एक विशेष शिविर कार्यक्रम वर्ष १९७४ में शुरू किया गया। इस वर्ष ग्रामीण खेलों के क्षेत्र

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में और प्रगति हुई तथा खेलकूद गतिविधियों को व्यापक आधार प्रदान करने पर बल दिया गया, ताकि खेलकूदों में ग्रामीण तथा जन-जातीय युवकों को शामिल किया जा सके।

भाषाएं

केन्द्रीय मंत्रालय ने, हिन्दी, भारतीय भाषाओं, संस्कृत और साथ ही अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति और विकास के लिए पूर्ण सहायता देना जारी रखा। भाषा विकास और भाषा शिक्षण तथा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विश्व-विद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का संचालन जारी रखा गया।

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

यूनेस्को के महा-सम्मेलन का अठारहवां अधिवेशन १७ अक्तूबर से २४ अक्तूबर, १९७४ तक पैरिस में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री ने किया।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पांचवीं योजना के कार्यक्रम इनसे सबंधित होंगे, जैसे १५ से २५ वर्ष के आयु वर्गों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, १५ और उससे ऊपर के आयु वर्गों के विकास-कार्यकलापों से संबंधित कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम तथा शहरी कामगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने, आलोच्य वर्ष में अपना कार्य जारी रखा तथा उसे प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रलेखन केन्द्र के रूप में मनोनीत किया गया।

सांस्कृतिक मामले

जिन देशों के साथ सांस्कृतिक करार किये गये उनके नाम हैं—यमन लोक जन-वादी गणराज्य, सेअलने, टोना, कीगर्जेन्लम्बिया, कोरिया, सूडान, गुयाना, मारीशस, तंजानिया तथा बहरीन। भारत-अमेरिका संयुक्त आयोग करार के अन्तर्गत, जिस पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं, दोनों देशों के बीच शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक उप-आयोग की स्थापना की गई। इटली तथा श्रीलंका से सांस्कृतिक करार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। बारह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आलोच्य वर्ष में तैयार किये गए। पिछले वर्षों की तरह आलोच्य वर्ष में भी भारत व अन्य कई देशों के बीच सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के दौरों के जरिए पर्याप्त परस्पर विचार विनिमय हुआ। अकादमियों तथा अन्य संस्थाओं ने आलोच्य वर्ष के दौरान अपने कार्य की गति को बनाये रखा।

पुरातत्व

आलोच्य वर्ष की अवधि में, पुरातत्वीय सर्वेक्षणों, खोजों तथा खुदाइयों एवं पुरातत्व सामग्री के प्रकाशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का विस्तार सम्बन्धी कार्य

इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तक प्रकाशन एवं उनके प्रचार सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी वर्ष के दौरान कार्यान्वयन करता रहा है। इस निदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों के अनेक शिविर आयोजित किए तथा प्रसिद्ध हिन्दी लेखकों की भाषा यात्राएं आयोजित कीं। इसने विश्व-हिन्दी सम्मेलन, नागपुर में हुई पुस्तक प्रदर्शनी के साथ-साथ देश में पाँच और पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।

विदेशों में हिन्दी का प्रचार

इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष के दौरान, उन विदेशी व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने हिन्दी पहले ही सीख ली है, अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए विदेशों में वितरण के लिए, १,१५,००० रुपए की हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई। मारीशस सरकार को एक हिन्दी प्रेस भी उपहार के रूप के रूप में दिया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान मंत्रालय ने करीवियन देशों में काम करने वाले तीन हिन्दी लैक्चररों एवं श्रीलंका में दो अंशकालिक रूप में काम करने वाले लैक्चररों का भी कार्यक्रम जारी रखा। इस योजना के अन्तर्गत दिए गए फैलोशिप के आधार पर दो विद्यार्थी मंगोलिया के, चार फिजी के, दो गायना के, एवं एक विद्यार्थी कम्बोडिया का, इस समय भारत में हिन्दी अध्ययन कर रहे हैं।

इसी योजना के अन्तर्गत मारीशस के २० कलाकारों का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया। इन कलाकारों ने नागपुर में होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लिया।

भारत-जर्मन-जनवादी-जनतंत्र सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन, हम्बोलट विश्वविद्यालय, बर्लिन, (जी०डी०आर०), के सहयोग से, व्यापक जर्मन-हिन्दी एवं हिन्दी-जर्मन शब्दकोषों की रचना के लिए एक परियोजना का कार्य भी आरम्भ किया गया है।

हिन्दी शिक्षा समिति

हिन्दी के विस्तार एवं विकास के क्षेत्र में यह समिति मंत्रालय को मूल्यवान सलाह देती रही है।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति

वर्ष १९७३-७४ में, चौथी पंचवर्षीय योजना के पूरे हो जाने पर उस योजना के अन्त तक नियुक्त किए गए लगभग २२,००० हिन्दी शिक्षकों की जिम्मेदारी अलग-अलग राज्य सरकारों की हो गयी थी। आलोच्य वर्ष के दौरान धन की कमी के कारण, इस योजना के लिये केवल ७५ लाख रु० का प्रावधान अंतिम रूप से उपलब्ध हो सका। विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों में लगभग २२०० अतिरिक्त हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये विभिन्न राज्यों को अनुदान देने के लिये इस राशि का उपयोग किया गया है। यह योजना अगले वर्ष भी जारी रखी जायगी और लगभग १५०० अध्यापक नियुक्त किये जाने की संभावना है।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली यह योजना उसी योजना के क्रम में है जो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गई थी। आलोच्य वर्ष के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दौरान वर्तमान वित्तीय अभाव के कारण योजना के लिए अन्तिम रूप से केवल १·५० लाख रुपए का ही प्रावधान उपलब्ध होने की संभावना है। तथापि, इस प्रावधान में से पहले से ही संस्वीकृत १३ अध्यापक कालेजों के अलावा मणिपुर तथा मिजोरम में दो नये अध्यापक कालेज स्वीकृत किए गए हैं।

हिन्दी के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देना

आलोच्य वर्ष के दौरान मंत्रालय ने अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को उत्तर मैट्रिक स्तर पर हिन्दी अध्ययन के लिए १८५० छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। आलोच्य वर्ष के लिए इस योजना के लिए २५ लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पांचवीं योजना के अन्त तक छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर लगभग २५०० तक प्रति वर्ष करने का विचार है।

स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

१९७४-७५ के दौरान हिन्दी के प्रसार व विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को १७ लाख रुपए से अधिक के अनुदान दिए जाने की आशा है। अनुमान है कि विभिन्न संगठन अहिन्दी भाषी राज्यों में २००० से अधिक हिन्दी कक्षाएं चला रहे हैं। कुछ संगठन हिन्दी टाइपराईटिंग कक्षाएं भी चला रहे हैं और हिन्दी पुस्तकालय भी खोले हैं।

इम्फाल (मणिपुर) में हिन्दी के प्रचार व प्रसार की दृष्टि से 'हिन्दुस्थान समाचार' के तत्वावधान में ज्ञान गंगा नाम से एक पुस्तकालय व वाचनालय भी वर्ष के दौरान खोला गया।

पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी अध्यापन की योजना इस क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण योजना है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने इस योजना को कार्यान्वित करना जारी रखा। देश-विदेश दोनों जगहों से इस पाठ्यक्रम में ६ हजार छात्र हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या ३५० थी। इस समय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है किन्तु वर्तमान व्यवस्थाओं का विस्तार करके पांचवीं योजना के दौरान धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं को भी माध्यम के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

भारत के विश्वविद्यालय

नाम, स्थान और स्थापना वर्ष	प्रकार	सम्बद्ध कालेजों की संख्या	छात्रों की संख्या
१	२	३	४
१. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (१९२७)	सम्बद्ध	७७	५६,५०१
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (१९२१)	एकात्मक	४	९,३३६
३. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (१८८७)	एकात्मक	६	१७,००६
४. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (१९२६)	सम्बद्ध	१०४	१८०,१९
५. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९६४)	एकात्मक	७	२,०००
६. अण्णामलई विश्वविद्यालय, अण्णामलई नगर (१९२९)	एकात्मक	—	५,८९९

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१	२	३	४
७. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट (१९६८)	एकात्मक	२	८३०
८. अवधेशप्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवाँ (१९६८)	सम्बद्ध	३९	११,६८३
९. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (१९१६)	एकात्मक	६	१४,५३९
१०. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर (१९६४)	संघात्मक	४८	४२,५९६
११. बरहमपुर विश्वविद्यालय, बरहमपुर (१९६७)	सम्बद्ध	१८	६,९४७
१२. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (१९६०)	सम्बद्ध	५९	४२,५७८
१३. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल (१९७०)	सम्बद्ध	२०	१४,३०३
१४. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (१९५२)	सम्बद्ध	८३	७३,८०२
१५. बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (१८५७)	संघात्मक	७१	१,०२,४३६
१६. बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान (१९६०)	सम्बद्ध	५१	५७,५२०
१७. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (१८५७)	सम्बद्ध	२१५	२,४४,५८४
१८. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट (१९६८)	सम्बद्ध	५९	५५,६६१
१९. कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन (१९७१)	एकात्मक	—	३०६
२०. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (१९२२)	संघात्मक	५६	६४,७०७
२१. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ (१९६५)	सम्बद्ध	४०	२३,८४४
२२. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी (१९४८)	सम्बद्ध	११५	६५,७३४
२३. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर (१९६०)	एकात्मक	६	१,९४२
२४. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (१९५७)	सम्बद्ध	७६	४८,१७३
२५. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (१९४९)	सम्बद्ध	१३४	७८,७६९
२६. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (१९७२)	एकात्मक	अप्राप्य	अप्राप्य
२७. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर (१९६८)	सम्बद्ध	११	२,७७४
२८. गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर (१९६९)	सम्बद्ध	६५	४६,१८४
२९. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (१९७०)	एकात्मक	४	१,१२९
३०. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (१९७०)	सम्बद्ध	३४	१४,७२०
३१. इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (१९५६)	सम्बद्ध	१९	२७
३२. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर (१९६४)	संघात्मक	२४	१६८,५३
३३. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (१९५७)	सम्बद्ध	२४	१८,६५८
३४. जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर (१९५५)	एकात्मक	१	४,३०५
३५. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (१९६९)	सम्बद्ध	१४	१०,५०६
३६. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (१९६८)	एकात्मक	—	५०५
३७. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (१९६४)	एकात्मक	९	१,७७७

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१	२	३	४
३८. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (१९६४)	सम्बद्ध	४३	२२,५२०
३९. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (१९६२)	एकात्मक	२	९,५२८
४०. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (१९६०)	एकात्मक	१	१,९२४
४१. कामेश्वरसिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (१९६१)	सम्बद्ध	४५	अप्राप्य
४२. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर (१९६६)	सम्बद्ध	६५	४६,५६४
४३. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (१९४९)	सम्बद्ध	९९	६८,३७२
४४. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (१९४८)	सम्बद्ध	२४	१६,२३९
४५. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (१९३७)	सम्बद्ध	१०३	१,२४,६४४
४६. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर(१९७१)	एकात्मक	२	४०५
४७. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डिपोली, रतनागिरि (१९७२)	एकात्मक	अप्राप्य	अप्राप्य
४८. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (१९५६)	एकात्मक	४	५,३५४
४९. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (१९२१)	एकात्मक	१७	२४,८५२
५०. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास (१८५७)	सम्बद्ध	१५०	१,४६,६९०
५१. मदुरई विश्वविद्यालय, मदुरई (१९६६)	सम्बद्ध	९४	६३,५५९
५२. मगध विश्वविद्यालय, गया (१९६२)	सम्बद्ध	४८	५८,८०९
५३. महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (१९४९)	एकात्मक	६	१७,३०८
५४. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (अहमदनगर) (१९६८)	एकात्मक	६	२,७६७
५५. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (१९५८)	सम्बद्ध	६५	४४,१५६
५६. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभानी (१९७२)	एकात्मक	अप्राप्य	अप्राप्य
५७. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (१९६६)	सम्बद्ध	५६	४७,१३३
५८. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (१९७२)	सम्बद्ध	अप्राप्य	अप्राप्य
५९. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (१९१६)	सम्बद्ध	१२०	७६,४२९
६०. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (१९२३)	सम्बद्ध	१३२	८४,७८५
६१. उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुडी (१९६२)	सम्बद्ध	३१	२३,१११
६२. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (१९६२)	एकात्मक	४	१,२८२
६३. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९१८)	सम्बद्ध	९२	६३,९८३
६४. पटना विश्वविद्यालय, पटना (१९१७)	एकात्मक	१०	१३,३१७
६५. पूना विश्वविद्यालय, पूना (१९४९)	सम्बद्ध	१०४	७८,२४५
६६. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (१९४७)	सम्बद्ध	१७३	१,२६,२८२
६७. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (१९६२)	एकात्मक	५	२,३१७

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१	२	३	४
६८. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (१९६२)	एकात्मक	४४	२६,४४०
६९. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला (१९६९)	सम्बद्ध	८	४,०५१
७०. रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता (१९६२)	सम्बद्ध	३३	३,५०१
७१. राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (१९४७)	सम्बद्ध	१३९	६६,१९२
७२. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना (१९७०)	एकात्मक	५	१,१३६
७३. रांची विश्वविद्यालय, रांची (१९६०)	सम्बद्ध	५२	४०,०८०
७४. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (१९६४)	सम्बद्ध	५२	२३,९५५
७५. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (१९४९)	एकात्मक	—	१,९५९
७६. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर (१९६७)	सम्बद्ध	२८	१२,९४६
७७. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर (१९५५)	सम्बद्ध	२०	१२,४५९
७८. सागर विश्वविद्यालय, सागर (१९४६)	सम्बद्ध	५१	२१,२९१
७९. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट (१९६६)	सम्बद्ध	४८	३०,४९१
८०. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (१९६२)	सम्बद्ध	८२	५३,२५६
८१. श्रीमती नथीबाई दामोदर ठकरसे महिला विश्व-विद्यालय बम्बई (१९५१)	सम्बद्ध	२०	१२,५०२
८२ दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत (१९६६)	सम्बद्ध	३०	२०,५१९
८३. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१९५४)	सम्बद्ध	४३	३१,०७२
८४. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (१९७१)	एकात्मक	२	१,१२२
८५. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर (१९६४)	एकात्मक	६	२,०३६
८६. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (१९६२)	सम्बद्ध	१३	७,४७८
८७. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (१९४३)	सम्बद्ध	५१	३४,४१५
८८. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (१९५८)	सम्बद्ध	११९	९६७
८९. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (१९५७)	सम्बद्ध	४०	१६,२१७
९०. विश्व-भारतीय विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन (१९५१)	एकात्मक	८	१,२८१

विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त भी उच्च शिक्षा संस्थानों की दो अन्य कोटियां निम्न प्रकार हैं—

(क) विश्वविद्यालय (समान) माने जाने वाले संस्थान

(१) काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
(२) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।
(३) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
(४) जामिया मिलिया इस्लामिया, जामियानगर, नई दिल्ली।
(५) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई।
(६) बिरला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(७) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।
(८) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद ।
(९) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।
(ख) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान :
(१) अखिल भारतीय औषध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
(२) औषध शिक्षण एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ ।
(३) भारतीय आंकिका संस्थान, कलकत्ता ।
(४) भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर ।
(५) भारतीय तकनीकी संस्थान, खडगपुर ।
(६) भारतीय तकनीकी संस्थान, हौजखास, नई दिल्ली ।
(७) भारतीय तकनीकी संस्थान, बम्बई ।
(८) भारतीय तकनीकी संस्थान, मद्रास ।
(९) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद)

भारतीय भाषाएं

संविधान में १५ भाषाओं को 'राष्ट्रीय भाषाएं' स्वीकार किया गया है। ये हैं : असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगू, संस्कृत और सिन्धी ।

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित की गई, संविधान ने इसे 'राजभाषा' कहा । अब यह राजभाषा भी नही, सम्पर्क भाषा (लिंक लेंग्वेज) कही जाती है । हिन्दी विश्व के अनेक स्थानों में बोली जाती है ।

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अंतर्गत उपबन्ध है कि देवनागरी में लिखी हिन्दी भारत संघ की भाषा होगी किन्तु सरकारी व्यवहार में रोमन अंक होंगे ।

हिन्दी : भारत में गंगा-यमुना के बीच के क्षेत्र—मध्यप्रदेश में संस्कृत, पाली तथा शौरसेनी प्राकृत भाषा विभिन्न युगों में थी । आगे चलकर इस प्रदेश में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हुआ । कालान्तर में बोलचाल का शौरसेनी का अपभ्रंश हिन्दी के रूप में परिणत हुआ । १४वीं सदी में उत्तरी भारत के मुसलमान विजेता दक्षिण भारत में जाने लगे और १६वीं सदी में गोलकुण्डा और बीजापुर तक दिल्ली की शाही भाषा की बोली के आधार पर एक स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा का विकास हुआ, जो दक्कनी कही जाती है । बाद में यह भाषा लौटकर दिल्ली पहुँची । १७वीं सदी के अन्त में इस नई भाषा से भिन्नता प्रकट करने के लिए दिल्ली की बोली को 'हिन्दुस्तानी' नाम दिया गया । १९वीं सदी के प्रारम्भ में यह खड़ी बोली कहलाई । कालान्तर में यह हिन्दी के रूप में विकसित हुई । हिन्दी का मूल आधार मेरठ, बिजनौर की बोली है । डा० उदयनारायण तिवारी ने हिन्दी की यह परिभाषा की है—"ब्रज भाषा और हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त दिल्ली की वह बोली जिसमें फारसी का प्रभाव नहीं था तथा जो नागरीलिपि में लिखी जाती थी ।" हिन्दी के छह प्रमुख रूप और बोलियां हैं—ब्रज, अवधी, ग्रामीण खड़ी बोली, हिन्दुस्तानी, साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू । एक मत यह भी है कि हिन्दी कम से कम १९९ विभिन्न बोलियों के मेल से बनी भाषा है ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गुजराती : यह गुजरात प्रदेश की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है तथा भाषा भी हिन्दी से काफी मिलती-जुलती है।

पंजाबी : यह पंजाब क्षेत्र की भाषा है। इसका निर्माण सिख गुरुओं ने किया था। इसकी लिपि गुरुमुखी है।

कश्मीरी : जम्मू-कश्मीर में इसका प्रयोग होता है।

असमिया : यह असम प्रदेश की भाषा है।

संस्कृत : संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। भारत के सभी धर्म-शास्त्र व प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। वेद, उपनिषद्, गीता, पुराण तथा अन्य ग्रंथ भी संस्कृत में ही हैं। संस्कृत साहित्य अत्यन्त समृद्ध व प्राचीन है।

मलयालम : यह केरल प्रदेश की भाषा है, इसका केरल में ९५·४ प्रतिशत लोग प्रयोग करते हैं।

कन्नड़ : यह कर्नाटक के ६५.१७ प्रतिशत लोगों की भाषा है।

उड़िया : यह उड़ीसा राज्य की जनभाषा है। उसका प्रयोग उड़ीसा की ८२.३१ प्रतिशत जनता करती है।

तमिल : यह तमिलनाडु (मद्रास) क्षेत्र की भाषा है। इसका साहित्य समृद्ध है।

उर्दू : यह किसी वर्ग विशेष एवं क्षेत्र की भाषा नहीं है। वाक्य-रचना और व्याकरण इसका हिन्दी के समान ही है। यह अरबी-फारसी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी है।

बंगला : यह बंगला देश और प० बंगाल की भाषा है। बोलने वालों की संख्या ८ करोड़ ८० लाख बताई जाती है। आज का बंगला साहित्य काफी समृद्ध है।

तेलगू : यह आँध्र प्रदेश की भाषा है। इसके दो रूप हैं प्राचीन व अर्वाचीन। प्राचीन तेलगू में संस्कृत शब्दों की बहुलता है।

मराठी : यह महाराष्ट्र की भाषा है। इसका साहित्य काफी समृद्ध है।

सिन्धी : सिन्ध की भाषा है। सिन्ध से भारत आये व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं।

संगीत नाटक अकादमी

अकादमी ने संगीत, नृत्य तथा नाटक में १९७४ में पुरस्कार देने के लिए १४ उत्कृष्ट कलाकारों को चुना।

संगीत

१. श्री कुमार गान्धर्व (भारतीय संगीत-गायन)
२. श्री निखिल बनर्जी (भारतीय संगीत वादन-सितार)।
३. श्री एम० डी० रामानाथन (कर्नाटक संगीत-गायन)
४. श्री टी० एन० कृष्णन (कर्नाटक संगीत वादन-वायलिन)

नृत्य

१. श्री कट्टाप्पा पिल्ले (भरत नाट्यम अध्यापक)
२. श्री गौरी शंकर (कत्थक)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३. श्री कला मण्डलम रमन (कथकली)
४. श्रीमती लीबेम्हल देवी (मैनपुरी)
५. श्री भगवान साहू (उड़िया लोक नृत्य)
६. श्री पूना राम (लोक-रंग-मंच)

नाटक

१. श्री एस० डी० सुन्दरम् (तमिल में नाटक लेखन)
२. श्री दामू केन्द्रे (निर्देशन)
३. श्री तपस सेन (रंगशाला तकनीक)
४. श्री प्रानसुख नायक (अभिनय)

साहित्य अकादमी

भारतीय साहित्य के विकास की दृष्टि से सन् १९५४ में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। समस्त भारतीय साहित्य की प्रामाणिक ग्रंथ सूची का संकलन करने की दिशा में अकादमी ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अकादमी ने छः सौ से अधिक ग्रंथ प्रकाशित किये हैं। कालिदास रचित 'कुमार संभव'; 'विक्रोमोवंशीय' तथा 'मेघदूत' पाठ के शुद्ध संस्करण तथा हिन्दी, संस्कृत, तेलगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, सिन्धी आदि विभिन्न भाषाओं के विशिष्ट साहित्य का अनुवाद व प्रकाशन अकादमी की सफलता का परिचायक है। सन् १९६१ में अकादमी ने 'भारतीय लेखकों का परिचय ग्रंथ' प्रकाशित किया जिसमें हजारों भारतीय लेखकों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। 'रूसी-हिन्दी शब्द कोष' ने भी काफी लोकप्रियता अर्जित की। अकादमी की ओर से कई भारतीय तथा विदेशी विशिष्ट साहित्यिक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं के ग्रंथों पर पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। अकादमी की ओर से अंग्रेजी त्रैमासिक 'इंडियन लिट्रेचर' तथा संस्कृत में अर्द्धवार्षिक 'संस्कृत प्रतिभा' पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। अकादमी ने आधुनिक भारतीय लेखकों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 'भारतीय साहित्य के निर्माता' ग्रंथमाला भी प्रकाशित करनी आरम्भ की है। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य के भारतीय भाषाओं में सुन्दर ढंग से अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। मौलाना आजाद की कुछ कृतियों को उर्दू में प्रकाशित करने की योजना पर काम प्रारम्भ हो चुका है।

साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार १९७४

क्रमांक	भाषा	शीर्षक	लेखक	पुस्तक किस किस्म की है।
१.	हिन्दी	मिट्टी की बारात	डा० शिवमंगलसिंह सुमन	काव्य संग्रह
२.	असमिया	गुलाम	सौरभ कुमार	कहानी संग्रह
३.	बंगला	उलंगराजा	नीरेन्द्रनाथ	काव्य संग्रह
४.	डोगरी	दूध, लहू, जहर	मदनमोहन	कहानी संग्रह
५.	गुजराती	तारतम्य	अनरन्तराज रावल	साहित्य समीक्षा
६.	कन्नड़	वर्द्धमान	एम० गोपालकृष्ण अडिग	काव्य संग्रह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

७.	मलयालम	कामसुरभि	वाणिक्कुलम गोपाल कुरूप	काव्य संग्रह
८.	मणिपुरी	इलीस अमागी महाओ	एन० कुंजमोहनसिंह	कहानी संग्रह
९.	मराठी	नट सम्राट	वी० वी० शीखाड़कर	नाटक
१०.	उड़िया	सब्दरा आकाश	सीता कांत महापात्र	काव्य संग्रह
११.	पंजाबी	जग बदल गया	सोहनसिंह सीतल	उपन्यास
१२.	राजस्थानी	वतन की फुलवारी	विजयदान देथा	लोक कथा संग्रह
१३.	संस्कृत	श्री शिवराजोदयम्	एस० वी० वर्णेकर	महाकाव्य
१४.	सिन्धी	हूनाजे आत्म जो मौत	लाल पुष्प	उपन्यास
१५.	तमिल	थीरूक्कुरल नीधि उक्कियाम	के० टी० थीरू-न्नवक्करासु	साहित्य समीक्षा
१६.	तेलुगु	तीमारमथो संमरम	दशरथी	काव्य संग्रह
१७.	उर्दू	नज़र और नज़रिया	आले अहमद सरूर	साहित्य समीक्षा

अकादमी ने १३ मार्च १९७४ को अपने २० वर्ष पूरे कर लिए तथा इस अवसर के उपलक्ष्य में मार्च, १९७४ में रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी भाषाओं के सभी प्रकाशनों तथा पुस्तकों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पुरस्कार विजेताओं की एक विचारगोष्ठी भी मार्च, १९७४ में आयोजित की गई।

दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना थी, साहित्य अकादमी के प्रथम सम्मानित सदस्य के रूप में सेनेगल के राष्ट्रपति, श्री लियोपोल्ड सेदार सेंघोर का चुना जाना। नई दिल्ली में, २१ मार्च १९७४ को आयोजित एक समारोह में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सुविख्यात कवि तथा राजनेता को सदस्यता मंजूषा प्रदान की गई।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

भारतीय भाषाओं के उच्चकोटि के साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की दृष्टि से भारतीय ज्ञानपीठ ने १९६६ से प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रारम्भ कर सराहनीय कार्य किया है।

अब तक निम्न साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है—

१९६६	जि० शंकर कुरुप 'ओटक्कुषल' (बांसुरी, काव्य)	मलयालम
१९६७	ताराशंकर वंद्योपाध्याय 'गणदेवता' (उपन्यास)	बंगला
१९६८	उमाशंकर जोशी 'निशीथ' (कविता-संग्रह)	गुजराती
	के०वी० पुट्टप्पा 'रामायणदर्शनम' (कविता-संग्रह)	कन्नड़
१९६९	सुमित्रानन्दन पंत 'चिदंवरा' (कविता-संग्रह)	हिन्दी
१९७०	रघुपतिसहाय 'फिराक' गोरखपुरी 'गुले-नग्मा' (कविता-संग्रह)	उर्दू
१९७१	डा० विश्वनाथ सत्यनारायण 'रामायण कल्पवृक्षम' (महाकाव्य)	तेलुगु
१९७२	विष्णु दे 'स्मृति सत्ता भविष्यत' (काव्य-संग्रह)	बंगला
१९७३	डा० रामधारीसिंह दिनकर 'उर्वशी' (काव्य)	हिन्दी
१९७४	डा० दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे 'नाकू तांठी' (काव्य-संग्रह)	कन्नड़
	श्री गोपीनाथ महन्ती 'माटी मटाल' (उपन्यास)	उड़िया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा

१. प्राथमिक विद्यालयों में अब १९४७ में १ करोड़ ४१ लाख विद्यार्थियों की अपेक्षा ६ करोड़ ६२ लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं (कक्षा १ से ५ तक)। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में ३५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

२. कक्षा ६ से ८ तक के विद्यार्थियों की संख्या १९४७ में २० लाख से बढ़कर १९७४ में १ करोड़ ५३ लाख हो गई है। इस प्रकार से इस स्तर के विद्यार्थियों की संख्या में ६५४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

३. कक्षा ९ से ११ तक के विद्यार्थियों की संख्या १९४७ में साढ़े आठ लाख से बढ़ कर १९७४ में ८७ लाख हो गई, अर्थात् ९०० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

४. जब भारत आजाद हुआ तब विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या २ लाख ५६ हजार थी। अब इनकी संख्या ९०० प्रतिशत बढ़कर २६ लाख १२ हजार हो गई है।

५. लड़कों के अनुपात में लड़कियों का प्रतिशत ६ से ११ वर्ष आयु वर्ग में १९४७ में ३५ से बढ़कर १९७४ में ६२ हो गया। ११-१४ वर्ष आयु वर्ग में १८ से बढ़कर ३९ हो गया। १४-१७ वर्ष आयु वर्ग में १२ से बढ़कर २९ हो गया और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में यह प्रतिशत ८ से बढ़कर १९ हो गया।

बजट

वर्ष १९७४-७५ के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु कुल १८४.७७ करोड़ रुपए का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसमें से ६०.०७ करोड़ रुपए केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए और १२४.७० करोड़ रुपए राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए थे। योजनागत कुल १२४.७० करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत १९७४-७५ के दौरान १०९ करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वर्ष १९७४-७५ के लिए कुल परिव्यय अर्थात् ६०.०९ करोड़ रुपए का लगभग ५०% प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया था जिस पर संभावित खर्च लगभग ५० करोड़ रुपये होगा। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष १९७४-७५ के लिए अपनी-अपनी योजनाओं में सम्मिलित प्रमुख कार्यक्रमों में, प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षा पद्धति, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण, कार्यानुभव, कोटि सुधार कार्यक्रम, युवक सेवा कार्यक्रम और समाज शिक्षा सम्मिलित हैं। यद्यपि १९७४-७५ में असम, जम्मू और कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल आदि ने नई शिक्षा पद्धति प्रारम्भ करने की व्यवस्था कर ली थी तथापि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ने यह शिक्षा पद्धति पहले लागू कर दी है। अधिकांश राज्यों ने व्यावसायीकरण और कार्यानुभव की योजनाओं के लिए व्यवस्था कर दी थी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

With compliments of

GOVT OF SIKKIM

FRUIT PRESERVATION FACTORY—SINGTAM

SIKKIM

Manufacturers of

SIKKIM SUPREME

Fruit Products

Biggest Selling In

India—Nepal & Sikkim

SIKKIM SUPREME

ORANGE JUICE

Which Is Also Catered To

AIR—INDIA, INDIAN AIRLINES &

12 INTERNATIONAL AIRLINES

Also 30 Varieties of

Most Delicious Fruit Products

SIKKIM SUPREME

× Orange Juice Concentrate × Orange Segments

× Orange Marmalade × Orange Squash × Pineapple Juice

× Pineapple Slices × Pineapple Jam + Mango Juice

× Mango Pulp × Mango Slices × Mango Jam

× Mango Squash × Lemon Squash

× Lime Juice Cordial × Tomato Juice

× Grapefruit Juice × Fruit Punch

× Apple Juice × Guava Nectar

× Apple Slices × Apple Jam

× Plum Tinned × Pears Tinned

× Fruit Cocktail × Jelly Crystals

× Mixed Fruit Jam × Guava Slices

× Plum Jam × Guava Jelly

× Peach Jam

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १५ :

जन-स्वास्थ्य

एक-एक करके जैसे ही योजनाएं बनती गईं, वैसे ही उनके स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर किये जाने वाले खर्चे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए पहली योजना में ९० करोड़ ३० लाख रुपये, दूसरी योजना में १४६ करोड़ रुपये, तीसरी योजना में २०९ करोड़ ५० लाख रुपये और चौथी पंचवर्षीय योजना में ४३५ करोड़ ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सब होते हुए भी, चौथी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए जो परिव्यय रखा गया है वह सरकारी क्षेत्र के १५,९०,२३४ करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का केवल २.७३ प्रतिशत है।

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन आदि कार्यक्रमों के लिए वर्ष १९७४-७५ के दौरान ८२·५० करोड़ रुपये का प्रावधान निम्न प्रकार किया गया है—

१. बीमारियों की रोकथाम पर	२६·५६
२. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	२३·७४
३. अस्पताल एवं डिस्पेंसरियाँ	१२·९०
४. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	११·६१
५. प्रशिक्षण	१·१४
६. आयुर्वेद, होम्यापैथी आदि	२·६५
७. अन्य कार्यक्रम	३·९०
कुल	८२·५० करोड़ रु०

वर्ष १९७४ के दौरान ग्रामीण जनता को मिली-जुली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए २,९०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा योजना आरम्भ कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत १०,००० आबादी के पीछे एक बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, ४ बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के काम को देखने के लिए एक स्वास्थ्य निरीक्षक की और प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के हिसाब से एक प्रयोगशाला तकनीशियन की नियुक्ति करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पांचवी योजना के अन्त तक हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर ३० पंलगों वाला ग्राम अस्पताल बनाया जाएगा। ये अस्पताल, चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, प्रसूति, स्त्री रोग और स्वेदनाहर जैसी आम विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेंगे। इन अस्पतालों को राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण निवारण

आलोच्य वर्ष के दौरान खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण निवारण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक खाद्य दस्ता बनाया गया है। इस दस्ते ने दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में अनेक खाद्य पदार्थ निर्माता एककों का निरीक्षण किया और मिलावट के कुछ ऐसे अड्डे पकड़ने में सफल हुआ, जिन्होंने बेसन, चांदी के वर्क, खाने के तेल आदि जैसे पदार्थों में मिलावट कर रखी थी और ऐसे मिलावटी पदार्थ बेचते थे। इस दस्ते द्वारा १९७३ में लिये गये २०१ नमूनों में से ७१ में मिलावट पाई गई।

औषधि नियंत्रण संगठन ने अप्रैल से नवम्बर, १९७३ के दौरान १५१ फर्मों का निरीक्षण किया। इसके परिणामस्वरूप ८ निर्माताओं के लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित कर दिये गये।

नागरिक केन्द्रीय परिषद, भारतीय उपभोक्ता परिषद्, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के प्रतिनिधियों तथा पुलिस अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें विशेष रूप से दिल्ली में खाद्य पदार्थों और औषधियों में की जा रही मिलावट की समस्या का समन्वित हल ढूंढने के प्रश्न पर विचार किया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य उपमंत्री की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स का गठन किया गया।

पाँचवीं योजना के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए राज्यों द्वारा इस कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार है। औषधियों और खाद्य पदार्थों दोनों के लिए ८ सुसज्जित जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का विचार है। केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर खाद्य और औषधि के प्रशासनों को मिलाकर एक कर देने का भी उद्देश्य है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियां

आलोच्य वर्ष में स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी को भी बढ़ावा मिला। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को और गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर को आयुर्वेद में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के लिए यूनानी के एक विभाग का दर्जा बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्र पोषित योजना के अधीन त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, हैदराबाद, बम्बई, रायपुर, मैसूर, जयपुर, ग्वालियर, उदयपुर और बंगलौर में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य के लिए आयुर्वेद के १३ विभाग,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हैदराबाद में यूनानी का एक और विभाग खोलने के लिए भी सहायता दी गई ।

१९७४-७५ में ३६ प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को अध्ययन पलंगों का खर्चा देने के लिए और प्राकृतिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए तीन लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में दिए गए ।

होम्योपैथी शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा चुने हुए संस्थानों को अपेक्षित स्तर तक लाने के विचार से प्राइवेट होम्योपैथिक मैडिकल कालेजों को ११ लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

मुख्य संचारी रोगों को खत्म करने और उन पर नियंत्रण पाने की दिशा में राज्यों को केन्द्रीय पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए शत प्रतिशत सहायता दी गई । ये कार्यक्रम हैं : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम, हैजा नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मलेरिया, चेचक, कुष्ठ रोगों से संबंधित कार्यक्रम केन्द्र पोषित कार्यक्रमों के रूप में चलते रहेंगे जिनके लिए केन्द्र से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलती रहेगी ।

मलेरिया के विरुद्ध अभियान

१९७४ में, १४,९८,९६१ व्यक्ति मलेरिया से बीमार पड़े बतलाए गए जबकि १९७३ में इसी अवधि में यह संख्या १३,६२,८०६ थी । १९६४ के बाद से मलेरिया किन्हीं-किन्हीं स्थानों में ही हुआ है जिनके परिणामस्वरूप कुछ एककों को अनुरक्षण की अवस्था से लौट-कर आक्रमण की अवस्था में आना पड़ा ।

शहरों में मलेरिया कार्यक्रम २८ नगरों में जारी रहा । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को और १०४ नगरों में शुरू करने का विचार है ।

चेचक से मुक्ति

चेचक उन्मूलन के लिए पाँचवीं योजना में प्राथमिक टीके लगाने के कार्य को महत्व दिया जाता रहेगा और ५ प्रतिशत आबादी का जो वार्षिक लक्ष्य है उसे पूरा करना इसका उद्देश्य होगा । २० प्रतिशत आबादी को दुबारा टीका लगाना वार्षिक लक्ष्य होगा ।

१९६७ में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चालू हुआ था और इस वर्ष १९७५ में विश्व स्वास्थ्य संगठन चेचक के उन्मूलन के साथ-साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर देगा और इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर से चेचक का नामोनिशान मिट जाने की आशा है । १९६७ में चेचक की बीमारी से लगभग ३० देश प्रभावित थे परन्तु १९७४ में तीन देशों से इसे निकाल दिया गया । बचाव की टीमें अपना काम जारी रखेंगी और इसके फैलने का पता लगाकर अगले दो वर्षों में इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए कार्य करेंगी । सदियों से चेचक मानवता की सबसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बड़ी शत्रु रही है लेकिन अब इस पर पूर्णरूप से विजय पा ली गई है और एक सुव्यवस्थित तरीके से इसका उन्मूलन किया जा रहा है।

कुष्ठ

१९७४-७५ में सात कुष्ठ नियंत्रण एकक—एक-एक असम और बिहार में तथा ५ तमिलनाडु में खोले गए। इस तरह देश में काम कर रहे एककों की कुल संख्या बढ़ कर २४५ हो गई।

स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्णसिंह ने अप्रैल १९७५ में कहा कि कुष्ठरोगियों को स्वस्थ होने के बाद बसाने लिए एक कार्यक्रम चालू होगा जिसके अंतर्गत कुष्ठरोगियों के प्रति जन-रुचि को सद्भावनापूर्ण बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में कुष्ठ-नियंत्रण के लिए २ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है जबकि इसके पिछले साल केवल एक करोड़ १० लाख रु० की ही व्यवस्था थी।

कैंसर

इस समय ५० जनरल अस्पतालों में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा तथा रसायन चिकित्सा आदि द्वारा कैंसर के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। पांचवीं योजना के दौरान मेडिकल कालेज अस्पतालों तथा आवश्यक जिला शिक्षण अस्पतालों में कोबाल्ट बीम सहित विकिरण चिकित्सा एककों की व्यवस्था करके इलाज की सुविधाएं बढ़ाने का विचार है। कैंसर मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर उच्चतर स्तर का अधिक गहन कैंसर अनुसंधान करने के लिए देश के मौजूदा ७ कैंसर संस्थानों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बनाने का विचार है। इस अभिप्राय के लिए पांचवीं योजना में ३ करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

मानसिक रोग

आधुनिक जीवन की बढ़ती हुई तनावपूर्ण स्थिति के कारण मानसिक रोग की घटनाएं बढ़ गई हैं। विभिन्न राज्यों में अब तक २३ क्लिनिक खोल दिए गए हैं। देश में कुल मिला कर ३८ मानसिक रोग अस्पताल हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ५० मनश्चिकित्सा क्लिनिक खोलने का विचार है।

बच्चों का स्वास्थ्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित करने हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसकी वृहद् व्याख्या प्रथम योजना में ही की गई थी। इस कार्यक्रम की गति को और तेज कर दिया गया जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें।

इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—(१) सभी बच्चों के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य कार्यक्रम (२) पौष्टिक आहार व्यवस्था सेवा (३) और १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बच्चों को शुरू के पांच वर्षों में पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं करने से उनका बौद्धिक विकास कुण्ठित हो सकता है। इसलिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत ३ करोड़ ५० लाख बच्चों के लाभ के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है। इसके अतिरिक्त चार अरब पाउन्ड खाद्य सामग्री पौष्टिक आहार एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के दौरान 'केयर' नामक संस्था द्वारा दी जा रही है। युनिसेफ ने एक अप्रत्याशित पंचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में बालकों और माताओं की सेवा के लिए ५६, ८००,००० डालर देने का वादा किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक वर्ष से छः वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य विकास पर बल दिया जायेगा। पौष्टिक आहार से लेकर उनमें बीमारी से बचने की क्षमता पैदा करने का कार्यक्रम भी इस में शामिल है। इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देने की विधि को और उदार बनाया जाएगा।

चौथी योजना में बाल स्वास्थ्य और शिक्षा तथा पौष्टिक आहार से सम्बद्ध चालीस योजनाएं लागू थीं। चौथी योजना के दौरान दो करोड़ चौरासी लाख बच्चे लाभान्वित हुए। बालवाड़ी पौष्टिक आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत ६ करोड़ रुपये खर्च किए गए। गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में अनेक पौष्टिक आहार कार्यक्रम लागू थे। पहली पंचवर्षीय योजना में बाल कल्याण के लिए ४ करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। इस समय पंचवर्षीय योजना में २२९ करोड़ रुपया आवंटित किया गया है।

परिवार नियोजन

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत १९७४ वर्ष में लगभग १ करोड़ ७२ लाख दम्पतियों ने परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप आबादी में लगभग १ करोड़ ६५ लाख की वृद्धि रोकी जा सकी।

वर्ष के पहले छः महीनों में लगभग २९ लाख व्यक्तियों ने परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाया। इस अवधि के बीच २ लाख ५५ हजार बन्ध्यकरण आपरेशन किये गये और १ लाख ३८ हजार लूप पहनाये गये।

आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडू में राष्ट्रीय औसत से अधिक बन्ध्यकरण आपरेशन किये गये।

अप्रैल से सितम्बर, १९७४ तक की अवधि में प्रचलित गर्भ निरोधक उपकरण उपयोग करने वालों की संख्या २४ लाख ८ हजार थी, जबकि प्रचलित गर्भ निरोधकों में ९५ प्रतिशत ने निरोध को प्राथमिकता दी। केवल बाकी ५ प्रतिशत ने अन्य तरीकों को अपनाया।

औषधि नियंत्रण

वर्ष के दौरान भारतीय औषध नियंत्रक ने लाखों लोगों को दवाएं उपयुक्त मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए। भारतीय रक्षा अधिनियम के अंतर्गत १९६३ में औषध मूल्य नियंत्रण लागू किया गया। इसके अनुसार दवाओं का खुदरा मूल्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अवरुद्ध कर दिया गया तथा दवा बनाने वाली कम्पनियों को कहा गया कि वे मूल्य में वृद्धि करने तथा नई दवाओं का मूल्य निर्धारित करने के पहले सरकार से अनुमति लें। उस समय दवाओं के उत्पादन-लागत पर ध्यान दिये बिना ही उनके मूल्य को अवरुद्ध कर दिया गया था। अतः उत्पादन-लागत का सही-सही निर्धारण करने के लिए टैरिफ (तटकर) आयोग की स्थापना की गई जिसने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश १९७० के अंतर्गत १७ आवश्यक खुली दवाओं की कीमत का निर्धारण तथा १८ आवश्यक दवाओं के सूत्रों के आधार पर उत्पादन-लागत निश्चित किया।

सरकार ने भेषज (मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९७० के अन्तर्गत जिलाटिन कैप्सूल सहित २४ खुली दवाओं की जांच करने के बाद जिलाटिन कैप्सूल सहित २३ खुली दवाओं का मूल्य निर्धारण किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण के उपयोग के लिए आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने औषध और भेषजिकी समिति का गठन किया। समिति ने एस्पिरीन, टेट्रासाइक्लीन, मिल्क आफ मैगनीशिया तथा विभिन्न विटामिनों की संशोधित तालिका तैयार की है। ये दवाएं इण्डियन आयल कम्पनी के डिपुओं, मिट्टी के तेल के डिपुओं, डाकघरों तथा सहकारी समितियों आदि द्वारा वितरित की जायेंगी। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि दवाओं के नाम ब्रैण्ड नाम के बजाय प्रजाति नाम के आधार पर रखे जायें। जिन नई दवाओं पर ब्रैण्ड नाम ही लिखा गया रहेगा, उन्हें भेषज नियंत्रक मान्यता नहीं देगा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान

१९७० में भारत सरकार ने भारतीय भेषज तथा होम्योपैथी में अन्वेषण के लिए एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय परिषद् का गठन किया। इसके गठन का उद्देश्य आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी भेषज प्रणाली तथा योग में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारम्भ करना तथा उनका समन्वय करना है। इस समिति में २५ सदस्य हैं जिनमें ९ सरकारी, १३ गैरसरकारी तथा ३ संसद सदस्य हैं।

आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर : इसका प्रशासन एक शासी-निकाय के हाथ में है, जिसमें भारत सरकार, गुजरात सरकार तथा गुलाब कुंवर आयुर्वेदिक सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं।

संस्थान का शिक्षण विभाग, स्नातकोत्तर, प्रशिक्षण (एच० पी० ए०), डिग्री कोर्स बी० ए० एम० एस०, शुद्ध आयुर्वेदिक डिग्री कोर्स (डी० एस० ए० बी०) आदि का प्रशिक्षण देता है। संस्थान का २३० पलंगों का अस्पताल है, जिसमें प्रतिमास औसतन २११४ अंतरंग तथा २,८५८ बहिरंग रोगियों का इलाज किया जाता है। संस्थान की अपनी औषध निर्माणशाला भी है। संस्थान "आयुर्वेदलोक" नामक एक त्रैमासिक भी प्रकाशित करता है।

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् : आयुर्वेद के विकास, विशेषकर उसके विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक खोज के सम्बन्ध में भारत सरकार को मन्त्रणा देती है। इसके अंतर्गत मिश्रित औषधालय अनुसंधान योजना चल रही है। १९६७-६८ में इसका पुनर्गठन किया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गया । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भारतीय चिकित्सा-शास्त्र का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र है । हरिद्वार स्थित आयुर्वेद वनौषधि सर्वेक्षण यूनिट वनौषधि सर्वेक्षण करता है । रानीखेत में भी ऐसी यूनिटें खोली गई हैं । पूना के निकट जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेदिक वनौषधि उद्यान तथा औषधि संग्रहालय औषधीय पौधे लगाता है । केन्द्रीय शुद्धायुर्वेदिक परिषद, शुद्ध आयुर्वेदिक योजना आदि का प्रस्तोता है । आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति भी कार्य कर रही है । केवल्यधाम ए० एम० वाई० एस० समिति, लोनावाला बम्बई में जीर्ण श्वास नली शोध और श्वसनी अस्थमा (श्वास) के योगिक उपचार पर परीक्षण चल रहा है ।

होमियोपैथी : होमियोपैथी सलाहकार समिति होमियोपैथी के विकास और अनुसंधान के सम्बन्ध में भारत को सलाह देती है । होमियोपैथी की एकरूप पढ़ाई के लिए अनुसंधान उप-समिति व प्रविधि उप-समिति बनी है । ग्रामों में होमियोपैथी के प्रसार के लिए भी उप-समिति है । एक होमियोपैथिक भेषज समिति है ।

एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा देने वाले मेडिकल कालेज

प्रदेश	स्थान (मेडिकल)	स्थान (दन्त)
आन्ध्र	विशाखापत्तनम, गुण्टूर, कुरनूल, काकीनाड हैदराबाद २ (गांधी व उस्मानिया)	वारंगल, तिरूपति हैदराबाद
असम	डिब्रूगढ़, गोहाटी, सिलचर	
बिहार	पटना, दरभंगा, रांची, जमशेदपुर	पटना
गुजरात	अहमदाबाद २ (बी० जी० व म्युनिसिपल) बड़ौदा, जामनगर, सूरत	अहमदाबाद
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	
केरल	त्रिवेन्द्रम, कोट्टयम, अलेप्पी, कालीकट	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भोपाल, रीवां, इन्दौर, रायपुर, जबलपुर	
तमिलनाडु	मद्रास २ (मेडिकल, स्टेनले मेडिकल), वेल्लोर, मदुराई, किलपाक	मद्रास
महाराष्ट्र	बम्बई ३ (ग्राण्ट, जी० एस०, टी० एन०), पूना २ (बी० आई० आर्मड फोर्सेज), नागपुर हास्पिटल, औरंगाबाद, मिरज, शोलापुर, नागपुर २	बम्बई २
कर्नाटक	मणिपाल, (मंगलौर), बंगलौर, हुबली, गुलबर्ग, बेलगांव	बंगलौर, मणिपाल, मंगलौर
उड़ीसा	कटक, बुढ़िया (सम्बलपुर), बरहामपुर	
पंजाब	अमृतसर, पटियाला, लुधियाना २ (क्रिश्चियन, दयानन्द)	अमृतसर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हरियाणा	रोहतक	
राजस्थान	जयपुर, उदयपुर	
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी २ (कालेज आफ मेडिकल साइन्स व हिन्दू विश्वविद्यालय), इलाहाबाद, अलीगढ़, मेरठ २	लखनऊ
प० बंगाल	कलकत्ता ४ (मेडिकल आर० जी० कार, कलकत्ता इन्स्टीच्यूट, नीलरतन, सरकार), बांकुड़ा	
दिल्ली	नई दिल्ली ३ (लेडी हार्डिंग, ए० आई० आई० एम० एस० सी०, मौलाना आजाद)	
गोवा	पंजिम	
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	

हिमाचल प्रदेश—शिमला

आयुर्वेदिक महाविद्यालय

आयुर्वेद (भारतीय भेषज) की शिक्षा देने वाले विद्यालय देश भर में फैले हुए हैं। यहां उन आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के स्थान दिये जा रहे हैं, जिनको सरकारी मान्यता किसी न किसी रूप में प्राप्त है —

आन्ध्र	: हैदराबाद, विजयवाड़ा, गण्टूर, वारंगल।
असम	: शलकुवाड़ी (गोहाटी)।
बिहार	: पटना, मधुबनी, बेगुसराय, भागलपुर, मोतिहारी (चम्पारन)।
गुजरात	: सूरत, बड़ौदा, नाडियाद, जामनगर, भावनगर, उत्तराखंड, अहमदाबाद।
जम्मू-कश्मीर	: श्रीनगर।
केरल	: त्रिवेन्द्रम, त्रिपपुनीहूटा, शोरनपुर २, कोट्टवल, माधव, कुन्नूर।
मध्य प्रदेश	: रायपुर २, ग्वालियर, इन्दौर २, उज्जैन, बरहानपुर, रीवां, जबलपुर।
तमिलनाडु	: मलयपुर (मद्रास)।
महाराष्ट्र	: बम्बई, नांदेड, पूना, अहमदनगर, नागपुर, नासिक, अमरावती, अकोला, जालना, सातारा, सांगली।
कर्नाटक	: मैसूर, बीजापुर, हुबली, बेलगांव, बेल्लारी, उदमी, कुशतगी, बंगलौर, बंडकेहल, गडग, नारंगा।
उड़ीसा	: पुरी।
पंजाब	: पटियाला, जालन्धर, बरनाला।
हरियाणा	: रोहतक।
राजस्थान	: जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, सरदारशहर, पिलानी, सीकर।
उत्तरप्रदेश	: लखनऊ २, वाराणसी ३, पीलीभीत, हरिद्वार, झांसी, मेरठ, देहरादून, बांदा, मथुरा २, चमोली, (उत्तराखण्ड), कानपुर, बरेली।
पश्चिमी बंगाल	: कलकत्ता ३।
दिल्ली	: दिल्ली २।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तिब्बिया कालेज

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, वाराणसी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

भारत ने १९७५ के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने अंशदान की दो किश्तों में से ६,९१,९९० डालर की पहली किश्त प्रदान कर दी है। पूरे वर्ष के अंशदान की राशि १३,८३,९८० डालर होगी, जबकि पिछले वर्ष यह राशि १५,००,२०० डालर की थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य देशों को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए परामर्श दाता, वृत्तियां और सामग्री की सहायता देता है।

इस संगठन का इस वर्ष भारत में ४४ परियोजनाओं के लिए १९,४१,३९० डालर की ऐसी सहायता देने का विचार है। पिछले वर्ष १८,६१,८०० डालर की सहायता प्राप्त हुई थी।

जिन परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त होगी, उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशासन तथा प्रयोगशाला सेवाओं का विकास, चिकित्साधिकारियों और बुनियादी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मलेरिया के उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं।

AGARWAL BROTHERS

Cardamom Stockist

General Merchants, Commission Agents

HEAD OFFICE **GANGTOK**

Association All Over Sikkim

Phone : 237, 376

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

BARAUNI FERTILIZER PROJECT

—A boon for farmers' Prosperity

—A major step forward towards National self-sufficiency.

Situated on the gateway to the agriculturally rich North Bihar and being built at a total cost of Rs. 69 crores, the Barauni Fertilizer Factory would produce 3,30,000 te. of Urea annually. It is to go on stream soon. Most of the auxiliary and service plants have already been successfully, commissioned. Pre-commissioning preparations for trial of Ammonia and Urea Plants are also under way and are to be started shortly.

NATIONAL BENEFITS :

**At full-rated capacity, this factory will produce annually 3,30,000 te. of urea which if imported will cost about Rs. 95 crores in foreign exchange. But the total foreign exchange investment towards the factory would be Rs. 21 crores only.

**Proper use of 3,30,000 te. of urea will enable to produce about 15 lakh te. of Food grains which if imported would cost 100 cores.

**At full rated capacity the factory is expected to make a net annual profit of about Rs. 6 crores which will be available for development purposes in the Fifth Five Year Plan and will contribute to National Economy.

**The National Exchequer will get an additional annual income on account of excise duty, Central cess tax on coal, income tax etc.

**The project is expected to provide direct employment to 1300 persons and indirect employment potentalities for about 6000 persons.

Issued by :

PUBLIC RELATIONS OFFICER,
THE FERTILIZER CORPORATION OF
INDIA LTD. BARAUNI DIVISION

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १६ :

परिवहन तथा पर्यटन

वायु परिवहन

पिछले २७ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। लेकिन वायु परिवहन के क्षेत्र में जो असाधारण विकास हुआ है वह कहीं बढ़-चढ़ कर है।

भारत में १९५३ में विमान परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से लेकर उड़ान के किलोमीटर दुगने से भी अधिक हो गये हैं और वहन किये गए यात्रियों में छः गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इण्डियन एयर लाईन्स और एयर इंडिया इन दोनों कारपोरेशनों द्वारा प्रस्तुत की गयी वहन क्षमता पिछले १४ वर्षों में तिगुने से भी अधिक हो गयी है।

अनुमानित परिचालन यातायात आंकड़ों से यह पता चलता है कि १९७४ में अनुसूचित सेवाओं ने ८६५९२ घण्टे और ४९४ लाख किलोमीटर की उड़ानें कीं जब कि १९७३ में उड़ानें १३४३४० घन्टों और ६३९ लाख किलोमीटर की थी। वर्ष १९७४ में उपलब्ध टन किलोमीटर क्षमता १९७३ में उपलब्ध १०८१० लाख टन किलोमीटर की तुलना में ९८८० लाख टन किलोमीटर थी। यातायात आंकड़ों से पता चलता है कि दस महीनों के दौरान अनुसूचित सेवाओं ने २६ लाख यात्री ३९९,३६ टन माल और १०,१३४ टन डाक वहन की जबकि १९७३ में ३३.७ लाख यात्री, ४८,५९९ टन माल और १३,७१५ टन डाक ले जाई गई।

अनुसूचित विमान परिवहन

इन दोनों कारपोरेशनों के अतिरिक्त १२ फ्लाइंग क्लबों, ९ विमान परिचालकों के पास, ३१ दिसम्बर १९७४ तक अनुसूचित विमान सेवाओं के परिचालन के लिए परमिट थे।

घंटों और किलोमीटरों की उड़ान की गई।

फ्लाइंग क्लब

३१ दिसम्बर १९७४ को भारत में २५ उपादान प्राप्त फ्लाइंग क्लब थे। एक जनवरी ७४ से ३१ अक्तूबर १९७४ तक फ्लाइंग क्लबों ने कुल १०१०२ घंटों की उड़ान की तथा फ्लाइंग क्लबों को उपादान एवं आर्थिक सहायता के रूप में १२,४९,५२२, रुपये प्रदान किये गये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ग्लाइडिंग क्लब

सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र के भारत में १३ उपादान प्राप्त ग्लाइडिंग क्लब हैं। इस वर्ष (१९७४) इन क्लबों ने २४,७७६ उड़ानें कीं और इन्हें उपादान एवं आर्थिक सहायता के रूप में २,४९,६३१ रु० प्रदान किये गए।

असैनिक हवाई अड्डे

असैनिक उड्डयन विभाग के अधीन ९५ हवाई अड्डे हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिए ७२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के हवाई अड्डों पर आवश्यक प्रबन्ध कार्यों के लिए "भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण" स्थापित किया गया है। सरकार की अनुमति से यह प्राधिकरण अन्य ऐसे हवाई अड्डों का प्रबंध भी कर सकेगा जहां से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं गुजरती हों। यह राशि १९५१ से १९६९ तक के १८ वर्षों में खर्च की गई राशि के बराबर है।

महत्त्वपूर्ण विकास

वायुयानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। महत्वपूर्ण शिल्पीय परिवर्तन किये जा रहे हैं। इण्डियन एअर लाइन्स ने देश के भीतर विमान यात्रा के लिए बोइंग ७३७ विमानों का बेड़ा बनाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर राडार यन्त्र लगाए गए और यान उतारने के लिए केटेगरी ११ यन्त्र लगाए गए।

दुर्घटनाएं

वर्ष १९७४ के दौरान २५ बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिनमें से एक देश के बाहर हांगकांग में हुई। परिणामस्वरूप ४ विमानकर्मी दल के सदस्यों की तथा दो यात्रियों की मृत्यु हुई।

रेल

भारतीय रेलवे का विस्तार की दृष्टि से संसार में दूसरा स्थान है। रेलगाड़ियों से प्रतिदिन ६० लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं तथा साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढोया जाता है। देश में ७ हजार से भी अधिक रेलवे स्टेशन हैं, जिन पर प्रतिदिन लगभग १० हजार रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेलवे को प्रतिवर्ष ८ अरब करोड़ रुपये की आय होती है।

भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी १६ अप्रैल, १८५३ को बम्बई से थाना तक ३२ किलोमीटर चली। इसके साथ तेजी से देश में लाइनों का जाल बिछता गया। भारत में तीन किस्म की रेलवे हैं—ब्राड गेज, मीटर गेज एवं नैरो गेज। अधिकांश रेलवे ब्राड गेज ५ फुट ६ इंच चौड़े हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रेल क्षेत्र : भारत की ३७ रेल प्रणालियां ९ रेल क्षेत्रों में विभक्त हैं : (१) उत्तर क्षेत्र सीमांत (मुख्यालय-दिल्ली), (२) उत्तर-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय-गोरखपुर) (३) उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र (मुख्यालय—मालीगांव—गोहाटी), (४) पश्चिम क्षेत्र (मुख्यालय—बम्बई), (५) पूर्वी क्षेत्र (मुख्यालय—कलकत्ता), (६) मध्य क्षेत्र (मुख्यालय—बम्बई), (७) दक्षिण-क्षेत्र (मुख्यालय—मद्रास), (८) दक्षिण-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय—कलकत्ता) तथा (९) दक्षिण मध्य क्षेत्र (मुख्यालय-सिकन्दराबाद, आन्ध्र)।

वर्ष	चोरियों और उठाईगिरी के उन मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गयी	इन मामलों में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य
१९७२-७३	४४,११६	१,६४,४८,५१९
१९७३-७४	४२,८२५	२,५०,४४,७८२
१९७४-७५	४१,३००	२,९६,९७,३७९
(अप्रैल ७४ से दिसम्बर ७४ तक)		

रेलों पर चोरियों और उठाईगीरी की घटनाओं की रोक थाम के लिए अपनाये जा रहे परम्परागत उपायों के अलावा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत खूंखार एवं कुख्यात अपराधियों और चुराई गई सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों को नजर बन्द करना।

पूर्व रेलवे के गया-गोमो खंड पर चोरी और उठाईगीरी की घटनाएं रोकने के लिए अभी हाल में एक विशेष अभियान संगठित किया गया।

अन्य रेलों के अत्यधिक भेद्य खण्डों पर भी इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है।

(रेल-बजट १९७५-७६ एक दृष्टि में)

	(करोड़ रुपयों में) संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	१९७४-७५	१९७५-७६
यातायात से कुल प्राप्ति	१,४०१·१५	१,६७०·८६
संचालन व्यय	१,३४०·०१	१,४४९·९५
शुद्ध राजस्व	६१·१४	२२०·९१
सामान्य राजस्व में लाभांश	१८९·३३	१९७·८८
शुद्ध बचत (+) या घाटा (—)	—१२८·१९	+२३·०३

नोट—यदि १९७३-७४ की १५ करोड़ ९२ लाख रुपये के लाभांश सम्बन्धी देनदार भी कूत की जाय तो ७५-७५ में घाटे की राशि बढ़कर १४३ करोड़ ९८ लाख रुपये हो जाएगी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हड़ताल और निष्कासित कर्मचारी

मई, १९७४ की रेल हड़ताल के बाद लगभग १६,८०० कर्मचारी बर्खास्त कर दिये गये थे अथवा नौकरी से निकाल दिये गये थे। इनमें से अलग-अलग अपीलों पर विचार करके लगभग १४,८०० कर्मचारी काम पर वापस ले लिये गये। उन कर्मचारियों की संख्या, जो अभी भी नौकरी से बाहर हैं, लगभग २००० है।

इस समय विभिन्न राज्यों की अदालतों में लगभग १३०० कर्मचारियों पर मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से लगभग ८०० के विरुद्ध हिंसा, तोड़-फोड़ अथवा अन्य अपराधों के आरोप नहीं हैं।

रेलों में काम कर रहे लगभग ३ लाख नैमित्तिक श्रमिकों में से लगभग २१००० को, पिछली हड़ताल के बाद, बरखास्त कर दिया गया था। इनमें से लगभग १२,००० को अब तक वापस लिया जा चुका है।

हड़ताल से पहले और हड़ताल के दौरान उन कर्मचारियों को कुछ आश्वासन और वचन दिये गए थे जो कठिनाइयों के बीच अपने काम पर डटे रहे। ये पुरस्कार मुख्यत: अग्रिम वेतन-वृद्धियों, नकद राशि और पुत्रों अथवा पुत्रियों को नौकरी के रूप में दिये गए इन आश्वासनों को पूरा करने की दिशा में कार्यवाही की गई है। अब तक ७ लाख से भी अधिक अर्थात् हड़ताल के दौरान काम करने वालों में से ९० प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों को किसी-न-किसी प्रकार का पुरस्कार दिया जा चुका है।

कर्मचारियों को सुविधायें

इस समय रेलों पर उचित मूल्य की लगभग १२०० दुकानें हैं। इनमें से कुछ सहकारी समितियों द्वारा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा चलायी जाती हैं। इनमें उचित मूल्य की वे ९० दुकानें भी शामिल हैं जो जून, १९७४ के बाद खोली गई हैं।

मृतकों को मुआवजा

नवम्बर १९७३ में संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिसके अनुसार रेल दुर्घटना का शिकार होने वाले व्यक्तियों को देय क्षतिपूर्ति की राशि २०,००० रुपये से बढ़ाकर ५०,००० रुपये कर देने के लिए भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है।

रेल यान

रेल इन्जन : वाष्प १०,०४६, डीजल ९९६, विद्युत ५१३, कुल ११,५५५।

रेल डिब्बे : सवारी ३२,७३२, विद्युत चालित १५६३, माल (चार पहियों वाले) ४,८४,१८६।

पांचवीं योजना में रेल

भारतीय रेलों को १९७८-७९ में अपना उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ बनाये रखने के उद्देश्य से पांचवीं योजना में रेलों के लिए २३५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आशा है कि योजना के अंतिम वर्षों में रेलों को ३० करोड़ टन भार वहन करना होगा।

पांचवीं योजनावधि में रेलों में यात्रियों की संख्या में प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है। इसके अतिरिक्त चार महानगरों में महानगरीय रेल यातायात व्यवस्था के लिए २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था में से ६८ प्रतिशत राशि रेल लाइनें ठीक करने और नई रेल लाइनें बिछाने तथा पहिये आदि खरीदने पर व्यय की जायेगी। पहिये, रेल डिब्बे आदि खरीदने के लिए ९०० करोड़ रुपये और रेल लाइनों के विस्तार के लिए ५०० करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

पांचवीं योजनावधि में माल तथा यात्री यातायात वहन में रेलों को समर्थ बनाने के लिए १३०० रेल इंजन, १ लाख माल डिब्बे, ७५०० यात्री डिब्बे, १०५० बिजली यूनिटें तथा पचास रेल कार और प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

पांचवीं योजना के दौरान १८०० किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। रेल लाइनें और पुल मजबूत किये जायेंगे, जिससे कि भारी सामान ढोने वाली मालगाड़ियां उनसे होकर गुजर सकें। पांचवीं योजना में पुलों के लिए ६० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। मशीनों आदि के लिए ४० करोड़ रुपये और सिगनल तथा सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए ११० करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

रेल कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए ४० करोड़ रुपये तथा कर्मचारी-कल्याण के लिए २० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में महानगरीय रेल परियोजना के लिए तथा अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद-सिकन्दराबाद, कानपुर तथा पूना में द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था के अध्ययन के लिए २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। रेलों के लिए ३३० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च के लिए २० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सड़क परिवहन

देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए सड़कों का अच्छा होना अत्यावश्यक है। देश में इस समय ८,३१ लाख किलोमीटर सड़कें हैं। इसके अलावा सामुदायिक विकास आदि द्वारा निर्मित लगभग ५ लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें भी हैं। स्वतन्त्रता के बाद गत् २५ वर्षों में सड़क विकास में हुई भारी प्रगति के बावजूद भी सड़क व्यवस्था अभी अपूर्ण है।

केन्द्रीय क्षेत्र की सड़कों पर पांचवीं योजना में सड़क विकास पर १,५३७ करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे। इसमें १२०० करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर व्यय की जायेगी।

पांचवीं योजना में ७८०० कि० मी० सड़कों को चार हिस्सों में बांटा जाएगा। साथ ही समस्त २४००० किलोमीटर लम्बे राजमार्गों को इतना चौड़ा किया जाएगा कि उनमें दो-दो गाड़ियां एक साथ आ-जा सकें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मोटर गाड़ियां : भारत के स्वाधीन होने के समय देश में कुल २,११,९४९ मोटर गाड़ियां, जिनमें मोटर साइकिलें, आटो रिक्शा, प्राइवेट कारें, जीपें, सार्वजनिक मोटर गाड़ियां, ट्रक आदि शामिल थीं। जबकि इस समय देश में लगभग १४ लाख मोटर गाड़ियां हैं। इनमें से बस और ट्रक लगभग ४ लाख हैं। देश में मोटर गाड़ियां बनाने के उद्योग ने तेजी से प्रगति की है।

सड़क निर्माण कार्य : पांचवीं योजना अवधि में सड़क विकास कार्यक्रम पर १७ अरब ६८ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसमें से ७ अरब १४ करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और शेष राज्यों तथा संघशासित क्षेत्र में व्यय किये जायेंगे।

केन्द्रीय क्षेत्र की राशि से दिल्ली परिवहन निगम २००० बसें खरीद सकेगा। इनमें से ७५० बसें पुरानी बसों की बदली के लिए आवश्यक होंगी।

राज्यों को आवंटित राशि में से यह संभव होगा कि १९७३-१९७४ के अन्त तक साढ़े चार लाख किलोमीटर सड़कों के स्थान पर पांचवीं योजना के अन्त तक ५ लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकें। नई बनने वाली सड़कों में से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाएंगी।

जलमार्ग परिवहन

जलमार्गों में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां, गोदावरी, कृष्णा तथा उनकी सहायक नहरें, आंध्र, केरल, उड़ीसा आदि की नहरें उल्लेखनीय हैं। देश भर में नौका परिवहन योग्य जलमार्गों की लम्बाई लगभग १५ हजार किलोमीटर है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जल परिवहन के विकास के लिए १९५२ में गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल की स्थापना की गई थी। मंडल को १९६७ में अन्तर्देशीय जल परिवहन के निदेशालय में मिला दिया गया। लगभग ढाई हजार किलोमीटर लम्बी नदियों में यंत्रचालित छोटी नौकाएं तथा ५,७०० किलोमीटर लम्बे नदी मार्गों में बड़ी नौकाएं चल सकती हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास : संविधान के अनुसार जल परिवहन राज्यों का विषय है, अतः इनका विकास इस बात पर निर्भर है कि राज्य सरकारें इनमें कितनी रुचि लेती हैं।

भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। आवागमन का यह सबसे प्राचीन, सस्ता और उपयोगी साधन है। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए और माल भाड़े को कम करने के लिए सरकार की परिवहन नीति में जल परिवहन पर भी उचित ध्यान दिया गया है। इसके विकास से इसके द्वारा ढोए जाने वाले माल के भाड़े की दर कम की जा सकेगी।

गोआ, केरल और आंध्र प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अन्तर्देशीय जल परिवहन का पर्याप्त विकास किया जा सकता है और यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। गोआ में प्रतिवर्ष लगभग ८० लाख टन लौह अयस्क खानों से मुरगांव बन्दरगाह तक जल मार्ग से ढोया जाता है। केरल में जलमार्गों से लगभग १५ लाख यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं और २० लाख टन माल ढोया जाता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी की नहरों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तथा तमिलनाडु में बकिंघम नहर में जल परिवहन की सुविधाएं मौजूद हैं। गंगा नदी में भी अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं।

जहाजों का आधुनिकीकरण

अन्तर्देशीय जल परिवहन का पूरा फायदा उठाने के लिए जहाजों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। हमारे अधिकांश जलमार्ग उथले हैं और उनमें जहाज नहीं चलाये जा सकते। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न जलमार्गों का चरणबद्ध विकास करने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएं। नौकाओं में लदे माल की क्षतिपूर्ति के लिए बीमे की व्यवस्था से जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह देने और विभिन्न राज्यों के ऐसे संगठनों में समन्वय बनाए रखने के लिए केन्द्र ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय परिवहन संगठन की स्थापना की है।

बन्दरगाह : भारत में जहां मुख्य ८ बन्दरगाह हैं वहां समुद्र तट पर लगभग २२५ छोटे बन्दरगाह हैं। बड़े बन्दरगाह कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास, मारमाओ तथा विशाखापट्टनम् में हैं।

हमारे जहाजों के बेड़े में विभिन्न प्रकार तथा क्षमता के ३०० जहाज हैं। उनका कुल भार ५५ लाख टन से भी अधिक है। उनके अतिरिक्त ४६ जहाज और भी बन रहे हैं जिनका कुल भार १७ लाख टन है। लगभग २४ कम्पनियां जहाज बनाती हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है।

आत्मनिर्भरता की ओर

सार्वजनिक क्षेत्र में विशाखापट्टनम् स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव गोदी, बम्बई, गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता आदि जहाज बनाने के बड़े-बड़े कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त कोचीन शिपयार्ड भी इस वर्ष के अन्त तक जहाज बनाना शुरू कर देगा।

लाभ

आलोच्य वर्ष में भारतीय जहाज निगम ने १३ करोड़ ९१ लाख रुपये का रिकार्ड लाभ कमाया जबकि इसके पिछले साल केवल ८ करोड़ ८ लाख रुपये का ही लाभ दिया था और यह लाभ तेल संकट के बावजूद किया गया था।

निगम ने आलोच्यवर्ष में ४ लाख ४० हजार टन भार के १४ जहाज लिए जिसके फलस्वरूप निगम के पास २७ लाख ५० हजार टन भार के कुल १११ जहाज हो गये : मार्च १९७३ में निगम के पास १८ लाख ६० हजार टन भार के ९५ जहाज थे।

निगम ने जहाजरानी की सेवाओं में विस्तार किया। भारत और लीबिया, ट्यूनीशिया तथा तुर्की आदि मध्य पूर्व के देशों के बीच समुद्री मार्गों पर जहाजों का संचालन किया गया। फिजी के साथ नियमित समुद्री सेवा चालू करने के अलावा बम्बई से अमरीका के प्रशांत तटीय भाग और कनाडा को नई सेवा चालू की गई। पश्चिम एशिया के खाड़ी के देशों के साथ समुद्री-सेवा में काफी वृद्धि हुई। इन देशों की निकटता तथा अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी अन्य अनेक पहलुओं की समानता के कारण इनके साथ समुद्री सेवा में काफी वृद्धि हुई।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर्यटन

पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द उत्पन्न करने का एक प्रमुख व महत्वपूर्ण साधन है। पर्यटन भारत का एक लाभदायक उद्योग है। स्वाधीनता के बाद से भारत के पर्यटन में भारी अभिवृद्धि हुई है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए टूरिस्ट ट्रेफिक ब्रांच की स्थापना की गई। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, व मद्रास में प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय हैं तथा जयपुर, आगरा, जम्मू, कोचीन, औरंगाबाद एवं वाराणसी में पर्यटन उप-कार्यालय हैं।

पर्यटन व्यवसाय : पर्यटन संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी पर्यटकों को अधिक मात्रा में आकर्षित करना है।

देश तथा विदेशों में सफल प्रचार तथा जनसंपर्क कार्यक्रमों के कारण पर्यटकों की देश में पर्यटन सुविधाएं सम्बन्धी मांगें बढ़ी हैं।

१९७४ में पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में पर्यटन उद्योग के ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

पिछले वर्ष के दौरान आये ४०९,८९५ पर्यटकों की तुलना में १९७४ के दौरान आये पर्यटकों की वृद्धि दर ३.२ प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह वृद्धि १९.५% दर्ज की गई थी। चालू वर्ष के दौरान पर्यटक यातायात कई प्रतिकूल कारणों से प्रभावित हुआ, जैसे, ईंधन के बढ़े हुए मूल्यों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय विमान किरायों में वृद्धि, पर्यटक सृजक देशों में मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप अवकाश कालीन कार्यकलापों के लिए पर्यटन धन-राशि में कटौती, तथा इंडियन एयरलाइंस में हड़ताल, रेलवे हड़ताल व एयर-इण्डिया में तालाबन्दी, इत्यादि। तथापि, यह बात किसी हद तक आश्वस्त करने वाली है कि इन प्रतिकूल कारणों के बावजूद भी हम १९७४ में विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में अनुमानित ३ प्रतिशत ह्रास की तुलना में अपने देश में ३.२ प्रतिशत की वृद्धि बनाये रख सके।

भारत की, पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा की कुल आय, वर्ष १९७३ में ६७.५ करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष १९७४ में ६९.७० करोड़ रुपये की आँकी गई है।

विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा

	आगमन	प्रतिशत वृद्धि	रु० करोड़ में
१९६७	१७९,५६५	१२.५	२५.२
१९६८	१८८,८२०	५.२	२६.४
१९६९	२४४,७२४	२९.६	३३.१
१९७०	२८०,८२१	१४.८	३८.०
१९७१	३००,९९५	७.२	४०.४
१९७२	३४२,९५०	१३.९	४८.३
१९७३	४०९,८९५	१६.६	६७.५
१९७४	४२३,१६१	३.२	६९.७०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नए होटलों का विकास

सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप होटल निवेश के क्षेत्र में जो रुचि उत्पन्न हुई, वह बराबर बढ़ती रही और कई गैर सरकारी संस्थायें, जो होटल व्यवसाय में पहली बार प्रवेश कर रही हैं, होटल स्थापना के सम्बन्ध में विभाग से परामर्श ले रही हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से वर्ष १९७४ में कुल २१ नई होटल परियोजनायें अनुमोदित की गईं। इनमें से बहुत सी प्रायोजनायें निर्माण की विभिन्न अवस्था में हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदित कई योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। इस समय २०८ स्वीकृत होटल चल रहे हैं, जिनमें १३,६७३ कक्षों की व्यवस्था है। ८६ नई प्रायोजनाओं के पूरा होते ही, जो अभी निर्माण-कार्य की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, वर्तमान होटल आवास व्यवस्था में ७,६०० कक्षों की और वृद्धि हो जायेगी। ये नई परियोजनायें आगरा, औरंगाबाद, बंगलौर, बड़ौदा, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, कोयम्बत्तूर, देहरादून, दिल्ली, गौहाटी, गोवा, गन्टूर, हरिहर, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, जोरहाट, खजुराहो, खमाम, कुल्लू-मनाली, लखनऊ, मद्रास, उटकमंड, पटना, पूना, सिलचर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, वाराणसी, विशाखापत्तनम और वारांगल में स्थित हैं।

यह अनुमान किया गया है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ८,००,००० प्रत्याशित पर्यटकों के ठहरने का प्रबन्ध करने के लिए लगभग ११,९०० और अधिक होटल-कक्षों की अपेक्षा होगी।

युवा होटल

पर्यटन विभाग की चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १७ युवा होस्टलों के निर्माण की योजना थी और १५ परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। जयपुर का युवा होस्टल चल रहा है जबकि औरंगाबाद, भोपाल, डलहौजी, गांधीनगर, हैदराबाद, मद्रास, पणजी, पंचकुला और पटनी टाप के युवा होस्टलों के शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

पर्यटक बंगले

दार्जिलिंग (वर्तमान पर्यटक लॉज का विस्तार), धर्मशाला, गोहाटी, जैसलमेर, लुधियाना, पोरबन्दर, रामेश्वरम, साहिबी नदी (रैस्टोरैंट-व-विश्राम कक्ष) सूरज कुन्ड (पर्यटन काम्प्लैक्स) और वारंगल में ८ नये पर्यटक-बंगलों तथा ३ अन्य प्राजेक्टों का निर्माण हो रहा है। दार्जिलिंग, गोहाटी और साहिबी नदी को छोड़ अन्य प्रत्येक संस्थान में लगभग ६४ पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। रामेश्वरम् में पर्यटक-बंगला लगभग पूरा हो चुका है और अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन सभी पर्यटक बंगलों के वर्ष १९७५ के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

पर्यटक स्वागत केन्द्र-व-मोटल

चौथी पंचवर्षीय योजना में आगरा, जयपुर, पटना, शिमला और वाराणसी में पर्यटक स्वागत-केन्द्रों-व-मोटलों के निर्माण के लिए ४५ लाख रुपये की व्यवस्था है। इन केन्द्रों में एक ही स्थान पर पर्यटकों द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। इन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पांच परियोजनाओं में से तीन अर्थात् जयपुर, पटना और वाराणसी परियोजनाओं पर कार्य चौथी योजनावधि में प्रारम्भ किया गया था।

अन्य योजनाएँ

पर्यटन विभाग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अजन्ता, एलोरा, खजुराहो, और सांची में जल पूर्ति की योजनायें प्रारम्भ कीं और इन योजनाओं के लिए क्रमशः ५,११ लाख, २.३५ लाख, १.९२ लाख और ७.४६ लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया। एलोरा जल पूर्ति योजना लगभग पूरी हो गई है। अन्य योजनाएं पूरी हो जाने की अग्रिम स्थिति में है।

नगर पालिका निगम, जबलपुर

:: विकास कार्यों के निरन्तर बढ़ते चरण ::

— नगर की प्रमुख सड़कों का सुधार तथा विस्तार का कार्य निरन्तर जारी है।

— नगर के समस्त ४६ वार्डों में बल्बों के स्थान पर ट्यूब लाइट मरकरी लाइट लगाई जा रही है, जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों में नये विद्युत स्तम्भ लगाये जा रहे हैं।

— नगर के पिछड़े वार्डों में जहां टीन के सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं उनके स्थान पर सेप्टिक शौचालयों का निर्माण किये जाने की योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है।

— नये मोटर स्टेण्ड का विकास कार्य द्रुतगति से किया जा रहा है।

— पर्याप्त जलपूर्ति के लिए जहां छोटी पाइप लाइन हैं, उनको बदलकर बड़ी लाइन डाली जा रही है। जहां पाइप लाइन अभी नहीं हैं, वहां नई लाइन डाली जा रही है। उप-नगरीय क्षेत्र गढ़ा एवं पुरवा में जलपूर्ति की अलग से योजना क्रियान्वित हो रही है।

— रानी दुर्गावती की गजारूढ़ प्रतिमा की स्थापना की जा चुकी है।

— नगर के ११ वार्डों में गंदी बस्ती के सुधार की योजना क्रियान्वित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

— ओमती नाला को पक्का करने तथा गुरन्दी बाजार एवं लटकारी पड़ाव की सुधार योजना।

नगरवासियों से अपेक्षा है कि नगर निगम की जन हितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

बाबूराव परांजपे
महापौर

जी० एल० गुप्ता
आयुक्त

शरतचन्द्र तिवारी
अध्यक्ष
स्थायी समिति,

रामकुमार अवस्थी
उप-महापौर

जनसम्पर्क विभाग, नगर निगम, जबलपुर द्वारा प्रसारित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १७ :

डाक-तार, संचार

डाक-तार विभाग भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। डाक-तार, टेलीफोन तथा बेतार संचार सेवाओं के विकास, अनुरक्षण तथा विस्तार का दायित्व डाक-तार-बोर्ड पर है।

डाक-सेवाएँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से डाक घरों की संख्या में पाँच गुनी वृद्धि हुई है। १ मार्च, १९७५ को देश में १, १६, ९९१ डाक घर थे, जबकि स्वतन्त्रता के समय में मात्र २२, ११६ डाकघर थे। इनमें से १,०५,२८९ डाकघर ग्रमीण क्षेत्रों में और ११,४५३ डाकघर शहरी क्षेत्रों में हैं।

इस समय देश में १८ चलते-फिरते डाकघर और १३१ रात्रि डाकघर हैं।

इस समय हर २७.३७ वर्ग किलोमीटर के पीछे एक डाकघर है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले १४६ किलोमीटर क्षेत्र के लिए एक डाकघर हुआ करता था। जनसंख्या की दृष्टि से प्रत्येक डाकघर अब ४,६८७ व्यक्तियों की सेवा करता है जबकि १९४७ में १६,१३४ व्यक्तियों के लिए एक डाकघर हुआ करता था।

एक डाकघर से औसतन ६ गांवों के लोग लाभ उठाते हैं जबकि १९४७ में ३० गांवों के लोगों के लिए एक डाकघर हुआ करता था।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक डाकघर १४,५८३ हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में १४,०४९, तमिलनाडु में १०,८५९, महाराष्ट्र में ९,४१३ और बिहार में ९,११० डाकघर हैं।

टेलीफोन

देश भर में ३० सितम्बर १९७४ तक ४,७५२ टेलीफोन एक्सचेंज थे। इनमें से ३७३२ स्वचालित एक्सचेंज थे।

३१ दिसम्बर १९७४ तक इन एक्सचेंजों की कुल क्षमता १४,९६,१८० लाइनों की थी जिनमें से १२,८६,२३५ सीधी एक्सचेंज लाइनें थीं।

देश में कुल टेलीफोनों की संख्या १६,७४,८०० थी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९७४ में नए कनेक्शनों के लिए ८०,००० लाइनें दी गईं तथा १.१४ लाख नए टेलीफोन सेट लगाए गए।

देश में ३१ दिसम्बर १९७४ तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार २०,१८०० लाइनों की क्षमता वाले ४९ स्थानीय क्रास बार एक्सचेंज थे और ६ क्रास बार ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज थे।

"ओन योर टेलीफोन" योजना के अंतर्गत १५ दिसम्बर १९७४ तक २,९०,५९२ नए कनेक्शन दिए गए और उनसे ८२.१५ करोड़ रु० का राजस्व एकत्र किया गया।

देश में कुल ६,११,४६० लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। इसमें से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास—जो देश के मुख्य टेलीफोन जिले हैं—में ही ३,५२,४०० लोगों के नाम टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में हैं।

पांचवीं योजना में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के लिए क्रमशः १,०५,०००, ९२,०००, ७७,००० और ३०,००० लाइनों की व्यवस्था है जबकि पूरे देश भर के लिए कुल ७.५ लाख लाइनों को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

हिन्दी में टेलीफोन निदेशिकाएं

सरकार की नीति के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद सर्कलों और दिल्ली टेलीफोन जिले के लिए हिन्दी में टेलीफोन निदेशिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। बम्बई जिला और पंजाब सर्कल के लिए जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ भी शामिल है, हिन्दी में टेलीफोन निदेशिकाएं छापने के बारे में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

दूर संचार अनुसंधान केन्द्र

विकासाधीन मुख्य प्रणालियों में सहधुरीय केबिल के तांबे के युग्मों के ऊपर २७०० ट्रंक कालों के एक साथ पारेषण के डिजाइन हैं, सूक्ष्मतरंग प्रणालियों के ऊपर टेलीविजन कार्यक्रमों के पारेषण के डिजाइन संशोधन हैं तथा प्रथम डिजीटल २४ सरणि पल्स कोड मोड्यूलेशन (पी०सी०एम०) प्रणाली हैं।

पाँचवीं योजना में डाक-तार-संचार

पांचवीं योजना के दौरान दूर-संचार व डाक-तार सेवाओं के विकास के लिए १० अरब ८७ करोड़ रु० की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसमें से १० अरब ३० करोड़ रु० दूर-संचार सेवाओं के विकास के लिए तथा ५७ करोड़ रु० डाक-तार सेवाओं के विकास के लिए होंगे। प्रस्तावित व्यवस्था का अधिकांश, लगभग ९ अरब रु० योजना के दौरान विकसित होने वाले आंतरिक साधनों से प्राप्त किया जाएगा।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और विदेश संचार सेवा समेत सचार सेवाओं के लिए कुल मिलाकर ११ अरब ७६ करोड़ रु० की व्यवस्था होगी।

व्यापक विकास कार्यक्रम के बावजूद भी, अनुमान है पांचवीं योजना में ५५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, जो चौथी योजना से ३ करोड़ रु० कम है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लगभग ३०० स्टेशनों के साथ सीधी टेलीफोन सेवा आरम्भ किए जाने का लक्ष्य है। टलीफोन लगने के लिए पांचवीं योजना के अंत में प्रतीक्षा-अवधि १.३ वर्ष रह जाएगी। योजना के आरम्भ में यह अवधि २.५ वर्ष आंकी गई है। लगभग ७००० नए तारघर और ३२ नए टेलेक्स केन्द्र भी खोले जाएंगे। योजना के दौरान लगभग ३१००० नए डाकघर खोले जाएंगे।

विभाग में हिन्दी की प्रगति

राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेशानुसार जिन कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य है, डाक-तार विभाग में उनकी संख्या २.६४ लाख थी। इनमें प्रशासनिक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या २५ हजार है और प्रचालन श्रेणी के कर्मचारियों की २.२९ लाख। प्रशासनिक कर्मचारियों में २५,७२१ हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और बाकी को हिन्दी सिखाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रचालन कर्मचारियों में १.३६ लाख हिन्दी सीख चुके और बाकी ९४ हजार को हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रचालन कर्मचारियों को निजी प्रयत्नों से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षाएं पास करने पर क्रमशः २५०-२५० रुपये और ३०० रुपये की राशि एकमुश्त में पुरस्कार-स्वरूप दी जाती है। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों में हिन्दी सीखने का उत्साह बढ़ा है, विशेषकर महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सर्किलों में। दक्षिण के सभी, खासकर तमिलनाडु सर्किल में, स्थानीय हिन्दी सेवी संस्थाओं के सहयोग से यह योजना पर्याप्त सफल रही है।

हिन्दी वैकल्पिक माध्यम

डाक-तार विभाग ने अपनी सभी विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार का आदेश जारी करने वाला डाक-तार संभवतः पहला केन्द्रीय विभाग है। इसके अतिरिक्त, विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र को द्विभाषिक रूप में जारी करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

देवनागरी तार सेवा

डाक-तार विभाग किसी भी भारतीय भाषा का देवनागरी लिपि में लिखा तार स्वीकार करता है। इस सेवा का प्रारम्भ १ जून, १९४९ को सिर्फ पांच मार्गों पर हुआ था।

इस सेवा का विस्तार निरंतर होता जा रहा है। अब यह सेवा प्रायः सभी सर्किलों में उपलब्ध है।

डाक-तार विभाग सभी तारघरों में शीघ्र से शीघ्र देवनागरी तार सेवा उपलब्ध कराना चाहता है। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा देवनागरी में शिक्षित टेलीग्राफिस्टों की कमी रही है। विभागीय टेलीग्राफिस्ट शीघ्र से शीघ्र देवनागरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इसके लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। देवनागरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर टेलीग्राफिस्टों को एक स्थायी वेतन-वृद्धि दी जाती है। इसी प्रकार, देवनागरी टेलीप्रिंटर की परीक्षा पास कर लेने पर एक स्थायी वेतन-वृद्धि दी जाती है।

विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित हुई है।

पहली डाक-टिकट जारी करने की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर पहली अन्तर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनी नन्दन में १८९० में हुई। १८९७ में लन्दन में एक और डाक-टिकट प्रदर्शनी हुई और इसके बाद जल्दी ही १९०० में पैरिस, १९०१ में हेग, १९०६ में लंदन, १९०९ में एम्सटर्डम, १९१० में बर्न, १९११ में वियना और १९१२ में लन्दन में प्रदर्शनियां हुईं। अमेरिका में पहली अन्तर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनी १९१३ में हुई।

आजकल प्रतिवर्ष तीन-चार अन्तर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनियां किसी न किसी देश में होती रहती है। गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनियां म्यूनिख और पोलैंड में हुई और इंडिपेक्स-७३ नई दिल्ली में।

१९७५ के डाक टिकट

भारत सरकार के डाक तार विभाग ने १९७५ में जिन विशेष स्मारक डाक टिकटों के जारी किये जाने की घोषणा की है उनका विवरण इस प्रकार है—

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष १६ फरवरी ७५, भारत के पक्षी ८ मार्च ७५, भारत की मौसम सेवा (शताब्दी) २३ मार्च १९७५, वाई. डब्ल्यू. सी. ए. (शताब्दी) १ अप्रैल ७५, आर्मी आरडीनेन्स स्कोर (अर्द्ध शताब्दी) ८ अप्रैल ७५, आर्य समाज स्थापना शताब्दी १२ अप्रैल ७५, रामचरित मानस मई ७५, अहिल्याबाई (२५०वीं जन्म शताब्दी) १७ मई ७५, मिकलेनगोल बूनैरेट (५००वीं जन्मशताब्दी) २ जून ७५, भारत के नृत्य २० जून ७५, महान् व्यक्तियों की माला में १५ जुलाई ७५।

आदि शङ्कराचार्य, सरदार वल्लभभाई पटेल, अरुणागिरि नायर (संत) ६००वीं जन्म शताब्दी, बहादुरशाह जफर (२००वीं जन्मशताब्दी) भारत के वन्य पशु (माला), इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस (स्वर्ण जयन्ती), थियोसोफीकल सोसाइटी (शताब्दी), विश्व हिन्दी सम्मेलन, भारत का गणतन्त्र दिवस, वर्ल्ड टेबिल टेनिस।

१२ अप्रैल को आर्यसमाज स्थापना शताब्दी के उपलक्ष्य में २५ पैसे का डाक टिकट प्रधानमन्त्री की उपस्थिति में एक विशेष समारोह में जारी किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १८ :

कृषि

भारत की गणना प्रमुख कृषि प्रधान देशों में की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय में खेती का भाग सबसे बड़ा है। यह ५० प्रतिशत आय देती है ७० प्रतिशत भारतीय आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। खाद्यान्न के मामले में अभी हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। मूंगफली और चाय की पैदावार में भारत विश्व में प्रथम, लाख की पैदावार में एकाधिकार व चावल-जूट, गन्ना, राई-तिल आदि का द्वितीय स्थान है।

प्रमुख फसलें

भारत में फसलों की दो मौसम मुख्य हैं। एक खरीफ की फसल दूसरी रबी की। खरीफ की फसल साधारणतः दशहरे के बाद दीपावली तक कट कर घर में आ जाती है। रबी की फसल बैसाख के एक पखवाड़े के बाद कट कर बाजार में पहुँच जाती है। खरीफ की फसलें धान, ज्वार, बाजारा, मकई, कपास, गन्ना, तिल, मूंगफली, दालें है। रबी की मुख्य फसलें हैं, गेहूँ, चना, जौ, राई और सरसों।

फसल उत्पादन १९७३-७४

जून १९७४ में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में पिछले साल की तुलना में तेजी से वृद्धि देखी गई। उस वर्ष विभिन्न फसलों की ज्यादा उपज देने वाली किस्मों की विस्तृत खेती, बीजों की पूर्ति की व्यवस्था, उर्वरक और वनस्पति रक्षा की जरूरतों को शामिल करते हुए एक समन्वित उत्पादन अभियान चलाया गया था और साथ ही विस्तार प्रयास और किसानों के प्रशिक्षण को भी सुदृढ़ किया गया था और संस्थागत कर्जे की भी व्यवस्था की गई थी।

१९७३-७४ के खरीफ के मौसम में देश के बहुत इलाकों में वर्षा कुछ सामान्य रही, लेकिन रबी के मौसम में शीत ऋतु की वर्षा न होने से दिसम्बर १९७३ के दूसरे पखवाड़े और फरवरी १९७४ के पहले सप्ताह में भारी शीत लहर और पाले के कारण मुख्य रबी उत्पादक इलाके में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। १९७३-७४ में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन ९.७ करोड़ मीटरी टन के पिछले साल के संशोधित अनुमान से बढ़कर १०.३६ करोड़ मीटरी टन के स्तर तक बढ़ गया। १९७३-७४ के दौरान चावल की उपज ४.३७ करोड़ मीटरी टन के हमेशा से ज्यादा उल्लेखनीय स्तर तक पहुँच गयी और चावल,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बाजरा और रागी के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। उनकी तुलना में गेहूँ के उत्पादन में २६ लाख मीटर टन की कमी देखी गई, जिसका मुख्य कारण रबी के मौसम में जलवायु की हालात का बहुत खराब होना था। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई जो पांच प्रमुख तिलहनों के लिए २६ प्रतिशत से ज्यादा थी। पटसन के लिए २४ प्रतिशत, गन्ने के लिए १० प्रतिशत, कपास के लिए पिछले साल की तुलना ने ७ प्रतिशत ज्यादा थी। गन्ने का उत्पादन १३.७८ करोड़ मीटरी टन के नए शिखर तक पहुँच गया।

निम्नलिखित सारणी में गत पाँच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का ब्यौरा दिया गया है—

(दस लाख मीटरी टनों में)

	१९६९-७०	१९७०-७१	१९७१-७२	१९७२-७३	१९७३-७४ (अन्तिम अनुमान)
१	२	३	४	५	६
चावल	४०.४	४२.२	४३.१	३९.२	४३.७
गेहूँ	२०.१	२३.८	२६.४	२४.७	२२.१
ज्वार	९.७	८.१	७.७	७.०	९.०
मक्का	५.७	७.५	५.१	६.४	५.६
बाजरा	५.३	८.०	५.३	३.९	७.१
जौ	२.७	२.८	२.६	२.४	२.३
रागी	२.१	२.२	२.२	१.९	२.१
छोटे कदन्न	१.८	२.०	१.७	१.६	२.०
कुल धान्य	८७.८	९६.६	९४.१	८७.१	९३.९
दालें	११.७	११.८	११.१	९.९	९.७
कुल खाद्यान्न	९९.५	१०८.४	१०५.२	९७.०	१०३.६

फ़सल की सम्भावनायें १९७४-७५

मानसून से पूर्व के मौसम (खरीफ का मौसम मार्च—मई १९७४) में वर्षा सामान्य से अधिक रही। यह वर्षा उत्तर पूर्व भारत में शीत ऋतु में चावल और जूट जैसी खरीफ फसलों को बोने के लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर भी (पश्चिमोत्तर मानसून जून-सितम्बर १९७४) जो मुख्य फसलों के बोए जाने और उगाने के लिए महत्त्वपूर्ण है, देश के अधिकांश हिस्सों में दो-तीन सप्ताह देर से शुरू हुई, तथापि जुलाई के शुरू में मानसून में तेजी आई और देश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई। अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में बहुत से इलाकों में अच्छी वर्षा हुई। फिर भी गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में वर्षा की कमी रही।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूर्वोत्तर मानसून के समय नवम्बर और दिसम्बर १९७४ में तमिलनाडू में सूखे की हालत रही। असम, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में जुलाई-सितम्बर १९७४ में बाढ़ से भी फसलों को कुछ हानि पहुँची। इस तरह चालू खरीफ मौसम में अधिकांश इलाकों में असामयिक और अपर्याप्त वर्षा से फसलों पर बुरा असर पड़ा और इस कुप्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य थे—गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडू और उड़ीसा और कुछ सीमा कर्नाटक, आन्ध्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। खरीफ फसलों के उत्पादन अनुमान अभी नहीं मिले हैं, लेकिन मौसम और फसल की हालतों के बारे में उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर खरीफ के खाद्यान्नों का उत्पादन १९७३-७४ में प्राप्त ६.६७ करोड़ मीटरी टन के स्तर से कम रहेगा। वाणिज्यिक फसलों में कपास के उत्पादन की स्थिति सन्तोषजनक है जबकि दूसरी वाणिज्य फसलों का उत्पादन १९७३-७४ के स्तर से कुछ कम या उस के आस-पास रहेगा।

रबी का मौसम

सितम्बर के दूसरे पखवाड़े और अक्तूबर के दौरान देश के बहुत से इलाकों में हुई वर्षा ने आरम्भिक जुताई और फसलों की बुवाई के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी भी प्रदान कर दी। फिर भी हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश के कुछ भागों में अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर १९७४ के पहले पखवाड़े में वर्षा की कमी रहने से सिंचाई वाले इलाकों में रबी की फसल बोने की गति कुछ कम रही। इसलिए यह जरूरी हो गया कि इन राज्यों में खेती के काम के लिए बिजली देने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं। दिसम्बर १९७४ के दूसरे पखवाड़े और जनवरी-फरवरी १९७५ में उत्तर भारत के अनेक इलाकों में जो रुक-रुक कर, पर कुल मिलाकर पर्याप्त वर्षा हुई, उसने रबी की फसलों को काफी ज्यादा लाभ पहुंचाया है। किसी भी समय पर किसी भी इलाके में अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक, और रोग नियन्त्रण व्यवस्था की कमी नहीं रही; सिंचाई प्रणाली का प्रभावी इस्तेमाल किया गया और मौसम अनुकूल रहा। हालांकि १९७४-७५ के दौरान रबी फसलों के उत्पादन का ठीक ठीक संकेत देना अभी समय से बहुत पहले है, फिर भी ऐसी आशा करना युक्तिसंगत होगा कि उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में पिछले साल की तुलना में उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। पिछले दो सालों में हरियाणा और पंजाब में रबी के उत्पादन में जो कमी होने की प्रवृत्ति देखी गई है वह इस रबी के मौसम में होने वाली वृद्धि द्वारा पलट जाएगी। यदि मौसम के बाकी हिस्से में जलवायु की हालत अनुकूल रही तो रबी के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

१९७३-७४ की अवधि में सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन में गतवर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई। निम्न सारणी में गत पांच वर्षों की अवधि के सम्बन्ध में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के अनुमान दिये गये हैं—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाणिज्य फसलें—१९७३-७४ में उत्पादन की स्थिति

जिन्स	यूनिट	१९६९-७०	१९७०-७१	१९७१-७२	१९७२-७३	१९७३-७४ अन्तिम अनुमान
गन्ना (गुड़ के रूप में)	दस लाख मीटरी टनों में	१३.८	१३.०	११.६	१२.८	१४.०
कपास	१८० कि० ग्रा० की गांठें	५.३	४.५	६.६	५.४	५.८
पटसन	१८० कि० ग्रा० की गांठें	५.७	४.९	५.७	५.०	६.२
तिलहन	दस लाख मीटरी टनों में	७.७	९.३	८.७	६.९	८.७

ज्यादा उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम

देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार तथा बाजरा की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती पर भरोसा रखा जाता रहा है। १९७३-७४ की अवधि में २५५ लाख हैक्टेयर क्षेत्र में इन किस्मों की बुवाई करने का लक्ष्य रखा गया था। १९७४-७५ में इस लक्ष्य को बढ़ाकर २८७ लाख हैक्टेयर कर दिया गया था। वास्तविक उपलब्धि २७० लाख हैक्टेयर तक पहुंच जाने की संभावना है। निम्नलिखित सारणी में १९७४-७५ के फसलवार लक्ष्य तथा १९७३-७४ की उपलब्धियां दी गई हैं—

(दस लाख हैक्टेयर)

फसल	१९७३-७४ (अनुमानित)	१९७४-७५ (लक्ष्य)
१	२	३
१. चावल	९.४०	११.०
२. गेहूँ	११.३०	१२.२
३. मक्का	०.६५	०.८
४. ज्वार	१.१०	१.२
५. बाजरा	३.००	३.५
योग	२५.४५	२८.७

बहुफसली कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष के दौरान बहुफसली कार्यक्रम पर काफी जोर दिया गया। क्योंकि देश भर में मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का बेहतर तरीकों से उपयोग करके और विशेषकर लघ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति के माध्यम से नई सिंचाई संभाव्यता का विकास करके फसलों की सघनता को बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। यह अनुभव किया गया है कि समय से सिंचाई की कमी और फसल की परम्परागत दीर्घावधि किस्मों का उपयोग ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से विभिन्न प्रदेशों में बहुफसली कार्यक्रम को अपनाने में बाधा पड़ती है। किन्तु धान तथा अन्य फसलों की उत्पादनशील किस्मों की बुवाई शुरू होने से देश में सम्भाव्य क्षेत्रों में फसल सघनता में वृद्धि होने की काफी गुंजाइश है।

विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए १९६७-६८ में बहुफसली कार्यकम को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम दो वर्षों में क्रमशः ३७.४ लाख हेक्टेयर और ६०.०० लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई। चौथी योजना में बहुफसली खेती के माध्यम से अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के अन्तर्गत लाने के लिए ९० लाख हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो पूरा हो गया है। पांचवीं योजना के अन्तर्गत लगभग ११० लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे खेती का क्षेत्र जो १९७३-७४ में १६९० लाख हैक्टेयर था बढ़कर १९७८-७९ में १८०० लाख हैक्टेयर हो जाने की सम्भावना है।

दलहनों का उत्पादन

देश में दालों के उत्पादन में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि इन फसलों को प्रायः वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, दालों के अनुसन्धान कार्य को तेज कर दिया गया है परन्तु अभी तक दालों की अधिक उपज देने वाली किसी भी किस्म का विकास नहीं हुआ है। फिर भी मूंग, उड़द, लोभिया और अरहर की कुछ अल्पकालीन किस्मों का विकास हुआ है, जिनकी खेती प्रमुख फसलों में अदल-बदल किए बगैर बहुफसली कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा सकती है। अनुसन्धान के परिणामों से पता चला है कि अच्छी किस्म के बीजों के उपयोग, उर्वरकों के प्रयोग और वनस्पति रक्षण उपायों के अपनाने से दालों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अतः १९७४-७५ के दौरान अन्तर्वर्ती कैश क्राप फसल अथवा मिश्रित फसल के रूप में २.०० लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में अल्प कालीन किस्मों की बुवाई करने का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ १६.० लाख हैक्टेयर क्षेत्र में दालों की खेती के लिए पैकेज पद्धतियों को भी अपनाने का प्रस्ताव है। आशा है कि चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त अतिरिक्त क्षेत्र में बुवाई करने और पैकेज कार्यक्रम को अपनाने से ५.० लाख मीटरी टन दालों का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहयोग देने के लिए दालों के विकास के सम्बन्ध में १९७२-७३ से शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना पांचवीं आयोजना अवधि के दौरान भी जारी रखी जा रही है। इसके लिए १२.२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बीजवर्धन, एवं वनस्पति रक्षण उपायों के लिए सहायता दी जाती है और दालों की अल्पकालीन और उन्नत किस्मों के बीजों की कम कीमत पर सप्लाई की जाती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कपास

१९७४-७५ के कपास सम्बन्धी अखिल भारतीय प्रथम अनुमानों से पता चलता है कि कपास की बुवाई के क्षेत्र में लगभग ८ प्रतिशत की कमी हुई है। इस अनुमान में प्राय: जुलाई १९७४ तक की अवधि शामिल है और इसमें ८० प्रतिशत वह क्षेत्र शामिल है जिसके सम्बन्ध में बुवाई होने की अन्तिम सूचना मिली थी। क्षेत्र में कमी होने के मुख्य कारण बुवाई के समय कम वर्षा होना है।

मौसमी परिस्थितियों में सुधार होने के कारण १९७४-७५ के दौरान कपास के उत्पादन की सम्भावनाए १९७३-७४ की अपेक्षा अच्छी हो गई हैं। कपास उगाने वाले ९ प्रमुख राज्यों के १४ जिलों में केन्द्र प्रायोजित योजना का सघन कपास जिला कार्यक्रम नये सिंचाई परियोजना-क्षेत्रों और चावल के परती क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का विस्तार, संकर कपास बीजों का उत्पादन, कपास के मूल और आधारिक बीजों का उत्पादन, कपास के श्रेणीकरण और प्रदर्शनों की प्रभावशाली ढंग से क्रियान्विति की गई। इस कार्यक्रम की मुख्य बातों में उन्नत बीजों, उवर्रकों और वनस्पति-रक्षण उपायों का व्यापक प्रयोग करना है। १९७३-७४ में सघन कपास ज़िला कार्यक्रम के अन्तर्गत ८.६ लाख हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि १९७४-७५ में बढ़कर ११.३ लाख हैक्टेयर हो गया है। १९७३-७४ में संकर कपास की ५.२४ लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी। १९७४-७५ के दौरान इसका क्षेत्र बढ़कर ७.६ लाख हैक्टेयर हो गया है।

१९७४-७५ की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में अच्छी किस्म की कपास की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि होने से, लम्बे रेशों की कपास का उत्पादन जो १९६९-७० में १६ लाख गांठें था—१९७३-७४ में २२ लाख गांठें और अब तो उसका रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

तिलहन

मौजूदा संकेतों से पता चलता है कि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण १९७४-७५ की अवधि में खरीफ-कालीन मूंगफली (जो खरीफ का प्रमुख तिलहन है) का उत्पादन कम रहेगा। लगभग अगस्त, १९७४ के मध्य तक खरीफ़ तिलहनों के अनुकूल वर्षा नहीं हुई। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र को सूखे से बहुत नुकसान पहुंचा। यह वह क्षेत्र है जहां देश के कुल मूंगफली क्षेत्र के २० प्रतिशत भाग में इसकी बुवाई होती है।

मध्य अगस्त के बाद व्यापक वर्षा होने के फलस्वरूप खरीफ के तिलहनों की सुविधापूर्वक बुवाई हुई है। आशा है अधिक क्षेत्र में बुवाई होने तथा फसल बढ़ने की अवधि में अनुकूल मौसमी परिस्थितियां होने से १९७४-७५ में तौरिया और सरसों की फसल बहुत अच्छी होगी। अनेक केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य प्लान योजनाएं चालू हैं। आशा है इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक महत्वपूर्ण फसल के लिए पैकेज कार्यक्रम को अपनाने से प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ने से तिलहनों का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस कार्यक्रम में निम्न बातें शामिल हैं, उत्तम किस्म के बीजों और उर्वरकों का प्रयोग, वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना, सिंचित तिलहनों के क्षेत्र में वृद्धि करना और उन चुनींदा राज्यों में कृषि की उत्तम प्रणालियों को प्रोत्साहन देना।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्यों में चालू सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ७.३४ लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई करने के लक्ष्य की तुलना में खरीफ के मौसम (सितम्बर, १९७४ तक) में १.० लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई। गैर परम्परागत तिलहनों के विकास से सम्बन्धित एक अन्य चालू केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत १९७४-७५ के दौरान १० राज्यों में ३.० लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुवाई की गई। इस योजना के उद्देश्य अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान विस्तृत प्रदर्शनों की व्यवस्था करके कृषकों को कृषि की उचित तकनीकों तथा उवर्रकों की ठीक मात्रा में प्रयोग करने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना था।

१९७४-७५ में खरीफ की फसल

यूनिट	१९७४-७५	१९७३-७४
१. खरीफ अन्न धान्य (लाखों टनों में)	६७०	५८०
२. रबी अन्न धान्य ,, ,,	३७०	४२०
३. कुल अन्न धान्य	१०४०	१०००
४. मूंगफली ,, ,,	५८०	५००
५. कपास ,, ,,	५८०	६५०
६. जूट व मेस्टा ,, ,,	७६०	५५०
७. गन्ना ,, ,,	१६०	

	गेहूँ पैदावार (लाख टनों में) कुल पैदावार	गेहूँ पैदावार
१९७०-७१	१०८४	२६४
१९७२-७३	९७०	२४७
१९७३-७४	१०३६	२२१

पंचम नियोजन का अन्न धान्य का निर्धारित	लक्ष्य
	१९७८-७९
	१९७४-७५ (लाख टनों में) लक्ष्य
चावल	४५ ०० ५४.००
गेहूं	३०.०० ३१.००
दालें	११.०० १४.००
कुल अन्न धान्य	११६.०० १४०.००
तिलहन	१०.०० १२.००

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

खाद्यान्न का आयात

सन् १९७४ में भारत ने कुल ४८ लाख ७४ हजार टन अनाज का आयात किया और सन् १९७५ के प्रथम तीन महीनों में १९ लाख १० हज़ार टन अनाज बाहर से मंगाया गया। सन् १९७४ में सबसे अधिक अनाज अमरीका से मंगाया गया। भारत ने १९७४ में व्यापारिक स्तर पर १९ लाख १७ हजार टन गेहूं खरीदा। सोवियत संघ ने भारत को २० लाख टन अनाज देने का प्रस्ताव किया था, जिसमें से १७ लाख ७६ हजार टन अनाज मिल चुका है। सन् १९७४ में भारत ने जितना अनाज विदेशों से मंगाया उसमें ६ लाख ७१ हजार टन माइलो है जो अमरीका और अर्जेन्टीना से आया है।

इस वर्ष मार्च महीने तक १९ लाख १० हज़ार टन अनाज भारत ने आयात किया है जिसमें १८ लाख २७ हज़ार टन गेहूं है। इसमें भी ११ लाख १८ हजार टन अमरीकी गेहूं है। सन् १९७४ में भारत ने कुल ५१ लाख ७० हज़ार टन गेहूं खरीदा जिसमें अमरीका से खरीदा हुआ ३५ लाख ८० हजार टन गेहूँ भी शामिल है। गेहूं और भाड़े की रकम मिलाकर यह गेहूं एक सौ चौदह रुपए प्रति क्विन्टल के भाव पर मिला है। विदेशी अनाज उस समय के अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार भाव पर खरीदा जाता है। उससे अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार से खरीदे गए अनाज का कोई सम्बन्ध नहीं। अनाज के आयात की मात्रा फसल की सम्भावना, अन्न की आन्तरिक उपलब्धि, मूल्य की स्थिति, विदेशी मुद्रा की स्थिति और अन्य कारणों के आधार पर निर्धारित की जाती है, किन्तु इस वर्ष भारत कितना अनाज बाहर से मंगाता है इसका कोई संकेत अभी तक नहीं मिल सका है।

सन् १९७२-७३ में भारत को विदेशों से कोई खास सहायता नहीं मिली, किन्तु सन् १९७३-७४ वर्ष में ब्रिटेन और यूरोपीय साझा बाजार ने ६० हज़ार टन अनाज दिया और भारत ने उसे स्वीकार किया। इसी प्रकार सन् १९७४-७५ वर्ष में खाद्यान्न सहायता के रूप में ५ लाख २६ हजार टन देने का प्रस्ताव आया जिसमें २ लाख ९६ हज़ार टन यूरोपीय साझा बाज़ार से, १ लाख ४० हज़ार टन कनाडा से, ५० हज़ार टन स्वीडन से और आस्ट्रेलिया से ४० हज़ार टन देने का प्रस्ताव था। सन् १९७३ में सोवियत संघ ने ऋण के रूप में २० लाख टन गेहूं देने का वायदा किया था और वह गेहूं भारत पहुँच चुका है। इसे लौटाने की प्रक्रिया सन् १९७६ में शुरू होगी और पूरा अनाज पाँच किस्तों में लौटा दिया जाएगा।

मई १९७५ में थाईलैंड ने सरकारी स्तर पर एक लाख टन चावल देने का प्रस्ताव किया है। सन् १९७३ में भीषण अकाल पड़ा, इसलिए भारत में अनाज की उपज कम हो गई और उसे विदेशों से बड़ी मात्रा में अनाज मंगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। रियायती अनाज का आयात भारत ने सन् १९७२ के आरम्भ में ही बन्द कर दिया और अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार से बड़े पैमाने पर अनाज खरीदा। इस भाव पर अनाज खरीदने से विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी राशि अनाज के आयात पर खर्च हो गई।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सन् १९७४ के अप्रैल और नवम्बर महीने के बीच ३ अरब ९० करोड़ रुपए का अनाज विदेशों से खरीदा गया। तेल के आयात के अलावा अनाज पर बहुत बड़ी राशि खर्च होने के कारण ही हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सन् १९७४-७५ वर्ष में ९० अरब रुपए का अन्तर पड़ा अर्थात आयात अधिक, निर्यात कम हुआ। अनुमानतः सन् १९७४-७५ वर्ष में अनाज के आयात पर कुल ६ अरब ५२ करोड़ रुपये खर्च हुए।

चार वर्षों के बाद २० मार्च को भारत ने रियायती दर पर अन्न के आयात क लिए अमरीका से एक समझौता किया। इस समझौते के अन्तर्गत अमरीका भारत को ८ लाख टन गेहूं देगा जिसकी कीमत १२ करोड़ ८० लाख डालर होगी। भारत को आरम्भ में इसकी पांच प्रतिशत राशि नकद चुकानी होगी और शेष १२ करोड़ १० लाख डालर की रकम ४० वर्षों में किस्तों में चुकानी होगी जिसमें १० वर्षों की अनुग्रह अवधि भी शामिल होगी। इस राशि पर भारत को दो प्रतिशत ब्याज प्रथम दस वर्षों तक और तीन प्रतिशत ब्याज शेष तीन वर्षों तक देना होगा।

चीनी का रिकार्ड उत्पादन

इस वर्ष ४६ लाख टन से भी अधिक का चीनी का सर्वकालीन रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है। गत वर्ष उत्पादन ३९.५ लाख टन के लगभग था। चालू मौसम में २४५ चीनी मिलें चालू रहीं जबकि गत साल २२९ मिलें थी। इस बार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में चीनी की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। १९७५ में अधिकतम निर्यात का प्रयास किया जाएगा। गत वर्ष ५ लाख टन चीनी का निर्यात हुआ। इस वर्ष चीनी के निर्यात से ४०० करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की सम्भावना है।

अभी वर्तमान स्थिति में विश्व बाज़ार में चीनी की न्यूनता के कारण मूल्यों की प्रवृत्ति ऊपर की ओर बढ़ी है। अब देश के उद्योगपतियों का ध्यान चीनी के उत्पादन की ओर बढ़ा है। इस वर्ष दस लाख टन चीनी निर्यात करने का अनुमान है। विश्व बाज़ार में मूल्य ३५० पौंड प्रतिटन के मध्य स्थिर होने की अवस्था में भारत को ७०० करोड़ रुपए से १२०० करोड़ रुपए का विदेशी विनिमय प्राप्त होने का अनुमान है।

सन् १९७४-७५ के ४५ लाख टन उत्पादन के आधार पर ही पूर्ववर्णित आशावादी अनुमान लगाया गया है। अनुमान है कि भविष्य में कुछ वर्षों तक चीनी के मूल्य विश्व बाज़ार में और बढ़ेंगे। इस समय के विश्व मूल्यों को देखते हुए चीनी उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय है।

गुड़ व खण्डसारी

गुड़ एवं खण्डसारी बनाने का कार्य भी एक रोज़गार प्रदान करता है। ईख के इस उपभोग पर सरकार ने कुछ कर छूट सम्बन्धी सुविधायें दी हुई हैं। इससे ईख का एक बड़ा भाग गुड़ एवं खण्डसारी बनाने के उपयोग में आता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चीनी उत्पादन का स्तर (लाख टनों में)

१९६०-६१	३०.२८
१९६६-६७	२१.५१
१९६९-७०	४२.६१
१९७१-७२	३१.०८
१९७३-७४	३९.४९
१९७४-७५	४४.४५

पांचवीं योजना के अन्त तक अनुमान है कि चीनी का उत्पादन लगभग ६० लाख टन होगा। चीनी उत्पादन क्षमता बढ़ जाने पर अनुमानतः चीनी का उत्पादन लगभग २० लाख टन हो जाएगा। चीनी पैदावार का भविष्य उज्जवल है।

कृषि सेवा केन्द्र

देश के विभिन्न भागों में १८५२ कृषि सेवा केन्द्र हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सम्बन्धित सेवाएं तथा सामान की सप्लाई उपलब्ध कराना है।

कृषि सेवा केन्द्र द्वारा इसके अतिरिक्त पौधा संरक्षण सेवाएं और भंडारण तथा संसाधन की सुविधाएं भी दी जाती हैं और औजार आदि उपकरण किराये पर दिये जाते हैं। ये केन्द्र भूमि विश्लेषण, उर्वरक और प्रबन्ध सुधार आदि परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध करते हैं। ये केन्द्र कृषकों को उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां और बीज भी वितरित करते हैं। खेतों में प्रतिदिन के प्रयोग के लिए इंजीनियरी भंडार, कृषि मशीनरी के लिए फालतू पुर्जे और ईंधन, तेल तथा चिकनाहट कृषक को देते हैं। कुछ केन्द्रों ने सेवा और मरम्मत वर्कशाप भी स्थापित किए हैं। प्रत्येक केन्द्र ३ से १० व्यक्तियों को नौकरी प्रदान करता है। पूर्णतः विकसित होने पर ये केन्द्र बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों, कृषि स्नातकों तथा अन्य तकनीकी व्यक्तियों को आत्म नियोजन के अवसर प्रदान करेंगे।

थोक भावों का निदेशांक

आधार (१९६१-६२-१००)

नाम जिन्स	१३ अक्तूबर १९७४	१४ सितम्बर ७४	१३ अक्तूबर १९७३ से १३ अक्तूबर १९७४	१४ सितम्बर १९७४	१३ अक्तूबर १९७३
१. खाद्य पदार्थ	३८४.३	२८४.९	२९८.८	—०.२	+२८.६
२. शराब व तम्बाकू	३०९.७	३०३.८	२४९.९	+१.९	+२३.९
३. ईंधन ऊर्जा आदि	३१८.९	३१३.०	१९४.६	+१.९	+६३.८
४. औद्योगिक कच्चा माल	३३५ १	३५७.८	३०९.९	—६.३	+ ८.१
५. रासायनिक	३००.४	२९९.०	२११.३	—०.५	+४२.२
६. साज-सामान	२६३.१	२६१.१	१८०.८	+०.८	+४५.५
७. तैयार माल	२५९.८	२६१.५	२०४.५	—०.७	+२७.०
८. सब वस्तुएं	३२५.७	३२८ १	२५४.९	—०.७	+२७.८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्पष्ट है कि थोक भाव अक्तूबर के मध्य १९७३ से २७.८ प्रतिशत बढ़े हुए थे। खाद्य पदार्थों का थोक भाव १९७३ की तुलना में २८.६ प्रतिशत बढ़ा हुआ था।

कृषि क्षेत्र और पैदावार १९७२-७३ और १९७३-७४

वापित क्षेत्र (लाख हैक्टेयरों में) (पैदावार लाख टनों में)

	१९७२-७३ अनुवीक्षित	१९७३-७४ अन्तिम	अंतर प्रतिशत	१९७२-७३ अनुवीक्षित	१९७३-७४ अन्तिम	प्रतिशत अन्तर
१. चावल शरद	१६३	१६६	१.८	१६०	१८७	१७.२
२. हेमन्त	१८८	१९७	५.१	१०४	२२०	७.९
३. ज्वार	१०२	१०७	४.४	५३	५९	९.४
४. बाजरा	११८	१३६	१५.५	२९	७०	८०.३
५. मकई	५८	६०	३.१	६४	५६	११ ७
६. रागी	२३	२४	२.७	१९	२१	१.०८
७. ज्वार बाजरा	४३	४५	६.२	१६	१९	२०.१
८. अरहर	२४	२६	६.३	१९	१४	२९.३
९. अन्य दाल	६४	७२	१३.१	१२	२१	६९.१
कुल खरीफ का अन्न-धान्य	७८३	८३४	६.४	५८६	६६७	१३.८
१. चावल ग्रीष्म	१६	१७	४.४	२९	३१	५.३
२. ज्वार	६३	६३	१८.३	१६	३१	९३.७
३. गेहूँ	१९५	१९१	२.१	२४७	२८१	१०.८
४. जौ	२४	२६	६.२	२४	२३	२.२
५. चना	७०	७७	१०.४	४५	४०	११.७
६. अन्य दालें	५१	५४	४ ९	२२	२३	३.६
योग रबी धान्य	४०९	४२८	४.४	३८४	३६९	३.९
सर्वयोगधान्य	११९२	१२६२	५.७	९७०	१०३६	६.८

बाजार परिज्ञान

१३०० से अधिक तकनीकी रिपेयरिंग एजेंसियों के माध्यम से बाजारों की आमद, बिक्री, मूल्य तथा बाजार स्थिति आदि के सम्बन्ध में साप्ताहिक आंकड़े नियमित रूप से एकत्रित किए जा रहे हैं। अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा स्थापित किए हुए १४ प्रादेशिक कार्यालयों ने राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से प्राथमिक रिपोर्टिंग एजेंसियों के कार्य का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण करने का कार्य जारी रखा। आवश्यक जिंसों के खुदरा मूल्यों और पूर्तियों के रुख का अध्ययन करने के लिए निदेशालय ने देश भर में फैले हुए लगभग ९७ केन्द्रों से खाद्य और अखाद्य जिन्सों के लगभग ३४ वर्गों के खुदरा मूल्यों के सम्बन्ध में आंकड़े इकठ्ठे किए। खुदरा मूल्यों के आंकड़े उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय को नियमित रूप से उपलब्ध किए जा रहे हैं।

बाजार समाचार के सम्बन्ध में आकाशवाणी के समस्त प्रादेशिक केन्द्रों से प्रसारण करने के लिए महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों के दैनिक मूल्यों और खाद्य तथा मूल्य स्थिति की साप्ताहिक समीक्षाएं भेजी जाती हैं। देश भर की १००० मण्डियों में सूचनापटों के माध्यम से मण्डी के भावों के सम्बन्ध में जानकारी देने का कार्यक्रम रहा है।

ताल के नगर भोपाल को सुंदर संवारने में

"भोपाल सुधार न्यास"

का

मूल्यवान योगदान

(१) निम्न आय वर्ग के लिए जमालपुरा योजना में सस्ते भूखण्डों का आवंटन।

(२) गंदी बस्तियों के उन्मूलन में पंचशीलनगर का विकास।

(३) वर्ष १९७४ के भीषण बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिये जमालपुरा योजना में आवसिय भूखण्डों को उपलब्ध कराने में योगदान।

(४) राजधानी के व्यवसायिक विकास हेतु "वृद्ध व्यवसायिक केन्द्र" का हबीबगंज स्टेशन के समीप निर्माण।

(५) आगामी वर्ष १९७५-७६ में शहर के सर्वांगीण विकास हेतु हबीबगंज तथा भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के प्रशासकीय भवन के सामने व्यवसाय एवं आवास हेतु भूमि की विकास योजना।

इन सब प्रयत्नों को साकार रूप देने में तथा भोपाल को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर रहने के लिए भोपाल सुधार न्यास राजधानी के नागरिकों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता है।

अध्यक्ष
भोपाल सुधार न्यास
भोपाल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: १९ :

सिंचाई और बिजली

हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में जिस आर्थिक विकास की कल्पना की है, वह इस बात पर निर्भर है कि हम अपने कृषि उत्पादन में, खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों दोनों में, निरन्तर वृद्धि करें। केवल यही महत्त्व की बात नहीं है कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाये, अपितु महत्व इस बात का भी है कि कृषि उपजों के निर्यात से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाये। सिंचाई परियोजनाएं ग्रामीण जनता और प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार देने के लिए भी अवसर प्रदान करती हैं।

जलस्रोत : भारत का सतही जलस्रोत १६८० लाख हैक्टेयर है। इसमें से ५६० लाख हैक्टेयर पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। देश की १६२५ लाख हैक्टेयर कृषि भूमि में ६०० लाख हैक्टेयर भूमि को ही इस समय सिंचाई का लाभ प्राप्त है।

देश की मूल्यांकित जल-विद्युत् क्षमता तथा पहले ही विकसित और विकास की जा रही शक्यता का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया जाता है :

क्रम सं० क्षेत्र	कुल शक्यता (मेगावाट) सतत	यूनिट (हजार मिलियन यूनिट	विकसित और विकसित की जा रही शक्यता	
			शक्यता (मेगावाट) सतत	क्षेत्र की कुल प्रतिशतता
१. उत्तरी . .	६३४८.९	५६.४०	२२०८	३४.८
२. पश्चिमी . .	४३०१.३	३७.६८	६८८	१६.०
३. दक्षिणी . .	४८५८.२	४२.५६	२७३०	५६.०
४. पूर्वी . .	१६१६.२	१४.१६	४०५	२५.०
५. उत्तर-पूर्वी . .	७४७८.६	६५.५१	८२	१.०७
कुल . . .	२४६०३.२	२१६.३१	६११३	२४.८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९७१-८१ की दशाब्दी के समाप्त होने पर बढ़ती हुई जन संख्या की खाद्यान्न और अन्य कृषि उपजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा और सन्निहित इन्जीनियरी पहलुओं और फलावधि के कारण एक दीर्घकालीन भविष्यप्रभावी योजना की आवश्यकता होगी ताकि विस्तृत अनुसंधानों के लिए और परियोजना की सामयिक स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सके कि ये आवश्यकतानुसार पूरी की जायें। तदनुसार १९७१-८१ की अवधि के लिए एक दशाब्दी योजना तैयार की गई है। यह योजना इस आधार पर तैयार की गई कि जन-संख्या दशाब्दी के अन्त तक लगभग ६५० मिलियन हो जायेगी और ५५ मिलियन मेट्रिक टन की अतिरिक्त खाद्यान्न आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसमें से बीजों की सुधरी हुई किस्मों, समुन्नत कृषि पद्धतियों आदि से २६ मिलियन मेट्रिक टन की प्राप्ति होने की संभावना है। १९७१-७४ की अवधि में सिंचित क्षेत्रों के लक्ष्यानुसार विस्तार से ९ मिलियन मेट्रिक टन की संभावना है। अनुमान है कि शेष २० मिलियन मेट्रिक टन में से १२ मिलियन मेट्रिक टन की उपज बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं से प्राप्त हो जायेगी। इसके लिए लगभग ८ मिलियन हैक्टेयर (२० मिलियन एकड़) अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र की आवश्यकता है। इतना क्षेत्र और बढ़ाने के लिए २२५० करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे। जिन स्कीमों को अनुसंधान करके इस उद्देश्य के लिए चुन लिया गया है, उनकी सूची तैयार कर ली गई है।

सिंचाई योजनाएं

पिछले वर्ष तक जिन बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर काम हुआ है, उनसे देश में १ करोड़ १४ लाख हैक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो गई है।

१९५१ के बाद से, जब योजनाएं प्रारम्भ हुई, ९७ बड़ी और ५१३ मध्यम श्रेणी की योजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

पांचवीं योजना में मध्यम श्रेणी की सभी १५५ और ७५ बड़ी योजनाओं में से ६४ को पूरा करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना अवधि में १०९ बड़ी और ३१३ मध्यम श्रेणी की योजनाओं पर भी काम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना में ६२ लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई की क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान नहर के ऊपर पोंग पर बांध तथा रामगंगा परियोजना के अंतर्गत कालागढ़ पर बांध तैयार करना चालू वर्ष की उपलब्धियां थीं। इनसे एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी जमा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त शारदा सहायक परियोजना के प्रथम चरण का काम भी पूरा किया गया है। यह देश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इससे १ लाख २७ हजार हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बाढ़ नियंत्रण

१९७४ में बाढ़ के कारण असम, बिहार, केरल, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में काफी नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण कुल मिलाकर देश को ५ अरब ६९ करोड़ रु० की हानि हुई. जिसमें से ९५ प्रतिशत हानि अकेले इन राज्यों में थी। देश में, ऐसे स्थानों पर जहां बाढ़ का खतरा सबसे अधिक है, केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए ८ केन्द्र खोले गए हैं। इस वर्ष गोदावरी में बाढ़ की पूर्व सूचना देने का केन्द्र खोला गया है। इसके कारण राज्य सरकारों को बाढ़ के प्रकोप में आने वाले क्षेत्रों से जनता को हटाने तथा सहायता कार्य करने में काफी मदद मिली।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण मंडल

काफी समय से केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आलोच्य वर्ष में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए राज्य सरकार को ६ करोड़ रु० की राशि दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी मण्डल गठित करने के लिए एक विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

केन्द्रीय जल आयोग ने विभिन्न सरकारों और परियोजना प्रतिष्ठानों को नदी घाटी परियोजनाओं के डिजाइन आदि तैयार करने के लिए सहायता भी दी। इसके अतिरिक्त इन्डोनेशिया, अफगानिस्तान, नेपाल, नाइजीरिया, सिक्किम, भूटान और श्रीलंका को भी इस बारे में सहायता दी गई।

क्षमता में वृद्धि

१९७४-७५ में पिछले वर्ष के मुकाबले स्थापित क्षमता में १७२० मेगावाट की वृद्धि हुई जिसमें से ११६५ मेगावाट ताप और ५५० मेगावाट पन बिजली क्षमता है। १९७३-७४ में क्षमता ४६६ मेगावाट की थी।

मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय किया है कि परियोजनाएं यथासंभव निश्चित अवधि तक पूर्ण करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं और इस दिशा में एक केन्द्रीय अनुश्रवण संगठन की स्थापना की गई है ताकि विभिन्न रुकावटों का समय पर पता लगाया जा सके और तुरन्त उन्हें सुधारा जा सके।

विद्युत उत्पादन

सितम्बर १९७४ से मार्च १९७५ की अवधि में दामोदर घाटी निगम के बिजली उत्पादन में ३१ प्रतिशत और आंध्र प्रदेश के बिजली-उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार दिल्ली बिजली पूर्ति प्रतिष्ठान के बिजली उत्पादन में १८ प्रतिशत, महाराष्ट्र के बिजली उत्पादन में १४ प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश के बिजली उत्पादन में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तामिलनाडु के बिजली उत्पादन में यद्यपि ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु इसके ताप बिजली केन्द्रों की केवल ३० प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जा सका। आंध्र

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रदेश ने ७८ प्रतिशत तथा दिल्ली ने ७० प्रतिशत उत्पादन-क्षमता का उपयोग किया। बिहार, उड़ीसा और तामिलनाडु के ताप बिजली केन्द्रों के उत्पादन में काफी सुधार की आवश्यकता है।

ऊर्जा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने बिजली केन्द्रों के कार्यों में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए आदेश दिया है कि उन्हें अपना उत्पादन औसतन ६ हजार किलोवाट करना चाहिए। जिन बिजली केन्द्रों का उत्पादन ५ हजार किलोवाट से कम है, उन्हें अगले साल कम-से-कम २५ प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि करनी चाहिए।

ऊर्जा मंत्री ने राज्य बिजली मण्डलों से आग्रह किया कि वे १६७५-७६ में २६०० मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने में मदद करें। मार्च १६७६ तक उत्तरी क्षेत्र में तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कई परियोजनाओं के चालू हो जाने की सम्भावना है।

बिजली उत्पादन

देश में प्रतिदिन २२ करोड़ ५० लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन ३ करोड़ ५० लाख यूनिट घाटे को छोड़कर आजकल लगभग १६ करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध होती है।

६० प्रतिशत विद्युत ऊर्जा (परमाणु केन्द्रों सहित) ताप बिजलीघरों से तथा लगभग ४० प्रतिशत जलविद्युत से प्राप्त की जाती है।

अप्रैल, १६७४ से मार्च १६७५ की अवधि में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में तापघर बिजली केन्द्रों के उत्पादन में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जलविद्युत परियोजनाओं में भाखड़ा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक, १२ लाख किलोवाट है। अन्य प्रमुख जलविद्युत केन्द्र हैं :

महाराष्ट्र में कोयना और टाटा हाइड्रो, उत्तर प्रदेश में रिहंद, उड़ीसा में हीराकुण्ड और बालीमेला, आंध्र प्रदेश में मुचकुंद अपर सिलेरू, मध्य प्रदेश में जवाहर सागर, गांधी सागर और राणाप्रताप सागर, कर्नाटक में शारावथी, केरल में शवरीगिरि, तमिलनाडु में मेट्टूर, पोरियार और कोदायार।

चौथी योजना के अन्त में देश में बिजली की स्थापित क्षमता एक करोड़ ८५ लाख थी। पांचवीं योजना के पहले साल १७ लाख २० हजार किलोवाट की स्थापित क्षमता और भी जुड़ी जो चौथी योजना के अन्तिम वर्ष की स्थापित क्षमता की तुलना में चौगुनी अधिक है।

निर्माणाधीन योजनाओं के पूरे होने पर देश की विद्युत क्षमता के केवल १७.६% का ही उपयोग हो सकेगा। जलविद्युत ऊर्जा पुनर्नव्य, साधन की रक्षा करने वाली तथा आकर्षक लागत वाली है।

भारत की जलविद्युत क्षमता का अधिकांश उत्तरी हिमालय की पर्वतमाला की विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में उपलब्ध है जिनमें से अधिकांश योजनाधीन या निर्माणाधीन हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ग्रामीण विद्युतीकरण

जनवरी, १९७५ तक देश के १,६२,००० गांवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी थी। देश में कुल गांवों की संख्या ५,६६,८७८ है।

विद्युतीकरण के मामले में हरियाणा सबसे आगे है। उसके सभी गांवों में बिजली लग चुकी है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, जिसके ९७.८% गांवों में तथा उसके बाद केरल है जहां ८८.५% गांवों में बिजली लग चुकी है। लगभग २६ लाख नलकूपों के लिए बिजली दी जा चुकी है।

पांचवीं योजना के मसौदे में देश भर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए १,०९८.२४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि चौथी योजना में रखी ४४४.६५ रुपये की राशि से दुगनी है।

पांचवीं योजना में निहित राशि से १,१०,१०० अतिरिक्त गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और १५ लाख अतिरिक्त पम्प सेट बिजली से चलने लगेंगे।

ऊर्जा मंत्रालय का सृजन

वर्ष के दौरान सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया और एक नए ऊर्जा मंत्रालय का सृजन हुआ, जिसमें विद्युत विभाग और कोयला विभाग नाम के दो विभाग शामिल हैं। ऊर्जा के विश्व-व्यापी संकट में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसमें ऊर्जा संसाधनों के सम्बन्ध में समग्र रूप से विचार करना आवश्यक हो गया। ऊर्जा के उत्पादन पर बहुत अधिक लागत आने के कारण ऊर्जा संसाधनों का अनुकूलतम विकास और समुपयोजन करना नितान्त रूप से आवश्यक हो गया। ऊर्जा मंत्रालय ने यह कार्य प्रारम्भ किया है और वह उपलब्ध संसाधनों के इस प्रकार के अनुकूलतम विकास के लिए नीतियों और आवश्यक कार्यवाई पर विचार कर रहा है।

मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

…हिन्दी में इतना कार्य हुआ है कि एक लेखक के रूप में मुझे गर्व होता है कि मैं इस भाषा का लेखक हूँ। खासतौर से तकनीकी तथा अन्य विषयों पर यहां देखी प्रामाणिक पुस्तकों से लगा कि हमारे पास सब कुछ हो, इसकी शुरूआत हो चुकी है…

—**कमलेश्वर**, सम्पादक सारिका

हिन्दी की शक्तिमता को उजागर करने तथा वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य के भण्डार में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ने मानविकी, विज्ञान, इन्जिनियरिंग, आयुर्विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकायों के २५ विषयों के विश्वविद्यालयीन स्तर के ६०० ग्रन्थों के निर्माण की योजना बनायी है। अब तक १८० ग्रन्थों की रचना हो चुकी है।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

विक्रय अधिकारी

मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

९७ मालवीय नगर,

भोपाल-३

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

MANAGEMENT & PRODUCTION BREAKTHROUGH

IN B C C L

People all over the country, appear to be wondering as how there could have been a production increase of 113 percent, and an output per manshift increase of 20 percent or thereabout in BCCL collieries, in less than a fortnight (December 30, 1974 to January 11, 1975).

No, this is neither fantastic nor a miracle, but the result of detailed planning, and improved management techniques adopted, pre-planning at all levels, working out of input demands in details, task assignments and the spelling out of responsibilities in clear terms,—all essential pre-requisites of scientific management.

BCCL has achieved a real breakthrough in management development during the year just ended, by introducing a systematic process of providing opportunities to all managers from the highest to the lowest tier. The process was initiated by our Management Development Division, through the organization of as many as 40 programmes, covering the whole gamut of management techniques from "motivation" to "vigilance" and "discipline".

The management breakthrough has been the 'Open sesame' for the production breakthrough.

1975 augurs well for the nationalised coking coal industry, for it heralds a new era of increased production and productivity in this vital sector, at a time when the country is faced with an economic crisis caused by the global oil crisis.

BHARAT COKING COAL LTD.
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
Regd. Office : Sijua,
Dist. Dhanbad

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २० :

सहकारिता

सहकारी आन्दोलन ने निश्चय ही संख्या की दृष्टि से उत्तर स्वाधीनता काल में उल्लेखनीय प्रगति की है। केवल सहकारी ऋण के क्षेत्र में ही नहीं, दूसरे अनेक ऋण क्षेत्रों जैसे विपणन, औद्योगिक, उपभोक्ता, भवन निर्माण, यातायात, आदि में भी उसने आश्चर्यजनक उन्नति की है। स्वाधीनता से पहले किसानों को केवल तीन करोड़ रुपये का ऋण सहकारी समितियाँ देती थीं। आज अकेले अल्पकालीन ऋण की मात्रा बढ़कर ७०० करोड़ रुपया तथा दीर्घकालीन ऋण की मात्रा ६०० करोड़ रुपया हो गई है। पाँचवीं योजना के अन्त तक किसानों को अल्पकालीन सहकारी ऋण का लक्ष्य १५०० करोड़ रुपया रखा गया है। आज देश में ६५ प्रतिशत से अधिक गांवों में सहकारी समितियां गठित हैं और ४१ प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता उनकी सदस्य है। देश में कोई अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संगठन इतने व्यापक रूप से विद्यमान नहीं हैं। सहकारिता द्वारा किसानों को केवल ऋण की सुविधा ही मिलती हो, ऐसी बात नहीं हैं, उनके लिए उन्नत बीज, खाद, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाइयां तथा खेती के लिए उपकरणों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी भी गांव की सहकारी समितियों ने वहन की है। समितियाँ तो सिंचाई के लिए भी पंपिंग सैट, ट्यूबवैल, इत्यादि का प्रबन्ध करती हैं। कुछ अन्य खेती के भारी संयंत्र जैसे ट्रेक्टर, क्वाइन, फसल काटने की मशीनें, बुवाई की मशीनें आदि का किराए पर प्रबन्ध करती हैं। किसानों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की बिक्री का भी प्रबन्ध समितियाँ ही करती हैं।

संक्षिप्त इतिहास

भारत में सहकारिता के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से देश में कमजोर वर्ग के लोगों को वे सभी सुविधायें प्राप्त हो सकें जो उन्हें व्यक्तिगत प्रयत्नों से नहीं मिल सकतीं। इस प्रकार जो सुविधाएं देश के साधन सम्पन्न लोगों को उपलब्ध हैं, उन्हें कमजोर वर्गों को सुलभ बनाने के लिए १९४४ में सहकारी समिति का जन्म हुआ। सन् १९०४ के अधिनियम से केवल साख समितियों को ही मान्यता मिली थी। इस कारण १९१२ में पूर्व नियम में संशोधन करके अन्य सभी प्रकार की सहकारी समितियों को मान्यता दी गयी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने सहकारिता को देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। प्रथम योजना में सहकारी आन्दोलन को पंचायत कार्यक्रमों से एकीकृत किया गया ताकि दोनों में ताल मेल के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समुचित विकास किया जा सके। योजना में बहुउद्देश्य सहकारी समितियों के गठन पर विशेष बल दिया गया तथा यह आशा की गई कि ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि के कारण अब ग्रामीण सहकारी समितियों को वित्त ग्रामीण जनता से ही प्राप्त हो जाएगा।

द्वितीय योजनाकाल में सहकारी साख विक्रय प्रोसेसिंग भण्डारगृह तथा गोदाम निर्माण का लक्ष्य इस प्रकार था। बड़े पैमाने की सहकारी साख-समितियों की संख्या योजना अन्त तक १०,४०० करना था, जिन पर २२५ करोड़ रुपये व्यय करना था। प्राथमिक विपणन समितियों की संख्या १८०० करनी थी और भण्डारगृह तथा गोदाम निर्माण का लक्ष्य ६००० का था। द्वितीय योजनाकाल में यह विशेष रूप से अनुभव किया गया कि भूसुधार से सहकारिता का विशेष सम्बन्ध है। प्रथम दो योजनाओं में प्राथमिक सहकारी साख-समितियों की संख्या प्रायः १०५,००० से बढ़कर २१०,००० हो गई और इनकी सदस्य संख्या ४४ लाख से बढ़कर १७० लाख हो गई।

सहकारिता का विकास

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ

सन्	सदस्यता (लाखों में)	ऋण कार्यकलाप (करोड़ रु० में)
१९६०-६१	१७०.४१	२०२.७५
१९६५-६६	२६१.३५	३४१.७५
१९६६-६७	२६७.०९	३६६.४७
१९६७-६८	२८०.७४	४२९.२०
१९६८-६९	२९१.७३	५०३.९७
१९६९-७०	२९७.६५	५२४.००
१९७०-७१	३०९.६३	५७७.८८
१९७१-७२	३२०.०९	६१४.५३
१९७२-७३	३४४.२३	६८५.५६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण

सन्	करोड़ रु०
१९६०-६१	११.६२
१९६५-६६	५७.९६
१९६६-६७	५७.५५
१९६७-६८	९४.७१
१९६८-६९	१४८.१६
१९६९-७०	१५५.४८
१९७०-७१	१७०.३६
१९७१-७२	१५४.४४
१९७२-७३	१७१.८९

सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने

३० जून, १९७४ तक देश के १५ राज्यों में लाइसेंस शुदा चीनी कारखानों की सहकारी क्षेत्र में संख्या १३८ थी, जिनमें से ८७ कारखाने उत्पादन कर रहे थे। इन कारखानों की कुल सदस्य संख्या ६,९९०६३ थी और इन कारखानों में ८, ४१४.१३ लाख की अंश पूंजी लगी हुई थी। १९७२-७३ वर्ष में इन कारखानों में १४६.०१ लाख मीटरी टन गन्ना पेरा गया जिससे इसी अवधि में १४.५६१ लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ।

सहकारिता और चौथी योजना

कार्यक्रम	एकक	रह गया लक्ष्य स्तर	प्रत्याशित उपलब्धि
१	२	३	४
१. प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों द्वारा प्रति वर्ष दिए गए ऋण			
(क) अल्पकालीन	करोड़ रु०	६७५	७००
(ख) मध्यकालीन		७५	५०
	कुल	७५०	७५०
२. पांच वर्षों में सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए साधारण दीर्घकालीन ऋण	करोड़ रु०	७००	७००
३. कृषि उपज का सहकारी विपणन	करोड़ रु०	९००	११००
४. सरकारी विधायन एकक संस्थापित	संख्या	१७६८	१५००
५. सहकारी सोसायटियों द्वारा उर्वरकों की खुदरा बिक्री	करोड़ रु०	६५०	३५०
६. सहकारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों की खुदरा बिक्री	करोड़ रु०	४००	३००
७. सहकारी भण्डार व क्षमता (पूरी की गई)	लाख मीटरी-टन	४.००	३.८०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ

मद	वर्ष ५०-५१	७२-७३
१. समितियों की संख्या (लाखों में)।	१.०५	१.५८
२. समितियों के अन्तर्गत लाए गए गाँवों का प्रतिशत।		९५
३. सदस्यता (लाखों में)	४४.०८	३४४.२३
४. समितियों में लाई गई ग्रामीण आबादी का प्रतिशत (अनुमानित)	७	४१
५. अंश पूंजी (करोड़ रु० में)	७.६१	२३७.०८
सरकार का अंशदान (,,)	अप्राप्य	२४.६९
६. डिपाजिट (,,)	४.२६	७६.८२
७. कार्यकर पूंजी (,,)	३७.२५	१२२५.७२
८. दिए गए ऋण (,,)		
(क) कुल	२२.९०	६८५.५६
मध्यकालीन	अप्राप्य	९९.७३
९. अतिदेय ऋण		
(क) कुल (करोड़ रु०)	६.३८	३६४.४५
(ख) बकाया ऋणों में में अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	२२	४०
१०. प्रति समिति औसत		
(क) सदस्यता (संख्या)	४५	२५३
(ख) अंशपूंजी (रुपए)	७२७	१५०.२६
(ग) डिपाजिट्स (,,)	४०८	४८६९
(घ) दिए गए ऋण (,,)	१९८३	४३४५२
११. प्रति सदस्य औसत (रुपए)		
(क) अंशपूंजी	१७	६९
(ख) डिपाजिट	१०	२२
(ग) दिए गए ऋण	४४	१९९

तीसरी योजना को प्रस्तुत करते समय यह मान लिया गया था कि देश का कृषि विकास बहुत कुछ सहकारिता के विकास पर आश्रित है। अतः यह निश्चित किया गया कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाया जाये। द्वितीय योजनाकाल में जबकि ४२,००० प्राथमिक समितियों को सशक्त बनाने का प्रावधान था, तीसरी योजना में ५२,००० को सशक्त बनाने का निश्चय किया गया। सहकारी खेती पर भी तीसरी योजना में बल दिया गया। तीसरी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

योजना का निर्माण करते समय यह अनुभव किया गया कि देश की कृषि उपज में वृद्धि तथा बढ़ती हुई ग्रामीण जनता को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना होगा।

चौथी योजना में प्रोसेसिंग समितियों को सुदृढ़ तथा विस्तृत करने की व्यवस्था की गई। चौथी योजना में १५०० सहकारी प्रोसेसिंग समितियों के गठन की व्यवस्था की गई। योजनाकाल के अन्तर्गत अनेक प्रकार की निर्माण समितियों की संख्या में वृद्धि करनी थी। चौथी योजना में चीनी उत्पादन का ३७% सहकारी समितियों द्वारा करना था। इसके अतिरिक्त २७% रूई साफ करने का कार्य सहकारी समितियों को करना था। चावल निर्माण का तथा मूंगफली, फल, सब्जी आदि का प्रोसेसिंग का काम भी अधिक से अधिक मात्रा में सहकारी समितियों के अधीन लाने का निश्चय किया गया। प्रोसेसिंग के बाद विपणन को भी सहकारिता के क्षेत्र में लाना था, नहीं तो सहकारी आन्दोलन कमजोर रह जाता। चौथी योजनाकाल में सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद एवं अन्य कृषि संयन्त्रों के वितरण की भी व्यवस्था की गई।

पाँचवीं योजना में

पांचवीं योजना की भूमिका में यह कहा गया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी दूर करना। पांचवीं योजना का कार्य इन्हीं दो उद्देश्यों पर विशेष रूप से आधारित है। पांचवीं योजना के प्रारम्भ में यह उल्लेख किया गया है कि चौथी योजना में सहकारिता की जो तस्वीर सामने आई है, वह एक मिश्रित स्थिति की है। सहकारी विपणन समितियाँ लक्ष्य से आगे बढ़ गई हैं, सहकारी भण्डार समितियों का भी कार्य ठीक ही था तथा सहकारी साख समितियों का कार्य भी योजना के अनुसार ही था। परन्तु सहकारिता से अन्य सभी क्षेत्रों में इसकी विकास योजना में सहकारिता की कमी का मुख्य कारण था समितियों द्वारा अपना ऋण अधिक से अधिक मात्रा में वसूल न कर पाना।

सहकारिता के कुछ विशेष कार्यक्रम पांचवीं योजना काल में इस प्रकार हैं। प्राथमिक साख समितियां १९६८-६९ तक, १३०० करोड़ रु० अल्पकालीन ऋण दीर्घ तथा मध्यकालीन ऋण की मात्रा ३२५ करोड़ होगी। भूमि उन्नयन बैंकों द्वारा इस अवधि में दीर्घकालीन ऋण १५०० करोड़ रुपये देने का लक्ष्य है। १९०० करोड़ रु० की कृषि उपज इन समितियों द्वारा इस अवधि में विपणन करनी है। सहकारी प्रोसेसिंग इकाईयों की संख्या २१५० करनी है। समितियों की मार्फत ३८० करोड़ रुपये के रासायनिक खाद का विक्रय करना है। शहरी सहकारी उपभोक्ता समितियां की मार्फत ६०० करोड़ रु० का सामान उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। सहकारी विपणन समितियाँ १९७४-७९ तक १९०० करोड़ रुपए की कृषि सामग्री की व्यवस्था करेंगी। पांचवीं योजना काल में कृषिवस्तु के प्रोसेसिंग के लिए ६५० नई सहकारी समितियों का निर्माण करना है। इसमें ७६ चीनी मिलें, ४५ रूई साफ करने की मिलें, २ जूट तथा ४० तेल मिलें शामिल होंगी। सहकारी योजना का भविष्य उज्जवल है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

WHERE PUNJAB LEADS

* Punjab has the highest per capita income (Rs. 1105) as compared to Rs. 698 of the country in the year 1972-73.
* Punjab's contribution to the Central food reserve is the highest in the country.
* Punjab had the highest per hectare yield of wheat (2216 kgs), rice (2287 kgs), bajra (982 kgs) and cotton (371 kgs) in the country in 1973-74.
* Punjab has 46 kms of roads for every 100 sq. kms of area—the highest in the country.
* Punjab is the first State to provide house-sites to the landless persons; over 1·84 lakh plots have already been given.
* Punjab is the first State to launch medical and civic marathon programmes.
* Punjab is the first State to make reservation for scheduled castes and backward classes in promotions to class I and II posts.
* Punjab is the first State to cover all its districts with small and Marginal Farmers' Agencies.
* Punjab is the first State to make rickshaw-pullers the owners of their rickshaws.

The Punjab Government is vigorously engaged in giving a new significance to life—more jobs, more comforts and elegances—a less worry from want, misery and hunger. Let us dedicate ourselves to the glorious task of nation-building.

Issued by :
Director, Information & Publicity
Punjab.

PRD/75/158

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २१ :

समाचारपत्र एवं प्रसारण

आधुनिक काल के सामूहिक वृतपत्र जगत में भारत ने २९ जनवरी, १७८० को प्रवेश किया। इस दिन 'बंगाल गजट' प्रकाशित हुआ था। 'बंगाल गजट' और 'कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर' की मूल प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में सुरक्षित हैं। बंगाल गजट का बाद में औरों ने अनुसरण किया।

भारतीय भाषाओं के पत्रों का जन्म राजनीतिक आवश्यकता को लेकर हुआ। अंग्रेज इनके विरुद्ध थे। अत: भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को जीवित रहने के लिए भयंकर संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अपमान सहना पड़ा, दण्ड भोगना पड़ा और भारी बलिदान देने पड़े। पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए १८७८ में भाषाई समाचारपत्र अधिनियम (वरनाक्यूलर प्रेस एक्ट) बनाया गया। इंडियन स्टेट्स एक्ट १९२२, आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट १९२३, इंडियन प्रेस (इमरजेंसी पावर्स) एक्ट १९३१, फोरेन रेगूलेशन एक्ट १९३२, इंडियन प्रोटेक्स एक्ट १९३२ और इंडियन प्रोटेक्स एक्ट १९३४ बनाये गए। दूसरे महायुद्ध के समय सरकार ने पत्रों के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र में समाचारपत्र परामर्शदातृ समिति (प्रेस एडवाजरी कमेटी) स्थापित की। पत्रों को इससे सलाहकार की सुविधा प्राप्त हो गई। सरकार ने इसकी शक्ति को माना। मार्च, १९४७ में समाचारपत्र कानून जांच समिति (प्रेस लाज इन्क्वायरी कमेटी) की स्थापना की गई। प्रेस सम्बन्धी समस्त कानूनों की छानबीन करने का कार्य इसको सौंपा गया। इसको उचित सिफारिशें करने के लिए भी कहा गया। मई, १९४८ में अनेक घृणित और अवांछनीय कानून रद्द हो गए।

कागज का संकट

वर्ष १९७३-७४ के दौरान समाचारपत्रों को अखबारी कागज के भीषण अभाव के संकट से ग्रस्त होना पड़ा तथा समाचारपत्रों के इतिहास में पहली बार अनेक समाचार पत्र कागज के अभाव के कारण जहां बन्द हो गये वहां सभी प्रमुख समाचारपत्रों को अपने पृष्ठ कम करने को बाध्य होना पड़ा। 'नवभारत टाइम्स' व 'हिन्दुस्तान' जैसे दैनिक पत्रों को आठ के बजाय चार पृष्ठ कर देने पड़े। कुछ पत्रों को साप्ताहिक अवकाश तक रखने को बाध्य होना पड़ा।

सरकार ने कागज के निर्धारित कोटे में से ३० प्रतिशत की कटौती की जिसके कारण पत्रों के प्रसार पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत में अखबारी कागज की कुल खपत इस समय लगभग २,५०,००० टन है। इसमें से ४०,००० टन कागज मध्य प्रदेश के नेपा की सरकारी मिल उत्पादन करती है तथा शेष बाहर के देशों से आयात किया जाता है। पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से नेपा की मिल में यह उत्पादन लगभग इसी मात्रा में हो रहा है। यद्यपि विदेशों से अखबारी कागज के आयात करने पर हर वर्ष करोड़ों रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है परन्तु देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

जहाँ तक अखबारी कागज के आयात का सम्बन्ध है, कुछ समय पहले तक कनाडा हमें सबसे अधिक अखबारी कागज सप्लाई करता था परन्तु सोवियत संघ के साथ हमारे बढ़ते हुए सम्बन्धों के कारण उसका बड़ा भाग हमने उससे खरीदना आरम्भ कर दिया। १९७३-७४ के वर्ष में हमने विदेशों से कागज का जो आयात किया उसके अनुसार कनाडा से ६०,००० टन, सोवियत रूस से ५०,००० टन, स्केवेन्डिया के देशों से १३,००० टन, बंगला देश से २०,००० टन तथा ७,००० टन के लगभग पूर्वी यूरोप के देशों से हुआ। इस प्रकार सब मिलाकर १५०,००० टन अखबारी कागज की व्यवस्था हुई। फिर भी ५० से लेकर ६० हजार टन की कमी रही। इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कागज की उपलब्धि के उद्देश्य से सोवियत संघ, कनाडा, स्वीडन, तथा अमेरिका की यात्रा की तथा विदेशों से कागज प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। विदेशों से कागज आना प्रारम्भ हो गया।

संसद की सार्वजनिक उद्यम समिति ने अपनी ४५वीं रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह लगातार इस बात पर जोर देती आयी है कि "देश के भीतर खासी अच्छी किस्म का अखबारी कागज मुहैया करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाय जिससे इसकी मांग पूरी की जा सके और आयात पर निर्भर रहने से बचा जा सके।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में पेशगी योजना और उसकी तामील पर जोर देती रही है जिससे पर्याप्त मात्रा में और होड़ ले सकने वाली कीमतों पर कागज तैयार किया जा सके।

समिति ने बताया कि इस देश में कुल २.२० लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज की मांग है और नेपा मिल इसका सिर्फ १८ प्रतिशत कागज तैयार करती है। बाकी का आयात करना पड़ता है।

कुल मिलाकर इस समय ८.५ लाख मीट्रिक टन कागज की मांग है और आशा की जाती है कि पांचवीं योजना के अन्त तक यह १३.३ लाख मीट्रिक टन पहुंच जाएगी। इस समय देश में सिर्फ लगभग ७.४ लाख मीट्रिक टन कागज बनता है।

समिति ने यह आशा व्यक्त की है कि पांचवीं योजना के नियोजन और तेजी से कार्यान्वयन के जरिए मांग और उत्पादन के बीच की खाई काफी हद तक पाटी जा सकेगी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारतीय पत्रों की आयु : इस समय देश में १८ समाचारपत्र ऐसे हैं जो अपनी आयु के १०० वर्ष पूरे कर चुके हैं। इनमें से ६ दैनिक हैं। इस समय चालू पत्रों में सबसे पुराना समाचारपत्र गुजराती का 'मुंबई समाचार' है जिसका प्रकाशन १८२२ में प्रारम्भ हुआ तथा १८५५ में यह दैनिक हो गया। अंग्रेजी के टाइम्स आफ इंडिया का प्रकाशन १८३८ में प्रारम्भ हुआ जो कि १८५० में दैनिक बन गया। अन्य दो प्रमुख दैनिक जाम- -जमशेद (गुजराती) बम्बई (१८३२), तथा पायनियर (अंग्रेजी) लखनऊ (१८६५) हैं।

दैनिक समाचारपत्रों के प्रकाशन के मामले में १९७२ में भी भारत का स्थान संसार में दूसरा रहा। १९७१ के अन्त में देश में १२,२४८ समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे, जबकि १९७२ में इनकी संख्या ११,९२६ थी।

हिन्दी में सर्वाधिक-पत्र

देश में १९७२ में सबसे अधिक समाचारपत्र हिन्दी में प्रकाशित किए जा रहे थे, जिनकी संख्या ३,०८३ थी। हिन्दी के बाद सबसे अधिक समाचारपत्र २३६८ अंग्रेजी में और इसके बाद ९२९ उर्दू में प्रकाशित हो रहे थे। दैनिक समाचारपत्रों की दृष्टि से भी हिन्दी में सबसे अधिक अर्थात् २२५ दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे। भारत में अंग्रेजी के ७३, मराठी के ७२ और तमिल के १०२ दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे।

साप्ताहिक पत्रिकाओं की दृष्टि से भी हिन्दी का स्थान सर्वोपरि है। हिन्दी में १४७६ सप्ताहिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं।

भारत में १९७२ में ११,९२६ समाचारपत्र थे जबकि १९७१ में १२,२४८ पत्र थे।

समाचारपत्रों की कुल संख्या में ७९३ दैनिक, ६४ द्विदैनिक/अर्धसाप्ताहिक, ३,५८३ साप्ताहिक तथा ७,४८६ अन्य नियतकालिक थे।

समाचारपत्रों तथा नियतकालिकों की संख्या (१९७२)

वर्ष	दैनिक	द्वि-दैनिक/ अर्ध-साप्ता-हिक		साप्ताहिक	अन्य	कुल
१९६७		५८८	५८	२,६९७	५,९७२	९,३१५
१९६८		६३६	५१	२,८९२	६,४४०	१०,०१९
१९६९		६५०	५२	२,९७३	६,६०६	१०,२८१
१९७०		६९५	६०	३,१६२	७,११९	११,०३६
१९७१		८२१	६८	३,६०८	७,७२१	१२,२१८
१९७२		७९३	६४	३,५८३	७,४८६	११,९२६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समाचारपत्रों की संख्या-भाषा और अवधिवार

सबसे अधिक हिन्दी समाचारपत्रों की संख्या (३,०८३) थी। उसके बाद आते थे अंग्रेजी (२,३६८) तथा उर्दू (९२९) के समाचारपत्र। जिन भाषाओं में ५०० समाचारपत्रों से अधिक निकलते थे, वे थे : बंगला (७३१), मराठी (७१३), तमिल (६०७), तथा गुजराती (५६५)।

समाचारपत्रों की कुल संख्या (भाषा और अवधिवार), १९७२

भाषा	दैनिक	द्वि-दैनिक और अर्ध साप्ताहिक	अन्य	कुल १९७२	कुल १९७१
अंग्रेजी .	७३	२९७	१,९९८	२,३६८	२,३९०
हिन्दी .	२२५	१,४७६	१,३८२	३,०८३	३,११६
असमिया .	२	१०	२४	३६	४४
बंगला .	१७	१६८	५४६	७३१	७६०
गुजराती .	३६	१४५	३८४	५६५	५९४
कन्नड़ .	४४	१०१	१५३	२९८	२८५
कश्मीरी .	... ...	१	१	२	३
मलयालम .	५६	७२	३२३	४५१	४८१
मराठी .	७२	२५२	३८९	७१३	७४१
उड़िया .	७	१९	१०२	१२८	११७
पंजाबी .	१६	१०१	१२४	२४१	२५९
संस्कृत .	१	२	१९	२२	२८
सिन्धी .	...	२८	४०	७३	७८
तमिल .	१०२	९६	४०९	६०७	६१५
तेलुगु .	१४	१०९	२७१	३९४	३८६
उर्दू .	९१	४६३	३७५	९२९	१,००५
द्विभाषी .	२१	२४०	६९५	९५६	९५५
बहुभाषी .	३	४३	१५८	२०४	२१७
अन्य .	८ ...	२४	९३	१२७	१४७
कुल .	७९३	३६४७	७,४८६	११,९२६	१२,२१८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समाचार-पत्रों की कुल संख्या (राज्यवार और अवधिवार) १९७२

राज्य/त्रिमा	दैनिक	द्विदैनिक साप्ता-हिक तथा अर्ध साप्ताहिक	अन्य	कुल १९७२	कुल १९७१
महाराष्ट्र .	११०	४६८	१,१६४	१,७४२	१,८४५
उत्तर प्रदेश .	१२४	८४४	७४३	१,७११	१,६८२
दिल्ली .	३२	२२३	१,०९०	१,३४५	१,३४१
पश्चिमी बंगाल .	३१	२३०	९५२	१,२१३	१,२९३
तमिलनाडु .	१०८	१२७	७२०	९५५	९५७
आन्ध्र प्रदेश .	२५	२२७	४०३	६५५	६३८
राजस्थान .	३३	३१०	२८४	६२७	६६५
केरल .	५९	८८	४६६	६१३	६३३
गुजरात .	३५	१४४	३४९	५२८	५४७
कर्नाटक .	६६	१४८	२९२	५०६	४६२
मध्य प्रदेश .	६३	२५६	१५१	४७२	५२८
पंजाब .	३३	१५७	२४१	४३३	४६३
बिहार .	९	१०५	१२८	२४२	२६८
हरियाणा	७	८०	११४	२०१	२००
उड़ीसा	७	२४	१२२	१५३	१३५
जम्मू और कश्मीर	१८	९४	२४	१३६	१२३
चंडीगढ़	२	२७	६०	८९	११०
असम	५	२८	४७	८०	१२१
हिमाचल प्रदेश	...	२६	४०	६६	६८
पाण्डीचेरी	१	४	३८	४३	३६
मणिपुर	६	...	२४	३०	४३
मेघालय	१	१५	१३	२९	...
गोवा, दमन और दीव	६	५	१५	२६	३५
त्रिपुरा	५	११	१	१७	१५
मिजोरम	२	२	२	६	...
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	१	१	२	४	५
नागालैंड	...	२	१	३	४
दादर और नगर हवेली	...	१	...	१	१
अरुणांचल प्रदेश	...	...	...	...	...
कुल	७९३	३६४७	७,४८६	११,९२६	१२,२१८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समाचारपत्रों और नियतकालिकों की संख्या (राज्यवार और भाषावार) १९७२

राज्य	दैनिक	द्विदैनिक/ अर्ध-साप्ताहिक	साप्ता-हिक	पाक्षिक	मासिक	त्रै-मासिक	अन्य नियत-कालिक	मासिक	कुल		
									१९७२	१९७१	१९७०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
आन्ध्र प्रदेश .	२५	४	२२३	१०१	२५०	३६	१३	३	६५५	६३८	५८७
असम .	५	२	२६	११	२५	३	६	२	८०	१२१	११०
बिहार .	९	१	१०४	२८	७३	२४	३	...	१४२	२६८	२२५
गुजरात .	३५	३	१४१	६७	२४१	२३	१७	१	५२८	५४७	५२७
हरियाणा .	७	२	७८	४६	५५	७	६	...	२०१	२००	१६६
हिमाचल प्रदेश .	...	...	२६	८	२२	७	३	...	६६	६८	५४
जम्मू और कश्मीर	१८	...	९४	९	११	२	२	...	१३६	१२३	१०२
केरल .	५९	१	८७	७२	३३१	४१	१५	७	६१३	६३३	५६९
मध्यप्रदेश .	६५	११	२४५	४०	८५	२०	६	...	४७२	५२८	४६७
महाराष्ट्र .	११०	८	४६०	१४१	६६९	१९७	८७	७०	१,७४२	१,८४५	१,७०६
मणिपुर .	६	...	...	५	८	४	५	२	४०	४३	३७
मेघालय .	१	२	१३	२	८	१	२	...	२९	...	...
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
कर्नाटक .	६६	२	१४६	३८	१९८	४२	१२	२	५०६	४६२	३९८
नागालैण्ड .	...	...	२	...	...	१	...	...	३	४	४
उड़ीसा .	७	...	२४	१८	६७	२४	९	४	१५३	१३५	११९

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पंजाब	.	३५	१	१५६	५४	१४७	२३	१६	१	४३३	४६३	४२७
राजस्थान	.	३३	४	३०६	१०२	१३२	३८	९	३	६२७	६६५	५७२
तमिलनाडु	.	१०८	४	१२३	१३२	४७३	७३	३१	११	९५५	९५७	८७०
त्रिपुरा	.	५	१	१०	...	...	...	१	...	१७	१५	१४
उत्तरप्रदेश	.	१२४	१०	८३४	१८४	४५१	७०	३३	५	१,७११	१,६८२	१,४७३
पश्चिम बंगाल	.	३१	७	२२३	१५९	४९५	२०१	८२	१५	१,२१३	१,३९३	१,२०४
अरुणाचल प्रदेश		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्डमान और निकोबार द्वीप	.	१	...	१	...	१	...	१	...	४	५	४
चण्डीगढ़	.	२	...	२७	६	२९	१७	५	३	८९	११०	९५
दादर और नागर हवेली	.	...	...	१	...	...	...	...	...	१	१	...
दिल्ली	.	३२	१	२२२	१२८	६५८	२२९	६१	१४	१,३४५	१,३४१	१,२१२
गोआ, दमन और दीव	.	६	...	५	२	११	१	१	१	२६	३५	३२
मिजोरम	.	२	...	२	...	२	...	...	...	६	...	...
पाण्डिचेरी	.	१	...	४	४	१८	१४	२	...	४३	३६	३२
कुल	१९७२	७९३	६४	३,५८३	१,३५१	४,४६०	१,९९८	४२८	१४३	११,९२६	...	...
	१९७१	८२१	६८	३,६०८	१,४२०	४,५८३	१,१०१	४५१	१६६	...	...	...
	१९७०	६९५	६०	३,१६२	१,२७४	४,२८९	९९७	४०६	१५३	...	...	११,९३६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समाचारपत्र जो शुरु हुए

१९७२ में १,३८९ नए समाचारपत्र शुरु हुए जब कि १९७० में १,३२४ तथा १९७१ में १,४२२ (१९७१ चुनाव वर्ष था)। समीक्ष्य वर्ष में द्विदैनिकों/अर्धसाप्ताहिकों को मिलाकर ४५ नए दैनिकों तथा ४३८ साप्ताहिकों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ।

१९७२-७३ में उन समाचारपत्रों को अखबारी कागज का नियतन जिनकी प्रत्येक की खपत १,००,००० प्रतियों से अधिक है।

समाचार पत्र का नाम और प्रकाशन का स्थान	भाषा	खपत	हकदारी (मीटरी टनों में)
१	२	३	४
दैनिक			
आनन्द बाजार पत्रिका कलकत्ता .	बंगला	३,१०,३३३	८,२८०.७०
जुगान्तर, कलकत्ता . . .	बंगला	२,०८,५४६	४,९९९.३७
मलयालय मनोरमा, कोट्टयम . .	मलयालम	१,९३,१७४	३,५९०.३२
नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली . .	हिन्दी	१,९०,०८८	४,०००.१३
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली . .	हिन्दी	१,६४,४४६	३,४३२.३६
टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई . .	अंग्रेजी	१,५९,७३६	६,७३५.२९
लोक सत्ता, बम्बई . . .	मराठी	१,५५,६२५	३,५९४.३४
स्टेट्समैन, कलकत्ता . . .	अंग्रेजी	२,५१,२६०	५,४७७.१२
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली . .	अंग्रेजी	१,५०,६३०	४,९६६.१९
मातृभूमि, एर्नाकुलम . . .	मलयालम	१,४३,६५३	२,७३५.९५
केरल कौमुदी, त्रिवेन्द्रम . .	मलयालम	१,४१,२३	२,३१६.३५
हिन्दू, मद्रास . . .	अंग्रेजी	१,३६,१८७	५,३८४.३०
मातृभूमि, कालीकट . . .	मलयालम	१,२७,५७२	२,४४५.५८
महाराष्ट्र टाइम्स, बम्बई . .	मराठी	१,२०,७१२	२,२००.४३
थांथी, मद्रास . .	तमिल	१,१४,३२९	२,९०६.८५
अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता .	अंग्रेजी	१,११,७२९	३४७.४५
इण्डियन एक्सप्रेस, बम्बई . .	अंग्रेजी	१,०२,२९८	३,६४०.८२
पत्रिकाएँ			
कुमुदम, साप्ताहिक, मद्रास . .	तमिल	३,८२,२६५	१,९६१.८७
मलयाल मनोरमा, साप्ताहिक, कोट्टायम	मलयालम	२,६०,९४३	८४३.१४
आनन्द विकेतन, साप्ताहिक, मद्रास .	तमिल	२,११,८७७	१,११३ ६९
कलकान्टु, साप्ताहिक, मद्रास . .	तमिल	१,९४,६९२	३७७.८५
ब्लिट्ज, साप्ताहिक, बम्बई . . .	अंग्रेजी	१,७०,७१९	८०६.३५
तुगलक, पाक्षिक, मद्रास . .	तमिल	१,५२,८०४	२४४.१९
फिल्मफेयर, पाक्षिक, बम्बई . .	अंग्रेजी	१,३३,८७४	६३६.२३
मातृभूमि, साप्ताहिक, कालीकट .	मलयालम	१,०६,२९३	५८३.४३
इलेस्ट्रेटिड वीकली आफ इण्डिया, बम्बई	अंग्रेजी	१,२०,९८७	१,२५३.४४
कल्की, साप्ताहिक, मद्रास . .	तमिल	१,०५,८९०	५३९.१२
स्क्रीन, साप्ताहिक, बम्बई . .	अंग्रेजी	१,०४,८८४	८७३.०७
चन्दामामा, मासिक, मद्रास . .	हिन्दी	१,०३,७५०	९७.२३

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समाचार समितियां

इस समय भारत में प्रमुख रूप से चार समाचार समितियां दैनिक समाचार पत्रों को समाचार उपलब्ध करा रही हैं। ये हैं—प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, हिन्दुस्थान समाचार, और समाचार भारती। इनके अतिरिक्त देश में कुल २४ भारतीय एवं १६ विदेशी समाचार समितियों की सेवाएं भी पत्रों को उपलब्ध हैं।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (पी० टी० आई०) : यह अंग्रेजी में संवाद देने वाली सबसे पुरानी अखिल भारतीय समाचार एजेंसी है। एसोसियेटेड प्रेस के स्थान पर इसकी १९४७ में स्थापना हुई। १९४८ में इसमें कुछ सुधार किये गये। विदेशी समाचारों के लिए भारतीय पत्र रायटर (ब्रिटिश), ए० एफ० पी० (फ्रांस) तथा यू० पी० आई० (अमेरिका) पर निर्भर हैं।

पी० टी० आई० का स्वामित्व पत्र-मालिकों तक सीमित है। समाचारपत्रों के अतिरिक्त आकाशवाणी भी इससे समाचार लेती है।

यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया (यू० एन० आई०) : इसकी स्थापना १९५९ में हुई। इसका स्वामित्व भी कुछ पत्र मालिकों तक सीमित है। आकाशवाणी भी इसकी सेवा लेती है। यह विदेशी समाचार सेवा जर्मनी की डी० पी० ए०, अमेरीका की ए० पी० तथा रूस की तास से लेती है।

हिन्दुस्थान समाचार : कार्यकर्ताओं के सहकारी स्वामित्व की यह बहुभाषी समाचार समिति है। यह हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगला, असमी, कन्नड़, पंजाबी आदि विभिन्न भाषाओं में संवाद देने का कार्य करती है। १९४८ में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को टेलीप्रिंटर संयंत्र पर स्थान दिलाने का श्रेय इसीको प्राप्त है। १९५७ में यह सहकारी समिति में परिणत कर दी गई। यह संचार की आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न है। सारे देश में आज विभिन्न भाषाओं के लगभग एक सौ पैंतीस समाचारपत्र इसके ग्राहक हैं और देश में इसके एक हजार से भी अधिक संवाददाताओं का जाल बिछा हुआ है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रसारणों के लिए आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को इसकी सेवाएं उपलब्ध हैं। इस ने प्रसंग लेख माला के अन्तर्गत विभिन्न पत्रों को लेख सेवाएं देना प्रारम्भ किया है जो 'युग-वार्ता' नाम से प्रसारित हो रही हैं। नेपाल की राष्ट्रीय संवाद समिति से समाचारों के आपसी आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

समाचार भारती : एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसमें लगभग ९९ प्रतिशत अंशों (शेयरों) का स्वामित्व राज्य सरकारों का है। इसने १९६७ में कार्य प्रारम्भ किया। यह भी बहुभाषी समाचार समिति है तथा हिन्दी, मराठी, गुजराती, में सेवाएं दे रही है। इसकी सेवाएं आकाशवाणी को उपलब्ध हैं।

अन्य भारतीय समितियां हैं—इंडिया प्रेस एजेंसी, एसोसिएटेड न्यूज सर्विस (हैदराबाद), इंडिया न्यूज एण्ड फीचर एलायन्स (नई दिल्ली)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस प्रकार हैं :

(१) रायटर, (२) एसोसिएटेड प्रेस आफ अमेरिका, (३) एजेंसी फ्रांस प्रेस, (४) तास न्यूज एजेन्सी। (५) यूनाइटेड प्रेस इन्टरनेशनल, (६) डुटशे एजेंगटूर प्रेस (वेस्ट जर्मन नेशनल न्यूज एजेन्सी), (७) टेलीग्राफशा एजेंसिजा नोवा (तनजूंगा), (८) युगोस्लाविया, इत्यादि। कुछ विदेशी एजेंसियां भारत को विश्व समाचार देती हैं और भारत के समाचार अपने देश के ग्राहक पत्रों को भेजती हैं।

प्रेस परिषद्

भारत सरकार ने प्रेस परिषद् अधिनियम (१९६५) के अन्तर्गत ४ जुलाई, १९६६ को प्रेस परिषद की स्थापना की। इस परिषद् का उद्देश्य भारत में पत्र स्वतन्त्रता की रक्षा करना एवं समाचार-पत्रों के स्तर को सुधारना है। यह समाचारपत्रों और पत्रकारों के लिए समाचार संहिता तैयार करने में सहायता देगी।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक श्री वर्गीज को हटाये जाने का मामला इस वर्ष प्रेस परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिषद् ने अपनी बैठकों में अनेक बयान लिए तथा उस पर विचारविमर्श हो रहा है।

समाचारपत्रों के लिए आचार संहिता

परिषद् ने दिसम्बर १९७१ के पहले सप्ताह में आपातकालीन स्थिति के दौरान भारतीय समाचारपत्रों और संवाद समितियों के सम्पादकों तथा संवाददाताओं के लिए आचार संहिता तैयार की, जिससे उनकी किसी गलती के कारण देश की सुरक्षा पर कोई आंच न आ जाए।

समाचारपत्रों की आर्थिक स्थिति के बारे में तथ्य एकत्र करने के लिए गठित समिति ने सभी दैनिक समाचारपत्रों को एक प्रश्नावली भेजी जिसमें उनसे १९६७ से १९७२ तक की पांच साल की अवधि में अपनी आय और व्यय के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया। समाचारपत्रों से १९७२ से ७४ तक के तीन वर्षों की उनकी अनुमानित आय और व्यय के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

दूर-दर्शन

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बम्बई (पूना में रिले की सुविधाएं), श्रीनगर, मद्रास, कलकत्ता और लखनऊ (कानपुर में रिले की सुविधाएं) दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और साथ ही दिल्ली के वर्तमान दूरदर्शन केन्द्र की शक्ति बढ़ाई जाएगी। अमृतसर में १९७३ में एक दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र स्थापित हो गया है। कलकत्ता केन्द्र का क्षेत्र और बढ़ाने के लिए दुर्गापुर और आसनसोल में भी रिले प्रेषित्र लगाने का विचार है। दिल्ली में एक ऊंची मीनार बन जाने से अब दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम ४० की बजाय ६० किलोमीटर की दूरी पर भी दिखाई देने लगे हैं। मसूरी में भी एक प्रेषण मीनार बनाकर दिल्ली के केन्द्र के प्रसारण को बढ़ाने की योजना है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रचार

इस साल १३ क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें बढ़ाई गई । अब इनकी कुल संख्या २०९ हो गई है। इन क्षेत्रीय यूनिटों ने मंत्रालय के अन्य प्रचार विभागों, राज्य सरकार एजेंसियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काफी प्रचार कार्य किया। महत्वपूर्ण मेलों और उत्सवों के अवसर पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

फिल्म डिवीजन

फिल्म डिवीजन हर वर्ष २२५ से अधिक फिल्में तैयार करता है। इनमें से १२० वृत्त-चित्र, ५२ समाचार चित्र (राष्ट्रीय), ५२ क्षेत्रीय समाचार चित्र और ६ विशेष समाचार चित्र होते हैं।

१५ भाषाओं में तैयार फिल्म डिवीजन के समाचार चित्रों में देश-विदेश के समाचार होते हैं। ये फिल्में देश के ७५०० से ज्यादा सिनेमाओं और प्रदर्शनी-गाड़ियों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं।

१९७३-७४ के दौरान फिल्म्स डिवीजन ने ७८ फिल्मों का निर्माण किया।

प्रकाशन विभाग

विभाग द्वारा १९७४ वर्ष में कुल १२० पुस्तकें और पुस्तिकाएं निकाली गईं।

अपने प्रकाशनों की विदेशों में बिक्री बढ़ाने के अभियान के भाग के रूप में प्रकाशन विभाग ने सीधे ही अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना शुरू कर दिया।

सारे परिवार के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स के श्रेष्ठ हिन्दी प्रकाशन

" हिन्दुस्तान "

साप्ताहिक हिन्दुस्तान

" कादम्बिनी "

" नंदन "

प्रकाशक : हिन्दुस्तान टाइम्स लि०, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-१

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राष्ट्रीय बचतों में धन लगाने के लिए

खुशखबरी

नये 10 वर्षीय वार्षिकी पत्र

इसमें पैसा जमा करके जमाकर्ता बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे खर्चों के लिए 84 महीने तक नियमित रूप से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।

परिपक्व होने पर आकर्षक ब्याज के साथ पूंजी की वापसी (जमा राशि पर 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है)।

*** कर मुक्त राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने की सीमा में वृद्धि**

	पुरानी सीमा	बढ़ी हुई सीमा
एक वयस्क के लिए	50,000 रु०	75,000 रु०
संयुक्त रूप से दो वयस्कों के लिए	1,00,000 रु०	1,50,000 रु०

(इन बचत पत्रों पर 6% प्रति वर्ष की दर से कर मुक्त ब्याज मिलता है)

*** 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता—नए आकर्षण**

अब आप 5 वर्ष बाद भी खाते में धन लगाना जारी रख सकते हैं अथवा परिपक्व राशि सरकार के पास रहने दे सकते हैं (ऐसे मामलों में प्रत्येक पूरे किये गए वर्ष के लिए 9.25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा)। अब 20 रुपए के खाते में भी संरक्षित बचत योजना का लाभ मिलता है।

विस्तृत ब्योरे के लिए लिखिए—

राष्ट्रीय बचत आयुक्त

पो० बो० नम्बर 96, नागपुर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २२ :

आयोजन

अगस्त १९४७ में देश स्वतन्त्र होने के साथ ही जन-जीवन के आर्थिक विकास हेतु एक सुनियोजित आर्थिक विकास की प्रणाली निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। रूस की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित होकर भारत में भी आयोजन का युग प्रारम्भ हुआ। मार्च १९५० में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य "जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा समृद्ध एवं अधिक विविधतापूर्ण जीवन के लिए नए अवसर प्रदान करने हेतु विकास की एक प्रक्रिया प्रारम्भ करना था।" इसका उद्देश्य ३० वर्ष की अवधि में प्रतिव्यक्ति आय को दुगना करना था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार १९७४-७९ के पाँच वर्षों की अवधि के लिए ५३,४११ करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था है। इसमें से ३७,२५० करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और १६,१६१ करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग के लिए ३१,६७० करोड़ रु० तथा मौजूदा परिव्यय के लिए ५५८० करोड़ रु० रखे गये हैं।

पाँचवीं योजना के दौरान के घटक लागत (फैक्टर कास्ट) पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में ५.५% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। प्रारूप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तथा गरीबी हटाने व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पाँचवीं योजना के ठोस उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना १९७४-१९७५ से १९८५-८६ तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की एक योजना है। परिप्रेक्ष्य परियोजना में गरीबी हटाने के लक्ष्य के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि उत्पादन ढांचे, जनसंख्या के उभरते स्वरूप, शहरीकरण की प्रवृत्तियां, श्रमशक्ति में वृद्धि तभा अर्थव्यवस्था के बाह्य पक्ष का विवरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर होने के लिए दीर्घावधि में ६.२% वार्षिक विकास दर प्राप्त करनी होगी। परिप्रेक्ष्य योजना का एक आधारभूत निष्कर्ष यह भी है कि परिप्रेक्ष्य योजना-अवधि के दौरान, विकास आयोजन के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाना सार्वजनिक महत्वपूर्ण चुनौती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विकास परिव्यय का स्वरूप

पांचवीं योजना के लिए ५३,४११ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस कुल व्यवस्था में से ३७,२५० करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र के लिए तथा १६,१६१ करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि में से ३१,६७० करोड़ रु० पूंजी निवेश के लिए हैं तथा ५,५८० करोड़ रु० चालू परिव्यय के लिए। निम्न तालिका, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में है :

(करोड़ रुपये)

विकास मदें	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	जोड़
	१	२	३	४
१. कृषि	१९४६	२७१७	६७	४७३०
२. सिंचाई	१४०	२५१५	२६	२६८१
३. बिजली	७३८	५३४३	१०९	६१९०
४. खान तथा उत्खनन	८१८०	७४२	१७	८९३९
५. निर्माण	२५	—	—	२५
६. परिवहन तथा संचार	५७२७	१२९७	९१	७११५
७. व्यापार तथा भंडारण	१९४	११	—	२०५
८. आवास तथा स्थावर संपदा	२३७	३३८	२५	६००
९. बैंकिंग तथा बीमा	९०	—	—	९०
१०. जन प्रशासन तथा रक्षा	६०	३०	८	९८
११. अन्य सेवाएं	१९५३	३५८०	२५७	५७९०
अन्य सेवाएं				
१. शिक्षा	४८४	११५५	८७	१७२६
२. स्वास्थ्य	२५३	५१७	२६	७९६
३. परिवार नियोजन	५१६	—	२३	५१६
४. पोषाहार	७०	३३०	—	४००
५. शहरी विकास	२५२	२७२	१९	५४३
६. जलपूर्ति	१६	९२४	८२	१०२२
७ समाज कल्याण	२००	२६	३	२२९
८. पिछड़े वर्गों का कल्याण	५५	१६७	४	२२६
९. श्रम कल्याण	१५	३८	४	५७
१० विविध	९२	१५१	३२	२७५
११. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	४१९	—	—	४१९
१२. पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्र	—	५००	—	५००
१३. विज्ञान, तकनीकी या अर्जित किए जाने वाले अतिरिक्त वैकल्पिक संसाधनों के लिये निर्धारित धनराशि में अनुमानित कटौती कम करना	१३२	—	—	१३२
जोड़	१९५७७	१७०७३	६००	३७२५०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

पांचवीं योजना में उल्लिखित राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के लिए सामाजिक उपयोग हेतु पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषाहार, पेयजल, मकानों के लिए भूखंड, गन्दी बस्तियों के सुधार, गाँवों में सड़क बनाने और गांवों में बिजली लगाने से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व का होगा।

भूमि सुधार

पांचवीं योजना की भूमि सुधार सम्बन्धी नीति में ठोस कार्यक्रमों, कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्था के सुधार और जनता के सहयोग पर जोर दिया जाएगा।

यह जरूरी है कि निश्चित अवधि के कार्यक्रमों के अनुसार वर्तमान पट्टेदारी कानूनों और बटाईदारों को भूमि का स्वामित्व देने के कानूनों की त्रुटियां दूर करने के लिए तुरन्त कानून बनाने के उपाय किए जाएं। कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में पट्टेदारी सम्बन्धी रिकार्ड तैयार करने और रखने तथा भूमि-चकबन्दी के व्यापक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे।

सिंचाई

सिंचाई योजना के दो प्रमुख उद्देश्य होगे : (१) सूखा वाले क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की सम्भाव्य क्षमता में काफी वृद्धि करना, (२) सम्भावित ऋण के उपयोग में सुधार और अधिकतम उत्पादकता के लिए जल और भूमि का सक्षम प्रबन्ध। पांचवीं योजना में बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए २,४०१ करोड़ रुपए का परिव्यय है तथा ६२ लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है।

पांचवीं योजना में लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा ६० लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित क्षेत्र बनाने की योजना है। इसका कुल परिव्यय ८१० करोड़ रुपए होगा। इसमें भूमि जल विकास, सर्विस-सिंचाई और लिफ्ट-सिंचाई भी सम्मिलित होंगे। भूमि जल के उचित नियमन नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए कई राज्यों में आवश्यक अधिनियम भी जरूरी होंगे।

बिजली

१९७८-७९ में बिजली की सप्लाई के लिए ३ करोड़ ३० लाख किलोवाट स्थापित क्षमता की जरूरत पड़ेगी। पांचवीं योजना में १५ लाख पम्पिंग सेटों को बिजली दी जायेगी तथा १ लाख १० हजार गांवों का विद्युतीकरण होगा। पांचवीं पंचवर्षीययोजना में कुल ६१९० करोड़ रु० का वित्तीय परिव्यय होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उद्योग और खनिज

उद्योग और खनिजों के क्षेत्र में ८.२ प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। योजना में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है : (१) प्रमुख क्षेत्र उद्योगों का तेजी से विकास, (२) जन-साधारण के उपभोग की वस्तुओं की सप्लाई, (३) निर्यात में वृद्धि के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाना, (४) ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा (५) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास। लाइसेन्स देने की नीति, विदेशी पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग नीति, मूल्य और ऋण-नीति, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी नीति आदि के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण किया गया है। पांचवीं योजना में उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए १३,५२९ करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। इनमें से गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए ५,२०० करोड़ रु० होंगे।

ग्रामीण और लघु उद्योग

पांचवीं योजना में एक व्यापक नीति यह रखी गई है कि ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों में अधिक-से-अधिक विस्तार के लिए इन्हें विभिन्न रूपों में सहायता और सुविधाएं दी जाएं। सार्वजनिक क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के लिए लगभग ६११ करोड़ रु० परिव्यय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त संस्थागत वित्त सहित गैर-सरकारी स्रोतों से लगभग १०५० करोड़ रु० के पूंजी निवेश का अनुमान है। पांचवीं योजना में परामर्श-सेवाओं, तकनीकी सुधार, सहकारी समितियों जैसे अनेक कार्यक्रम भी चालू किए जायेंगे।

परिवहन

पांचवीं योजना में परिवहन-व्यवस्था के विभिन्न अंगों के समन्वित और व्यवस्थित विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है ताकि परिवहन-व्यवस्था सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखी जा सके और इसके विभिन्न अंग यथा समय एक दूसरे पर निर्भर हों और एक दूसरे के पूरक बनें। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय ५,६९१ करोड़ रु० का है। इसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रु०)

विकास का मद	केन्द्र	केन्द्र प्रयोजित	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेश	योग
१. रेल	२५५०	—	—	—	२५५०
२. सड़क	६२०	९४	९६१	७३	१७६८
३. सड़क परिवहन	२६	—	२५६	३	२८५
४. बन्दरगाह	३२०	१०	१९	३	३५२
५. जहाजरानी	२५८	—	—	२	२६०
६. अन्तर्देशीय जल परिवहन	४८	१४	६	२	७०
७. प्रकाश स्तम्भ	१२	—	—	—	१२
८. नागरिक विमान सेवा	३९१	—	२	१	३९४
कुल	४२२५	११८	१२६४	८४	५६९१

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शिक्षा

योजना में चार मुख्य बातों पर जोर दिया गया है : (१) शिक्षा के अवसरों में समानता, (२) शिक्षापद्धति तथा विकास की आवश्यकता और रोजगार-अवसरों में अधिक निकट सम्बन्ध, (३) शिक्षा के स्तर में सुधार और (४) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के कार्यों में छात्रों सहित शिक्षा-समुदाय को लगाना। तकनीकी शिक्षाओं को सुव्यवस्थित किया जायेगा तथा योजनावधि में उसके स्तर में भी सुधार लाया जायेगा। पांचवीं योजना में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे मुख्यतया समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचे। पांचवीं योजना में शिक्षा के लिए १,७२६ करोड़ रु० परिव्यय की व्यवस्था है। प्रस्तावित परिव्यय का ४३ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय होगा और यह पांचवीं योजना की एक प्रमुख बात होगी। दोपहर के भोजन-कार्यक्रम के प्रस्तावित विस्तार होने पर प्रारम्भिक शिक्षा में महत्वपूर्ण विस्तार की संभावना है।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषाहार

पांचवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग, शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए परिवार नियोजन तथा पोषाहार कार्यक्रमों के साथ-साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम सुविधाएं देना है। पांचवीं योजनावधि में (१) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना, (२) क्षेत्रीय असमानताओं को ठीक करना, (३) संक्रामक रोगों के उन्मूलन और नियंत्रण तथा (४) शिक्षा के स्तरों में सुधार और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि पर जोर दिया जायेगा। यह समझा गया है कि समन्वित स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य इकाइयों की आवश्यकता है और इस उद्देश्य की सफलता के लिए अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी होगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ७९६ करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। इसमें से ५४३ करोड़ रु० राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की योजनाओं पर व्यय किया जायेगा।

पांचवीं योजनावधि में पोषाहार कार्यक्रमों के विस्तार का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना में १ करोड़ ६५ लाख व्यक्तियों को दोपहर का भोजन देने का तथा एक करोड़ व्यक्तियों को विशेष पोषाहार देने का कार्यक्रम रखा गया है। पांचवीं योजना में पोषाहार के लिए ४०५ करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है।

शहरी विकास तथा आवास

पांचवीं योजना में इस क्षेत्र के प्रमुख लक्ष्य होंगे, (१) शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवायें प्रारम्भ करना, (२) महानगरों की समस्याओं का बड़े पैमाने पर सामना करने के लिए प्रयत्न करना, (३) छोटे शहरों के विकास को प्रोत्साहन देना तथा शहरीकरण के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए नए शहरी केन्द्र स्थापित करना और महानगरों से सम्बद्ध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता देना। शहरी नियोजन की सबसे गम्भीर समस्या है—शहरी भूमि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि। इस सन्दर्भ में शहरी भूमि नीति का निर्धारण करना नितान्त आवश्यक है। पाँचवीं योजना में ५७८ करोड़ रुपये परिव्यय का प्रस्ताव है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आवासों की बढ़ती हुई मांगों और भवन निर्माण-सामग्रियों के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण उनकी अनुपलब्धि को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना में आवास क्षेत्र में निम्न-लिखित लक्ष्यों को रखा गया है : (१) वर्तमान आवासी-समग्रियों की स्थिति में सुधार, (२) ४० लाख भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास भूखंड, (३) समाज के कुछ कम-जोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर मकान देने की योजना को आगे भी चालू रखना और (४) संस्थागत संगठनों की सहायता में विस्तार।

आवास क्षेत्र के लिए कुल ५८० करोड़ रु० का परिव्यय है। इसमें से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए ३४३ करोड़ रु० होगा।

पिछड़े वर्गों का विकास

पांचवीं योजना में पिछड़े वर्गों के विकास की योजना का मुख्य लक्ष्य है—इस वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना तथा पहाड़ी और जन-जाति के लोगों तथा अन्य क्षेत्रों के विकास-स्तर के अन्तर को कम करना। पहाड़ी और जन-जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक समन्वित विकास योजना शुरू की जायेगी। अनुसूचित जाति के लोगों की जमींदार वर्ग पर निर्भरता कम करने के लिए इस वर्ग के व्यवसायों में विभिन्नता लाने और उसके आधुनिकीकरण का काम भी पूरा किया जायेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने और गन्दे कामधन्धों के यंत्रीकरण के प्रयासों में तेजी लायी जायेगी। पांचवीं योजना में पिछड़े वर्ग के लिए जो कार्यक्रम चालू किए जायेंगे, उन पर राज्य क्षेत्रों में १७० करोड़ रु० तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में ८५ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी और जन-जातीय क्षेत्रों के लिए ५०० करोड़ रु० का प्रावधान है।

समाज कल्याण

पांचवीं योजना में समाज कल्याण की भावना को विस्तृत रूप दिया गया है और कल्याण तथा विकास सेवाओं को मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। समाज कल्याण के लिए निर्धारित २२९ करोड़ रु० परिव्यय में से २०० करोड़ रुपया केन्द्रीय क्षेत्र में होगा।

विज्ञान और टेक्नोलाजी

विज्ञान और टेक्नोलाजी योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थ-व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। विज्ञान और टेक्नोलाजी कार्यक्रम को पहले-पहल योजना में स्थान दिया गया है। योग्यता और सामर्थ्य वाले क्षेत्रों को गति प्रदान करना तथा डिजाइन, परामर्श, प्राकृतिक साधनों के मूल्यांकन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की त्रुटियां दूर करना इसका उद्देश्य है।

उपयोग-प्रधान विज्ञान और टेक्नालाजी योजना में उत्पादनकर्ता तथा टेक्नोलाजी के उपभोक्ता के बीच सम्पर्क कायम करने पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार विस्तृत संगठग तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है।

विज्ञान और टेक्नोलाजी के लिए कुल १०३३ करोड़ रुपए वित्तीय परिव्यय रखा गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में

पांचवीं पंचवर्षीय योजना जिस उत्साह के साथ शुरु हुई वैसे अभी तक क्रियान्वित नहीं की जा सकी, क्योंकि हमारा देश कठिन आर्थिक संकट से गुजर रहा है। परिस्थितियां भी ऐसी ही बन चुकी हैं। इसलिए पांचवीं योजना में बार-बार संशोधन एवं सुधार हो रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण हमारी समस्याएं हैं। हमारी मुख्य आर्थिक समस्याएं जो योजना के मार्ग में बाधक बन रही हैं, वे निम्नलिखित हैं: (१) खाद्य समस्या बनाम बढ़ती हुई जनसंख्या (२) मुद्रा स्फीति एवं बढ़ती हुई कीमतें (३) शक्ति के साधन (तेल संकट) (४) वित्तीय साधन (५) जनसहयोग का अभाव।

खाद्य समस्या व बढ़ती हुई जनसंख्या

लगातार दो-तीन वर्षों से कुछ क्षेत्रों में अकाल की छाया ने देश के उत्पादन पर प्रभाव डाला है। अतः हमारे देश को खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति आयातों से करनी पड़ी है। घटते उत्पादन के कारण सरकार ने अभाव की पूर्ति हेतु ४.२ से ५ मिलियन टन तक खाद्यान्न इस योजना में भी आयात करने का निश्चय किया है।

योजना काल में	उत्पादन लक्ष्य	करोड़ टनों में वास्तविक उत्पादन
१. प्रथम योजना	६.१६	६.६९
२. द्वितीय योजना	८.१८	८.०९
३. तृतीय योजना	१०.००	७.२०
४. चतुर्थ योजना	१२.००	११.०४
५. पांचवीं योजना	१४.००	

जनसंख्या भी योजना को प्रभावित करती है। १९५१ में जनसंख्या ३६ करोड़ थी, वह १९७४ में बढ़कर ५६ करोड़ हो गई तथा २.५ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत वासी प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पहले की अपेक्षा बहुत अनाज की आवश्यकता है। यदि औसतन प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १४ औंस उपभोग माना जाए तो वर्तमान जनसंख्या के लिए १३ करोड़ से १४ करोड़ टन प्रति-वर्ष अनाज की आवश्यकता होगी। इसलिए भारी मात्रा में किए गए आयातों से योजना व्यय में कमी हो रही है।

मुद्रा स्फीति एवं मूल्य वृद्धि

'मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक संसार चक्कर लगाता है। हमारे देश में मुद्रा भी पूर्ण रूप से नियन्त्रित नहीं है, जिसके कारण मुद्रा स्फीति का संकट पैदा हो गया है। इसने न केवल अर्थव्यवस्था को ही छिन्नभिन्न किया है, बल्कि देश में संसदीय लोकतन्त्र को भी खतरे में डाल दिया। घाटे की अर्थ व्यवस्था भी मुद्रा स्फीति का प्रबल कारण है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तेल संकट

भारतीय आर्थिक विकास की जान शक्ति के साधन हैं। देश के उद्योग के पहिये इस पर पूरी तरह निर्भर हैं। शक्ति के साधन हैं—जल, विद्युत-कोयला व तेल। जल विद्युत का अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है—दूसरे यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। थोड़ी वर्षा की कमी इस शक्ति के उत्पादन को प्रभावित करके ठप्प कर देती है। दो वर्षों से वर्षा की कमी से विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरा शक्ति का स्रोत कोयला है। यद्यपि देश में कोयले का विशाल भण्डार है जो हमारे विकास के पहिये को घुमाने में सहायक हो सकता है लेकिन पर्याप्त नहीं। शक्ति का तीसरा प्रमुख साधन तेल है जिस का भण्डार पश्चिमी एशिया में केन्द्रित है। वहीं से संसार की ८०% मांग को पूरा किया जाता है। मगर पिछले वर्षों से यहाँ के राष्ट्रों ने राजनैतिक दबाव हेतु अन्य देशों के विरुद्ध राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया।

अचानक मूल्यवृद्धि तथा उत्पादन क्षमता में कटौती ने विशेष रूप से भारत की अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे पाँचवीं योजना के निर्धारण व संचालन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। हमारी प्रस्तावित पाँचवीं योजना का सारा ढांचा तेल के मूल्यों की वृद्धि से प्रभावित है। इसने न केवल मूल्यवृद्धि की प्रक्रिया को प्रबल बनाया वरन् देश का कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। जहां १९७२ में भारत ने ६३% कच्चे तेल के आयात पर लगभग २०० करोड़ की विदेशी मुद्रा व्यय की थी, वहाँ मूल्यवृद्धि के कारण १९७४-७५ में पाँचवीं योजना के प्रथम वर्ष में १३०० करोड़ की विदेशी मुद्रा के व्यय होने का अनुमान है।

कच्चे तेल की मूल्यवृद्धि ने जहाँ कृषि व औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किया है वहाँ सबसे अधिक प्रभाव यातायात उद्योग पर पड़ा। यह मूल्यवृद्धि पाँचवीं योजना के लिए सबसे बड़ी समस्या है तथा इसकी सफलता में बाधक है, जिससे विदेशी विनिमय का संकट पैदा हो रहा है तथा योजना व्यय में स्थायित्व नहीं आ पाता। साथ ही पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रस्तावित लक्ष्य आत्मनिर्भरता (शून्य सहायता) को शून्य बना दिया है क्योंकि ४० मिलियन टन कच्चे तेल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें अतिरिक्त १००० करोड़ रु० का विदेशी विनिमय खर्च करना होगा जबकि तेल के मूल्य में अभी और वृद्धि की सम्भावना है। यह भी हमारे देश की योजना के मार्ग का एक रोड़ा बना है।

वित्तीय साधन

पाँचवीं योजना के लिए ५३४११ करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित है और राष्ट्रीय विकास दर ५.५ प्रतिशत निश्चित की गई है। वित्तीय साधनों की तालिका पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि योजना की घरेलू वस्तुओं से ४५१३० करोड़ रुपये जुट पाएंगे जो कुल योजना परिव्यय का ८४.३ प्रतिशत है तथा अतिरिक्त साधनों के रूप में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें ५८५० करोड़ रुपये का अतिरिक्त कराधान करेंगी। यह कुल व्यय का ११%

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। सभी क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे गए हैं।

निर्यात लक्ष्य

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि निर्यात बढ़ाकर ही आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास के मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। निर्यात बढ़ाकर ही हम आज विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान बनाए रख सकेंगे और अपने अस्तित्व को टिकाए रख सकेंगे। इसलिए पाँचवीं योजना में चौथी योजना की कुल निर्यात की राशि को ८५१७ करोड़ रुपये से बढ़ाकर १९७५ से १९७९ तक की अवधि में १२५८० करोड़ रुपया करने का प्रावधान है। इस अवधि में इंजीनियरिंग माल १६.७ प्रतिशत, मछलियाँ १६.५ प्रतिशत, कोयला १४.९ प्रतिशत, कृत्रिम रेशे १४.९ प्रतिशत, कच्चा लोहा १३.० प्रतिशत, बहुमूल्य पत्थर ११.८ प्रतिशत, जूते ११.६ प्रतिशत, शक्कर १०.८ प्रतिशत, रसायन व रासायनिक पदार्थ ९.६ प्रतिशत की दर से निर्यात के लिए अधिक उपलब्ध किए जाने का प्रावधान है, किन्तु परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में इतनी वृद्धि करने के बाद भी हम ६०० करोड़ रुपयों का निर्यात और अधिक बढ़ाने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में ३ प्रतिशत से अधिक वृद्धि की सम्भावनाएं नहीं हैं। दूसरे शब्दों में निर्यात लक्ष्यों को और अधिक बढ़ाए बिना ६०० करोड़ रुपयों का निर्यात बढ़ा लेना सम्भव नहीं है।

जन-जन का वाहनः मध्यप्रदेश राज्य परिवहन

* मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की वाहने वे संगीत शिराये हैं जो भारत के हृदय स्थल मध्यप्रदेश को देश के विशाल भूभाग से संबद्ध किये हुये हैं।

** ये वाहनें राज्य के विभिन्न भागों को आपस में और निकटवर्ती उत्तर प्रदेश, विहार, उत्कल, आँध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आदि से जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता तथा पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि करती हैं।

*** ये वाहनें सांस्कृतिक और सामाजिक परिचयों के विकास के साथ अर्थ-व्यवस्था को भी विकास की ओर गतिमान करती हैं।

**** यात्रियों तथा कर्मचारियों के हित-साधन में अहर्निश संलग्न इन वाहनों द्वारा सुखद यात्रा का आनन्द लूटिये।

(म० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रसारित)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशिक्षित बेरोजगारों को

चिन्तामुक्त करने के ठोस प्रयत्न

छोटे उद्योग स्थापित करने के लिये

राज्य शासन द्वारा विशेष

सुविधायें

* छात्रवृत्ति और सांयत्रिक प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
* दुर्लभ कच्चे माल की प्राप्ति की सुविधा ।
* भूमि एवं वितानों के आवंटन में प्राथमिकता ।
* किश्त खरीदी पर यन्त्र सुलभ ।
* राज्य सहायता अधिनियम के अंतर्गत सहायता ।
* मध्य प्रदेश वित्त निगम से ऋण प्राप्ति की सुविधा ।
* मुक्त तकनीकी सहायता और उद्योगों के चयन में मार्ग दर्शन ।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क साधिये,

उद्योग संचालक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

—: : ० : :—

(उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २३ :

उद्योग

देश में उत्पादन व उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए १९६२ में तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आजकल हर आधुनिक राष्ट्र के लिए छोटे बड़े उद्योग-धन्धों का विकास करना बहुत जरूरी है। देश में विज्ञान एवं तकनीकी के अधिकतम प्रयोग से उद्योगों का विकास शुरू किया गया। सरकार अपनी औद्योगिक नीति में आत्मनिर्भरता का सिद्धान्त अपनाकर उद्योगों को प्रत्येक स्तर पर स्थापित करने तथा उत्पादन वृद्धि में संलग्न हो गई। आज भी सरकार विभिन्न उद्योगों के स्थापित करने हेतु योजनायें बना रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उद्योगों के विकास व नए उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि उत्पादन हेतु बड़े उद्योग, लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग तीनों में आपसी सामन्जस्य रखते हुए अधिकतम उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंचवर्षीय योजनाएं

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कई सरकारी कारखाने स्थापित किये गये। इस योजना में उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करने पर विशेष जोर दिया गया, जैसे बिजली और परिवहन आदि की व्यवस्था। इस योजना काल में सिंदरी उर्वरक कारखाना, पेन्सिलिन कारखाना, टेलीफोन उद्योग आदि स्थापित किए गए। पहली योजना में गैर सरकारी क्षेत्र में भी लोहा और इस्पात, इन्जीनियरिंग, रासायनिक उर्वरक, पेट्रोलियम साधन, सूती कपड़ा, सीमेंट और चीनी तथा कागज उद्योगों में लगभग २३३ करोड़ रुपये लगाया। पहली योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन ३९% बढ़ गया।

दूसरी योजना काल में कुल खर्च (प्रथम योजना को लेकर) ९७४ करोड़ रुपये तक हो गया जो सरकारी कारखानों और खनिज पदार्थों पर खर्च किया गया। दूसरी योजना काल में बिजली का भारी सामान, भारी मशीनी औजार और अन्य इन्जीनियरिंग उद्योगों की नींव पड़ गई। हमारे देश में सीमेंट एवं कागज उद्योगों के लिए मशीनरी भी बननी शुरू हो गई। रासायनिक उद्योगों जैसे, नाइट्रोजन खाद, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और सलफ्यूरिक एसिड के उत्पादन में २६७% की वृद्धि हुई। नई रासायनिक वस्तुओं जैसे यूरिया, अमोनियम, फास्फेट, पेन्सिलिन, रेशे, अखबारी कागज, रंगाई के सामान आदि का उत्पादन भी शुरू हुआ। अन्य वस्तुओं औद्योगिक वाइलर एक्टर, और एन्टिबायोटिक औषधियों, मोटर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साइकलों तथा स्कूटर आदि का उत्पादन हुआ। अलमूनियम का उत्पादन चार गुनाहो गया। नए उद्योगों के अतिरिक्त कई सूती कपड़ा, पटसन और चीनी मिलों की पुरानी मशीनरी बदली गई और इनका आधुनिकीकरण किया गया। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं में सूती कपड़े में ६० प्रतिशत से अधिक, चीनी में लगभग तीन गुना, सीमेंट में तीन से अधिक, बाइसिकल में कई गुना वृद्धि हुई।

तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में तो विकास काफी हुआ। इस अवधि में प्रति-वर्ष उत्पादन में लगभग ९ प्रतिशत वृद्धि हुई। किन्तु इसके अन्तिम वर्ष तथा अन्य चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में शनैः शनैः उत्पादन में कमी होती गई। १९६७-६८ और १९६८-६९ में इस उत्पादन की दशा में सुधार हुआ। १९६८-६९ में उत्पादन ६·२% बढ़ गया। इन वर्षों के दौरान देश में भयंकर सूखे के कारण देश में कृषि उत्पादन में कमी हुई, जिससे कच्चे माल के अभाव में उद्योग धन्धे बन्द हो गए। किन्तु स्थिति सुधरने पर उद्योग उत्पादन में वृद्धि करने लगे तथा तीसरी योजना में कई उद्योगों में उत्पादन स्तर को पूर्ण विकसित कर दिया गया। वे अपने निर्धारित लक्ष्यों तक भी पहुंच गए जिनमें अलमोनियम, मोटरगाड़ियां, बिजली के ट्रान्सफारमर. सूती कपड़ा मिलें, मशीनरी औजार, चीनी, पटसन का टाट, बिजली के पंखे, डीजल इंजन और पैट्रोलियम पदार्थ आदि हैं। इन महत्वपूर्ण उद्योगों में काफी वृद्धि हुई।

महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पादन वृद्धि

उद्योग (यूनिट)	१९६८-६९	१९७२-७३	७३-७४
सूती कपड़ा उद्योग (लाख रुपये)	१३८०	१४१८	१४५०
चीनी मिलों की मशीनरी (लाख रुपये)	११८०	२११०	१२४०
सीमेंन्ट मिलों की मशीनरी (लाख रुपये)	८१८	८५०	८९०
मशीनी औजार (लाख रुपये)	२४७	२७०	३००
तार इस्पात (लाख रुपये)	४०७	४३५	४५०
अलमूनियम (१००० टन)	१२५.३	१५२	२००
नाइट्रोजन उर्वरक (१००० टन)	५४७.०	४७६	५९५
फास्फैटिक उर्वरक (१००० टन)	२९०.०	२३२	२७०
काजग और दफ्ती (१००० टन)	६१६	७८०	८००
सीमेंट (लाख टन)	१२२.०१	१५०	१६०
चीनी (१००० टन)	३५५९	३४६०	४५००

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े उद्योगों में शनैःशनैः वृद्धि हो रही है। यद्यपि उत्पादन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर, सरकारी खर्च में वृद्धि होने पर अथवा सरकारी नीति में स्थिरता न होने से उत्पादन की गति मन्द रही, फिर भी उत्पादन की गति में नियमित वृद्धि होने से इसके विस्तार को सराहनीय माना जा सकता है। इन बड़े उद्योगों के साथ-साथ हमारे देश में छोटे-छोटे उद्योगों का भी जाल बिछा हुआ है। लगभग दो करोड़ व्यक्ति कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। अकेले हथकरघा उद्योग में ही तीस लाख व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। अन्य छोटे उद्योगों में जैसे रेशम कीड़ों का पालना, नारियल की जटाओं का काम, खाद, ग्राम उद्योग और दस्तकारी व शिल्पकारी उद्योग में ६५ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में भी करोड़ों व्यक्ति लगे हुए हैं।

राज्य व केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए व्यापक रूप में खर्च किया है तथा योजना बनाई है। देश के औद्योगिक विकास के लिए निगम और समितियों की स्थापना की जा रही है। किन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी स्तर के उद्योगों के विभिन्न पहलुओं का वास्तविक सर्वेक्षण एवं मूलभूत कठिनाइयों के निराकरण का कार्य ही इन विकास संस्थाओं द्वारा होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हर तरह से प्रतियोगिता का मुकाबला करना उद्योग की कुशलता एवं सुदृढ़ता का द्योतक कहा जाता है। माल में उत्तमता ही प्रतियोगिता में सफलता व विकास मार्ग खोज सकती है। आज आर्थिक क्रान्ति के साथ-साथ औद्योगिक क्रान्ति को द्रुतगति से बढ़ाने की आवश्यकता है।

उत्पादन में गतिरोध

१९७४ में औद्योगिक उत्पादन के अंकों से यह प्रकट है कि इस वर्ष भी औद्योगिक उत्पादन का स्तर वही रहा जो १९७३ में था। औद्योगिक उत्पादन में इस गतिरोध के अनेक कारण हो सकते हैं—बिजली में कटौती, रेलवे की हड़ताल, मानसून की कमी, समय समय पर की जाने वाली हड़तालें। इस वर्ष भी औद्योगिक उत्पादन का गतिरोध बना हुआ है। उद्योगों के कच्चे माल के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९७३ में ७.८ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई थी और १९७४ में भी यही गति जारी है। इस स्थिति में देश की समस्त अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कब तक यह स्थिति यथावत रहेगी, यह आज नहीं कहा जा सकता। अधिक चिन्ता की बात यह है कि इस समस्या का कोई समाधान दृष्टि-गोचर नहीं हो रहा है।

सहकारिता

देश में ३१ जनवरी १९७४ तक ७४५ चावल मिलें गठित की गईं तथा ६९० संस्थापित की गई। चावल की भूसी के तेल के जो एकक गठित किए गए उनकी संख्या छह थी तथा संस्थापित किए गए एककों की संख्या चार है। इसी अवधि तक ४९ दाल मिलें गठित तथा २८ संस्थापित की जा चुकी थीं। इसी अवधि तक भारत में १३४ चीनी कारखाने गठित किए गए तथा संस्थापित किए गए कारखानों की संख्या ८७ थी। चीनी एककों की संख्या जो इस अवधि में गठित किये गये १९ थी और संस्थापित किए गए एककों की संख्या १७ थी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पांचवीं योजना अवधि में निर्यात (करोड़ों में)

जिन्स	१९६८-६९	१९७२-७३	१९७३-७४	कुल १९६९-७४
चाय	१५६.५	१४७.३	१६२	७३८.४
जूट वस्तुएं	२१८.०	२५०.०	२४०	११५२.३
कॉफी	१८.०	३२.९	३३५	१३४.७
तम्बाकू वस्तुएं	३३.२	६१.१	६१	२२८.५
खली	४९ ५	७४.८	५०	२६१.९
काजू	६०.९	६८.८	७५	३१४.६
मसाले	२५.१	२९.१	३१	१६९.६
रूई	११.१	२१.६	२१	८७.६
मछली आदि	२२.२	५४.५	७०	२२८.६
चीनी	१०.१	१३.३	१५	९४.७
कच्चा लोहा	८८.४	१०९.८	१२५	६६१.४
कोयला	२.७	३.२	५	१५.४
अभ्रक वस्तुएं	१५.५	१६.६	२१	८६.१
सूती वस्त्र मिलें	९७.५	१५७.०	१६५	६६२.५
हस्त करघा वस्त्र	५.०	१६.५	२५	६६.६
नारियल की जटा आदि	१३.९	१४.३	१५	६९.१
फैबरिक	३.५	१४ ३	१५	६९.१
चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं	७२.७	१७४.५	१५०	५६९ ०
जूते	९.१	१२ ६	१५	५९.५
रसायन	१७.५	३५.३	५५	१७२.३
रबड़ वस्तुएं	४ २	५.७	८	३१.२
इन्जीनियरिंग सामान	६७.४	१३८.७	१८५	६६५.९
लौह इस्पात	७४.५	२३.१	२०	२१३.०
हस्त शिल्प की वस्तुएं	(६९.७)	(११९ ७)	(१२५)	(४९५.०)
१. बढ़िया पत्थर	४७.४	७७.९	८०	२०५.०
२. हस्तशिल्प आदि	२१.७	४१.८	४५	१७४.६
अन्य	२१२.१	१३७१.०	३१६	१४३९ ४
कुल	१३५७.७	१९६०.९	२०००	८५१७.६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस अवधि तक देश में ३३५ ओटाई तथा प्रेसिंग मिलों का गठन किया गया तथा २०८ का संस्थापन किया गया। कताई मिलों की संख्या क्रमशः २४ तथा २० रही और मूंगफली का छिल्का उतारने वाले कारखानों की संख्या क्रमशः ५८ और ५७ रही। १९७४-७५ में तो सहकारी आन्दोलन में नई गतिविधियों से अनेक स्थानों पर विभिन्न उत्पादनों की मिलों व कारखानों की स्थापना हुई।

इस्पात उद्योग में रिकार्ड उत्पादन

१९७४-७५ का वर्ष भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। देश के पांचों इस्पात कारखानों में बिक्री योग्य इस्पात का रिकार्ड उत्पादन रहा। १९७४-७५ में ४८.९१ लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष यह ४३.५३ लाख टन था। उत्पादन में यह बढ़ोतरी ५ लाख ३८ हजार टन अथवा १२.४ प्रतिशत रही।

१९७४-७५ में बिक्री योग्य इस्पात का प्रति कारखाना उत्पाद इस प्रकार रहा— भिलाई में १६.९३ लाख टन, राउरकेला में ८ लाख ३ हजार टन, दुर्गापुर में ५ लाख २० हजार टन, टाटा आयरन में १४.६१ लाख टन और इंडियन आयरन में ४ लाख १४ हजार टन।

भिलाई और टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में इस्पात का उत्पादन सबसे अधिक रहा। १९७४-७५ की दूसरी छमाही में भिलाई कारखाने ने महत्वपूर्ण कार्य किया और बिक्री योग्य १८.२ लाख टन प्रतिवर्ष की दर से इस्पात का उत्पादन हुआ जो उसकी पूर्ण उत्पादन क्षमता का ९३ प्रतिशत है। इसी प्रकार राउरकेला में उसकी पूर्ण उत्पादन क्षमता का ७८ प्रतिशत ही उत्पादन हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि उत्पादन क्षमता का उपयोग भली प्रकार हो रहा है।

राउरकेला इस्पात कारखाने में मुख्य रूप से प्लेट और फ्लैट उत्पादन बहुत अधिक बनाये जाते हैं तथा इनकी बहुत मांग है। औद्योगिक विकास के लिए इन वस्तुओं के उत्पादन में कारखाने के रिकार्ड उत्पादन से काफी सहायता मिली। अच्छे मौसम और कारखाने में बिजली की सप्लाई में सुधार होने से राउरकेला का यह कारखाना १९७५-७६ में उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने पिछले वर्ष के मुकाबले ३८ प्रतिशत अधिक उत्पादन किया।

दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात कारखाने ने भी अच्छा काम दिखाया है। १९७४-७५ वर्ष की दूसरी छमाही में कारखाने की पूर्ण उत्पादन क्षमता का ८९ प्रतिशत ही प्रयोग में लाया गया जिससे इस्पात पिंड तथा ६० प्रतिशत बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन हुआ।

बोकारो इस्पात कारखाने में बहुत से महत्वपूर्ण एकक आरम्भ किये गये जिनमें इस्पात की सिल्लियां बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा उसकी मांग भी देश में सबसे अधिक है। बोकारो की धमन भट्टी ने भी श्रेष्ठतम कुशलता का परिचय दिया है। १९७५ के पहले तीन महीनों में बोकारो कारखाने ने अपनी उत्पादन क्षमता का १०६ प्रतिशत उत्पादन किया। इसी बीच हाट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्ट्रिप मिल का काम भी जारी है। यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी मिल होगी तथा वर्ष के मध्य में चालू हो जाएगी। दिसम्बर, १९७५ तक जब बोकारो इस्पात कारखाने के सभी एकक काम करना आरम्भ कर देंगे तो पहले १७ लाख टन हाट रौलिंग इस्पात और बीच के स्तर पर २५ लाख टन उत्पादन होने लगेगा।

दिसम्बर १९७७ तक बोकारो के दूसरे (४० लाख टन) स्तर का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

१९७४-७५ में कुशलता तथा उत्पादन के स्तरों में सुधार केवल इसलिए हो सका क्योंकि कारखानों ने बिजली, कोयला भेजने वाली संस्थाओं तथा रेलवे से अपना सम्पर्क बनाए रखा तथा श्रमिकों एवं ट्रेड-यूनियनों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया।

इस वर्ष औद्योगिक झगड़ों के कारण उत्पादन में कोई बड़ी बाधा नहीं आई। ट्रेड यूनियन नेताओं तथा इस्पात कारखाने की संयुक्त वार्तालाप समिति के बीच समय-समय पर हुई वार्ताओं ने भी श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच अच्छा सम्पर्क बनाने में पूर्ण सहायता दी।

आशा है १९७४-७५ के मुकाबले १९७५-७६ में सभी इकाइयों का उत्पादन बढ़ेगा। इससे देश की अपनी आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा १० लाख टन कच्चे लोहे और इस्पात का निर्यात भी किया जा सकेगा। इससे लगभग १०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

सरकारी उद्योगों में भारी लाभ

वर्षों तक घाटा उठाने के बाद अब सरकारी कारखाने व वाणिज्य संस्थानों को लाभ होने लगा है। सन् १९७३-७४ में चौगुणा व अधिक लाभ हुआ। ११४ सरकारी संस्थानों को ९४.४२ करोड़ रुपए का लाभ हुआ जबकि १९७२-७४ में यह राशि १७-७४ करोड़ रुपए थी। यह उल्लेखनीय है कि १९७१-७२ में १९.२० करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इन औद्योगिक संस्थानों ने निर्यात से ६९३ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की जबकि १९७२-७३ में ५०३ करोड़ रुपए की कमाई हुई थी।

लाभ में भारी वृद्धि का एक कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना भी है। ८४ संस्थानों की रिपोर्ट से पता चलता है कि ४५ संस्थानों ने उत्पादन क्षमता ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। लगभग २३ संस्थानों ने उत्पादक क्षमता में ५० से ७५ की वृद्धि की थी। सर्वाधिक वृद्धि परिवहन व पेट्रोलियम प्रभाग के उद्योगों ने की, जबकि सबसे कम भारी इंजीनियरिंग उद्योगों में पाई गई। देश के १२२ संस्थान केन्द्रीय सरकार के सीधे नियन्त्रण में चालू थे। सन् १९७१-७२ में इनकी संख्या १०१ व १९७२-७३ में ११३ थी।

सन् १९७३-७४ में १२२ औद्योगिक संस्थानों की कुल पूंजी का आंकलन ६२३७ करोड़ रु० किया गया था। सन् १९७३-७४ में बिक्री में २८ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा कुल ६७७७ करोड़ रु० प्राप्त हुए। जबकि १९७२-७३ में कुल बिक्री ५२६२ करोड़ रु० की थी। उक्त अवधि में इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ९.३२ लाख से बढ़कर १३.१४ लाख तक जा पहुंची।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मुनाफा कमाने वाले सरकारी संस्थानों में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम का नाम सर्वोपरि है जिसने ३६.१६ करोड़ रु० का नफ़ा दिखाया। भारतीय तेल निगम ३०.८१ करोड़ रु० का लाभ कमाकर दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा स्थान भारत हेवी इलेक्ट्रीकल का था। दूसरी ओर बोकारो स्टील लिमिटेड का घाटा १९७३-७४ में ५.४५ करोड़ से बढ़कर १०.४३ करोड़ रु० हो गया।

भारत कोकिंग कोल का पहले घाटा केवल ७१ लाख रुपए था लेकिन १९७३-७४ में यह राशि १०.३३ करोड़ रु० तक जा पहुंची। भारतीय खाद निगम ने १९७२-७३ में १८ लाख रु० का लाभ उठाने के बाद १९७३-७४ में १.३४ करोड़ रुपए के घाटे को सहन किया है।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

देश के औद्योगिक उत्पादन के सितम्बर १९७४ तक के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। १९७२- और १९७३ के उत्पादन का नीचे तुलनात्मक विवरण दिया गया है। उससे पता चलता है कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई।

उत्पादन के आंकड़ों का सूचकांक

मास	१९७२	१९७३	१९७४
जनवरी	११५.७	११८.८	११७.३
फरवरी	११३.२	११२.३	११३.५
मार्च	११९ ९	१२०.९	१२२.१
अप्रैल	१०७.७	१०७.३	१०८.६
मई	११०.३	१०९.५	१११.७
जून	११०.५	११०.२	११३.७
जुलाई	१११.६	११४.३	११७.९
अगस्त	११२.२	११५.८	११५.२
सितम्बर	११२.७	११२.७	११४.१
अक्तूबर	११६.५	११८.४	—
नवम्बर	१२०.१	१२३.५	—
दिसम्बर	११३.४	११४.५	—

सरकारी उद्योगों का नया युग

वर्षों से देश के कुछ अर्थशास्त्री कह रहे थे कि सार्वजनिक उद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था में भारी हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। इनमें लगी हुई पूंजी का कोई प्रतिफल देश को नहीं मिल रहा है। १९७३-७४ के अन्त तक विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने ६२३७ करोड़ रु० की पूंजी लगाई थी। इतनी भारी पूंजी के निवेश से यह आशा की जाती थी कि इस देश को काफी लाभ होगा। टाटा स्टील में और टाटा इन्जीनियरिंग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में क्रमशः ५१० और ४२६ करोड़ रुपए का लाभ एक वर्ष में हुआ था। सिंधिया स्टीम ने भी ४२५ करोड़ रु० का लाभ दिखाया है। इसी तरह कुछ अन्य कम्पनियों के लाभ भी निम्नलिखित तालिका से प्रकट होते हैं।

१. दिल्ली क्लाथ—६५ करोड़ रुपये।
२. जी० ई० शिपिंग—२३८ करोड़ रुपये।
३. हिन्द लीवर—७० करोड़ रुपये।
४. कैलिको मिल्स—७१२ करोड़ रुपये।
५. ग्वालियर रेयन—४१३ करोड़ रुपये।

निजी क्षेत्र के इन परिणामों को देखकर स्वभावतः यह आशा की जाती थी कि सरकारी उद्योग भी आर्थिक दृष्टि से देश के लिए लाभ उपार्जित करेंगे। किन्तु सरकारी उद्योगों से प्रायः प्रतिवर्ष हानि या अत्यन्त स्वल्प लाभ की ही सूचना मिलती थी। १९७३-७४ में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने जिनकी संख्या ११४ है, कुल १.९ प्रतिशत लाभ अर्जित किया है। इस स्थिति के अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु पिछले कुछ वर्षों से सरकारी उद्योगों ने अपनी कुशलता के कारण कुछ लाभ अर्जित करना शुरु किया है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रकट है।

१९७३-७४ की स्थिति इस प्रकार है—

शुद्ध पूंजी	५२४१ करोड़ रु०
सकल लाभ	२७२ करोड़ रु०
विशुद्ध लाभ	१४१ करोड़ रु०

रोजगार की दृष्टि से भी सरकारी बड़े उद्योगों की स्थिति निम्नलिखित थी—

कोयला खान प्राधिकरण श्रमिक संख्या	३६८७२९
हिन्दुस्तान इस्पात लि०	१२९,७०१
भारत कोकिंग कोल	८९,१३२
भारतीय खाद्य निगम	४८६,९७
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स	४४८,००
बोकारो इस्पात	२०,०१३

औद्योगिक संस्थानों की सम्पत्ति के हिसाब से बड़े छः उद्योग इस प्रकार हैं—

हिन्दुस्तान स्टील	१०२१.३ करोड़ रु०
खाद्य निगम	६३५.९ करोड़ रु०
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स	५६९.९ करोड़ रु०
भारतीय तेल निगम	५२८.० करोड़ रु०
तेल और प्राकृतिक गैस	३२३.६ करोड़ रु०
जहाजरानी	२६९.९ करोड़ रु०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अब प्राय: सरकारी उद्योग लाभार्जन शुरु करने लगे हैं। गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को आशातीत लाभ हुआ है। सरकारी उद्योगों के विभाग के कथनानुसार चालू वर्ष यह मुनाफा २०० करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब अनेक-उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपभोग करने लगे हैं। इन तीन चार वर्षों में सरकारी मशीनरी का जितना उपयोग हुआ है, उतना गत २० वर्षों में भी नहीं हुआ। मुनाफे की कुछ समय तक जो प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसका अधिकांश पूरा कर लिया गया है। अब यह आशा की जाती है कि कुल मिलाकर औसत ६% तक मुनाफा होना चाहिए। अब सरकारी उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में अपना अधिकाधिक योगदान दे सकेंगे।

मध्य प्रदेश के कृषि सिंचाई क्षेत्र के विस्तार
एवं
कृषि भूमि के स्थायी विकास में संलग्न

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति

भोपाल एवं

उससे सम्बद्ध ४३ जिला सहकारी भूमि विकास बैंकों की उपलब्धियां :—

विगत १३ वर्षों में प्रदेश के कृषक बन्धुओं को रुपये ५५ करोड़ से अधिक के दीर्घकालीन ऋण वितरित,

वर्ष १९७३-७४ में :—

—रुपये १२ करोड़ के सिंचाई साधनों, भूमि सुधार एवं कृषि यंत्र आदि हेतु प्रदान।

—लघु सिंचाई विकास को रुपये ४५.२२ करोड़ की विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत त्रि-वर्षीय कृषि साख परियोजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में रुपये ५ करोड़ के ऋण, ११,४४० नये कुओं, १३१९ तेल पम्प, १२३० कुओं के सुधार, ८५७ विद्युत पम्प, १४५ रहट, भूमि सुधार एवं पाईप लाइन हेतु वितरित।

—लघु कृषकों के विकास के लिए ६३ लाख के ऋण वितरित।

—प्रदेश की प्राय: सभी तहसीलों में जिला सहकारी भूमि विकास बैंकों की २०२ शाखाओं की स्थापना।

—फिक्स डिपाजिट में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र से रुपये १८ लाख की राशि एकत्रित।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ३० जून १९७४ पर वित्तीय स्थिति :—

(१)	अंश पूंजी	रु० ३.१० करोड़
(२)	कार्यशील पूंजी	रु० ५६.३७ करोड़
(३)	निर्गमित ऋण पत्र	रु० ५०.२१ करोड़
(४)	शेष ऋण	रु० ४३.७३ करोड़
(५)	अन्य निधियां	रु० ०.६२ करोड़

नीरज जैन
उपाध्यक्ष

ताराचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी

ऐतिहासिक नगर नागपुर

भोंसला शासकों तथा बाद में मध्यप्रदेश की राजधानी रहे नागपुर नगर की परंपरा अति उज्जवल है। इस नगर में नये और पुराने का सुंदर सम्मिलन दिखाई देता है। ऐतिहासिक काल से ही यह नगर सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा व्यवसायिक दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस समय यह नगर महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी के पद पर आसीन है।

भौगोलिक दृष्टि से नागपुर भारत के लगभग केन्द्र स्थान पर स्थित है। यह नगर सैंट्रल तथा साऊथ ईस्टर्न रेलवे का प्रमुख जंक्शन है। यहाँ से बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जाने के लिए हवाई-सेवा भी उपलब्ध है। सभी दिशाओं के राष्ट्रीय मार्गों का यहाँ मिलन होता है।

नागपुर नगर अपने स्वादिष्ट संतरों तथा हैण्डलूम की साड़ियों के लिये प्रसिद्ध है, और उनकी मांग देश के हर कौने से की जाती है। यहां पर स्थापित उद्योगों में सूत-निर्मिती, वस्त्र बुनाई, चीनी मिट्टी और कांच का सामान, रबर-उत्पादन, फलों के पेय और चमड़ा कमाने का समावेश होता है। नागपुर विश्व-विद्यालय के अतिरिक्त, यहाँ पर आकाशवाणी का केन्द्र भी है।

नागपुर से सटे हुये तथा नागपुर महानगरपालिका पेय जल प्राप्त करने वाले कामठी नगर में, फैरों मैंगानिज प्लांट, सेफ्टी फ्यूज़ व गनपाउडर प्लांट, शासकीय अल्कोहल फैक्टरी, बीड़ी फैक्ट्री और हैण्डलूम के प्रतिष्ठान हैं। एक औद्योगिक बस्ती भी यहाँ पर स्थापित है।

नागपुर को, प्रकृति देवी का भी वरदान प्राप्त है। ऊंचे-विशाल वृक्ष, सुंदर पहाड़ियों, अनुपम प्राकृतिक दृश्य, आरोग्यवर्धक जलवायु और आवागमन की विपुल सुविधाओं तथा वर्धा, पवनार व रामटेक जैसे समीपस्थ दर्शनीय स्थानों के कारण यह नगर पर्यटकों को बहुत भाता है।

अन्य जानकारी

क्षेत्रफल	२१७.५६ किलोमीटर (८४ वर्गमील)
जनसंख्या	८,६७,२६९ (जनगणना : १९७१)
प्रचलित भाषाएं	मराठी, हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, बंगाली और तेलुगू।

आवागमन की सभी सुविधाओं से युक्त इस ऐतिहासिक नगर में सुरुचिपूर्ण यात्रियों का हार्दिक स्वागत है।

भ० मा० गायकवाड़,	गंगाधर फडणवीस,	म० वि० मेश्राम,	स० ह० ठक्कर
महापौर	उप-महापौर	अध्यक्ष स्थायी समिति	निगम आयुक्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २४ :

वाणिज्य व्यापार

देश की बढ़ती हुई आर्थिक रूपरेखा के अनुसार भारत के विदेश व्यापार का ढांचा भी बदल गया है। एक के बाद दूसरी विगत योजनाओं में बहुत अधिक पूंजी लगाने के फलस्वरूप विदेश व्यापार की मात्रा, मूल्य और स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उसमें काफी वृद्धि हुई है।

इन पिछले २७ वर्षों में भारत का विदेश व्यापार तीन गुना हो गया है, लेकिन इस से भी अधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण परिवर्तन इसकी संरचना और दिशा में हुए हैं। आजादी के बाद इन २७ वर्षों में हमारे देश के विदेश व्यापार का 'उपनिवेशवादी' स्वरूप बदलकर स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्र के व्यापार के अनुकूल हो गया है।

भारत के निर्यात-व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और अब इसमें काफी विविधता है एवं यह विभिन्न दिशाओं में किया जाता है। पहले भारत के बारे में यह धारणा थी कि वह जूट, खालें, चमड़ा और काजू आदि जैसे परम्परागत कच्चे माल और कृषि पदार्थों जैसी सीमित वस्तुओं को ही पश्चिम के बाजारों में बेच सकता है, लेकिन अब यह स्थिति बदल गयी है। अब यह माना जाता है कि भारत विश्व के सभी देशों से, खासकर पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों एवं एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के प्रगतिशील देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न कर रहा है।

आजादी के समय भारत के कुल निर्यात-व्यापार का ६० प्रतिशत माल चार वस्तुओं अर्थात चाय, कपास, जूट का सामान और सूती कपड़ों का होता था, लेकिन आज हमारे कुल निर्यात में इन वस्तुओं का भाग ३० प्रतिशत से भी कम है। आज भारत का निर्यात कुछ थोड़ी-सी मुख्य वस्तुओं या कृषि पर आधारित उद्योगों की वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं करता।

आयात-निर्यात

गत वर्ष के वृद्धि के रुख के सिलसिले में वर्ष १९७४-७५ के दौरान भारत के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि होती रही। तथापि, व्यापार संतुलन में घाटा भी तेजी से बढ़ता रहा क्योंकि आयातों के मूल्य में अधिक तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष १९७३-७४ में २४८३ करोड़ रु० के निर्यात हुए और इस प्रकार गत वर्ष के मुकाबले में २६ प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साथ ही २९२१ करोड़ रु० के आयात हुए जो ५६ प्रतिशत अधिक हुए। इसके परिणाम स्वरूप ४३८ करोड़ रु० का घाटा रहा जब कि १९७२-७३ में १०३ करोड़ रु० का अधिशेष था। वर्ष १९७४-७५ के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर १९७४) के दौरान भी निर्यातों (३८.५ प्रतिशत) के मुकाबले में आयात (५८ प्रतिशत) अधिक हुए जिससे ५८५ करोड़ रु० का प्रतिकूल संतुलन रहा जबकि १९७३-७४ के उन्हीं नौ महीनों के दौरान १६४ करोड़ रु० का घाटा रहा था। ऐसी संभावना है कि वर्ष के शेष भाग में यह व्यापार अन्तराल और भी बढ़ जायेगा।

निम्नलिखित तालिका में वर्ष १९६८-६९ से १९७४-७५ तक की व्यापार संतुलन की स्थिति दी गई है—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आयात (लागत बीमा भाड़ा)	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	व्यापार सन्तुलन
१९६८-६९	१९०८.६	१३५७.९	—५५०.७
१९६९-७०	१५८२.७	१४१३.३	—१६९.४
१९७०-७१	१६३४.२	१५३५.२	—९९.०
१९७१-७२	१८२४.५	१६०८.२	—२१६.३
१९७२-७३	१८६७.४	१९७०.८	—१०३.४
१९७३-७४	२९२०.९	२४८३.२	—४३७.७
१९७३-७४ (अप्रैल-दिसम्बर)	१८५५.०	१६९१.०	—१६४.०
१९७४-७५ (अप्रैल-दिसम्बर)	२२२८.०	२३४३.०	—५८५.०

निर्यात

चौथी योजना अवधि के दौरान हालांकि भारत से निर्यात वर्ष प्रति वर्ष बढ़ते रहे हैं लेकिन वृद्धि दर असमान रही जो १९६९-७० में ४.१ प्रतिशत के निम्न स्तर से १९७३-७४ में २६ प्रतिशत तक के उच्च स्तर तक विविध रूपी रही। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल मिलाकर हमारे निर्यात लगभग १२.८ प्रतिशत वार्षिक की मिश्रित दर से बढ़े जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में ७ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था।

जहां तक १९७४-७५, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, का संबंध है, निर्यातों में वृद्धि का रुख समान रूप से बनाए रखा गया। १९७४-७५ के पहले ९ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान निर्यात, जिनका अन्तिम योग २३४३ करोड़ रु० ठहरता है, गत वर्ष की उसी अवधि के निर्यातों की अपेक्षा ३८.५ प्रतिशत अधिक रहा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आयात

निम्नलिखित तालिका में व्यापक वस्तु समूहों में १९७२-७३, १९७३-७४ तथा अप्रैल-सितम्बर, १९७४-७५ (१९७३-७४ के तुलनात्मक आंकड़ों सहित) में हुए आयात दिए गए हैं—

(मूल्य करोड़ रु० में)

वस्तु	१९७२-७३	१९७३-७४	अप्रैल-सितम्बर	
			१९७३	१९७४
खाद्यान्न	८०.८	४७३.१	१३१.४	२५२.१
रुई	९०.९	५२.०	३२.८	१४.१
रासायनिक तत्व और योगिक	९१.४	१०५.३	४४.५	६६.४
निर्मित उर्वरक	९६.३	१६२.२	५३.७	१३७.३
अपरिष्कृत पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद	२०४.०	५६०.३	१५२.६	५८६.५
लोहा तथा इस्पात	२२५.६	२४२.६	१०४.७	१६३.५
अलौह धातुएं	१०९.१	१३९.६	६१.६	८४.२
मशीनें	४३२.०	५४०.४	२४४.५	२७२.०
परिवहन उपस्कर	१००.१	८८.४	४०.१	४६.८
आयातों का कुल योग	१८६७.४	२९२०.९	१११.७	१९३३.०

अप्रैल-सितम्बर, १९७४ के दौरान सभी क्षेत्रों से होने वाले भारतीय आयातों में वृद्धि हुई। एशिया तथा पूर्व यूरोप से होने वाले आयातों में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। एशियाई क्षेत्र हमारा प्रमुख सप्लायर रहा। अप्रैल-सितम्बर, १९७४ में हुए कुल आयातों का ४३ प्रतिशत आयात इस क्षेत्र से किया गया जबकि १९७३ की इसी अवधि के दौरान यहां से ३० प्रतिशत का आयात हुआ था। तेल की ऊंची कीमतों की वजह से ईरान, इराक तथा सऊदी अरब से होने वाले आयात काफी अधिक रहे। जापान तथा आस्ट्रेलिया से भी आयातों में वृद्धि हुई। उसके बाद पश्चिमी यूरोप दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है जहाँ से कुल आयातों का २०.८ प्रतिशत हुआ। गेहूं, उर्वरक तथा मशीनों की बहुत अधिक खरीदारियां करने के फलस्वरूप सं० रा० अमरीका से किए जाने वाले आयात दुगने से भी अधिक अर्थात् ४८३ करोड़ रु० हो गए। पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र से होने वाले आयात २० प्रतिशत तक अधिक रहे। इनमें से अधिकांश आयात यूरोपीय साझा बाजार के देशों से हुए जो १९७३-७४ में ६८३ करोड़ रु० मूल्य के ठहरते हैं। इस प्रकार इनमें १८.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन देशों से मशीनें, लोहा तथा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, बहुमूल्य नगीने तथा परिवहन उपस्कर की अधिक सप्लाईयां आयातों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी थीं। पूर्व यूरोपीय देशों से आयात

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

७० प्रतिशत तक बढ़कर ३९३ करोड़ रु० के हो गए। अफ्रीका क्षेत्र से आयात १९७३-७४ में १६७ करोड़ रु० के हुए जो केवल कुछ अधिक थे। स्वदेश में ही संतोषजनक सप्लाइयों के कारण सूडान से, जो कि उस क्षेत्र में प्रमुख व्यापारिक पार्टनर है, रुई के आयात काफी कम हो गए। कीनिया तथा जाम्बिया से होने वाले आयात मुख्यत: अधिक मात्रा में तांबा आ जाने की वजह से अधिक रहे।

१९७३-७४ तथा अप्रैल-दिसम्बर, १९७४ के दौरान भारत का महीनेवार आयात तथा निर्यात

(मूल्य करोड़ रु० में)

महीना	आयात		निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	
	१९७३-७४	१९७४-७५	१९७३-७४	१९७४-७५
अप्रैल	१६१.७७	३३०.९६	१४४.८६	१७५.९६
मई	१६३.६४	३००.८९	१७३.५९	२१३.६६
जून	१८०.६४	३४२.२२	१४१.७९	२५३.६७
जुलाई	२०१.५९	३५६.७६	१९९.९६	३११.४४
अगस्त	२०४.२८	२७०.४०	१९१.४२	३०७.७२
सितम्बर	२०२.५६	३२८.७१	२२३.१२	२५२.१९
अक्तूबर	२१४.६८	२३०.०१	२०३.९०	२३६.३१
नवम्बर	२६७.१६	३३९.५७	२०९.४८	२७५.८०
दिसम्बर	२६१.९५	४२५.६४	२०३.१०	३१८.२२
जनवरी	३५०.१५	—	२२४.५४	—
फरवरी	३३६.७५	—	२२७.३२	—
मार्च	३७४.९४	—	३४०.१४	—
योग	२९२०.९०	—	२४८३.२२	—

भारत की राजधानी से
हिन्दी, उर्दू और पंजाबी तीन भाषाओं में
पृथक पृथक प्रकाशित होने वाला प्रगतिशील साप्ताहिक

-एक नजर-

अवश्य पढ़ें
हरियाणा एवं पंजाब सरकारों द्वारा
स्कूलों तथा पुस्तकालयों एवं
विज्ञापनों के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत

वार्षिक चन्दा
रु० 15.00

आजीवन चन्दा
रु० 225.00

सम्पर्क स्थापित करें

एक नजर कार्यालय, सन्त निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २५ :

बजट १९७५-७६

वित्तमंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने २८ फरवरी १९७५ को लोकसभा में १९७५-७६ का बजट पेश किया जिसमें २३९ करोड़ रु० के नए कर लगाए गए। इस प्रकार ४६४ करोड़ रुपये का घाटा कम होकर २२५ करोड़ रु० रह जाएगा। नए कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप कपड़ा, चीनी, तम्बाकू, चाय, सीमेंट, पेट्रोल आदि के मूल्य में वृद्धि होगी इसके साथ ही एयर कण्डीशनरों, पैकिंग और रैपिंग पेपर, बिजली के तार, सेफ, स्ट्रौंग बाक्स, शृंगार प्रसाधन सामग्री आदि पर भी कर बढ़ाए गए।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सवाल है, गैर कम्पनी क्षेत्र में आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किन्तु मध्यम वर्ग के उन परिवारों को, जिन के बच्चे चिकित्सा, इंजीनियरी तथा अन्य तकनीकी विषयों में ग्रेजुएट अथवा पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उन्हें आयकर में प्रति बालक एक हजार रुपये की छूट दी गई है। किन्तु यह सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिनकी वार्षिक आमदनी १२ हजार रुपए से अधिक नहीं है। यह रियायत दो बालकों तक दी जाएगी। १९७५-७६ के बजट में खाद और ऊर्जा कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि क्षेत्र में ४० प्रतिशत और उर्वरक उत्पादन में पूंजी के निवेश में ५० प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

उत्पादन वृद्धि और बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। पूंजी बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए लाभांश की घोषणा पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दी जाएगी। राजस्व में आगामी वर्ष में १०,३०४ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है, जब कि खर्च पर १०,७६८ करोड़ रु० का अनुमान है। यह पहला वर्ष है जबकि बजट की राशि दस हजार करोड़ रुपये से ऊंची गई है। प्रतिरक्षा की मद में ११७ करोड़ रु० अधिक खर्च होगा। आगामी वर्ष के लिए २,२७४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि पिछले साल २.१५७ करोड़ रु० रखा गया था। वित्तमन्त्री ने फलों के बागानों को छोड़कर कृषि भूमि पर उगे वृक्षों के मूल्य को सम्पदाकर से छूट दी है। इस समय कृषि भूमि पर उगे वृक्षों को सम्पदा कर से छूट नहीं थी। आयातित कारों के सम्बन्ध में जो २८ फरवरी १९७५ के बाद प्राप्त की जाएगी, मूल्य ह्रास छूट नहीं दी जाएगी। पर देश में बनी कारों के सम्बन्ध में चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, पूरे मूल्य ह्रास की छूट देने का प्रस्ताव है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बजट-एक नजर में

(करोड़ रुपए)

	संशोधित अनुमान १९७४-७५	बजट अनुमान १९७५-७६		संशोधित अनुमान १९७४-७५	बजट अनुमान १९७५-७६
	राजस्व प्राप्तियां			**राजस्व खाते के भुगतान**	
कर-प्राप्तियां	६१२८	६५५२	सामान्य सेवाएं	१५३८	१७८९
		+२८८*	रक्षा सेवाएं	१९५२	२०३६
घटाइये—			सामाजिक और		
कर-राजस्व में			सामुदायिक		
राज्यों का हिस्सा	१२२४	१३३३	सेवाएं	४२६	४८२
		+४९*	आर्थिक सेवाएं	८०२	९५६
केन्द्र का निवल			राज्यों आदि को		
	—	—	सहायक अनुदान	११४२	१२२८
कर राजस्व	४९०४	५२१९		—	—
		+२३९*	जोड़-राजस्व खाते		
	—	—	के भुगतान	५८००	६४९१
कर-भिन्न				—	—
राजस्व	१५८१	१६५६	राजस्व अधिशेष	६२५	३८४
	—	—		—	+२३९*
जोड़-केन्द्र का				—	—
राजस्व	६४८५	६८७५			
		+२३९*			
	पूंजी प्राप्तियां			**पूँजी भुगतान**	
ऋण-अदायगी	१२३०	१३९५	सामान्य सेवाएं	१८	२१
बाजार-ऋण			रक्षा सेवाएं	२०५	२३८
(निवल)	५९५	३२५	सामाजिक और		
विदेशी ऋण			सामुदायिक		
(निवल)	५९५	६१३	सेवाएं	५१	६१
अन्य प्राप्तियां	६७७	१०९६	आर्थिक सेवाएं	१२८१	१२१३
	—	—	ऋण और		
जोड़-पूंजी			अग्रिम	२६९२	२७४४
प्राप्तियां	२९९७	३४२९	जोड़-पूंजी		
कुल प्राप्तियां	९४८२	१०३०४	भुगतान	४२४७	४२७७
		+२३९*		—	—
	—	—	कुल भुगतान	१०१०७	१०७६८
कुल घाटा	६२५	४६४		—	—
		—२३९*			
		२२५			

* बजट प्रस्तावों का असर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस समय वेतन पाने वाले करदाताओं के सम्बन्ध में आयकर से छूट की कुछ सीमाएं लागू हैं, जिनका सम्बन्ध मकान किराए, भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायतों से है। छूट की इन सीमाओं को उदार बनाया जा रहा है। विदेशों में काम कर रहे भारतीय तकनीशियनों को भी कुछ कर राहत देने का प्रस्ताव है। वित्तमन्त्री ने कहा कि सरकारी भविष्य निधियों से बार-बार रकम निकाली जाती है। अतः उन सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए जो वर्ष के दौरान अपनी भविष्य निधि से कोई रकम नहीं निकालते उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक बोनस योजना लागू करने का निश्चय किया गया है। यह बोनस किसी वर्ष के दौरान किए गए अंशदान पर दिया जाएगा और ५०० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में ३ प्रतिशत की दर से और ५०० रु० से अधिक पाने वाले कर्मचारियों के मामले में एक प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। कम्पनी बचतों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की ओर मोड़ने के लिए घरेलू कम्पनियों को उवर्रकों, कीड़े मारने की दवाओं, कागज और सीमेंट का उत्पादन करने वाली नई कम्पनियों से प्राप्त होने वाले अन्तर-कम्पनी लाभांश को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

कर-प्रस्ताव एक नजर में

वित्तमन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ने १९७५-७६ के बजट में जो कर लगाए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं। चीनी पर उत्पादन शुल्क ३० प्रतिशत से बढ़ाकर ३७½ प्रतिशत कर दिया गया। यह खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर लागू होगा। इससे ३०.२५ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। सभी खण्डसारी इकाइयों पर अब सामान्य रूप से १७½ प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगेगा। इससे १९.६० करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

खुली चाय पर शुल्क १० से बढ़ाकर १५ पैसे कर दिए गए हैं। निर्यात की चाय पर कुछ रियायत कर दी गई है। कुल मिलाकर इससे ३.४० करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सीमेंट पर बुनियादी शुल्क ३० प्रतिशत से बढ़ाकर ३५ प्रतिशत कर दिया गया है। इससे १५.९५ करोड़ रु० अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मोटर स्पिरिट पर शुल्क में १० पैसे प्रति लिटर की वृद्धि की गई है। फरनेस आयल पर ३ पैसे प्रति लिटर से कुछ कम शुल्क वृद्धि की गई है। पैट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क वृद्धि से २६ करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। वाणिज्य ग्रेड में अल्यूमिनियम पर उत्पादन शुल्क में २ हजार रु० प्रति टन की वृद्धि की गई है। इससे १५ करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९७५-७६ का बजट

होने वाली कुल आय

भिन्न-भिन्न से प्राप्तियां		भिन्न-भिन्न में व्यय	
उत्पादन शुल्क	२७%	योजना	३४%
सीमा शुल्क	१२%	विकास कार्य	२१%
निगम कर	७%	रक्षा	२१%
आयकर	२%	राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को वैधानिक तथा अन्य हस्तांतरण	६%
आयकर	२%	अन्य व्यय	७%
गैर कर राजस्व	१६%		
ऋणों की वापसी	१३%		
बाजार से प्राप्त ऋणों, छोटी बचत, भविष्य निधि	८%		
बाह्य ऋण	६%		
अन्य प्राप्तियां	५%		
घाटा	२%		

बजट की एक झलक

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व		पूंजीगत		कुल घाटा
	आय	व्यय	आय	व्यय	
१९७४-७५ बजट	५६४०	५४०८	३०९९	३४५७	१२६
१९७४-७५ संशोधित	६४८५	५८६०	२९९७	४२४७	६२५
१९७५-७६ बजट	६८७५	६४९१	३४२९	४२७७	*४६४

इस वर्ष लगाये गये अतिरिक्त कर	२३९
पूरा न होने वाला घाटा	२२५
*कुल घाटा	४६४

अनिर्मित तम्बाकू पर ३ रु० प्रति किलो उत्पादन शुल्क लगाया गया है। मशीनों से बनी बीड़ी पर उत्पादन शुल्क ३.६० रु० से बढ़ाकर ४.६० रु० प्रति हजार कर दिया गया है। खाने वाले तम्बाकू जिनके ब्राण्ड नाम हैं, तथा नसवार पर १० प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। सिग्रेट पर उत्पादन शुल्क में ५ प्रतिशत वृद्धि की गई है। तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों पर शुल्क वृद्धि तथा युक्तिकरण के परिणामस्वरूप २६.२२ करोड़ रु० का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेयन व सिंथेटिक यार्न पर शुल्क में वृद्धि की गई है। टेक-सचर्ड यार्न पर २० रु० प्रति किलो का नया शुल्क लगाया गया है। सुपर फाइन तथा फाइन सूती धागे पर भी शुल्कों में वृद्धि की गई है।

हथकरघों के उन सभी एककों पर जिनमें से प्रत्येक में ५० से कम बिजली चालित करघे हों, बिजली चालित करघों पर कम्पाउण्ड लेवी को बढ़ाकर २०० रुपया प्रति करघा प्रति वर्ष बुनियादी शुल्क कर दिया गया है। सेफ, स्ट्रांग बाक्स और ऐसी वस्तुओं के शुल्क की मूल्यानुसार दर को १० प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया गया। एयर कंडीशनरों और उनके हिस्सों, शृंगार और प्रसाधन सामग्री और ऐसी अन्य वस्तुओं के शुल्क में वृद्धि करने के प्रस्तावों के संयुक्त परिणाम के तौर पर राजस्व में ७.६५ करोड़ रु० की वृद्धि होने की सम्भावना बनी है।

सिंथेटिक आर्गेनिक डाई स्टफ और सिंथेटिक आर्गेनिक डेरीवेटिव्ज, चीनी मिट्टी के सामान, पोर्सिलेन के सामान और कांच तथा कांच के सामान पर, प्रयोगशाला में काम आने वाले कांच के सामान को छोड़कर, लगने वाले प्रभावी शुल्क में ५ प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है। चीनी के सामान और पोर्सिलेन के सामान के छोटे पैमाने के निर्माताओं को शुल्क में रियायत देने के मौजूदा आधार में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है, लेकिन यह परिवर्तन १ अप्रैल १९७५ से लागू होंगे। सिंथेटिक आर्गेनिक डाईस्टफ, कांच और कांच के सामान, चीनी मिट्टी के सामान और पोर्सिलेन के सामान के सम्बन्ध में प्रस्तावों से १०.२० करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

रैपिंग पेपर, पल्पबोर्ड और डुप्लेक्स तथा ट्रिप्लेक्स बोर्डों पर लगने वाले शुल्क की दर को ८० पैसे प्रतिकिलोग्राम से बढ़ाकर १.२० प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है। इससे ९.८० करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ग्रामोफोनों, रिकार्ड प्लेयरों, टेप रिकार्डरों, स्थायी चुम्बकों, गाड़ियों के टायरों, मोटर गाड़ियों के हिस्सों, बूल टाप्स के सम्बन्ध में शुल्क दरों का मुक्तिकरण करने और छूट अधिसूचित करने, साबुन के उत्पादन में चावल की भूसी के तेल और माइनर आयल के इस्तेमाल के लिए और वनस्पति उत्पादों के उत्पादन के लिए, बिनौले के तेल के इस्तेमाल के लिए रियायतों का प्रस्ताव किया गया है।

३३ करोड़ रुपए की छूट

अप्रैल मास में वित्तमन्त्री ने १९७५-७६ के बजट प्रस्तावों में ३३ करोड़ रु० छूट की घोषणा की। इस तरह बजट का घाटा बढ़कर अब २५८ करोड़ रुपए का होगा। जिन वस्तुओं के बारे में कर प्रस्तावों में संशोधन किए गए हैं वे हैं, खण्डसारी चीनी, तम्बाकू, रेयन, कृत्रिम धागे, तैयार धागे, ई० सी० ग्रेड, अल्युमिनियम, खींची हुई सिनेमा फिल्में तथा ध्वनि प्रसार यन्त्रों का निर्माण करने वाली लघु उद्योगों की इकाइयां। किताबों, छोटे अखबारों, खेलकूद के सामानों, खादी, ग्रामीण उद्योगों तथा हस्तकला की वस्तुओं को भी समान रूप से एक प्रतिशत छूट दी गई है।

करों में कुछ रियायतें पशुपालन, मुर्गीपालन और दुग्ध उत्पादन से होने वाली आय पर भी दी जा रही है। गैर बैंकिंग तथा गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा उनको प्राप्त होनेवाली जमा राशियों पर दिए जाने वाले केवल ८५ प्रतिशत ब्याज को कर के मामले में छूट योग्य खर्च माना जाएगा। खण्डसारी चीनी पर मिश्रित लेवी योजना जो १ मार्च १९७५ से हटा ली गई थी, उसे अब दो संशोधनों के साथ फिर से लागू किया गया है। जनवरी १९७६ से पहले स्वीकृत होने वाले ग्रेच्युटी फण्ड में जो रुपया हस्तान्तरित किया जाएगा उस पर कर्मचारी कर में छूट की मांग कर सकते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"राज्य प्रशासन गरीब और धनी के बीच गरीब का, शोषित और शोषक के बीच शोषित का और साम्प्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता के बीच धर्म निरपेक्षता का पक्ष लेगा।"

—हेमवतीनन्दन बहुगुणा
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

उक्त विचारों को कार्यान्वित करने की दिशा में सक्रिय है :—

उत्तर प्रदेश शासन

* उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां,मुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, १९७४ लागू जिसके फलस्वरूप उक्त वर्ग के १७ लाख परिवार महाजनों के चंगुल से मुक्त हो जायेंगे।

* हरिजनों और जन जातियों के लिये पुलिस विभाग, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की राजकीय सेवाओं में ५०% स्थान आरक्षित।

* हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियों में वृद्धि।

* समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही।

* तस्करी रोकने के लिये प्रदेश भर में चौकियों की स्थापना।

* राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते, मकान भत्ते आदि में पर्याप्त वृद्धि।

* राज्य कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उसके निकटतम सम्बन्धी को सरकारी सेवा में लगाने की व्यवस्था।

* ५४ लाख से अधिक खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित नये वेतनमान विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों में लागू।

* औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु पांच चीनी मिलों, आठ कताई मिलों आदि अनेक नये उद्योगों की स्थापना।

सामाजिक विषमता को दूर करने की दिशा में,
ये हैं उत्तर प्रदेश शासन के कतिपय नये संकल्पी पग।

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २६ :

भारत : जन-सांख्यिकी विवरण

सम्पूर्ण भारत की जनगणना १० मार्च १९७१ को प्रारम्भ होकर ३ अप्रैल १९७१ को समाप्त हुई। जनगणना कार्य में १२ लाख ५० हजार व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रश्न-सूचियां

इस जनगणना में आंकड़े एकत्र करने के लिए चार प्रकार की प्रश्न-सूचियां तैयार की गईं। पहली थी मकान सूची, जिसमें देश के समस्त मकानों का ब्यौरा एकत्र किया गया—जैसे, मकान किस चीज के बने हैं, रिहायशी हैं या दुकान या कारखाने आदि के लिये इस्तेमाल होते हैं, कितने लोग उनमें रहते हैं और उनका क्षेत्रफल आदि कितना है। यह सूची १९६१ की जनगणना के समय भी प्रयुक्त हुई थी। दूसरी सूची में उन मकानों का विवरण देना था जिनमें कोई कारखाना या व्यवसाय होता हो। वास्तव में यह सूची पहली सूची की पूरक थी। यह सूची पहली बार १९७१ की जनगणना में प्रयुक्त हुई। तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण सूची व्यक्तियों सम्बन्धी थी। इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। यह सूची ही जनगणना का आधार है, क्योंकि इसमें एकत्र आंकड़ों से ही स्पष्ट होता है कि देश में कितने पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे हैं, कितने विवाहित, अविवाहित या शिक्षित अथवा अशिक्षित हैं। इसी सूची से यह भी पता चलता है कि लोग क्या-क्या काम करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, किन-किन धर्मों के अनुयायी हैं, किस भाषा वर्ग के हैं और कहां के रहने वाले हैं। यह सूची सदा से जनगणना का आधार रही या यह समझ लीजिए कि इसके बिना जनगणना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चौथी सूची में जनसंख्या का लेखा है जो विभिन्न परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में मुख्य-मुख्य बातें प्रस्तुत करती है। इस सूची में पहली तीनों सूचियों के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

भू-क्षेत्र और जनसंख्या

विश्व के भू-क्षेत्र का भारत केवल २.४ प्रतिशत है, किन्तु भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का १५ प्रतिशत है। विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग ३७१ करोड़ है। भारत से अधिक जनसंख्या केवल चीन की है। उसकी जनसंख्या लगभग ७५ करोड़ है। १९६१ में भारत की जनसंख्या ४३,९२,३५,०८२ थी जबकि १९७१ की जनगणना के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुसार यह बढ़कर ५४,७३,६७,९२६ हो गई है। भारत का क्षेत्रफल ३२,६८,०८० वर्ग किलोमीटर एलं आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर १४८ है।

पहली अप्रैल, १९७१ तक भारत की जनसंख्या ५४,७३,६७,९२६ थी जो पिछली दशाब्दी की जनसंख्या वृद्धि को २४.६६ प्रतिशत प्रदर्शित करती है जबकि यह वृद्धि १९५१-६१ की दस वर्षों की अवधि में २१.६४ प्रतिशत थी। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से अब तक की जनसंख्या, उसकी प्रति दशाब्दी में वृद्धि, इस वृद्धि के प्रतिशत और इस प्रतिशत के निरन्तर बढ़ते हुए आंकड़ों पर एक नजर डाल लेने से ही स्थिति प्रकट हो जाती है। १९०१ में भारत की जनसंख्या २३,८३,३७,३१३ थी जो १९११ में २५,२०,०५,४७० हो गई और इस प्रकार दस वर्ष की अवधि में १३,६६८,१५७ की वृद्धि हुई जो ५.७३ प्रतिशत बैठती है। १९११ से १९२१ के बीच जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर कम हो गई किन्तु १९२१ और १९३१ के बीच ११ प्रतिशत बढ़ कर २७,८८,६७,४३० हो गई। १९३१ से १९४१ तक वृद्धि १४ प्रतिशत होकर जनसंख्या ३१,८५,३९,९६० तक पहुँच गई और १९४१-५२ में जनसंख्या १३·३१ प्रतिशत के हिसाब से ३६,०९,५०,३७५ पर जा टिकी। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि केवल पचास वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी से भी अधिक हो गई है।

यदि यही हाल रहा तो वर्तमान शती समाप्त होते-होते भारत की जनसंख्या शती के प्रारम्भ की लगभग चार गुनी हो जाएगी। इस समय (१९७५) भारत की जनसंख्या पूरे यूरोप की जनसंख्या (५१३,६४२,०००) से और दोनों अमेरिका की जनसंख्या (४९९,३९८,०००) से अधिक है तथा यह अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या से ५२ प्रतिशत अधिक है एवं रूस की जनसंख्या (२९६,४२०,०००) की लगभग दुगनी है।

पिछली दशाब्दियों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि का विश्लेषण संक्षेप में कर लेना उचित होगा। १९२१ का वर्ष 'दि ग्रेट डिवाइड' कहा गया है क्योंकि उससे पहले भारत की आबादी कुछ धीरे-धीरे अनियमित रूप से बढ़ी थी तथा उसके बाद से यह वृद्धि लगातार और तेजी से होने लगी। इससे पहले १८९१ से १९०१ तक का समय भयंकर अकाल का समय था जिससे आबादी बिल्कुल बढ़ी ही नहीं थी और १९०१ से १९११ तक आबादी की वृद्धि केवल ५.७३ प्रतिशत हुई।

इसके पश्चात १९११ से १९२१ का समय आबादी न बढ़ने का रहा क्योंकि १९१८-१९ में इन्फ्लुएन्जा का प्रकोप रहा और बाद के तीस वर्षों में (१९२१-५१) वृद्धि लगभग उत्तरोत्तर होती रही जो कुल मिलाकर ४४ प्रतिशत तक पहुंच गई क्योंकि इस दौरान किसी अकाल या महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। फिर अगले दस वर्षों (१९५१-६१) मे यह प्रतिशत एक-दम २१.६४ हो गया जिससे जनसंख्या में लगभग ८ करोड़ की वृद्धि हो गई। यह वृद्धि प्रतिशत और बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप १९७४ में भारत की जनसंख्या लगभग ६० करोड़ पर पहुंच गई।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जन्मदर व मृत्युदर

भारत में १९०१-११ में जन्मदर ४९.२ प्रति हजार एवं मृत्यु दर ४२.६ प्रति हजार, १९११-२१ में ४८.१ प्रति हजार एवं ४७·२ प्रति हजार, १९२१-३१ में ४६.४ प्रति हजार एवं ३६.३ प्रति हजार, १९३१-४१ में ४५.२ प्रति हजार एवं ३१.२ प्रति हजार, १९४१-५१ में ३९.९ प्रति हजार एवं २७.४ प्रति हजार तथा १९५१-६१ में ४७.७ प्रति हजार, एवं २२.८ प्रति हजार थे।

इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत १९२१ के बाद 'डैमोग्राफिक संक्रांति' के प्रथम चरण में प्रवेश कर गया जिससे जन्मदर लगभग वही रही और मृत्युदर लगातार कम होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और विशेषतया स्वतंत्रता के पश्चात सफाई, आवागमन, आधुनिक दवाइयों, मलेरिया उन्मूलन आदि साधनों ने मृत्युदर को कम करने में विशेष योग दिया है। इस प्रकार मृत्यु-दर की अपेक्षा जन्मदर अधिक होने से जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि ही होती जाएगी।

उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य

उत्तर प्रदेश (८ करोड़ ८३ लाख आबादी वाला) देश का सबसे बड़ा राज्य रहा। बिहार का स्थान दूसरा रहा। इसकी आबादी ५ करोड़ ६४ लाख और इसके बाद महाराष्ट्र की आबादी ५ करोड़ ३ लाख रही। १९६१ की जनगणना के समय भी इन्हीं तीनों राज्यों को पहले तीन स्थान प्राप्त थे। ४ करोड़ ४४ लाख की आबादी वाला पश्चिम बंगाल, जो १९६१ में पाचवें स्थान पर था, आंध्र प्रदेश को अपने स्थान से हटाकर चौथे स्थान पर पहुँच गया और अब आंध्र प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला पांचवां राज्य है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश (४ करोड़ १५ लाख) सातवें स्थान से १९७१ की जनगणना में छठे स्थान पर आ गया है। अन्य राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों का क्रमोवेश वही स्थान रहा, केवल असम ही इसका अपवाद है जिसकी आबादी में वृद्धि हुई और जो चौदहवें स्थान से तेरहवें स्थान पर हो गया है। दिल्ली की भी आबादी बढ़ी है और यह १९६१ की जनगणना में अठारहवें स्थान के बजाय सत्रहवें स्थान पर पहुंच गया है। अब इसकी आबादी हिमाचल प्रदेश (३४ लाख) से भी अधिक हो गई है।

जिन राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों की आबादी में देश के औसत से अधिक दर से वृद्धि हुई, उनमें गोवा, दमन और दीव हैं। इनकी आबादी की वृद्धि की दर ६०० प्रतिशत से अधिक रही अर्थात् पिछले दशक की तुलना में छह गुना से अधिक तेजी से आबादी बढ़ी। इसके बाद आते हैं—जम्मू और कश्मीर (२१४ प्रतिशत), नागालैंड (१८२ प्रतिशत), लकादीव, मिनिकाय और अमीनीदीवी द्वीपसमूह (११८ प्रतिशत), तमिलनाडु (८६ प्रतिशत), पांडिचेरी (६७ प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (३२ प्रतिशत), उड़ीसा (२६ प्रतिशत), मेघालय (२६ प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (१८ प्रतिशत), मध्य प्रदेश (१६ प्रतिशत) और महाराष्ट्र (१५ प्रतिशत)। जिन राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों की आबादी की वृद्धि की दर में १९६१-७१ के दशक में इससे पहले दशक की तुलना में कम दर से वृद्धि हुई, उनमें चंडीगढ़ (-७१ प्रतिशत), त्रिपुरा (-५४ प्रतिशत) और दादरा तथा नगरहवेली (-२९ प्रतिशत) आते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्त्री-पुरुष अनुपात

जनगणना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आबादी में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या निरन्तर अधिक रही है। इस समय स्त्री-पुरुषों का अनुपात प्रति १,००० पुरुषों से पीछे ९३२ स्त्रियों का है। यह बात इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि प्राय: प्रत्येक आयु वर्ग में यह अंतर कई दशकों से बना हुआ है। यद्यपि इस असमानता का कारण पूरी तरह समझाया नहीं जा सका है, पर जनगणना अधिकारियों का कहना है कि निम्न कारणों से ऐसा हुआ है: (१) लड़कों का अधिक पसन्द किया जाना और परिणामस्वरूप लड़कियों के प्रति उपेक्षा भाव; (२) लड़कियों की मृत्यु दर अधिक होना, और (३) माताओं की अधिक संख्या में मृत्यु।

जिन राज्यों में प्रति १,००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक है, वे हैं— केरल (१,०१९) और दादरा तथा नगरहवेली (१,००७) हैं। १९६१ की जनगणना तक उड़ीसा में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी (१,००१), लेकिन अब पुरुषों की संख्या अधिक हो गई है। अब उड़ीसा में प्रति १,००० पुरुषों के पीछे ९८९ स्त्रियाँ हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि केरल में अभी भी स्त्रियों का अनुपात अधिक है पर यह निरन्तर घटता जा रहा है। १९६१ में केरल में १,००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या १,०२२ थी।

साक्षरता

प्राथमिक शिक्षा के निरन्तर और विशाल पैमाने पर विस्तार के कारण तथा अनेक साक्षरता अभियानों के फलस्वरूप १९७१ में साक्षरता का प्रतिशत २९.३५ हो गया जबकि १९६१ में यह २४ ०३ था। १९७१ में स्त्री साक्षरों का प्रतिशत १८.४७ रहा जबकि १९६१ की जनगणना के समय यह १२.९५ था। साक्षरता के क्षेत्र में जो सफलता मिली है, वह अधिक नहीं है क्योंकि तेजी से आबादी की वृद्धि ने देश के समस्त लोगों को साक्षर बनाने के प्रयास को और अधिक कठिन बना दिया है।

साक्षरता में चंडीगढ़ का पहला स्थान हो गया है। जबकि १९६१ में यह दूसरे स्थान पर था। अब केरल ने यह दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। सन् १९६१ की जनगणना के समय दिल्ली में सर्वाधिक साक्षरता थी, लेकिन अब यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले केरल तीसरे स्थान पर था। गोआ के लिए यह प्रशंसा का विषय है कि वह सातवें स्थान से अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनीदीवी द्वीप समूह का केन्द्रशासित क्षेत्र जो १९६१ में पन्द्रहवें स्थान पर था, अब छठे स्थान पर आ गया है। यद्यपि अन्य राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों का पहले जैसा ही नीचा स्तर बना हुआ है, लेकिन उड़ीसा १९६१ के सोलहवें स्थान से इक्कीसवें स्थान पर पहुंच गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत में कितने नर और कितने नारी ?

राज्य	कुल आबादी	पुरुष	स्त्री
आंध्रप्रदेश	४३,३९४,९५१	२१,९४४,८२६	२१,४५०,१२५
असम	१४,९५२,१०८	७,८६३,७२५	७,०८८,३८३
बिहार	५६,३३२,२४६	२८,७९७,२३८	२७,५३५,००८
गुजरात	२६,६८७,१८६	१३,७८७,२४०	१२,८९९,९४६
हरियाणा	९,९७१,१६५	५,३१७,१४९	४,६५४,०१६
हिमाचल प्रदेश	३,४२४,३३२	१,७३५,१०६	१,६८९,२२६
जम्मू-कश्मीर	४,६१५,१७६	२,४५२,६६१	२,१६२,५१५
केरल	२१,२८०,३९७	१०,५३८,८७३	१०,७४१,५२४
मध्यप्रदेश	४१,६५०,६८४	२१,४३८,८६४	२०,२११,८२०
महाराष्ट्र	५९,३३५,४९२	२६,०५४,२३२	२४,२८१,२६०
कर्नाटक	२९,२६३,३३४	१४,९४०,६६१	१४,३२२,६७३
नागालैंड	५१५,५६१	२७५,३५९	२४०,२०२
उड़ीसा	२१,९३४,८२७	४४,०२८,०३६	१०,९०६,७९१
पंजाब	१३,४७२,९७२	७,१९२,३०५	६,२८०,६६७
राजस्थान	२५,७२४,१४२	१३,४४२,०५६	१२,२८२,०८६
तमिलनाडु	४१,१०३,१२५	२०,७७२,५४९	२०,३३०,५७६
उत्तर प्रदेश	८८,३६४,७७९	४६,९२२,८१२	४१,४४१,९०७
पश्चिम बंगाल	४४,४४०,०९५	२३,४८८,२४४	२०,९५१,८५१
अण्डमान निकोबार	११५,०९०	७०,००५	४५,०८५
चंडीगढ़	२५६,९७९	१४६,८८८	११०,०९१
दादरा एवं नागर हवेली	७४,१९५	३३,९४९	३७,२१७
दिल्ली	४०,६५,६९८	२,२४४,२१०	१,८००,०४८
गोवा, दमन तथा दीव	८५७,१८०	४३१,०२६	४२६,१५४
लक्षद्वीप, मिनीकाय तथा अमीन दीव द्वीप समूह	३१,७९८	१६,०६२	१५,७३६
मणिपुर	१,०६,५५५	५३९,१०१	५३०,४५४
मेघालय	९८३,३३६	५०३,३५१	४७९,९८५
नेफा	४४४,७४४	२३३,१५४	२११,५९०
पांडिचेरी	४७१,३४७	२३६,८५०	२३४,४९७
त्रिपुरा	१,५५६,८२२	८०२,५०९	७५४,३१३
सिक्किम	२०८,६०९	—	—
मिजोरम	३,३२,३९०	—	—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत में साक्षरता : १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर लोगों की संख्या १६०,५०८,६५४ (अर्थात् २९.३५ प्रतिशत) है। इनमें १११,७७७,७७२ पुरुष तथा ४८,७३०,८८२ स्त्रियां हैं।

भारत में राज्यवार साक्षरों का वरीयता के अनुसार प्रतिशत

क्रम संख्या	केन्द्र शासित तथा अन्य क्षेत्र	१९७१ में साक्षरों का %	१९६१ में साक्षरों का %	१९६१ में वरीयता क्रम	साक्षारता में % वृद्धि
०	भारत	२९.३५	२४.०३	—	+२२.१४
१	चण्डीगढ़	६१.२४	५१.०६	२	+१९.९४
२	केरल	६१.१६	४६.५८	३	+२८.४१
३	दिल्ली	५६.६५	५२.७५	१	+ ७.३९
४	गोवा, दमन तथा दीव	९९.५३	३०.७५	७	+४४.८१
५	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	४३.४८	३३.६३	५	+२९.२९
६	लक्षद्वीप, मिनीकाय तथा अमीनीदीवी द्वीप समूह	४३.४४	३३.२७	१५	+८६.६८
७	पाण्डिचेरी	४३.३६	३७.४३	४	+१५.८४
८	तमिलनाडु	३९.३९	३१.४१	६	+२५.४१
९	महाराष्ट्र	३९.०६	२९.८२	१०	+३०.९९
१०	गुजरात	३५.७०	३०.४५	८	+१७.२९
११	पंजाब	३३.३९	२६.७३	१३	+२५.८७
१२	पश्चिमी बंगाल	३३.०५	२९.२८	११	+१२.८८
१३	मणिपुर	३२.८०	३०.४२	९	+ ७.८२
१४	कर्नाटक	३१.४७	२५.४०	१४	+२३.९०
१५	हिमाचल प्रदेश	३१.३२	१२.२६	२७	+४७.३२
१६	त्रिपुरा	३०.८७	२०.८४	१९	+५२.५२
१७	असम	२८.७४	२९.१७	१२	+ १.५४
१८	मेघालय	२८.४१	१८.४७	२१	+५६.८२
१९	नागालैंड	२७.३३	१७.९१	२३	+५२.६०
२०	हरियाणा	२६.६९	१९.९३	२०	+३३.९२

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२१	उड़ीसा	२६.१२	२१.६६	१६	+२०.५९
२२	आन्ध्र प्रदेश	२४.५६	१२.१९	१०	+१५.९०
२३	मध्य प्रदेश	२२.०३	१७.१३	२५	+२८.६०
२४	उत्तर प्रदेश	२१.६४	१७.६५	२४	+२२.६१
२५	बिहार	१९.९७	१८.९०	२२	+ ८.५३
२६	राजस्थान	१८.७९	१५.२१	२६	+२३.५४
२७	जम्मू तथा कश्मीर	१८.३०	११.०३	२७	+६५.९१
२८	दादरा तथा नगर हवेली	१४.८६	९.४८	२८	+५६.७५
२९	उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी	९.३४	७.१३	२९	+३१.००

हिन्दुओं की जनसंख्या में गिरावट

१९७१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गत दशाब्दी में जहां हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत में कमी आई है वहां मुसलमानों व ईसाइयों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या में ३०.८५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि हिन्दुओं की जनसंख्या केवल २३.६९ प्रतिशत ही बढ़ी है। ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर भी ३२.६० प्रतिशत रही।

धर्मानुसार जनसंख्या तथा वृद्धि—१९७१

धर्मानुसार वर्ग	जनसंख्या	स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषों के पीछे)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	वृद्धिदर १९६१-७१
हिन्दु (जैन-सिख सहित)	४६६,२७५,५२९	९३०	८२.७२	२३.६९
मुस्लिम	६१,४१७,९३४	९२२	११.२१	३०.८५
ईसाई	१४,२२३,३८२	९८६	२.६०	३२.६०
बौद्ध	३,८१२,३२५	९६२	०.७०	१७.२०
अन्य	२,१८४,५५६	१०११	०.४०	२६.१०
जिन्होंने धर्म नहीं लिखाया	३६,०८३	८६३	०.०१	—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आदिवासी : विभिन्न राज्यों में

१९७१ की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों की कुल जनसंख्या में आदिम जातियों की प्रतिशत जनसंख्या का विवरण ।

(जनसंख्या लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	आदिम जातियों की संख्या	प्रतिशत
राज्य				
१	आंध्रप्रदेश	४३५.०३	१६.५०	३ ८१
२	असम	१४९.५८	१९.२०	१२.८४
३	बिहार	५६३.५३	४९ ३३	८.७६
४	गुजरात	२६६.९७	३७.३४	१३.९९
५	हरियाणा	१००.३७	—	—
६	हिमाचल प्रदेश	३४.६०	१.४२	४.०९
७	जम्मू और कश्मीर	४६ १७	—	—
८	केरल	२१३.४७	२.६९	१.२६
९	मध्यप्रदेश	४१६.५४	८३.८७	२०.१४
१०	महाराष्ट्र	५०४.१२	२९.५४	५.८६
११	मणिपुर	१०.७३	३.३४	३१.१७
१२	मेघालय	१०.१२	८.१४	८०.४३
१३	कर्नाटक	२९२.९९	२.३१	०.७९
१४	नागालैंड	५ १६	४.५८	८८.६१
१५	उड़ीसा	३१९.४५	५०.७२	२३.११
१६	पंजाब	१३५.५१	—	—
१७	राजस्थान	२५७.६६	३१.२६	१२.१३
१८	तमिलनाडु	४११.९९	३.१२	०.७६
१९	त्रिपुरा	१५.६६	४.५१	२८.९५
२०	उत्तरप्रदेश	८८३.४२	१.९९	०.२२
२१	पश्चिम बंगाल	४४३.१२	२५.३३	५.७२
केन्द्र शासित क्षेत्र				
१	अंडमान और निकोबार द्वीप	१.१५	०.१८	१५.५२
२	अरुणांचल प्रदेश	४.६८	३.६९	७९.०२
३	चंडीगढ़	२.५७	—	—
४	दादरा और नगर हवेली	०.७४	०.६४	६६.८९
५	दिल्ली	४०.६६	—	—
६	गोआ, दमन और दीव	८.५८	०.०८	०.९३
७	लक्षद्वीप	०.३२	०.३०	९३.७५
८	पांडिचेरी	४.७२	—	—
	कुल	५४,७९,४९८०९	३,८०,१५,१६२	६.९४

जनजातियों में सभी धर्मावलंबी हैं । सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार ८९.३९ प्रतिशत हिंदू, ४.१९ प्रतिशत विभिन्न आदिम मत, ०.३४ प्रतिशत बौद्ध. ०.२१ प्रतिशत मुस्लिम, ५.५३ प्रतिशत ईसाई तथा ०.३४ प्रतिशत अन्य मतों के अनुयायी हैं ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २७ :

क्रीड़ा

स्वातन्त्र्योत्तर भारत हर क्षेत्र में विकास पथ पर अग्रसर है। हमारा देश जनसंख्या में विश्व में दूसरे नम्बर पर होने पर भी खेलों में अभी विशेष उपलब्धि नहीं कर पाया। गत एशियाई खेलों में हमारी स्थिति निराशाजनक रही। सच तो यह है भारत में खेलों का प्राधान्य क्रम नहीं है। हाकी में कभी हम विश्व-चैंपियन रहे हैं, फुटबाल में एशियाई विजेता रहे हैं, क्रिकेट में हमने कई टैस्ट मैच जीते हैं, एथेलिट में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन सारी सफलताओं को देखते हुए हम गत वर्ष की हार को विजय में नहीं बदल सकते। हार के कारणों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि कौन-सी स्थिति के कारण हमने अवसर खोये हैं और क्यों खोये हैं।

हमारे देश में आधुनिकतम क्रीड़ाशालाओं के निर्माण की प्रबल आवश्यकता है। यद्यपि देश में शारीरिक महाविद्यालयों की स्थापना में रुचि ली जा रही है। पटियाला, ग्वालियर व जालन्धर के शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयों ने अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। हाकी में भारत का मानवर्धन करने वाले सुरजीतसिंह, बलदेवसिंह, हरचरणसिंह, कुलवन्तसिंह, बलवीरसिंह स्टेट कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स जालन्धर की देन हैं। दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन अल्पावधि में किया जाता है। यदि चयन पूर्व हो जाए तो उन्हें अभ्यास का काफी समय मिल सके। अन्तिम समय तक अधर में लटके रहने के निर्णय के कारण हमारे खिलाड़ी ठीक प्रकार से अभ्यास भी नहीं कर पाते। कुश्ती में हमारी ओलम्पिक में हार गद्दों के कारण भी मानी जाती है। अब कहीं जाकर गद्दों का आयात हो पा रहा है। खेल में अब आधुनिकतम विधियों से प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो अर्थाभाव के कारण भी खिलाड़ियों को सामान्य शिक्षण संस्थाएं नहीं जुटा पातीं।

१९७४ में खेलों की प्रमुख उपलब्धियाँ

१९७४ में प्रान्तीय सरकारों की राज्य खेल परिषदों द्वारा विशेष रुचि लेने के समाचार मिले हैं। जनवरी ७४ में राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद में छात्रों में उत्तरप्रदेश व छात्राओं में दिल्ली चोटी पर रहा। राष्ट्रीय बास्कट बाल में सेना व दिल्ली चैम्पियन रहे। बी० एस० एफ डूरण्ड जीतने में सफल रहा। फरवरी में क्राइस्ट चर्च में राष्ट्र मण्डल खेलों में भारत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को चार स्वर्ण पदक, आठ रजत पदक व तीन कांस्य पदक उपलब्ध हुए। इसी मास काठमाण्ड् में सात राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप में भारत पुरुषों में दूसरा व महिलाओं में तीसरा स्थान अर्जित कर पाया। ईस्ट बंगाल की टीम ने रोवर्स फुटबाल टूर्नामेंट में रोवर्स चैम्पियनशिप जीता।

मार्च मास में सेना ने कुश्ती फ्रीस्टाइल चैम्पियनशिप जीती। कुश्ती ग्रीको रोमन चैम्पियनशिप हथिया ली। विश्व कप महिला हाकी प्रतियोगिता में भारत की टीम फाइनल में पहुंचने में असमर्थ रही। अप्रैल में महाभारत केसरी दंगल प्रतियोगिता में पहलवान जगदीश मित्तर ने जयपुर में 'महाभारत केसरी' का खिताब जीता। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में श्रीमती गीताराय ने ३०० में से २९२ निशाने ठीक लगाकर एक नया रिकार्ड कायम किया। राष्ट्रीय तीरअन्दाजी प्रतियोगिता में पश्चिमी बंगाल ने तीरअन्दाजी चैम्पियनशिप जीतने में सफलता प्राप्त की। सीमान्त सुरक्षादल ने स्वर्णकप हाकी पुनः जीती।

मई मास में मोहन बागान ने बीटन कप पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बीटन कप प्रतियोगिता में गतवर्ष भी मोहन बागान ही बाजी जीता था। सतपाल ने रुस्तम-ए-हिन्द कुश्ती प्रतियोगिता में रुस्तम-ए-हिन्द का खिताब जीता। भारत डेविस कप हार गया।

भारत और डेविस कप

१९६४ के बाद से भारत की गिनती दुनिया के प्रमुख टेनिस राष्ट्रों में होने लगी है। १९६४ से लगातार १९७१ तक भारत आठ बार पूर्व क्षेत्र का चैम्पियन रहा। इतना ही नहीं सन् १९६६ से भारत ने चैलेन्ज राउण्ड में पहुंचकर तहलका मचा दिया था। भारत ने ब्राजील को हराकर चैलेन्ज राउण्ड में प्रवेश पाया था। भारतीय टेनिस में श्लाका पुरुष रामनाथन कृष्ण के बल पर ही भारत चैलेन्ज राउण्ड में पहुंचा था। १९७२ में भारत ९ वर्षों में पहली बार पूर्व क्षेत्र का चैम्पियन बनने से रह गया। बंगलौर में हुए अन्तिम दौर के मुकाबले में आस्ट्रेलिया भारत से ५-० से जीत गया। १९७३ में फिर भारत अन्तिम चक्र में आस्ट्रेलिया से पिटा।

१९७४ में न केवल भारत ने आस्ट्रेलिया को पराजित कर अपनी पिछली तमाम हारों का बदला लिया, बल्कि डेविस कप विजेता (१९७३) के स्वप्न को भी पुनः तहसनहस कर डाला। इसके बाद भारत का डेविस कप इतिहास में पहली बार सोवियत रूस से सामना हुआ। अपनी जमीन पर भारत सोवियत रूस को ४-० से हराने में सफल हुआ और एक स्वर्णिम इतिहास बनाने फाइनल में पहुंचा पर वह नजारा ही दूसरा था। हमने बिना हारे ही हार मान ली। भारत ने डेविस कप का फाइनल नहीं खेला और इस वर्ष का खूबसूरत डेविस कप दक्षिण अफ्रीका को उपहार में प्राप्त हो गया। १९७४ साल के डेविस कप इतिहास में यह पहली बड़ी दुर्घटना थी।

जून में इंग्लैण्ड में भारतीय क्रिकेट टीम के ११वें मैच में सरे को दस विकिट से हराया। पर भारत दूसरे दौर में हारा। यहां भारतीय क्रिकेट टीम को हार का ही सामना करना पड़ा। बिबलडन टैनिस में विजय व आनन्द अमृतराज हार गए। जुलाई मास में ओपन टैनिस चैम्पियनशिप में भारत के उत्तम खिलाड़ी अमृतराज

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

केवल चौथा स्थान ही अर्जित कर पाया। भारत के प्राचीन खेल खो-खो प्रतियोगिता का आरम्भ गत कुछ वर्षों से चल रहा है। राष्ट्रीय खो-खा प्रतियोगिता में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की टीमों ने चैम्पियनशिप जीती। दिल्ली बास्केट बाल लीग में सेना की टीम की विजय हुई।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों की कितनी ही छोटी-छोटी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा जिनका महत्व केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हुए भी खेलों के विकास योगदान में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाएगी।

७वें एशियाई खेलों का लेखा जोखा

इस बार तेहरान में सितम्बर १९७४ में ७वीं एशियाई खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। पच्चीस देशों के तीन हजार खिलाड़ी राजनैतिक और राष्ट्रीय मत-भेदों को भूल कर तेहरान में एकत्रित हुये।

इन खेलों की कई विशेषताएं रहीं। आपसी मत-भेदों को भूलकर सोलह वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद चीन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा। भाग लेने वाले पच्चीस देशों में से दस देशों को एक भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हो सका जबकि छः देशों को एक भी पदक नहीं मिला। भारत के योहानन ने स्वर्णिम छलाँग लगाकर विश्व को अचम्भे में डाल दिया। हाकी में भारत को एक बार फिर रजक पदक पर ही सन्तोष कर लेना पड़ा। फुटबाल और वाटरपोलो के हमारे पदक छिन गये। कुश्ती व घूंसेबाजी में हमारे खिलाड़ियों ने आशा से अधिका निराशा दिखाई। हमारे कुछ एथलीटस ने जरूर अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया।

भारत के कर्णसिंह और सुखचैन ने शूटिंग व कुश्ती में दो-दो पदक प्राप्त किये। जापान, ईरान और चीन ने तीन चौथाई से अधिक स्वर्ण पदकों को आपस में बांट लिया।

कुश्ती

भारतीय पहलवानों को प्रशिक्षण और अभ्यास के बिना ग्रीको रोमन प्रतियोगिताओं में उतार कर खेल अधिकारियों ने जिस गलत निर्णय का परिचय दिया वह इन प्रतियोगिताओं के परिणामों में साफ जाहिर होता है। पहले ही राउण्ड में प्रसिद्ध पहलवान सुदेशकुमार की हार के साथ जो निराशा हुई वह अन्य पहलवानों के निम्न-स्तरीय प्रदर्शन के साथ बढ़ती ही गई। नौ भारतीय पहलवानों में से पहले दिन ही पांच पहलवान बुरे अंक प्राप्त कर बैठे और शेष चार पहलवानों पर भी दूसरे दिन की हार ने बुरे अंक लाद दिये। ग्रीको रोमन में भारत के सुखचैन एकमात्र कांस्य पदक प्राप्त कर सके। ग्रीको-रोमन की असफलता ने पहलवानों को कुछ-कुछ निरुत्साहित कर दिया और फ्रीस्टाइल कुश्ती में वह आशानुकूल परिणाम न दिखा सके। स्वर्ण पदकों की आस लगाये खेल प्रेमियों को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा जब उपलब्धि के नाम पर सुखचैन, सतबीर और सतपाल द्वारा जुटाये गये तीन कांस्य पदक ही हाथ लगे। ग्रीको रोमन की बात को अगर भुला भी दें तो फ्री स्टाइल में हमारे पहलवान विपक्षी पहलवानों की अपेक्षा बहुत अधिक कमजोर सिद्ध हुये। इस हार के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बाद सतपाल ने एक खेल समीक्षक को बताया था : विपक्षी पहलवान के साथ लड़ते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे हाथों में जान ही नहीं है। शेष पहलवानों का भी यही हाल था। कुश्ती में ईरान ने तेरह स्वर्ण पदक प्राप्त किये जबकि उनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना स्तरीय नहीं था कि वह इतने स्वर्ण पदकों पर अधिकार कर सकते।

बाक्सिग एवं शूटिंग

सातवें एशियाई खेलों का सातवां पदक भारत को शूटिंग में प्राप्त हुआ। कर्णीसिंह ने २०० में से १८९ सही निशाने साधकर भारत के लिए प्रथम रजत पदक जुटाया। स्टीक शूटिंग में एक कांस्य पदक दिलवाने का श्रेय भी उन्हें ही है। ट्रेप शूटिंग में जापान के हिरोकोई मतसुओका ने १९२ अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में कर्णीसिंह ही एक मात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दो बार पच्चीस में से पच्चीस निशाने साधे। पहले राउंड में वह कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाते तो निश्चय ही वह स्वर्ण पदक प्राप्त कर लेते। भारत की भुवनेश्वरी को 'ट्रेप शूटिंग' में आठवां स्थान प्राप्त हुआ।

इस बार मुक्केबाजी में किस्मत ने भारत का साथ दिया। हमारे तीन मुक्केबाज बाई में रह गये थे इसलिए वह सीधे पदक के लिए मैदान में उतरे। इस प्रतियोगिता में भारत को तीन रजत और दो कांस्य पदक प्राप्त हुए। विजयी रहने के बावजूद भी गलत निर्णय के कारण टी० बी० बुरे को स्वर्ण पदक की जगह केवल रजत पदक पर ही सन्तोष करना पड़ा। जापान, ईरान और दक्षिणी व उत्तरी कोरिया ने अधिकतर पदक प्राप्त करने का गौरव पाया।

भारत्तोलन

भारत्तोलन में भारत की तरफ से केवल दलवीरसिंह ने ही प्रतियोगिता में भाग लिया लेकिन वह पांचवें स्थान से आगे न बढ़ पाये। उन्होने सुपर हैवीवेट वर्ग में केवल २७२.५ किलो वजन उठाया जबकि ईरान के स्वर्ण पदक विजेता शोक-खल्लाही ने ३१७.५ किलो वजन उठाया था। भारत कितना पीछे है इसका अन्दाजा वजन के अन्तर के साथ ही लगाया जा सकता है। इस प्रतियोगिता में रजत पदक भी ईरान के खिलाड़ी हाफिज हसन ने जीता जबकि कांस्य पदक पर ईराक के सुहैल ने अधिकार किया।

बैडमिन्टन

चीन ने मैदान में उतरते ही विश्व-स्तरीय बैडमिन्टन खिलाड़ियों को चौंका दिया। हाओ चियांग ने जिस आत्मविश्वास, तेजी फुर्ती और अच्छे प्रदर्शन का परिचय दिया वह उन्हें निस्संदेह विश्व का सबसे अच्छा बैडमिन्टन खिलाड़ी प्रमाणित करता है। पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में उन्हें स्वर्ण पदक मिला। महिला एकल का खिताब और स्वर्ण पदक चीन की येन यू चियांग को तथा रजत भी चीनी युवती लियान चियु को प्राप्त हुआ। महिलाओं की युगल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी चीन ने हथिया लिया। इन्डोनेशिया ने युगल और मिक्सड युगल के स्वर्ण पदकों पर अधिकार किया जबकि भारत को केवल एक कांस्य पदक से ही सन्तोष कर लेना पड़ा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तैराकी

तैराकी में सदैव ही जापानी तैराकों का एकाधिकार-सा रहा है लेकिन इस बार जापान ने भले ही शुरू में अपनी पुरानी योग्यता का प्रदर्शन किया लेकिन स्वर्ण पदकों पर उसका एकाधिकार चो-ओ-युगीन ने चार सौ मीटर फ्री स्टाईल में तोड़ दिया। दक्षिणी कोरिया के इस छात्र ने ४ मिनट १७.९३ सैकिंड का नया रिकार्ड भी कायम किया है।

जापान की होशमि निशिगावा ने बैंकांक के अपने सम्मान को बरकरार रखा और एक बार फिर तैराकी में पांच स्वर्ण पदक प्राप्त किये। महिलाओं और पुरुषों की तैराक-प्रतियोगिताओं में अधिकतम पदक प्राप्त करने में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सका।

एथलेटिक्स

भारत को एक बार फिर एशियाई खेलों में चार स्वर्ण पदक प्राप्त हुए और चारों पदक हमें एथलेटिक्स में ही मिले। केवल इतना ही नहीं हमें प्राप्त होने वाले २८ पदकों में से पन्द्रह पदक इन प्रतियोगिताओं में प्राप्त हुए। पहला स्वर्ण पदक डिकेथलन में मिला। इस प्रतियोगिता में विजयसिंह ने ७३७५ अंक प्राप्त कर न केवल स्वर्ण पदक पर एकाधिकार किया बल्कि साथ ही नया एशियाई रिकार्ड भी स्थापित कर अपने नाम के साथ "सर्वश्रेष्ठ हरफन मौला खिलाड़ी" का लेबल भी चिपकवा लिया। इस प्रतियोगिता के लिए कांस्य पदक भी भारत के सुरेश बाबू को मिला।

डेकेथलन के अलावा लम्बी कूद में भी स्वर्ण पदक और कांस्य पदक पर भारतीय खिलाड़ियों ने अधिकार किया। केरल की लोको मोटिव फैक्टरी में कार्य करने वाला टी० वी० योहानन एशियाई खेलों में आठ मीटर से अधिक कूदने वाला पहला खिलाड़ी है। इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक सतीश पिल्लई को प्राप्त हुआ। दस हजार मीटर दौड़ में रामसिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक का योगदान दिया।

प्रवीण कुमार और मोहिंदरसिंह गिल अपने पुराने रिकार्ड तोड़ने के साथ-साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करने में भी असफल रहे। दोनों को एक-एक रजत पदक प्राप्त हुआ। चक्का फेंक में प्रवीण के पुराने प्रतिद्वन्दी जलाल कश्मीरी ने ५६.८२ मीटर का एक नया एशियाई रिकार्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक पर अधिकार किया। गोला फेंकने में बहादुरसिंह ने जोगिंदर के १७.९० मीटर के रिकार्ड को १७.९४ मीटर से तोड़ तो दिया परन्तु ईरान के जलाल कश्मीरी ने उनसे भी अधिक बहादुरी दिखाई और प्रवीण कुमार के साथ-साथ बहादुरसिंह को भी मात देते हुए १८.४० गोला फेंक कर स्वर्ण पदक हथिया लिया। गोला फेंकने में जगराजसिंह को कांस्य पदक प्राप्त हुआ।

इसके अलावा भारत के निर्मलसिंह ने तारगोला प्रतियोगिता में ६०.०२ मीटर तार फेंककर व लेहंबरसिंह ने ४०० मीटर की बाधा दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किये।

भारत के मिलखासिंह का पुराना रिकार्ड भी श्रीलंका के इपालादास ने ४६.२१ सैकिंड के नये रिकार्ड के साथ तोड़ दिया।

अन्य प्रतियोगिताएं

फुटबाल, बालीबाल, टेनिस, वाटरपोलो और साईकिलिंग में हमारे खिलाड़ियों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और इन खेलों में दूसरे देशों से पिछड़ जाने के कारण पहले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सप्ताह में ही हम खेलों से बाहर हो गए। बैंकाक में हमने वाटरपोलो में रजत पदक जीता था लेकिन स्तर को और अधिक सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। जबकि छोटे-छोटे देशों ने इस खेल में अभ्यास और प्रशिक्षण से अच्छा स्तर बना लिया और तेहरान में उनका प्रदर्शन भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा रहा। वाटरपोलो में हमारा छठा स्थान रहा है यानि कि नीचे से दूसरा। प्रथम तीनों पदक क्रमशः ईरान, चीन और जापान को प्राप्त हुए।

दिल्ली में फुटबाल के स्वर्ण पदक विजेता भारत को तेहरान में करारी मात खानी पड़ी। इस खेल में हमने विपक्षी टीमों पर केवल दो ही गोल किए और पूरी प्रतियोगिताओं में कोई भी अंक नहीं पाया। इसी तरह टेनिस और वालीबाल प्रतियोगिताओं में भी हमें शीघ्र मैदान से हट जाना पड़ा। इन प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों में प्रशिक्षण अभ्यास, तेजी फुर्ती और आत्मविश्वास की पूरी कमी थी जबकि विपक्षी टीमों के खिलाड़ियों में यह गुण खेल के शुरू से ही नजर आने लग जाते थे।

तलवार बाजी में इस बार जापान का बोलबाला रहा। उसने आठ में से पाँच स्वर्ण पदक जीत लिए। शेष तीन स्वर्ण पदक ईरानी तलवारबाजों ने हथियाये।

इन खेलों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत चाहे एक बहुत बड़ा देश हो लेकिन खेल के क्षेत्र में वह अभी बहुत पीछे है। सभी प्रतियोगिताओं में जापान, चीन और ईरान का प्रभुत्व रहा जबकि कोई भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं थी जिसमें हम अपनी प्रमुखता प्रकट कर सके हों। एथलेटिक में हमारे खिलाड़ियों ने जरूर कुछ सफलता प्राप्त की है। योहानन की स्वर्णिम छलांग से प्रभावित होकर तेहरान में एक विदेशी समीक्षक ने कहा था कि भारत के पास बहुत उत्तम एथलीट्स हैं और अगर इन्हें सही प्रशिक्षण दिया जाये तो निस्संदेह इन प्रतियोगिताओं में भारत तहलका मचा सकता है।

भारतीय पदक विजेता खिलाड़ी

स्वर्णपदक (४)

१. विजयसिंह चौहान (डेकेथलन)
२. टी० वी० योहानन (लम्बी कूद)
३. श्रीराम सिंह (८०० मीटर)
४. शिवनाथसिंह (५०० मीटर)

रजतपदक (१२)

१. डा० कर्णासिंह (टेपशूटिंग)
२. टी० बी० बुरे (हैवी बाक्सिग)
३. मेहताबसिंह (लाईट-हेवी-बाक्सिग)
४. मोहिन्दरसिंह (तिकड़ी कूद)
५. बहादुरसिंह (शाट पुट)
६. प्रवीण कुमार (डिस्कस थ्रो)
७. निर्मलसिंह (हैमर थ्रो)
८. गुरमेजसिंह (३ हजार मीटर पानी बाधा दौड़)
९. शिवनाथसिंह (दस हजार मीटर)
१०. ४×४०० मीटर ११. रिले
१२. हाकी टीम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कांस्यपदक (१२)

१. डा० कर्णीसिंह (स्कीट शूटिंग)
२. मुनूस्वामी (लाइट बाक्सिंग)
३. नारायण (फ्लाई बाक्सिंग)
४. सुखचैन सिंह (ग्रीको रोमन कुश्ती)
५. सुखचैन (फ्री स्टाइल कुश्ती)
६. सतपाल (कुश्ती)
७. सतवीर (कुश्ती फ्री स्टाइल)
८. जगराजसिंह (शाटपुट)
९. सतीश पिल्लई (लम्बी कूद)
१०. सुरेश बाबू (डेकेथलन)
११. लेहम्बरसिंह (४०० मीटर बाधा दौड़)
१२. बैडमिन्टन टीम

नवम्बर-दिसम्बर में मदुरै के पुलिस स्टेडियम में १३ से १५ दिसम्बर तक हुई १३वीं अखिल भारतीय ओपन एथलेटिक प्रतियोगिता में कई एथलीटों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। जिनमें पुरुषों में सुरेश बाबू, शिवनाथ सिंह, सुच्चासिंह तथा महिलाओं में मंजीत सोनी, मेरी वर्गीस आदि श्रेष्ठ रहे। दिसम्बर के उत्तरार्द्ध में मनीला में हुई ७वीं एशियाई जूनियर प्रतियोगिता भारत की दृष्टि में दुर्भाग्यपूर्ण रही। गत ५ वर्ष से खिताब जीतता भारत विजय का सुअवसर खो बैठा। लुधियाना में हुई राष्ट्रीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता में अधिकांश टीम व व्यक्तिगत खिताब गत वर्ष के विजेताओं ने जीते। ३६वीं अन्तर्राज्यीय और राष्ट्रीय टेनिस स्पर्द्धा में जयन्त और शैलजा राष्ट्रीय चेम्पियन, अरुण कुमार व रीता जैन जूनियर चैम्पियन बने।

वैस्टइण्डीज व भारत क्रिकेट मैच सारे देश के लिए आकर्षण बना रहा। वैस्टइण्डीज ३-२ से यह शृंखला जीत गई। भारत और वैस्टइण्डीज ने अब तक ३३ टैस्ट खेले हैं। १५ वैस्टइण्डीज ने जीते, तीन भारत के हिस्से में रहे और १५ अनिर्णीत रहे। पांच में से चार बार टास भारत ने जीता। जनवरी के अन्तिम सप्ताह व फरवरी के आरम्भ में आयोजित भारत केसरी दंगल में सतपाल ने भारत केसरी का खिताब जीता व भारत कुमार का खिताब करतारसिंह पहलवान ने जीता। झांसी में उत्तरप्रदेश ने राष्ट्रीय जिमनास्टिक चैम्पियनशिप जीत ली। कलकत्ता में आयोजित ३३वीं विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन आशानुकूल नहीं रहा। राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैम्पियनशिप में दिल्ली की टीम कबड्डी चैम्पियन जीतने में सफल रही। २०वीं राष्ट्रीय पिस्तौल निशानेबाजी में दो नए रिकार्ड स्थापित हुए।

राष्ट्रमंडल खेल

प्रारम्भ में यह खेल ब्रिटेन के उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच आपसी सद्भावना बनाये रखने के लिए शुरू किये गए थे। धीरे-धीरे उसके सभी उपनिवेश आजाद हो गये अतः अब यह राष्ट्रमंडल खेलों का रूप ले चुके हैं। यह खेल प्रत्येक चार वर्ष बाद होते हैं।

भारत ने सिडनी खेलों से इसमें भाग लेना शुरू किया था। १९५८ के कारडिक खेलों में हमें अच्छी सफलता मिली। हमारे धावक मिलखासिंह और पहलवान लीलाराम ने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वर्ण पदक जीते। चीनी हमले के कारण भारत ने १९६२ में भाग नहीं लिया। जमेका में आयोजित १९६६ के खेलों में हमारे तीन पहलवानों भीमसिंह, विशम्भर और मुख्तियार सिंह ने स्वर्ण पदक जीते। एथलीट प्रवीणकुमार और भारोत्तोलक घोष ने रजत पदक जीते। बैडमिन्टन में दिनेश खन्ना ने कांस्य पदक जीता। १९७० के एडिनबरा खेलों में हमारे पांच पहलवानों वेदप्रकाश, सुदेशकुमार, उदयचन्द, मुख्तियारसिंह और हरीशचन्द्र ने पाँच स्वर्ण-पदक जीते। पहलवान सज्जन सिंह, विश्वनाथ और मारुतिमाने ने रजत पदक जीते तथा रन्धावासिंह ने कांस्य पदक जीते। भारत का स्थान चौथा रहा तथा उसने कुल १२ पदक जीते।

भारत में विश्व खेल : विश्व खेलों का आयोजन बारी-बारी से विश्व के कई देशों में होता है। भारत में निम्न खेलों का आयोजन हुआ था।

१९४९-५०	—	एशियाई टेनिस प्रतियोगिता
१९५१	—	एशियाई खेल
१९५२	—	विश्व टेबल टेनिस
१९५८	—	विश्व बिलयर्ड
१९६७	—	विश्व कुश्ती
१९७१	—	एशियाई दौड़कूद
१९७४	—	विश्व टेबिल टैनिस

भारतीय विश्व चैम्पियन : भारतीयों को कई खेलों में विश्व चैम्पियन बनने का गौरव मिला है। हाकी में वर्षों तक अपराजित रहने के अलावा निम्न व्यक्तियों ने विभिन्न खेल क्षेत्रों में भारत का नाम ऊंचा किया है।

१. कुश्ती में गामा पहलवान विश्व विजयी बने।
२. पर्वतारोहण में तेनसिंह ने एवरेस्ट पर विजय पाई।
३. समुद्र तैराकी में मिहिर सेन व आरती साहा तथा वैद्यनाथ ने रिकार्ड बनाये।
४. पोलो में जयपुर के महाराजा मानसिंह विश्व चैम्पियन बने।
५. बिलयर्ड में विल्सन जान ने दो बार ताज जीता।
६. फ्री स्टाइल कुश्ती (पेशेवर) में दारासिंह अजेय हैं।

हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी : बीनू मनकड, अम्बर राय, पाली उमरीगर, वजीर, नजीर, अमरसिंह, मंजरेकर, रूसी सूरती, बालू गुप्ते, जस्सू पटेल, चन्दू बोर्डे, सरदेसाई, बेदी, चन्द्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट राघवन, इंजीनियर, विश्वनाथ, एकनाथ सोल्कर, सलीम दुर्रानी तथा कप्तान अजीत वाडेकर।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारतीय खिलाड़ियों के राष्ट्रीय रिकार्ड

(१९७३ तक)

१००	मीटर	केनथ पावेल	१०.४ सेकेंड	१९६५
२००	,,	मिलखा सिंह	२०.८ ,,	१९६०
४००	,,	,,	४५.६ ,,	१९६०
८००	,,	श्रीराम सिंह	१:४७.३ ,,	१९७३
१,५००	,,	एडवर्ड सिक्वेरा	३:४३.७ ,,	१९६६
५,०००	,,	,,	१४:०१.४ ,,	१९७२
१०,०००	,,	कृपालसिंह	२९:३४.० ,,	१९६७
३,०००	,,	स्टीपलचेज गुरमेजसिंह	८:५३.२ ,,	१९७०
११०	,, बाधा	गुरबचनसिंह	१४.० ,,	१९६४
४००	,, बाधा	अमृतपाल	५२.२ ,,	१९६२
ऊंची कूद		भीमसिंह	२.०९ मीटर	१९६८
पोल वाल्ट		लखबीर सिंह	४.२१ ,,	१९६९
लंबी कूद		टी०सी० युहानन	७.६० ,,	१९७२
तिकड़ी कूद		मोहिंदरसिंह गिल	१६.७९ ,,	१९७१
शॉट पुट		जगराजसिंह	१७.८४ ,,	१९७३
चक्का फेंक		प्रवीणकुमार	५६.७४ ,,	१९७३
हेमर फेंक		,,	६५.७६ ,,	१९६९
नेजा फेंक		राज सिंह	७०.१८ ,,	१९७३
डिकेथलन		वी० एस० चौहान	७३७८ अंक	१९७२
४×१०० मीटर रिले		राष्ट्रीय दल	४०.५ सेकेंड	१९६४
४×४०० ,,		,,	३:०८.८ ,,	१९६४
मेराथन		हरनेकसिंह	२ घंटे १८ मि० ५८.६ से०	१९६९
२० किलोमीटर पैदल		बचनसिंह	१ घं० २७ मि० ५७.६ से०	१९६७
५० किलोमीटर पैदल		किशनसिंह	४ घं० १९ कि० ४६.४ से०	१९७०

भारतीय महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय रिकार्ड

(१९७३)

१००	मीटर	एस० डी० सोजा	१२.२ से०	१९६१
		निर्मला उथैया	१२.२ ,,	१९७२
२००	,,	एन० राधा	२४.९ ,,	१९७३
४००	,,	कमलजीत संधू	५६.३ ,,	१९७०
८००	,,	जलज नाथन	२:१४.२ ,,	१९७३
१,५००	,,	,, ,,	४:४४.३ ,,	१९७३
१०० मीटर बाधा		मनजीत वालिया	१४.३ ,,	१९७०
ऊंची कूद		गोम्ज	१.५७ मीटर	१९६८
लम्बी कूद		सी० फोरेज	५.७१ ,,	१९६६
शॉट पुट		के० छतवाल	१२.८३ ,,	१९६६
चक्का फेंक		अनुसूया बाई	४१.२ ,,	१९७३
नेजा फेंक		ई० डेवनपोर्ट	४७.३८ ,,	१९६४
पेंटाथलन		सी० फोरेज	३९३१ अंक	१९६५
४×१०० मीटर रिले		राष्ट्रीय दल	४९.४ से०	१९५८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में भारत

१९००	पेरिस	एन० जी० प्रिचार्ड २०० मीटर रजत पदक ।
१९२४	पेरिस	जे० के० पिट ४०० मीटर सेमी-फाइनल में तृतीय ।
१९२४	पेरिस	दिलीपसिंह ऊंची कूद में छठा स्थान ।
१९३२	लॉस एंजल्स	एम० सटन ११० मीटर बाधा में सातवां स्थान ।
१९४८	लंदन	एच० रिबैलो तिकड़ी कूद के फाइनल में बाहर ।
१९४८	लन्दन	बलदेव सिंह ऊंची कूद के फाइनल में बाहर ।
१९४८	लंदन	के० डी० जादव बैंटमवेट कुश्ती में छठा स्थान ।
१९५२	हेलसिंकी	के० डी० जादव फ्री स्टाइल बैंटमवेट में कांस्यपदक ।
१९५२	हेलसिंकी	मांग्यू: फ्री स्टाइल फेदरवेट में चौथा स्थान ।
१९५२	हेलसिंकी	लेवी पिंटो १००-२०० मीटर दौड़ में सेमी फाइनल तक पहुँचे ।
१९६०	रोम	मिलखा सिंह ४०० मीटर में चौथा स्थान ।
१९६०	रोम	माधोसिंह मिडिलवेट कुश्ती में छठे ।
१९६४	टोकियो	गुरबचन सिंह ११० मीटर बाधा में पांचवें ।
१९६४	टोकियो	स्टीफी डिसूजा ८०० मीटर सेमी-फाइनल में सातवां स्थान ।
१९६४	टोकियो	विशम्भर सिंह फ्री स्टाइल बैंटमवेट कुश्ती में छठा स्थान ।

ओलंपिक हाकी में

१९२८	स्वर्ण पदक	१९५६	स्वर्ण पदक
१९३२	,, ,,	१९६०	रजत पदक
१९३६	,, ,,	१९६४	स्वर्ण पदक
१९४८	,, ,,	१९६८	कांस्य पदक
१९५२	,, ,,	१९७२	,, ,,

फुटबाल में १९५६ में चौथा स्थान

२०वें म्यूनिख ओलंपिक में पदक विजेताओं की सूची

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
सोवियत रूस	५०	२७	२२	९९
अमरीका	३३	३१	३०	९४
पूर्व जर्मनी	२०	२३	२३	६६
पश्चिम जर्मनी	१३	११	१६	४०
जापान	१३	८	८	२९
आस्ट्रेलिया	८	७	२	१७
पोलैंड	७	५	८	२०
हंगरी	६	१३	१५	३४
बल्गारिया	६	१०	५	२१
इटली	५	३	१०	१८
स्वीडन	४	६	६	१६
ब्रिटेन	४	५	९	१८
रूमानिया	३	१	४	८
क्यूबा	३	१	४	८
हॉलैंड	३	१	१	५

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

फ्रांस	२	४	७	१३
चेकोस्लोवाकिया	२	४	२	८
केन्या	२	३	४	९
युगोस्लाविया	२	१	४	७
नार्वे	२	१	१	४
उत्तर कोरिया	१	१	३	५
न्यूजीलैंड	१	१	१	३
युगांडा	१	१	०	२
डेनमार्क	१	०	०	१
स्विटजरलैंड	०	३	०	३
कनाडा	०	२	३	५
ईरान	—	२	१	३
बेल्जियम	०	२	०	२
यूनान	—	२	—	२
आस्ट्रीया	०	१	२	३
कोलंबिया	०	१	२	३
मेक्सिको	०	१	०	१
पाकिस्तान	०	१	०	१
ट्यूनिसिया	०	१	०	१
अर्जेंटीना	०	१	०	१
दक्षिण कोरिया	०	१	०	१
लेबनान	०	१	०	१
तुर्की	०	१	०	१
मंगोलिया	०	१	०	१
ब्राजील	०	०	२	२
इथियोपिया	०	०	२	२
स्पेन	०	०	२	२
जमैका	०	०	१	१
भारत	०	०	१	१
नाइजीरिया	०	०	२	१
घाना	—	—	१	१

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट भ्रमण

वेस्टइंडीज के विरुद्ध : १९७१ में वेस्टइंडीज भ्रमण के दौरान भारत ने श्रृंखला जीती। इससे पूर्व वहां दो श्रृंखलायें हारीं। भारत में तीन श्रृंखलाओं में हम हारे। १९७४-७५ में वेस्टइंडीज टीम भारत भ्रमण पर आई। हमारी टीम वेस्टइंडीज १९७६ में जायेगी। १९७४-७५ में वेस्टइंडीज भारत आई और खेल जीती।

टेस्ट रिकार्ड : कुल मिलाकर भारत ने अब तक १२५ टैस्ट खेले हैं। १९ में विजयी रहा, ५९ में बराबर रहा और ५१ टैस्ट हारे।

इंगलैंड के साथ : इंग्लैन्ड के विरुद्ध कुल चालीस टेस्ट खेले गये। वहां कुल २५ खेले गए जिनमें भारत एक जीता, १७ हारा और ७ में बराबर रहा। यहाँ कुल १५ टेस्ट खेले जिनमें हमने ३ जीते, १ हारा और ११ में बराबर रहे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आस्ट्रेलिया के साथ : आस्ट्रेलिया के विरुद्ध २५ टेस्ट खेले गए जिनमें वहाँ कुल ९ टेस्ट खेले। एक में बराबर रहे और आठ हारे। यहाँ कुल १६ खेले जिनमें ३ में हम जीते, ८ हारे और ५ में बराबर रहे।

वेस्टइंडीज के साथ : वेस्टइंडीज के विरुद्ध कुल २८ टेस्ट खेले गए। वहाँ कुल १५ टेस्ट हुए। इनमें भारत एक में जीता, ८ में बराबर रहा और ६ में हारा। यहां कुल १३ टेस्ट हुए जिनमें भारत ७ में बराबर रहा, ६ में हारा।

पाकिस्तान के साथ : कुल १५ टेस्ट हुए। यहाँ १० हुए जिनमें भारत २ में जीता, ७ में बराबर रहा और १ में हारा। वहाँ पाँच टेस्ट हुए जो सभी बराबर छूटे।

न्यूजीलैंड के साथ : इसके विरुद्ध कुल १६ टेस्ट हुए। वहाँ चार जिनमें तीन में भारत जीता और एक में हारा। यहाँ कुल १२ टेस्ट हुए जिनमें चार में भारत विजेता रहा, ७ में बराबर और एक में हारा।

भारत ने अब तक निम्न १९ टेस्ट जीते और निम्न देशों को मात दी—

(१) इंग्लैन्ड को मद्रास में	१९५१-५२ में
(२) पाकिस्तान को दिल्ली में	१९५२-५३ ,,
(३) पाकिस्तान को बम्बई में	१९५२-५३ ,,
(४) न्यूजीलैन्ड को बम्बई में	१९५५-५६ ,,
(५) न्यूजीलैन्ड को मद्रास में	१९५५-५६ ,,
(६) आस्ट्रेलिया को कानपुर में	१९५९-६० ,,
(७) इंग्लैन्ड को कलकत्ता में	१९६१-६२ ,,
(८) इंग्लैन्ड को मद्रास में	१९६१-६२ ,,
(९) आस्ट्रेलिया को बम्बई में	१९६३-६४ ,,
(१०) न्यूजीलैन्ड को दिल्ली में	१९६४-६५ ,,
(११) न्यूजीलैन्ड को डुइडिन में	१९६७-६८ ,,
(१२) न्यूजीलैन्ड को वालिंगहन में	१९६७-६८ ,,
(१३) न्यूजीलैन्ड को आकलैन्ड में	१९६७-६८ ,,
(१४) न्यूजीलैन्ड को बम्बई में	१९६९-७० ,,
(१५) आस्ट्रेलिया को दिल्ली में	१९६९-७० ,,
(१६) वेस्टइंडीज को पोर्ट आफ स्पेन में	१९७०-७१ ,,
(१७) इंगलैन्ड को लन्दन में	१९७०-७१ ,,
(१८) इंगलैण्ड को भारत में	१९७२-७३ ,,
(१९) ,, ,, ,,	१९७४-७५ ,,

राष्ट्रीय मुकाबले

राष्ट्रीय कुश्ती : फ्रीस्टाईल कुश्ती का प्रचार फीला से सम्बद्ध भारतीय कुश्ती संघ द्वारा किया जाता रहा है। इसी संघ ने ऐसी कुश्ती के प्रचार के लिए कदम भी उठाए और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में "रुस्तमे हिन्द" आदि मुकाबले कराए जाते हैं। इस वर्ष रुस्तमे हिन्द सतपाल बने। 'रुस्तमे भारत' का खिताब भी सतपाल ने जीता।

देशी कुश्ती संघ : पिछले कई वर्ष से देशी कुश्ती संघ अलग कार्य करता है। 'भारत केसरी' और 'भारत भीम' मुकाबले इस संघ की महत्वपूर्ण देन हैं। अब 'महान भारत केसरी' का मुकाबला भी होने लगा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत केसरी : १९६८ मास्टर चंदगीराम, १९६९ मास्टर चन्दगीराम, १९७० मेहरदीन, १९७१ विजयकुमार, १९७३ नेत्रपाल, १९७५ सतपाल।

भारत भीम : १९७० मास्टर चन्दगीराम, १९७१ मेहरदीन, १९७२ मास्टर चंदगीराम।

महाभारत केसरी : दादू चौगुले, जगदीश मित्तर।

डूरंड कप : १८८८ में शिमला में अंग्रेज फौजी यूनिट ने प्रारम्भ किया। १९५० से दिल्ली में मैच शुरू हुए। मोहन बंगाल सबसे अधिक ८ बार विजेता रहा। तीन बार लगातार डूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल छह बार विजयी रही। आंध्र प्रदेश चार, मद्रास रैजीमेंट और गोरखा दो-दो बार और सीमा सुरक्षा दल ने एक बार इसे जीता। १९७२ में ईस्ट बंगाल विजेता रहा। १९७४ में बी० एस० एफ० ने जीता।

पुरस्कार एवं सम्मान

प्रेरणा व पुरस्कार : खेलों का आधार प्रेरणा है। उत्साह और उमंग का ही दूसरा नाम खेलकूद है। खेल के प्रसार और प्रचार के लिए प्रेरणा का वातावरण बनाना अत्यावश्यक है। पुरस्कार इस अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सहज साधन हैं। पुरस्कार की कल्पना मात्र से हम कड़े से कड़ा परिश्रम करने में जुट जाते हैं। विश्व में सर्वत्र खिलाड़ियों को सुन्दर पुरस्कार, पदक और अलंकरण देने पर बहुत जोर दिया जाता है। ओलम्पिक और अन्य पुरस्कारों के अलावा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को कई अलंकरण दिए जाते हैं।

हैलम्स पुरस्कार : नोबल पुरस्कार की भांति खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार हर वर्ष विश्व के चोटी के खिलाड़ियों को दिया जाता है।

भारत के निम्न चार खिलाड़ी यह गौरव पद पा चुके हैं :

सर्वश्री के० डी० सिंह बाबू (हाकी), रामानाथन कृष्णन (टेनिस), मिलखसिंह (दौड़-कूद), जाल पाडिवाला (दौड़कूद आंकड़ों के विशेषज्ञ)।

विश्व क्रिकेट सम्मान : विस्डन अलंकरण

(१) रणजीतसिंह १८९६, (२) दलीपसिंह १९२९, (३) नवाब पटौदी (सीनियर) १९३२, (४) सी० के० नायडू १९३३, (५) विजय मरचेंट १९३७, (६) बीनू मानकड १९४७, (७) नवाब पटौदी (जूनियर) १९६४।

राष्ट्रीय पुरस्कार : प्रतिवर्ष २६ जनवरी को राष्ट्रपति श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुस्कार प्रदान करते हैं।

अर्जुन पुरस्कार

शिक्षामन्त्रालय द्वारा खेल संगठनों और भारतीय खेल परिषद् की सिफारिश पर प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार देने का क्रम १९६१ से प्रारम्भ किया गया। अब तक १७२ खिलाड़ियों को पुरस्कार मिल चुका है। इस वर्ष जिन्हें १९७३ के अर्जुन पुरस्कार भेंट किए गए हैं उनकी संख्या १९ है। एथलेटिक रामसिंह बैडमिन्टन, ए० करीम बास्कटबाल, सुरेन्द्र कटारिया मुक्केबाजी, मेहताबसिंह खो, खो, भावन पारीख, कुश्ती, जगरूपसिंह भी शामिल हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अर्जुन पुरस्कार विजेता

१९६२

दौड़कूद	हवलदार तरलोकसिंह	फुटबाल	टी० बलराम
बैडमिंटन	कुमारी मीना शाह	टैनिस	नरेशकुमार
बिलियर्ड	विल्सन जोन्स	बालीबाल	नृपजीतसिंह
मुक्केबाजी	हवलदार पदमबहादुर मल	वजन उठाना	एल० के० दास
		कुश्ती	मलवा

१९६३

दौड़कूद	कुमारी स्टेफी डिसूजा	पोलो	मेजर ठाकुर किशनसिंह
फुटबाल	चुन्नी गोस्वामी	वजन उठाना	कामिनेनी ईश्वरदार
गोल्फ	ए० एस० मलिक	कुश्ती	जी० आन्दालकर
हाकी	चरंजीतसिंह		

१९६४

दौड़कूद	माखनसिंह	पोलो	रावराजा हनुमन्तसिंह
क्रिकेट	नवाब पटौदी	टेबिल टेनिस	गौतम आर० दीवान
फुटबाल	जर्नेल सिंह	कुश्ती	विश्वंभरसिंह
हाकी	एस० लक्ष्मण		

१९६५

दौड़कूद	के० एल० राव	हाकी (पुरुष)	उधम सिंह
बैडमिन्टन	दिनेश खन्ना	हाकी (महिला)	कु० एलवीरा ब्रिटो
क्रिकेट	विजय मंजरेकर	वजन उठाना	बलबीरसिंह भाटिया
फुटबाल	अरूणलाल घोष		

१९६६

दौड़कूद	अजमेरसिंह	हाकी (महिला)	कुमारी सुनीता पुरी
दौड़कूद	बी० एस० बरूआ	लालटेनिस	जयदीप मुखर्जी
मूक्केबाजी	हवासिंह	तैराकी	कुमारी रीमा दत्ता
क्रिकेट	चन्द्रकांत गुलाबराय बोर्डे	टेबुल टेनिस	कुमारी उषा सुन्दरराज
फुटबाल	युसुफ खां	वजन उठाना	मोहनलाल घोष
हाकी	बी० जे० पीटर	कुश्ती	भीमसिंह

१९६७

बैडमिंटन	सुरेश गोयल	लालटेनिस	प्रेमजीत लाल
बास्केट लाल	खुशी राम	तैराकी	अरूण शा
क्रिकेट	अजीत वाडेकर	टेबिल टेनिस	फारूक आर० खोदाइजी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

फुटबाल	पीटर थंगराज	वजन उठाना	सवरी मुत्तु जैन ग्रौब्रियल
गोल्फ	आर० के० पीताम्बर	कुश्ती	मुखतियारसिंह
हाकी	हरबिन्दरसिंह	दौड़कूद	प्रवीण कुमार
हाकी	जगजीतसिंह,	दौड़कूद	भीमसिंह
हाकी	मोहिन्दर लाल		

१९६८

निशानेबाजी	कु० राज्यश्री	हाकी	बलबीरसिंह
दौड़कूद	कु० मनजीत वालिया	वास्केट बाल	गुरदयालसिंह
दौड़कूद	जोगेन्द्र सिंह	मुक्केबाजी	डेनिस स्वामी
क्रिकेट	प्रसन्ना		

१९६९

कुश्ती	मास्टर चन्दगीराम	फुटबाल	इन्द्रसिंह
दौड़कूद	हरनेकसिंह	तैराकी	वैद्यनाथ
बास्केट बाल	हरीदत्त	क्रिकेट	विशनसिंह बेदी
निशानेबाजी	कुमारी भुवनेश्वरी	स्कवैश	अनिल नायर

१९७०

दौड़कूद	मोहिन्दर सिंह गिल	बैडमिन्टन	श्रीमती दमयन्ती ताम्बे
बाल बैडमिन्टन	जे० पिच्चैया	बास्केट बाल	अब्बास मुन्तसीर
बिलियर्ड	माइकेल फरेरा	क्रिकेट	सरदेसाई
फुटबाल	सय्यद नइमुद्दीन	हाकी	अजीतपालसिंह
खो-खो	सुधीर भास्करराव	टेबल टेनिस	जगन्नाथ
भारोत्तोलन	अरुण कुमार दास	कुश्ती	सुदेशकुमार
नौकानयन	सोहराब जमशेद कान्ट्रेक्टर		

१९७१

दौड़कूद	एडवर्ड सिक्वेरा	हाकी	कृष्णामूर्ति
बैडमिन्टन	कु० शोभा मूर्ति	खो-खो	कु० अचला
बास्केट बाल	मनमोहन सिंह	निशानेबाजी	भीमसिंह जी कोटा
घूंसेबाजी	मुन्नु स्वामी वेणु	टेबल टेनिस	खोदयाजी
क्रिकेट	वेंकट राघवन	तैराकी	भंवर सिंह
फुटबाल	चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	भारोत्तोलन	श्यामलाल सलवान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९७२

दौड़कूद	विजय सिंह चौहान	गोल्फ	श्रीमती अंजनी देसाई
बैडमिन्टन	प्रकाश पादुकोने	हाकी	माईकेल किण्डू
बाल बेडमिंटन	कुमारी जयाम्मा श्रीनिवासन	कबड्डी	सदानन्द महादेव शेटी
बिलियर्डस	सतीश मोहन	रायफल शूटिंग	उदयांचिनू भाई
मुक्केबाजी	हवलदार चद्रैयानारायण	बालीबाल	बलवन्तसिंह
क्रिकेट	बी० एल० चन्द्रशेखर	भारोत्तोलन	अनिल कुसार मंडल
क्रिकेट	एकनाथ सोल्कर	कुश्ती	प्रेमनाथ

१९७३

एथलेटिक	राम सिंह	कबड्डी	भोलानाथ
बैडमिन्टन	ए० करीम	खो-खो	भावन पारीख
बास्केट बाल	सुरेन्द्र कटारिया	तैराकी	धनवीर खटाऊ
बिलियर्स	शाम शरीफ	टेबल टेनिस	नीरज बजाज
मुक्केबाजी	मेहताब सिंह	महिला बालीबाल	मिसेज जी० मुलीनी रेड्डी
फुटबाल	खान मुहम्मदखान व मगन सिंह	कुश्ती	जगरूप सिंह
गोल्फ	विक्रमजीत सिंह	नौकायन	अफसर हुसैन
हाकी	ए० पी० सिंह, गणेश, ओतिलिया मास्करनस (महिला)		

विश्व कप विजेता भारत

१९७५ का वर्ष भारतीय हाकी के लिए गौरवपूर्ण रहा। १ फरवरी से १५ फरवरी तक क्वालालम्पुर में हुई तीसरी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत को पहली बार विश्व कप विजेता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत व पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को २-१ से हराकर विश्व चैम्पियन का पद प्राप्त किया।

विश्व टेबल टैनिस

कलकत्ता के नवनिर्मित नेताजी स्टेडियम में ६ फरवरी से १६ फरवरी १९७५ तक ३३वीं विश्व टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत का स्थान स्वेदलिंग कप में (पुरुष टीम) १५वाँ और कारबिलियन कप (महिला टीम) में १६वाँ रहा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मध्य प्रदेश की यात्रा कीजिये

'तीर्थ यात्राओं की पावन भूमि'

सांची : जहाँ भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महा-मोग्लायन के अवशेष अवस्थित हैं।

उज्जैन : भगवान महाकालेश्वर की नगरी, पृथ्वी के केन्द्र बारह-ज्योतिर्लिंगों में से एक।

अमरकंटक : पतित पावनी नर्मदा का उद्गम स्थान।

चित्रकूट : जहां भगवान राम ने वनवास अवधि का कुछ काल व्यतीत किया और गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिये।

ओंकारमान्धात : पुण्यतोया नर्मदा के बीच ओम गिरिक पर अवस्थित बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक।

महेश्वर : आद्य शंकराचार्य की चरण धूलि से पुनीता, महिष्मती की पुरातन नगरी।

मध्य प्रदेश में तीर्थ यात्रा एवं दृश्यावलोकन के और भी अनेक दर्शनीय स्थल।

—: ० :—

(पर्यटन संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

SARAF INDUSTRIES

Manufacturers and Exporters of

"Parrot" Brand G. I. Buckets, Steel Ghamellas
& other light engineering Products.

Winner of the

Intercontinental Trade Fair Award
(Gold Medal)

★

Works :
Delhi
Bahadurgarh (Haryana)

Office :
Saraf Bhavan,
34, Pusa Road,
NEW DELHI-110005

Phones { 564359
562833

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २८ :

प्रवासी भारतीय

आज दुनिया के १२६ देशों में कुल मिलाकर लगभग ६० लाख ऐसे नागरिक रहते हैं, जिनके पुरखे भारत से गए थे। उन दिनों बहुत से देशों या क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रभुत्व था फलतः उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई परन्तु भारत तथा इन प्रदेशों के स्वाधीन होने पर आज स्थिति बदल गई है।

बर्मा से शुरुआत

आजकल जो कठिनाई उगांडा में रहने वाले भारतीयों के सामने है, यह कोई अकेली घटना नहीं है। १९४८ में जब बर्मा स्वाधीन हुआ, तब उस समय वहां भी भारतीय ऐसी ही स्थिति में थे, जैसे कि अब पूर्वी अफ्रीका में हैं। भारतीय काफी संख्या में दुकानदार, साहूकार और उद्योगपति थे, पर धीरे-धीरे वर्गीकरण की नीति के फलस्वरूप उन्हें हटना पड़ा। १९६३ में बर्मा सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने के बाद उक्त भारतीयों का वहां से हटना शुरू हो गया। अप्रैल, १९६३ से ३१ दिसम्बर १९७४ के बीच २ लाख ६ हजार ८१६ भारतीय भारत लौटे। उनमें से अधिकांश के दक्षिण भारत में रिश्तेदार आदि थे और उनके पूर्वज वहीं से गए थे, अतः उनके पुनर्वास में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। भौगोलिक समीपता से भी सुविधा हुई।

भारतीय मूल के १ लाख २० हजार से १ लाख ५० हजार तक लोगों को बर्मा स्थित अपनी उस संम्पत्ति का मुआवजा मिलेगा जिसका १९६३ और १९६५ के बीच बर्मा सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया था।

बर्मा सरकार ने एक क्षतिपूर्ति आकलन बोर्ड का गठन कर दिया है। अनुमान है कि डेढ़ लाख लोगों में से, जिन पर क्षतिपूर्ति की घोषणा लागू होगी, १ लाख लोग अभी बर्मा में ही हैं।

बर्मा सरकार ने १९७४ में एक घोषणा कर प्रवासी भारतीयों की राष्ट्रीयकृत सम्पत्ति, दुकानें तथा व्यापारिक संस्थानों का मुआवजा देने के संबंध में आवेदन मांगे हैं।

बर्मा सरकार ने १९६३ तथा १९६५ में थोक व्यापार तथा फुटकर कारोबार एवं उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इससे लगभग ४ लाख प्रवासी भारतीय प्रभावित हुए थे। इनमें से तीन-चौथाई भारत आ चुके हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

श्रीलका : श्रीलंका में १८४० से तमिलभाषी भारतीय जाने लगे थे, तब वह भी ब्रिटेन के अधीन था। धीरे-धीरे वहां भारतीयों की संख्या काफी बढ़ गई। ये लोग मजदूर, ड्राइवर, व्यापारी, दर्जी, स्वर्णकार आदि विभिन्न व्यवसायों में काम करते थे। १९४८ में लंका के स्वाधीन होने पर इन लोगों ने लंका की नागरिकता लेने की कोशिश की पर विफल रहे।

१९६४ के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत १ जनवरी १९७५ तक श्रीलंका से भारत आने वाले प्रत्यावासियों की संख्या ८६,७३२ थी। १९७० में भारतीय तथा श्रीलका की नागरिकता के लिए अन्तिम तिथि निश्चित किए जाने के पश्चात प्रथम दो वर्षों की लगभग १९०० की औसत और आगामी दो वर्षों की ७००० की औसत में और वृद्धि हो गई।

मलयेशिया और सिंगापुर

मलयेशिया और सिंगापुर की जनसंख्या में भी भारतीयों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन क्षेत्रों में सदियों से ही भारतीय आते-जाते रहे हैं। मलयेशिया में करीब ८ लाख ८ हजार भारतमूल के लोग हैं। उनमें ५० प्रतिशत सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे, नगरपालिकाओं आदि का व्यवसाय करते हैं।

सिंगापुर में भी भारतीय काफी अर्से से रहते हैं। इसकी कुल आबादी १७,१२,६०० है। उनमें १ लाख तीस हजार भारतमूलक हैं। उनमें से अधिक व्यापार में लगे हैं।

मारीशस : मारीशस और फिजी में भारतवंशियों के कारण भारत का छोटा रूप ही विकसित हो गया है। बम्बई से लगभग २४०० मील दूर, हिन्द महासागर का यह द्वीप ऐसा स्थान है, जहां भारतीय परम्परायें, हिन्दू धर्म और हिन्दी भाषा जीवन्त रूप में विद्यमान है। मारीशस में भारत के मजदूर १८३५ से जाने शुरू हुए, उनके जाने का उद्देश्य यूरोपियों के गन्ने के बड़े-बड़े खेतों पर मजदूरी करना था। १८४० तक वहां १८,५०० भारतीय मजदूर पहुंच गए। उनके पहुंचने के साथ ही मारीशस में चीनी का उत्पादन बढ़ा और सम्पन्नता बढ़ने लगी। ठेके पर आने वाले मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। वे कलांतर में वहीं बस गये और खेती करने लगे। कुछ व्यापारी भी वहां पहुंचे। भारतीयों ने अपनी पूजा-अर्चना के लिए मन्दिर बनाये और अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। ज्यादा-तर मजदूर बिहार से गए, अतः वहां की मुख्य भाषा भोजपुरी हो गई, पर गुजराती और तमिल-भाषी भारतीय भी वहां पहुंचे। अब वहां के स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। वहां के बच्चे हिन्दी प्रेम से पढ़ते हैं। रात में लोग रामायण-महाभारत की कथा सुनते हैं। १९७३ में मारीशस में मानस शताब्दी अत्यन्त समारोह के साथ मनाई गई। मारीशस की कुल आबादी ७ लाख है उसमें से करीब ६७ प्रतिशत भारतवंशी हैं। सभी भारतवंशियों ने मारीशस की नागरिकता ले रखी है। १९७३ में मारीशस में अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें भारत व विश्व के अन्य देशों के आर्यसमाजियों ने भारी संख्या में भाग लिया। वहां लेबर पार्टी का शासन है और इसके नेता डा० शिवसागर रामगुलाम प्रधान मंत्री हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

फिजी : उधर आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में फिजी द्वीप समूह में काफी भारतीय रहते हैं। यह देश १० अक्तूबर, १९७० को स्वाधीन हुआ। पहले यह ब्रिटेन के अधीन था। मारीशस की भांति यहां भी भारतीय गन्ने के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने गए। १८७० के बाद मजदूर वहां जाने लगे। १९१७ तक ६३,००० भारतीय मजदूर वहां पहुंच गए। उसमें से करीब एक तिहाई वापस लौट आए, शेष वहीं बस गए और खेती करने लगे। फिजी में करीब डेढ़ लाख एकड़ भूमि में गन्ने के खेत हैं। ये लगभग सभी भारत-वासियों के हैं। फिजी की कुल जनसंख्या करीब ५ लाख है। भारतीयों की संख्या ढाई लाख से ऊपर है। कृषि के अलावा भारतीय व्यापारियों ने छोटी दुकानें भी खोलीं, जिन पर परचून का सामान बिकता है। शाम को भारत की तरह यहां भी मन्दिरों में घड़ियाल बजते हैं, भजन और आरती गूंजती हैं। शुरू में यहां भी योरोपीय भू-स्वामियों ने भारतीयों पर अत्याचार किए और उनके प्रति गुलामों का-सा व्यवहार किया। भारतीयों ने प्रतिकार के लिए जोरदार आंदोलन किया। पहले अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों पर जमीन खरीदने पर भी रोक लगा रखी थी, पर स्वाधीन फिजी में भेदभाव नहीं है।

गुयाना : दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में भी भारतीय शुरू में मजदूरों के रूप में गए थे, जबकि गुलामों की प्रथा समाप्त हो जाने के बाद, अफ्रीकियों द्वारा काम करने से इन्कार कर देने के बाद बागों के मालिकों को मजदूरों की जरूरत हुई। ये मजदूर भी इकरारनामे के अन्तर्गत वहां गए और बाद में वहीं बस गए। ये लोग तटवर्ती क्षेत्रों में धान की खेती करने लगे और आजकल गुयाना का पूरा चावल उद्योग इन्हीं के हाथों में है। गुयाना की करीब पौने सात लाख की आबादी में करीब साढ़े तीन लाख भारतवंशी हैं। इस प्रकार वे कुल जनसंख्या के आधे से अधिक हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कुछ अर्से तक भारतवंशियों के मजदूर नेता छेदी जगन यहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पर अंग्रेजों के कुचक्र के कारण उन्हें पद से हटना पड़ा। सभी भारतवंशी गुयाना के नागरिक हैं।

तंजानिया, कीनिया और उगांडा में भी भारतीय काफी अर्से से हैं। स्वयं वास्को-डिगामा ने मोम्बासा और पूर्वी अफ्रीका के अन्य तटवर्ती नगरों तथा जंजीबार में भारतीयों के होने का उल्लेख किया है। भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी अफ्रीका के बीच जहाजों का आना-जाना काफी समय से होता रहा है। कीनिया और उगांडा में रेलवे के निर्माण में मुख्य योग भारतीयों का रहा है। उगांडा के वर्तमान सैनिक राष्ट्रपति भले ही पिछला इतिहास भूल जाएं, पर यह सप्रमाण सिद्ध है कि भारतीय मजदूरों के बिना वहां रेलवे लाइन नहीं बिछती। १८९६ में ३५० भारतीय मजदूरों का पहला दल मोम्बासा आया था। कुछ ही वर्षों में यह संख्या बढ़कर ३२,००० तक पहुंच गई। रेलवे लाइन पूरी हो जाने के बाद करीब ६००० मजदूर वहीं बस गए और कारीगर, खाती, सर्वेक्षक, क्लर्क आदि के काम में लग गए। करीब २००० भारतीय रेलवे में ही लग गए। रेलवे के निर्माण में भारतीयों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बीहड़ जंगलों में शिविरों में से अनेक मजदूरों को नरभक्षी जानवर उठा ले जाते थे। अनेक मजदूर मलेरिया और अन्य भयंकर रोगों के शिकार हो जाते थे।

रेलवे लाइन के बिछने के साथ ही पूर्वी अफ्रीका के आंतरिक भाग में फैलते चले गए। स्टेशनों के पास धीरे-धीरे छोटी-छोटी दुकानें खोली गयीं और कुछ समय बाद सारा फुटकर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

व्यापार भारतीयों के हाथों में आ गया। भारतीयों ने दूर-दूर के इलाकों में दुकानें खोलकर आम अफ्रीकियों को रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी भारतीयों के हौसले की दाद दी और नई जगह बस्ती बसाते ही वे भारतीयों को दुकानें खोलने के लिए आमन्त्रित करते। जंजीबार के एक भूतपूर्व कोंसल जनरल ने एक बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों की बदौलत ही अर्थ-व्यवस्था चल रही है। भारतीय ही मूल्यों का उचित स्तर कायम रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वे कम मुनाफा लेकर चीजें बेचते हैं। यूरोपीय प्रवासियों में भारतीयों के प्रति द्वेष जागने लगा। उनके स्टोर भारतीयों के मुकाबले कम ग्राहक आकर्षित करते थे और वे दूर-दराज के इलाकों में जाने से कतराते थे, पर भारतीय दुकानदार सुबह ७ बजे से देर-रात तक दुकान पर जुटा रहता था, उसकी जरूरतें कम थीं, अतः कम मुनाफा लेता था।

इसके साथ ही पूर्वी अफ्रीका में बड़े-बड़े व्यापारी भी जम गए और उन्होंने खूब धन अर्जित किया। उगाण्डा में उद्योग के रूप में कपास को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी भारतीयों को है। अंग्रेजों के वहां जाने के पूर्व कपास की उल्लेखनीय खेती वहां नहीं होती थी। १९०३ में ब्रिटिश सरकार ने भारत से कपास के बीज मंगाकर बांटे और थोड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। शीघ्र ही भारतीयों ने उसमें रुचि लेनी शुरू की और कपास ओटने के केन्द्र बनाये। १९२४ में इस तरह के १६४ केन्द्रों में से १०० से अधिक भारतीयों के थे। निर्यात के लिए ६८ प्रतिशत रूई भारतीय फर्में भेजती थीं और केवल ८ प्रतिशत यूरोपीय फर्में। धीरे-धीरे यह काम काफी चल निकला तब अफ्रीकियों ने शिकायत की कि भारतीय कपास का कम दाम देते हैं। इस पर कपास का न्यूनतम भाव निश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई, पर जांच से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर किसानों को वाजिब दाम ही दिया जा रहा है।

उगांडा में उद्योग के रूप में चीनी को जमाने का श्रेय भी भारतीयों को है। पहला चीनी कारखाना १९२३ में नानजी कालीदास मेहता ने लुगाजी में लगाया था। अब भी उगांडा में काफी मालदार भारतीय हैं। एक अनुमान है कि माधवानी उद्योग-समूह का वर्तमान मूल्य उगांडा के कुल बजट का एक चौथाई है। उधर तंगानिका में भारतीय फैल गए। वहां की प्रमुख फसल सीसल उगाने में भी उनका एकाधिकार हो गया। भारतीयों का महत्व इतना बढ़ गया कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद यह प्रस्ताव रखा गया कि तांगानिका को केवल भारतीयों के लिये सुरक्षित कर दिया जाए, पर भारतीयों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

इसी प्रकार कीनिया में भी भारतीयों ने व्यापार फैलाया। नैरोबी और मोम्बासा के बाजारों में दुकानों के नाम देखकर ही भारतीय प्रभाव पता लग जाता है। अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों की तरह वहां भी भारतीयों पर यह आरोप है कि वे कीनिया के प्रति निष्ठा नहीं रखते, अपनी बचत की राशि भारत या अन्य देशों को भेजते हैं। कीनिया के विकास में धन नहीं लगाते। एक अर्थशास्त्री के अनुसार कीनिया के २०.८ प्रतिशत भारतीयों ने अपना धन कीनिया में ही सम्पत्ति खरीदने में लगाया, जबकि ९.७ प्रतिशत भारतीयों ने भारत में सम्पत्ति खरीदी। यह सही है कि वे पहले अपने बचत की राशि का कुछ भाग अपने परिवार वालों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को भारत भेजते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार-व्यवस्था में यह जिम्मेदारी निभानी होती है, पर अब यह बात नहीं है।

उगांडा के राष्ट्रपति के ९ अगस्त १९७२ के आदेश द्वारा उगांडा में रह रहे एशियाई मूल के उन सभी लोगों के निष्कासन या उनके वंशक्रम को समाप्त करने के लिए प्रवेश परमिट तथा आवास प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये जो भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान तथा बंगलादेश के नागरिक थे।

१५ अगस्त १९७२ से दिसम्बर १९७४ की अवधि के दौरान १०,०४१ प्रत्यावासी उगांडा से भारत आये। उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित कर निकाल दिया गया तथा उनकी सम्पत्ति व यहां तक कि आभूषण आदि भी जबरदस्ती छीन लिये गये।

इसी प्रकार मोजाम्बिक से लगभग ६७० परिवार जिनमें लगभग २४,००० व्यक्ति हैं भारत वापस लौटे।

आजकल उगांडा में भारतीयों के साथ जो बीत रही है, वह १९६८ में कीनिया में भी हुआ था। कीनिया, उगांडा, तांगानिका और जंजीबार जब अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुए, तब वहां रहने वाले भारतवंशियों को यह छूट दी गई थी कि वे चाहें तो ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर ब्रिटिश नागरिक बन सकते हैं, चाहे भारत या पाकिस्तान के नागरिक बन सकते हैं, चाहे उन्हीं देशों के नागरिक हो सकते हैं। कुछ ने वहां की नागरिकता ले ली, कुछ ने ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिये, कुछ भारत एवं पाकिस्तान के नागरिक बन गए और एक ऐसा वर्ग रह गया जो कहीं का नागरिक नहीं था।

वन्दे ब्रज बसुन्धराम्

मथुरा नगर पालिका देशवासियों का अभिनन्दन करती है। सप्त पुरियों में प्रमुख मथुरा नगरी की नगरपालिका देश के सभी नागरिकों को ब्रज मंडल के पावन स्थलों, रमणीक एवं दर्शनीय मन्दिरों की छवि छटा को देखने हेतु आमंत्रित करती है। यहाँ की महत्ता में वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ के आंतरिक वैभव ने यहाँ के स्थूल जगत को भी दिव्य बना दिया है। ब्रज का एक एक रजकण वन्दनीय है, मुक्ति और लीलानन्द प्रदाता है। आइये ब्रज के सुरम्य स्थूलों का भ्रमण कीजिये, श्री कृष्ण जन्मस्थली पर शान्त वातावरण में अद्वितीय मंदिर तथा निर्माणाधीन भागवद् भवन के दर्शन करने हेतु मथुरा नगरपालिका आपको आमंत्रित करती है।

कैलाशनाथ तिवारी,
अधिशासी अधिकारी

सुरेश कृष्णचन्द्र भार्गव,
अध्यक्ष एवं
सदस्यगण

नगर पालिका, मथुरा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रगतिपथ पर अग्रसर हरियाणा

हरियाणा ने भारतीय संघ के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य प्रगति की है। निम्नलिखित आँकड़े इस अभूतपूर्व प्रगति के साक्षी हैं।

खाद्यान्न

आज हरियाणा अपनी जरूरत का अनाज पैदा करने में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि अब वह अपनी जरूरत से भी अधिक अनाज पैदा करता है जब कि १९६६ में हरियाणा अनाज की कमी वाला राज्य था।

सिंचाई

१९६७-६८ में राज्य में नहरों से सिंचित क्षेत्र ३३.५७ लाख एकड़ (१३.५९ लाख हैक्टेयर) था। १९७४ में यह क्षेत्र बढ़कर ४०.८८ एकड़ हो गया।

मई १९६८ में ९००० नलकूपों की तुलना में आज राज्य में १,३५१९७ नलकूप काम कर रहे हैं।

बिजली

मई, १९६८ में राज्य के हर पांच गांवों में से केवल एक गाँव में बिजली की सुविधा थी लेकिन नवम्बर, १९७० से राज्य का हर गाँव बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शत प्रतिशत ग्राम विद्युतिकरण का कीर्तिमान स्थापित किया है।

उद्योग

हरियाणा में छोटे पैमाने के पंजीकृत उद्योगों की संख्या १९७३-७४ के अंत में १५८३२ थी जबकि मई १९६८ में राज्य में केवल ४५९८ छोटे पैमाने के पंजीकृत उद्योग थे।

शुद्ध पेयजल का वितरण

छः वर्ष पूर्व राज्य के केवल २०३ गाँवों में पीने के शुद्ध पानी की सुविधा उपलब्ध थी लेकिन आज राज्य के ७७३ गांव इस सुविधा से लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार पिछली स्थिति में २८० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

परिवहन

नवम्बर, १९७२ से राज्य में यात्री परिवहन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इस समय राज्य परिवहन की १८०० यात्री बसें हैं जब कि मई १९६८ में केवल ५६७ बसें ही थीं। हरियाणा परिवहन सेवा आज देश भर में कार्यकुशल मानी जाती है।

कमजोर वर्गों का कल्याण

राज्य में सामाजिक तथा शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सहायता देने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं पर कार्य हो रहा है। वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों को हर सम्भव सहायता दी जा रही है। अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

सड़कें

राज्य के ६५% गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। पक्की सड़कों से मिलाए गये गांवों की संख्या अब ४३५८ हो गई है जबकि मई, १९६८ में राज्य के केवल १५०० गाँव ही पक्की सड़कों से मिले हुए थे।

—निदेशक, लोक सम्पर्क, विभाग हरियाणा द्वारा प्रसारित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: २९ :

भारत में विस्थापित

"अतिथि देवो भव" सूत्र के उद्घोषक और पालनकर्त्ता भारत को १ करोड़ से अधिक शरणार्थियों (विस्थापितों) का भार सहन करना पड़ा है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हों और जिनका दायित्व सरकार को वहन करना पड़ा हो।

समझा जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के समय ८० लाख लोग बे-घरबार बना दिये गये थे। १९४५ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और पुनर्वास परिषद् की स्थापना की। इस परिषद् ने इस समस्या को पूरी तरह हल करने में ३,६८,३५,४२,२३९ डालर व्यय किये और ३१ जून १९४७ तक यह परिषद् कार्यशील रही। इस अवधि में ५५८,५८१ जर्मन, २८,०५९ आस्ट्रियन, १७,८९५ इटेलियन, २८,०७५ मध्य पूर्व के देशों के, १०,१४९ चीनी विस्थापितों को बसाया गया। आस्ट्रिया में १३८,०००, बेल्जियम में ५,०००, चीन में १३,५०० फ्रांस में ४३१,०००, यूनान में २,०००, इटली में १४६,०००, मध्य पूर्व में ३३,०००, नीदरलैंड में ५,०००, इंग्लैंड में ६०,००० विस्थापित थे।

भारत विभाजन के दुर्दिन से ही नहीं अपितु इसके पूर्व ३ जून १९४७ को विभाजन की घोषणा के बाद से ही भारत में विस्थापितों का आना शुरू हो गया। इन विस्थापितों की सरकार ने अलग-अलग श्रेणियां बनाई हैं। पाकिस्तान से आने वालों को विस्थापित, बर्मा, मोजाम्बिक और श्रीलंका से आने वालों को स्वदेश लौटे भारतीय, तिब्बत तथा बंगलादेश से आने वालों को शरणार्थी, भारतीय अन्तःक्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तान्तरित किये जाने से प्रभावित व्यक्ति और भारत-पाक संघर्ष के समय हुए बे-घरबार लोग।

पाकिस्तान से भारत में विस्थापितों के आने के ८ मुख्य कारण हैं —

१—शत्रुतापूर्ण वातावरण के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ना।

२—उनके धार्मिक रीतिरिवाज तथा शिक्षा पद्धति में हस्तक्षेप के कारण असुरक्षा की भावना। बहुसंख्यक जाति के लोगों द्वारा संगठित तरीकों से खेतों में खड़ी फसल को बलात् ले जाना और सम्पत्ति पर कब्जा करना।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३—पाकिस्तान को एक 'इस्लामी' राज्य बनाने की बार-बार की घोषणा ने हिन्दुओं में ऐसी भावना भर दी कि पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य नहीं रह गया है।

४—पूर्वी बंगाल की विकट आर्थिक परिस्थिति और अल्पसंख्यक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार।

५—पर्याप्त रोजगार तथा व्यापार सुविधाओं की कमी।

६—अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों का उत्पीड़न, हरण आदि।

७—स्थानीय अधिकारियों तथा न्यायालयों से बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के विरुद्ध की गई शिकायतों को दूर न करा पाना।

८—अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के संबंधियों तथा पड़ोसियों के लगातार भारत आने की वजह से उनकी संख्या में होने वाली कमी तथा उससे उत्पन्न शंकाएं।

अगस्त १९४६ से १९७१ तक बंगलादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) से आए विस्थापितों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

सन्	संख्या	कारण
१९४६	१९,०००	हिन्दू विनाश
१९४७	२,४४,०००	भारत विभाजन
१९४८	७,७६,०००	हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के विरोध में दंगा उत्पात
१९४९	२,१२,०००	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
१९५०	१५,७५,३६०	दंगा-उत्पात
१९५१	१,८७,०००	हिन्दू निष्कासन
१९५२	३,०३,०००	अधिक विपत्ति से सताये जाकर और पासपोर्ट मिलने की कठिनाई
१९५३	७६,०००	लियाकत अली-नेहरू पैक्ट दफना दिया गया
१९५४	१,१८,०००	दंगे
१९५५	२,३९,०००	बंगला भाषा प्रेमियों को निकाल देने की नीति के फलस्वरूप
१९५६	३,२०,०००	पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित किया गया
१९६४	८,५६,०००	इस्लामी राज्य में 'हिन्दू क्यों?' का नारा
१९६५	१,०७,९०६	पैगम्बर का बाल श्रीनगर में चोरी चला गया
१९६६	७,५६५	हिन्दू विरोधी आन्दोलन
१९६७	२४,५२७	,, ,, ,,
१९६८	११,६१४	,, ,, ,,
१९६९	९,७६८	,, ,, ,,
१९७०	२,४९,९९९	,, ,, ,,
२० अगस्त, १९७३	८९,००,०००	बंगला देश संघर्ष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प० पाकिस्तान से ४७.४० लाख विस्थापित भारत आए। १९५६ से १९६४ तक पाकिस्तान से आने वालों की संख्या नगण्य रही। १६ दिसम्बर १९७१ को बंगलादेश की मुक्ति के बाद बंगलादेश से आये प्रायः सभी विस्थापित भारत से अपने देश लौट गये।

उगांडा सरकार द्वारा भारतीयों को निकालने के आदेश के बाद अगस्त १९७२ से प्रत्यावासियों का भारत आना प्रारम्भ हो गया। १९७४ तक १०,०४१ व्यक्ति उगांडा से भारत लौट चुके हैं। इनमें से लगभग ५३२०, भारतीय पासपोर्ट वाले हैं तथा शेष मुख्यतया ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हैं। उगांडा पासपोर्ट वालों तथा राज्यविहीन व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है।

उगांडा से लौटे विस्थापितों की सहायता के लिये बम्बई में एक शिविर स्थापित किया गया तथा प्रत्यावासियों को तत्काल राहत दी गई।

बर्मा की सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यापार का राष्ट्रीयकरण तथा विदेशियों पर कुछ अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जाने के फलस्वरूप बर्मा में रहने वाले भारतीय १ जून, १९६३ से भारी संख्या में भारत लौट रहे हैं। ३१ दिसम्बर १९७४ तक लगभग २,०६,८१६ व्यक्ति आ चुके हैं। यातायात का मुख्य साधन समुद्र द्वारा है। थोड़ी सी संख्या में वायुयान द्वारा भी आते हैं। चालू वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा मई-जुलाई १९७४ के दौरान की गई छः फेरियों की व्यवस्था द्वारा ९,८७१ व्यक्तियों के २,४२० परिवार बर्मा से आ चुके हैं। ९३ व्यक्ति वायुयान द्वारा भी आ चुके हैं। बर्मा से आये इन भारतमूलक विस्थापितों को देश भर में बसाया गया है।

मोजाम्बिक (अफ्रीका) से भारत विरोधी भावना के कारण लगभग ७०० परिवार जिनमें लगभग २७ सौ व्यक्ति हैं, भारत लौटे हैं और अधिकतर गुजरात राज्य में बस गए हैं। स्वदेश लौटते समय उनको भारत सरकार द्वारा उदारतापूर्वक सीमा शुल्क में सुविधाएं दी गई हैं। विधवाओं, अनाथों और अशक्त व्यक्तियों की गरीबी की परिस्थितियों में १२०० रु० प्रतिवर्ष तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को रियायती दरों से ब्याज पर ऋण के रूप में पुनर्वास सहायता भी दी गई है ताकि वे व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या लघुस्तरीय उद्योगों को शुरू करने के योग्य बन सकें। कृषि भूमि एलाट करने के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी गई। स्वदेश लौटे भारतीयों के बच्चों को शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, पुस्तकों इत्यादि के रूप में सुविधाएं दी गई हैं। गुजरात सरकार के अनुसार अब लगभग इन सभी परिवारों को बसाया जा चुका है।

१९६४ के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत भारतीय मूल के ५·२५ लाख व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जानी है और इन व्यक्तियों को १५ वर्ष की अवधि में भारत लौटना है। कोलम्बो स्थित भारतीय उच्चायोग से प्राप्त सूचना के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए ४,५८,४०० व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं।

२९ जनवरी १९७४ को दिल्ली में श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती बंडारनायक तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच हुई वार्ता के बाद घोषणा की गई कि भारत और श्रीलंका ने डेढ़ लाख भारत मूलक लोगों के भविष्य का निर्णय करते हुये आधे-आधे के आधार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर उन्हें नागरिकता देने का निर्णय किया है। इस प्रकार ७५ हजार लोगों को भारत तथा बाकी ७५ हजार को श्रीलंका सरकार नागरिकता प्रदान करेगी।

१९६४ में हुये समझौते के अन्तर्गत भारत ने ५,२५,००० व्यक्तियों को नागरिकता देने का निर्णय किया था। श्रीलंका ने तीन लाख लोगों को नागरिकता देने की जिम्मेदारी ली थी।

श्रीलंका से लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास को राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना गया है। सहायता तथा पुनर्वास उपायों के कार्यान्वियन के लिए वांछित धन भारत सरकार द्वारा अनुदान तथा ऋण के रूप में दिया जाता है।

तिब्बत पर हुए चीनी आक्रमण के कारण १९५९ से अब तक लगभग ५,६००० तिब्बती भारत, सिक्किम तथा भूटान में आए हैं।

तिब्बती शरणार्थियों के कृषि और अन्य व्यवसायों में पुनर्व्यवस्थापना की योजनाओं में इस वर्ष और प्रगति हुई है। अब तक २६ २०० तिब्बती शरणार्थियों को कृषि बस्तियों, लघुस्तर के उद्योगों और देश के विभिन्न भागों में स्थापित दस्तकारी केन्द्रों में पुनर्वास दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त कई शिशुशालाओं और स्कूलों में लगभग ६,६०० बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग ४,००० से अधिक शरणार्थियों ने अपने प्रयासों द्वारा विभिन्न प्रकार के काम खोज लिए हैं।

वर्ष १९७४ के दौरान बंगलादेश से आए नए प्रवासियों के ८२५ कृषक परिवारों को दण्डकारण्य, ८९ परिवारों को अण्डमान और निकोबार द्वीपों तथा ११५२ परिवारों को महाराष्ट्र में चान्दा, मध्य प्रदेश में बेतूल और आंध्र प्रदेश में ईसागांव जैसी परियोजनाओं में बसाया गया है। इसके अलावा २८ फरवरी तक १००० परिवारों को लघु व्यापार तथा व्यवसाय में बसाया गया है। चालू वर्ष के शेष भाग में ऐसी आशा है कि कृषकों के २५० परिवारों को दण्डकारण्य, ८० परिवारों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों और २०० परिवारों को दण्डकारण्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपों से अन्यत्र बसाया जाएगा और २५० गैर-कृषक परिवारों को भी बसाया जाएगा। १९७५-७६ के लिए पुनर्वास का लक्ष्य १५०० परिवार का है तथा इस कार्य के लिए दण्डकारण्य से बाहर अण्डमान और निकोबार द्वीपों में लगभग १६,००० एकड़ भूमि के मिलने की संभावना है।

१९७४ के दौरान बर्मा से लगभग १०,००० व्यक्ति (२५०० परिवार) आए हैं जबकि ५,००० व्यक्तियों (१५०० परिवारों) के आने की आशा थी। बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के लगभग १४५० परिवारों को बसाया जा चुका है जिनमें वे १५० परिवार भी शामिल हैं जो पूर्व के वर्षों में आए थे।

१९७४ के दौरान श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के १०,६४३ परिवार आये थे। १९७४-७५ के दौरान दिसम्बर के अन्त तक श्रीलंका से आए ऐसे प्रत्यावासी परिवारों की संख्या, जिनको पुनर्वास सहायता दी गई है, लगभग ३५०० हैं तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान ऐसे परिवारों की संख्या, जिन्हें पुनर्वास सहायता देने की संभावना है, लगभग १,००० हैं। इस संख्या में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पूर्व के वर्षों में आए थे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पाकिस्तानी आक्रमण से विस्थापित

दिसम्बर, १९७१ में हुए भारत-पाक संघर्ष के परिणामस्वरूप जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में या उनके समीप रह रहे लगभग ८.३६ लाख व्यक्ति विस्थापित हो गये थे। छम्ब नियाबत के १८,००० व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी १९७२-७३ के अन्त तक अपने मूल घरों को लौट गए थे। चालू वर्ष के दौरान, जम्मू तथा कश्मीर में छम्ब-नियाबत क्षेत्र के लगभग १,००० व्यक्ति नियंत्रण रेखा से भारत की ओर अपने मूल गाँवों को लौट गए हैं और अन्य ५० व्यक्ति पुनर्वास के लिए विभाग द्वारा विकसित हीरानगर तहसील में पुनर्वास स्थलों पर चले गए हैं जिससे अब अपना स्थायी पुनर्वास होने तक किशनपुर-मनवल के तीन शिविरों में अनुमानतः १७,००० व्यक्ति रह गये हैं।

लगभग ६०० परिवारों को रबी की फसल बोने के लिए पुनर्वास स्थलों पर भेजने के क्रमबद्ध कार्यक्रम में भी कुछ विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अड़चनें उत्पन्न किये जाने के कारण कुछ देर हो गयी। फिर भी छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण को विश्वास है कि इन्हें भेजने का कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

१९७५-७६ के दौरान छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण की अनुमानतः १४०० विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए अन्य ४,००० एकड़ भूमि का उद्धार तथा आवश्यक सुविधाओं वाली लगभग १२ नई बस्तियां स्थापित करने की योजना है।

राजस्थान और गुजरात में विस्थापित

१९७१ के भारत-पाक संघर्ष के बाद राजस्थान और गुजरात में लगभग ७४,००० पाकिस्तानी नागरिक आए थे। ये विस्थापित व्यक्ति कृषक, पशु-पालक, भूमि-हीन मजदूर, शिल्पी तथा लघु व्यापारी हैं। दोनों राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों को राहत देने के लिए खर्च करने के अधिकार दिये गए थे, जिन्हें उनके लिए स्थापित इन राज्यों में स्थित शिविरों में रखा गया था।

१५ नवम्बर १९७४ को इन राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रकों की कुल संख्या ५६,१९४ थी (४३,९०७ राजस्थान के २५ शिविरों में तथा ७,६५२ गुजरात के ७ शिविरों में)। इन दोनों राज्यों में लगभग ४,६३५ व्यक्ति ऐसे हैं जो शिविरों में नहीं रह रहे हैं और अपना भरण-पोषण अपने आप कर रहे हैं।

सिन्ध से आये विस्थापित हिन्दू हैं तथा वे किसी भी कीमत पर पुनः पाकिस्तान जाने के लिये तैयार नहीं हैं। पाकिस्तानी शासक धर्मान्धता के कारण उनपर मनमाने अत्याचार करते रहे हैं इस कारण वे पाकिस्तान वापस जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर समझते हैं।

बंगला देश से पुनः भारत की ओर

बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थी पुनः भारत की ओर आने लगे हैं। बंगला देश में ऐसे धर्मान्ध तत्व सक्रिय हैं जो अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सहन करने को तैयार नहीं हैं तथा उन्हें आतंकित कर भारत की ओर खदेड़ रहे हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

केन्द्रीय उपविदेशमंत्री श्री विपिनपालदास ने ९ मई १९७५ को राज्यसभा में यह स्वीकार किया कि बंगलादेश से १९७४ से शरणार्थी पुनः भारत की ओर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बंगला देश में बाढ़ आने के फलस्वरूप वस्तुओं की कमी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण बंगलादेश से भारत में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, जुलाई १९७४ से काफी संख्या में शरणार्थी आए हैं।

उन्होंने बताया कि हमारे सीमा सुरक्षा दल ने अपनी सतर्कता तथा गश्त और अधिक कर दी जिसके फलस्वरूप जुलाई ७४ से मार्च ७५ के बीच ३९ हजार लोगों को पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आने से रोक दिया गया।

भारत सरकार बंगलादेश सरकार से इस सम्बन्ध में लगातार सम्पर्क बनाए है और हमें विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए तथा मित्रता, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को सर्वोपरि रखते हुए बंगला देश की सरकार शरणार्थियों की इस बाढ़ को रोकने में भारत सरकार की पूरी मदद करेगी और जो लोग यहां आ गए हैं, उन्हें वापस बुलाने में भी सरकार को सहयोग देगी।

बिहारी भी भारत की ओर

पाकिस्तान द्वारा, बंगला देश के बिहारी मुसलमानों को वापस न लेने के परिणाम-स्वरूप बंगला देश के कुछ बिहारी मुसलमानों ने भी भारत में घुसपैठ शुरू कर दी है।

प० बंगाल, बिहार, असम में हजारों पाकिस्तान समर्थक बिहारी बंगला देश से पहुँच चुके हैं। ७०० से अधिक बिहारी शरणार्थी बम्बई पहुंच चुके हैं। इस प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति भारत के लिए खतरा तक सिद्ध हो सकते हैं।

वन्दे ब्रज बसुन्धराम

नगर के सर्वतोमुखी विकास कार्यों में सतत संलग्न

वृन्दावन नगरपालिका

अपने नगर वासियों सहित सम्पूर्ण देशवासियों की सुख, समृद्धि, सुशिक्षा, सुरक्षा आदि की समुपलब्धियों के लिये अपनी आन्तरिक शुभकानाएं समर्पित करती है।

१. वृन्दावन नगर उत्तरी भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है जो देहली आगरा रोड पर मथुरा से ८ मील की दूरी पर बसा है तथा छटीकरा रोड से सीधा रास्ता है।

२. नगर में भव्य मन्दिरों की भव्य झाकियां एवं उनकी बनावट दृष्टिगत है, जैसे श्री बांकेबिहारी जी का मन्दिर, श्री रंगनाथ मन्दिर, शाहजी का मन्दिर, कांच मन्दिर, राधावल्लभ का मन्दिर, निधिवन, सेवा कुन्ज आदि।

३. नगर को स्वच्छ रखने में पालिका सतत संलग्न है।

४. नगर में जल, प्रकाश, सीवेज का पूर्ण प्रबन्ध है।

५. यात्रियों के ठहरने के लिये सुन्दर धर्मशालायें हैं एवं यात्री निवास है।

वीरेन्द्र कुमार दीक्षित,
अधिशासी अधिकारी,

बैजनाथ बागवाला,
अध्यक्ष, एवं सदस्यगण,

नगरपालिका, वृन्दावन।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३० :

विज्ञान

भारत जैसे विशाल देश की समस्याएं विज्ञान के बिन हल नहीं हो सकतीं। निर्धनता और निरक्षरता, अन्धविश्वास, अज्ञान और रूढ़िवादिता, बीमारी, गन्दगी और भूख—इन सबको जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लिए हमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (टेक्नोलाजी) की शरण में जाना ही होगा। जहाँ सन् १९५८ में हम अनुसंधान और विकास पर २५ करोड़ रुपये खर्च करते थे, वहां १९७४ में लगभग १९८ करोड़ खर्च हो रहे थे। सन् १९५८ में ही लोकसभा ने वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव पारित किया था जिसमें विज्ञान के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए यह घोषणा की गई है कि—विशुद्ध, व्यावहारिक तथा शैक्षणिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की अभिवृद्धि करना, उच्च कोटि के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, और उनके कार्य को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मानना, जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्ति के प्रयासों से वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है।

दिनोंदिन विज्ञान पर हम अधिक खर्च करते जा रहे हैं, अनेक अनुसंधानशालाएं, प्रयोगशालाएं भी हमने खड़ी कर दीं किन्तु इसके बावजूद वांछित परिणाम सामने नहीं आए। इसका प्रमुख कारण यही रहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में हमने उस पर कोई नीति-प्रस्ताव तैयार नहीं किया, न ही आज तक हम निश्चय कर पाए कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के किन क्षेत्रों में हमारे प्राथमिक लक्ष्य कौन से हैं।

आज भारत में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की संख्या बारह लाख से ऊपर पहुँच रही है। साथ ही यह भी तथ्य है कि देश के हजारों वैज्ञानिकों-डाक्टरों को नौकरी के लिए विदेश में जाना पड़ा या फिर अपने ही देश में हजारों इंजीनियरों तथा दूसरे प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को बेकारी का सामना करना पड़ा।

केन्द्रीय बजट में विज्ञान और विकास के लिए जो राशि होती है, उसका सत्तर प्रतिशत से अधिक इन पाँच प्रमुख संगठनों द्वारा खर्च किया जाता है—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, परमाणु शक्ति विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद्।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान : भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को दिशा-निर्देश और प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बड़ी संस्था वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (काउन्सिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडिस्ट्रियल रिसर्च) है। इसके अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय अनुसंन्धानशालाएं तथा संस्थान हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में मूलभूत और व्यावहारिक अनुसंधान के कार्य में लगे हैं। इन दिनों डा० वाई० नायुडम्मा परिषद् के महानिदेशक हैं।

चिकित्सा : भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद्, (इंडियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च) अपने सात संस्थानों और केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान को प्रोत्साहन देती है। विभिन्न शोध परियोजनाओं पर विचार करके उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

परिषद् के अंतर्गत विभिन्न संस्थान तथा केन्द्र इस प्रकार हैं—

१. **राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद** (१९१९ में स्थापित,) संस्थान खाद्य तथा पोषण सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान करता है, जनसाधारण को संतुलित आहार की जानकारी कराता है और पोषण-विज्ञान में कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देता है।

२. **विषाणु अनुसंधान केन्द्र, पूना** (स्थापित १९५२)।

३. **तपेदिक रसायनी चिकित्सा केन्द्र, मद्रास** (स्थापित १९५६)।

४. **हैजा अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता** (स्थापित १९५३)।

५. **इन्डियन रजिस्ट्री आफ पैथोलाजी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली** (स्थापित १९६५)—रोग-विज्ञान तथा उसकी विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करना और ऐसे अनुसंधानों का पंजीकरण।

६. **व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान,** बी० जे० मेडिकल कालिज, अहमदाबाद (स्थापित १९६६)।

७. **जनन अनुसंधान संस्थान, बम्बई** (स्थापित १९७०)।

चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एकांश—१. ब्लड ग्रुप रेफरेन्स सेन्टर हाफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई, २. एण्टीरो-वायरस रिसर्च यूनिट, बम्बई, ३. न्यूरो-फिजीयालाजी रिसर्च यूनिट, अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, ४. हेमेटोलाज़िकल यूनिट, कलकत्ता, ५. पीरियोडोन्टोलाजिकल रिसर्च यूनिट, लखनऊ, ६. ट्रकोमा (रोहा) रिसर्च सेन्टर, अलीगढ़, ७. टाक्सीकोलोजी रिसर्च यूनिट (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली, ८. आई० सी० एम० आर० यूनिट, कुन्नूर, ९. लेबोरेटरी एनिमल्स इन्फार्मेशन सर्विस, बम्बई- १० आगरा, वैल्लौर, बम्बई, कलकत्ता और कुरनूल में रोग-विज्ञान विभाग के केन्द्र।

इस वर्ष ५६३ परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृत किया गया। दो एकांशों को मिलाकर बम्बई में जनन अनुसंधान संस्थान की शुरूआत हुई।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कृषि अनुसंधान : कृषि तथा पशुपालन के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा अनुसंधान के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् है। इसकी स्थापना १९२९ में हुई थी। परिषद् के अंतर्गत विभिन्न संस्थान तथा प्रयोगशालाएं हैं और प्रायोगिक फार्म भी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (निदेशक डा० एम० एस० स्वामिनाथन) ने खाद्य फसलों, तथा कृषि उपकरणों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान-संस्थान, करनाल, चावल अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, आलू अनुसंधान संस्था, शिमला, तटवर्ती मछली अनुसंधान केन्द्र मण्डयम तथा कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा उत्पादन बढ़ाने तथा नई-नई किस्मों पर अनुसंधान करने का कार्य किया जाता है। गेहूँ, धान, तिलहन, कपास, आम, अंगूर, साग-सब्जियां तथा कई तरह के फूलों पर महत्वपूर्ण खोज-कार्य हुआ है।

प्रतिरक्षा अनुसंधान : प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की स्थापना १९६२ में हुई।

संगठन का प्रमुख ध्येय है—सेनाओं की सामरिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नए तथा आधुनिक शस्त्रास्त्रों व उपकरणों का डिजाइन और विकास करना, उनके स्वदेशी उत्पादन में सहायता देना, शारीरिक, मानसिक, पोषक सम्बन्धी तथा अन्य समस्याओं के समाधान में सेनाओं का सहायक बनना। विविध परियोजनाओं के फलस्वरूप शस्त्रों, उपकरणों तथा पुर्जों के स्वदेशी उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और हमारी सशस्त्र सेनाओं को अधिक प्रभावकारी तथा श्रेष्ठ किस्म के शस्त्र व उपकरण मिले हैं। नई किस्म की पर्वतीय तोप, अर्ध-स्वचालित राइफल, टैंक नाशक सुरंग, विस्फोटक, फील्ड आर्टिलरी रडार, चेतावनी रडार-यन्त्र, सीमान्त क्षेत्रों में सैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं आदि हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जा सकती हैं।

१९५८ में साधारण किस्म की गिनी-चुनी प्रयोगशालाओं से शुरुआत कर आज हम अनुसंधान, विकास और रक्षा-उत्पादन के लिए तीस बड़े-बड़े संस्थान तथा प्रयोगशालाएं संगठित कर चुके हैं। इनमें रक्षा सम्बन्धी सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं पर काम हो रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय यानी सम्पूर्ण रक्षा बजट का लगभग १.७५ प्रतिशत खर्च होता है।

परमाणु शक्ति तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान : स्व० डा० विक्रम साराभाई ने भारत में परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान का दसवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया था जिस पर संसदीय सलाहकार समिति ने जून १९७० में स्वीकृति प्रदान कर दी। कार्यक्रम के अनुसार १९८० तक २७०० मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। १९७०-७५ के प्रथम चरण में ३६५ करोड़ रुपये तथा ७५-८० के द्वितीय चरण में ८८५ करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। कार्यक्रम पूरा होने पर विद्युत, भारी पानी, ईंधन, प्लूटोनियम तथा अन्य उत्पाद बेचकर १७० करोड़ का लाभ प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। विद्युत की कमी को दूर करने के लिए भी सौरऊर्जा के उपयोग को आवश्यक माना जाने लगा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राजस्थान का रेगिस्तान जितनी सौर ऊर्जा अवशोषित करता है, वह विश्व में एक वर्ष में कोयला, तेल और गैस जलाने से जो ऊर्जा मिलती है उसके संभवतः बराबर होती है। परन्तु अभी सौर ऊर्जा को तैयार करने, उसे संचित करने तथा उसके उपयोग पर अपेक्षाकृत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। अतएव इसके लिए नई तकनीक का विकास करना होगा। अभी तक सौर ऊर्जा करना पड़ता है। अतएव इसके लिए नई तकनीक का विकास करना होगा। अभी तक सौर ऊर्जा को तैयार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। परन्तु इस पर धन व्यय करना लाभप्रद रहेगा।

तारापुर में भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति ऊर्जा उत्पादन केन्द्र चालू है जिसकी क्षमता ३८० मेगावाट है। राजस्थान में राणाप्रताप सागर के परमाणु-शक्ति केन्द्र की एक यूनिट चालू हो गई है।

परमाणु-शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप का राष्ट्रीय केन्द्र बम्बई के निकट ट्राम्बे स्थित परमाणु-शक्ति प्रतिष्ठान है। इसमें लगभग पांच हजार वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रतिष्ठान के पाँच मुख्य विभाग हैं। इसमें तीन परमाणु भट्टियाँ हैं—अप्सरा १९५६ में चालू हुई। चालीस मेगावाट की कनाडा-भारत भट्टी जनवरी १९६१ में तैयार हुई और तीसरी परीक्षणात्मक भट्टी जरलीना है। इन भट्टियों के अलावा यहाँ थोरियम निष्कर्षण यूनिट और थोरियम संयंत्र भी हैं। रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी यहां हो रहा है। चिकित्सा, कृषि, उद्योग, जीवन विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोप के उपयोग के बारे में यहां अनुसंधान किया जाता है।

नाभिकीय ईन्धन संयंत्र समूह, हैदराबाद : अणु आयुध तथा अणु विद्युत दोनों ही के लिए ईंधन की आवश्यकता है जिसे अणु ईंधन कहते हैं। वह यूरेनियम तथा थोरियम से बनाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम से ईंधन तैयार करने के लिए हैदराबाद के निकट आणविक ईंधन संयंत्र समूह परियोजना १९६८ के उत्तरार्ध में प्रारम्भ की गई। इसमें सात संयंत्र हैं जो ईंधन तथा ईंधन से सम्बन्धित वस्तुओं का निर्माण करने लगे हैं।

परमाणु शक्ति विकास का कार्य अन्य जिन संस्थाओं में हो रहा है, उनके नाम ये हैं—

(१) गौरी बिदनौर भूकम्पमापी केन्द्र—यह बंगलौर से ८० किलोमीटर दूर है। इसमें भूमिगत आणविक विस्फोटों का पता लगाने की व्यवस्था है। चीन के प्रथम आणविक विस्फोट का पता विश्व में सबसे पहले इसी केन्द्र को मिला था।

(२) भारी पानी संयंत्र—नांगल में १९६२ से कार्य कर रहा है। राणाप्रतापसागर, बड़ौदा तथा तूतीकोरिन के संयंत्र बन रहे हैं।

(३) भारतीय यूरेनियम निगम, जादुगुडा—अक्तूबर, १९६७ में स्थापना हुई। देश में यूरेनियम खानों के विकास तथा यूरेनियम उत्पादन के लिए उत्तरदायी है।

(४) भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड—स्थापित १९५०। मनावलकुरुचि में समुद्र के किनारे से मूल्यवान मिट्टी प्राप्त कर रही है जिसका अणु विकास कार्यक्रमों में भारी महत्व है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(५) **इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड,** हैदराबाद—स्थापित १९६७। इसने भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र के इलेक्ट्रानिक उत्पादन इकाई का काम अपने हाथ में ले लिया है। यह आणविक यंत्र, इलेक्ट्रानिक पार्ट आदि व्यापारिक रूप में तैयार करती है।

(६) **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला,** अहमदाबाद—१९४८।

(७) **अधिक ऊंचाई (हाई अल्टीट्यूट) अनुसंधान प्रयोगशाला** गुलमर्ग।

(८) **साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान,** कलकत्ता।

(९) **परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रोन,** कलकत्ता।

(१०) **टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान**—परमाणु-विज्ञान तथा गणितमूलक अनुसंधान का राष्ट्रीय केन्द्र है।

(११) **टाटा स्मारक केन्द्र, बम्बई**—इसमें टाटा स्मारक अस्पताल तथा कैंसर अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

टाटा मूलभूत अनुसंधान, बम्बई द्वारा हैदराबाद से १९५९ में प्लास्टिक के गुब्बारे छोड़कर अन्तरिक्ष अनुसंधान का कार्य प्रारम्भ किया गया। तब से अब तक गुब्बारों की सौ बड़ी उड़ानें हो चुकी हैं।

अन्तरिक्ष अनुसंधान की भारतीय राष्ट्रीय समिति अगस्त, १९६१ में अन्तरिक्ष अनुसंधान का कार्य अणु ऊर्जा विभाग को सौंप दिया गया। विभाग ने १९६२ में इस कार्य के लिए डा० विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय समिति गठित की।

थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट-प्रक्षेपण केन्द्र : त्रिवेन्द्रम से १६ किलोमीटर उत्तर में इसकी स्थापना १९६३ में की गई। नवम्बर, १९६३ में यहां पर ध्वनित राकेट कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। १९६३ से १९७४ के जुलाई मास तक इस केन्द्र से तीन सौ से अधिक राकेट छोड़े जा चुके हैं। भारत ने अपना रोहिनी राकेट तैयार कर लिया है। प्रथम रोहिनी राकेट (आर० एच० ७५) का परीक्षण सफल रहा।

श्री हरिकोटा केन्द्र : थुम्बा में प्राप्त सफलताओं के पश्चात भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में समुद्र में स्थित श्री हरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र की स्थापना का कार्य हाथ में लिया। केन्द्र-निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। यह द्वीप अण्डाकार है तथा इसका क्षेत्रफल ३० हजार है।

अन्तरिक्ष अनुसंधान एवं दूरदर्शन : अमरीका की अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा प्रशासन संस्था (नासा) द्वारा मई १९७४ में जो संचार उपग्रह अन्तरिक्ष में स्थापित किया गया, उससे भारत के पाँच हजार गांवों में दूर दर्शन का विस्तार किया जा सकता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी केंद्र : १९६५ में भारतीय अणु आयोग की स्वीकृति से इसकी स्थापना हुई। इस केन्द्र ने उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के शिल्प तथा निर्माण में अच्छी प्रगति की है। इस केन्द्र में वैज्ञानिक एवं तकनीशियन भारी संख्या में कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी : भारत में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी वैज्ञानिकों का गैर सरकारी और स्वतंत्र संगठन है। ब्रिटेन की रायल सोसायटी अथवा फ्राँस, अमरीका या रूस की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के समान ही भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कार्य करती है। इसकी स्थापना ७ जनवरी, १९३५ को कलकत्ता में हुई थी और अब इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग पर है।

भारतीय फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी

क्र०	नाम	विशेषता	आयु	पुरस्कार-प्राप्ति
१.	खुरशेद जी, आरदशिर	जलपोत निर्माता तथा इंजीनियर	३३	२७-५-१८४१
२.	रामानुजन, श्रीनिवास	गणितज्ञ	३१	२-५-१९१८
३.	सर जगदीशचन्द्र बसु	जीव भौतिकविद	७२	१३-१५-१९२०
४.	सर सी० वी० रमन	भौतिकविद	३६	१५-५-१९२४
५.	मेघनाद साहा	भौतिकविद	३४	१२-५-१९२७
६.	बीरबल साहनी	पैलियोबॉटनिस्ट	४४	७-५-१९३६
७.	सर करीमनिक्कम श्रीनिवास कृष्णन	भौतिकवविद	४२	४-३-१९४०
८.	होमी जहांगीर भाभा	भौतिकविद	३२	२०-३-१९४१
९.	सर शांतिस्वरूप भटनागर	रसायनज्ञ	४८	१८-३-१९४३
१०.	सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर	खगोल भौतिकविद	३४	१६-३-१९४४
११.	प्रशांतचन्द्र महालनौबिस	सांख्यिकीविद	५२	२२-३-१९४५
१२.	दाराशा नौशेरवान वाडिया	भूगर्भवेत्ता	६४	२०-३-१९५८
१३.	सत्येंद्रनाथ बोस	सांख्यिकीविद	६४	२०-३-१९५८
१४.	शिशिरकुमार मित्रा	ऊपरी वायुमंडल भौतिकविद	६८	२०-३-१९५८
१५.	तिरुवेंकट राजेन्द्र शेषाद्रि	रसायनज्ञ	६०	२४-३-१९६०
१६.	पंचानन माहेश्वरी	वनस्पतिशास्त्री	६१	१८-३-१९६६
१७.	कलियंपूडि राधाकृष्ण राव	सांख्यिकीविद	४७	१६-३-१९६७
१८.	एम० जी के० मेनन	भौतिकविद	४२	१९-३-१९७०
१९.	बेंजामिन पियरी लाल	कृषिविज्ञानी	६६	१६-३-१९७२
२०.	हरिशचन्द्र	गणितज्ञ	५०	१५-३-१९७३
२१.	एम० एस० स्वामिनाथन	कृषिविज्ञानी	४८	१५-३-१९७३

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निरन्तर प्रगति

१९४७ में भारत स्वाधीन होने के साथ-साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) की स्थापना की गई। भारतीय उद्योगों की सहायता करने, औद्योगिक अनुसंधान और वैज्ञानिक सूझ-बूझ को बढ़ावा देने तथा देश में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जाल बिछाने के लिए सी०एस०आई०आर० के अन्तर्गत ४४ अनुसंधान संस्थायें कार्यरत हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में १० हजार वैज्ञानिक और तकनीकीविद कार्य कर रहे हैं। सी०एस०आई०आर० ने अभी तक ५७४ प्राविधियां उद्योगों के उपयोग के लिए दी हैं। इनमें से २५७ का इस समय व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

गत २७ वर्षों में सी०एस०आई०आर० ने कई नये उद्योगों के विकास में तथा पुराने उद्योगों को समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी०एस०आई०आर० ने उद्योगों के लिए आवश्यक कई प्रकार की सामग्री, रचना घटकों और साज-सामान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। इन सबसे भी अधिक सी०एस०आई०आर० का जो योगदान रहा है, वह है विविध विषयों में विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री को लेकर अनुसंधान प्रयत्नों को बढ़ावा देना। वैज्ञानिकों को अधिक योग्य, अधिक सक्षम, अधिक प्रबुद्ध और अपने-अपने कार्यों में अधिक दक्ष बनाकर उद्योगों और समाज के विकास के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अधिकांश राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं ऐसी कच्ची सामग्री का सर्वेक्षण करती हैं जिनकी उनको बहुत अधिक आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप कच्चे माल के सम्बन्ध में देश कितना सक्षम है और उसमें किन-किन वस्तुओं की कमी है, इस विषय में हमें आज कहीं अधिक जानकारी प्राप्त है। देश में उपलब्ध कोयला, खाल, चमड़ा निम्न स्तर का प्राप्त होता है। उसका अच्छे उद्योगों में उपयोग नहीं होता। सी०एफ०आर०आई०, धनबाद और सी०एल०आर०आई०, मद्रास ने क्रमशः कोयले, खाल और चमड़े को उपयोगी बनाने के लिए नए तरीके निकाले हैं। कई उद्योगों में समुन्नत कोयला काम में लिया जाता है। ऐसे ही खाल और चमड़ा भी चमड़े का अच्छा सामान बनाने के लिए चमड़ा उद्योगों में काम में लिए जाते हैं। इस दृष्टि से सी०एस०आई०आर० का पिछले २७ वर्षों में आर्थिक विकास में जो योगदान रहा है, वह महत्वपूर्ण है। उसके फलस्वरूप देश में शीशा, चमड़ा, रसायन, धातु, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण जैसे उद्योगों का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ है।

इलेक्ट्रानिक्स : विगत दो दशकों में इलेक्ट्रानिक्स ने भारत में प्रायः सभी मानव प्रयत्नों में अपना स्थान बना लिया है। सी०एस०आई०आर० की दो प्रयोगशालायें, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर अनुसंधान सस्थान (सी०ई०ई०आर०आई०), पिलानी और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन०पी०एल०), नई दिल्ली देश में इलेक्ट्रानिक्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं।

सी०ई०ई०आर०आई० ने टेलीविजन रिसीवरों का अभिकल्प तैयार किया है और उसका विकास किया है। टी०वी० कैमरे बनाये हैं, टेप-रिकार्डर, स्टीरिओफोनिक पिकअप, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम तथा उनके लिए आवश्यक साज-सामग्री का देश में विकास किया है तथा उनके मूल्यों को गिराकर विदेशी मुद्रा की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आवश्यकता में कमी की है। रेल के इंजनों में इलेक्ट्रानिक मोड्यूल काम में आते हैं। ऐसे एक मोड्यूल का मूल्य लगभग ३० हजार रुपये प्रति इंजिन होता है। संस्थान ने इस इंजिन में एक्साइटेशन कंट्रोल प्रणाली से इलेक्ट्रानिक भाग का अभिकल्प तैयार कर, उसका विकास और निर्माण किया है। उससे देश को विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है।

एन०पी०एल० ने भी सोल्डर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, मुलायम और कठोर फैराइट, पाइजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक, आदि को तैयार करने की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। उनका उत्पादन देश में आरम्भ हो जाने से आयात में कमी हुई है और इससे लगभग ३० लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो सकी है।

मशीन : केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी०एम०ई०आर०आई०), दुर्गापुर ने केबिल और तारों को बनाने की एक मशीन की शृंखला तैयार की है। इनका उत्पादन आरम्भ हो गया है और इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके अंतर्गत जो मशीनें बाजारों में आयी हैं, उनमें से कुछ हैं: पेपर इंसुलेटिंग मशीन, बंधिग मशीन, ट्विस्टिंग मशीन, स्ट्रेंडिंग मशीन, कंटीन्यूअस रेजिस्टेंस एनेलायर और स्पूलर। एक २० अश्व-शक्ति के कृषि ट्रैक्टर का भी देश में ही सफलतापूर्वक विकास किया गया है। इसको बनाने से सम्बन्धित जानकारी पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट कार्पोरेशन को दे दी गयी है।

ईंधन और धातु : भारत में पाये जाने वाले कोयले में धातु-कणों का समावेश होने के कारण अच्छा नहीं माना जाता। अपने इन अवगुणों के कारण इस कोयले का उद्योगों में, विशेषकर धातुकर्म उद्योगों में, उपयोग नहीं हो पाता। इस कोयले को विशुद्ध करने का काम विदेशी विशेषज्ञों की दृष्टि में असम्भव था। किन्तु केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०आर०आई०), धनबाद ने इस सम्बन्ध में जो काम किया है उसके परिणामस्वरूप २.५ करोड़ टन कोयला प्रतिवर्ष साफ करने की क्षमता रखने वाले कारखाने का निर्माण हो सका है। कोयला शोधन के कारखाने स्थापित करने से सम्बन्धित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करके संस्थान ने अनेक उद्योगों को स्थापित करने में सहयोग दिया है।

ईंधन और स्नेहन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य विदेशों से करवाया जाता था और उसमें एक नमूने पर लगभग १५ हजार रुपये खर्च होते थे। भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आई०आई०पी०), देहरादून ने ऐसा ही समतुल्य कार्य किया है। संस्थान की विधि से इस कार्य पर लगभग ५ हजार रुपये व्यय होता है और एक नमूने पर १० हजार रुपयों के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसी प्रकार उद्योगों के उपयोग के लिए जो दूसरा कार्य संस्थान द्वारा किया गया है, वह स्नेहन तेलों की सफाई से सम्बन्धित विधि का विकास करना है। निजी क्षेत्र में लगभग १० उद्योगों को यह विधि उपयोग के लिये दे दी गयी है।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन०एम०एल०), जमशेदपुर ने अयस्क और गोली के पूर्व लघुकरण और स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं का विकास किया है। जम-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शेदपुर में संस्थान भवन में २०० टन वार्षिक क्षमता का भी मैग्नेशियम धातु तैयार करने का एक प्रारूप संयंत्र लगाया गया है। यह देश को सामरिक महत्त्व के धातु और उनका मिश्रण तैयार करने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। संस्थान ने कई और विविध प्रकार के लौह मिश्रधातु तैयार करके देश में इनकी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। इनमें टिन, निकल, टंग्स्टन, आदि उल्लेखनीय हैं।

औषधि और चिकित्सा : केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी०डी०आर०आई०), लखनऊ ने गर्भ-निरोध के सम्बन्ध में अभी हाल ही में जो अनुसंधान कार्य किया है, वह महत्त्वपूर्ण है। उसने सेंटस्क्वैयर नामक एक युक्ति तैयार की है। इसको इस्तेमाल करने से कोई बुरा प्रभाव नहीं होता तथा इसमें असफलता की संभावनायें भी बहुत कम हैं। संस्थान का एक अन्य नया आविष्कार है सेंटोजोलोन, जिसे ड्रग कंट्रोलर ने औषधि के रूप में औषधालयों में परीक्षणों के लिए मुक्त कर दिया है।

कांच, सिरेमिक और चमड़ा : कांच और सिरेमिक के क्षेत्र में अभी तक किए गए अनुसंधानों से कांच और सिरेमिक तथा तत्सम्बन्धी उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री को देश में ही उपलब्ध करने में बहुत मदद मिली है। देश में इसके लिए जो विधियां तैयार की गई हैं, उनसे लगभग २.५३ करोड़ रुपये वार्षिक की बचत हुई है। ये अधिकांश विधियां केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (सी०जी०सी०आर०आई०), कलकत्ता द्वारा तैयार की गयी हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं: व्यर्थ अभ्रक से ईंटों का निर्माण, सामरिक महत्व का समांगी कांच, अवरक्त किरण कांच, क्वार्टज, वाटर फिल्टर केण्डिल, इत्यादि।

केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी०एल०आर०आई०), मद्रास ने आयात प्रतिस्थापन करके बचत करने के सम्बन्ध में जो प्रक्रियायें विकसित की हैं, उनमें से कुछ बैल्टिंग चमड़े, पिकिंग बेण्ड स्ट्रेप और अन्य उद्योग सम्बन्धी चमड़े के निर्माण के लिए हैं।

संस्थान ने निर्यात को दृष्टि में रखकर जो विधियां विकसित की हैं, उनमें कच्ची खाल और चमड़े के अतिरिक्त ई०आई० लैदर, क्लोदिंग लैदर, वैट ब्ल्यू लैदर, लाइनिंग क्रोमलैदर का सामान, एनिमल केसिंग, बकरे के बाल, जूते आदि शामिल हैं।

भोजन : केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०टी०आर०आई०), मैसूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिशुओं के लिए भैंस के दूध से आहार तैयार किया जा सकता है। पहले यह समझा जाता था कि शिशु भैंस का दूध हजम नहीं कर सकते। इस विधि के विकसित होने से शिशु आहार उद्योगों में वृद्धि हुई है। इसका आयात कम होने से प्रतिवर्ष ६ करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। संस्थान ने उच्च प्रोटीन वाले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आहार की विधि भी विकसित की है। यह सस्ती है। इसमें पोषण तत्त्व भी पर्याप्त मात्रा में होता है और इसे तिलहन और दाल आदि से तैयार किया जाता है।

इंजीनियरी : संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस०ई०आर०सी०), रुड़की ने अधिक ताकत वाली शक्तिशाली लोहे की डिफार्म्ड छड़ें तैयार की हैं। इनका नाम 'ग्रिपबार' है और इन्हें कंक्रीट को प्रतिबलित करने से लिए मुलायम इस्पात की जगह इस्तेमाल किया जाता है। केन्द्र ने जो एक अन्य विशेष कार्य किया है वह फ्यूनिकूलरशैल से संबधित है और इससे इस्पात की काफी बचत हुई है।

केन्द्र ने कम्प्यूटर अध्ययन के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली ले जाने के लिए तारें बिछाने में इस्तेमाल होने वाले लोहे के टावरों का अभिकल्प तैयार किया है। इससे इस्पात में १० प्रतिशत की कमी हुई है। अनुमान है कि देश में इस्पात के सभी टावर यदि इस अध्ययन के आधार पर लगाये गए तो इससे चौथी योजना अवधि में ८० करोड़ रु० की बचत हो सकेगी।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी०बी०आर०आई०), रुड़की ने कई मंजिले (२-५) मकान बनाने के सम्बन्ध में अध्ययन किए हैं। संस्थान ने माइक्रोवेव एंटेना टावर लगाने के लिए अण्डरीम्ड पाइल की बुनियाद को उपयोगी पाया है। इससे लगभग ४० प्रतिशत की बचत होती है। संस्थान ने उत्तर-रेलवे के लिए ऐसे टावरों के कई डिजाइन तैयार किये हैं।

रसायन उद्योग : रसायन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, उनमें विभिन्न रसायन तैयार करने की विधियां, क्षरण-रोधी रंग-रोगन, मैट्रिक्स बोर्ड आदि उलेखनीय हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन०सी०एल०), पूना ने उद्योगों से सम्बन्धित रसायन, रंग, औषधि, मध्यवर्ती रसायन, आदि तैयार करने के लिए अभी तक १३५ विधियां विकसित की हैं। इनमें से ८३ विधियां उद्योगों को दे दी गयी हैं और उनमें से भी एन०सी०एल० की ५७ विधियां उपयोग में आ रही हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), हैदराबाद ने स्वदेशी कच्ची सामग्री से क्षरण-रोधी रंग-रोगन तैयार किया है। आशा की जाती है कि इसके निर्माण से वर्ष में लगभग एक लाख लीटर रंग-रोगन का आयात कम हो जाएगा।

भारत ने पिछले दिनों पोकरण में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट किया तो विश्व के अनेक देशों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार प्रथम उपग्रह 'आर्यभट्ट' भी सफलता के साथ प्रक्षिपित हुआ। इन दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों से स्पष्ट है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर रहा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३१ :

भारतीय चलचित्र

भारतीय सिनेमा का विकास बड़ी मामूली स्थिति से हुआ। पिछले कुछ दशकों में भारतीय सिनेमा पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों का प्रभाव पड़ा और अब भारतीय सिनेमा ने बड़ी भारी प्रगति कर ली है।

भारत में औसतन प्रतिदिन एक फिल्म और हर तीसरे दिन एक लघु फिल्म तैयार हो जाती है। इस प्रकार अब भारत, जापान और अमरीका के बाद विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में से एक है।

एक बड़ा उद्यम

चाहे किसी भी मानदण्ड से देखा जाय, अब भारतीय सिनेमा एक बड़ा व्यावसायिक उद्यम और एक विशाल उद्योग बन गया है, जिसमें लगभग ११० करोड़ रु० का पूंजी निवेश किया गया है। इसमें विभिन्न योग्यता के एक लाख से अधिक पुरुष और स्त्रियां काम करते हैं और इससे प्रति सप्ताह लगभग ३ करोड़ फिल्म देखने वालों का मनोरंजन होता है।

सिनेमा हमारे युग का इस समय सबसे अधिक शक्तिशाली मनोरंजक और संवाहक बन गया है और इससे बड़ी भारी संख्या में दर्शकों को प्रभावित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मानवीय जीवन के समस्त पहलुओं और क्रियाकलापों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

भारत में प्रथम

भारत में चलचित्रों का प्रथम प्रदर्शन १८९६ की ७ जुलाई को बंबई के वाट्सन्स होटल में फ्रांस के लुमयरे बंधुओं ने आयोजित किया था।

स्व. हरिश्चंद्र सखाराम का दावा था कि वह प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने १८९७ में दो पहलवानों के मल्लयुद्ध पर एक लघु फ़िल्म बनाई थी।

भारत में निर्मित प्रथम वृतचित्र 'पेनोरमा आफ कैलकटा' (१८९८) है जिसका निर्माण कलकत्ता की एक विदेशी कंपनी ने विदेशियों ही से कराया था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रथम समाचार चित्र बनाने का दावा स्व. ज्योतिष सरकार ने किया था । उनका कहना था कि १९०५ के बंग-भंग आंदोलन के विरुद्ध आयोजित प्रदर्शन को उन्होंने फ़िल्मबद्ध किया था ।

स्व० आर० जी० तोर्णे ने प्रथम कथा चित्र 'संत पुण्डलीक' (१९०९) बनाया था जो बंबई के कोरोनेशन थियेटर में दिखाया भी गया था ।

दादा साहब फालके ने 'राजा हरिश्चंद्र' (१९१३) को प्रदर्शित करके इस देश में फिल्म उद्योग की आधार शिला रख कर भारतीय सिनेमा के पितामह कहलाने का गौरव प्राप्त किया ।

बाबूराव पेंटर द्वारा प्रस्तुत 'सैरध्री' (१९२०) पहली फिल्म है जिसे सरकार ने कांट-छांट करके सेंसर किया ।

कलकत्ता में कथा चित्र बनाने का प्रथम प्रयास 'विष-वृक्ष' (१९१५) बनाकर ज्योतिष सरकार ने किया था । इसमें इसी नाम के नाटक के कुछ दृश्य दिखाए गए थे ।

कलकत्ता में बना प्रथम कथा चित्र 'नल दमयंति' (१९१७) था जो निर्माता जे०एफ० मदन ने प्रस्तुत किया था ।

मद्रास में निर्मित प्रथम कथा चित्र 'भीष्म प्रतिज्ञा' (१९२२) था जिसका निर्माण पी० वनकैया ने किया था ।

लाहौर में फिल्म निर्माण की नींव मोती सागर ने ग्रेट ईस्टर्न कार्पोरेशन के अंतर्गत 'लाइट आफ एशिया' (१९२६) बना कर डाली थी ।

प्रथम प्रदर्शित सवाक् चित्र कलकत्ता के मदन थियेटर्स ने १९३१ में बनाया था जिस में कुछ रंगारंग कार्यक्रमों की झलक थी ।

प्रथम सवाक् कथा चित्र 'आलमआरा' (१९३१) है जिसका निर्माण स्व० आर्देशिर ईरानी ने किया था ।

अंग्रेजी तथा हिंदी में निर्मित प्रथम भारतीय चित्र 'कर्मा' उर्फ 'नागिन की रागिनी' (१९३३) था । इसमें देविकारानी ने प्रथम बार अभिनय किया था ।

रंगीन चित्र बनाने का प्रथम प्रयास व्ही० शांताराम ने 'सैर-ध्री' (१९३३) बनाकर किया था । इसे जर्मनी के एक स्टूडियो में रंगीन कराया गया था ।

भारत में पहली कार्टून फिल्म 'लफंगा लंगूर' १९३५ में बनी थी ।

प्रभात फ़िल्म कंपनी द्वारा निर्मित 'अमर ज्योति' (१९३६) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने वाली पहली भारतीय फिल्म है । यह सन् ३६ के वेनिस के अंतर-राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई थी ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म 'नीचा नगर' (१९४६) है। चेतन आनंद की इस कृति ने कॉन (फ्रांस) के अंतरराष्ट्रीय समारोह में पुरस्कार जीता था।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस हैं। १९५८ के कार्लोवि वारी (चेकोस्लोवाकिया के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह) में उन्हें 'मदर इंडिया' की भूमिका के लिए यह गौरव मिला था।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता रणजीत मल्लिक हैं। उन्हें कार्लोवि वारी के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में बंगला चित्र 'कलकत्ता-७१' की भूमिका के लिए १९७२ में पुरस्कृत किया गया, यह मृणाल सेन की रचना है।

नई लहर की फिल्में

अब कुछ नये फिल्म निर्माता सामने आये हैं जो थोड़े से, रुपये-पैसे से लीक से हटकर कलात्मक और प्रायोगिक फिल्में बनाने के लिये उत्सुक हैं, जो इस समय के सामाजिक व्यवहार और प्रथाओं तथा सम-सामयिक प्रवृत्तियों के अनुकूल हों और जिनसे लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की भी सन्तुष्टि हो सके। फिल्म वित्त निगम ने सिनेमा का एक सार्थक ढंग से विकास करने के लिये काफी साहसिक यत्न किये हैं। यह निगम हमारे सिनेमा देखने वाले लोगों की रुचि बदलने का यत्न करता है और प्रतिभाशाली तथा योग्य फिल्म-निर्माताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता देता है। 'भुवनशोम', 'सारा आकाश', 'दस्तक' और 'बदनाम बस्ती' आदि फिल्मों की विशेषता और गुणों की बड़ी सराहना की गई है और इन फिल्मों की इस निगम ने ही वित्तीय सहायता की है।

पूना में राष्ट्रीय फिल्म-संग्रहालय स्थापित किया गया है ताकि देश और विदेश की श्रेष्ठतम फिल्में यहाँ लाकर सुरक्षित रूप से रखी जा सकें। यहाँ फिल्मों का वर्गीकरण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है और फिल्मों के अध्ययन और फिल्मी-सभ्यता के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम हमारी फिल्मों के निर्यात के लिये नये अवसर पैदा करके इस उद्योग की सहायता कर रहा है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना

इस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अनुसार कई नवीनताएं और संस्थागत परिवर्तन इसमें लाये गये हैं। अब पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहा जाएगा।

भारत सरकार ने १९५४ में राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की तथा इनका उद्देश्य उच्चस्तरीय शैक्षणिक व सांस्कृतिक फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना था। इन वर्षों में इन पुरस्कारों ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है तथा सिनेमा कला व तकनीक की विभिन्न शाखाएं भी अब इसमें शामिल हो गई हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस वर्ष से राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रतीक 'कमल' होगा । राष्ट्रपति पदक के स्थान पर अब कमल पुरस्कार शुरू किए गए हैं । स्वर्ण कमल और रजत कमल दो पुरस्कार विभिन्न श्रेणी की किस्मों के लिए हैं और कांस्य कमल, पुरस्कार विजेता फिल्म के प्रमुख अभिनेता व अभिनेत्री को दिया जायेगा । 'भरत' और 'उर्वशी' पुरस्कारों के स्थान पर अब सर्वोत्तम अभिनेता और अभिनेत्री को 'रजत कमल' दिया जायेगा ।

नई योजना में २५ श्रेणी हैं, जिसमें अखिल भारतीय व क्षेत्रीय पुरस्कार शामिल हैं। क्षेत्रीय पुरस्कार क्षेत्र विशेष की प्रमुख भाषाओं में बनाई गई फिल्मों के लिए हैं ।

भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'दादा साहेब फालके' पुरस्कार भारतीय सिनेमा के अग्रदूत श्री डी० जी० फालके की स्मृति में १९६९ में आरम्भ किया गया था तथा श्रीमती देविका रानी रौरिक, श्री बी० एन० सरकार, श्री पृथ्वीराज कपूर (मरणोपरान्त), श्री पंकज मलिक और सुलोचना (रूबी मेयर) को यह पुरस्कार मिल चुका है ।

इस पुरस्कार में २०,००० रु० का नकद पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक और एक शाल दिया जाता है ।

इस पुरकार के चयन के लिए आधार अभी यह है कि जिस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाए वह फिल्म उद्योग से सक्रिय रूप से सम्बद्ध न हो । किसी वर्ष या अवधि विशेष के दौरान भारतीय सिनेमा के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए नहीं, बल्कि यह पुरस्कार व्यक्ति के जीवन काल में उसके इस योगदान के लिए दिया जाता है ।

यह पुरस्कार निर्माताओं, निदेशकों, कलाकारों तथा अपने-अपने फिल्मी क्षेत्रों में प्रख्यात अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है ।

कथाचित्रों, बच्चों की फिल्मों और वृत्तचित्रों के लिए अलग-अलग पुरस्कार हैं तथा अभिनय, निदेशन, चलचित्रिकी, संगीत, पार्श्वगायन, पटकथा और गीत जैसी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी पुरस्कृत होती हैं । कथा-चित्र वर्ग में राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम कथा-चित्र के लिए एक विशेष पुरस्कार की व्यवस्था है ।

इसी प्रकार वृत्तचित्र वर्ग में सूचना, शैक्षणिक, निदेशात्मक, सामाजिक, प्रेरक (व्यावसायिक व अव्यावसायिक), प्रयोगात्मक व कार्टून आदि विभिन्न विषयों पर लघु-चित्रों के लिए अलग-अलग पुरस्कार हैं ।

पुरस्कार योजना के २१ वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल मिलाकर ४९४ पुरस्कार दिये जा चुके हैं, जिसमें ३२७ पुरस्कार कथाचित्रों को दिए गए हैं ।

१९७६ में राष्ट्रीय फिल्म समारोह की रूपरेखा तैयार कर ली गई है । समारोह के लिए फिल्में १५ जनवरी, १९७६ तक मांगी जायेंगी तथा फिल्मों के प्रिंट जनवरी तक स्वीकार किए जायेंगे । राष्ट्रीय जूरी इन फिल्मों की जांच १ से २० मार्च, तक करेगी तथा ३१ मार्च तक परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे । उसके तत्काल बाद ही राष्ट्रीय फिल्म समारोह, १९७६ होगा ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रतियोगी कथा चित्रों और लघुचित्रों के अलग-अलग निर्णायक मंडल बनाये गये हैं। राष्ट्रीय कथा चित्र निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं श्री भगवान सहाय तथा इसके अन्य सदस्य हैं: कुमारी शांता गाँधी, श्रीमती एम० बिल्ग्रामी, श्रीमती सई परांजपे, श्रीमती अमला शंकर, श्रीमती रानू बरुआ, श्रीमती करुणा बनर्जी, सर्वश्री युनुस देहलवी, रेवती शरण शर्मा, विजय तेंदूलकर, अनन्त पटनायक, टी० के० माधवन, केशव राव, बलवन्त गार्गी, ओ० वी० विजयन, अडूर गोपाल कृष्णन, एलांगवेम नीलकान्त सिंह, एमनी शंकर शास्त्री, पोद्दार रामावतार अरुण, राजेन्द्र अवस्थी, एन० वेंकट सुबैया, किरणमय राहा, अर्जुन जयरामदास और सतीश बहादुर।

लघु चित्र निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं श्री प्रशान्त सान्याल तथा सर्वश्री इन्दर लाल दास, विश्म्बर खन्ना, जगमोहन, मोहिन्दर सिंह, और श्रीमती गार्गी दत्त इसके सदस्य हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार

सरकार ने कलात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कृष्ट प्रकार की फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के निमित घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार योजना का इस वर्ष पुनर्गठन किया गया है। फिल्मों, वृत्तचित्रों और प्रायोगिक तथा शैक्षणिक फिल्मों के लिए अलग-अलग पुरस्कार की २५ श्रेणियां हैं।

सन् १९७५ में पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ फिल्में

१९७५ की घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्में और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी व्यक्तियों के नाम ये हैं—

(१) राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र— कोरस (बंगाली)

(२) द्वितीय राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र—अंकुर (हिन्दी)

(३) राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र—परिणय (हिन्दी)

(४) भारतीय स्वतन्त्रता की २५वीं वर्षगाँठ के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए—उत्तरायणम (मलयालम)

(५) लोकप्रिय और शुद्ध मनोरंजन के लिए पुरस्कृत कथाचित्र—कोरा कागज (हिन्दी)

(६) प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए पुरस्कार—सोनार केल्ला (बंगला)

कंकण—कन्नड़, उत्तरायणम—मलयालम

(७) सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सत्यजीत रे—सोनार केल्ला

(८) सर्वश्रेष्ठ सादी फोटोग्राफी के० के० महाजन—कोरस

(९) सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी (रंगीन) सोमेन्दु राय—सोनार केल्ला

(१०) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साधु मेहर—अंकुर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(११) सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी—अंकुर

(१२) वर्ष के सर्वोत्तम बाल अभिनेता मास्टर कुशल चक्रवर्ती—सोनार केल्ला

(१३) सर्वोत्तम पार्श्व-गायक मुकेश—रजनीगंधा

(१४) सर्वोत्तम पार्श्व—गायिका लता मंगेशकर—कोरा कागज

(१५) सर्वोत्तम संगीत निदेशक आनन्द शंकर—कोरस

(१६) सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले सत्यजीत रे—सोनार केल्ला

(१७) सर्वश्रेष्ठ कहानी रितविक घटक—जुक्ति ताको और गोपो

(१८) सर्वोत्तम गीत श्री श्री तेलगु वीरा लेवारा दीक्षा बूनी सागर—अल्लुरी सीता राम राजु

असमिया, हिन्दी, मराठी, उड़िया, मणिपुरी, तमिल, और तेलुगु क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वोत्तम कथा-चित्रों के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

लघु कथा चित्रों के लिए पुरस्कृत

(१) सर्वोत्तम सूचना फिल्म (वृत्तचित्र) 'मैन इन सर्च आफ मैन,' (२) सर्वोत्तम शिक्षाप्रद फिल्म—एटम्स, (३) सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म—बिहाइन्ड दि ब्रेड लाइन, (४) सर्वोत्तम व्यवसाय प्रेरक फिल्म (विज्ञापन) -'टु सर्व इज टु लव' (५) बर्ष की सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायिक)—एक अनेक और एकता (६) सर्वोत्तम कार्टून फिल्म-सिन्थेसिस (७) २५वीं वर्षगांठ पर सर्वश्रेष्ठ लघु चित्र के लिए पुरस्कार—'आई'।

सर्वश्रेष्ठ प्रयोगात्मक फिल्म के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

विदेशी फिल्मोत्सवों में पुरस्कृत भारतीय फिल्में

भारतीय फिल्में उन्हीं दिनों से अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में हिस्सा लेती आ रही हैं, जब फिल्मों में आवाज सुनाई देने लगी थी। पहली ऐसी फिल्म थी—देवकी बोस की 'सीता' जिसे १९३३ में वेनिस में हुई प्रदर्शनी में भेजा गया—यानी वेनिस में हुए पहले उत्सव में ही। १९३६ में व्ही. शांताराम-निर्देशित, प्रभात की फिल्म 'अमर ज्योति' वेनिस भेजी गयी।

पहली ऐसी फिल्म, जिसे ख्याति मिली, प्रभात की मराठी फिल्म 'संत तुकाराम' थी। इसका निर्देशन दामले और फतेहलाल ने किया था और १९३७ में वेनिस में दिखायी गयी फिल्मों में उसे सर्वश्रेष्ठ तीन फिल्मों में से एक घोषित किया गया था।

विदेशों में पुरस्कार पानेवाली अन्य भारतीय फिल्में थीं—'नीचा नगर': प्रथम कांस फिल्मोत्सव में ग्रां प्री पुरस्कारों में से एक; 'अमर भुपाली'; कांस में ही ध्वनि-अंकन के लिए; 'बाबला' : कार्लोवी वारी में सामाजिक विकास के लिए संघर्ष संबंधी पुरस्कार; 'दो बीघा जमीन' : कांस; 'पथेर पाँचाली' कांस, एडिनबरा, मनीला, सन फ्रैंसिस्को, वैनकूवर आदि;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

'जागते रहो' : कार्लोवी वारी में ग्रां प्री; 'अपराजित'; वेनिस में गोल्डन लायन ऑव सेंट मार्क, तथा अन्य पुरस्कार; 'दो आँखें बारह हाथ': बर्लिन; 'मदर इंडिया' के लिए कार्लोवी वारी में नरगिस को पुरस्कार; 'गौतम द बुद्ध': कॉंस; 'अपुर संसार': लंदन और एडिनबरा, 'तीन कन्या' : बर्लिन और मेलबोर्न, 'सात पाके बाँधा, के लिए मास्को में सुचित्रा सेन को पुरस्कार, 'महानगर' और 'चारुलता', बर्लिन, 'यादें' : फ्रैंकफर्ट, 'शेक्सपियरवाला' के लिए बर्लिन में मधुर जैफ्री को पुरस्कार, 'गाइड के लिए वहीदा रहमान को शिकागो पुरस्कार, 'नायक': बर्लिन, 'भुवन शोम' : वेनिस, 'कंकु' के लिए पल्लवी मेहता को शिकागो पुरस्कार: 'इंटरव्यू' के लिए रंजीत मल्लिक को कार्लोवी वारी पुरस्कार, मायादर्पण' : लोकार्नो, 'असनि संकेत' बर्लिन में तथा '२७ डाउन': मन्नहाइम में पुरस्कृत हुई। अन्य पुरस्कार पाने वाले कलाकार हैं—शिवाजी गणेशन, जिन्हें 'वीरपंडिया कट्टबोमन' के लिए काहिरा में पुरस्कार मिला, और दिलीप कुमार जिन्हें 'गंगा जमना' के लिए कार्लोवी वारी में डिप्लोमा ऑव ऑनर दिया गया।

उपलब्ध विद्युत क्षमता को अत्यन्त मितव्ययिता से उपयोग में लाकर विद्युत मण्डल को सहयोग दें

बिजली की बचत करें और बची हुई बिजली उद्योग एवं कृषि में उत्पादन हेतु लगायें।

मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां —

विद्युत स्थापित क्षमता	७७२.५ मेगावाट

पांचवीं योजना में १०६७ मेगावाट तक अतिरिक्त वृद्धि प्रस्तावित

राज्य के संतुलित विकास हेतु पिछड़े जिलों में विद्युत विकास के विशेष प्रयास

पंपों के विद्युतीकरण हेतु लाइनें बिछाई गई—	१,६२,५२७
विद्युतीकृत ग्राम एवं शहर—	११,१४१
विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ—	२,३८०
विद्युत उपभोक्ता—	८,४७,२०४

राष्ट्र की आर्थिक समुन्नति हेतु

सदैव तत्पर

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

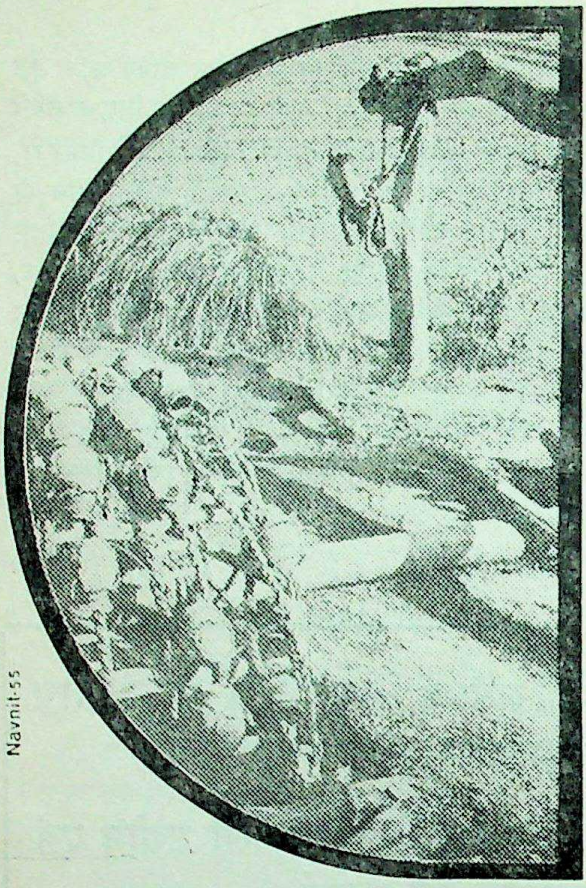

COME FORWARD FOR 'BACKWARD' AREAS!

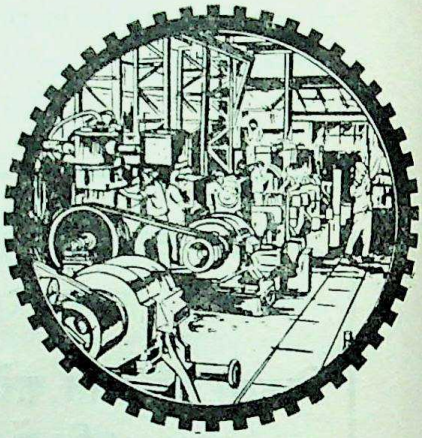

Navnit-55

Why should you be interested in Backward Areas ?

- Loans from GSFC with liberal margin
- At a low rate of interest
- Upto amount as high as 30 lakh rupees
- And longer repayment schedule if necessary
- If you choose Broach/Panch Mahal/ Surendranagar/Dadra & Nagar Haveli, you get 15% Capital Subsidy.
- 20% of the profit is Income-tax free during first ten years!

And there are many more incentives.Think it over and come forward for Backward Districts.

GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION AHMEDABAD INDIA

Write to :
Investment Information Officer,
GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
Children's Hospital Building,
Mithakhali, Ahmedabad-380009
Phone : 44586, 44627, 44480, 44791

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३२ :

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष

संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने १९७५ वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। प्रत्येक देश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए यह वर्ष महिला एवं पुरुषों की समानता के सिद्धान्त की कानूनी व व्यावहारिक मान्यता को कानूनी व सामाजिक तरीकों से आगे बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित करता है।

जनसंख्या के लिहाज से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की लगभग ६० करोड़ जनसंख्या में से २६ करोड़ ४० लाख महिलाएं हैं (१९७१ जनगणना)। अर्थात प्रत्येक एक हजार पुरुषों के पीछे ७३० महिलाएँ हैं। महिलाओं का यह विशाल समूह इस पिछड़े हुए देश में भी पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है। एक हजार साक्षर व शिक्षित पुरुषों के मुकाबले साक्षर महिलाओं में स्नातक महिलाओं की संख्या केवल ४७४ है। एक हजार पुरुषों के मुकाबले में स्नातक महिलाओं का अनुपात केवल २४६ है।

महिलाओं की औसत आयु भी भारत में पुरुषों की अपेक्षा कम है। पुरुष की औसत आयु ४७.१ है तो महिला की औसत आयु ४५.६ हैं। इस कमी का कारण भी जन्म से ही रूढ़ीग्रस्त भारतीय जीवन में लड़की की अपेक्षा रहा है। एक हजार जन्मदर में लड़कियों की शिशु मृत्यु १४८ है जबकि लड़कों की १३२ है।

बाल विवाह, विधवा जीवन, सतीप्रथा, दहेज, वेश्यावृत्ति, अशिक्षा, रूढ़ीग्रस्त जीवन आदि अनेकानेक समस्याएँ भारत में रही हैं जिन्होंने भारतीय नारी के जीवन को सदियों से हीन तथा विषम स्थिति में रखा। इस स्थिति के विरुद्ध देश में समय-समय पर सामाजिक संस्थानों ने अभियान चलाया। १९वीं शताब्दी में हिन्दू समाज में नारी की स्थिति को सुधारने के लिए तीन विशेष अभियान चले। ये अभियान थे—ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज व आर्य समाज। महात्मा गांधी ने नारी प्रगति को स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख अंग बनाया। इन सबके बावजूद आज भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है।

बहु विवाह

भारत में विवाहित पुरुषों व विवाहित महिलाओं का अनुपात १००० : १०२४ है। इसी से प्रकट है कि पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। भारतीय सुधार आन्दोलनों ने इस प्रथा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के खिलाफ अभियान चलाये। भारत सरकार ने हिन्दुओं में बहुविवाह को कानून द्वारा अपराध भी घोषित कर दिया किन्तु हिन्दुओं में भी यह स्थिति (बहुविवाह प्रथा) अभी समाप्त नहीं हुई। मुस्लिम समाज में बहुविवाह अपराध नहीं है।

सरकारी कर्मचारी आचरण अधिनियम में बहुविवाह अपराध है। इस वर्ग पर यह कानून प्रभावी रहा है।

बाल विवाह

भारतीय बाल विवाह रोक (संशोधित) कानून के अनुसार लड़कों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़कों की १८ वर्ष तथा लड़कियों की १५ वर्ष है। यह कानून हिन्दुओं पर लागू है। अन्य धर्मों में न्यूनतम विवाह आयु के निजी कानून भी हैं।

कानून के बावजूद बाल विवाह अभी भी साधारण दृश्य है। कानून के विरुद्ध की गई शादी की वैधता पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ता। बाल विवाह के कारण लड़कियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है व प्रसव में उसकी मृत्यु होती है।

विधवा

विधवा जीवन भारतीय महिला के जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप रहा है। १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत में विधवाओं की संख्या २ करोड़ ३० लाख थी जब कि विधुर ८० लाख थे। इस अन्तर का कारण यह है कि ऊँची जातियों में विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त नहीं है। सामाजिक जीवन में विधवाओं को भारी विषमता एवं कठोरताओं का सामना करना पड़ता है। विधवा विवाह भी सुधार आन्दोलन के एक प्रमुख अंग के रूप में प्रारम्भ हुआ व चल रहा है।

वेश्यावृत्ति

वेश्यावृत्ति रोकथाम कानून बन चुके हैं किन्तु वर्तमान सामाजिक अवस्था में वेश्यावृत्ति नये-नये स्वरूप ले रही है।

दहेज

भारतीय संसद ने १९६१ में दहेज निषेध कानून बनाया। यह कानून नितान्त अप्रभावी है। इस कानून के अन्तर्गत शायद ही कभी मुकदमा चलता हो। दहेज प्रथा आज अधिक से अधिकतम गम्भीर व भयानक स्वरूप लेती जा रही है।

मांग की जा रही है कि दहेज को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध घोषित किया जाए। भारतीय महिलाओं के स्तर की जांच के लिए नियुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में दहेज के लेन देन को निषिद्ध किया जाए।

तलाक़

हिन्दू-विवाह कानून १९५५ के अन्तर्गत हिन्दू-स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में तलाक के अधिकार प्राप्त हैं। हिन्दुओं के कुछ जातियों में तलाक के कुछ रीति रिवाज़ भी हैं। देश में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तलाकशुदा महिलाओं की संख्या ८ लाख ७० हजार है। तलाकशुदा पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात १०००:१६३० है। मुस्लिम वैयक्तिक कानून में केवल पुरुषों को तलाक का अधिकार प्राप्त है।

तलाकशुदा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक होने का एक विशेष कारण यह भी है कि तलाकशुदा महिलाओं की शादी होने में सामाजिक परिस्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हो रही हैं।

हिन्दू उत्तराधिकार कानून १९५६

इस कानून के अन्तर्गत हिन्दू महिला को अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दिए गए। यह कानून पुत्री, विधवा तथा मां को लड़के के समान ही पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करता है। व्यवहार में यह अप्रभावी है। लगभग ८० प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायता देती हैं। फिर भी परिवार की संयुक्त संपत्ति पर तलाक अथवा विधवा अवस्था में वे अपना अधिकार काम में नहीं ले पातीं। मुस्लिम कानून में तलाक की अवस्था में कुछ संपत्ति स्त्री को मिलने की व्यवस्था है।

हिन्दू दत्तक तथा जीवन यापन कानून १९५६

इस कानून द्वारा महिला को गोद लेने का अधिकार दिया गया। परित्यक्ता पत्नी को जीवन यापन भत्ता दिलाने की व्यवस्था भी इस कानून में है। इस कानून के पालन में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जोकि भत्ते की डिक्री को अपराध दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत वसूली योग्य बनाकर दूर की जा सकती हैं।

समान सिविल कोड

संविधान की धारा ४४ में कहा गया है कि राज्य सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। हिन्दू कोड बिल बन गया किन्तु मुस्लिम महिलाएँ आज भी वैयक्तिक कानून की विषमताओं से पीड़ित हैं। सदियों पुरानी यह स्थिति चली आ रही है।

संविधान के निदेश पालन हेतु समान नागरिक संहिता बनाया जाना आवश्यक समझा जा रहा है।

संवैधानिक वायदे

भारतीय संविधान महिला एवं पुरुषों को समान स्तर का वायदा करता है। इस सम्बन्ध में संविधान में किये गये प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से हैं—

धारा १५ : राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं करेगा।

धारा ३९ : महिला व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी है।

धारा ४२ : राज्य कार्य की मानवीय स्थितियों, प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा ४६ : राज्य निर्बल वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को विशेष रूप से आगे बढ़ाएगा और सामाजिक अन्याय व प्रत्येक प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

निदेशक सिद्धान्तों में विश्वास दिलाया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध इस देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा।

समान कार्य समान वेतन

'समान कार्य समान वेतन' सरकार की नीति है। किन्तु वेतन का भेदभाव अभी भी बहुत बड़े स्तर पर कायम है। असंघटित श्रम क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है। सरकारी निर्माण कार्यों तथा राहत कार्यों में भी वेतन के भेदभाव को अभी पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सका है। ठेकेदारी तथा निजी कृषि क्षेत्र, जहाँ कि महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में काम करती हैं, यह भेदभाव कहीं अधिक है।

प्रसूति सुविधाएँ

संविधान की व्यवस्था के अनुसार सरकार ने प्रसूति सुविधा कानून १९६१ लागू किया। यह कानून अभी सभी उद्योगों पर पूर्ण रूप से लागू नहीं है। कृषि मजदूर भी इस कानून से लाभान्वित नहीं है। बीड़ी मजदूरों तथा विभिन्न उद्योगों के लिए घर पर कार्य करने वाले श्रमिकों को भी इस कानून के अन्तर्गत राहत नहीं मिलती। इस कानून को अधिक व्यापक रूप में लागू करने के बारे में विचार चल रहा है।

मानवीय सुविधाएँ

जिस उद्योग में ५० से अधिक महिलाएँ कार्य करती हों वहाँ बच्चों की देखरेख के लिए फैक्ट्री कानून के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रावधान है। ५० श्रमिकों की संख्या को २० तक लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

स्त्रियों को रात देर तक काम कराने की स्थिति में उनके लिए परिवहन व सुरक्षा की व्यवस्था अभी ठीक नहीं है।

शिक्षा

भारत में साक्षरता प्रतिशत कुल जनसंख्या का २९.५ है। पुरुषों का प्रतिशत ३९.५ है जबकि महिलाओं का १८.७ है। साक्षरता केरल में सर्वाधिक है जबकि राजस्थान में सबसे कम। महिलाओं के पिछड़ेपन का बड़ा कारण उनकी अशिक्षा ही है।

भारतीय संविधान में १४ वर्ष की उम्र तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गयी है। इस लक्ष्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिली है। शिक्षा आयोग ने १९७५-७६ तक सभी बच्चों को ११ वर्ष की उम्र तक प्रभावी शिक्षा देने का लक्ष्य रखा था। यह लक्ष्य, विशेषकर महिला शिक्षा के मामले में पूरा नहीं किया जा सका है।

१९४७ में शिक्षा पा रही लड़कियों में भी ८३ प्रतिशत केवल प्राथमिक शाला में थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर तेजी के साथ प्रगति की है। कालेज व विश्वविद्यालयों में १९४६-४७ में लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा केवल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१२ प्रतिशत थी। १९७३-७४ में यह प्रतिशत ३१ हो गया। शिक्षा के सभी स्तरों में लड़कियां इस समय लड़कों की अपेक्षा ५४ प्रतिशत से अधिक हैं। १९५०-५१ में यह प्रतिशत ३३ था।

स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा केवल चिकित्सा, शिक्षा, नर्सिंग व कानून में ही सम्भव थी। स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं को इंजीनियरिंग तथा तकनीकी क्षेत्रों में भी प्रवेश मिला। इन क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवेश अभी संतोषजनक नहीं है।

रोजगार व आर्थिक सहयोग

भारतीय महिला विशेषकर ग्रामीण महिला कुटुम्ब के लिए रोजी रोटी कमाने में हमेशा से उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण सहयोग देती रही है। कृषि कार्यों का काम परंपरा से महिलाएँ करती आ रही हैं।

१९७१ की जनगणना के अनुसार ३ करोड़ १२ लाख ९८ हजार महिला कार्यकर्ता परिवार के आर्थिक जीवन में नियमित सहयोग दे रही हैं। इनमें से ८०.१ प्रतिशत कृषि में, १०.५ प्रतिशत उद्योग में तथा ९.४ प्र. श. नौकरी में लगी हुई हैं। उद्योग में महिलाओं की भागीदारी १९६१ के बाद से गिर रही है। उद्योग के आधुनिकीकरण के कारण से अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता कम होती जा रही है। और इसी कारण उद्योगों में महिलाओं का अनुपात घट रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ८७ प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती हैं जबकि शहरी क्षेत्र में १७.५ प्रतिशत। कृषि क्षेत्र में पुरुष व महिला के वेतन का अनुपात ३:२ है। कृषि मजदूर महिलाओं को हमेशा कार्य मिलता भी नहीं। शहरों में महिलाएँ अधिकतर दैनिक मजदूरी करती हैं।

शिक्षित महिलाएँ अधिकांश में शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीफोन आपरेटर तथा लिपिक कार्य में हैं। रोजगारी महिलाओं में से ३०.३ प्रतिशत अध्यापक, ७२.२ प्रतिशत नर्स अथवा अन्य स्वास्थ सेवाएँ, ७.१ प्रतिशत डाक्टर, १०.९ प्रतिशत वैज्ञानिक व १.२ प्र. श. वकील हैं।

शिक्षित महिलाओं के लिए उनकी प्रतिभा का पारिवारिक परम्पराओं अथवा अन्य हितों पर बलिदान कर दिया जाना भी बहुत बड़ी समस्या है। पुरुष डाक्टरों की अपेक्षा महिला डाक्टरी शिक्षा प्राप्त २५ प्रतिशत है किन्तु व्यवसाय में केवल ६.१ प्रतिशत। ये महिला डाक्टर या तो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रेक्टिस नहीं कर सकीं अथवा विवाह करके विदेश चली गयीं। शिक्षा के बाद ६१ प्र.श. विज्ञान स्नातकोत्तर ५३.७ प्र.श. विज्ञान स्नातक, ६१.१ प्र.श. मेडिकल ग्रेजुएट तथा ७७ प्र.श. मेडिकल डिप्लोमा प्राप्त महिलाएँ कार्य नहीं करती। महिलाओं के लिए तो यह गम्भीर स्थिति है ही साथ में राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय भी है।

देश की सर्वोच्च नौकरियों में भी महिलाओं ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अखिल भारतीय सेवाओं (I.A.S., I.F.S., I P.S.) में महिला व पुरुष का अनुपात १९६० में १:६५.६ था जो कि १९७२ में १:७.६ रह गया। अखिल भारतीय सेवाओं में महिलाओं की यह प्रगति विशेष प्रशंसनीय है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राजनीति व महिलाएँ

भारतीय संविधान देश में महिला एवं पुरुषों को बालिग मताधिकार द्वारा राजनीतिक समानता की गारन्टी देता है। गांधीजी ने स्वतन्त्रता संघर्ष के प्रारम्भ में ही घोषणा की थी कि महिलाओं को समान मताधिकार तथा कानूनी अधिकार मिलना चाहिए।

समान मताधिकार प्राप्ति के पश्चात भी महिलाएँ उसके उपयोग में अभी पिछड़ी हुई हैं। १९७१ के चुनाव में ६१ प्र.श. पुरुषों ने मतदान किया जबकि केवल ४९.१५ प्र.श. महिलाएँ ही अपने अधिकार का उपयोग कर पायीं। यही स्थिति पिछले आम चुनावों में कमी बेशी रूप में रही। १९६२-६७ तथा ७१ के लोक सभा चुनावों में भाग लेने वाली महिला प्रत्याशी कुल प्रत्याशियों के क्रमशः केवल १३, १३ व १७ प्र.श. थी। लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या पिछले तीन चुनावों में लगातार गिरी है जोकि क्रमशः ३३, २८ व २१ है।

१९५२ से अभी तक कुल १३ महिलाएँ केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश पा सकी हैं। इन में से ६ उपमंत्री, ५ राज्यमंत्री, १ मंत्री तथा १ प्रधान मंत्री बन सकी है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिशत आठ से कम ही रहा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष पद एक बार महिला को मिला। राज्यों के मुख्यमंत्री पदों पर तीन महिलाएँ अभी तक आसीन हो सकीं। तीन महिलाओं को राज्यपाल पद भी प्राप्त हुए।

महिला संगठन

इस समय ५ गैर-राजनीतिक महिला संगठन कार्यरत हैं। ये महिला मुक्ति व कल्याण की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए गतिविधियाँ चलाते हैं। इनका संचालन महिलाएँ ही करती हैं। ये हैं—(१) आल इंडिया वुमेन्स कान्फ्रेन्स (१९२६), (२) नेशनल कौन्सिल आफ वुमेन इन इन्डिया (१९२५), (३) भारतीय ग्रामीण महिला संघ (१९५५) (४) नेशनल फेडरेशन आफ इन्डियन वुमेन (१९५४) तथा (५) स्त्री शक्ति जागरण (१९७३)।

महिला कल्याण गतिविधियाँ

भारतीय आयोजनों में समाज कल्याण क्षेत्र में महिला कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस कार्य के लिए ५वीं योजना में ६२.९१ करोड़ का प्रावधान किया गया है। चौथी योजना में यह प्रावधान ७३.०६ करोड़ रु० का था। महिला कल्याण की जिम्मेदारियाँ निम्न संगठनों पर हैं—(१) योजना आयोग (२) शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय (३) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड व महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (४) स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्रालय (५) गृह मंत्रालय तथा (६) श्रम व रोजगार मंत्रालय।

मैक्सिको कान्फ्रेंस में

मैक्सिको में २९ जून ७५ से आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला कांफ्रेंस में महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री श्रीमती प्रभाराव के नेतृत्व में ९ सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लेकर भारतीय महिलाओं की स्थिति पर विचार विनिमय किया। वर्ष के अन्तर्गत भारत में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३३ :

राजनीतिक दल

वर्ष १९७४ राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण का वर्ष रहा है। भारतीय क्रान्ति दल, स्वतन्त्र पार्टी, संसोपा तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने काँग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल बनाने की पहल की। परिणामस्वरूप २९ अगस्त १९७४ को भारतीय लोकदल के नाम से नये दल की स्थापना की गई।

इस समय देश में श्री देवकान्त बरूआ के नेतृत्व वाली काँग्रेस तथा श्री अशोक मेहता के नेतृत्व वाली काँग्रेस के अतिरिक्त जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये पाँच प्रमुख दल हैं। द्रविड़ मुनेत्र कषगम, रिपब्लिकन पार्टी, अकालीदल आदि क्षेत्रीय स्तर के दल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

कांग्रेस देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना सन् १८८५ में मि०ए०ओ० ह्यूम नामक अवकाश-प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ने की थी। प्रारम्भ में इस संस्था का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू कराना था किन्तु बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही राष्ट्रवादी तत्त्वों के भारी संख्या में इसमें प्रवेश करने के कारण कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के क्षेत्र में अग्रसर हो उठी और १९४७ तक वह देश में राष्ट्रीय रंगमंच पर सबसे प्रभावी पार्टी के रूप में कार्य करती रही।

१५ अगस्त १९४७ को अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर देश का शासन सूत्र भी इसी दल ने सम्भाला। सन् १९४८ में काँग्रेस ने अपने लक्ष्य की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत में शान्तिपूर्ण वैध उपायों द्वारा जनता के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की समानता पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसका ध्येय विश्वशान्ति तथा सहयोग है। गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मार्ग से देश की प्रगति की घोषणा की।

विदेश नीति के क्षेत्र में काँग्रेस गुटनिरपेक्ष नीति की समर्थक रही। राष्ट्र को शक्ति गुटों के प्रभाव से मुक्त रखने और अन्य राष्ट्रों से सैनिक गठजोड़ करने के विरोध में कांग्रेस की नीति रही। संयुक्त राष्ट्रसंघ को विश्वशांति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण मानकर औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता, रंगभेद की नीति का परित्याग, अन्य राष्ट्रों से सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग तथा विश्वशांति उसकी विदेश नीति के प्रमुख आधार रहे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कांग्रेस के दो दल (कांग्रेस—संगठन कांग्रेस)

१९६९ में इस दल में एक भीषण आन्तरिक विस्फोट हुआ जिसके कारण वह दो पार्टियों में विभाजित हो गया। काँग्रेस के लम्बे इतिहास में पहले भी ऐसे अवसर आए जब भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में विखंडन की स्थिति पैदा हुई और किसी बड़े विभाजन से वह हर बार बचती रही, परन्तु इस बार नहीं बच सकी।

जून, १९६८ में कांग्रेस महासमिति के बंगलौर अधिवेशन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के प्रश्न पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी और अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा और दोनों के समर्थकों के बीच सीधा टकराव हुआ। १३ जून को श्रीमती गांधी के विरोध के बावजूद लोकसभा के अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी को दल के संसदीय बोर्ड ने दो के विरुद्ध चार के बहुमत से कांग्रेसी प्रत्याशी चुना।

श्री रेड्डी के पक्ष में सर्वश्री मोरारजी देसाई (जो उस समय उप-प्रधानमंत्री व वित्त मन्त्री थे), श्री कामराज, श्री यशवन्तराव चह्वाण, और श्री स० का० पाटिल ने तथा विरोध में श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद ने मत दिये। श्री जगजीवनराम ने मत नहीं दिया क्योंकि उनका अपना नाम श्रीमती गाँधी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था। उन्होंने अन्य नाम श्री वराहगिरि व्यंकट गिरि का रखा था। श्री निजलिंगप्पा द्वारा मतदान किये जाने का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन, जबकि श्री जगजीवनराम श्री रेड्डी के विरुद्ध थे, श्री निजलिंगप्पा उनके पक्ष में थे।

सोलह अगस्त १९६९ को हुए राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती गांधी और उनके समर्थकों ने 'अन्तरात्मा की आवाज' के अनुसार श्री गिरि को मत दिये और श्री गिरि विजयी रहे।

इसके बावजूद काँग्रेस कार्यसमिति की अगली बैठक में एकता बनाये रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। पर, इस पर अमल न होने की शिकायतें दोनों ओर से होती रहीं। बाद में प्रधानमन्त्री के समर्थकों ने श्री निजलिंगप्पा को अध्यक्ष पद से हटाने के उद्देश्य से महासमिति की विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध करते हुए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया।

श्री निजलिंगप्पा और उनके गुट ने इस कार्य को अनुशासन भंग की गम्भीर कार्यवाही माना और कार्यसमिति की अगली बैठक से एक रात पूर्व श्री जगजीवनराम, श्री फखरुद्दीनअली अहमद और तीन में से एक महासचिव डा० शंकरदयाल शर्मा को कार्य समिति की सदस्यता से अलग कर दिया।

श्रीमती गाँधी ने उसी रात अपने समर्थक नेताओं की एक बैठक बुलाकर कार्यसमिति की बैठक अपने निवास स्थान पर उसी समय करने की घोषणा की। इस प्रकार दूसरे दिन एक ही समय कार्यसमिति की दो समानान्तर बैठकें हुईं—एक दल के मुख्यालय पर श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में हुई और दूसरी प्रधानमंत्री निवास पर श्रीमती गांधी के सभापतित्व में। यही कांग्रेस के विभाजन की पहली निर्णित प्रक्रिया हुई। कार्यसमिति के २१ सदस्यों में से ११ श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में और शेष दस श्रीमती गांधी द्वारा बुलायी गयी बैठक में सम्मिलित हुए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस प्रकार दल का दो भागों में विभाजन एक वस्तुस्थिति बन गया।

प्रधानमन्त्री और उनके समर्थकों ने २३ और २४ नवम्बर को महासमिति की विशेष बैठक में श्री निजलिंगप्पा और उनकी कार्यसमिति के सभी सदस्यों को दल से निकाल दिया तथा उनके द्वारा की गई सारी अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द कर दी। इसके बाद काँग्रेस संसदीय दल का भी विभाजन हो गया।

कांग्रेस

अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ, महामन्त्री—सर्वश्री श्रीमती एम० चन्द्रशेखर, पी० वी० नरसिंहराव, श्रीमती पूर्बी मुखर्जी और अजीज इमाम। अन्य प्रमुख नेता हैं—श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री यशवन्तराव चव्हाण, श्री जगजीवनराम, श्री स्वर्णसिंह, श्री उमाशंकर दीक्षित। संसदीय अधिकारी—लोकसभा—सी० एफ० स्टीफन (उपनेता), राज्यसभा—श्री उमाशंकर दीक्षित—(नेता) और वी० बी० राजू (उपनेता)।

संगठन कांग्रेस

अध्यक्ष—श्री अशोक मेहता, महामंत्री—श्री सिकन्दर बख्त। संसदीय दल के नेता लोकसभा—श्री श्यामनन्दन मिश्र (नेता), राज्यसभा—श्री महावीर त्यागी। श्री मोरारजी देसाई एवं श्री चन्द्रभानु गुप्त दल के वरिष्ठ नेताओं में से हैं।

भारतीय लोकदल

कुछ दलों और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर २९ अगस्त, १९७४ को एक नये दल का गठन किया। ये दल थे—भारतीय क्रान्तिदल, संसोपा, स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, प्रगतिदल (उत्कल कांग्रेस), हरिजन संघर्ष समिति, हरियाणा, खेती बाड़ी जमींदारी यूनियन, पंजाब, जनता पार्टी, मध्यप्रदेश और बंगला काँग्रेस।

इन दलों का कहना है कि हमने देश में एक लोकतन्त्रीय एवं राष्ट्रवादी विकल्प निर्माण करने के लिए यह दल गठित किया है।

लोकदल ने अपना सिद्धांत घोषित किया है—"लोकतन्त्र, राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षवाद (जिसे सर्व धर्म समभाव भी कहा जा सकता है), सामाजिक न्याय (जिसका निहित अर्थ है समानता और समृद्धि के आधार पर जनता का कल्याण) और ऐसे समाज की स्थापना जो सभी प्रकार से शोषण मुक्त हो और महात्मा गांधी की शिक्षा या उनके दृष्टिकोण से प्रेरित हो।"

इस समय दल के अध्यक्ष—चौधरी चरणसिंह, महामन्त्री—श्री पीलू मोदी हैं। अन्य नेताओं में—श्री राजनारायण, रबि रे, बीजू पटनायक आदि हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन इस देश में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान काँग्रेस के अन्तर्गत ही हुआ था। किन्तु १९४२ के 'भारत छोड़ो आंदोलन' का विरोध करने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को काँग्रेस से बाहर आकर अपना विधिवत् पृथक संगठन खड़ा करना पड़ा और अब यह पार्टी देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चुनाव घोषणापत्र के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक क्षेत्र में विदेशी एकाधिकारवाद की समाप्ति पर बल देती है और सभी व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। 'चौथी योजना' के प्रारूप से मतभेद रखते हुए 'जनवादी योजना' का सुझाव देती है। जिसके अनुसार आवश्यकता के अनुसार वेतन के सिद्धांत को स्वीकार किया जा सके और कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में श्रमिकों को समुचित वेतन दिया जा सके। अन्यान्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ-साथ पार्टी विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समर्थक है।

इस समय पार्टी के चेयरमैन श्री श्रीपाद अमृत डाँगे और महासचिव श्री सी० राजेश्वरराव हैं। दल का केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख नेता हैं—श्री हीरेन मुकर्जी, श्री भूपेश गुप्त आदि।

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

सन् १९६४ में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े वर्ग ने रूस-चीन के सैद्धान्तिक मतभेदों से प्रभावित होकर एक नवीन दल का गठन किया जो सोवियत संघ के 'संशोधनवाद' का घोर विरोधी था। इस नवीन दल का नाम 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी' रखा गया और घोषणा की गयी कि यह नवीन दल भारतवर्ष में समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना करने के लिए उन भारतीय श्रमजीवियों का प्रभावी संगठन होगा जोकि मार्क्सवाद और लेनिनवाद के प्रति अपनी अटूट आस्था रखते हैं तथा जो प्राथमिक चरण के रूप में इस देश में जनवादी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना चाहते हैं।

चुनाव घोषणापत्र के अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी बैंक उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने, निजी क्षेत्र को समाप्त करने एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं पर कर कम करने का आश्वासन देती है। कम्युनिस्ट पार्टी की ही भाँति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी सामन्तवादी व्यवस्था का पूरी तरह उन्मूलन कर क्राँतिकारी भूमि सुधारों की समर्थक है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पार्टी वर्ग संघर्ष और जनान्दोलनों की अपरिहार्यता को स्वीकार करती है। कम्युनिस्ट चीन से वर्तमान विवाद को हल करने के लिए पार्टी सीधी द्विपक्षीय वार्ता पर बल देती है और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे वर्तमान व्यापारिक एवं वाणिज्यिक करारों को समाप्त करने की समर्थक है।

दल के महासचिव श्री पी० सुन्दरैया हैं और सर्वश्री ए० के० गोपालन, ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद, पी० राममूर्ति, एम० बसवपुनैय्या, बी० टी० रणदिवे तथा ज्योति बसु प्रमुख नेताओं में से हैं। दल की केन्द्रीय समिति का कार्यालय कलकत्ता में है।

इन दो कम्युनिस्ट पार्टियों के अतिरिक्त खुली हिंसा में विश्वास रखने वाले नक्सलवादी खुलेआम माओवाद का प्रचार कर हिंसात्मक प्रवृत्तियों को भड़काते रहे हैं। उनकी दृष्टि में दोनों कम्युनिस्ट 'संशोधनावादी', डरपोक व 'पथभ्रष्ट' हैं। सरकार ने ४ जुलाई १९७५ को नक्सलवादियों की विभिन्न संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

भारतीय जनसंघ

भारतीय जनसंघ की स्थापना सन् १९५१ में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस दल ने देश के विरोधी दलों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जनसंघ एकात्मक मानवतावाद को अपना आदर्श मानता है और राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की पारस्परिक होड़ को समाप्त करने के लिए एकात्मक शासन का समर्थक है।

विदेश नीति के क्षेत्र में जनसंघ घोषणा करता है कि असंलग्नता हमारे लिये अनुल्लंघनीय धर्म के रूप में नहीं है। वह द्विपक्षीय समझौते का समर्थक है और ऐसा करते समय विभिन्न राज्यों के शक्ति गुटों से सम्बन्धों को वह अधिक महत्व नहीं देता। पाकिस्तान के प्रति यथार्थवादी नीति का पोषक है।

राष्ट्रीय स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाने की दृष्टि से भारत के समारिक बल को बढ़ाने और अणुबम बनाने का जनसंघ समर्थन करता है।

आर्थिक क्षेत्र में जनसंघ 'स्वदेशी योजना' की घोषणा करता है। मशीन के स्थान पर श्रम शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग का समर्थक है जिससे बेकारी दूर की जा सके। जनसंघ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में सामंजस्य बिठाये जाने का समर्थक है।

इस समय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण अडवाणी और महान्त्री श्री सुन्दरसिंह भंडारी हैं। अन्य प्रमुख नेताओं में श्री अटलबिहारी वाजपेयी, जगन्नाथराव जोशी, श्रीमती विजयाराजे सिन्धिया, यज्ञदत्त शर्मा, नानाजी देशमुख, पी० परमेश्वरन्, भैरोंसिंह शेखावत आदि हैं। दल का केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।

सोशलिस्ट पार्टी

छठे दशक के प्रारम्भ में प्रजा समाजवादी दल के रूप में समाजवादी आन्दोलन चलता था। श्री जयप्रकाशनारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा आचार्य कृपलानी आदि नेता इसमें रहे हैं। १९५५ के अन्तिम माह में इस समाजवादी आन्दोलन का विभाजन हुआ। डा० लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की। कालान्तर में प्रजा समाजवादी दल क्षीण होता गया और डा० लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल सबल होता गया। मई १९६४ में प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पुनः विलयन होकर संयुक्त समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। संयुक्त समाजवादी पार्टी एक वर्ष भी संयुक्त न रही और प्रजा समाजवादी दल इसमें से अलग हो गया। १९६७ के महानिर्वाचन में डा० लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी पार्टी को उल्लेखनीय सफलतायें मिलीं। लेकिन अगले ही वर्ष डा० लोहिया का निधन हो गया। मार्च १९७१ के मध्यावधि चुनाव में प्रसोपा और संसोपा दोनों की भारी पराजय हुई। इन्हें कुल मिलाकर ५ सीटें मिलीं।

२० मई ७१ को दिल्ली में संसोपा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री कर्पूरी ठाकुर व महामन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा प्रसोपा अध्यक्ष श्री नारायण गणेश गोरे व महामन्त्री प्रेम भसीन ने पुनः दोनों दलों के विलयन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये। ९ अगस्त, १९७१ को दोनों दलों की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभाओं की अनुमति के बाद अन्तिम रूप से विलय हुआ और 'सोशलिस्ट पार्टी' बनी। इसके अध्यक्ष श्री कर्पूरी ठाकुर चुने गये। इन दिनों पार्टी के अध्यक्ष जार्ज फर्नान्डीज तथा महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन हैं। दूसरा उग्रवादियों का गुट श्री राजनारायण के नेतृत्व में भारतीय लोकदल में विलीन हो गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शिरोमणि अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल मुख्य रूप से पंजाब प्रदेश के अंदर सिखों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा स्थापित करने की मांग करता रहा था। कालान्तर में इस दल के दो प्रमुख आधार स्तम्भों सर्वश्री मास्टर तारासिंह और सन्त फतहसिंह के बीच मतभेद हो जाने के कारण दल दो वर्गों में बंट गया जिसमें सन्त फतहसिंह के नेतृत्व में चलने वाला अकाली दल अधिक प्रभावशाली रहा। मास्टर तारासिंह का निधन हो जाने के बाद दोनों गुट पुनः एक हो गए।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम

द्रविड़ मुनेत्र कषगम का गठन १७ सितम्बर सन् १९४९ को स्व० सी० एन० अन्नादुरै द्वारा मद्रास में किया गया था। इसके पूर्व श्री अन्नादुरै और उनके सहयोगी श्री रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में चलने वाली द्रविड़ कषगम नामक संस्था में सम्मिलित थे। इस राजनीतिक दल का जन्म मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्तर भारत के बढ़ते हुए कथित प्रभाव का प्रतिकार करने और हिन्दू समाज के उच्च वर्ग के विरुद्ध व्याप्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था।

अपने अस्तित्व में आने के समय से लेकर सन् १९६७ के निर्वाचन के पूर्व तक इस दल ने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाने, हिन्दी का विरोध करने आदि अनेक आन्दोलन चलाये।

श्री सी० एन० अन्नादुरै के निधन के उपरान्त श्री एम० करुणानिधि दल के प्रमुख नेता के रूप में आए और वे ही इस समय तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अक्तूबर १९७२ में दल के कोषाध्यक्ष तथा प्रख्यात फिल्मी कलाकार श्री रामचन्द्रन ने विद्रोह कर अलग दल अन्ना-मुद्रक की स्थापना की।

सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी—

दि किसान को-आपरेटिव फैक्ट्री लि०

मझौला (पीलीभीत)

कुछ विशेषतायें—

१. आधुनिक प्रगतिशील प्रबन्ध
२. कर्मचारियों को यथासम्भव अधिकतम सुविधायें
३. आधुनिक यंत्र एवं सयंत्र
४. श्रेष्ठ चीनी का उत्पादन
५. क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सक्रिय योगदान

प्रेमकृष्ण मिश्र, पी०सी०एस०	अनन्त राम तलवाड़	सै० मेहंदी हसन रिजवी
प्रधान प्रबन्धक	उपाध्यक्ष	प्रशासकीय संचालक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३४ :

विश्व हिन्दी सम्मेलन

नागपुर की ऐतिहासिक नगरी में १० जनवरी से १३ जनवरी १९७५ तक सम्पन्न 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' कई दृष्टियों से हिन्दी जगत की एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। केवल लगभग चार महीने की तैयारी और अल्प साधनों के बावजूद, देश के कोने-कोने से और बाहर के लगभग ३५ देशों से आए साढ़े तीन हजार हिन्दी-प्रेमी लेखकों, विद्वानों, तथा दर्शकों का यह मिलन अहिन्दीभाषी प्रदेश में, जिस सादगी और गरिमा से सम्पन्न हुआ, वह सचमुच हिन्दी जगत के लिए बड़ी उपलब्धि कहा जायेगा।

सम्मेलन का स्थल, नागपुर विश्वविद्यालय के एक विस्तृत क्रीड़ांगन में विशेष रूप से निर्मित 'विश्व हिन्दी नगर' था जिसे कई कलात्मक द्वारों से सजाया गया था। मुख्य सभा-मण्डप में लगभग १२,००० लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था थी। मंच की पृष्ठ-भूमि में श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए देवी शक्ति का एक प्रतीकात्मक चित्र था जिसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पुष्प था और उसके नीचे 'ईशावास्य इदं सर्वं' का उपनिषद् वाक्य चित्रांकित था और दायीं ओर ३५ देशों के झंडे लहरा रहे थे।

मुख्य मण्डप के साथ ही प्रदर्शनी कक्ष थे। एक कक्ष में भारतीय संस्कृति की झांकी—वैदिक काल से लेकर गांधी-युग तक, मूर्तियों, भित्तिचित्रों, छायाचित्रों तथा चार्टों के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। उसी के साथ दृश्य प्रचार निदेशालय का कक्ष था जिसमें केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए किए गए कार्यों को चित्रों-चार्टों तथा पुस्तक-प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था। हिन्दी के विभिन्न प्रकाशकों की चुनी हुई पुस्तकों की प्रदर्शनी 'सूबेदार भवन' में लगाई गई थी। तीन हजार के लगभग हिन्दी प्रकाशकों के अतिरिक्त हिन्दी के टाइपराइटरों और टेलीप्रिंटरों को भी प्रदर्शनी में रखा गया था।

सम्मेलन का उद्घाटन १० जनवरी को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। मुख्य अतिथि थे मारीशस के प्रधानमंत्री डॉ० शिवसागर रामगुलाम। सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री बसन्तराव नाईक ने दोनों प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया। अपने स्वागत-भाषण में उन्होंने कहा कि "महाराष्ट्र ने हिन्दी की आदिकाल से सेवा की है और वह महाराष्ट्र आज हृदय खोलकर विश्व-मंच पर हिन्दी को प्रतिष्ठित देखने का संकल्प लेकर आपका स्वागत करता है।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रधानमंत्री का उद्‌बोधन

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने उद्‌घाटन-भाषण में कहा—"हिन्दी विश्व की महान भाषाओं में एक है। यह करोड़ों लोगों की भाषा है। हिन्दी को सीमित दायरे से उठकर आधुनिक चुनौतियों का सामना करना है। उसे सभी के बीच एक जीवन्त भाषा बनाना है। भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, किन्तु हिन्दी भारत की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा भी है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। हिन्दी राष्ट्रीय सम्पर्क का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस विशाल देश के लोग एक-दूसरे को समझ सकेंगे और मिलकर काम कर सकेंगे। सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हिन्दी राजभाषा और अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क भाषा के रूप में प्रभावकारी सिद्ध हो।"

४२ करोड़ की भाषा

प्रख्यात साहित्यकार आचार्य काकासाहेब कालेलकर ने कहा—"मानवता-प्रधान युग में अन्तिम बल सत्ता का नहीं, सेवा का होता है। हिन्दी इस सेवा-बल से ही सारे भारत की और समस्त मानवजाति की सेवा करेगी। हिन्दी युद्धप्रिय राजाओं और बादशाहों की भाषा कभी नहीं रही, वह मानवता की सेवा में सब कुछ समर्पित करने वाले साधु-सन्तों की भाषा रही है। आजादी की अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने वाली यह भाषा सारे विश्व को आजादी का सन्देश दे सकती है और मानव-अधिकारों के दमन के खिलाफ आवाज उठा सकती है। इसी लिए मेरा कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में यदि ४२ करोड़ लोगों की यह भाषा पहुंचेगी तो विश्वशान्ति की ओर, अहिंसाप्रधान व्यवस्था की ओर और शोषणरहित समाज की ओर निश्चय ही कदम आगे बढ़ेगा।"

मारीशस के प्रधानमंत्री डॉ० शिवसागर रामगुलाम ने मारीशस और भारत के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि 'हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे लिए इस बात का अधिक महत्त्व है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। हिन्दी भारत के चिन्तन और दर्शन का मूल स्रोत है। इसी के द्वारा भारत की आत्मा को पहचाना जा सकता है। यही कारण है कि दुनियाभर में बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हिन्दी को प्रोत्साहन दे रहे हैं।"

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ० कर्णसिंह ने अतिथियों को धन्यवाद देते हुए अपने भाषण में कहा, "करोड़ों व्यक्तियों की यह भाषा विश्व-भाषा के रूप में आए, यह मैं मांग करूंगा। जिस प्रकार यूनेस्को ने अपने यहां हिन्दी को स्थान दिया है, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां छः अन्य विश्व-भाषाओं को स्थान मिला है, वहां हिन्दी को भी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान मिले।"

राष्ट्रसंघ में हिन्दी का सर्वसम्मत प्रस्ताव

सम्मेलन के दूसरे दिन ११ जनवरी से सम्मेलन की विचार-गोष्ठियों का कार्यक्रम शुरू हुआ। हिन्दी की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए तीनमुख्य विषयों के अन्तर्गत सात विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया गया। तीन मुख्य विषय थे :

१. हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति
२. विश्वमानव की चेतना, भारत और हिन्दी
३. आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताएं और उपलब्धियां

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पहले विषय पर ११ जनवरी को विचार-गोष्ठी हुई जिसके अध्यक्ष थे मारीशस के प्रधानमंत्री डॉ० शिवसागर रामगुलाम और विशिष्ट अतिथि थे भारत के विदेश मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण। श्री विष्णु प्रभाकर गोष्ठी का संयोजन कर रहे थे। वक्ताओं में अधिकतर मारीशस, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिडाड जैसे देशों के प्रवासी भारतीय विद्वान थे। सायंकाल सत्र के अध्यक्ष चेकोस्लोवाकिया के विद्वान डॉ० ओडोलेन स्मेकल थे, संचालक डा० विजयेन्द्र स्नातक और प्रतिवेदक डा० प्रभाकर माचवे। इस सत्र में अधिकतर वक्ता अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, रूस, जापान आदि उन देशों के प्रतिनिधि थे जहां हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का काम पिछले कुछ दशकों से हो रहा है।

मारीशस के युवा एवं क्रीड़ा मंत्री श्री दयानन्दलाल वसन्तराय ने अपने भाषण मे हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। फिजी के संसद-सदस्य श्री विवेकानन्द शर्मा ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। तदुपरान्त एक के बाद एक वक्ता ने अपने देश में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का परिचय देते हुए तथा अपनी समस्याओं की चर्चा करते हुए हिन्दी को विश्व-भाषा बनाने का समर्थन किया और अततः करतल-ध्वनि के साथ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

विदेशियों की शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी

इस विचार-गोष्ठी में सोवियत रूस के डॉ० चेलिशेव, पश्चिम जर्मनी के डॉ० लोठार लुत्से, श्रीलंका के श्री थेरो, फिजी के श्री विवेकानन्द शर्मा और कमलाप्रसाद मिश्र, गुयाना के श्री रामलाल, सुरीनाम की श्रीमती कमला जगमोहनसिंह, चेकोस्लोवाकिया के डॉ० आडोलेन स्मेकल, जर्मन जनवादी गणतन्त्र के डा० नेस्पिताल और श्रीमती गात्सलाफ, जापान के प्रो० दोई, सोवियत संघ के डा० लिप्रोव्हस्की, कनाडा के डा० क्रिस्टोफर किंग, स्वीडन के डोलेन्नार्ट पेर्सन, थाईलैंड के डा० लिखिता, हालैंड के डा० वाख, बंगलादेश के सैयद अली हसन, कैम्ब्रिज के डॉ० मैकग्रेगर, स्वीडन के डा० एडर्स रीबर्ग, नीदरलैंड्स के श्री जी० एच० कोकर, अमेरिका की कुमारी कैरीन शोवर, त्रिनिडाड के श्री शम्भूनाथ कपिलदेव आदि विद्वानों ने भाग लिया। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के मुख से शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी में सारगर्भित भाषण सुनकर दर्शक विभोर हो गए। पश्चिम जर्मनी के डा० लोठार लुत्से का भाषण तो आधुनिक मुहावरे से जड़ी शुद्ध साहित्यिक भाषा में था जिसके नपे-तुले शब्दों और वाक्यों तथा बेलाग कथनों से (जिनमें उन्होंने अनेक बार डा० लोहिया को उद्धृत करते हुए भारतीयों पर हिन्दी को न अपनाने पर तीखे व्यंग्य कसे) श्रोताओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। डा० ओडोलेन स्मेकल, क्रिस्टोफर किंग तथा डॉ० चेलिशेव के भाषणों से भी लोग विशेष रूप से प्रभावित हुए।

१२ जनवरी को तीन विचार-गोष्ठियां हुईं :

१. विश्वमानव की चेतना, भारत और हिन्दी—शाश्वत मूल्यों की खोज।
२. विश्वमानव की चेतना—जन-संचार साधनों की भूमिका।
३. विश्वमानव का मूल्यगत संकट और भाषा तथा लेखन के संदर्भ में युवा पीढ़ी की मानसिकता।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इन विचार-गोष्ठियों में विभिन्न वक्ताओं के भाषणों से जो तथ्य उभरे, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

१. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक और कार्यचालन की भाषा बनाने के लिए भारत सरकार को शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

२. भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त होना चाहिए और उसके स्थान पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग तत्काल शुरु होना चाहिए। लोकतंत्र और सरकार की विभिन्न प्रगतिशील योजनाओं की पूर्ण सफलता के लिए जनता की भाषा और सरकार की भाषा का एक होना जरूरी है।

३. विदेशियों के उपयोग के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अच्छी पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जानी चाहिएं तथा उनको विदेशों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

४. भारत में हिन्दी का राजकाज, शिक्षा और दैनिक व्यवहार में व्यापक प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए उचित वातावरण नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त भारत में जिस अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व अब भी बना है उसके साथ औपनिवेशिक नौकरशाही जुड़ी हुई है और उसे हटाए बिना भारत में सही मायनों में लोकतंत्र के अनुरूप तंत्र की स्थापना नहीं हो सकती।

५. मध्य देश की हिन्दी का संकृतनिष्ठ रूप ही हिन्दी का सही रूप है। उसमें अंग्रेजी आदि के जो शब्द सहज भाव से आ जाएं उन्हें तो ले लेना चाहिए, किंतु किसी भाषेतर साहित्येतर प्रयोजन से विदेशी भाषाओं के शब्दों के अनावश्यक समावेश की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

भारतीय भाषाओं के विद्वानों का सम्मान

१३ जनवरी, १९७५ को दोपहर बाद समापन समारोह हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ती ने की और विशिष्ट अतिथि वक्ता थीं श्रीमती महादेवी वर्मा। इसी समारोह में सम्मेलन की ओर से पन्द्रह भारतीय भाषाओं के ज्येष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकारों तथा हिन्दी लेखकों का शाल तथा श्रीफल भेंट करके सम्मान किया गया। सम्मानित किए गए साहित्यकारों तथा विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं—

प्रो० राम पंजबानी (सिंधी), श्री वि० स० खाण्डेकर (मराठी), श्री प्रेमेन्द्र मित्र (बंगला), प्रो० टी० पी० मीनाक्षीसुंदरम् (तमिल), श्रीमती अमृता प्रीतम (पंजाबी),

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

श्री त्रिभुवनदास पुरुषोत्तमदास लुहारसुंदरम (गुजराती), श्री अख्तर मोहिउद्दीन (कश्मीरी), श्री जी० शंकरकुरुप (मलयालम), श्री कालिदीचरण पाणिग्रही (उड़िया), श्री दत्तात्रेय रामचंद्र बेन्द्रे (कन्नड़), प्रो० विश्वनाथ सत्यनारायण (तेलुगु), अली सरदार जाफरी (उर्दू), श्रीमती महादेवी वर्मा (हिन्दी), श्रीमती नलिनीबाला देवी (असमिया), श्री राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ (संस्कृत)।

अहिन्दी भाषी हिन्दी लेखक—श्री संतराम बी० ए० (पंजाबी), श्री मन्मथनाथ गुप्त (बंगला), श्री मोतीलाल जोतवानी (सिंधी), श्री सिद्धनाथ पन्त (कन्नड़), श्री रजनीकांत चक्रवर्ती (असमिया), डॉ० प्रह्लाद प्रधान (उड़िया), डा० प्रभाकर माचवे (मराठी), श्री र० वीलिनाथन (तमिल), श्री मोतुरि सत्यनारायण (तेलुगु), श्री पृथ्वीनाथ पुष्प (कश्मीरी), डा० विश्वनाथ अय्यर (मलयालम) और श्री शंकरदेव विद्यालंकार (गुजराती)। आनन्द कुमार अवस्थी को उनके कुरान के हिन्दी अनुवाद और श्री बशीर अहमद मयूख को वेदों का हिन्दी पद्यानुवाद कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

इनके साथ-साथ प्रत्येक देश के प्रतिनिधिमंडल के नेता को भी प्रतीक रूप में शाल और श्रीफल भेंट करके सम्मानित किया गया।

उपराष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वास प्रकट किया कि हिन्दी भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के साधन के साथ जागतिक एकात्मकता की भावना दृढ़ करने का भी एक बहुमूल्य साधन बनेगी। हिन्दी को राष्ट्रभाषा एवं विश्व-भाषा के सर्वथा योग्य बताते हुए उन्होंने कहा, "हिन्दी में पुरातन भारतीय परंपराओं की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है।"

समारोह के मुख्य अतिथि हिन्दी के विद्वान और केन्द्रीय मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी ने विश्व हिन्दी सम्मेलन को सारस्वत कुल की संज्ञा दी तथा हिन्दी की मूर्धन्य कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने अपनी कवित्वमयी शैली में जो सारगर्भित भाषण दिया वह इस समारोह में उपस्थित व्यक्तियों को हमेशा याद रहेगा।

डाक-टिकट

विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर डाक-तार विभाग द्वारा १० जनवरी को एक विशेष डाक-टिकट जारी किया गया। एक संक्षिप्त समारोह में महाराष्ट्र राज्य के पोस्ट मास्टर जनरल श्री अरुणाचलम ने मारीशस के प्रधानमंत्री श्री शिवसागर रामगुलाम और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री अली यावर जंग को डाक-टिकट भेंट किया। ●

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मध्यप्रदेश शासन तथा जनता,

उज्जवल भविष्य के निर्माण में संलग्न

(१) प्रतिवर्ष एक करोड़ टन चावल उत्पादन के लिये विपुल कार्यक्रम प्रारम्भ ।

(२) सूखे का युद्ध स्तर पर मुकाबला, शुष्क खेतों के लिये आपातकालीन सिंचाई व्यवस्था, निराश्रितों के लिये कार्य तथा भोजन ।

(३) राज्य के प्रत्येक जिले के लिये एक मध्यम अथवा बड़े उद्योग की व्यवस्था ।

(४) भूमिहीनों के लिये अल्प समय में ६,२७,५०० आवास स्थलों का वितरण ।

(५) जमाखोरी, मुनाफाखोरी और तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही ।

(सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रसारित)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३५ :

पाकिस्तानी आक्रमण

पाकिस्तान ने अपने जन्मकाल से अभी तक २७ वर्षों में भारत पर जो बर्बर हमले किये हैं उनकी डायरी इस प्रकार है :

अक्तूबर, १९४७ : पाकिस्तानी सेना की प्रेरणा और सहायता से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया।

मई, १९४८ : पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसकी नियमित सेना की तीन ब्रिगेड कश्मीर में हैं।

जनवरी, १९५६ : पाकिस्तानी सैनिक कच्छ के रन में छाड़बेट में घुस गए। उस क्षेत्र में भारतीय सेनाओं ने २५ फरवरी को प्रवेश कर पाकिस्तानियों को पीछे हटने को बाध्य कर दिया।

जनवरी, १९६५ : पाकिस्तान ने कच्छ के रन में कंजरकोट पर कब्जा कर लिया।

९ अप्रैल, १९६५ : पाकिस्तान ने टैंकों और भारी तोपों से कच्छ में भारतीय सीमा चौकी पर अचानक और पूरा हमला बोल दिया। ३० जून को हुए समझौते के अनुसार १ जनवरी, १९६५ की स्थिति फिर लाने के लिए कच्छ समझौते पर हस्ताक्षर किया।

५ अगस्त, १९६५ : हजारों पाकिस्तानी सैनिक सादे कपड़ों में ४७० मील लम्बी युद्ध विराम रेखा पार करके तोड़-फोड़, लूट और कत्ल करने के लिए जम्मू-कश्मीर में घुस आए।

१ सितम्बर, १९६५ : पाकिस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड ७० टैंकों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र, छम्ब-जोरिया में घुस आई। (इसके बाद पश्चिम पाकिस्तान ने सारी सीमा पर भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया।) १० जनवरी, १९६६ को ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत भारत ने विजित प्रदेश वापस किये और पाकिस्तान ने भविष्य में आक्रमण न करने का आश्वासन दिया।

३०.जनवरी, १९७१ : दो पाकिस्तानी एजेन्ट श्रीनगर से इंडियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण कर लाहौर ले गये जहां उसे नष्ट कर दिया गया।

२ फरवरी, १९७१ : पाकिस्तानी आश्वासनों के बावजूद भारतीय विमान को हवाई अड्डे के अधिकारियों, सेना और पुलिस के सामने जला दिया गया और इसके जलाने का सारा दृश्य पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाया गया।

१० अप्रैल से नवम्बर, १९७१ तक : पूर्वी बंगाल की निहत्थी जनता पर बर्बर सैनिक अत्याचार। १ करोड़ शरणार्थियों को भारत में खदेड़कर हमारी अर्थ-व्यवस्था पर आक्रमण।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पाकिस्तानी सेना ने असम और त्रिपुरा में भारत की सीमा चौकियों पर बार-बार गोलाबारी की ।

१ नवम्बर, १९७१ : अगरतल्ला नगर पर हवाई आक्रमण एवं बमवर्षा ।

३ दिसम्बर, १९७१ : पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया और सीमा चौकियों पर गोलाबारी की ।

४ दिसम्बर, १९७१ : पाकिस्तानी सैनिक जुंता ने भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी ।

भारत पर पाक आक्रमणों का इतिहास

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारत की यही इच्छा रही है कि वह पाकिस्तान के साथ शान्ति और मैत्रीपूर्वक रहे । इस देश ने समय-समय पर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है । भारतीय नेता सर्वत्र यही कहते आये हैं कि भारत और पाकिस्तान में मित्रता और सद्भाव न केवल भौगोलिक कारणों से बल्कि दोनों देशों के निवासियों में इतिहास, संस्कृति, भाषा तथा अन्य कई बन्धनों के कारण भी आवश्यक है लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान बनने के दिन से अब तक पाकिस्तान के नेता समय-समय पर कहते रहे हैं कि भारत उनका नम्बर एक दुश्मन है और भारत को कुचल कर ही पाकिस्तान उन्नति कर सकता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले पच्चीस वर्षों में पाकिस्तान ने भारत पर चार बार खुल्लमखुल्ला आक्रमण किया तथा भारत के विरुद्ध अन्य शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां की हैं ।

कश्मीर पर आक्रमण (१९४७)

पाकिस्तान बनने के सात सप्ताहों में ही पाकिस्तान ने भारत पर पहला आक्रमण किया । यह हमला पाकिस्तान के कबायली हमलावरों ने पाकिस्तान की नियमित सेना की मदद से जम्मू और कश्मीर राज्य पर किया जिसका विलय भारत में हो चुका था । पाकिस्तान से युद्ध टालने के लिए भारत के प्रधानमन्त्री ने २२ दिसम्बर, १९४७ को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से हमलावरों को सहायता न देने तथा संघर्ष चालू न रखने का अनुरोध किया । पाकिस्तान ने सहायता की बात से साफ इन्कार कर दिया और वहां के प्रधानमन्त्री ने ३० दिसम्बर, १९४७ को पत्र का उत्तर देते हुए कहा, पाकिस्तान सरकार हमलावरों को सहायता देने के आरोप का खण्डन करती है । इसके विपरीत पाकिस्तान सरकार ने लगातार प्रयत्न किया है कि युद्ध को छोड़ अन्य सभी उपायों से कबायली आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जाए । इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मन्त्री सर मुहम्मद जफरुल्ला खां ने १५ जनवरी, १९४८ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस आरोप का खण्डन करती है कि वह कथित हमलावरों को कोई सहायता दे रही है और न ही उन्होंने भारत के विरुद्ध कोई आक्रामक कार्यवाही की है ।

यह खण्डन तथ्यों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था । उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत पाकिस्तान के विरूद्ध युद्ध छेड़ सकता था, लेकिन अपनी नीति के अनुरूप भारत ने शांति का मार्ग अपनाया और उसने समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख रखा । ३० दिसम्बर, १९४७ को भारत ने पाकिस्तानी हमले के विरुद्ध शिकायत सुरक्षा परिषद को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भेजी। जुलाई १९४८ में संयुक्त राष्ट्र आयोग कराची पहुंचा तथा कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपस्थिति आसन्न हो गई तो पाकिस्तान अपनी कथनी से फिर गया और उसके जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण में शामिल न होने की बात स्वीकार करने पर भी सर जफरुल्लाखां ने निर्लज्जतापूर्वक सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि कश्मीर में पाकिस्तान की नियमित सेना के तीन दस्ते मौजूद हैं तथा ये दस्ते कश्मीर राज्य में मई मास के पहले पखवारे में भेजे गये थे।

आयोग ने मौके पर परिस्थितियों का अध्ययन किया तथा वह इस निर्णय पर पहुँचा कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का जमाव अवैध है और वह सेना तुरन्त हटा ली जानी चाहिए तथा भारतीय क्षेत्र खाली किया जाना चाहिए।

कच्छ पर आक्रमण

कश्मीर में अपने मनसूबे पूरे होते न देखकर पाकिस्तान ने भारत के एक दूसरे भाग पर अपनी कुदृष्टि डाली। १९५६ के आरम्भ में पाकिस्तान ने कच्छ के रन के उत्तरी भाग में छाड़बेट के भारतीय क्षेत्र को बलपूर्वक हथियाने का असफल प्रयास किया। लेकिन उसी वर्ष २५ फरवरी को जब भारत की सेना उस क्षेत्र की ओर बढ़ी तो पाकिस्तानी सेना वापिस अपने क्षेत्र में चली गई। १९६४ के आरम्भ में पाकिस्तानियों ने दोबारा सीमा पार करके कंजरकोट के भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा वहां एक स्थायी चौकी खोल दी। भारत ने मैत्री और शांति की अपनी नीति से प्रेरित होकर पाकिस्तान को १९६० के भारत पाक सीमा समझौते के सीमा पर गश्त सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत पूर्व-स्थिति लेने के लिए स्थानीय कमाण्डरों की एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। भारत ने यह भी सुझाव दिया कि समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए जिस स्तर पर पाकिस्तान चाहे दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाए। पाकिस्तान ने इन सुझावों को ठुकरा दिया और पिछले नक्शों और समझौतों को ताक पर रखकर ९ अप्रैल, १९६५ को हमारे कच्छ क्षेत्र की सरदार सीमा पर गुप-चुप लेकिन पूरी सैनिक ताकत से आक्रमण किया। इस हमले में टैंकों और भारी तोपों की मदद से पैदल सेना की एक ब्रिगेड ने भाग लिया। २८ अप्रैल, १९६५ को लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा, पाकिस्तानी (१५ फरवरी, १९६५ को राजकोट रेन्जर्स के उप-महाधीक्षक और पाकिस्तान इंडस रेन्जर्स के कमाण्डर की बैठक में तथा बाद में। मार्च, १९६५ के पाकिस्तानी नोट में पाकिस्तान इस बात से मुकर गया कि इण्डस रेंजर्स ने कंजरकोट क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है।) युद्धबन्दियों से बरामद दस्तावेजों और उनसे पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि पाकिस्तानी आक्रमण पहले सोच-समझकर तथा योजना बनाकर किया गया। इस आक्रमण के लिये ७ अप्रैल को आदेश दिया गया था और हमला ९ अप्रैल को बड़े सवेरे आरम्भ हुआ।

१५ अप्रैल को पाकिस्तान के मनमाने आक्रमण के औचित्य को सिद्ध करते हुए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री जेड० ए० भुट्टो ने अपने लड़खड़ाते प्रत्युत्तर में कहा कि ध्यान रहे कि मोटे तौर पर मुख्य बात यह है कि झगड़ा उस क्षेत्र के बारे में है जो २४ वीं समानान्तर रेखा के उत्तर में है। झगड़ा इस बात पर खड़ा नहीं हुआ है कि सीमाएं निश्चित नहीं की गई हैं, बल्कि इसलिए कि झगड़े वाला यह क्षेत्र भारत के अनुचित कब्जे में है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस प्रकार पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया जो उसके कब्जे में कभी भी नहीं रहा। यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र और १९५९ के भारत-पाक सीमा समझौते के मूल नियमों के विरुद्ध था। इस समस्या को जून, १९६५ में लन्दन में हुई राष्ट्र मण्डल देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में उठाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री हेरोल्ड विल्सन की पहल पर तथा पाकिस्तान के साथ मैत्री सम्बन्ध कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर भारत ने ३० जून, १९६५ को पाकिस्तान के साथ युद्ध-विराम संधि की, जिसमें निम्नलिखित शर्तें थीं —

(१) १ जुलाई १९६५ से युद्ध विराम,

(२) सेनाओं की १ जनवरी, १९६५ की स्थिति में वापसी, और

(३) सिंध-कच्छ सीमा के निर्धारण के लिए निर्धारित कार्यक्रम पर अमल करना।

इस समझौते के अन्तर्गत स्वीडन के न्यायाधीश ग्रेन की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इसका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होना था। भारत ने इस क्षेत्र की अपनी सुनिश्चित सीमा को केवल शांति के कारण ही ट्रिब्यूनल पर छोड़ा था। १९ फरवरी, १९६८ को इस न्यायाधिकरण ने अपना निर्देश दिया और सर्वसम्मति से २५वें समानान्तर के साथ वाली सीमा पर पाकिस्तान के दावे को अस्वीकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के इस मत को भी पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि कच्छ और सिंध की सीमा रेखा कच्छ के रन के बीच से २४वें समानान्तर के साथ गुजरनी चाहिए। न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार कच्छ के उत्तरी सिरे के साथ-साथ भारत की सीमा मानी गई। फैसले के अनुसार कच्छ के रन के उत्तरी सिरे का ३२० वर्ग मील का छोटा सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में ३५०० वर्ग मील पर अपना दावा किया था। इस न्यायाधिकरण के एक सदस्य श्री ऐलिस बाब्लर ने, जिन्होंने भारत के पक्ष में अपना मत दिया था, कहा :—

"सीमा का मैकडोनल्ड सीमांकन काफी समय से मान्य रहा है। १८७० में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से १९४७ में उसकी समाप्ति तक यह चिन्हांकन सभी तरह के उतार-चढ़ाव के बीच हमेशा मान्य रहा है।

"...इस अवधि में न तो भारत सरकार ने, न बम्बई सरकार या १८६५ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर के अधीन सिंध राज्य की स्थापना होने पर सिंध सरकार ने ही, उक्त सीमा निर्धारण को चुनौती दी या गलत माना।"

"१८६५-१८७० में पूरे सिन्ध के सर्वे आफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण के बाद तथा १८७१ और १८७२ में इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रकाशित होने पर कच्छ के महान रन की सीमा ठीक-ठीक निश्चित कर दी गई।"

"इस निर्णय का अन्तिम संस्करण १९२८ का है। सिंध राज्य के १९३५ के संकेत मानचित्र में भी मैकडोनल्ड सीमा रेखा दिखाई गई है और यह रेखा ब्रिटिश राज्य की समाप्ति तक सभी मानचित्रों में दिखाई गई है।"

कश्मीर पर आक्रमण (१९६५)

कच्छ समझौते को हुए अभी कुछ ही समय बीता था और उसके अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए प्रबन्ध और प्रचार किया ही जा रहा था कि ५ अगस्त, १९६५ को पाकिस्तान ने भारत पर तीसरा हमला कर दिया। सादी वर्दी में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हजारों पाकिस्तानी सैनिक ४७० मील लम्बी युद्धविराम रेखा पार करके तोड़-फोड़, लूट-मार और हत्या के लिए जम्मू और कश्मीर में प्रवेश कर गये। जैसा कि १९४७ में हुआ था, पाकिस्तान ने इस बार भी साफ इन्कार किया कि इस आक्रमण में उसका हाथ है। तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मन्त्री श्री जेड० ए० भुट्टो ने एक बयान में कहा "कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में किसी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि वह पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है।" जब हमलावर घुसपैठिये असफल हो गये तो पाकिस्तान की एक ब्रिग्रेड और १७ टैंकों ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके १ सितम्बर, १९६५ को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और इस प्रकार युद्धविराम समझौते तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बेशर्मी से उल्लंघन किया। इस आक्रामक कार्यवाही के बाद पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट अयूब खाँ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रसारण में खुल्लम-खुल्ला कहा कि अगर आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के अन्य किसी हिस्से के लोग कश्मीर के बहादुर लोगों की सहायता के लिए जाएं तो भारत किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। इसके साथ पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल मुहम्मद मूसा ने ललकारा, 'दुश्मन पर तुम्हारे दाँत हैं। उन्हें और गड़ाते जाओ जब तक कि दुश्मन नष्ट न हो जाए।' लेकिन पाकिस्तान अपने दाँत गहरे न गड़ा सका और शत्रु को नष्ट न कर सका, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने ६ सितम्बर को लाहौर क्षेत्र में तीन स्थानों से सीमा को पार किया, जिससे वह उन अड्डों तक पहुँच सके, जहाँ से पाकिस्तान अगले हमलों के लिए तैयारी कर रहा था। इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान की अगली कार्यवाही रोक दी जो आत्मरक्षा के लिए आवश्यक थी।

कश्मीर पर हुये हमले से सारे संसार के सामने यह स्पष्ट हो गया कि ३० जून, १९६५ को जो समझौता हुआ था, उसकी प्रस्तावना में सद्भाव के जिस वातावरण की चर्चा थी, वह भारत को भुलावे में डालने के लिए थी और इसीलिए थी जिससे अचानक भारत के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। अपनी स्वाभाविक सौम्यता के साथ प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री ने कहा, "दुनिया को यह जानकर बड़ा आघात पहुँचेगा कि जब उस समझौते पर हस्ताक्षर हो ही रहे थे तभी पाकिस्तान ने कश्मीर में सशस्त्र घुसपैठिये भेजने की योजना तैयार कर ली थी और मरी में उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहा था। एक महीने बाद ३० जून के समझौते की स्याही सूखने से पहले ही उसने उन्हें कश्मीर में भेजा। इस प्रकार उसका आचरण अपनी कहानी आप कहता है।"

हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर हमला किया फिर भी भारत ने शाँति और सद्भाव के नाते १० जनवरी, १९६६ को ताशकन्द समझौते को स्वीकार किया, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ और कश्मीर में वही स्थिति फिर हो गयी जो ५ अगस्त, १९६५ से पहले थी जबकि पाकिस्तानी नियमित सेना ने घुसपैठियों के रूप में प्रवेश किया था। उस समझौते के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान ने संकल्प किया कि वे बल प्रयोग का त्याग करेंगे और घोषणा की कि वे दोनों देशों की जनता के बीच सामान्य और शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम करेंगे और दोनों देशों की जनता के बीच सद्भाव और मित्रता बढ़ायेंगे। समझौते के बाद भारत ने आशा की कि दोनों देशों के सम्बन्धों का एक नया युग आरम्भ होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारतीय विमान का अपहरण

लेकिन यह भी धोखा मात्र सिद्ध हुआ। ३० जनवरी, १९७१ को दो पाकिस्तानी एजेंटों ने एक भारतीय नागरिक यात्री विमान को, जो श्रीनगर से जम्मू की नियमित उड़ान कर रहा था, पिस्तौल के बल पर लाहौर जाने के लिए विवश किया। अन्त में जब यात्री ४८ घन्टे से अधिक समय तक कष्ट झेल चुके तो पाकिस्तान ने उन्हें और चालकों को सड़क द्वारा भारत-पाक सीमा पर हुसैनीवाला चौकी भेजना स्वीकार किया। २ फरवरी १९७१ को पाकिस्तान सरकार के पिछले आश्वासन के बावजूद भारतीय विमान को बमों से उड़ा दिया गया और यह काम हवाई अड्डे के अधिकारियों, सैनिकों और पुलिस की उपस्थिति में हुआ तथा उसके नष्ट किये जाने को टेलीविजन कैमरों पर उतारा गया।

भारतीय विमान के अपहरण और उसे नष्ट करने में पाकिस्तान सरकार की स्पष्ट जिम्मेवारी को देखते हुए भारत सरकार ने २ फरवरी १९७१ से भारतीय सीमा से होकर पाकिस्तान के सभी विमानों की उड़ान को रोक दिया और पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक पाकिस्तान सरकार अपना उत्तरदायित्व स्वीकार न करे और जो कुछ हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति न करे।

१९७१ का आक्रमण

विमान अपहरण के लगभग दो महीने बाद पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने भारत के विरुद्ध एक अन्य ढंग से आक्रमण आरम्भ किया। उन्होंने पूर्व बंगाल से भारतीय सीमा पर अपने लाखों नागरिकों को बलपूर्वक भेजना शुरू किया। यह पूर्व बंगाल में उस दारुण काँड का आरम्भ था जिससे भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। वास्तव में भारत को यह आशा थी कि पाकिस्तान की जनता के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का नया युग आरम्भ होगा क्योंकि पाकिस्तान ने लोकतन्त्रीय अधिकारों के लिए लम्बे संघर्ष के बाद २८ नवम्बर, १९६९ को विजय पाई थी और उसे पाकिस्तान के सैनिक शासकों का स्पष्ट आश्वासन मिला था कि देश में चुनाव कराये जायेंगे तथा सत्ता जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दी जायेगी।

चुनाव हुए और शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग को पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में पूर्ण बहुमत मिला। राजनीतिज्ञों के मन में प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या सैनिक शासन सचमुच सत्ता जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप देगा ?

शेख मुजीबुर्रहमान जन-प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने के प्रश्न पर सैनिक शासकों से बातचीत कर ही रहे थे कि २५ मार्च, १९७१ को अचानक योजना मिट्टी में मिला दी गई और पूर्व बंगाल के निहत्थे लोगों पर, जिन्होने लगभग शत-प्रतिशत वोट शेख मुजीबुर्रहमान को दिये थे, दमन के तौर पर बर्बर अत्याचार शुरू कर दिया गया, जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। बताया जाता है कि लगभग तीस लाख बगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक करोड़ लोगों ने भारत में शरण ली।

भारत की विजय

बंगलादेश की आड़ में पाकिस्तान ने मेघालय व त्रिपुरा क्षेत्र में भारतीय नगरों पर भीषण गोलाबारी प्रारम्भ कर दी। पूर्वी बंगाल सीमा के क्षेत्र से उन्होंने खुलकर वायुयानों व टैंकों से भारत पर आक्रमण किया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३ दिसम्बर को सायंकाल अचानक पाकिस्तान ने भारत के १२ हवाई अड्डों पर वायुसेना द्वारा बमबारी कर खुला आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। पाकिस्तानी विमानों ने १९६५ की तरह नागरिकों पर बम वर्षा के साथ-साथ नापाम बम भी गिराये। पाकिस्तान की आक्रामक नीति को देखते हुए भारत ने बंगलादेश की मुक्ति के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलावरों से पूर्वी व पश्चिमी दोनों सीमाओं पर भीषण संघर्ष कर उन्हें न केवल पीछे धकेलने में अपितु पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर कब्जा करने में भी सफलता प्राप्त की।

भारतीय जवानों ने सभी मोर्चों पर पाकिस्तानी हमलावरों के दाँत खट्टे किये तथा अन्त में १६ दिसम्बर को ढाका पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। पाकिस्तानी सेना के ९३ हजार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। १७ दिसम्बर को पाकिस्तान ने भारत के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी पराजय मान ली।

शिमला समझौता

भारत द्वारा पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किये जाने के परिणामस्वरूप श्री भुट्टो याह्याखाँ को हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उन्होंने समस्त पराजय का दोष याह्याखाँ पर डालकर उन्हें नजरबन्द कर दिया तथा पराजय की जाँच करने की घोषणा की।

राष्ट्रपति भुट्टो ने जब देखा कि बंगलादेश तो बन ही गया, दूसरे पाकिस्तान का भारी भूभाग व ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में हैं तो उन्होंने भारत से समझौते की पेशकश की। अन्त में २८ जून से शिमला में भारत-पाक शिखर वार्ता प्रारम्भ हुई तथा भुट्टो के कड़े रुख के बावजूद भारत ने अपनी शाँति की नीति को प्रमुखता देकर समझौता वार्ता सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। अन्त में २ जुलाई की अर्धरात्रि को १२ बजकर ४० मिनट पर प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी व श्री भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

भारत ने शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान विरोधी प्रचार बिल्कुल बन्द कर दिया, किन्तु पाकिस्तान में जारी रहा।

भारत ने समझौता होते ही पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को वापस कर दिया। किन्तु पाकिस्तान बंगालियों की वापसी तथा बंगलादेश से बिहारी पाकिस्तानियों की वापसी में बराबर बाधा उत्पन्न करता रहा। बंगलादेश को मान्यता देने के आश्वासन को भी वह बराबर अधर में लटकाये रहा।

राष्ट्रपति भुट्टो ने पुनः कश्मीर के नाम पर भारत के विरुद्ध विषवमन जारी किया हुआ है।

मई १९७४ में भारत ने शाँति व प्रगति क उद्देश्य से आणविक परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया। अमेरिका व चीन से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्रों की सप्लाई शुरु कराकर पाकिस्तान पुनः भारत पर आक्रमण की तैयारियों में लग गया है।

शेख अब्दुल्ला से हुये समझौते के विरोध की आड़ में पाकिस्तान ने पुनः कश्मीर पर आक्रमण की धमकियाँ तक देनी शुरु कर दी हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

: ३६ :

हिन्दुस्थान समाचार

सन् १९४७ में देश आजाद हुआ और सन् १९५० में देश को प्रजातांत्रिक संविधान मिला। आजादी और सार्वभौम स्वतन्त्र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र घोषित करने वाला संविधान ये दो ऐसी घटनाएँ थीं जिनसे जन-जीवन नई आशा, नये विश्वास, प्रगति, समानता और बन्धुता के विचारों से भर गया। सन् ४७ और सन् ५० के बीच के इस कालखण्ड में नव-निर्माण का दायित्व लिए अनेक राष्ट्रनिर्माण के निश्चय गूंज उठे। भारतीय पत्रकारिता में 'हिन्दुस्थान समाचार' का पदार्पण भी इसी महान् वैचारिक जागरण की एक देशाभिमानी किरण है। आजादी आने के साथ ही जन-जागरण के क्षेत्र में यह विचार गूंजने लगा था कि प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए जिस प्रकार जागरूक जन-मत चाहिए वह विदेशी भाषा और चन्द बड़े शहरों की राजनीतिक गतिविधियों से बंधे हुए अखबारों एवं न्यूज एजेन्सियों से सम्भव नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों का स्तर, उनका प्रसार और उनकी स्वस्थ निष्पक्ष, निर्भीक समाचार संकलन करने की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। इसी स्वाभाविक और महती आवश्यकता की पूर्ति के लिए सन् १९४८ के दिसम्बर मास में हिन्दुस्थान समाचार का कार्य प्रारम्भ हुआ। भारतीय भाषाओं में समाचार संकलन, सम्पादन और वितरण करने के कार्य को हिन्दुस्थान समाचार ने उठाया। हिन्दुस्थान समाचार पूरे २६ वर्ष पूर्ण कर २७वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है।

हिन्दुस्थान समाचार प्राइवेट लिमिटेड

भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिन्दी की प्रगति के लिए जो महापुरुष विगत शताब्दी में कार्यशील रहे उनका शुभाशीर्वाद इस कार्य को प्राप्त हुआ। राजर्षि पुरुषोत्तम-दास टंडन ने इस कार्य की सराहना की। आचार्य विनोबा भावे ने इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया। बम्बई के यू० पी० आई० में कार्य कर रहे एक पत्रकार इस कार्य की धुरी लेकर आगे बढ़े। उनका नाम है श्री शिवराम शंकर आप्टे। श्री आप्टे जी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार विख्यात थे उसी प्रकार एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं। श्री आप्टे जी ने बम्बई से ही इस कार्य को प्रारम्भ किया। सन् १९४८ के दिसम्बर मास में हिन्दुस्थान समाचार प्राइवेट लि० की विधिवत स्थापना की गई। श्री आप्टे जी विभिन्न प्रान्तों में घूम-घूमकर साथी पत्रकारों को इस कार्य में उत्साहित तथा संलग्न करने लगे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निःसन्देह कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ। सर्व प्रथम बम्बई, नागपुर, दिल्ली और पटना में केन्द्र स्थापित हुए। छोटे-बड़े अनेक क्षेत्रों में समाजसेवी और भारतीय भाषाओं के प्रेमी कार्यकर्ताओं ने समाचार संकलन में हिन्दुस्थान समाचार को सहायता पहुँचाई। आर्थिक दुरावस्था और भारतीय भाषाओं के सम्वाददाताओं के प्रति उदासीनता के बावजूद उस वायुमंडल में शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्रोफेसर कई लोगों ने इस महती राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में अपने धन तथा समय दोनों की शक्ति लगाई।

विकास

सर्वप्रथम मराठी, हिन्दी और उर्दू में बम्बई, नागपुर, दिल्ली और पटना केन्द्रों से यह कार्य हुआ। फिर सन् १९४८ से १९५३ के बीच लगभग सभी प्रान्तों में समाचार संकलन का यह कार्य पहुंच चुका था और बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, पटना, बंगलौर, नागपुर, कानपुर और नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके थे। तब तक देवनागरी लिपि में दूर-मुद्रक नहीं थे। इसी कारण शीघ्रता से समाचार प्रेषण में कठिनाई हो रही थी। किन्तु इसी समय तत्कालीन केन्द्रीय संचार मंत्री श्री रफी अहमद किदवई ने जबलपुर टेलीग्राफ वर्कशाप में अंग्रेजी टेलीप्रिन्टर मशीन पर नागरी कुंज पटल स्थापितकरा ने का कार्य सम्पन्न कराया। सर्वप्रथम चार मशीनें तैयार हुईं। उसमें से दो हिन्दुस्थान समाचार को मिलीं। पटना में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ने और दिल्ली में श्री जगजीवनराम जी ने जून १९५४ में हिन्दुस्थान समाचार द्वारा नागरी दूर-मुद्रक स्थापित होने की विधि का उद्घाटन किया। इस प्रकार हिन्दुस्थान समाचार की ओर से स्वतन्त्र भारत में सर्वप्रथम नागरी लिपि में समाचार प्रेषण का स्वदेशी युग प्रारम्भ हुआ। वर्ष में दो बार देवनागरी दूर-मुद्रक के कार्य के विषय में सरकार को सुझाव देकर हिन्दुस्थान समाचार ने देवनागरी दूर मुद्रक के विकास में योगदान किया।

पत्रकारिता के क्षेत्र में इस युगान्तरकारी कार्यारम्भ पर पटना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर इस अवसर पर पधारे थे। निष्पक्ष, निर्भीक और राष्ट्रोपयोगी समाचारों के दायित्व को मुखरित करने के लिए जो गोष्ठी आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति स्व० श्यामानन्द सहाय ने की थी। विशेष अतिथि के रूप में नेपाल के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री मातृकाप्रसाद कोइराला भी पधारे थे। इस अवसर पर आचार्य विनोबा भावे और श्री जयप्रकाशनारायण ने हिन्दुस्थान समाचार के समाचारों की निष्पक्षता की सराहना की। लोक-सभा के अध्यक्ष श्री जे० वी० मावलंकर ने कहा—"मैं इस कार्य योजना का हार्दिक समर्थन करता हूं।" तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री पंजाबराव देशमुख ने कहा कि—"सत्य और निष्पक्ष समाचार राष्ट्रीय जीवन को मजबूत करने में आवश्यक हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विगत पांच वर्षों में हिन्दुस्थान समाचार ने देश के सभी प्रमुख केन्द्रों पर संवाददाता नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की है।"

इनके अतिरिक्त पं० दीनदयाल उपाध्याय, श्री भदन्त आनन्द कौशल्यायन, श्री दादा धर्माधिकारी, सन्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, डा० अमरनाथ झा, डा० श्री कृष्णसिंह, श्री कमलापति त्रिपाठी आदि विद्वानों ने भी हिन्दुस्थान समाचार द्वारा नागरी में दूर-मुद्रक सेवा प्रारम्भ करने के कार्य को सराहा। इसप्रकार देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी क्षेत्रों में प्राप्त सहायता के आधार पर हिन्दुस्थान समाचार ने प्रगति कर दूसरी मंजिल पार कर ली।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रगति का तीसरा चरण

जनता के सभी वर्गों और दलों से प्राप्त व्यापक समर्थन से उत्साहित हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं ने देहातों तक पहुंचकर राष्ट्र की प्रगति से सम्बन्धित सभी दृष्टिकोणों के समाचार संकलित कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। अब यह माना जाने लगा कि ग्राम, तहसील और जिला केन्द्रों तक पहुंचकर समाचार संकलन का व्यापक कार्य करने में हिन्दुस्थान समाचार ने राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए महान कार्य किया है। विभिन्न राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी हिन्दुस्थान समाचार की ग्रामों तक छू लेने वाली इस समाचार संकलन योजना से प्रभावित हुईं। सन् १९५१ से ही बिहार सरकार, हिन्दुस्थान समाचार से समाचार लेने लगी। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब सरकारों ने भी समाचार लेना प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय समाचारों में हिन्दुस्थान समाचार के इस कार्य का योगदान स्वीकार करते हुए आज लगभग सभी प्रदेश और संघीय क्षेत्र की सरकारें इसकी नियमित ग्राहक हैं। केन्द्र सरकार ने भी समाचार लेना प्रारम्भ कर दिया हैं। सन् १९६८ से आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में प्रादेशिक समाचार प्रसारण के लिए तथा दिल्ली में राष्ट्रीय समाचार प्रसारण के लिए भी हिन्दुस्थान समाचार द्वारा प्रेषित समाचार लिए जाने लगे।

भारतीय जनजीवन की विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी गतिविधियों को जनता की अपनी भाषा यानी राष्ट्रीय भाषाओं में संकलित और प्रेषित करने वाली एकमात्र संस्था 'हिन्दुस्थान समाचार' है, यह तथ्य सबके सामने उभर कर आया। निःसन्देह हिन्दुस्थान समाचार के संवाददाता, सम्पादक और छोटे-बड़े सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय समाचार संकलन में अभी तक अधिकांशतः उपेक्षित पड़े सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्रों के समाचारों को महत्त्व प्रदान किया, जो राष्ट्र जीवन की विविध क्षेत्रों की प्रगति को स्पष्ट करने के लिए महत्त्वपूर्ण माने गये।

हिन्दुस्थान समाचार की इस विशेष स्थिति को स्वीकार कर नेपाल में भी इस समिति का स्वागत हुआ। सन् १९५३ से सन् १९६३ तक नेपाल रेडियो में हिन्दुस्थान समाचार से नेपाल एवं भारत के समाचार लिए जाते थे। फिर वहां जब राष्ट्रीय समाचार समिति की स्थापना हुई तो हिन्दुस्थान समाचार, नेपाल की समिति को समाचार देने लगी।

सिक्किम सरकार पिछले १८ वर्षों से हिन्दुस्थान समाचार की सेवा लेती है। भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देशों नेपाल एवं भूटान के साथ समाचारों द्वारा सम्पर्क स्थापित करने में हिन्दुस्थान समाचार ने जो अगुवाई की है वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना गिनी जायेगी।

सहकारी समिति : सुदृढ़ आधार

हिन्दुस्थान समाचार की इस प्रगति की आधारशिला सन् १९५७ में रखी गई थी। यह एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। सन् १९५७ में हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं ने एक सहकारी समिति (को-आपरेटिव सोसायटी) स्थापित की और उसका पंजीयन फरवरी, १९५७ में कराया। हिन्दुस्थान समाचार (प्राइवेट) लिमिटेड के व्यवस्थापकों ने समाचार समिति का संचालन इस सहकारी समिति को सौंप दिया। सहकारिता के आधार पर एक समाचार समिति के कार्य का संचालन न केवल भारत में वरन् विश्व की पत्रकारिता में एक अद्वितीय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उदाहरण बन कर सामने आया। तब से इसी व्यवस्था के अन्तर्गत यह समिति देश की सभी राज्य भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी में समाचार संकलन, सम्पादन और प्रेषण का कार्य कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति की स्थापना पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद जी ने जो संदेश दिया था वह हिन्दुस्थान समाचार का सदा के लिए मार्ग-दर्शक रहेगा। राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि—

"मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हिन्दुस्थान समाचार समिति एक सहकारी संस्था के रूप में आज विधिवत् परिवर्तित हो रही है। यह रूपांतर एक बड़े महत्त्व का प्रयोग है। हिन्दी की एकमात्र समाचार समिति होने के नाते यों भी हिन्दुस्थान समाचार की जिम्मेदारियां काफी बड़ी थीं। इस नये रूपान्तर से जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। मुझे आशा है कि समिति के कार्यकर्ता जो अब इसके मालिक और व्यवस्थापक भी होंगे, समिति के ऊंचे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथक प्रयत्न करेंगे। मैं समिति की सफलता की कामना करता हूं।"

अनेक महानुभावों का सहकार्य

हिन्दुस्थान समाचार को प्रारम्भ से ही इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश के श्रेष्ठ विद्वान, जन-नेता और शासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों का इसे समर्थन मिला। स्थापना के समय डा० राजेन्द्रप्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, पं० गोविन्दबल्लभ पन्त और श्री रफी अहमद किदवई जैसे राष्ट्र-भक्तों का शुभाशीष प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हिन्दुस्थान समाचार की विभिन्न प्रबन्ध समितियों में पदाधिकारी रह कर अनेक महानुभावों ने हिन्दुस्थान समाचार की प्रगति में सहयोग प्रदान किया है। डा० हरेकृष्ण मेहताब, डा० रामसुभगसिंह, सेठ गोविन्ददास, श्री तख्तमल जैन, श्री जयनारायण व्यास, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर, श्री घनश्यामसिंह गुप्त, एवं श्री जयसुखलाल हाथी आदि जन नेताओं ने प्रबन्ध समिति के कार्य-संचालक पदों पर रह कर समिति का मार्ग-दर्शन समय-समय पर किया है।

इनके अतिरिक्त श्री सत्यकाम विद्यालंकार (धर्मयुग, बम्बई), श्री सत्येन्द्रकुमार गुप्त ('आज' काशी) और श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी (सम्पादक, सरस्वती, प्रयाग) आदि साहित्यिक पत्रकार-विद्वानों ने भी प्रबन्ध समिति में अपना योगदान किया। चालू वर्ष (१९७४-७५ में प्रबन्ध समिति इस प्रकार है :

अध्यक्ष—	डा० सरोजिनी महिषी	केन्द्रीय राज्यमंत्री विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य।
उपाध्यक्ष—	श्री अनन्तप्रसाद शर्मा	केन्द्रीय राज्यमंत्री, औद्योगिक विकास।
	श्री अनन्त गोपाल शेवडे	प्रबन्ध सम्पादक 'नागपुर टाइम्स, नागपुर।
	श्री सुधाकर पाँडे	संसद सदस्य, महामंत्री-हिन्दी साहित्य सम्मेलन एवं नागरी प्रचारिणी सभा।
सचिव—	श्री बालेश्वर अग्रवाल	प्रबन्ध व्यवस्थापक, हिन्दुस्थान समाचार।
कोषाध्यक्ष—	श्रीनारायण बालकृष्ण लेले	मुख्य समाचार संपादक हिन्दुस्थान समाचार।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सदस्य—	(१) श्री चन्दूलाल चंद्राकर	संसद सदस्य, संयुक्त संपादक दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
	(२) डा० वेदप्रताप वैदिक	सहायक संपादक, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली
	(३) श्रीनारायण चतुर्वेदी	संपादक अमरज्योति, जयपुर
	(४) श्री रामशंकर अग्निहोत्री	ब्यूरो प्रमुख हिन्दुस्थान समाचार नई दिल्ली
	(५) श्री अयोध्याप्रसाद केसरी	संपादक हिन्दुस्थान समाचार नई दिल्ली
	(६) श्री ज्ञानेन्द्र भारद्वाज	संपादक, हिन्दुस्थान समाचार, चंडीगढ़
	(७) श्री भूपत पारिख	संपादक, हिन्दुस्थान समाचार, अहमदाबाद
	(८) श्री अमलेन्दु कुन्दू	सम्पादक, हिन्दुस्थान समाचार, कलकत्ता
	(९) श्री चेतराम	दूरमुद्रक मैकेनिक हि० स० नई दिल्ली

प्रगति के महत्वपूर्ण आंकड़े

* विभिन्न प्रदेशों के लगभग सभी तहसील केन्द्रों तक पहुंचकर हजारों गांव हिन्दुस्थान समाचार की पहुंच के अन्तर्गत आ चुके हैं।
* हिन्दी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमी, पंजाबी, मलयालम, तेलगू, तमिल, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं में समाचार प्रेषण और वितरण होता है।
* चार स्थानों से अंग्रेजी समाचार देकर अंग्रेजी पत्रों में भी ग्रामीण समाचारों को हि० स० ने स्थान दिलाया है।
* इस समय २० शाखा कार्यालयों से समाचारों का आदान-प्रदात नियन्त्रित होता है।
* हिन्दुस्थान समाचार के अधिकृत सम्वाददाताओं की कुल संख्या १,०८९ है। दूर मुद्रक केन्द्र २४ हैं।
* १३९ समाचारपत्र इसके ग्राहक हैं।
* केन्द्र एवं सभी राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों से इसे मान्यता प्राप्त है।
* आकाशवाणी के केन्द्रों से ७ भाषाओं में इसके समाचार प्रसारित होते हैं।
* हिन्दुस्थान समाचार की ओर से प्रतिवर्ष 'वार्षिकी' का प्रकाशन होता है जिसमें वर्ष की महत्वपूर्ण जानकारियां महत्वपूर्ण अध्यायों के अन्तर्गत उपलब्ध की जाती हैं।
* हिन्दुस्थान समाचार की ओर से 'युगवार्ता' प्रसंग-लेख सेवा (Featurc Service) संचालित की गई है जिसकी सामग्री ९६ समाचारपत्रों के लेख-स्तम्भों में प्रकाशित होती है।

भावी योजनाएं

* अति शीघ्र १० दूरमुद्रक केन्द्र और स्थापित करना। यह कार्य सम्पन्न होने से हिन्दुस्थान समाचार प्रगति की उस महत्त्वपूर्ण मंजिल पर पहुंच जायेगा जिसमें सम्पूर्ण भारत के समाचारों का एक साथ वितरण सभी प्रान्तों में, सभी भारतीय भाषाओं में होने लगेगा।
* जो समाचारपत्र नागरी लिपि में सेवा ले रहे हैं उन्हें समाचारपत्र केन्द्रों तक दूरमुद्रक (टिकर) मशीनों से जोड़कर समाचार देना।
* बर्मा, इन्डोनेशिया, मलयेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, कीनिया, मारीशस आदि पड़ोसी देशों में शाखा कार्यालय स्थापित करना और समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

* समाचार-चित्र (News Photos) विभाग स्थापित कर राष्ट्रीय महत्त्व की घटनाओं के चित्र समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ भेजना।

वर्तमान गठन

इस समय हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति के ३२१ अंशधारी सदस्य हैं। इन में 'हिन्दुस्थान समाचार' में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के विकास में प्रजातन्त्र का उज्जवल भविष्य आंकने वाले उत्साही समाजसेवी और पत्रकार महानुभाव भी सहकारी समिति के सदस्य हैं। उल्लेखनीय कुछ नाम हैं—सर्वश्री रतनलाल जोशी ('हिन्दुस्तान' नई दिल्ली), अक्षयकुमार जैन ('नवभारत टाइम्स' नई दिल्ली), अशोक जी ('स्वतन्त्र भारत', लखनऊ), जयकांत मिश्र (आर्यावर्त, पटना), मा० गो० वैद्य ('तरुण भारत' नागपुर), साधुसिंह हमदर्द (अजीत, जालन्धर), नरेन्द्र मोहन ('जागरण', कानपुर), सुरेन्द्रमोहन घोष (पायनियर, लखनऊ), ए० डी० मणि (हितवाद, नागपुर), अनंतगोपाल शेवड़े (नागपुर टाइम्स), माया राम सुरजन (देशबन्धु, रायपुर), कृष्णचन्द्र अग्रवाल (विश्वमित्र, कलकत्ता), डोरीलाल अग्रवाल (अमर उजाला, आगरा), डा० भगवानदास अरोड़ा (गाण्डीव, वाराणसी), बी० एन० नायर (मातृभूमि, कालीकट)। इन सम्पादकों के अतिरिक्त समिति के सदस्यों में सर्वश्री प्रकाशवीर शास्त्री, जगदीशचन्द्र ऋषि (बिलासपुर), जयकिशन भाई हरिवल्लभदास (अहमदाबाद), आदि समाजसेवी अनुभवी महानुभाव हैं।

हमारी प्रतिबद्धता

हिन्दुस्थान समाचार की गत २६ वर्षों की प्रगति में इतने बन्धुओं का सहयोग प्राप्त हुआ है और विभिन्न कठिन परिस्थितियों में से उबरने के लिए इतने हाथ आत्मीयतापूर्वक सहायतार्थ आगे आये हैं कि उनकी गिनती करना कठिन है। छबीस वर्षों के कार्यकाल का चलचित्र ही मनःचक्षु के समक्ष खिच जाता है और श्रद्धावनत होकर उन सब बन्धुओं के समक्ष हम कृतज्ञ अवस्था में यह संकल्प लिये खड़े हैं कि राष्ट्र की बहुविधि प्रगति, शान्ति, सुव्यवस्था और सौहार्द के निर्माण में निष्पक्ष, सत्य, निर्भीक पत्रकारिता के पथ पर हम आगे ही बढ़ते जायेंगे। भारत में पत्रकारिता का जन्म राष्ट्रभक्ति की लहरों के साथ हुआ है।

राजा राममोहनराय से लेकर तिलक, अरविन्द, रवीन्द्र, गांधी तक अनेक जननेताओं ने पत्रकारिता को जन-जागरण के प्रबल माध्यम के रूप में अपनाया है। सर्व श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी, जगन्नाथप्रसाद मिलिंद, प्रतापनारायण मिश्र, बाबूराव विष्णु पराड़कर, इन्द्र विद्यावाचस्पति, बालकृष्ण भट्ट, शिवपूजनसहाय, लक्ष्मणनारायण गर्दे, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवक्ष वेनीपुरी आदि नाम पत्रकारिता के साथ सीधे सम्बन्धित हैं तो सर्वश्री रामचन्द्र वर्मा, रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द, अश्क, गिरिधर शर्मा, डा० सम्पूर्णानन्द आदि कितने ही साहित्यकारों ने भी पत्रकारिता की धारा को पुष्ट किया है। यही वे मार्गदर्शक दीप स्तम्भ हैं जिनकी पावन स्मृति 'हिन्दुस्थान समाचार' की प्रगति में निःस्वार्थ समाज सेवा की प्रेरणा बनकर हमारे सामने उपस्थित है।

इन पावन विश्वासों में आगे बढ़ते हुए हिन्दुस्थान समाचार को वह दिन भी देखना है जब हिन्दुस्थान समाचार समिति विश्व के विभिन्न देशों से सम्पर्क स्थापित कर भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के लिए विश्व-समाचारों का संकलन तथा प्रसारण कर सके। लक्ष्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

महान है, प्रेरणा उदात्त है और असंख्य लोगों का सहकार्य हमारा सम्बल है। ढाई दशक की प्रगति हमें उत्साहित कर रही है। 'हिन्दुस्थान समाचार' इसी उद्देश्य की पूर्ति में सभी बन्धुओं के अधिकाधिक सहकार्य की कामना करता है।

रजत जयन्ती समारोह

वर्ष १९७४-७५ हिन्दुस्थान समाचार का रजत जयन्ती वर्ष था। रजत जयन्ती समारोह केन्द्र से पूर्व सभी शाखा कार्यालयों द्वारा व्यापक रूप से मनाने की योजना बनाई गई। इस अवसर पर प्रत्येक राज्य की भाषायी पत्रकारिता पर प्रकाश डालने हेतु स्मारिकाएं प्रकाशित करने तथा उस राज्य के वरिष्ठ भाषायी पत्रकारों को सम्मानित करने का निश्चय किया गया।

नागपुर

सबसे पहले नागपुर कार्यालय का समारोह २७ अप्रैल, १९७४ को सम्पन्न हुआ। समारोह का उद्घाटन महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री वानखेड़े जी ने किया तथा अध्यक्षता केन्द्रीय राज्यमंत्री डा० सरोजिनी महिषी ने की। मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल थे। इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित हुई। पत्रकार प्रशिक्षण शिविर में हि० स० के विदर्भ क्षेत्र के लगभग ६५ संवाददाताओं ने भाग लिया।

शिमला

शिमला शाखा ने १४ अक्तूबर को समारोह आयोजित किया। उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री डा० यशवन्तसिंह परमार ने तथा अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० रामकर्णसिंह ने की।

पटना

बिहार शाखा ने ३१ अक्तूबर को पटना में आयोजन किया। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री हरिनाथ मिश्र की अध्यक्षता में समारोह समिति बनी। समारोह का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री अब्दुल गफूर ने तथा अध्यक्षता वयोवृद्ध हिन्दी सेवी बाबू गंगाशरण सिंह ने की। प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री केदार पाण्डेय मुख्य अतिथि थे।

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार तथा 'आर्यावर्त' के भूतपूर्व सम्पादक श्री श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार को सम्मानित किया गया।

प्रदेश के संवाददाताओं का दो दिन तक प्रशिक्षण शिविर चला जिसमें ६० संवाददाताओं ने भाग लिया।

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के समारोह के लिए प्रदेश के न्याय, श्रम व परिवहन मंत्री श्री राजमंगल पाण्डे की अध्यक्षता में समारोह समिति का गठन हुआ। २९ नवम्बर को समारोह हुआ जिसका उद्घाटन केन्द्रीय रेलमन्त्री पं० कमलापति त्रिपाठी तथा अध्यक्षता डा० सरोजिनी महिषी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त ने हि० स० की भाषायी पत्रकारिता की सेवा की सराहना की।

इस अवसर पर प्रदेश के पांच वरिष्ठ पत्रकारों सर्वश्री श्रीनारायण चतुर्वेदी, कमलापति त्रिपाठी, देवदत्त मिश्र, रामेश्वर प्रसादसिंह, तथा श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' को सम्मानित किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गोहाटी

गोहाटी में २२ दिसम्बर को समारोह हुआ। असम के मुख्यमन्त्री श्री शरतचन्द्र सिन्हा ने उद्घाटन किया। 'नूतन असमिया' के सम्पादक प्रख्यात पत्रकार श्री हरेन बरूआ को सम्मानित किया गया।

जयपुर

राजस्थान शाखा के समारोह के लिए विधान सभा के अध्यक्ष श्री रामकिशोर व्यास की अध्यक्षता में समारोह समिति बनी। २३ जनवरी ७५ को जयपुर में केन्द्रीय मंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने उद्घाटन तथा डा० महिषी ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी मुख्य अतिथि थे।

प्रदेश के संवाददाताओं के प्रशिक्षण के लिए दो दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चंडीगढ़

पंजाब शाखा के समारोह के लिए प्रदेश के आबकारी व राजस्व मंत्री श्री यश की अध्यक्षता में समारोह समिति गठित हुई। ७ फरवरी को चंडीगढ़ में मुख्यमन्त्री ज्ञानी जैलसिंह ने समारोह का उद्घाटन तथा प्रख्यात पत्रकार श्री अक्षयकुमार जैन ने अध्यक्षता की। हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष डा० सरूपसिंह विशिष्ट अतिथि थे।

पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचलप्रदेश के संवाददाताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा।

कटक

उड़ीसा में उत्कल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डा० प्राणकृष्ण परिजा की अध्यक्षता में समारोह समिति बनी। ३ मार्च को कटक में समारोह हुआ जिसका उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल श्री अकबर अली खां ने तथा अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष श्री ब्रज महंथी ने की। प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री विश्वनाथदास मुख्य अतिथि थे। उड़िया के प्रख्यात पत्रकार श्री राधानाथ रथ को सम्मानित किया गया।

हैदराबाद

आन्ध्र शाखा के समारोह के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री के० राजमल्लु की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। १६ मार्च को हैदराबाद में हुए समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री जे० वेंगलराव ने तथा अध्यक्षता डा० सरोजिनी महिषी ने की।

इस अवसर पर हि० स० की ओर से आन्ध्र के वरिष्ठ पत्रकारों सर्वश्री तिरूमल रामचन्द्र (तेलुगु), एम० नरसिंह राव (उर्दू) तथा मधुसूदन चतुर्वेदी (हिन्दी) का सम्मान किया गया।

बम्बई

बम्बई शाखा के समारोह के लिए श्री कान्तिकुमार पोद्दार की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। २७ मार्च को हुए समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री बासप्पा-दानप्पा जत्ती ने तथा अध्यक्षता डा० सरोजिनी महिषी ने की। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष श्री एस० के० वानखेड़े मुख्य अतिथि थे।

इस अवसर पर हिन्दुस्थान समाचार के संस्थापक श्री शिवराम शंकर आप्टे को सम्मानित किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कलकत्ता

कलकत्ता में हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड के सम्पादक श्री सुधांशु कुमार बसु की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। १३ अप्रैल को सम्पन्न समारोह का उद्घाटन केन्द्रीय विदेश मंत्री श्री यशवन्त राव चव्हाण ने तथा अध्यक्षता डा० महिषी ने की। पं० बंगाल के वित्तमंत्री श्री शंकर घोष मुख्य अतिथि थे। प्रदेश के तीन वरिष्ठ पत्रकारों सर्वश्री चपलाकान्त भट्टाचार्य, सत्य-रंजन बख्शी तथा प्रताप नारायण वाजपेयी को सम्मानित किया गया।

पं० बंगाल के संवाददाताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ।

इम्फाल

मणिपुर शाखा ने २० अप्रैल को इम्फाल में समारोह आयोजित किया जिसका उद्-घाटन मणिपुर के मुख्यमन्त्री श्री आर० के० दोरेन्द्रसिंह ने तथा अध्यक्षता संसद सदस्य प्रो० एन० तोम्बीसिंह ने की।

वरिष्ठ पत्रकार श्री के० कुंजबिहारी सिंह का सम्मान किया गया।

नेपाल

भारत से बाहर नेपाल में हिन्दुस्थान समाचार का व्यापक कार्य क्षेत्र व महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। अत: वहां प्रभावी ढंग से रजत जयन्ती समारोह मनाया गया।

२० मई को हुए इस समारोह में भाग लेने के लिए भारत से लगभग एक दर्जन प्रमुख पत्रकार काठमांडू गये। समारोह का उद्घाटन नेपाल सरकार के संचार मंत्री श्री राधाप्रसाद घिमिरे ने तथा अध्यक्षता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री कीर्ति निधि विष्ट ने की। नेपाल स्थित भार-तीय राजदूत श्री महाराज कृष्ण रसगोत्र समारोह के मुख्य अतिथि थे।

हिन्दुस्थान समाचार के शाखा केन्द्र

*श्रीनगर	*अगरतला	*पणजी
*जालन्धर	गंगटोक	*पुणे
*लुधियाना	*गोहाटी	*बम्बई
*शिमला	कोहिमा	*नागपुर
*चण्डीगढ़	इम्फाल	*अहमदाबाद
*अलीगढ़	*कटक	इन्दौर
*बरेली	मद्रास	*भोपाल
*लखनऊ	त्रिवेन्द्रम्	*ग्वालियर
*पटना	बंगलौर	*जयपुर
*कलकत्ता	*हैदराबाद	काठमाण्डू (नेपाल)

*दूर मुद्रक से सम्बद्ध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिशिष्ट

केन्द्रीय मन्त्रिमंडल*

राष्ट्रपति : श्री फखरुद्दीनअली अहमद

उपराष्ट्रपति : श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती

कैबिनेट स्तर के मंत्री

१. श्रीमती इन्दिरा गांधी	प्रधानमंत्री, योजना, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक तथा अंतरिक्ष
२. श्री जगजीवनराम	कृषि और सिंचाई
३. श्री स्वर्णसिंह	रक्षा
४. श्री यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण	विदेश
५. श्री उमाशंकर दीक्षित	जहाजरानी और परिवहन
६. श्री हरि रामचंद्र गोखले	विधि, न्याय और कम्पनी मामले
७. श्री केशव देव मालवीय	पेट्रोलियम तथा रसायन
८. श्री टी० ए० पै	उद्योग तथा नागरिक संभरण
९. श्री के० रघुरमैया	निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य
१०. श्री राजबहादुर	पर्यटन और नागरिक उड्डयन
११. श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	गृह
१२. श्री शंकर दयाल शर्मा	संचार
१३. डा० कर्णसिंह	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
१४. श्री सी० सुब्रह्मण्यम	वित्त
१५. श्री कमलापति त्रिपाठी	रेल

राज्यमंत्री

१६. प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	वाणिज्य,
१७. श्री इन्द्र कुमार गुजराल	योजना
१८. श्री आर० के० खाडिलकर	आपूर्ति एवं पुनर्वास
१९. प्रो० सैयद नुरुल हसन	शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति
२०. श्री कृष्णचन्द्र पंत	ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकस और अन्तरिक्ष विभागों से सम्बद्ध कार्यों में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं।
२१. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी	श्रम
२२. श्री चन्द्रजीत यादव	इस्पात और खान

* १२ जुलाई सन् १९७५ की स्थिति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२३. श्री के० आर० गणेश	पेट्रोलियम तथा रसायन
२४. श्री ए० सी० जार्ज	उद्योग तथा नागरिक संभरण
२५. श्री शाहनवाज खां	कृषि और सिंचाई
२६. डा० सरोजिनी महिषी	विधि, न्याय तथा कम्पनी मामले
२७. श्री बी० पी० मौर्य	उद्योग तथा नागरिक संभरण
२८. श्री ओम मेहता	गृह, कार्मिक विभाग, प्रशासन सुधार और संसदीय मामले
२९. श्री राम निवास मिर्धा	रक्षा उत्पादन
३०. श्री प्रणवकुमार मुखर्जी	वित्त
३१. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	रेल
३२. श्री अनंतप्रसाद शर्मा	उद्योग तथा नागरिक संभरण
३३. श्री अन्नासाहेब पी० शिंदे	कृषि तथा सिंचाई
३४. श्री विद्याचरण शुक्ल	सूचना और प्रसारण
३५. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	पर्यटन और नागरिक उड्डयन
३६. श्री एच० एम० त्रिवेदी	परिवहन और जहाजरानी
उप-मंत्री	
३७. श्री जिआउर रहमान अंसारी	उद्योग और नागरिक संभरण
३८. श्री वेदव्रत बरुआ	विधि, न्याय तथा कम्पनी मामले
३९. श्री बिपिनपाल दास	विदेश
४०. श्री ए० के० एम० इशाक	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
४१. श्री सी० पी० माझी	पैट्रोलियम और रसायन
४२. श्री एफ० एच० मोहसिन	गृह
४३. श्री अरविन्द नेताम	शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति
४४. श्री जगन्नाथ पहाड़िया	संचार
४५. श्री प्रभुदास पटेल	कृषि तथा सिंचाई
४६. श्री जानकी वल्लभ पटनायक	रक्षा
४७. श्री बी० शंकरानंद	संसदीय मामले
४८. श्री सिद्धेश्वरप्रसाद	ऊर्जा
४९. श्री सुखदेवप्रसाद	इस्पात तथा खान
५०. श्रीमती सुशीला रोहतगी	वित्त
५१. श्री बूटासिंह	रेल
५२. श्री दलबीर सिंह	निर्माण तथा आवास
५३. श्री केदारनाथ सिंह	कृषि तथा सिंचाई
५४. श्री विश्वनाथप्रताप सिंह	वाणिज्य
५५. श्री धर्मवीर सिन्हा	सूचना और प्रसारण
५६. श्री जी० वेंकट स्वामी	आपूर्ति और पुनर्वास
५७. श्री बालगोविन्द वर्मा	श्रम
५८. श्री डी० पी० यादव	शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्यसभा

सभापति—श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती

उपसभापति—श्री गौडे मुराहरि

असम

१. श्री नृपतिरंजन चौधरी (कां०)
२. ,, विजयचन्द्र भगवती ,,
२. ,, एन० सी० बुरगोहेन ,,
२. ,, एम० प्रफुल्ल गोस्वामी ,,
५. ,, बिपिनपालदास ,,
६. ,, इमोनसिंह एम० संगमा ,,
७. ,, देवकांत बरुआ ,,

आन्ध्र प्रदेश

८. ,, जनार्दन रेड्डी (कां०)
९. ,, ए० एस० चौधरी (नि०)
१०. ,, के० ब्रह्मनन्द रेड्डी (कां०)
११. ,, वेजवाड़ा पापि रेड्डी (नि०)
१२. ,, वी० बी० राजू (कां०)
१३. ,, कोट पुनैया ,,
१४. ,, वेनीगल्ल सत्यनारायण ,,
१५. ,, एस० आनन्दम ,,
१६. ,, कासिम अली आबिद ,,
१७. ,, वी० सी० केशवराव ,,
१८. ,, गड्डम नारायण रेड्डी (कां०)
१९. ,, राताकोंडा नरसिंह रेड्डी ,,
२०. ,, के० एल० एन० प्रसाद ,,
२१. श्रीमती रत्नाबाई श्रीनिवास राव ,,
२२. श्री काटरगड्ड श्रीनिवास राव (नि०)
२३. ,, के० वी० रघुनाथ रेड्डी (कां०)
२४. ,, एम० आर० कृष्ण ,,
२५. ,, मोहम्मद यूनुस सलीम ,,

उड़ीसा

२६. श्री ब्रह्मानन्द पण्डा (कां०)
२७. ,, विनय कुमार महन्ती ,,
२८. श्री चैतन्यप्रसाद माझी ,,
२९. ,, के० पी० सिंह देव भालोद
३०. ,, वीर केसरी देव भालोद
३१. ,, रबी रे ,,
३२. ,, लक्ष्मण महापात्र (कां०)
३३. ,, लोकनाथ मिश्र (भालोद)
३४. ,, बी० सी० महन्ती (कां०)
३५. ,, श्रीमती सरस्वती प्रधान (कां०)

उत्तर प्रदेश

३६. श्री बनारसीदास (सं० कां०)
३७. ,, दत्तोपन्त ठेंगड़ी (जनसंघ)
३८. ,, कल्पनाथ (सं० कां०)
३९. ,, सुखदेव प्रसाद (कां०)
४०. ,, जगबीरसिंह ,,
४१. ,, देवेन्द्रनाथ द्विवेदी ,,
४२. ,, प्यारेलाल कुरली उर्फ तालिब ,,
४३. ,, यशपाल कपूर (कां०)
४४. ,, रिक्त
४५. ,, महावीर त्यागी (सं० कां०)
४६. ,, हर्षदेव मालवीय (कां०)
४७. ,, प्रो० एस० नूरूल हसन ,,
४८. ,, त्रिलोकी सिंह ,,
४९. ,, प्रकाशवीर शास्त्री (जनसंघ)
५०. ,, आनन्दनारायण मुल्ला (कां०)
५१. ,, महादेवप्रसाद वर्मा (भालोद)
५२. ,, मोहनसिंह ओबराय (कां)
५३. ,, नागेश्वर प्रसाद शाही (कां०)
५४. ,, कल्याणचन्द (कम्यु०)
५५. ,, त्रिभुवननारायण सिंह (सं० कां०)
५६. ,, उमाशंकर दीक्षित (कां०)
५७. ,, चन्द्र शेखर (कां०)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५८. श्री राजनारायण (भालोद)
५९. ,, शिवदयाल सिंह चौरसिया (जनसंघ)
६०. ,, वी० बी० सिंह (कां०)
६१. डा० जेड० ए० अहमद (कम्यु०)
६२. श्री गौड़ मुराहरि (नि०)
६३. ,, ओमप्रकाश त्यागी (जनसंघ)
६४. ,, सुब्रमण्यन स्वामी (जनसंघ)
६५. ,, श्यामलाल यादव (कां)
६६. ,, महावीर प्रसाद शुक्ल (कां०)
६७. ,, इन्द्र सिंह ,,
६८. ,, कमलापति त्रिपाठी ,,
६९. ,, सैयद अहमद हाशमी (सं०कां०)

कर्नाटक

७०. श्री वीरेन्द्र पाटिल (सं०कां०)
७१. ,, मालप्पा लिंगप्पा कोल्लुर (कां०)
७२. ,, के० नागप्पा अल्वा (सं०कां०)
७३. ,, मुल्का गोविन्द रेड्डी (कां०)
७४. श्रीमती मार्गरेट अल्वा (कां०)
७५. श्री टी० ए० पै (कां०)
७६. ,, बी० राचय्या ,,
७७. ,, यू० के० लक्ष्मण गौड (नि०)
७८. ,, मकसूद अली खां (कां०)
७९. ,, के० एस मल्ले गौड (नि०)
८०. ,, बी० पी० नागराज मूर्ति (नि०)
८१. ,, एच० एस० नरसिया (कां०)

केरल

८२. श्री हामिद अली शामनाड (मु० लीग)
८३. ,, पी० के० कंजायन (मा० कम्यु०)
८४. श्रीमती लीला दामोदरन मेनन (कम्यु०)
८५. श्री विश्वनाथ मेनन (मा० कम्यु०)
८६. ,, बी० बी० अब्दुल्ला कोया (आर० एस० पी०)
८७. ,, बी० ए० सईद मुहम्मद (कां०)
८८. ,, के० मैथ्यू कुरियन (मा०कम्यु)
८९. ,, के० चन्द्रशेखरन (सो०)
९०. ,, एस० कुमारन (कम्यु)

गुजरात

९१. श्री योगेन्द्र मकवाना (कां०)
९२. श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी ,,
९३. श्री डी० के० पटेल (जनसंघ)
९४. श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी
९५. श्री हिम्मत सिंह (कां०)
९६. ,, रिक्त ,,
९७. ,, इब्राहिम कालनिया ,,
९८. ,, रिक्त ,,
९९. ,, श्री एच० एम० त्रिवेदी (कां०)
१००. ,, रिक्त
१०१. ,, मनुभाई शाह (कां०)

जम्मू-कश्मीर

१०२. ,, ओम मेहता (कां०)
१०३. ,, रिक्त
१०४. ,, सैयद निजामुद्दीन (कां०)
१०५. ,, तीरथराम अमला (कां०)

तमिलनाडु

१०६. ,, ए० के० रिफाए (मु० लीग)
१०७. ,, टी० के श्रीनिवासन (द्रमुक)
१०८. ,, के० ए० कृष्णास्वामी ,,
१०९. ,, कांची कल्याणसुन्दरम् ,,
११०. ,, एम० कादिर शाह ,,
१११. ,, एम० कमलनानाथन ,,
११२. ,, एस० एस० मारिस्वामी ,,
११३. ,, सी० डी० नटराजन
११४. ,, एस० रंगनाथन
११५. ,, एम० सी० बालन (अन्ना द्रमुक)
११६. ,, एस० एस० राजेन्द्रन (द्रमुक)
११७. ,, टी० वी० आनन्दन (सं० कां०)
११८. ,, एम० एस० अब्दुल कादिर (द्रमुक)
११९. ,, बी० बी० स्वामीनाथन ,,
१२०. ,, ए०के०ए० अब्दुल समद (मु०लीग)
१२१. ,, जी० लक्ष्मणन (कां०)
१२२. ,, जान उर्फ वलमपुरी जान (द्रमुक)
१२३. एस०ए०ख्वाजा गोहिद्दीन (मु० लीग)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

त्रिपुरा

१२४. श्री वीरचन्द्र देव बर्मन (कां०)

नागालैंड

१२५. श्री कुओयोमो लोथा (कां०)

पंजाब

१२६. श्री मोहनसिंह (कां०)
१२७. ,, जगजीतसिंह आनन्द (साम्य०)
१२८. ,, भूपेन्द्र सिंह (अकाली)
१२९. ,, गुरुचरण सिंह टोहरा (अकाली)
१३०. ,, निरंजन सिंह तालिब (कां०)
१३१. ,, इन्द्रकुमार गुजराल ,,
१३२. ,, गुरमुख सिंह मुसाफिर ,,

पश्चिम बंगाल

१३३. श्री शशांकशेखर सान्याल (मा० कम्यु०)
१३४. ,, सुहृदय मलिक चौधरी (नि०)
१३५. ,, सरदार अमजद अली (कां०)
१३६. ,, रजत कुमार चक्रवर्ती (कां०)
१३७. ,, कृष्ण बहादुर छेत्री (कां०)
१३८. ,, द्विजेन्द्रलाल सेनगुप्त (नि०)
१३९. ,, भूपेश गुप्त (कम्यु०)
१४०. ,, कल्याण राय (कम्यु०)
१४१. ,, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय (कां०)
१४२. ,, काली मुखर्जी ,,
१४३. श्रीमती पूर्बी मुखर्जी ,,
१४४. श्री सलिल कुमार गांगुली (मा०कम्यु०)
१४५. ,, नीरेन घोष (मा० कम्यु०)
१४६. ,, सनत कुमार राहा (कम्यु०)
१४७. ,, प्रणव कुमार मुखर्जी (कां०)
१४८. ,, मनोरंजन राय (मा० कम्यु०)

बिहार

१४९. डा० रामकृपाल सिन्हा (जनसंघ)
१५०. श्रीमती अजीजा इमाम (कां०)
१५१. श्री डी० पी० सिंह (कां०)
१५२. ,, कमलनाथ झा ,,
१५३. ,, चन्द्रमणिलाल चौधरी ,,
१५४. ,, गुणानन्द ठाकुर ,,
१५५. श्री श्यामलाल गुप्त (सं० कां०)
१५६. ,, (रिक्त)
१५७. ,, कामेश्वर सिंह
१५८. ,, योगेन्द्र शर्मा (कम्यु०)
१५९. ,, शिशिर कुमार (सो०)
१६०. ,, धर्म चन्द जैन (कां०)
१६१. ,, इन्द्रदीप सिंह
१६२. ,, वी० आर मुण्डा (कां०)
१६३. ,, भोला प्रसाद (कम्यु०)
१६४. ,, भोला पासवान शास्त्री (कां०)
१६५. ,, सीताराम केसरी (कां०)
१६६. ,, राजेन्द्र कुमार पोद्दार (नि०)
१६७. श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह (कां०)
१६८. श्री सीताराम सिंह (भालोद)
१६९. ,, अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा (कां०)
१७०. श्रीमती प्रतिभा सिंह (कां०)

मणिपुर

१७१. श्री इरेंगबम टोम्पक सिंह

मध्य प्रदेश

१७२. श्री एस० सी० आंग्रे (जनसंघ)
१७३. ,, जगदीश जोशी (कां०)
१७४. ,, पं० भवानी प्रसाद तिवारी ,,
१७५. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी ,,
१७६. श्री नारायणप्रसाद चौधरी ,,
१७७. ,, एम० बी० सिंह ,,
१७८. ,, बलराम दास ,,
१७९. ,, विजय भूषण देवशरण (जनसंघ)
१८०. श्रीमती मैमूना सुलतान (कां०)
१८१. श्री भैरोंसिंह शेखावत (जनसंघ)
१८२. श्रीमती श्याम कुमारी देवी (कां०)
१८३. श्री चक्रपाणि शुक्ल ,,
१८४. ,, सवाई सिंह सिसोदिया ,,
१८५. ,, शंकर लाल तिवारी ,,
१८६. ,, नन्द किशोर भट्ट ,,
१८७. ,, वी० के० सकलेचा (जनसंघ)

महाराष्ट्र

१८८. ,, नारायण गणेश गोरे (सो०)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१८९. श्री एस० वासुदेवराव धाबे ,,
१९०. ,, देवराव शिवराम पाटिल ,,
१९१. ,, बाबूभाइ एम० चिनाइ (नि०)
१९२. ,, नरेन्द्र मारुतराव काम्बले ,,
१९३. ,, आर० डी० जगतप अवरगांवकर
१९४. ,, सिकन्दर अली वज्द (कां०)
१९५. ,, विट्ठल गाडगिल ,,
१९६. ,, एन० एच० कुम्भारे (रि०)
१९७. ,, अरविन्द गणेश कुलकर्णी (कां०)
१९८. ,, कृष्णराव नारायण धुलप ,,
१९९. श्रीमती सुशीलाशंकर आदिवरेकर,,
२००. श्री गुलाबराव पाटिल (कां०)
२०१. ,, शंकरराव बाजीराव बोबडे ,,
२०२. ,, जयन्त श्रीधर तिलक ,,
२०३. ,, श्रीनिवास गणेश सरदेसाई(कम्यु०)
२०४. ,, डी० वाई० पवार (भालोद)
२०५. ,, बी० आर० पाराशर (कां०)
२०६. ,, एम० आर० व्यास ,,

मेघालय

२०७. श्री शोवालेस के० शिल्ला (नि०)

राजस्थान

२०८. श्री नत्थी सिंह (कां०)
२०९. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ,,
२१०. श्री जगदीश प्रसाद माथुर (जनसंघ)
२११. ,, जमना लाल बेरवा (कां०)
२१२. श्रीमती नारायणदेवी मानकलाल वर्मा
२१३. श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ ,,
२१४. ,, राम निवास मिर्धा ,,
२१५. ,, ऋषि कुमार मिश्र ,,
२१६. ,, किशन लाल शर्मा ,,
२१७. ,, गणेशलाल माली ,,

हरियाणा

२१८. ,, डी० डी० पुरी (कां०)
२१९. श्री रणवीरसिंह ,,
२२०. ,, भगवत दयाल ,,
२२१. ,, कृष्णकान्त ,,
२२२. ,, सुलतान सिंह ,,

हिमाचल प्रदेश

२२३. ,, रोशन लाल (कां०)
२२४. ,, जगन्नाथ भारद्वाज ,,
२२५. ,, ज्ञानचंद टोट ,,

अरुणाचल प्रदेश

२२६. ,, तोड़क बसर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत

दिल्ली

२२७. ,, खुर्शीद आलम खां (कां०)
२२८. श्रीमती सविता बहन ,,
२२९. श्री लाल कृष्ण अडवानी (जनसंघ)

मिजोरम

२३०. लालबुआइया (कां०)

पांडिचेरी

२३१. ,, एस० शिवप्रकाशम (द्रमुक)

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत

२३२. ,, प्रो० रशीदउद्दीन खां
२३३. ,, सी० के० दफ्तरी
२३४. ,, उमाशंकर जोशी
२३५. ,, जयरामदास दौलतराम
२३६. ,, प्रथम नाथ बीसी
२३७. ,, डा० लोकेश चन्द्र
२६८. श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर
२३९. श्रीकृष्ण कृपलानी
२४०. ,, हबीब तनवीर
२४१. ,, अबू अब्राहम
२४२. ,, स्कतो स्वू
२४३. ,, वी० पी० दत्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोकसभा के चुनाव परिणाम

विगत पांच बार की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	दल का नाम	१९५२		१९५७		१९६२		१९६७		१९७१	
		प्रत्याशी		प्रत्याशी		प्रत्याशी		प्रत्याशी		प्रत्याशी	
		मैदान में	विजयी	मैदान में	विजयी	मैदान में	विजयी	मैदान में	विजयी	मैदान में	विजयी
१.	कांग्रेस	४७९	३६४	४९०	३७१	४८८	३६१	५१५	२८३	४४१	३५२
२.	भारतीय जनसंघ	९३	३	१३०	४	१९६	१४	२५१	३५	१५७	२१
३.	स्वतन्त्र पार्टी	—	—	—	—	१७३	१८	१७९	४४	५९	९
४.	साम्यवादी (मार्क्सवादी)	—	—	—	—	—	—	५८	१९	८५	२५
५.	साम्यवादी	४९	१६	१०८	२७	१३७	२९	११०	२३	८७	२३
६.	प्रसोपा	—	—	१८९	१९	१६८	१२	१०९	१३	६३	२
७.	संसोपा	—	—	—	—	—	—	१२२	२३	९३	३
८.	कांग्रेस (संगठन)	—	—	—	—	—	—	—	—	२३८	१६
९.	अन्य	१,२५३	१०६	६०२	७३	८२३	६०	१०२५	८०	१५६१	६७
	योग	१,८७४	४८९	१,५१९	४९४	१९८५	४९४	२३६९	५२०	२,७८४	५१८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोकसभा

अध्यक्ष—गुरदयालसिंह ढिल्लो

उपाध्यक्ष—जी० जी० स्वेल

असम

१. श्री नूरुल हूदा (कां०)
२. ,, नीहाररंजन लस्कर ,,
३. ,, वेदव्रत बरुआ ,,
४. ,, डी० बसुमतारी ,,
५. ,, दिनेश चन्द्र गोस्वामी ,,
६. ,, तरुण गोगोई ,,
७. ,, रवीन्द्रनाथ काकोती ,,
८. ,, बीरेन इंगती ,,
९. ,, कमलाप्रसाद ,,
१०. ,, मोइनुल हक चौधरी ,,
११. ,, लीलाधर कटकी ,,
१२. ,, धरणीधर दास ,,
१२. ,, इस्माइल हुसैन खाँ ,,
१४. ,, विश्वनारायण शास्त्री ,,

आंध्र प्रदेश

१५. श्री एस० आर० ए० अप्पलानायडू ,,
१६. ,, पी० एंटनी रेड्डि ,,
१७. ,, बय्या सूर्यनारायण मूर्ति ,,
१८. ,, पी० गँगा रेड्डि ,,
१९. ,, के० सूर्यनारायण ,,
२०. ,, पी० आंकिनीडू प्रसादराव ,,
२१. ,, वाई० ईश्वर रेड्डि ,,
२२. ,, के० कोदण्ड रामि रेड्डि ,,
२३. ,, एम सत्यनारायण राव (नि०)
२४. ,, एम० एस० संजीवी राव ,,
२५. ,, पुली वेंकट रेड्डि ,,
२६. श्रीमती टी० लक्ष्मी कांतम्मा ,,
२७. श्री एम० अंकिनीडू ,,
२८. ,, के० रघुरमय्या ,,
२९. ,, पी० नरसिंह रेड्डि ,,
३०. श्री टी० बाल कृष्णय्या ,,
३१. ,, एम० भीष्मदेव ,,
३२. ,, पी. वेंकटसुब्बय्या (कां०)
३३. ,, एम. सुदर्शनम ,,
३४. ,, एम. टी. राजू ,,
३५. ,, कंचर्ला रामकृष्ण रेड्डि ,,
३६. ,, एम. रामगोपाल रेड्डि ,,
३७. ,, डी. कामक्षय्या ,,
३८. ,, बिद्दिका सत्यनारायण ,,
३९. ,, वी. तुलसीराम ,,
४०. ,, के. नारायण राव ,,
४१. श्रीमती बी. राधाबाई आनंदराव ,,
४२. ,, मैदूरि नागेश्वर राव ,,
४३. ,, जे. रामेश्वर राव ,,
४४. ,, भीमरेड्डि नरसिंह रेड्डि (साम्य० मा०)
४५. ,, मल्लिकार्जुन (कां०)
४६. ,, एस.बी.पी. पट्टाभिरामा राव ,,
४७. ,, पी. पार्थसारथी ,,
४८. ,, एस. बी. गिरि तेलं. प्रजा स.
४९. ,, के. एल. राव (कां०)
५०. ,, पी. वी. जी. राजू ,,
५१. ,, बी. राजा गोपाल राव ,,
५२. ,, एम. एम. हाशिम ,,
५३. ,, जी. वेंकटस्वामी ,,
५४. ,, पी. बयापा रेड्डि ,,
५५. ,, जी. एस. मेल्कोटे ,,

उड़ीसा

५६. श्री बड़कुमार प्रताप गंगादेव ,,
५७. ,, जानकी बल्लभ पटनायक ,,
५८. ,, प्रताप केसरी देव भा.लो.द.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५९. श्री सुरेन्द्र महन्ती (कां०)
६०. ,, कुमार माझी ,,
६१. ,, गिरधर गमांगो ,,
६२. ,, जगन्नाथ राव ,,
६३. ,, अनादिचरण दास ,,
६४. ,, देवेन्द्र सत्पथी ,,
६५. ,, के. प्रधानी ,,
६६. ,, वनमाली पटनायक ,,
६७. ,, बक्शी नायक (भा.लो.द.)
६८. ,, आर. आर. सिंहदेव ,,
६९. ,, श्यामसुन्दर महापात्र (का०)
७०. ,, दूती कृष्ण पंडा (साम्य०)
७१. ,, अर्जुन सेठी (कां०)
७२. ,, चिंतामणि पाणिग्रही ,,
७३. ,, चन्द्रमोहन सिन्हा (भा.लो.द.)
७४. ,, बनमाली बाबू (कां०)
७५. ,, गजाधर माझी ,,

उत्तरप्रदेश

७६. श्री रामजी राम ,,
७७. ,, इशाक संभली (साम्य०)
७८. ,, विद्याधर बाजपेयी (कां०)
७९. ,, नरेन्द्र सिंह बिष्ट ,,
८०. ,, शिवकुमार शास्त्री (भा.लो.द.)
८१. ,, अचलसिंह (कां०)
८२. ,, चन्द्रजीत यादव ,,
८३. श्रीमती सावित्री श्याम ,,
८४. श्री शंकर तिवारी ,,
८५. ,, जनेश्वर मिश्र (भा.लो.द.)
८६. ,, जियाउर रहमान अन्सारी (कां०)
८७. ,, रोहनलाल चतुर्वेदी ,,
८८. ,, एस. एन, मिश्र ,,
८९. ,, एस. एम. बनर्जी (साम्य०)
९०. ,, महादीपक सिंह शाक्य (जनसंघ)
९१. ,, शफकत जंग (कां०)
९२. श्रीमती शकुन्तला नायर (जनसंघ)
९३. श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे (कां०)
९४. ,, हरीसिंह ,,
९५. श्री बालगोविंद वर्मा (कां०)
९६. ,, प्रतापसिंह नेगी ,,
९७. ,, सरजू पाण्डे (साम्य०)
९८. ,, आनन्द सिंह (कां०)
९९. ,, नरसिंह नारायण पाण्डे ,,
१००. ,, तुलाराम ,,
१०१. ,, झारखंडे राय (साम्य०)
१०२. ,, सुधाकर पाण्डे (कां०)
१०३. ,, छोटे लाल ,,
१०४. ,, चौधरी रामसेवक ,,
१०५. ,, राजदेव सिंह ,,
१०६. ,, गोविन्द दास रिछारिया ,,
१०७. ,, परिपूर्णानन्द पैन्यूली ,,
१०८. ,, केशवदेव मालवीय ,,
१०९. ,, विश्वनाथ राय ,,
११०. ,, मुल्की राज सैनी ,,
१११. ,, कृष्णचंद पंत ,,
११२. ,, गेंदासिंह ,,
११३. ,, दिनेशसिंह ,,
११४. ,, मोहनस्वरूप ,,
११५. ,, संत बख्श सिंह ,,
११६. ,, अवधेशचन्द्र सिंह ,,
११७. ,, छत्रपति अम्बेश ,,
११८. ,, विश्वनाथ प्रताप सिंह ,,
११९. ,, रामकृष्ण सिन्हा ,,
१२०. ,, कर्ण सिंह यादव ,,
१२१. ,, सतीश चन्द्र ,,
१२२. ,, चन्द्रभालमणि तिवारी ,,
१२३. ,, चन्द्रिका प्रसाद ,,
१२४. ,, अनंत प्रसाद धूसिया ,,
१२५. ,, बदलू राम शुक्ल ,,
१२६. ,, रामचन्द्र विकल ,,
१२७. ,, रामरत्न शर्मा (जनसंघ)
१२८. ,, रुद्र प्रताप सिंह (कां०)
१२९. ,, रामसूरत प्रसाद ,,
१३०. ,, राम दयाल ,,
१३१. श्रीमती सुशीला रोहतगी ,,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१३२. श्री सुरेंद्रपाल सिंह (कां०)
१३३. ,, नागेश्वर द्विवेदी ,,
१३४. ,, चकलेश्वर सिंह ,,
१३५. ,, शिब्बनलाल सक्सेना (नि०)
१३६. ,, अजीज़ इमाम (कां०)
१३७. ,, संकटाप्रसाद ,,
१३८. ,, विजय पाल सिंह (साम्य०)
१३९. ,, वीरेन्द्र अग्रवाल जनसंघ
१४०. ,, शाहनवाज खां (कां०)
१४१. ,, महाराजसिंह ,,
१४२. श्रीमती गंगादेवी ,,
१४३. श्री रामस्वरूप ,,
१४४. ,, जुल्फिकार अली खां ,,
१४५. ,, बैजनाथ कुरील ,,
१४६. श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी ,,
१४७. श्रीमती शीला कौल ,,
१४८. श्री रामधन ,,
१४९. ,, राजाराम शास्त्री ,,
१५०. ,, जितेन्द्र प्रसाद ,,
१५१. ,, धर्मराज सिंह ,,
१५२. ,, शंभूनाथ ,,
१५३. ,, तारकेश्वर पाण्डेय ,,
१५४. ,, सुन्दरलाल ,,
१५५. ,, जगदीशचन्द्र दीक्षित ,,
१५६. ,, केदारनाथ सिंह ,,
१५७. ,, स्वामी ब्रह्मानंद ,,
१५८. ,, किंदरलाल ,,
१५९. ,, चन्द्रपाल शैलानी ,,
१६०. ,, बुद्धप्रिय मौर्य ,,

कर्नाटक

१६१. ,, पी. रंगनाथ शिनाय ,,
१६२. ,, सी.के.जफर शरीफ ,,
१६३. ,, बालकृष्ण वेंगन्ना नायक ,,
१६४. ,, सिद्धरामेश्वर स्वामी ,,
१६५. ,, जी. वाई कृष्णन ,,
१६६. ,, सिदराम रेड्डी ,,
१६७. ,, एस.एम. सिद्धय्या ,,
१६८. श्री बी.शंकरानंद (कां०)
१६९. ,, डी. वी. चन्द्र गौड ,,
१७०. ,, कोंडाजी बासप्पा ,,
१७१. ,, के. लक्कप्पा ,,
१७२. डा. सरोजिनी महिषी ,,
१७३. श्री एफ. एच. मोहसिन ,,
१७४. ,, के. हनुमंतैया ,,
१७५. ,, एस. बी. पाटिल ,,
१७६. ,, भीमप्पा एलप्पा चौधरी ,,
१७७. ,, शंकर देव ,,
१७८. ,, बी. के. आर. वरदराज राव ,,
१७९. ,, ए. के. कोटराशेट्टि ,,
१८०. ,, के. के. शेट्टी ,,
१८१. ,, के. चिक्कालिंगय्याह ,,
१८२. ,, के. मल्लन्ना ,,
१८३. ,, तुलसीदास दासप्पा ,,
१८४. ,, पंपन गौड ,,
१८५. ,, टी.वी.चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा ,,
१८६. ,, एन. शिवप्पा ,,
१८७. ,, एम. वी. कृष्णप्पा ,,

केरल

१८८. श्रीमती भार्गवी ठनकप्पन (साम्य०)
१८९. श्री के. बालकृष्णन (का.स.पा.)
१९०. ,, हेनरी आस्टिन (कां०)
१९१. ,, रामचन्द्र कडन्नप्ली ,,
१९२. ,, इब्राहीम सुलेमान सेठ (मु० लीग)
१९३. ,, वार्के जार्ज (के० कां०)
१९४. ,, एन. श्रीकांत नायर (क्रा.स.पा.)
१९५. ,, वायलर रवि (कां०)
१९६. ,, सी. के. चन्द्रप्पन (साम्य०)
१९७. ,, सी. जनार्दनन ,,
१९८. ,, ए. के. गोपालन (साम्य०मा.)
१९९. ,, एम. एम. जोसेफ (के० कां०)
२००. ,, एम. के. कृष्णन (सा० मा.)
२०१. ,, के.पी.उन्निकृष्णन (कां०)
२०२. ,, सी.एच.मुहम्मद कोया (मु० लीग)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२०३. श्री आर. बालकृष्ण पिल्लै (के० कां०)
२०४. ,, ए. सी. जार्ज (कां०)
२०५. ,, सी. एम. स्टीफन ,,

गुजरात

२०६. ,, जीवराज नारायण मेहता ,,
२०७. ,, पी.जी. मावलंकर (नि०)
२०८. ,, प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलकी (कां० संग०)
२०९. ,, महीपत राय एम. मेहता (कां०)
२१०. ,, धर्मसिंह दादूभाई देसाई ,,
२११. ,, सोमचंद्र सोलंकी (कां० सं)
२१२. ,, पीलू मोदी (भा. लो. द.)
२१३. ,, दौलतसिंहजी प्रतापसिंहजी जड़ेजा (कां०)
२१३. ,, नानजी भाई रावजी भाई विकारिया ,,
२१५. ,, प्रभुदास पटेल ,,
२१६. ,, भालजीभाई रावजीभाई परमार (कां० सं.)
२१७. ,, एच. एम. पटेल (भा. लो. द.)
२१८. ,, खेमचन्द भाई सोमाभाई चावडा (कां० सं.)
२१९. ,, फतेहसिंह राव गायकवाड़ (कां०)
२२०. ,, पोपटलाल एम. जोशी ,,
२२१. ,,नानूभाई नीछाभाई पटेल (कां० सं.)
२२२. ,, प्रसन्नभाई मेहता ,,
२२३. ,, नटवरलाल अमृतलाल पटेल (कां०)
२२४. ,, अमरसिंह चौधरी ,,
२२५. ,, अरविंद कुमार मोहनलाल पटेल ,,
२२६. कुमारी मणिबेन पटेल (कां० सं.)
२२७. श्री रसिकलाल पारिख (कां०)
२२८. ,, मोरारजी देसाई (कां० सं.)

जम्मू तथा कश्मीर

२२९. ,, मुहम्मद शफी कुरैशी (कां०)
२३०. ,, कर्णसिंह ,,
२३१. ,, इंद्रजीत मल्होत्रा ,,
२३२. श्री सैयद अहमद आगा (कां०)
२३३. ,, कुशक बकुला ,,
२३४. ,, शमीम अहमद शमीम (नि०)

तमिलनाडु

२३५. ,, एस. राधाकृष्णन (कां०)
२३६. ,, एम. देवीकन (द्र. मु. क.)
२३७. ,, के. गोपाल (कां०)
२३८. ,, एरा सेज़ियन (द्र.मु.क.)
२३९. ,, सी. सुब्रह्मण्यम (कां०)
२४०. श्रीमती पार्वती कृष्णन (साम्य०)
२४१. श्री पी. ए. स्वामीनाथन (द्र.मु.क.)
२४२. ,, वी. मायवन ,,
२४३. ,, सी. चित्ति बाबू ,,
२४४. ,, एस.डी.सोमसुदरम (अन्ना द्र.मु.क.)
२४५. ,, एम. मुत्तुस्वामी ,, ,,
२४६. ,, एम.कल्याणसुन्दरम (साम्य०)
२४७. ,, एम, एस. शिवस्वामी (द्र.मु.क.)
२४८. ,, ओ. वी. अलगेसन (कां०)
२४९. ,, एस.ए. मरुगनन्तम (साम्य०)
२५०. ,, सी. के. चिन्नाराजी (द्र.मु.क.)
२५१. ,, ए. एम. चैलाचामि (कां०)
२५२. ,, एम. आर. लक्ष्मीनारायणन् ,,
२५३. ,, के. माया थेवर (अन्ना द्र.मु.क.)
२५४. ,, सी. टी. दंडपाणि (द्र.मु.क.)
२५५. ,, एम. कतामुतु (साम्य०)
२५६. ,, के. कामराज (कां० सं.)
२५७. ,, जे. एम. गौडर (द्र.मु.क.)
२५८. ,, के. वीरय्या ,,
२५९. ,, ए. दुरइ रासु ,,
२६०. ,, मुहम्मद शरीफ (मु० लीग)
२६१. ,, मोहन राज (द्र.मु.क.)
२६२. , के. मनोहरन (अन्ना द्र.मु.क.)
२६३. ,, मुरासोली मारान (द्र.मु.क.)
२६४. ,, आर. वी. स्वामिनाथन (कां०)
२६५. ,, के. सुब्रवेलु (द्र.मु.क.)
२६६. ,, आई. जी. भवराहन (कां०)
२६७. ,, पी. के. मुक्कैया थेवर (फा० ब्लाक)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२६८. श्री जी. विश्वनाथन (द्र.मु.क.)
२६९. ,, आर. पी. उलग्नाम्बि ,,
२७०. ,, टी. एस. लक्ष्मणन ,,
२७१. श्रीमती वी. जयलक्ष्मी (कां०)
२७२. श्री टी. किरुत्तिनन (द्र.मु.क.)
२७३. ,, ई. आर. कृष्णन ,,

त्रिपुरा

२७४. ,, डी. देव (साम्य० मा.)
२७५. ,, वीरेन दत्त ,,

नागालैण्ड

२७६. ,, ए. केविचुसा यू. आई. पी. जी.

पंजाब

२७७. ,, रघुनन्दन लाल भाटिया (कां०)
२७८. ,, प्रबोध चन्द्र ,,
२७९. ,, स्वर्ण सिंह ,,
२८०. ,, गुरदयालसिंह ढिल्लों (नि०)
२८१. ,, सतपाल कपूर (कां०)
२८२. ,, गुरदास सिंह बादल (नि०)
२८३. ,, चौ. साधुराम (कां०)
२८४. ,, मोहिंदर सिंह गिल ,,
२८५. ,, बी. एस. भौरा (साम्य०)
२८६. ,, बूटा सिंह (कां०)
२८७. ,, देवेन्द्र सिंह गरचा ,,
२८८. ,, दरबारा सिंह ,,

पश्चिम बंगाल

२८९. ,, इंद्रजीत गुप्त (साम्य०)
२९०. ,, मनोरंजन हाजरा (साम्य० मा.)
२९१. ,, रोबिन सेन ,,
२९२. ,, कृष्णचन्द्र हलदार (साम्य. मा.)
२९३. ,, श्यामा प्रसन्न भट्टाचार्य ,, ,,
२९४. ,, अशोककुमार सेन (कां०)
२९५. ,, हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी साम्य.
२९६. ,, प्रियरंजन दास मुन्शी (कां०)
२९७. ,, सरोज मुखर्जी (साम्य. मा.)
२९८. श्री समर गुहा (समाजवादी)
२९९. ,, विनय कृष्ण दास चौधरी (कां.)
३००. ,, रेणुपद दास (साम्य. मा.)
३०१. ,, जगदीश भट्टाचार्य ,, ,,
३०२. ,, शक्ति कुमार सरकार (कां.)
३०३. ,, तुना ओरांवण ,,
३०४. ,, हाजी लुत्फल हक ,,
३०५. ,, अमिय कुमार किस्कू ,,
३०६. ,, ज्योतिर्मय बसु (साम्य. मा०)
३०७. ,, एस. सी. सामंत (कां)
३०८. ,, रतन लाल ब्राह्मण (साम्य. मा.)
३०९. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी ,, ,,
३१०. श्री मुहम्मद इस्माइल ,, ,,
३११. ,, ए. के. एम. इशाक (कां.)
३१२. ,, त्रिदिव चौधरी (क्रांति. समाज.)
३१३. ,, शंकर नारायण सिंह देव (कां.)
३१४. ,, रणेन नाथ सेन (साम्य.)
३१५. ,, रसेन्द्रनाथ बर्मन (कां.)
३१६. ,, गदाधर साह (साम्य. मा.)
३१७. ,, सरदीश राय ,, ,,
३१८. ,, माधुर्य हलदार ,, ,,
३१९. ,, दिनेश जोरदार ,, ,,
३२०. ,, सुबोध चन्द्र हंसदा (कां.)
३२१. ,, मुहम्मद खुदा बख्श ,,
३२२. श्रीमती माया राय ,,
३२३. श्री सोमनाथ चटर्जी (साम्य. मा.)
३२४. ,, अजित कुमार साह ,, ,,
३२५. ,, दिनेन भट्टाचार्य ,, ,,
३२६. ,, समर मुखर्जी ,, ,,
३२७. ,, विजय मोदक ,, ,,

बिहार

३२८. ,, तुलमोहन राम (कां.)
३२९. ,, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (कां. सं.)
३३०. ,, ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (जनसंघ)
३३१. ,, मो. जमिलुर रहमान (कां.)
३३२. श्रीमती कमला मिश्र 'मधुकर' (साम्य.)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३३३. श्री शिवशंकर प्रसाद यादव (नि.)
३३४. ,, एन. ई. होरो यू. आई. पी. जी.
३३५. ,, ईश्वर चौधरी जनसंघ
३३६. ,, चपलेन्दु भट्टाचार्य (कां.
३३७. ,, जगदीश नारायण मंडल ,,
३३८. ,, द्वारिकानाथ तिवारी ,,
३३९. ,, शंकरदयालसिंह ,,
३४०. ,, रामशेखर प्रसाद सिंह ,,
३४१. ,, स्वर्णसिंह सोखी ,,
३४२. ,, भोला मांझी (साम्य.)
३४३. ,, भोगेन्द्र झा ,,
३४४. ,, चंद्रशेखर सिंह ,,
३४५. ,, सत्याचरण बेसरा (कां.)
३४६. ,, रामनारायण शर्मा ,,
३४७. ,, सुखदेव प्रसाद वर्मा ,,
३४८. ,, सिद्धेश्वर प्रसाद ,,
३४९. ,, रामावतार शास्त्री (साम्य.)
३५०. कुमारी कमला कुमारी (कां.)
३५१. श्री हरि किशोर सिंह ,,
३५२. ,, मोहम्मद ताहिर ,,
३५३. ,, अनन्त प्रसाद शर्मा ,,
३५४. ,, भोला राउत ,,
३५५. ,, मधु लिमये (समाज.)
३५६. ,, धर्मवीर सिंह (कां.)
३५७. ,, शिवपूजन शास्त्री ,,
३५८. ,, श्याम नंदन मिश्र (कां सं.)
३५९. ,, रिक्त
३६०. ,, भागवत झा आजाद ,,
३६१. ,, जगन्नाथ मिश्र ,,
३६२. ,, रामदेवसिंह (समाज.)
३६३. ,, राजेन्द्र प्रसाद यादव (कां.)
३६४. ,, देवनंदन प्रसाद यादव ,,
३६५. ,, नवल किशोर सिंह ,,
३६६. ,, विभूति मिश्र ,,
३६७. ,, प्रशान्त कुमार घोष ,,
३६८. ,, राम भगत पासवान ,,
३६९. श्री योगेशचन्द्र मुरमू (कां.)
३७०. ,, कार्तिक उरांव ,,
३७१. ,, बलिराम भगत ,,
३७२. ,, यमुनाप्रसाद मंडल ,,
३७३. ,, चिरंजीव झा ,,
३७४. ,, जगजीवनराम ,,
३७५. ,, मुहम्मद यूसुफ ,,
३७६. ,, मोरन सिंह पुरती यू.आई.पी.जी
३७७. ,, नगेंद्र प्रसाद यादव (कां)
३७८. ,, दामोदर पांडेय ,,
३७९. ,, दिग्विजय नारायण सिंह (कां सं.)

मणिपुर

३८०. ,, एन. तोम्बी सिंह (कां)
३८१. ,, पा ओ काइ हाओकिप ,,

मध्य प्रदेश

३८२. ,, राम सिंह भाई ,,
३८३. ,, फूलचन्द वर्मा जनसंघ
३८४. ,, अरविन्द नेतम (कां.)
३८५. ,, गंगाचरण दीक्षित ,,
३८६. ,, आर. वी. वड़े जनसंघ
३८७. ,, अटल बिहारी वाजपेई ,,
३८८. ,, माधवराव सिंधिया ,,
३८९. ,, गार्गी शंकर मिश्र (कां.)
३९०. ,, शरद यादव (सो.पा.)
३९१. ,, भगतराम राजराम मनहर (कां.)
३९२ ,, भगीरथ रामजी भंवर (समाज.)
३९३. ,, नाथू राम अहिरवार (कां.)
३९४. ,, वराह गिरि शंकर गिरि ,,
३९५. ,, चंदूलाल चंद्राकर ,,
३९६. ,, भारत सिंह चौहान जनसंघ
३९७. ,, लम्बोदर बलियर (कां.)
३९८. ,, सी. डी. गौतम ,,
३९९. ,, रामगोपाल तिवारी ,,
४००. ,, नरेंद्र कुमार पी. साल्वे ,,
४०१. श्रीमती विजया राजे सिंधिया (जनसंघ)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४०२. श्री शंकरदयाल शर्मा (कां)
४०३. ,, एम. जी. उइके ,,
४०४. ,, लक्ष्मीनारायण पांडे जनसंघ
४०५. ,, श्रीकृष्ण अग्रवाल (कां.)
४०६. ,, हुकमचन्द कछवाय जनसंघ
४०७. ,, रामसहाय पांडे (कां.)
४०८. ,, उमेद सिंह राठिया ,,
४०९. ,, विद्याचरण शुक्ल ,,
४१०. ,, मार्तण्डसिंह (यू. आई. पी. जी.)
४११. ,, रामनाथ गोइनका ,,
४१२. ,, धनशाह प्रधान ,,
४१३. ,, जगन्नाथ राव जोशी (जनसंघ)
४१४. ,, नरेन्द्र सिंह ,,
४१५. ,, बाबूनाथ सिंह (कांग्रेस)
४१६. श्रीमती सहोदरा बाई राय ,,
४१७. श्री राणा बहादुरसिंह (यू.आई.पी.जी.)
४१८. ,, चौधरी नीतिराज सिंह (कां०)

महाराष्ट्र

४१९. श्री वसन्त साठे (कां०)
४२०. ,, कृष्ण गुलाब देशमुख ,,
४२१. ,, अन्नासाहेब पी० शिन्दे ,,
४२२. ,, तुलसीराम आबाजी पाटिल ,,
४२३. ,, मानिक राव पालोदकर ,,
४२४. श्रीमती प्रेमलाबाई दाजी साहेब चव्हाण ,,
४२५. श्री शंकर राव सावंत ,,
४२६. ,, एकनाथ विट्ठल राव पाटिल ,,
४२७. ,, राजाराम दादा निम्बालकर ,,
४२८. ,, अर्जुन श्रीपत कस्तूरे ,,
४२९. ,, अनंतराव पाटिल ,,
४३०. ,, अब्दुल शफी ,,
४३१. ,, कृष्णराव ठाकुर ,,
४३२. ,, कृष्ण राव माधव राव पाटिल ,,
४३३. ,, बाबू राव जंगलूजी काले ,,
४३४. ,, लक्ष्मण काकदय दुमादा ,,
४३५. ,, चूडामन आनंद पाटिल ,,
४३६. ,, तुकाराम हरजी गावित ,,
४३७. ,, जाम्बुवन्त धोते फारवर्ड ब्लाक
४३८. ,, वेंकटराव तरोडकर (कां०)
४३९. ,, भानुदास रामचन्द्र कावाड़े ,,
४४०. ,, निवरुति सत्वाजी कावले (निर्दलीय)
४४१. श्री शिवाजीराव शंकरराव देशमुख (कां०)
४४२. श्री मोहन धारिया ,,
४४३. ,, राजा कुलकर्णी ,,
४४४. ,, हरि रामचन्द्र गोखले ,,
४४५. ,, एन० एन कैलाश ,,
४४६. श्रीमती रोजा देशपांडे (कम्यु०)
४४७. श्री सालेभाई अब्दुल कादिर (कां०)
४४८. ,, रघुनाथ केशव खाडिलकर ,,
४४९. ,, एस० टी० पंडित ,,
४५०. ,, यादव शिवराम महाजन ,,
४५१. ,, ज्वालाप्रसाद दुबे ,,
४५२. ,, श्रीकृष्ण वैजनाथ धामांकर ,,
४५३. ,, जाम्र मंगलू काहनडोल ,,
४५४. ,, सदाशिव बाबूजी ठाकरे ,,
४५५. ,, एस० एल० पेजे ,,
४५६. ,, मधु दण्डवते समाजवादी
४५७. ,, राम हेदाऊ निर्दलीय
४५८. ,, तुलसीराम दशरथ कांबले (कां०)
४५९. ,, जगजीवन राव गणपत राव कादम ,,
४६०. ,, अन्ना साहिब गोतखिंडे ,,
४६१. ,, वाई० बी० चव्हाण ,,
४६२. ,, सूरजरत्न दामाणी ,,
४६३. ,, दत्ताजी राव बाबू राव कादम ,,

मेघालय

४६४. श्री जी० जी० स्वैल निर्दलीय
४६५. ,, कार्णेश मारक ,,

राजस्थान

४६६. श्री बश्वेश्वरनाथ भार्गव (कां०)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४६७. श्री हरिप्रसाद शर्मा (कां.)
४६८. ,, लालजी भाई (जनसंघ)
४६९. ,, ओंकार लाल बेरवा ,,
४७०. ,, पन्नालाल बारुपाल (कां०)
४७१. ,, विश्वनाथ झुंझुनवाला निर्दलीय
४७२. श्रीमती गायत्री देवी ,,
४७३. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (कां०)
४७४. श्रीमती कृष्णकुमारी (यू.आई.पी.जी.)
४७५. श्री बृजराज सिंह (कां०)
४७६. ,, शिवनाथ सिंह ,,
४७७. ,, राम कंवर (भा० लो० द०)
४७८. ,, नवलकिशोर शर्मा (कां०)
४७९. ,, नाथू राम मिर्धा ,,
४८०. ,, मूलचन्द डागा ,,
४८१. ,, अमृत नहाटा ,,
४८२. ,, हीरालाल डोडा ,,
४८३. ,, कर्णी सिंह (यू.आई.पी.जी.)
४८४. ,, राज बहादुर (कां०)
४८५. ,, हेमेन्द्र सिंह बनेरा (जनसंघ)
४८६. ,, छुट्टन लाल (कां०)
४८७. श्री कृष्ण मोदी ,,
४८८. ,, जगन्नाथ पहाड़िया ,,

हरियाणा

४८९. चौधरी रामप्रकाश (कां०)
४९०. श्री माधोराम शर्मा ,,
४९१. ,, गुलजारीलाल नन्दा ,,
४९२. ,, चौधरी तय्यब हुसैन खां ,,
४९३. प्रो० शेरसिंह ,,
४९४. श्री राव वीरेन्द्र सिंह (निर्दलीय)
४९५. ,, मुख्तियार सिंह मलिक (जनसंघ)
४९६. ,, दलबीर सिंह (कां०)
४९७. श्री मणिराम गोदारा (कां.)

हिमाचल प्रदेश

४९८. श्री नारायण चन्द पाराशर (कां०)
४९९. ,, विक्रम महाजन ,,
५००. ,, वीरभद्र सिंह ,,
५०१. ,, रिक्त

गोआ, दमण तथा दीव

५०२. श्री पुरुषोत्तम काकोदकर (कां०)
५०३. ,, ई.डी. सिक्वीरा (भा० लो० द०)

दिल्ली

५०४. श्री टी० सोहनलाल (कां०)
५०५. श्रीमती सुभद्रा जोशी ,,
५०६. श्री शशि भूषण ,,
५०७. ,, रिक्त
५०८. श्रीमती मुकुल बनर्जी (कां०)
५०९. श्री एच० के. एल० भगत ,,
५१०. ,, चौधरी दलीप सिंह ,,

अन्य संघ राज्य क्षेत्र

५११. श्री के० आर० गणेश (कां०)
५१२. ,, अमरनाथ विद्यालंकार ,,
५१३. ,, रामूभाई रावजीभाई पटेल ,,
५१४. ,, अरविंद बाला पजनोर (अ० मु०)
५१५. ,, संगलियाना (कां०)
५१६. ,, पी० एम० सईद ,,
५१७. ,, सी० सी० गोहेन* ,,

आंग्ल-भारतीय

५१८. श्री फ्रैंक एन्थनी (यू.आई.पी.जी.)
५१९. श्रीमती मारजोरी गोडफ्रे (यू.आई.पी.जी.)

---

*राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्य तथा संघीय क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश

राजधानी—हैदराबाद, क्षेत्रफल—२७६८१४ वर्ग कि० मी०, जनसंख्या—४३,५०२,७०८, मुख्यभाषा—तेलुगु, साक्षरता प्रतिशत—२४.६ (१९७१), कार्यकारी राज्यपाल—एस० ओ० रेड्डी, शासक दल—कांग्रेस, मुख्यमंत्री—जे० वेंगलराव,।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) हजारों में	जन-संख्या (लाखों में)	सदर मुकाम
१. अनन्तपुर	१९.२	२१.१५	अनन्तपुर
२. आदिलाबाद	१६.३	१२.८८	आदिलाबाद
३. कडपा	१५.४	१५.७७	कडपा
४. कर्नूल	१८.८	१९.८२	कर्नूल
५. करीमनगर	११.८	१९.६४	करीमनगर
६. कृष्णा	८.७	२४.९४	मछलीपटनम
७. खम्मम	१५.९	१३.७०	खम्मम
८. गुण्टूर	११.४	२८.४५	गुण्टूर
९. चित्तूर	१५.८	२२.८६	चित्तूर
१०. नलगोण्डा	१४.२	१८.२०	नलगोण्डा
११. निजामाबाद	८.०	१३.१३	निजामाबाद
१२. नेल्लूर	१३.१	१६.१०	नेल्लूर
१३. पश्चिम गोदावरी	७.८	२३.७४	एलूरु
१४. पूर्वी गोदावरी	१०.९	३०.८७	काकिनाडा
१५. प्रकाशम (ओंगोल)	१७.६	१९.२०	ओंगोल
१६. महबूबनगर	१८.४	१९.३२	महबूबनगर
१७. मेदक	९.७	१४.६८	संगारेड्डि
१८. वरंगल	१२.९	१८.७१	वरंगल
१९. विशाखापत्तनम	१३.७	२८.०५	विशाखापत्तनम
२०. श्रीकाकुलम	९.७	२५.९०	श्रीकाकुलम
२१. हैदराबाद	७.७	२७.९२	हैदराबाद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मंत्रिमंडल

१. श्री जे० वेंगलराव	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन सेवाएं, विधि और व्यवस्था, योजना, गृह और पुलिस
२. श्री पी० रंगा रेड्डी	वित्त, (छोटी बचत, वाणिज्यिक कर सूचना और जन-सम्पर्क, चल चित्र, गृह तथा आवास सहित)
३. श्री पी० बासी रेड्डी	उद्योग (चीनी उद्योग के अलावा), गैर व्यापारिक नियम और साझेदारी अधिनियम ।
४. श्री जे० चोका राव	कृषि (खाद्य उत्पादन सहित), चीनी उद्योग और परिवहन ।
५. श्री के० राजमल्लू	स्वास्थ्य और चिकित्सा ।
६. श्री आर० एस० सूर्यनारायण राजू	धार्मिक तथा धर्मार्थ निधियां
७. श्री इब्राहीम अली अंसारी	वन और वक्फ
८. श्री वी० कृष्णामूर्ति नायडू	जल निकासी
९. श्री टी० अंजैय्या	श्रम और रोजगार, सहायता और पुनर्वास ।
१०. श्री पी० नरसा रेड्डी	भू-राजस्व, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प, निष्क्रांत सम्पत्ति ।
११. श्री बी० सुब्बाराव	सहकारिता
१२. श्री एल० लक्ष्मण दासु	पंचायती राज ।
१३. श्री जी० राजाराम	विद्युत
१४. श्री चल्ला सुब्बारायुडु	नगरपालिका प्रशासन, शहरी विकास और नगर योजना ।
१५. श्री एम० वी कृष्णराव	शिक्षा ।
१६. श्री च० वेंकटराव	भवन, सड़कें और राजमार्ग, सार्वजनिक बाग, लोकनिर्माण ।

राज्यमंत्री

१. श्री बी० श्रीराममूर्ति	समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, तकनीकी शिक्षा, ।
२. श्री वेंक रेड्डी	लघु सिंचाई
३. डा० च० देवनन्द राव	पर्यटन, रवीन्द्र भारती, खेलकूद और खेलकूद परिषद, सालारजंग संग्रहालय,
४. श्रीमती एम० लक्ष्मी देवी	महिला कल्याण और बाल कल्याण
५. श्री वी० पुरुषोत्तम रेड्डी	उत्पादन-शुल्क, कृषि-उद्योग निगम ।
६. श्री पी० महेन्द्रनाथ	राज्य भांडागार निगम ।
७. श्री मुनिस्वामी	मत्स्य पालन, पत्तन, वाणिज्यिक और निर्यात परिवर्द्धन,
८. श्री एस० वेंकट राम रेड्डी	पशुपालन, डेरी विकास ।
९. श्री असीफ पाशा	विधि, अदालतें, जेलें, लेखन सामग्री तथा मुद्रण ।
१०. श्री के० वी० केशवलरे	हथकरघा और वस्त्र उद्योग, तथा रेशम-उत्पादन ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

असम

राजधानी—दिसपुर (गोहाटी), **क्षेत्रफल**—७८,५२३ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—१,४६,२५,१५२
मुख्यभाषा—असमिया, **साक्षरता प्रतिशत**—२८.७४,
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह, **शासकदल**—कांग्रेस,
मुख्यमंत्री—श्री शरतचन्द्र सिन्हा,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. उत्तरी काचार पहाड़ियां	४,८९०	७६,०४७	हैफ्लांग
२. काचार	६,९६२	१७,१३,३१८	सिलचर
३. कामरूप	९,८६३	२८,५४,१८३	गोहाटी
४. गोलपारा	१०,३५९	२२,२५,१०३	धुबरी
५. दोरंग	८,७७५	१७,३६,१८८	तेजपुर
६. नौगांव	५,५६१	१६,८०,८९५	नौगांव
७. मिकिर पहाड़ियां	१०,२३२	३,७९,३१०	डीफू
८. लखीमपुर	१२,७९२	२१,२२,७१९	डिबरूगढ़
९. शिबसागर	८,९८९	१७,३७,३८९	जोरहाट

मन्त्रिमण्डल

१. श्री शरतचन्द्र सिन्हा	मुख्यमन्त्री, गृह, वित्त आदि
२. श्री सैयद अहमद अली	विधि, सहायता एवं पुनर्वास, नागरिक प्रशासन
३. श्री परमानन्द गोगोई	राजस्व और वन
४. श्री गजेन तान्ती	श्रम, सहकारिता एवं पूर्ति
५. श्री मोहम्मद इदरीस	उद्योग, बिजली, खान एवं खनिज
६. डा० लुत्फुर रहमान	लोकनिर्माण
७. श्री उपेन्द्रदास	कृषि और मत्स्य पालन
८. श्री उत्तमचन्द्र ब्रह्म	समाज कल्याण, तथा भूमि संरक्षण
९. श्री हरेन्द्रनाथ तालुकदार	शिक्षा, छात्र और युवा कल्याण, सांस्कृतिक कार्य
१०. श्री छतरसिंह तेरों	स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन,

राज्यमन्त्री

१. श्री हितेश्वर सेकिया	गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, शिक्षा
२. श्री विष्णु प्रसाद	बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई, बिजली, उद्योग
३. श्रीमती स्वर्ण प्रभा महन्त	समाज कल्याण, रेशम उत्पादन तथा बुनाई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बिहार

राजधानी—पटना, **क्षेत्रफल**—१७३,८७६ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—५,६३,५३,३६९,
मुख्य भाषा—हिन्दी, **बोलियां**—भोजपुरी,नागपुरिया, मैथिली, मगही,
साक्षरता प्रतिशत—(१९७१) १९.९७, **राज्यपाल**—श्री आर० डी भण्डारे,
शासक दल—कांग्रेस,
मुख्यमन्त्री—डा० जगन्नाथ मिश्र, **विधान सभा अध्यक्ष**—श्री हरिनाथ मिश्र,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. गया	१२,३४४	४४,५७,४७३	गया
२. चम्पारन	९,१९६	३५,४३,१०३	मोतिहारी
३. दरभंगा	८,६७९	५२,३३,९०४	दरभंगा
४. धनबाद	२,९९४	१४,६६,४१७	धनबाद
५. पटना	५,५२८	३५,५६,९४५	पटना
६. पलामू	१२,६७७	१५,०४,३५०	डाल्टनगंज
७. पूर्णिया	११,०१३	३९,४१,८६३	पूर्णिया
८. भागलपुर	५,६५६	२०,९१,१०३	भागलपुर
९. मुंगेर	९,८२७	३८,९२,६०९	मुंगेर
१०. मुजफ्फरपुर	७,८३८	४८,४०,६८१	मुजफ्फरपुर
११. रांची	१८,३३१	२६,११,४४५	रांची
१२. शाहाबाद	११,३२०	३९,३९,०३४	आरा
१३. संथाल परगना	१४,१२९	३१,८६,९०८	दुमका
१४. सहरसा	५,८८५	२३,५०,२६८	सहरसा
१५. सारन	६,९५२	४२,७९,२५३	छपरा
१६. सिंहभूम	१३,४४७	२४,३७,७९९	चाईबासा
१७. हजारीबाग	१८,०६०	३०,२०,२१४	हजारीबाग

मन्त्रिमंडल

१. डा० जगन्नाथ मिश्र	मुख्यमन्त्री, गृह, उद्योग, कानून, सिंचाई, बिजली
२. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	श्रम और रोजगार
३. डा० रामराज सिंह	शिक्षा
४. श्री जब्बार हुसैन	वित्त और सहकारिता,
५. श्री नवलकिशोर सिन्हा	कृषि और संसदीय कार्य
६. श्री राम जयपाल सिंह	राजस्व
७. श्री बिंदेश्वरी दुबे	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
८. श्री विद्याकर कवि	सार्वजनिक निर्माण विभाग
९. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	खाद्य एवं पूर्ति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१०. श्री नरसिंह बैठा	खान, आबकारी एवं कराधान
११. वृयोदर बोदरा	वन एवं पिछड़ी जाति कल्याण
१२. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	परिवहन और पशुपालन विभाग
१३. श्री कर्मचन्द भगत	स्थानीय प्रशासन, जन-स्वास्थ्य
१४. श्री रामरतन राम	जेल एवं कल्याण विभाग
१५. श्री मोहम्मद हुसैन आजाद	सामूहिक विकास एवं पंचायत

राज्यमंत्री

१. श्री तानेश्वर आजाद	राजस्व विभाग

गुजरात

राजधानी—गांधीनगर, **क्षेत्रफल**—१,९५,९८४ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—२६,६९७, ४७५,
मुख्यभाषा—गुजराती, **साक्षरता प्रतिशत**—४४.५३,
राज्यपाल—श्री के० के० विश्वनाथन् ।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. अमरेली	६,७६०	८,४८,७३०	अमरेली
२. अहमदाबाद	८,७०७	२९,१०,३०७	अहमदाबाद
३. कच्छ	४५,६१२	८,४९,७६९	कच्छ
४. खेड़ा	७,१९४	२४,५१,३८७	खेड़ा
५. गांधीनगर	६४९	२,००,६४२	गांधीनगर
६. जामनगर	१४,१२५	११,११,३४३	जामनगर
७. जूनागढ़	१०,६०७	१६,५६,६७७	जूनागढ़
८. डांग	१,६८३	९४,१८५	अहवा
९. पंचमहल	८,८६६	१८,४८,८०४	गोधरा
१०. बड़ोदरा	७,७८८	१९,८०,०६५	बड़ोदरा
११. बनासकांठा	१२,७०२	१२,६५,३८३	पालनपुर
१२. भड़ौच	९,०४५	११,०९,६०१	भड़ौच
१३. भावनगर	११,१५५	१४,०५,२८५	भावनगर
१४. मेहसाना	९,०२७	२०,९२,४६८	मेहसाना
१५. राजकोट	११,२०३	१६,२४,०७२	राजकोट
१६. वलसाड़	५,२३८	१४,२८,७४२	वलसाड़
१७. साबरकांठा	७,३९०	११,८७,६३७	हिम्मतनगर
१८. सुरेन्द्रनगर	१०,४८८	८,४५,४५४	सुरेन्द्रनगर
१९. सूरत	७,७४५	१७,८६,९२४	सूरत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मन्त्रिमण्डल

१. श्री बाबूभाई पटेल	मुख्यमन्त्री—सामान्य प्रशासन, वित्त, खान और औद्योगिक नीति
२. श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी	पंचायत और नागरिक पूर्ति
३. " केशुभाई मावादास पटेल	कृषि एवं सिंचाई
४. "भाईलाल भाई गडबड़दास	परिवहन, बिजली, उद्योग एवं संसदीय कार्य
५. " नवीनचन्द मोतीलाल बरोट	श्रम, नगरपालिकाएं और नगर योजना
६. " पोपटलाल व्यास	गृह, सूचना और पर्यटन
७. " लल्लूभाई सेठ	ग्रामीण उद्योग और सहकारिता
८. " मोतीभाई रणछोड़भाई चौधरी	सड़कें और भवन
९. डा० केशुभाई रतनजी पटेल	राजस्व और बाढ़ कल्याण
१०. श्री मकरंद भाई बलवन्तराम देसाई	आवास
११. " रसिकचन्द आचार्य	विधि और जेल
१२. " विनोदभाई सेठ	मुद्रण-लेखन सामग्री, बन्दरगाह
१३. श्रीमती हेमबेन आचार्य	स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
१४. प्रो० करसनदास सोनेरी	सामाजिक कल्याण, खेल, युवक कल्याण और सांस्कृतिक कार्य
१५. श्री मोहन सिंह राठवा	वन एवं मत्स्य पालन
१६. " शंकरभाई देसाईभाई वाघेला	ग्रामीण आवास और लघु सिंचाई
१७. " हरिसिंह प्रतापसिंह चावड़ा	आबकारी और सर्वोदय

हरियाणा

राजधानी—चन्डीगढ़, **क्षेत्रफल**—४४,२२२ वर्ग किलोमीटर,
जनसंख्या—१,००,३६,८०८ (१९७१ की जनगणना के अनुसार)
मुख्य भाषा—हिन्दी, **साक्षरता प्रतिशत**—२६.८९
राज्यपाल—श्री बी० एन० चक्रवर्ती, **शासक दल**—कांग्रेस, **मुख्य मंत्री**—श्री बंसीलाल
विधान सभा अध्यक्ष—श्री सरूपसिंह, सदस्य संख्या—८१

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	सदर मुकाम
१. हिसार	१०,६२५.००	१६,६३,९६३	हिसार
२. रोहतक	३,८७४.००	११,०२,५०७	रोहतक
३. गुड़गांवा	४,८८६.००	१३,७१,७१४	गुड़गांव

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४. करनाल	३,७२१.००	९,८७,९२३	करनाल
५. अम्बाला	३,८३३.००	१०,९८,४०५	अम्बाला
६. जीन्द	३,३००.००	७,७०,०९१	जीन्द
७. महेन्द्रगढ़	३,०२९.००	७,३८,५६२	नारनौल
८. सोनीपत	२,१६९.००	६,८३,०२७	सोनीपत
९. भिवानी	५,०४७.००	७,५७,७१७	भिवानी
१०. कुरुक्षेत्र	३,७३८.००	८,६२,८९९	कुरुक्षेत्र

मन्त्रिमण्डल

१. श्री बंसीलाल	मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, न्याय एवं योजना, लोक निर्माण विभाग
२. " कन्हैयालाल पोसवाल	गृह, जेल, लोक सम्पर्क, सांस्कृतिक कार्य, खेल-कूद, और पर्यटन
३. " रामसरन चन्द मित्तल	वित्त, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, वक्फ
४. " बनारसी दास गुप्ता	कृषि, सिंचाई व बिजली,
५. " श्याम चन्द	खाद्य एवं पूर्ति, पिछड़ी हुई एवं अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, आबकारी एवं कराधान
६. चौधरी माडूसिंह मलिक	शिक्षा, भाषा एवं पुरातत्व विभाग
७. श्री हरपालसिंह	उद्योग, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक प्रशिक्षण
८. पंडित चिरंजीलाल	राजस्व, चकबन्दी, पुनर्वास, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें), तकनीकी शिक्षा
९. कर्नल महासिंह	परिवहन, विकास तथा पंचायत, श्रम एवं रोजगार
१०. पोखर राम	भवन तथा, स्थानीय शासन, वन, मत्स्यपालन आदि

राज्यमन्त्री

१. श्रीमती शारदा रानी	गृह, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, डेरी विकास और पशु-पालन
२. श्रीमती प्रसन्नी देवी	शिक्षा, आबकारी व कराधान, परिवहन और जेल
४. श्री गोवर्धन दास	सहकारिता, स्थानीय शासन, तकनीकी शिक्षा योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण और संसदीय कार्य
४. श्री हरमहेन्द्र सिंह चथ्था	सिंचाई व बिजली, खाद्य व पूर्ति, कृषि राजस्व, चकबंदी और पुनर्वास

हिमाचल प्रदेश

राजधानी—शिमला, जनसंख्या १९७१—३४,६०,४३४, क्षेत्रफल—५५,६७३ वर्ग कि० मी० मुख्यभाषा—हिन्दी, साक्षरता प्रतिशत १९.२,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्यपाल—एस० चक्रवर्ती, **शासक दल**—कांग्रेस,
मुख्यमंत्री—डा० यशवन्तसिंह परमार,
विधानसभा अध्यक्ष—कुलतारचन्द राणा

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. कांगड़ा	८,३९७	१३,२७,२११	धर्मशाला
२. किन्नौर	६,५५३	४९,८३५	काल्पा
३. कुल्लू	५,४३५	१,९२,३७१	कुल्लू
४. चम्बा	८,१९५	२,५५,२३३	चम्बा
५. बिलासपुर	१,१६७	१,९४,७८६	बिलासपुर
६. मण्डी	४,०१८	५,१५,१८०	मण्डी
७. ऊना	—	—	ऊना
८. लाहौल और स्पीति	१२,०१५	२३,५३८	कीलौंग
९. शिमला	१,४१६	२,१७,१२९	शिमला
१०. सिरमौर	२,८२५	२,४५,०३३	नाहन
११. हमीरपुर	—	—	हमीरपुर
१२. सोलन	—	—	सोलन

मन्त्रिमण्डल

१. डा० यशवन्त सिंह परमार	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, योजना, वित्त, जन-सम्पर्क, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, सामुदायिक विकास (लघु सिंचाई सहित) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन ।
२. श्री रामलाल चौहान	लोक-निर्माण, परिवहन, पर्यटन, तथा विद्युत
३. श्री देशराज महाजन	शिक्षा, राजस्व, पुनर्वास, नागरिक संभरण
४. श्री लाल चन्द प्रार्थी	वन, उद्योग, उत्पादन कर तथा कराधान, आवास कला, भाषा तथा संस्कृति, आयुर्वेदिक चिकित्सा

राज्यमंत्री

१. श्री हरदयाल	पंचायत, सामुदायिक विकास एवं विधि
२. श्री मन्साराम	समाज कल्याण, वन कला, भाषा एवं संस्कृति
३. श्रीमती सरला शर्मा	स्वायत्तशासन, सहकारिता, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जम्मू-कश्मीर

राजधानी—श्रीनगर (ग्रीष्म), जम्मू (शीत), क्षेत्रफल—२२२२३६ वर्ग कि० मी० (१३७३८२ वर्ग कि० मी० युद्ध विराम रेखा से भारतीय क्षेत्र में, शेष पाक अधिकृत), **जनसंख्या**—४६,१६,६३२, **मुख्यभाषा**—उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, **साक्षरता प्रतिशत**—१८.२०

राज्यपाल—श्री एल० के० झा०,

मुख्यमन्त्री—शेख अब्दुल्ला, **विधान सभा अध्यक्ष**—श्री अब्दुल गनी गोनी,

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. अनन्तनाग (कश्मीर दक्षिण)	५,३८२	८,३२,२८०	अनन्तनाग
१. ऊधमपुर	४,५४९	३,३८,८४६	ऊधमपुर
३. कठुआ	२,६५१	२,७४,६७१	कठुआ
४. जम्मू	३,१६५	७,३१,७४३	जम्मू
५. डोडा	११,६९१	३,४२,२२०	डोडा
६. पुंछ	१,६५८	१,७०,७८७	पुंछ
७. बारामूला (कश्मीर उत्तर)	७,४५८	७,७५,७२४	बारामूला
८. राजौरी	२,६८१	२,१७,३७३	राजौरी
९. लद्दाख	९५,८७६	१,०५,२९१	लेह
१०. श्रीनगर	३,०१३	८,२७,६९७	श्रीनगर

मन्त्रिमण्डल

१. श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला	मुख्यमन्त्री—सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, शिक्षा, रोजगार व युवा-कल्याण
२. श्री मिर्जा अफजल बेग	राजस्व, कृषि, वन और स्थानीय स्वशासन
३. श्री सौनम नोर्बू	सार्वजनिक-निर्माण और आवास
४. देवीदास ठाकुर	विधि और न्याय

राज्यमन्त्री

१. कूच मोहम्मद अली	सिंचाई एवं बाढ़-नियन्त्रण
२. मोहम्मद अस्लम	पशु-पालन, गूजर कल्याण
३. श्री गुलामनबी कोचक	कृषि, भू-राजस्व
४. श्री भगत छज्जूराम	उद्योग और संसदीय मामले
५. श्री मंगतराम	परिवहन, सहायता और पुनर्वास
६. श्री जी० एम० शाह	खाद्य, एवं नागरिक पूर्ति
७. रंगील सिंह	शिक्षा
८. श्री अतुल्लाह सुहरावर्दी	स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
९. श्री एम० के० टिक्कु	विधि
१०. हकीम हबीबुल्ला	लोक निर्माण विभाग
११. बेगम जैनब	श्रम एवं समाज-कल्याण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

केरल

राजधानी—त्रिवेन्द्रम, **क्षेत्रफल** —३८८६४ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—१९७१—२१,३४,७३७५, **मुख्य भाषा**—मलयालम,
साक्षरता प्रतिशत—६०.४२, **राज्यपाल**—श्री एन० एन० वान्चू,
शासक दल—कांग्रेस—कम्युनिस्ट मोर्चा, **मुख्यमंत्री**—श्री सी० अच्युत मेनन,
सदस्य संख्या—१३४,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (लाख में)	सदर मुकाम
१. आलप्पुजा	१,८८४	२१.२६	आलप्पुजा
२. एर्णाकुलम	२,३७७	२३.८३	एर्णाकुलम
३. कण्णूर	५,७०६	२३.६५	कण्णूर
४. कोजिकोड	३,७२९	२१.०६	कालीकट
५. कोट्टयम	२,१९५	२०.८५	कोट्टयम
६. कोल्लम	४,६२३	२४.१३	कोल्लम
७. तिरुवनन्तपुरम्	२,१९२	२१.९९	तिरुवनन्तपुरम
८. त्रिशूर	३,०३२	२१.२९	त्रिशूर
९. पालघाट	४,४००	१६.८५	पालघाट
१०. मलप्पुरम	३,६३८	१८.५६	मलप्पुरम
११. ईडिक्की	५,१२७	१७.६५	कोट्टयम

मन्त्रिमण्डल

१. श्री सी० अच्युत मेनन	मुख्यमन्त्री
२. श्री के० करुणाकरन	गृह
३. श्री के० ए० नाहा	स्थानीय प्रशासन
४. श्री वेबी जान	राजस्व
५. श्री एन० के बालकृष्णन	स्वास्थ्य एवं सहकारिता
६. श्री टी० के० दिवाकरन	निर्माण
७. श्री बी० ईचारन	हरिजन कल्याण एवं सामुदायिक विकास
८. श्री के० जी० आदियोदी	वित्त
९. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	परिवहन एवं विद्युत
१०. श्री चाक्कीरी अहमद कुट्टी	शिक्षा
११. श्री वी० पुरुषोत्तमन	कृषि एवं श्रम
१२. श्री टी० बी टामस	उद्योग
१३. श्री पाल पी० मणि	खाद्य एवं नागरिक पूर्ति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मध्यप्रदेश

राजधानी—भोपाल, **क्षेत्रफल**—४,४२,८४१ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—४१,६५४,११६,
मुख्यभाषा—हिन्दी, **साक्षरता प्रतिशत**—२२.१४,
राज्यपाल—श्री सत्यनारायण सिंह, **शासक दल**—कांग्रेस, **मुख्यमंत्री**—श्री प्रकाशचन्द सेठी,
विधान सभा अध्यक्ष—श्री गुलशेर अहमद, **सदस्य संख्या**—२६७,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	सदरमुकाम
१. इंदौर	३,६१०	१०,२५,१५०	इंदौर
२. उज्जैन	६,०८१	८,६२,५१६	उज्जैन
३. गुना	११,०६२	७,८३,७८८	गुना
४. ग्वालियर	५,१८४	८,५८,००५	ग्वालियर
५. छतरपुर	८,७५८	७,१२,३८५	छतरपुर
६. छिन्दवाड़ा	११,८२५	६,८६,४१३	छिन्दवाड़ा
७. जबलपुर	१०,१५२	१६,८६,०३०	जबलपुर
८. झाबुआ	६,७७२	६,६७,८११	झाबुआ
६. टीकमगढ़	५,०३४	५,६८,८८५	टीकमगढ़
१०. दतिया	२,०२७	२,५५,२६७	दतिया
११. दमोह	७,३२१	५,७३,२६३	दमोह
१२. दुर्ग	१६,६२२	२४,६१,६०१	दुर्ग
१३. देवास	७,००७	५,६४,३३६	देवास
१४. धार	८,१६०	८,४२,४००	धार
१५. नरसिंहपुर	५,१२६	५,१६,२७०	नरसिंहपुर
१६. प० निमाड़	१३,४८५	१२,८४,८१२	खरगौन
१७. पू० निमाड़	१०,७०१	८,७६,३२१	खंडवा
१८. पन्ना	७,०३१	४,२६,०७७	पन्ना
१६. बस्तर	३६,१७६	१५,१५,६५६	जगदलपुर
२०. बालाघाट	६,२५५	६,७७,५८३	बालाघाट
२१. बिलासपुर	१६,७२३	२४,४०,६६२	बिलासपुर
२२. बैतूल	१०,०६०	७,३६,१६६	बैतूल
२३. भिन्ड	४,४६२	७,६३,६५५	भिन्ड
२४. मंडला	१३,२७८	८,७३,५७७	मंडला

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	सदरमुकाम
२५. मन्दसौर	१०,२७१	९,६१,५२२	मन्दसौर
२६. मुरैना	११,६२५	९,८५,३३८	मुरैना
२७. रतलाम	४,४७४	६,२६,५३४	रतलाम
२८. राजगढ़	६,१७३	६,४४,३४६	राजगढ़
२९. रायगढ़	१३,११६	१२,७८,७०५	रायगढ़
३०. रायपुर	२१,२७३	२६,१३,५३१	रायपुर
३१. रायसेन	८,४७४	५,५३,०२६	रायसेन
३२. रीवां	६,४९७	९,७७,८९४	रीवां
३३. विदिशा	७,३५३	६,५८,४२७	विदिशा
३४. शहडोल	१४,०१६	१०,२९,८३९	शहडोल
३५. शाजापुर	६,१८६	६,७८,३५९	शाजापुर
३६. शिवपुरी	१०,३२५	६,७६,५६७	शिवपुरी
३७. सतना	७,३६२	९,१३,५३१	सतना
३८. सरगुजा	२२,३४०	१३,२६,४३९	अम्बिकापुर
३९. सागर	१०,२५९	१०,६२,२९१	सागर
४०. सिवनी	८,७४३	६,६८,३५२	सिवनी
४१. सीधी	१०,५१६	७,७६,७८६	सीधी
४२. सीहोर	९ २२५	१०,८४,९३३	सीहोर
४३. होशंगाबाद	१०,०१६	८,०५,८७०	होशंगाबाद

नोट—कुल जिलों की संख्या ४५ हो गई है। दो नये जिले हैं—भोपाल तथा राजनंदगांव।

मन्त्रिमण्डल

१. श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	मुख्यमंत्री—सामान्य प्रशासन, गृह, प्रचार, भाषा, आवास, शहरी और ग्रामीण योजना, आदि
२. श्री श्यामसुन्दर नारायण मुश्रान	वित्त, पृथक राजस्व, रजिस्ट्रेशन
३. श्री मथुराप्रसाद दुबे	वन
४. श्री गणेश राम अनन्त	श्रम, पुनर्वास, समाज कल्याण
५. श्री वसंतराव उइके	बिजली और सिंचाई
६. श्री किशोरीलाल शुक्ल	राजस्व, भूमि सुधार, कृषि, सहकारिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति।
७. श्री अर्जुन सिंह	शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक-कार्य
८. श्री कृष्णपाल सिंह	जेल, विधि और विधायी-कार्य, योजना,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

९. श्री बिसाहूदास महंत	वाणिज्य और उद्योग, प्राकृतिक संसाधन
१०. श्री तेजलाल टेंभरे	लोक निर्माण-कार्य
११. श्री गुलाबचन्द तामोट	लोक-स्वास्थ्य, पंचायत और सामुदायिक विकास ।

राज्यमंत्री

१. कुमारी विमला वर्मा	लोक-स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
२. श्री झुमकलाल भेड़िया	जेल, विधि और विधायी कार्य
३. श्री रण विजय प्रतापसिंह	योजना, आर्थिक और सांख्यिकीय, स्थानीय शासन
४. श्री उमराव सिंह	वन
५. श्री अजीज कुरेशी	बिजली, सिंचाई
६. श्रीमती देवेन्द्र कुमारी	वित्त, पृथक राजस्व, रजिस्ट्रेशन
७, श्री सूरती किश्तैया	आदिवासी और हरिजन कल्याण

उपमंत्री

१. श्री चन्द्रप्रभाष शेखर	गृह और सूचना
२. कुमारी कमला देवी	लोक निर्माण कार्य
३. श्री शोभराम पटेल	कृषि, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति
४. श्री भंवरसिंह पोर्टे	शिक्षा
५. श्री कन्हैयालाल कोसरिया	लोक स्वास्थ्य
६. श्री दुर्गादास सूर्यवंशी	राजस्व, भूमि सुधार

महाराष्ट्र

राजधानी—बम्बई, **क्षेत्रफल**—३,०७,७६२ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—५,०४,१२,२३५,
मुख्य भाषा—मराठी, **साक्षरता प्रतिशत**—३९,
राज्यपाल—अलीयावर जंग, **शासक दल**—कांग्रेस, **मुख्यमंत्री**—शंकर राव भावराव चव्हाण
विधान सभा अध्यक्ष—शेषराव वानखड़े,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. अकोला	१०,५६७	१५,०१,४७८	अकोला
२. अमरावती	१२,२१०	१५,४१,२०९	अमरावती
३. अहमदनगर	१७,०३५	२२,६९,११७	अहमदनगर
४. उस्मानाबाद	१४,११७	१८,९६,६८७	उस्मानाबाद
५. औरंगाबाद	१६,२००	१९,७१,००६	औरंगाबाद
६. कोलाबा	७,१९८	१२,६३,००३	अलीबाग
७. कोल्हापुर	८,०५९	२०,४८,०४९	कोल्हापुर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

८. बृहत्तर बम्बई	६०३	५९,७०,५७५	बम्बई
९. चन्द्रपुर	२५,६४१	१६,४०,१३७	चन्द्रपुर
१०, जलगांव	११,७७१	२१,२३,१२१	जलगांव
११. थाना	९,५५३	२२,८१,६६४	थाना
१२. धुलिया	१३,१४३	१६,६२,१८१	धुलिया
१३. नांदेड़	१०,४९२	१३,९७,७६२	नांदेड़
१४. नागपुर	९,९२८	१९,४२,६८८	नागपुर
१५. नासिक	१५,५८२	२३,६९,२२१	नासिक
१६. परभणी	१२,४८९	१५,०६,७७१	परभणी
१७. पुणे	१५,६४०	३१,७८,०२९	पुणे
१८. बीड	११,२२७	१२,८६,१२१	बीड
१९. बुलढाणा	९,७४५	१२,६२,९७८	बुलढाणा
२०. भण्डारा	९,२१४	१५,८५,५८०	भण्डारा
२१. यवतमाल	१३,९२५	१४,२३,६७७	यवतमाल
२२. रत्नागिरि	१३,०४०	१९,९०,५८३	रत्नागिरि
२३. वर्धा	६,३०७	७,७९,५६२	वर्धा
२४. शोलापुर	१५,०२१	२२,५३,८४०	शोलापुर
२५. सतारा	१०,४९२	१७,२७,३७६	सतारा
२६. सांगली	८,५६३	१५,३९,८२०	सांगली

मन्त्रिमण्डल

१. श्री शंकरराव भाऊराव चव्हाण	मुख्यमन्त्री—सामान्य प्रशासन, गृह, नियोजन, ऊर्जा
२. श्री वसंतदादा बी० पाटील	सिंचाई, नशाबन्दी व उत्पादन शुल्क
३. श्री मधुकरराव चौधरी	वित्त, अल्पबचत, सांस्कृतिक कार्य, खेल व युवासेवा
४. श्री नरेन्द्र म० तिडके	उद्योग, संसदीय कार्य
५. डा० रफीक जकेरिया	राजस्व, नागरी विकास, पर्यटन, शिष्टाचार
६. श्री यशवंतराव मोहिते	सहकार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल
७. श्री अब्दुल रहमान अन्तुले	निर्माण तथा परिवहन, गृहनिर्माण, विधि व न्याय
८. श्रीमती प्रतिभा पाटील	स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण
९. श्री शंकरराव बाजीराव पाटील	श्रम, पशुपालन, व मत्स्य
१०. श्री सुन्दरराव सोलंके	ग्राम विकास
११. श्री शरतचन्द्र पवार	कृषि
१२. श्री रामचन्द्र जनार्दन देवतले	वन, यातायात और कारागृह
१३. श्री रत्नाप्पा भा० कुंभार	खाद्य एवं नागरिक पूर्ति
१४. श्रीमती प्रभा राव	शिक्षा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्यमंत्री

१. श्री भिकाजी जिजाबा खताल	नियोजन, राजस्व, विधि व न्याय,
२. श्री कृष्णराव महारू पाटील	सिंचाई व कृषि
३. श्री प्रभाकर काशीनाथ कुंटे	नगर विकास,तथा गृहनिर्माण
४. श्री उदयसिंह नानासाहेब गायकवाड़	उद्योग व ऊर्जा (एनर्जी)
५. श्री रमेश पान्या वाल्वी	गृह तथा वन
६. श्री रामनाथ महावीर पांडे	शिक्षा और जेल
७. श्री सुशीलकुमार शंभाजी शिंदे	समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, युवक सेवा, पशु पालन,
८. श्री रामचन्द्र विट्ठल भेंलोंसे	मत्स्य, नशा बंदी, व उत्पादन शुल्क तथा पर्यटन।
९. श्री नीलकंठ श्रीधर समकाल	सहकार, निर्माण तथा परिवहन, ग्रामविकास
१०. श्री जगेश देसाई	खाद्य और नागरिक पूर्ति
११. डा० जे० लिआन डिसूजा	स्वास्थ्य और शिष्टाचार।

कर्नाटक

राजधानी—बंगलौर, **क्षेत्रफल**—१,९१,७७३ वर्ग कि० मी०, **जनसंख्या**—२,९२,९९,०१४, **साक्षरता प्रतिशत**—३१,४७ **मुख्य भाषा**—कन्नड़।
राज्यपाल—श्री मोहनलाल सुखाड़िया, **मुख्यमंत्री**—श्री देवराज उर्स

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. उत्तर कन्नड़	१०,२७६	८,४९,१०५	कारवाड़
२. कोडस (कर्ग)	४,१०४	३,७८,२९१	मडकेरी
३. कोलार	८,२२३	१५,१५,६२६	कोलार
४. गुलबर्ग	१६,२२४	१७,३९,२२०	गुलबर्ग
५. चिकमगलूर	७,१९९	७,३६,६४७	चिकमगलूर
६. चित्रदुर्ग	१०,८५२	१३,९६,४५६	चित्रदुर्ग
७. तुमकुर	१०,६०६	१६,२७,७२१	तुमकुर
८. दक्षिण कन्नड़	८,४४१	१९,३९ ३१५	मंगलौर
९. धारवाड़	१३,७४९	२३,४२,२१३	धारवाड़
१०. बंगलौर	८,००३	३३,६५,५२५	बंगलौर
११. बल्लारी	९,८९८	११,२२,६८६	बल्लारी
१२. बीजापुर	१७,०६७	१९,८५,५९१	बीजापुर
१३. बीदर	५,४५१	८,२४,०५९	बीदर
१४. बेलगाम	१३,४१०	२४,२३,३४२	बेलगाम
१५. मण्ड्या	४,९५८	११,५४,३७४	मण्ड्या
१६. मैसूर	११,२४७	२०,७७,२३८	मैसूर
१७. रायचूर	१४,००५	१४,१५,७४०	रायचूर
१८. शिवभोग्ग	१०,७४८	१३,१०,४८५	शिवभोग्ग
१९. हासन	६,८२३	११,०२,३७०	हासन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मन्त्रिमण्डल

१. श्री डी० देवराज उर्स	मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, योजना, गृह
२. श्री एच० एम० चन्नाबासप्पा	लोकनिर्माण, बिजली और सिंचाई
३. श्री एच० सिद्दवीरप्पा	स्वास्थ्य
४. श्री मोहम्मद अली महताब अली	परिवहन और पर्यटन
५. श्री एम० मल्लिकार्जुन स्वामी	शिक्षा तथा युवक सेवा
६. श्री एम० हुच्चमस्ति गोवडा	राजस्व
७. श्री एम० वाई० घोरपड़े	वित्त, शहरी विकास, सहकारिता, आवास
८. श्री एस० एम० कृष्णा	उद्योग, संसदीय कार्य और वाणिज्य
९. श्री नायकर डी० कल्लप्पा	विधि और नगर पालिका प्रशासन
१०. श्री के० एच० रंगनाथ	सहकारिता और ग्रामीण विकास
११. श्री एन० चिक्के गौड़ा	कृषि और पशुपाल विभाग
१२. श्री एन० रचय्या	ग्रामीण विकास, पंचायती राज और समाज कल्याण
१३. श्री सिद्दीका मोहम्मद याहया	उत्पाद-शुल्क' श्रम और वक्फ
१४. श्री सी० एन० पाटिल	खाद्य और वन विभाग
१५. श्रीमती ई० ई० वाज	खाद्य और नागरिक आपूर्ति

राज्यमन्त्री

१. श्री के० टी० राठोर	मत्स्य पालन और बागवानी
२. श्री नागरल संगप्पा बालप्पा	लघु सिंचाई
३. श्री के० वी० शिवलिंगप्पा	रेशम उत्पादन
४. श्री देवेन्द्रप्पा घालप्पा	पशुपालन
५. श्री कित्तुर रघुनाथ धुलप्पा	रेगुलेटिड मार्किट
६. श्री आर० गुंडु राव	सूचना और युवक सेवाएं
७. श्री के० श्रीरामुलु	श्रम
८. श्री एम० वीरप्पा मोइली	लघु उद्योग
९. श्री सुभाष आस्तुरे	बड़ी और मध्यम सिंचाई
१०. श्रीमती मनोरमा माधवराज	महिला और बाल कल्याण
११. श्री एच० सी० श्रीकान्तैया	विद्युत
१२. श्री सव्वैया शेटी	भूमि सुधार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मेघालय

राजधानी—शिलांग, **क्षेत्रफल**—२२,४८९ वर्ग कि० मी०, **जनसंख्या**—१०,११,६९९, **मुख्यभाषा**—खासी, **साक्षरता प्रतिशत**—२६.५, **राज्यपाल**—श्री एल० पी० सिंह (असम) **शासक दल**—आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस, **मुख्यमंत्री**—कै० विलियम्सन संगमा, **विधान सभा अध्यक्ष**--श्री आर० एस० लिंगडो

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
खासी पहाड़ियां	१०,५२९		
जैन्तिया पहाड़ियां	३,८६३		
शिलांग	१३	६,०५,०८४	जोवई
गारो पहाड़ियां	८,०८४	४,०६,६१५	तुरा

मन्त्रिमण्डल

१. श्री विलियमसन ए० संगमा	मुख्यमन्त्री—सामान्य प्रशासन, गृह आदि ।
२. श्री स्टेनले डी० डी० निकोलस राय	उद्योग आदि ।
३. श्री ब्रिगटन बुहाई लिंगदोह	योजना वित्त, आबकारी, आदि ।
४. श्री एडविसन बारेह	कृषि सामुदायिक विकास, सहकारिता, वन, भू-संरक्षण ।
५. श्री स्टेंडफोर्ड के मरक	स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन,आदि ।

राज्यमंत्री

१. श्री बी० बी० शल्लम	जिला परिषद कार्य, जन-संपर्क, शिक्षा ।
२. श्री एम० एस० मरक	वन, सहकारिता तथा मत्स्य पालन ।

मणिपुर

राजधानी—इम्फाल, **क्षेत्रफल**—२२,३५६ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—१०,७२,७५३,
मुख्यभाषा—मणिपुरी, **साक्षरता प्रतिशत**—३७.७,
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह, **मुख्यमंत्री**—राजकुमार दोरेन्द्रसिंह,
विधान सभाध्यक्ष—मौ० अलीमुद्दीन,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
मणिपुर उत्तर	३,४१७	१,०४,१७५	करोंग
मणिपुर दक्षिण	४,५८१	९८,११४	चूड़ाचांदपुर
मणिपुर पूर्व	४,४०९	६२,२२९	उखरुल
मणिपुर पश्चिमी	४,३४४	४४,९७५	तामेंगलोंग
मणिपुर मध्य	५,६०५	७,६३,२६०	इम्फाल

मंत्रिमण्डल

१. श्री आर० के० दोरेन्द्रसिंह	मुख्यमन्त्री
२. श्री केशंम केशिग	वित्त
३. श्री आर० के० रणवीरसिंह	लोक निर्माण विभाग
४. श्री वाई० येमासिंह	शिक्षा
५. श्री ख० चाओबा	उद्योग और बिजली
६. डा० एल० चन्द्रमणि सिंह	राजस्व और बिजली
७. श्री टी० पी० क्यूलेंगपाओ	स्वास्थ्य
८. श्री हाओखोलाल थंगजोम	विकास

राज्यमंत्री

१. श्री एम० गोरमणिसिंह	परिवहन
२. श्री थ० चाओबासिंह	उत्पाद-शुल्क और वन
३. श्री ओ० जयसिंह	लोक निर्माण विभाग
४. श्री एच० थाई थाईसिंह	शिक्षा
५. श्री के० बोरठाकुर शर्मा	उद्योग
६. श्री ख० निमाईचन्द्र सिंह	बिजली
७. श्री होल्खोमंग हाओकिप	राजस्व
८. श्री एस० जयन्तकुमारसिंह	कृषि
९. श्री मोहम्मद जलालुद्दीन	स्वास्थ्य

उपमंत्री

१. श्री डब्ल्यू कोमलसिंह	एफ० सी० एस० और प्रचार
२. श्री सोखोथंग आशोन	पशु चिकित्सा और आदिवासी कल्याण

नागालैंड

राजधानी—कोहिमा, **क्षेत्रफल**—१६,५२७ वर्ग कि० मी०,

जनसंख्या—५,१६,४४९,

मुख्यभाषा—अंगामी, **साक्षरता प्रतिशत**—२७.३३,

राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	सदर मुकाम
१. कोहिमा	७,२०९	१,७५,२०४	कोहिमा
२. त्वेनसांग	५,४६६	१,७३,००३	त्वेनसांग
३. मोकोकचुंग	३,८५२	१,६८,२४२	मोकोकचुंग

उड़ीसा

राजधानी—भुवनेश्वर, **क्षेत्रफल**—१,५५,८४२ वर्ग कि० मी०, **जनसंख्या**—२,१९,४४,६१५, **मुख्य भाषा**—उड़िया, **साक्षरता प्रतिशत**—२१.६२
राज्यपाल—श्री अकबरअली खां, **शासक दल**—कांग्रेस **मुख्यमंत्री**—श्रीमती नंदिनी सतपथी
विधान सभा अध्यक्ष—श्री ब्रजमोहन महंती, **सदस्य संख्या**—१४७,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. कटक	११,२११	३८,२७,६७८	कटक
२. कलाहाण्डी	११,८३५	११,६३,८६९	भवानी पटना
३. केओंझर	८,२४०	९,५५,५१४	केओंझर
४. कोरापुट	२६,९६०	२०,४३,२८१	कोरापुट
५. गंजाम	१२,५२७	२२,९३,८०८	छत्रपुर
६. ढेंकानाल	१०,८२६	१२,९३,९१४	ढेंकानाल
७. पुरी	१०,१५९	२३,४०,८५९	पुरी
८. बलांगीर	८,९०३	१२,६३,६५७	बलांगीर
९. बालेश्वर	६,३९४	१८,३०,५०४	बालेश्वर
१०. बौद्ध खंडमाल	११,०७०	६,२१,६७५	फूलबाणी
११. मयूरभंज	१०,४१२	१४,३४,२००	वारिपदा
१२. सम्बलपुर	१८,५७०	१८,४४,८९८	सम्बलपुर
१३. सुन्दरगढ़	९,६७५	१०,३०,७५८	सुन्दरगढ़

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मंत्रिमण्डल

१. श्रीमती नन्दिनी सतपथी	मुख्यमंत्री: गृह, उद्योग, योजना, राजनीतिक मामले, वित्त, आबकारी
२. श्री विनायक आचार्य	शिक्षा, सांस्कृतिक मामले
३. श्री जदुनाथदास महापात्र	आपूर्ति, वाणिज्य
४. श्री वल्लभ पाणिग्रही	कृषि, सहकारिता तथा परिवहन
५. श्री लक्ष्मण मलिक	

राज्यमंत्री

१. श्री मोहन नायक	पंचायत तथा सामुदायिक विकास
२. श्री सोमनाथ रथ	स्वास्थ्य तथा नगर विकास
३. श्री रामचन्द्र उलका	आदिवासी एवं ग्राम कल्याण
४. श्री ब्रह्मानन्द बिस्वाल	विधि, वन और पशुपालन
५. श्री दिव्यलोचन शेखर देव	सिंचाई एवं विद्युत
६. श्री डा० कृपासिंधु भोई	खान एवं भूगर्भ
७. डा० वेणुधर बलियारसिंह	श्रम, आवास एवं रोजगार
८. श्री कानूचरण लेंका	उद्योग और समन्वय
९. श्री भागीरथी गोमांगो	कृषि और सहकारिता

उपमंत्री

१. श्री शेख मतलब अली	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले
२. श्री कुंआरिया माझी	सिंचाई तथा विद्युत
३. श्री जगन्नाथ पटनायक	शिक्षा तथा युवक सेवाएं

पंजाब

राजधानी—चंडीगढ़, **क्षेत्रफल**—५०,३६२ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—१,३५,५१,०६०,
मुख्यभाषा—पंजाबी, **साक्षरता प्रतिशत**—३३.३९, **राज्यपाल**—श्री महेन्द्रमोहन चौधरी,
मुख्यमंत्री—ज्ञानी जैलसिंह,
विधानसभा अध्यक्ष—डा० केवलकृष्ण ।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. अमृतसर	५,०८८	१८,३५,५००	अमृतसर
२. कपूरथला	१,६३३	४,२९,५१४	कपूरथला
३. गुरदासपुर	३,५६०	१२,२९,२४९	गुरदासपुर
४. जालन्धर	३,३९९	१४,५४,५०१	जालन्धर
५. पटियाला	४,५८३	१२,१५,१००	पटियाला
६. फिरोजपुर	१०,१४५	१९,०५,८३३	फिरोजपुर
७. भटिंडा	७,०२२	१३,१८,१३४	भटिंडा
८. लुधियाना	३,८५७	१४,१९,४२१	लुधियाना
९. संगरूर	५,१०७	११,४६,६५०	संगरूर
१०. होशियारपुर	३,८८३	१०,५२,१५३	होशियारपुर
११. रोपड़	२,०९८	४,७१,५९४	रोपड़
१२. फरीदकोट	—	—	फरीदकोट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मन्त्रिमंडल

१. श्री ज्ञानी जैलसिंह	मुख्यमंत्री—सामान्य प्रशासन, गृह, न्याय, औद्योगिक सहकारिता, आदि ।
२. श्री उमराव सिंह	राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास, भूमि सुधार
३. श्री हंसराज शर्मा	वित्त, योजना, लघु बचत, आदि
४. श्री गुरमेलसिंह	शिक्षा, भाषा, चिकित्सा शिक्षा
५. मास्टर गुरबन्तासिंह	कृषि, वन, वन्य जीवन संरक्षण
६. श्री यशपाल	आबकारी एवं कराधान, तकनीकी शिक्षा ।

राज्यमंत्री

१. श्री योगिन्दरपाल पाण्डे	लोक निर्माण वास्तुकला, पर्यटन ।
२. श्री सन्तोखसिंह रंधावा	सामुदायिक विकास, पंचायत राज, पशुपालन,
३. कुमारी सरला पराशर	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का कल्याण, युवा कल्याण ।
४. श्री सोहनसिंह जलालउसमान	जनस्वास्थ्य, गृह उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ।
५. श्री दिलबागसिंह दल्के	परिवहन तथा सिविल विमानन
६. श्री बलबीरसिंह	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
७. श्री गुरबक्शसिंह सिबिया	सिंचाई तथा विद्युत और लघु बचत
८. श्री गुरदर्शनसिंह	खाद्य तथा नगरपूर्ति तथा भाषाएं ।
९. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार	आवास तथा पुनर्वास आदि ।

उपमंत्री

१. श्री बलराम	सहकारिता तथा सिंचाई एवं विद्युत
२. श्री खुशाल बहल	कुटीर उद्योग, औद्योगिक सहकारिता तथा चिकित्सा शिक्षा ।

राजस्थान

राजधानी—जयपुर, **क्षेत्रफल**—३,४२,२१४ वर्ग कि० मी०,

जनसंख्या—२५,७६५,८०६

मुख्यभाषा—हिन्दी-बोली—राजस्थानी, **साक्षरता प्रतिशत**—१०.०७,

राज्यपाल—श्री जोगिन्दरसिंह, **शासकदल**—कांग्रेस, **मुख्यमंत्री**—श्री हरिदेव जोशी,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिलोंका क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	सदर मुकाम
१. अजमेर	८,४७९	११,४७,७२९	अजमेर
२. अलवन	८,३४२	१३,९१,१६२	अलवर
३. उदयपुर	१७,२६७	१८,०३,६८०	उदयपुर
४. कोटा	१२,४३७	११,४३,८७०	कोटा
५. गंगानगर	२०,६२९	१३,९४,०११	गंगानगर
६. चित्तौड़गढ़	१०,८५८	९,४४,९९१	चित्तौड़गढ़
७. चूरू	१६,८२९	८,७४,४३९	चुरू
८. जयपुर	१४,०००	२४,८२,३८५	जयपुर
९. जालौर	१०,६४०	६,६७,९५०	जालौर
१०. जैसलमेर	३८,४०१	१,६६,७६१	जैसलमेर
११. जोधपुर	२२,८६०	११,५२,७१२	जोधपुर
१२. झालावाड़	६,२१६	६,२२,००१	झालावाड़
१३. झुन्झुनू	५,९२९	९,२९,२३०	झुन्झुनू
१४. टोंक	७,२००	६,२५,८३०	टोंक
१५. डूंगरपुर	३,७७०	५,३०,२९८	डूंगरपुर
१६. नागौर	१७,७१८	१२,६२,१५७	नागौर
१७. पाली	१२,३९१	९,७०,००२	पाली
१८. बांसवाड़ा	५,०३७	६,५४,५८३	बांसवाड़ा
१९. बाड़मेर	२८,३८७	७,७४,८०५	बाड़मेर
२०. बीकानेर	२७,२३१	५,७३,१४९	बीकानेर
२१. बूंदी	५,५५०	४,४९,०२१	बूंदी
२२. भरतपुर	८,०९३	१४,९०,२०६	भरतपुर
२३. भीलवाड़ा	१०,४५०	१०,५४,८९०	भीलवाड़ा
२४. सवाई माधोपुर	१०,५९३	११,९३,५२८	सवाई माधोपुर
२५. सिरोही	५,१३५	४,३३,८१५	सिरोही
२६. सीकर	७,०३२	१०,४२,६४८	सीकर

मन्त्रिमण्डल

१. श्री हरिदेव जोशी	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह उद्योग, आदि।
२. श्री परसराम मदेरणा	राजस्व, भूमि सुधार और वन।
३. श्री चन्दनमल वैद	वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, आबकारी तथा कराधान।
४. श्री शिवचरण माथुर	कृषि, खाद्य एवं नागरिक रसद।
५. श्री हीरालाल देवपुरा	सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, आदि।
६. श्री खेत सिंह	शिक्षा, कानून एवं न्याय।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

७. श्री मोहनलाल छंगाणी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, यातायात, समाज-कल्याण और श्रम ।
८. श्री रामनारायण चौधरी	सहकारिता, स्थानीय स्वायत्त शासन, नगर योजना, पंचायत एवं सहकारिता ।

राज्यमन्त्री

१. श्रीमती कमला बेनीवाल	जन-सम्पर्क, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य ।
२. श्री जुझार सिंह	खानें, वित्त, योजना. आबकारी तथा कराधान ।
३. श्री मूलचन्द मीणा	खादी, तथा ग्रामोद्योग, राजस्व तथा भूमि सुधार ।
४. श्रीं फारूक हसन	शिक्षा, भाषा विभाग, विधि
५. श्री मुंशीलाल महावर	कृषि, पशुपालन, नगर योजना, स्वायत्त शासन ।
६. श्री गुलाब सिंह शक्तावत	कार्मिक, सामान्य प्रशासन, गृह, उद्योग
७. श्री बनवारीलाल	मुद्रण, सहकारिता और पंचायत विकास ।

उत्तरप्रदेश

राजधानी—लखनऊ, **क्षेत्रफल**—२,९४,४१३ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—(१९७१)—८,८३,४१,१४४
राज्यपाल—श्री चेन्ना रेड्डी, **शासक दल**—कांग्रेस
मुख्यभाषा—हिन्दी; **साक्षरता प्रतिशत**—२१.६४
मुख्यमंत्री—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा
विधान सभा अध्यक्ष—श्री बासुदेव सिंह; **सदस्य संख्या**—४२५

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. अलमोड़ा	७,०२३	७,५०,०३८	अलमोड़ा
२. अलीगढ़	५,०२४	२१,११,८२९	अलीगढ़
३. आगरा	४,८१६	२३,०८,६३८	आगरा
४. आजमगढ़	५,७४४	२८,५७,४८४	आजमगढ़
५. इटावा	४,३२७	१४,४७,७०२	इटावा
६. इलाहाबाद	७,२५५	२९,३७,२७८	इलाहाबाद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

७. उत्तरकाशी	८,०१६	१,४७८०,५	उत्तरकाशी
८. उन्नाव	४,५८६	१४,८४,३९३	उन्नाव
९. एटा	४,४४९	१५,१७,९२५	एटा
१०. कानपुर	६,१२१	२९,९६,२३२	कानपुर
११. खेरी	७,६९१	१४,८६,५९०	लमखीपुर
१२. गढ़वाल	५,४४०	५,५३,०२८	पौड़ी
१३. गाज़ीपुर	३,३८१	१५,३१,६५४	गाजीपुर
१४. गोंडा	७,३३१	२३,०२,०२९	गोंडा
१५. गोरखपुर	६,३१६	३०,३८,१७७	गोरखपुर
१६. चमोली	९,१२५	२,९२,५७१	चमोली
१७. जालौन	४,५४९	८,१३,४९०	उरई
१८. जौनपुर	४,०४०	२०,०५,४३४	जौनपुर
१९. झांसी	१०,०६९	१३,०७,०५८	झांसी
२०. टिहरी गढ़वाल	४,४२१	३,९७,३८५	नरेन्द्रनगर
२१. देवरिया	५,४००	२८,१२,३५०	देवरिया
२२. देहरादून	३,०८८	५,७७,३०६	देहरादून
२३. नैनीताल	६,७९२	७,०९,०८०	नैनीताल
२४. पिथौरागढ़	७,२१७	३,१३,७४७	पिथौरागढ़
२५. पीलीभीत	३,५०४	७,५२,११४	पीलीभीत
२६. प्रतापगढ़	३,७३०	१४,२२,७०७	बेला
२७. फतेहपुर	४,१६८	१२,७८,२५४	फतेहपुर
२८. फर्रुखाबाद	४,३४९	१५,५६,९३०	फतेहगढ़
२९. फैजाबाद	४,४२७	१९,२७,२८१	फैजाबाद
३०. बदायूं	५,१५८	१६,४५,९६७	बदायूं
३१. बलिया	३,१८३	१५,८८,९३५	बलिया
३२. बस्ती	७,३०९	२९,८४,०९०	बस्ती
३३. बहराइच	६,८७१	१७,२६,९७२	बहराइच
३४. बांदा	७,६४५	११,८२,२१५	बांदा
३५. बाराबंकी	४,४२२	१६,३५,५९३	बाराबंकी
३६. बिजनौर	४,८५२	१४,९०,१८५	बिजनौर
३७. बुलन्दशहर	४,८९५	२०,७३,३४३	बुलन्दशहर
३८. बरेली	४,१२५	१७,७९,८६७	बरेली
३९. मथुरा	३,७९७	१२,९०,३०७	मथुरा
४०. मिरजापुर	११,३०१	१५,४१,०८८	मिरजापुर
४१. मुरादाबाद	५,९४६	२४,२८,९७१	मुरादाबाद
४२. मुजफ्फरनगर	४,२४५	१८,०२,२८९	मुजफ्फरनगर
४३. मेरठ	५,९४४	३३,६६,९५३	मेरठ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४४. मैनपुरी	४,२५४	१४,४५,५३४	मैनपुरी
४५. रामपुर	२,३७२	६,०१,२०६	रामपुर
४३. रायबरेली	४,६०३	१५,१०,८१२	रायबरेली
४७. लखनऊ	२,५२८	१६,१७,८४६	लखनऊ
४८. वाराणसी	५,०६१	२८,५२,४५६	वाराणसी
४६. शाहजहांपुर	४,५८१	१२,८६,१०४	शाहजहांपुर
५०. सहारनपुर	५,५२६	२०,५४,८३४	सहारनपुर
५१. सीतापुर	५,७३८	१८,८४,४००	सीतापुर
५२. सुलतानपुर	४,४२४	१६,४२,६२८	सुलतानपुर
५३. हमीरपुर	७,१६२	६,८८,२१५	हमीरपुर
५४. हरदोई	६,०१२	१८,४६,५१६	हरदोई

मंत्रिमंडल

१. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, विद्युत, नियोजन, युवक कल्याण आदि
२. श्री अजीतप्रताप सिंह	वन
३. इस्तफा हुसैन	लघु उद्योग
४. श्री नारायण दत्त तिवारी	वित्त, भारी उद्योग, गन्ना विकास एवं संसदीय कार्य ।
५. श्री बल्देव सिंह आर्य	सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज ।
६. श्री महमूद अली खां	सिंचाई एवं लघु सिंचाई ।
७. श्री राज मंगल पाण्डेय	श्रम, न्याय, परिवहन एवं राज्य सम्पत्ति
८. डा० रामजीलाल सहायक	शिक्षा
६. डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	खाद्य तथा रसद
१०. श्री स्वामीप्रसाद सिंह	राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास तथा विधायिका
११. श्री जगदीश शरण अग्रवाल	स्वायत्त शासन एवं आवास
१२. श्रीमती मोहसिना किदवई	हरिजन एवं समाज कल्याण
१३. डा० चरण सिंह	आबकारी
१४. श्री प्रभुनारायण सिंह	स्वास्थ्य
१५. श्री वीरेन्द्र वर्मा	कृषि
१६. श्री नारायण सिंह	सहकारिता एवं पशुपालन
१७. श्री लोकपति त्रिपाठी	पर्यटन, खेलकूद तथा कारागार
१८. श्री शिव प्रसाद सिंह	सार्वजनिक निर्माण
१६. श्री अम्बार रिजवी	प्राविधिक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तमिलनाडु

राजधानी—मद्रास **क्षेत्रफल**—१,३०,०६९ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—४,११,९९,१६८ **मुख्यभाषा**—तमिल **साक्षरता प्रतिशत**—३९.३९
राज्यपाल—के० के० शाह, **शासक दल**—द्र० मु० क०, **मुख्यमंत्री**—श्री एम० करुणानिधि

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. उत्तर आरकाड	१२,२६५	३७,३५,७९७	वैल्लोर
२. कन्याकुमारी	१,६८४	१२,२२,५४९	नागरकोइल
३. कोयम्बत्तूर	१५,६७३	४३,७३,१७८	कोयम्बत्तूर
४. चिंगलपेट	७,९२०	२९,०७,५९९	कांचीपुरम
५. तजावूर	९,७३५	३८,४०,७३२	तंजावूर
६. तिरुच्चिरापल्लि	१४,२९१	३८,४८,८१६	तिरुच्चिरापल्लि
७. तिरुनेल्वेलि	११,४३३	३२,००,५१५	तिरुनेल्वेलि
८. दक्षिण आरकाड	१०,८९८	३६,१७,७२३	कड्डालूर
९. धर्मपुरी	९,६४३	१६,७७,७७५	धर्मपुरी
१०. नीलगिरि	२,५४९	४,९४,०१५	उदकमंडलम्
११. मदुरै	१२,६२९	३९,३८,१९७	मदुरै
१२. मद्रास	१२८	२४,६९,४४९	मद्रास
१३. रामनाथपुरम्	१२,५७८	२८,६०,२०७	मदुरै
१४. सेलम	८,६४३	२९,९२,६१६	सेलम

मंत्रिमण्डल

१. डा० एम० करुणानिधि	मुख्यमंत्री
२. डा० वी० आर० नेडूचेझियन	शिक्षा
३. श्री के० अनबझगन	स्वास्थ्य
४. श्री एन० राजंगम	हरिजन कल्याण
५. श्री एस० माधवन	खाद्य और सहकारिता
६. श्री एस० जे० सादिक पाशा	राजस्व
७. श्री पी० यू० शण्मुगम	लोक निर्माण
८. श्री मन्नै पी० नारायणस्वामी	स्थानीय प्रशासन
९. श्री ए० पी० धर्मलिंगम	सूचना और प्रचार
१०. श्री सी० पी० आदितनार	कृषि
११. श्री ओ० पी० रामन	वाणिज्य-कर
१२. श्री के० राजाराम	श्रम
१३. श्री एन० वी० नटराजन	पिछड़ी जातियां
१४. श्री एस० रामचन्द्रन	परिवहन
१५. श्री एम० कन्नप्पन	धर्मार्थ निधियां
१६. श्री सी० वी० एम० अन्नामलाई	समाज कल्याण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

त्रिपुरा

राजधानी—अगरतल्ला, **क्षेत्रफल**—१०४७७ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—१५,५६,३४२, **साक्षरता प्रतिशत**—२३.५
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह,
मुख्यमंत्री—एस० सेन गुप्त, **विधान सभाध्यक्ष**—मणीन्द्रलाल भौमिक,

जिलों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

जिला	क्षेत्रफल (किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
उत्तर त्रिपुरा	३,५४१	४,०५,००९	केलाशहर
दक्षिण त्रिपुरा	३,५७७	३,९९,७२८	उदयपुर
पश्चिम त्रिपुरा	३,३५९	७,५१,६०५	अगरतल्ला

मन्त्रिमण्डल

१. श्री सुखमय सेन गुप्त	मुख्यमन्त्री-प्रशासन-सुधार, गृह, उद्योग, योजना, लोक निर्माण, सचिवालय प्रशासन
२. श्री मनोरंजन नाथ	स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
३. श्री हरिचरण चौधरी	आदिवासी कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण
४. श्री देवेन्द्रकिशोर चौधरी	सहायता एवं पुनर्वास, संसदीय कार्य,
५. श्री के० सी० दास	पशु-पालन, स्थानीय स्वायत्त शासन
६. श्री तडीत मोहनदास गुप्त	खाद्य एवं नागरिक पूर्ति, श्रम और रोजगार।
७. श्री कृष्णदास भट्टाचार्य	राजस्व, कर, शुल्क, और परिवहन।

राज्यमंत्री

१. श्री मन्सूरअली	कृषि, सामुदायिक विकास
२. श्रीमती बसना चक्रवर्ती	सहकारिता और समाज कल्याण
३. श्री सलैस चन्द्र शोम	शिक्षा, पंचायत, राजनैतिक

उपमंत्री

१. श्री हंसध्वज देवल	मुख्यमन्त्री की पूर्ति विभाग में सहायता।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पश्चिम बंगाल

राजधानी—कलकत्ता, **क्षेत्रफल**—८७,८५३ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—४,४३,१२,०११
मुख्यभाषा—बंगला, **साक्षरता प्रतिशत**—३३.५
राज्यपाल—ए० एल० डायस, **मुख्यमंत्री**—श्री सिद्धार्थ शंकर राय,
विधान सभाध्यक्ष—अपूर्वलाल मजूमदार,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना के अनुसार)	मुख्यालय
१. कलकत्ता	१०४	३१,४८,७४६	कलकत्ता
२. कूचबिहार	३,३८६	१४,१४,१८३	कूचबिहार
३. जलपाईगुड़ी	६,२४५	१७,५०,१५९	जलपाईगुड़ी
४. दार्जिलिंग	३,०७५	७,८१,७७७	दार्जिलिंग
५. नदिया	३,९२६	२२'३०,२७०	कृष्ण नगर
६. पश्चिम दिनाजपुर	५,२०६	१८,५९,८८७	बालूरघाट
७. पुरुलिया	६,२५९	१६,०२,८७५	पुरुलिया
८. बांकुड़ा	६,८८१	२०,३१,०३९	बांकुड़ा
९. मालदा	३,७१३	१६,१२,६५६	इंगलिश बाजार
१०. मुर्शिदाबाद	५,३४१	२९,४०,२०४	बहरामपुर
११. मिदनापुर	१३,७२४	५५,०९,२४७	मिदनापुर
१२. बर्द्धवान	७,०२८	३९,१५,१७४	वर्द्धवान
१३. बीरभूम	४,५५०	१७,७५,९०९	सूरी
१४. हावड़ा	१,४७४	२४,१७,२८६	हावड़ा
१५. हुगली	३,१४५	२८,७२,११६	चुंचुड़ा
१६. २४-परगना	१३,७९६	८४,४९,४८२	अलीपुर

मन्त्रिमण्डल

१. श्री सिद्धार्थ शंकर राय	मुख्यमन्त्री-गृह
२. श्री अब्दुल सत्तार	कृषि और सामुदायिक विकास
३. डा० जैनल अबेदीन	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कुटीर एवं लघु उद्योग तथा सहकारिता विभाग
४. श्री मत्युंजय बनर्जी	शिक्षा (क्रीड़ा शाखा को छोड़कर)
५. श्री अबुल बरकत अतवल गनी खां चौधरी	सिंचाई एवं जलमार्ग, तथा विद्युत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

६. श्री तरुण कान्ति घोष	वाणिज्य और उद्योग
७. श्री शंकर घोष	वित्त, विकास और योजना विभाग
८. श्री गुरुपद खां	भूमि उपयोग एवं सुधार विभाग तथा भूमि और भूमि-राजस्व ।
९. श्री सीताराम माहतो	वन, पशु-पालन तथा पशु-चिकित्सा
१०. डा० गोपाल दास नाग	श्रम और बन्द तथा बीमार उद्योग विभाग ।
११. श्री ज्ञानसिंह सोहनपाल	गृह विभाग की परिवहन, जेल और संसदीय कार्य शाखाएं ।
१२. श्री अजीत कुमार पंजा	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन,
१३. श्री सन्तोषकुमार राय	शरणार्थी पुनर्वास, तथा मत्स्य पालन
१४. श्री भोलानाथ सेन	लोक निर्माण आवास तथा कृषि और सामुदायिक विभाग,

राज्यमन्त्री

१. श्री प्रफुल्ल कान्ति घोष	खाद्य एवं पूर्ति, शिक्षा,
२. श्री प्रदीप भट्टाचार्य	श्रम और बन्द तथा बीमार उद्योग विभाग ।
३. श्री आनन्द मोहन बिसवास	कृषि और सामुदायिक विकास ।
४. श्री सुब्रत मुखर्जी	पंचायत, सूचना और जन-संपर्क विभाग,
५. डा० मोहम्मद फ़ज़ले हक़	गृह विकास और योजना विभाग
६. श्री डेनिश लाकरा	शरणार्थी पुनर्वास, सहायता और कल्याण विभाग
७. श्री गोविन्द चन्द्र नास्कर	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
८. श्री रामकृष्ण सरावगी	लोक निर्माण, आवास तथा कृषि एवं सामुदायिक विकास ।
९. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा	सार्वजनिक उपक्रम तथा कुटीर व लघु उद्योग तथा सहकारिता विभाग

उपमन्त्री

१. श्रीमती अमला सारेन	शिक्षा
२. श्री गजेन्द्र गुरूंग	वाणिज्य और कुटीर व लघु उद्योग, सहकारिता विभाग ।
३. श्री सुनीति चत्तराज	सिंचाई व जलमार्ग तथा विद्युत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

केन्द्र शासित राज्य

अरूणांचल

राजधानी—इतानगर, **क्षेत्रफल**—८३५७५, **जनसंख्या**—४,६७,५११
मुख्य आयुक्त—के० ए० ए० राजा, **मुख्य सचिव**—श्री आर० यूसुफअली

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना के अनुसार)	जिला मुख्यालय
कामेंग	१३,७२४	८६,००१	बोमडीला
तिरप	६,९०७	९७,४७०	खांसा
लोहित	२४,४२७	६२,८६५	तेजू
सियांग	२३,७२३	१,२१,९३६	अलांग
सुबनसिरी	१४,७९७	९९,२३९	जिरो

अंडमान निकोबार

राजधानी—पोर्टब्लेयर, **क्षेत्रफल**—८२९३ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—१,१५,१३३, **मुख्यभाषा**—बहुभाषी, **साक्षरता प्रतिशत**—४०.३,
मुख्यायुक्त—श्री हरमन्दर सिंह, **मुख्य सचिव**—श्री डी० सी० मिश्रा।

चण्डीगढ

जनसंख्या—२;५७,२५१, **क्षेत्रफल**—११४ वर्ग कि० मी०,
मुख्यभाषा—हिन्दी-पंजाबी, **मुख्यायुक्त**—एन० पी० माथुर,

दादरा एवं नगर हवेली

राजधानी—सिलवासा, **क्षेत्रफल**—४९१ वर्ग कि० मी०, **मुख्यालय**—सिलवासा
जनसंख्या—७४,१७०, **साक्षरता प्रतिशत**—१४.८६
मुख्यभाषा—बहुभाषी, **प्रशासक**—श्री एस० के० बनर्जी।

दिल्ली

राजधानी—दिल्ली, **क्षेत्रफल**—१,४८५ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—४०,६५,६९८,
मुख्यभाषा—हिन्दी, **साक्षरता प्रतिशत** -- ५६.६५
उपराज्यपाल—श्री कृष्णचन्द, **शासक दल**—कांग्रेस, **मुख्यकार्यकारी पार्षद**— श्री राधारमण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

महानगर परिषद

१. श्री राधारमण	मुख्य कार्यकारी पार्षद
२. श्री ओमप्रकाश बहल	कार्यकारी पार्षद, (खाद्य व संभरण)
३. श्री चौधरी हीरासिंह	कार्यकारी पार्षद, (आबकारी)
४. श्री कृष्ण स्वरूप	कार्यकारी पार्षद, समाज कल्याण व चिकित्सा

गोआ, दमण व दीव

राजधानी—पणजी, **क्षेत्रफल**—३,८१३ वर्ग कि० मी,
जनसंख्या—८,५७,७७१,
मुख्यभाषा—मराठी, कोंकणी, **साक्षरता प्रतिशत**—५३.४४
उपराज्यपाल—श्री एस० के० बनर्जी, **शासक दल**—गोमांतक दल,
सदस्य संख्या—३२ ।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ की जन-गणना के अनुसार)	मुख्यालय
१. गोआ	३,७०१	७,९५,१२०	पणजी
२. दमण	७२	३८,७३९	दमण
३. दीव	४०	२३,९१२	दीव

मंत्रिमंडल

१. श्रीमती शशिकला काकोदकर	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, वित्त, सूचना
२. श्री अ० का० सिनाय उसगांवकर	आयोजन, विकास, जल और विद्युत, कृषि
३. श्री प्रताप सिंह रावजी राणे, सरदेसाई	विधि और न्याय, नागरिक आपूर्ति

लक्षद्वीप

राजधानी—कवरत्ति, **क्षेत्रफल**—३२ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—३१,८१०,
मुख्यभाषा—बहुभाषी, **प्रशासक**—डब्ल्यू शैजा ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मिजोरम

क्षेत्रफल—२१,०८७ वर्ग कि० मी० **जनसंख्या**—३,३२,३९०, **मुख्यालय**—एजोल,
मुख्यभाषाएं—मिजो और अंग्रेजी,
मुख्यमंत्री—श्री चलछंगा, **उपराज्यपाल**—एस० के० छिब्बड़ ।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल	जनसंख्या	मुख्यालय
१. एजोल			एजोल
२. लंग्ली	२१०८७	३,३२,३९०	लंग्ली
३. चिन्तुपुई			सैहा ।

मंत्रि मण्डल

१. श्री च० छंगा	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन आदि ।
२. श्री के० टी० खुमा	वित्त, उद्योग, श्रम व रोजगार ।
३. श्री जे० एल० संगजुआला	पूर्ति एवं परिवहन, विधि और न्याय
४. श्री आर० थंगलियाना	योजना, कृषि और पशुपालन ।
५. श्री वैवंगा	शिक्षा और राजस्व ।

उपमंत्री

१. श्री जी० बी० निखूमा	स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन ।
२. श्री जालौमा	सामुदायिक विकास व सहकारिता ।

पाण्डिचेरी

राजधानी—पाण्डिचेरी, **क्षेत्रफल**—४८० वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—१९७१—४,७१,७०७
मुख्यभाषा—तमिल, मलयालम, तेलगू, **उपराज्यपाल**—श्री छेदीलाल,

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
कारैक्काल	१६१	१,००,०४२	कारैक्काल
माहे	९	२३,१३४	माहे
पांडिचेरी	२९०	३,४०,२४०	पांडिचेरी
यनाम	२०	८,२९१	यनाम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत का २२वां राज्य--सिक्किम

सिक्किम की जनता के सर्वसम्मत निर्णय व मांग को देखते हुए १६ मई, १९७५ को राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर सिक्किम को भारतीय गणराज्य का २२वां राज्य विधिवत घोषित कर दिया। लोकसभा व राज्यसभा ने इस विधेयक को पहले ही स्वीकृति दे दी थी तथा देश के राज्यों की विधान सभाओं ने भी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की थी।

काजी लेन्दुप दोरजी सिक्किम के मुख्यमन्त्री तथा श्री बी०बी० लाल पहले राज्यपाल नियुक्त किये गये।

राज्यों की गिनती में शामिल हो जाने के बाद सिक्किम की प्रतिनिधि सभा को वही अधिकार मिल गये जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या बिहार की विधान सभाओं को प्राप्त हैं।

सिक्किम पूरी तरह पहाड़ी क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल २,८१८ वर्गमील है। आबादी लगभग सवा दो लाख है (१९७१ में २०८,६०९ थी), जिसमें ७० प्रतिशत से अधिक हिन्दू और २७ प्रतिशत के करीब बौद्ध हैं। सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा थे। बाद में भोटिया आये तथा उसके उपरान्त नेपाली। राजधानी गंगटोक ही यहाँ का एकमात्र नगर है। सिक्किम की गगनचुम्बी, हिम-मंडित पर्वत शृंखलायें, इनमें कल-कल निनाद करते श्वेत निर्मल जल वाले झरने, घाटियों में दूर-दूर तक फैले हरे-भरे जंगल और इनमें खिले रंग-बिरंगे सुरभित पुष्प, जो देखता है एक बार मंत्रमुग्ध-सा हो जाता है। यहां अनोखी शान्ति है जो जन-जन के मन को अध्यात्म की भावना से भर देती है। तीस्ता नदी इस राज्य की प्राण-धारा है।

सिक्किम में मक्का, बाजरा और चावल काफी होता है। सिनकोना भी यहां काफी होता है। इसी से कुनेन बनती है। यहां के अधिकांश लोग खेती करते हैं। लेकिन खेती के तरीके काफी पुराने हैं। जितनी मेहनत वे लोग करते हैं, अगर उन्हें अच्छा बीज, खाद और वैज्ञानिक मार्ग दर्शन मिल जाए तो वे सिक्किम को सही माने में 'चावल का प्रदेश' बना सकते हैं। सिक्किम में उद्योगों की स्थापना की भी काफी गुंजाइश है।

आज सिक्किम का रूप तेजी से बदल रहा है। यहां नयी और अच्छी सड़कें बन रही हैं। शिक्षा का प्रसार हो रहा है। औषधालय और अस्पताल खुल रहे हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हमेशा से भारत का राज्य

सिक्किम को अन्य भारतीय नरेशों के क्षेत्र की भाँति १९४७ में ही भारतीय गणराज्य का अंग होना चाहिए था, क्योंकि उसकी स्थिति भारत के अन्य ५०० से अधिक देशी राज्यों की भाँति ही थी। ब्रिटिश भारत के वायसराय लार्ड लिनलिथगो और लार्ड वेवल के विदेश सचिव सर ओलफ कैरो ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि सिक्किम सदा ही एक भारतीय राज्य माना जाता था। उन्होंने ब्रिटिश पत्रों में लिखा—"१९३० में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सिक्किम को 'एक भारतीय राज्य' लिखा गया था तथा रिपोर्ट के साथ लगाये गये नक्शे में सिक्किम को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर के अंग के रूप में दिखाया गया था।"

१९३५ के इंडिया एक्ट में भारतीय राज्यों की सूची में सिक्किम शामिल था। लंदन में ब्रिटिश सरकार के इंडिया आफिस द्वारा प्रकाशित वार्षिक सूची में सिक्किम को सदा भारत का एक राज्य लिखा जाता था। इसके अलावा भारतीय नरेशों की संस्था नरेन्द्र मंडल (प्रिंसेज चेंबर) का सिक्किम उसी तरह सदस्य था जैसे कि अन्य भारतीय नरेश।

इन तथ्यों से इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ब्रिटिश सरकार के दिनों में सिक्किम सदा अन्य भारतीय नरेशों के क्षेत्र के समान था। इन तथ्यों से चोग्याल का यह दावा ध्वस्त हो जाता है कि नेपाल और भूटान की भाँति सिक्किम की अलग सत्ता रही है।

आन्दोलन

१९४८ तक जब सिक्किम को छोड़कर अन्य सभी देशी राज्य भारत में विलीन कर लिये गये और उनमें राजशाही का अन्त हो गया तो सिक्किम की जनता में असन्तोष बढ़ा और सिक्किम काँग्रेस ने महाराजा को हटाने तथा सिक्किम को भारत में विलीन करने का आन्दोलन तेज कर दिया।

मई १९४९ में सिक्किम का जन-आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और हजारों लोगों ने महाराजा के महल को घेर लिया। अगर महाराजा भागकर 'भारती भवन' में शरण न लेते तो उनकी खैर न थी और जनता उन्हें अपदस्थ करके भारत में विलीन होने की इकतरफा घोषणा कर देती।

महाराजा गंगटोक से भागकर जब दिल्ली आये तो उनके साथ पहले तो अन्तरिम समझौता उसी साल १९४९ में किया गया और फिर १९५० की संधि की गई जिसमें सिक्किम को भारत का संरक्षित प्रदेश मान लिया गया। विदेशी मामले, सुरक्षा तथा संचार भारत के अधिकार में कर दिये गये।

१९५० की संधि ने सिक्किम को अलग इकाई मानकर चोग्याल की गद्दी सुरक्षित कर दी, लेकिन सिक्किम की जनता ने इस संधि को कभी नहीं माना। यह देखकर भारत सरकार ने महाराजा को सलाह दी कि वह अपनी गद्दी बचाये रखने के लिए लोकप्रिय सरकार स्थापित करें।

महाराजा ने ९ मई, १९४८ को पहली लोकप्रिय सरकार जन-नेता ताशी शेरिंग के नेतृत्व में बनायी। लेकिन यह तो जनता का आन्दोलन खत्म करने का दिखावा था, क्योंकि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

'लोकप्रिय' सरकार एक महीना भी न चल पायी थी कि महाराजा ने उसे बरखास्त कर दिया।

इस पर जन-आन्दोलन फिर भड़का। स्थिति बिगड़ते देख महाराजा ने २३ मार्च १९५३ को एक संविधान लागू किया और आश्वासन दिया कि उसके मातहत निष्पक्ष चुनाव कराये जायेंगे। लेकिन चुनावों को महाराजा चार साल तक टालते रहे। १९५७ में जब आन्दोलन भड़का तो महाराजा ने आम चुनावों का नाटक रचा। इसमें मतदान का अधिकार केवल उन लोगों को दिया गया जो दरबार के समर्थक थे। इसलिए जनता ने और राज्य कांग्रेस ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। महाराजा की योजना के अनुसार उनके समर्थकों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया और इस तरह एक कठपुतली शासन कायम किया गया।

१९५७ से १९७३ तक महाराजा ने पांच बार चुनावों का नाटक रचा और हर बार अपने सामंतों की नेशनल पार्टी को विजयी दिखाया। १९७३ के तथाकथित पांचवें आम चुनाव से जनता को तथा जन-प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट हो गया था कि वे सच्चे जन-प्रतिनिधि कभी नहीं भेज सकेंगे।

१९७३ में सिक्किम कांग्रेस ने आन्दोलन पुनः तेज किया। गांव-गांव और नगर-नगर में आम सभाएं की गईं और उनमें भारत में पूर्ण विलय के लिए तथा चोग्याल को अपदस्थ करने के लिए प्रस्ताव पास किये गये।

चोग्याल के महल को घेर लिया गया और जब सिक्किम के राजकुमार ने चोग्याल की अमरीकी रानी होप कुक के इशारे पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो क्रुद्ध जनता ने महल में आग लगाने की तैयारी की। गंगटोक में ऐसा लगता था जैसे सिक्किम की सारी जनता वहां एकत्र हो गई है। जगह-जगह तम्बू लग गये और हर क्षण नारे लगने लगे।

स्थिति बिगड़ती देख और शान्ति और व्यवस्था को खतरा बढ़ता देख ६ अप्रैल को भारत सरकार ने शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं संभाली। भारतीय सेना और पुलिस ने आगे आकर चोग्याल को बचाया। आन्दोलनकारियों को समझा-बुझाकर अपने-अपने घरों को भेजा गया और चोग्याल को समझाया गया कि वह अपने सामंती तरीके छोड़कर लोकप्रिय सुधार करें।

निष्पक्ष चुनाव

भारतीय विशेषज्ञों ने एक त्रिपक्षी समझौता कराया जिस पर भारत, चोग्याल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के नेताओं ने ८ मई, १९७३ को हस्ताक्षर किये।

इस समझौते में व्यवस्था की गई कि जल्दी ही भारतीय चुनाव आयोग की देखरेख में निष्पक्ष आम चुनाव होंगे, भारतीय विधि-विशेषज्ञ नया संविधान बनायेंगे तथा प्रशासन के सारे अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपे जायेंगे। इस समझौते में यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया जायेगा। इसमें सिक्किम की आबादी के ७५ प्रतिशत नेपालियों को भी मतदान का अधिकार मिल गया, जबकि चोग्याल ने केवल कुछ मालदार भोटिया-लेपचाओं को ही मतदान का अधिकार दिया था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अप्रैल १९७४ में सिक्किम में बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ। ३२ स्थानों में से एक स्थान को छोड़कर ३१ सीटों पर सिक्किम कांग्रेस के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीते। यह चुनाव सिक्किम की जनता के लम्बे आन्दोलन की बड़ी सफलता थी।

एक महीने बाद इस निर्वाचित विधान सभा ने विधिवत एक क्रांतिकारी प्रस्ताव पास किया इसमें कहा गया, "यह विधान सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि सिक्किम को भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में भाग लेने दिया जाए।"

विधान सभा ने अपने प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया कि वह चोग्याल को संवैधानिक प्रधान से अधिक कुछ नहीं मानती और सभी कानून बनाने का उसे अधिकार है। इससे चोग्याल को लगा कि उनकी गद्दी गई। इसलिए चोग्याल ने निर्वाचित विधान सभा के खिलाफ षड्यन्त्र रचना शुरू किया।

चोग्याल दिल्ली दौड़े और भारत सरकार से कहा कि विधान सभा को ऐसा प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है। लेकिन निर्वाचित विधान सभा के नेता काजी लेन्दुप दोरजी ने दिल्ली आकर यह स्पष्ट कर दिया कि सिक्किम की जनता भारत में विलय के लिए कटिबद्ध है, इसलिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

सिक्किम की भारतीय संसद में दो प्रतिनिधि भेजने की मांग भारत सरकार ने स्वीकार कर ली। सिक्किम के निर्वाचित प्रतिनिधियों को तो सन्तोष हुआ, लेकिन चोग्याल ने इस निश्चय को "सिक्किम को हड़पने" की संज्ञा दी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला उठाने की योजनाएं बनाईं। चोग्याल के इस रवैये से विधान सभा और चोग्याल के सम्बन्ध और बिगड़े।

२० जून, १९७४ को भारतीय विधि विशेषज्ञों द्वारा बनाये गये सिक्किम के नये संविधान को असैम्बली ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसका नाम सिक्किम विधेयक, १९७४ रखा गया। लेकिन चोग्याल ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप देने से इनकार किया।

चोग्याल के इस जन-विरोधी रवैये से सिक्किम की जनता में भारी बेचैनी फैली। आन्दोलन भड़कते देख भारत सरकार ने चोग्याल को दिल्ली बुलाया और उन्हें समझाया कि उनके सामने निर्वाचिन विधान सभा द्वारा पास किये गये संविधान को कानून का रूप देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन चोग्याल केवल संवैधानिक प्रधान नहीं बनना चाहते थे, इसलिए विरोध ही करते रहे। पर कुछ दिनों में सिक्किम की जनता का क्रोध भड़कते देख चोग्याल ने आखिरकार हस्ताक्षर किये और सिक्किम कानून, १९७४ के नाम से राज्य का नया संविधान लागू हुआ।

संविधान लागू होने पर सिक्किम विधान सभा तथा सरकार ने भारत सरकार को बार-बार-लिखा कि भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था में सिक्किम को भाग लेने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार कार्रवाई करे। इस मांग को मानकर भारतीय संसद ने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया और सिक्किम के भारतीय संसद में सदस्य भेजने की व्यवस्था की।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१० अप्रैल १९७५ को निर्वाचित विधान सभा ने विधिवत प्रस्ताव पास करके मांग की कि चोग्याल का पद समाप्त किया जाए और सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रस्ताव में यह भी तय किया गया कि १४ अप्रैल को इस माँग के बारे में सिक्किम की सारी जनता की राय जनमत संग्रह के रूप में ली जायेगी।

१४ अप्रैल को इसके लिए मतदान हुआ और इसके पक्ष में ५९६३७ मत तथा विरोध में केवल १,४९६ मत पड़े। इस प्रकार सिक्किम की जनता ने भारी मत से भारत में विलय होने तथा चोग्याल का पद समाप्त करने का समर्थन किया।

अन्त में लोकसभा व राज्यसभा ने सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा देकर वहां की जनता की आकांक्षा पूरी की तथा उसे चोग्याल तथा भारत विरोधी तत्वों के हाथ से मुक्त कर भारत का २२ वां राज्य बना लिया।

सिक्किम मन्त्रिमण्डल

१. श्री काजी लेन्दुप दोर्जी	मुख्यमन्त्री—गृह, वित्त, कृषि, वन, एवं पशुपालन।
२. श्री दोर्जी त्सेरिंग	स्वास्थ्य।
३. श्री बी० पी० दहल	खाद्य और नागरिक पूर्ति।
४. श्री नयन त्सेरिंग लेपचा	शिक्षा।
५. श्री बी० पी० खरेल	आबकारी।
६. श्री के० बी० लिम्बू	योजना एवं विकास।
७. श्री रिन्जींग लेपचा	लोक-निर्माण विभाग।

सिन्दरी

नवयुग की ज्योति जलाता है

३१ अक्तूबर, १९५१ के दिन फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के सिन्दरी यूनिट में उत्पादन आरम्भ किया, भारत के लिए ज्योति, आशा की किरण आत्मनिर्भरता प्रदान करने की उत्कण्ठा। यह ज्योति बराबर प्रकाश दे रही है।

भारत सरकार के सर्व प्रथम औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिन्दरी यूनिट ने खाद्य उत्पादन के लिए अत्यावश्यक उर्वरक के निर्माण का कार्य २३ साल पूर्व आरम्भ किया। यह नये युग का आरम्भ था—भारत की औद्योगिक क्रांति, जो कृषि तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ाता है।

सिन्दरी यूनिट फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का आरम्भिक प्लांट ही नहीं बल्कि यह एक गतिशील और साधन संपन्न संगठन भी है। भारत में प्रचुरता की भूमि बनाने के लिए समस्त देश में खुल रहे उर्वरक और रासायनिक मिश्रित कारखानों में आज इसके कर्मचारीगण अपने व्यापक अनुभव एव प्रावैधिक जानकारी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

दो ही दशकों में यह "जनता का गौरव और राष्ट्र की सम्पत्ति" बन गयी है, भारत में रासायनिक निर्माण का मार्ग दर्शक प्रकाश।

सिन्दरी यूनिट
दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
सिन्दरी, जिला धनबाद, बिहार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गुजरात विधानसभा चुनाव

सन् १९७२ में १६ राज्यों व दो संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभा के चुनाव हुये थे। गुजरात विधान सभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त कर सरकार बनायी थी। श्री घनश्याम ओझा केन्द से गुजरात के मुख्य मंत्री पद पर भेजे गये। गुजरात कांग्रेस के गुटों में संघर्ष शुरू हो गया और कुछ ही दिनों मे श्री ओझा को त्यागपत्र के लिये मजबूर होना पड़ा। उनके स्थान पर चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री चुने गये।

कांग्रेस के दोनों गुटों में संघर्ष चल ही रहा था कि प्रदेश में सत्ता के विरुद्ध छात्र आन्दोलन शुरू हो गया। इस आन्दोलन ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया। सूखे व महंगाई आदि के कारण जन आक्रोश प्रचण्ड हो गया। नव निर्माण आन्दोलन और उग्र होता गया तथा विधानसभा भंग किये जाने की मांग उठने लगी। संगठन कांग्रेस के नेता श्री मोरारजी देसाई ने इस मांग को लेकर अनशन तक किया। मार्च १९७४ में विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

सूखे की स्थिति के कारण गुजरात में चुनाव टाले जाते रहे। श्री मोरारजी देसाई ने पुनः मार्च १९७५ में चुनाव कराये जाने की मांग को लेकर अनशन प्रारंभ किया। उनकी स्थिति बिगड़ती देख कर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने जून १९७५ के प्रथम सप्ताह में चुनाव करवाये जाने की घोषणा कर दी।

सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण के प्रयास से गुजरात में विपक्षी दलों ने 'जनता मोर्चा का गठन किया जिसमें संगठन कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भालोद आदि दल शामिल हुए। कांग्रेस से निष्कासित भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल ने किसान मजदूर लोकपक्ष (किमलोप) के नाम से नया दल बनाकर अकेले ही चुनाव लड़ा।

७ जून से चुनाव प्रारम्भ हुए। १२ जून को चुनाव परिणाम आने प्रारम्भ हुए।

चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो सका। घोषित परिणामों के अनुसार १८२ सदस्यीय गुजरात विधान सभा में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है—कांग्रेस—७५, संगठन कांग्रेस—५६, जनसंघ—१८, किमलोप—१३, भालोद—२, एस ओ पी—२, आर एम पी—१ और निर्दलीय—१४। कुल १८१ स्थानों के लिए चुनाव कराए गए। एक चुनाव क्षेत्र में, उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण चुनाव बाद में कराया जाएगा। नई गुजरात विधान सभा में केवल तीन महिलाएँ विजयी हुईं जबकि पिछली विधान सभा में ८ महिलाएँ थीं। १४ महिला उम्मीदवारों में से सफल होने वाली तीन महिलाओं के नाम है—श्रीमती आयशा बेगम शेख (कांग्रेस), श्रीमती चम्पा बेन मोदी (जनता मोर्चे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वारा समर्थित निर्दलीय) और श्रीमती हेमा बेन आचार्य (जनसंघ)। ६ महिलाओं की जमानतें जब्त हो गईं। ८४८ उम्मीदवारों में से ४४४ उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुईं। कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट (मार्क्स) पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। कि. म. लो. प. के १२९ उम्मीदवारों में से ७९ उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं।

गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम

दल	सीटें लड़ीं १९७५	जीते	सीटें लड़ीं १९७२	जीते
कांग्रेस	१८१	७५	१६८	१४०
कांग्रेस (सं)	१०१	५६	१३८	१६
जनसंघ	४०	१८	१००	३
किमलोप	१२९	१२	—	—
भालोद	११	२	—	—
एस० ओ० पी०	३	२	१५	—
स्वतंत्र	—	—	४७	—
आर० एम० पी०	६	१	—	—
कम्युनिस्ट	५	—	११	१
कम्युनिस्ट (मार्क्स)	२	—	४	—
निर्दलीय तथा अन्य	३७०	१५	३३९	८
कुल :	८४८	१८१	८२२	१६८

किमलोप ने जनता मोर्चा को समर्थन देने की। घोषणा की परिणामस्वरूप जनता मोर्चा के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तथा श्री बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वर्ष १९७४

वर्ष १९७४ जहां भारत के प्रथम आणविक विस्फोट की महान् उपलब्धि का वर्ष रहा वहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली बार तस्करी के विरुद्ध प्रारम्भ किये गये व्यापक अभियान ने भी जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखा। इस अभियान के अन्तर्गत सरकार ने विदेशी मुद्रा की बचत तथा तस्करी रोकने सम्बन्धी नये कानून के तहत लगभग ७०० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा करोड़ों की सम्पत्ति जब्त की। इस वर्ष काला धन बाहर निकालने के लिए भी अनेक स्थानों पर छापे मारे गये तथा गिरफ्तारियां की गईं।

सफल आणविक परीक्षण

१८ मई को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर हुए सफल भूमिगत आणविक विस्फोट ने भारत की इस महान् उपलब्धि से संसार भर को चमत्कृत कर दिया। इस सफल विस्फोट से जहां भारत के हितैषी देशों को प्रसन्नता हुई वहां मन ही मन ईर्ष्या रखने वाले या संसार में अपना एकाधिकार स्थापित रखने के आकांक्षी अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में इससे खलबली मच गई। उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्वर में स्वर मिलाकर भारत के आणविक विस्फोट के विरुद्ध प्रचार अभियान जारी कर दिया। पाकिस्तान ने तो सुनियोजित ढंग से भारत के विरुद्ध विषवमन व धमकियाँ शुरू कर दी। चीन ने भी भारत के कुछ पड़ोसी देशों में भ्रांति उत्पन्न कर भारत विरोधी वातावरण बनाने का प्रयास किया जिसमें उसे सफलता नहीं मिल सकी।

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विश्व को आश्वासन दिया कि भारत आणविक शक्ति का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में ही करेगा विध्वंसात्मक या आक्रामक रूप में उसका उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

गुजरात के बाद बिहार में आन्दोलन

गुजरात विधान सभा कांग्रेस दल में भीषण फूट व गुटबाजी उभर आने के कारण कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमन्त्री के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। ९ फरवरी को गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। पहली मार्च को गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री चिमनभाई पटेल को अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित किया गया। इसके बाद तो तमाम गुजरात में विधान सभा भंग करने की मांग को लेकर व्यापक आन्दोलन ही छिड़ गया।

११ मार्च को संगठन कांग्रेस के नेता श्री मोरारजी देसाई ने गुजरात विधानसभा भंग की मांग को लेकर अनशन प्रारम्भ कर दिया। १५ मार्च को विधानसभा भंग कर दी गई।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१६ मार्च को बिहार में भ्रष्टाचार तथा मूल्यवृद्धि के विरोध में छात्रों ने आंदोलन का श्रीगणेश कर दिया। उत्तेजित छात्रों की भीड़ पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे दो छात्र मारे गये। १८ मार्च को पटना में हिंसक भीड़ ने भारी उपद्रव किया। दैनिक 'प्रदीप' व 'सर्चलाइट' के कार्यालयों को आग लगा दी गई। पुलिस की गोलियों से पांच व्यक्ति मारे गये तथा अनेक घायल हुए।

तस्करों के विरुद्ध अभियान

मुद्रा स्फीति तथा मंहगाई रोकने की दृष्टि से सरकार ने १८ सितम्बर को देशभर में कुख्यात तस्करों की धर पकड़ शुरू कर देशभर का ध्यान आकर्षित कर लिया। हाजी मस्तान, सुकुर नारायण बखिया, युसुफ पटेल आदि कुख्यात तस्करों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया गया। इसके लिए राष्ट्रपति ने विशेष अध्यादेश भी जारी किया।

तस्करों की गिरफ्तारी के अभियान से सीमा पर होने वाली तस्करी पर काफी अंश तक नियंत्रण हो गया। तस्करों से भारी मात्रा में सोना, अन्य सामान व काला धन बरामद हुआ।

२५ अक्तूबर को खाद्यान्न जमाखोरों के विरुद्ध मीसा की घोषणा की गई। देश के अनेक भागों में मीसा के अन्तर्गत जमाखोरों को गिरफ्तार किया गया।

२७ अक्तूबर को संसद में 'लाइसैंस स्केन्डल' के नाम से विपक्षी दलों ने मामला उठाया। इस मामले में रहस्योदघाटन हुआ कि कुछ संसद सदस्यों ने जाली हस्ताक्षरों से लाइसैंस प्राप्त कराये। ६ सितम्बर को लोकसभा में इस प्रश्न पर बहस शुरू हुई। मामला सी० बी० आई को सौंपा जा चुका था। अतः ८ नवम्बर को सी० बी० आई के निष्कर्श पर लाइसैंस घोटाले के आरोप में संसद सदस्य तुलमोहनराम तथा भूतपूर्व संसद सदस्य श्री योगेन्द्र झा को गिरफ्तार किया गया।

राजनीतिक ध्रुवीकरण : लोक दल की स्थापना

इस वर्ष संसोपा, भारतीय क्रांतिदल, स्वतन्त्र पार्टी तथा अन्य चार दलों ने मिलकर एक नये दल के गठन का निर्णय लिया। २९ अगस्त को दिल्ली में भारतीय लोकदल नाम से राजनीतिक संगठन का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष चौ० चरणसिंह तथा महासचिव श्री पीलू मोदी चुने गये। जनसंघ, संगठन कांग्रेस व सोशलिस्ट पार्टी अपने अस्तित्व को समाप्त कर इस नये दल में शामिल होने को सहमत नहीं हुए। स्वतन्त्र पार्टी के एक गुट ने भी दल के अस्तित्व की समाप्ति का विरोध किया।

अनेक विभूतियों का निधन

विगत वर्ष देश को अनेक राजनीतिक, साहित्यिक तथा वैज्ञानिक विभूतियों से वंचित होना पड़ा।

४ फरवरी को प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक श्री सत्येन बोस की, १३ को उस्ताद अमीर खां की, १४ को संगीतज्ञ डा० एस० एन० रतंजेकर की मृत्यु हो गई।

वरिष्ठ पत्रकार श्री दुर्गादास (१७ मई), प्रख्यात लेखक व वयोवृद्ध राजनीतिक नेता

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डा० गोविन्ददास जी (१७ जून), राष्ट्रकवि डा० रामधारीसिंह दिनकर (२४ अप्रैल), उ० प्र० के प्रमुख राजनीतिज्ञ नेता आचार्य जुगलकिशोर (२२ मार्च), बिहार के साहित्यकार डा० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' (१८ अप्रैल), प्रख्यात लेखिका श्रीमती रजनी पनिकर (८ नवम्बर) तथा लेखिका व राजनीतिक नेता श्रीमती सुचेता कृपलानी (१ दिसम्बर) को हमसे बिछुड़ गये।

इसी प्रकार प्रख्यात राजनीतिज्ञ तथा भूतपूर्व विदेशमन्त्री श्री कृष्णा मेनन का ६ अक्तूबर को, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का ७ मार्च को, कुमारी मृदुला साराभाई का २७ अक्तूबर को, गजलों की मलिका बेगम अख्तर का ३० अक्तूबर को, प्रख्यात इतिहासवेत्ता डा० मोती चन्द्र का १७ दिसम्बर को, प्रसिद्ध गायिका रसूलनबाई का ५ दिसम्बर को, प्रमुख विधिवेत्ता श्री एम० सी० सीतलवाड़ का एक अगस्त को निधन हो गया।

१९७४ वर्ष भगवान महावीर के २५ सौवें महानिर्वाण वर्ष के रूप में मनाया गया। देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर भगवान महावीर के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस वर्ष १४ अप्रैल को हरिद्वार में महाकुंभ पर्व भी सम्पन्न हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासनारोहण की त्रिशताब्दी भी देशभर में धूमधाम से मनाई गई।

पुरस्कार

वर्ष १९७४ में साहित्यकारों व वैज्ञानिकों को पुरस्कृत भी किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार डा० डी० आर बेन्द्रे, तथा गोपीनाथ महांती को प्रदान किया गया। प्रख्यात फ्रेंच विचारक तथा लेखक आन्द्रे मालरों को जवाहरलाल नेहरु पुरस्कार प्रदान किया गया। कन्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे को आँडर आफ लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो को २५ जनवरी को जवाहरलाल नेहरु पुरस्कार भेंट किया गया।

पुर्तगाल से दौत्य सम्बन्ध

अमेरिकी विदेशमन्त्री डा० हेनरी किसिंगर ने अक्तूबर में तथा पुर्तगाल के विदेशमन्त्री डा० मारिया सोरेस ने दिसम्बर के अन्त में भारत यात्रा की। श्री किसिंगर के आगमन से भारत-अमेरिका के संयुक्त आयोग बनाने पर महत्वपूर्ण समझोता हुआ। पुर्तगाली विदेशमन्त्री के आगमन के परिणामस्वरूप भारत व पुर्तगाल के बीच दौत्य सम्बन्ध कायम करने और गोवा, दमन, दीव और नगर हवेली पर भारत जी प्रभुसत्ता स्वीकार करने जैसा उल्लेखनीय समझौता हुआ।

रेलमंत्री श्री मिश्र की हत्या

१९७५ के नये वर्ष का प्रारंभ एक अमानवीय व हिंसक घटना से हुआ। दो जनवरी को समस्तीपुर (बिहार) में नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करते समय रेल मन्त्री श्री ललित नारायण मिश्र एक भीषण बम विस्फोट से घायल हो गये तथा बाद में उनका निधन हो गया। इस भीषण दुर्घटना से तमाम देश में शोक की लहर दौड़ गयी। बाद में पूरा षडयन्त्र सामने आ गया तथा यह हत्या आनन्दमार्गियों के सुनियोजित षडयन्त्र का परिणाम थी यह स्पष्ट हो गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राष्ट्रीय घटनाचक्र : १९७४

जनवरी

१—भारत-न्यूजीलैण्ड संयुक्त विज्ञप्ति में हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने पर बल दिया गया।

२—महाराष्ट्र बन्द के अवसर पर हुए उपद्रव में पुलिस की गोली से ६ मरे।

३—पाण्डिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा विघटित।

५—कोयले की कमी से पूर्वोत्तर रेलवे की ९८ ट्रेनें रद्द।

६—अहमदाबाद में हिंसात्मक उपद्रव, जनसंघ द्वारा महंगाई विरोधी अन्दोलन।

१०—बड़ौदा में हिंसात्मक उपद्रव, अहमदाबाद-बड़ौदा में कर्फ्यू।

—उत्तरप्रदेश में जमाखोरों तथा तस्करों को दण्डित करने के लिए अध्यादेश जारी।

—काशी विद्यापीठ राजकीय विश्वविद्यालय घोषित।

११—केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में तीन नये मंत्री सर्वश्री केशव देव मालवीय, ब्रह्मानन्द रेड्डी तथा बी० पी० मौर्य शामिल।

—गुजरात के कई नगरों में कर्फ्यू।

१३—नरोरा (बुलन्दशहर) में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पारमाणविक बिजलीघरों का शिलान्यास किया।

१६—प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ओबरा में तापीय बिजलीघर के विस्तार का, रामनगर (वाराणसी) में गंगा पुल तथा वाराणसी कैण्ट रेल स्टेशन के नये भवन का शिलान्यास किया।

२०—गुजरात के कई नगरों में पुनः उपद्रव—भावनगर, जामनगर, अहमदाबाद, गोधरा, बड़ौदा में आगजनी और लूटपाट।

२१—भारत-रूस में व्यापार समझौता।

२२—श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती भण्डारनायक भारत आयीं।

२३—नयी दिल्ली में भारत और श्रीलंका के प्रधान मन्त्रियों ने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने पर जोर दिया।

२४—यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो भारत आये।

२५—गणतन्त्र दिवस की पूर्व सन्ध्या पर राष्ट्रपति श्री गिरि ने कहा कि देश में हिंसा नहीं अनुशासनबद्ध आचार की आवश्यकता है।

—गुजरात बन्द पर पुलिस की गोली से ६ मरे।

—गणतन्त्र दिवस पर ८४ व्यक्तियों को अलंकरण प्राप्त।

—राष्ट्रपति श्री गिरि ने राष्ट्रपति मार्शल टीटो को नेहरू पुरस्कार प्रदान किया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२८—अहमदाबाद में सेना बुलायी गयी ।

३०—गुजरात के विभिन्न जिलों में हिंसात्मक उपद्रव जारी ।

३१—भारत सरकार ने कनिष्ट डाक्टरों को २४ घण्टे के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी दी ।

—उत्तर प्रदेश सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियरों को ४ फरवरी तक काम पर न लौटने पर बर्खास्त करने की धमकी दी ।

फरवरी

१—बड़ौदा में छात्रों पर आंसू गैस-भावनगर में कर्फ्यू लगा ।

३—अंकलेश्वर में लूटपाट—भड़ौच में पुनः कर्फ्यू लगा ।

४—भारत प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री सत्येन्द्र वसु का निधन ।

—अहमदाबाद और मेहसाना में गोली चली ।

५—गुजरात के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सामान्य स्थिति होने पर गुजरात मन्त्रि मण्डल में परिवर्तन होगा ।

—गुजरात के ६ नगरों में गोली चली ।

—गुजरात के चार मन्त्री इस्तीफा देने के पूर्व पदमुक्त किये गये ।

८—गुजरात मन्त्रिमंडल में मतभेद बढ़ा—एक और मन्त्री का इस्तीफा ।

९—गुजरात के मुख्यमन्त्री श्री चिमनभाई पटेल ने त्यागपत्र दिया ।

—गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू ।

१२—शाहदरा में अपर इण्डिया एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से २० व्यक्ति मरे ।

१४—पंजाब उच्च न्यायालय ने पंजाब भूमि सुधार कानून को अवैध घोषित किया ।

१५—भारत बंगलादेश की संयुक्त विज्ञप्ति में पाकिस्तानियों की वापसी में ढिलाई पर चिन्ता व्यक्त की गयी ।

१६—अहमदाबाद से सेना हटी—सभी प्रतिबन्ध समाप्त ।

१७—अहमदाबाद में गुजरात विधान सभा भंग करने के लिए आन्दोलन उग्र हुआ ।

१८—संसद का बजट अधिवेशन शुरू—राष्ट्रपति गिरि ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार जमाखोरों-तस्करों का कड़ाई से दमन करेगी ।

—तजानिया के राष्ट्रपति डाक्टर जुलियस न्येरेरे को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया ।

१९—बम्बई के समीप समुद्र के भूगर्भ में तेल मिला ।

२०—मुरादाबाद में देहरा—वाराणसी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्तः ४० व्यक्ति मरे ।

२१—नागालैंड के चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं ।

२३—गुजरात में कई जगह गोली चली—नगरों में कर्फ्यू लगा ।

—मणिपुर में चुनाव सम्पन्न ।

२४—उत्तर प्रदेश के २३० विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान—पांडिचेरी तथा उड़ीसा विधानसभा चुनाव सम्पन्न ।

—मिस्र के राष्ट्रपति सादात भारत आये ।

२५—हिंसात्मक उपद्रव बढ़ने पर बड़ौदा में सेना बुलायी गयी ।

—वित्त मंत्री श्री चव्हाण ने लोकसभा में बजट पूर्व सर्वेक्षण प्रस्तुत किया ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२६—श्री बिजोल के नेतृत्व में नागालैंड में नयी सरकार का गठन हुआ।

२७—उत्तर प्रदेश में संगठन कांग्रेस के नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त हारे—पांडिचेरी में द्रमुक का सफाया।

—संसद में रेल बजट पेश—माल भाड़ा और किराया बढ़ाने का प्रस्ताव।

२८—लोकसभा में भारत सरकार का बजट पेश-३ अरब ११ करोड़ का घाटा—२ अरब ३२ करोड़ के नये कर लगाने का प्रस्ताव।

मार्च

१—उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला।

—गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चिमनभाई पटेल कांग्रेस से निष्कासित।

२—उड़ीसा में श्रीमती नन्दिनी सतपथी विधानमण्डल दल की नेता चुनी गयीं।

३—गुजरात बन्द के उपद्रव में ४ व्यक्ति मरे।

४—गुजरात के ७ नगरों में पुनः कर्फ्यू—गोली से दो मरे।

—मणिपुर में दो सदस्यीय दल के मन्त्रिमण्डल ने शपथग्रहण की।

५—उत्तर प्रदेश में श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के नेतृत्व में ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ने शपथग्रहण की।

६—उड़ीसा में श्रीमती नन्दिनी सतपथी तथा पाण्डिचेरी में एस० रामास्वामी के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल का शपथ ग्रहण।

७—भूतपूर्व केन्द्रीय वित्तमन्त्री टी० टी० कृष्णमाचारी का निधन।

९—कांग्रेस हाईकमान ने त्रिपुरा काँग्रेस कमेटी विघटित की।

११—गुजरात विधानसभा भंग करने के समर्थन में मोरारजी देसाई का अनशन शुरू।

—केन्द्रीय गृहमंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने कहा कि दबाव में आकर केन्द्र गुजरात विधानसभा भंग न करेगा।

१३—रेल गार्डों के आंदोलन से १८० मालगाड़ियां रद्द हुईं।

१५—गुजरात के राज्यपाल ने विधान सभा भंग की।

१६—श्री मोरारजी देसाई का अनशन समाप्त।

१७—पटना में विधानसभा की सुरक्षा के लिए सेना को सन्नद्ध किया गया।

१८—पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन-पुलिस की गोली से ५ मरे—शाँति स्थापनार्थ सेना बुलायी गयी-सर्चलाइट तथा प्रदीप कार्यालय जलाया गया।

१९—बिहार में दूसरे दिन के उपद्रव में १० व्यक्ति पुलिस की गोली से मरे—कई नगरों में आगजनी और लूटपाट।

२१—बिहार में दो स्थानों पर गोली चलने से ५ मरे।

—सर्वोदयी नेता जयप्रकाशजी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर को इस्तीफा देने की सलाह दी।

२५—उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल बिना शर्त समाप्त।

२७—पाण्डिचेरी में अन्नाद्रमुक सरकार का इस्तीफा।

२८—भारत सरकार ने लोकसभा में गेहूँ के थोक व्यापार का सरकारी अधिग्रहण समाप्त करने की घोषणा की।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

—पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू—विधान सभा भंग।

३०—कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पाँचवीं योजना में संशोधन करने की माँग।

अप्रैल

२—त्रिपक्षीय वार्ता हेतु बंगलादेश के विदेशमंत्री डा० कमालहुसेन दिल्ली आये।

४—त्रिपक्षीय वार्ता के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आया।

५—नयी दिल्ली में भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान की त्रिपक्षीय वार्ता शुरू।

६—त्रिपक्षीय वार्ता में १९५ पाकिस्तानी युद्धबंदियों के प्रश्न पर विचार।

९—भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान की त्रिपक्षीय वार्ता में समझौता। १९५ पाकिस्तानी युद्धबंदी वापस होंगे—भारत पाकिस्तान के बीच डाक-तार संचार साधन कायम करने तथा यात्रा सम्बंधी समझौता।

१०—बंगलादेश में सैनिक जुल्म के लिए पाकिस्तान ने खेद प्रकट किया।

—बिहार के ४० मंत्रियों ने कांग्रेस हाई कमान के पास इस्तीफा भेजा।

—बंगला देश के प्रधानमंत्री शेख मुजीब दिल्ली आये।

१४—हरिद्वार कुम्भ पर्व पर ४० लाख लोगों ने गंगा स्नान किया।

१५—मिलावटी ग्लूकोज काण्ड के मामले में उत्तरप्रदेश के स्वास्थ्यमन्त्री श्री सालिगराम जायसवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा की।

१६—रेलवे संघर्ष समिति ने ८ मई से रेल हड़ताल करने का निर्णय किया।

१७—बम्बई के एक भवन में आग लगने से १५ व्यक्ति मरे।

१८—राष्ट्रपति गिरि ने रेल कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील की।

—बिहार के ३५ मन्त्रियों का इस्तीफा मंजूर।

२१—बिहार में असंतुष्ट कांग्रेसियों ने श्री गफूर को नेता पद से हटाने की मांग की।

२२—सिक्किम असेम्बली के चुनाव में सिक्किम काँग्रेस का बहुमत हुआ।

२३—बर्मा के राष्ट्रपति नेविन भारत आये।

२५—हिन्दी के मूर्धन्य कवि डा० रामधारीसिंह दिनकर का निधन।

२७—रेल हड़ताल का सामना करने के लिए ९८ मेल ट्रेनें रद्द।

२८—प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चार दिन की यात्रा पर ईरान गयीं।

३०—वित्तमंत्री श्री चव्हाण ने लोक सभा में बजट के कुछ कर प्रस्तावों में छूट देने की घोषणा की।

—पाकिस्तानी लेफ्टिनेण्ट जनरल नियाजी सहित शेष युद्धबन्दी लौटाये गये।

मई

२—रेल श्रमिक नेताओं से रेलमंत्री की समझौता वार्ता भंग-रेल संघर्ष समिति के नेता जार्ज फर्नाण्डीज गिरफ्तार।

३—रेलमंत्री श्री ललितनारायण मिश्र ने रेल हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दी।

४—हड़ताल के सिलसिले में एक हजार रेल कर्मचारी पकड़े गये।

—तमिलनाडु की हरिजन कल्याण मंत्री श्रीमती सत्यवाणी मुत्थू को मन्त्रिमंडल से हटाया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५—दिल्ली में दो सम्प्रदायों के बीच संघर्ष में ७ मरे ।

७—बिहार के २४ विधायकों ने राज्य विधान सभा से इस्तीफा दिया ।

८—रेल कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल शुरू ।

—लोकसभा में ३५वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित ।

१०—रेल हड़ताल की समाप्ति के लिए त्रिसूत्रीय फार्मूला रखा गया—जार्ज फर्नाण्डीज द्वारा त्रिसूत्रीय फार्मूला नामंजूर ।

—लोकसभा में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि रेल कर्मचारियों को अधिक देना संभव नहीं है ।

१२—बंगलादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीब दिल्ली आये ।

१३—रेल हड़ताल समाप्ति के लिए विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की ।

१५—'भारत बन्द' से केवल बड़े नगर ही प्रभावित ।

१८—भारत ने प्रथम पारमाणविक विस्फोट किया ।

—रेल हड़ताल के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से विपक्षी नेताओं की वार्ता विफल हुई ।

—सेनेगल के राष्ट्रपति लियोपोल्ड सेघोर भारत आए ।

२१—स्वराष्ट्रमंत्री श्री स्वर्णसिंह ने कहा कि भारतीय पारमाणविक परीक्षण के सम्बन्ध में पाकिस्तान की आशंकाएं निराधार हैं ।

२२—कनाडा ने भारत को परमाणु उपकरों की आपूर्ति बन्द की ।

२३—प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया कि भारत का पारमाणविक अस्त्र बनाने का इरादा नहीं है ।

२६—राष्ट्रपति गिरि ने रेल कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की ।

२७—रेल संघर्ष समिति ने २८ मई से बिना शर्त हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की ।

२८—२० दिन की रेल हड़ताल समाप्त ।

३१—उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का अतिरिक्त गेहूँ जब्त कर लेने का आदेश दिया ।

जून

१—राष्ट्रपति गिरि थिम्पू (भूटान) पहुंचे ।

२—भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक सिंहासनारूढ़ हुए ।

५—सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव कराने का निर्णय दिया ।

—पटना में बिहार राज्य विधानसभा भंग कराने की मांग लेकर छात्रों का विशाल प्रदर्शन ।

९—लखनऊ में संसोपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में नये विपक्षी दल के गठन के लिए विलयन की पुष्टि की गयी ।

१०—पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जाँच के लिए वांचू आयोग गठित हुआ ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

११—उत्तर प्रदेश विधानसभा में ४५ करोड़ ११ लाख की कमी का बजट पेश।

१४—हरियाणा की राज्यमंत्री श्रीमती चन्द्रावती बर्खास्त।

— राष्ट्रपति श्री गिरि बंगलादेश पहुंचे।

१८—संसद सदस्य सेठ गोविन्ददास का निधन।

२०—सिक्किम असेम्बली में नया संविधान स्वीकृत।

२१—सिक्किम विधानसभा ने भारत सरकार से नया संविधान तुरंत लागू करने की मांग की।

२२—राष्ट्रपति ने आध्यादेश जारी कर जमाखोरी, मुनाफाखोरी के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की।

२३—सिक्किम में चोग्याल विरोधी प्रदर्शन।

२५—सिक्किम के चोग्याल अचानक दिल्ली पहुंचे।

२६—गंगटोक में चोग्याल विरोधी जोरदार प्रदर्शन-भारत सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग।

२९—प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सिक्किम के चोग्याल को संविधान स्वीकार करने की सलाह दी।

जुलाई

१—कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिए श्री फखरुद्दीनअली अहमद को प्रत्याशी चुना।

३—केन्द्रीय कृषिमन्त्री पद से श्री फखरुद्दीनअली अहमद का इस्तीफा मंजूर।

४—सिक्किम के नये संविधान पर चोग्याल के हस्ताक्षर।

६—मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण के लिए राष्ट्रपति के दो अध्यादेश-अतिरिक्त वेतन अनिवार्य जमा योजना तथा कम्पनियों के लाभांश पर अस्थायी प्रतिबन्ध।

८—मणिपुर के अलीमुद्दीन मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दिया।

—सिक्किम के सभी (३२) विधायक दिल्ली आये।

१०—मणिपुर में लोकतांत्रिक मोर्चे के श्री यंग माशा शैजा के नेतृत्व में नया मन्त्रिमण्डल बना।

११—प्रयाग संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन में भाकांद प्रत्याशी श्री जनेश्वर मिश्र विजयी।

—वर्धा में सर्वसेवा संघ के सम्मेलन में कार्यसमिति के १६ सदस्यों का इस्तीफा।

१५—कम्पनी लाभांश के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का नया अध्यादेश जारी।

—कांग्रेस कार्यसमिति में मुद्रास्फीति का सामना युद्धस्तर पर करने का प्रस्ताव पास।

१७—राष्ट्रपति ने उच्च वर्ग आय वालों के लिए अनिवार्य जमा का अध्यादेश जारी किया।

१९—राष्ट्रपति पद के लिए श्री फखरुद्दीनअली अहमद का नामांकन पत्र दाखिल।

—शहीद ऊधम सिंह का अस्थिकलश लन्दन से भारत आया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२२—विरोधी दलों ने श्री त्रिदिबकुमार चौधरी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया ।

२३—काजी लेन्दुप दोरजी के नेतृत्व में सिक्किम में पाँच सदस्यीय मन्त्रिमन्डल गठित ।

२५—लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ६१ के विरुद्ध २९४ मतों से अस्वीकृत ।

२९—भारत सरकार ने जमाखोरी के विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाने का निर्देश दिया ।

३१—लोकसभा में भारत सरकार का पूरक बजट पेश—२३२ करोड़ के अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव ।

अगस्त

१—कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड ने उड़ीसा के राज्यपाल श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी चुना ।

३—१० लाख के करापवंचन के आरोप में अमेरिकी व्यवसायी गिरफ्तार ।

६—महाराष्ट्र विधानमण्डल के ३५ विधायक निलम्बित ।

८—महाराष्ट्र में मन्त्रियों का घेराव करने पर १८ विपक्षी विधायक गिरफ़्तार ।

९—नयी दिल्ली में युवकों की रैली में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा कि भारत विदेशी सहायता की भीख न माँगेगा ।

१३—महाराष्ट्र के २४ विधायक विधानसभा से निलम्बित ।

१४—राष्ट्रपति गिरि ने राष्ट्र के नाम प्रसारित संदेश में कहा कि काले धन का चलन रोकने के लिए कठोरतम उपाय किये जायं ।

१५—लालकिले से प्रधान मन्त्री श्रीमती गाँधी ने कहा कि पाकिस्तान के रवैये से देश को सतर्क रहने की जरूरत है ।

१७—राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दिल्ली तथा २१ राज्यों की राजधानियों में मतदान सम्पन्न ।

२०—श्री फखरुद्दीनअली अहमद भारत के पाँचवें राष्ट्रपति निर्वाचित । श्री अहमद को ७,५६५८७ तथा श्री त्रिदिवकुमार चौधरी को १,८९,१९६ मत मिले ।

२१—लोकसभा में रेलमन्त्री श्री ललितनारायण मिश्र ने पूरक रेल बजट पेश किया ।

२२—राष्ट्रपति गिरि को ससद सदस्यों ने भावभीनी बिदाई दी ।

२४—श्री फखरुद्दीनअली अहमद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की ।

२६—लोकसभा में संविधान का ३४ वां संशोधन विधेयक पास—भूमिसुधार कानून को अदालत में चुनोती नही दी जा सकेगी ।

२७—श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती भारत के छठे उपराष्ट्रपति निर्वाचित ।

—लोकसभा में अनिवार्य जमा विधायक तथा कम्पनी लाभांश रोक विधेयक पारित ।

२९—सात विपक्षी दलों के विलय से भारतीय लोकदल (नयी पार्टी) का गठन । श्री चरणसिंह अध्यक्ष निर्वाचित ।

३१—श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सितम्बर

२—सिक्किम के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में संविधान का ३६ वां संशोधन विधेयक पेश। सिक्किम को सहराज्य बनाने का प्रावधान।

—बम्बई बन्दरगाह से ७५ लाख का तस्करी का माल बरामद।

—सिक्किम के मामले में चीन और नेपाल की बौखलाहट।

४—लोकसभा में सिक्किम विधेयक भारी बहुमत से स्वीकृत।

५—भारत सरकार ने नेपाल को कड़ा विरोधपत्र दिया।

७—संसद के दोनों सदनों में संविधान का ३५ वां संशोधन स्वीकृत होने से सिक्किम भारत का संघीय राज्य बना। सिक्किम के मुख्य मंत्री श्री दोरजी ने चोग्याल से गद्दी छोड़नेकी मांग की।

१२—भारत का प्रमुख तस्कर व्यापारी बखिया बम्बई में गिरफ्तार।

१३—चीन भेजा जा रहा ८० हजार का यूरेनियम मुजफ्फरपुर में बरामद।

१७—तस्करों की नजरबन्दी के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया।

१८—तस्कर विरोधी अभियान में देश के अनेक बड़े तस्कर व्यापारी गिरफ्तार।

२०—फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए देशभर में तीव्र अभियान।

२१—राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीनअली अहमद ने १०३ सूती मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए आध्यादेश जारी किया।

२४—भारत सरकार ने करापवंचन के लिए कम मूल्य दिखाने पर ५० जायदादों को जब्त कर लेने का आदेश दिया।

—जनसंघ नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी आंसुका के अन्तर्गत मोतिहारी में गिरफ्तार।

२८—भारत सरकार ने तस्कर व्यापार को ध्वस्त करने का निर्णय किया।

अक्तूबर

२—ईरान के शाह तथा मलिका दिल्ली आये।

३—श्री जयप्रकाश नारायण का बिहार सचिवालय पर धरना। बिहार बन्द से जन-जीवन प्रभावित-पुलिस की गोली से दो मरे।

४—दूसरे दिन भी बिहार बन्द से सामान्य जीवन ठप, पुलिस की गोली से ५ मरे।

५—बिहार के पांच नगरों में कर्फ्यू लागू—'बन्द' के तीसरे दिन प्रदेश में हिंसात्मक उपद्रव।

—भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन का निधन।

६—बिहार विधान सभा भंग करने के लिए नयी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन।

९—विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले अन्तरराष्ट्रीय गिरोह के दो सदस्य पकड़े गये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१०—केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में ८ नये मंत्रियों की नियुक्ति । श्री जगजीवनराम कृषि-मंत्री, श्री चव्हाण विदेश मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह रक्षामंत्री तथा श्री सुब्रह्मन्यम वित्त मंत्री हुए ।

—श्री जयप्रकाश नारायण ने बिहार में समानान्तर विधान सभा गठित करने की घोषणा की ।

१२—गेबोन गणराज्य के राष्ट्रपति अलबर्ट बनार्ड बांगों दिल्ली आये ।

१४—अभूतपूर्व हंगामें के कारण केरल विधान सभा की बैठक स्थगित, सदन में चप्पल बाजी

१७—केरल कांग्रेस दो दलों में विभाजित ।

१९—राष्ट्रपति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए आध्यादेश जारी किया

—श्री देवकान्त बरुआ कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये ।

२५—डाक्टर चेन्ना रेड्डी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने ।

२७—अमेरिका के विदेशमंत्री डाक्टर किसिंजर भारत आये ।

२८—भारत अमेरिका के बीच आर्थिक, व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग का गठन ।

२९—कांग्रेस अध्यक्ष देवकान्त बरुआ ने कांग्रेसजनों से जयप्रकाश जी के आन्दोलन के विरुद्ध एकजुट होने की अपील की ।

३०—नयी दिल्ली में अमरीकी विदेशमंत्री डाक्टर किसिंजर ने कहा कि अमेरिका भारत के घरेलू मामलों में दखल न देगा ।

—उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर ६। एकड़ की जोत पर लगान लगाया ।

३१—भरवारी स्टेशन (इलाहाबाद) के निकट अपर इन्डिया में आग लगने से ४३ व्यक्ति मरे ।

—उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्यमंत्री श्री सालिगराम जायसवाल का इस्तीफा मंजूर ।

नवम्बर

२—एयर इण्डिया की तीन मास की तालाबन्दी समाप्त— पाइलटों ने स्लिप प्रणाली स्वीकार की ।

—शेख अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि कश्मीर वार्ता के विफल होने पर क्रान्ति अवश्यम्भावी है ।

४—पटना में प्रदर्शन—३ हजार सत्याग्रही पकड़े गये ।

—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आध्यादेश जारी कर बिक्री तथा क्रयकर की दरों को बढ़ाया ।

८—फ्रेंच लेखक आन्द्रे मालरो को नेहरू पुरस्कार देने की घोषणा ।

११—आयात लाइसेंस घोटाला के सिलसिले में संसद सदस्य तुलमोहन राम गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूटे ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१३—प्रयाग उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कुंवरबहादुर अस्थाना ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की।

—सम्पूर्ण देश में भगवान् महावीर की २५ सौवीं निर्वाण वर्ष तिथि मनायी गयी।

१६—तस्करों की रिहाई रोकने के लिए राष्ट्रपति ने आध्यादेश जारी किया।

१७—भारत नेपाल सीमा पर महाकाली नदी का पुल ध्वस्त होने से १४२ व्यक्ति मरे।

२०—लोकसभा में रक्षामन्त्री श्री स्वर्णसिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।

—राजमहेन्द्रा (आन्ध्र) में गोदावरी पर बने एशिया के सबसे लम्बे पुल का उद्घाटन।

२१—हंगरी के प्रधानमन्त्री जिओनो फाक भारत आये।

२२—भारत-पूर्वी जर्मनी के बीच १०० करोड़ के व्यापार का समझौता।

—नरोरा में कांग्रेस का अखिल भारतीय शिविर।

२३—हंगरी के प्रधानमन्त्री श्री फाक ने चीन से सम्बन्ध सुधारने के भारतीय प्रयास का स्वागत किया।

२५—सिक्किम कांग्रेस ने भारत से चोग्याल का सिक्किम में प्रवेश निषिद्ध करने की मांग की।

२६—सूडान के राष्ट्रपति गफ्फार मुहम्मद निमेरी भारत आये।

—नयी दिल्ली में भारत-पाकिस्तान के बीच पुनः व्यापार शुरू करने के प्रश्न पर वार्ता शुरू।

२९—पूर्वी जर्मनी के प्रधानमन्त्री हार्स्ट सिण्डरमैन भारत आये।

३०—नयी दिल्ली में भारत पाकिस्तान के बीच पुनः व्यापार करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर हुये।

दिसम्बर

१—मणिपुर में लोकतांत्रिक मोर्चे के मन्त्रिमण्डल से ४ कांग्रेसी मन्त्रियों का त्याग-पत्र।

—उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्रीमती सुचेता कृपलानी का निधन।

२—चेकोस्लोवाकिया के प्रधान मन्त्री डा० लुबीमिर स्ट्रोगल भारत आये।

३—भारत पूर्वी जर्मनी की संयुक्त विज्ञप्ति में हिन्दमहासागर से विदेशी अड्डों को हटाने की मांग की गयी।

—बम्बई के निकट समुद्र में तेल का विपुल भण्डार मिला।

४—आयात लाइसेन्स काण्ड के घोटाले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा।

५—सरकार आयात लाइसेंस काण्ड सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट विपक्षी नेताओं को दिखाने को तैयार।

—जाँच रिपोर्ट सदन में न प्रस्तुत किये जाने पर श्री मोरारजी ने लोकसभा में सत्याग्रह करने की धमकी दी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५—संसद सदस्य तुलमोहन राम लाइसेंस काण्ड के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित ।

६—मलयेशिया के शाह तथा मलिका भारत आये ।

१०—श्री मोरारजी देसाई ने सत्याग्रह की धमकी वापस ली ।

११—नेपाल के प्रधानमंत्री श्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नई दिल्ली आये ।

—शेख अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव का मुझे निर्बाध अधिकार प्राप्त होने पर ही कश्मीर के भावी स्वरूप पर केन्द्र से समझौता होगा ।

१२—प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नेपाली प्रधानमंत्री से नेपाल में भारत के खिलाफ विदेशी प्रचार पर गहरी चिन्ता व्यक्त की ।

१३—श्री विलियम सेक्सबी भारत के लिए नये अमेरिकी राजदूत मनोनीत हुए ।

१४—राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने गल्ले का मूल्य घटाने की सलाह दी ।

—१७ विशिष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला ।

१५—लखनऊ में कांग्रेसजनों की विशाल रैली ।

—दूसरे क्रिकेट टेस्ट मेच (दिल्ली) में वेस्टइण्डीज ने भारत को एक पाली १७ रन से हराया ।

१६—संसद के विपक्षी नेताओं ने लाइसेंस काण्ड से सम्बन्धित केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट देखी ।

१७—उत्तर प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन शुरू होते ही सदस्यों में जमकर मार-पीट—सदन की बैठक स्थगित ।

—नई दिल्ली में भारत-बंगलादेश के बीच मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा के आधार पर व्यापार समझौता ।

१८—भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वान्चुक भारत आये ।

१९—रिहाई के तत्काल बाद अनेक तस्कर पुनः गिरफ्तार ।

२०—लोकसभा में लाइसेंस काण्ड की संसदीय जाँच की मांग अस्वीकृत ।

—भारत ने भूटान की योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया ।

२२—खाद्यमंत्री श्री जगजीवनराम ने खाद्य संकट समाप्त होने का दावा किया ।

२५—मद्रास में द्रविड़ कषगम द्वारा रावण लीला ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दूतावास और उच्चायुक्त

विदेशों में भारतीय राजदूत

अफगानिस्तान : राजदूत—श्री के० आर० पी० सिंह, भारतीय दूतावास, मलाईवाट काबुल ।

अल्जीरिया : राजदूत—श्री एस० शहाबुद्दीन, भारतीय दूतावास, ११६ टेर, रियूइ डिडूशे मौराद, अल्जीयर्स ।

अर्जन्टीना : राजदूत—(पराग्वे और ऊरुग्वे के भी राजदूत), श्री एस० एम० एस० चड्ढा, भारतीय दूतावास, लावाले ४२ (तीसरी मंजिल), ब्यूनस एअर्स ।

आस्ट्रिया : राजदूत—श्री ए०एस० मेहता, भारतीय दूतावास १, ओपेरनरिंग वियना-१ ।

बहरीन : राजदूत—श्री पी० एम० एस० मलिक, भारतीय दूतावास, नं० २२६६/७ अलअड़लीया, बहरीन ।

बैल्जियम : राजदूत—श्री के० बी० लाल, भारतीय दूतावास, १२१, एवेन्यू मोलिएर, ब्रूसेल्स—१८ ।

ब्राजील : राजदूत—(बोलिविया और वेनेजुएला के भी) श्री नरेन्द्रसिंह, भारतीय दूतावास, रुआ बाराओ डी फ्लेमेंगो २२, एप्टोस ८०१—८०२, रिओ डी जेनिरो ।

बर्मा : राजदूत—श्री आर० खार्तिग, भारतीय दूतावास, ओरियंटल इंश्योरेंस बिल्डिंग, ५४५—५७, मर्चेण्ट स्ट्रीट, रंगून ।

कम्बोडिया : राजदूत—रिक्त भारतीय दूतावास प्नोमपेह ।

चिली : राजदूत—रिक्त, भारतीय दूतावास, ८७१, विआना सैंटिआगो ।

चीन : कार्यवाहक राजदूत—श्री एल० एल० मेहरोत्रा, भारतीय दूतावास, ८, क्वांग हुआ लू, पेकिंग ।

कोलम्बिया : राजदूत—श्री मदनजीत सिंह, भारतीय दूतावास, अपार्टमेंट नं० १०४, बगोटा ।

कांगो : राजदूत—(गेबून और कांगो-ब्राजेविले के भी) श्री एस० डब्ल्यू० जमां, भारतीय दूतावास, १८ एवेन्यू ८ इमे आरमी, लिओपोल्डविले ।

कोस्टारिका : राजदूत—श्री पी० पी० डी'सूजा, भारतीय दूतावास, सन जोसे द्वारा भारतीय दूतावास, पनामा ।

क्यूबा : राजदूत—श्री आर० टंडन, भारतीय दूतावास, केल्ले, २० नरो, २०२, एस्क्यूना ए-के, वेडाडो, हवाना ।

चेकोस्लोवाकिया : राजदूत—श्री वी० सिद्धार्थाचारी, भारतीय दूतावास, वाल्ड-स्टेजेस्का ६, प्राग—१ ।

(मिस्र) संयुक्त अरब गणराज्य : राजदूत—श्री ए० बी० भड़कमकर, भारतीय दूतावास, ५, अल शारिया अल माहाद, स्विसरि, जामालाक, पी० ओ० बाक्स ७१८, काहिरा ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डेनमार्क : राजदूत—श्रीमती के० रुक्मणी मेनन, भारतीय दूतावास, ८-११ अमरे-गेरटोर्व, कोपनेहेगन ।

इथोपिया : राजदूत—श्री वी० बी० परांजपे, भारतीय दूतावास, पो० ओ० ५२८, अदिस अबाबा ।

फिनलैण्ड : राजदूत—श्री एम० के० राय, भारतीय दूतावास, कानसाकोलूकालू, ५-वीं १४, हेलीसिकी-१० ।

फ्रांस : राजदूत—श्री डी० एन० चटर्जी, भारतीय दूतावास, १५, रयू एलफ्रडेहो-डेनक, पेरिस-१६ ।

जर्मन संघीय गणराज्य : राजदूत—श्री वाई० के० पुरी, भारतीय दूतावास, २६२, एडेनायूराली, बोन ।

जर्मन जनवादी गणतंत्र : राजदूत—श्री ए० आर० देव, भारतीय दूतावास, बर्लिन ।

यूनान : राजदूत—श्री पी० एन० मेनन, भारतीय दूतावास, एथेंस द्वारा-भारतीय दूतावास, बैलग्रेड ।

हंगरी : राजदूत—श्री के० पी० एस० मेनन (मनोनीत) भारतीय दूतावास, बुजा-विराग उटका, १४, बुडापेस्ट-२ ।

आइसलैण्ड : राजदूत—(रिक्त) भारतीय दूतावास, रेक्जोविक द्वारा-भारतीय दूतावास, ओसलो ।

इण्डोनेशिया : राजदूत—श्री महबूब अहमद, भारतीय दूतावास, पो० बाक्स नं० ११८, ४४ केबून सेरीह, जकर्ता ।

ईरान : राजदूत—श्री आर० डी० साठे, भारतीय दूतावास, ३५९०/८ एवेन्यू साबा शोमाली, तेहरान ।

ईराक : राजदूत—श्री रमेश भंडारी, भारतीय दूतावास, २२/१२ ए, १, तहराई स्ट्रीट, वजीराह, बगदाद ।

आयरलैण्ड : राजदूत—श्री पृथीसिंह, भारतीय दूतावास, ५८, अपर लीसन स्ट्रीट, डबलिन ।

इटली : राजदूत—(मालटा के उच्चायुक्त भी) श्री अप्पा बी० पन्त, भारतीय दूतावास वाया फ्रानसेसको डेनसे, ३६ रोम ।

जापान : राजदूत—श्री एस० थान, भारतीय दूतावास, नं० २, २ चौमे, कुडाल मिनामी चियोडाकू, टोकियो ।

कुवैत : राजदूत—श्री राय एक्सल खान, भारतीय दूतावास, किंगरोड नं० १, कुवैत ।

लाओस : राजदूत—श्री बी० देवराव, भारतीय दूतावास, पो० ओ० बाक्स नं० २२५, वियनटिएन ।

लेबनान : राजदूत—(जोर्डन के राजदूत और साइप्रस के उच्चायुक्त भी) श्री एस० के० सिंह, भारतीय दूतावास, शाहमिरानी बिल्डिंग, ३१, कनटारी स्ट्रीट, बेरुत ।

लीबिया : राजदूत—श्री होमी जे० एच तलयार खां, भारतीय दूतावास, १६।१८, पो० ओ० बाक्स ३१५०, ट्रिपोली ।

लक्सम्बर्ग : राजदूत—श्री के० बी० लाल, भारतीय दूतावास, ग्रांड डुचे आफ लक्सम्बर्ग द्वारा भारतीय दूतावास, बरसेल ।

मदगास्कर : राजदूत—श्री के० आर० कृष्णस्वामी, भारतीय दूतावास, ७७ मरै-क्वल फोच, पो० बाक्स नं० १७८७, तानानारिवे ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मालदीव : राजदूत—श्री वी० एच० कोइल्हो, भारतीय दूतावास, मले द्वारा भारतीय उच्चायोग, कोलम्बो ।

माली : राजदूत—रिक्त, भारतीय दूतावास, बमाको ।

मैक्सिको : राजदूत—श्री ए० एन० मेहता, भारतीय दूतावास, एवेनिदा, टेनयुसन ६७, काल, पोलांगो, मैक्सिको-५, डी० एफ० स्टेशन मैक्सिको सिटी ।

मंगोलिया : राजदूत—श्री एस० नरूब्र, भारतीय दूतावास, २६ पी० स्ट्रीट, पो० ओ० नं० ६९१, यूलानबटोर ।

मोरक्को : राजदूत—(ट्यूनेशिया के भी) श्री पी० के० गुहा (मनोनीत), भारतीय दूतावास, ११ रयूए डेसकारटेस, रबात ।

नेपाल : राजदूत—श्री महाराज कृष्ण रसगोत्र, भारतीय दूतावास, जी०पी०ओ० बाक्स २९२, काठमांडू ।

नीदरलैण्ड : राजदूत—श्री के० एस बाजपेयी (मनोनीत) भारतीय दूतावास, वयूइटेन सटबाग २, दहैग ।

नार्वे : राजदूत—रिक्त, भारतीय दूतावास, ४८, प्रोफेसर डाहलस गेट, ओस्लो ।

ओमान: राजदूत—श्री निर्मल जीतसिंह, भारतीय दूतावास, पो० ओ० बाक्स ७७, मस्कट ।

पनामा : राजदूत—श्री पी० पी० डीसूजा, भारतीय दूतावास, पो० बा० नं० ८४००, पनामा ।

फिलीपीन : राजदूत—श्री पी० एस० नस्कर, भारतीय दूतावास, १८५६, वी० बोकोबो स्ट्रीट, मालाते मनिला ।

पोलैण्ड : राजदूत—श्री डी० एस० कामतेकर, भारतीय दूतावास, नं० १६ नीगोलेवस्कीगो, वारसा ।

रूमानिया : राजदूत—श्री वी० के० अहूजा, अलीदया स्टेफन घारेगिन, १६, बुखारेस्ट-३ ।

सऊदी अरब : राजदूत—श्री ज़हीर अहमद, भारतीय दूतावास, सुलेमान-उल-टर्की हाउस अल शराफिया, बगदादिया, जेदा ।

सेनेगल : राजदूत—(आइवरी कोस्ट, मारीटानिया और अपर वोल्टा के राजदूत भी) श्री एस० एच० देसाई, भारतीय दूतावास, पो० बाक्स ३९८, डाकार ।

सोमालिया : राजदूत—श्री जे० बी मुथ्यालराव, भारतीय दूतावास, पो० बाक्स ९५५, मोगाडिशू ।

स्पेन : राजदूत—श्री वी० एम० एम० नायर, भारतीय दूतावास, काले मारुक्यूएस डी० उरक्यूइजो, मेड्रिड ।

सूडान : राजदूत—डा० आई० पी० सिंह, भारतीय दूतावास, पो० बाक्स नं० ७०७, खारतूम ।

स्वीडन : राजदूत—श्री ए० के० दामोदरन, भारतीय दूतावास, वी० ट्राडगार-डस गाटन १५, स्टाकहोम ।

स्विटजरलैण्ड : राजदूत—श्री अवतार सिंह, भारतीय दूतावास, २०, कालचेग्गेवेग, ३०००, बर्न ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सोरियाई अरब गणराज्य : राजदूत—श्री खलीक अहमद निजाम (मनोनीत) भारतीय दूतावास, ४०/४६, यासीन बुवाई लाटी बिल्डिंग, एवेन्यू अदनान मालका इम, दमिश्क ।

थाइलैण्ड : राजदूत—श्री जी० जे० मलिक, भारतीय दूतावास, १३९, पानरोड, बैंकाक ।

तुर्की : राजदूत—श्री एन० बी मेनन (मनोनीत), भारतीय दूतावास, नं० ५०, किजिलीरयाक सोकाक, कोसाटेपे, अंकारा ।

अरब अमीर संघ : राजदूत—श्री एस० ई० एच० रिजवी, भारतीय दूतावास, ओमरान अल मजरोही बिल्डिंग, अबूधाबी ।

संयुक्त राज्य अमेरिका : राजदूत—श्री त्रिलोकी नाथ कौल, भारतीय दूतावास, २१०७, मैसाच्यूसेट्स एवेन्यू एन० डबल्यू०, वाशिंगटन ८, डी सी० ।

रूस—राजदूत :—रिक्त भारतीय दूतावास, नं ६ और ८, उलीत्सा ओबुका, मास्को ।

वेटीकन : राजदूत—श्री अवतार सिंह, भारतीय दूतावास, २०, कालचेग्गेवेग, ३००० बर्न ।

युगोस्लाविया : राजदूत—(रिक्त) भारतीय दूतावस, प्रोलेटेर सकेस ब्रिगेड ९, बेलग्रेड ।

उच्च आयुक्त

आस्ट्रेलिया : उच्चायुक्त—डा० एस० सिन्हा, ९२, मग्गा वे रैडहिल, कैनवरा ।

बंगला देश : उच्चायुक्त—श्री समर सेन, भारतीय दूतावास, ढाका ।

बारबाडोस : उच्चायुक्त—डा० बरकत अहमद (मनोनीत), भारतीय उच्चायोग, ब्रिज टाउन द्वारा भारतीय उच्चायोग, पोर्ट आफ स्पेन ।

बोसस्वाना : उच्चायुक्त—श्री के० श्रीनिवासन, भारतीय उच्चायोग, गैबरोनेस द्वारा भारतीय उच्चायोग, लुसाका ।

कनाडा : उच्चायुक्त—श्री यू० एस० वाजपेयी, २००, मेक्लारेन स्ट्रीट, ओटावा, ४ ओनटेरिओ ।

साईप्रस : उच्चायुक्त—श्री एस० के० सिंह, भारतीय उच्चायोग, निकोसिया द्वारा भारतीय दूतावास, बेरूत ।

फिजी : उच्चायुक्त—श्री भगवान सिंह, सुटे नं २०२, फिजी डेवलम्पमैंट बिल्डिंग, जी० पी० ओ बाक्स ४०५, सुवा ।

घाना : उच्चायुक्त—(लिबरीया के राजदूत और सिरा लियोन के उच्चायुक्त भी—श्री एस० विक्रम शाह, पो० बाक्स ३०४०, अकरा ।

गुयाना : उच्चायुक्त—डा० गोपाल सिंह, ७८, चर्च स्ट्रीट, जार्ज टाउन ।

जमैका : उच्चायुक्त—डा० बरकत अहमद (मनोनीत), भारतीय उच्चायोग, किंग्जस्टन द्वारा-भारतीय उच्चायोग पोंट आफ स्पेन ।

कीनिया : उच्चायुक्त—एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह, जीवन भारती बिल्डिंग, हारामवी एवेन्यू, नैरोबी ।

मलावी : उच्चायुक्त—(लेसौथो और स्वाजीलैण्ड के भी) श्री एस० वी० पुरुषोत्तम, भारतीय उच्चायोग, होस्टल रोड, पो० बाक्स ६८१ बलानटयेरे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मलेशिया : उच्चायुक्त—श्री ए० के० धर, भारतीय उच्चायोग, पो० बाक्स नं० ५६, १६, मालाक्का स्ट्रीट, कुआलालम्पुर ।

मारीशस : उच्चायुक्त—श्री एम० एम० खुराना, भारतीय उच्चायोग, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, पोर्टलुइस, मारीशस ।

न्यूजीलैण्ड : उच्चायुक्त—श्री एल० एन० रे, भारतीय उच्चायोग, ४६, विलिसस्ट्रीट वेलिंगटन, स्टेशन वेलिंगटन ।

नाइजीरिया : उच्चायुक्त—(कैमेरून, दहोमे और टोगो गणराज्य के राजदूत भी) श्री एस० के० राय, भारतीय उच्चायोग, प्राइवेट मेल बेग, २३२२, लागोस, नाइजीरिया ।

श्री लंका : उच्चायुक्त—श्री वी० एच० कोइल्हो, ७, कोल्लूपितिया स्टेशन रोड, कोलम्बो-३ ।

सिंगापुर : उच्चायुक्त—(रिक्त) भारतीय उच्चायोग, इंडिया हाउस, ३१, ग्रानगे रोड, सिंगापुर ।

तंजानिया : उच्चायुक्त—श्री के० डी० शर्मा, भारतीय उच्चायोग, २८, इंडीपेंडेंस एवेन्यू, दारे-अस-सलाम ।

त्रिनिडाड और टोबागो : उच्चायुक्त—डा० बरकत अहमद (मनोनीत), पो० बा० नं० ५३०, पोर्ट आफ स्पेन (त्रिनिडाड) ।

उगांडा : उच्चायुक्त—(बरुण्डी की राजशाही और रूआंडा गणराज्य के राजदूत भी) श्री एच० के० सिंह, भारतीय उच्चायोग, बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, कम्पाला रोड, कम्पाला ।

ब्रिटेन : उच्चायुक्त—ब्रजकुमार नेहरू, भारतीय उच्चायोग, इंडिया, हाउस, एल्ड-विच लन्दन, डबल्यू० सी०-२ ।

जाम्बिया : उच्चायुक्त—श्री के० श्रीनिवासन, भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय, पो० ओ० बाक्स २१११, लुसाका ।

भारत में विदेशी दूतावास

अफगानिस्तान—राजदूत : श्री अब्दुल रहमान पाजवा, ६ ए, रिंग रोड, लाजपत-नगर, नई दिल्ली-११००२४

अल्जीरिया—राजदूत : श्री ओमार कोस्डिक, १३ सुन्दर नगर, नई दिल्ली-११०००३

मिस्र—(संयुक्त अरब गणराज्य) : राजदूत : श्री जकारिया एल० अदली इमाम, ५५-५७ सुन्दर नगर, नई दिल्ली-११००११

अर्जन्टीना—राजदूत : (रिक्त) सी०-२७-२८, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-२ नई दिल्ली-११००४६

आस्ट्रिया—राजदूत : डा० वाल्फ गेंग स्कैलनवर्ग, १८ जोरबाग, नई दिल्ली

बैल्जियम—राजदूत : श्री जीन चार्ज सैलमन, ७ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३

ब्राजील—राजदूत : श्री राबर्ट लुईस आसुपकाओ, डी अराउजो, ८ औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-११००११

बुल्गारिया—राजदूत : श्री सत्तायेन जैमावे, १६८ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३

बर्मा—राजदूत : यूबा सवे, प्लाट नं० ३, ब्लाक नं० ५० एफ०, न्याय मार्ग नई दिल्ली-११००२१

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चिली—राजदूत : श्री आगस्तो मारम्बीयो, १/१३, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली

चीन—राजदूत : श्री मा-मऊनमिंग, ५० डी, शान्ति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

कोलम्बिया—राजदूत : श्री फर्नान्दो नवास डी ब्रिगाड, नं० ८० डी (ग्राउण्ड फ्लोर) मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

क्यूबा—राजदूत : डा० जोसेलोपेज सेंचज, २ पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, दिल्ली

चैकोस्लोवाकिया—राजदूत : डा० जयदन एफ० त्रहलिक, ५० एम०, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

डेनमार्क—राजदूत : श्री हेनिंग हैलक, २ गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली-११०००३

इक्विडोर—राजदूत : श्री वीसेंट क्रेसपो आरडोनिस, बी-३/२१, वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७

इथोपिया—राजदूत : श्री गितूच मैकासा, बी-५४, पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७

जर्मन जनवादी गणराज्य—राजदूत : श्री वात्फगेंग सिक्यूसिला, २ न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी—राजदूत : श्री सुवैंटर डीहल, नं० ६, ब्लाक ५० जी, शान्ति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

फिनलैंड—राजदूत : मिस रीता औरो, ४ पंचशील मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

फ्रांस—राजदूत : श्री जीन डेनियल जरगैन्शन, २ औरंगजेब रोड, नई दिल्ली

ग्रीक—राजदूत : डा० बेसिल वित्तशैक्सिस, १८८ जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३

गुयाना—राजदूत : श्री रहमान बी० गजराज, १८० जोरबाग, नई दिल्ली

होलिसी—राजदूत : मोस्ट रैव० मैस्गर० जोन गार्डन, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

हंगरी—राजदूत : डा० फ्रेनिक तूरी, १५ जोरबाग, नई दिल्ली-११०००३

इंडोनेशिया—राजदूत : लेफिटनेंट जनरल स्वैगीह आरटो, ५० ए, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-११००२१

ईरान—राजदूत : श्री मोहम्मद गुडार्जी, ६५ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३

ईराक—राजदूत : रिक्त, ३३ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३

आयरलैंड—राजदूत : श्री डेनिस होमलैस, १३ जोरबाग, नई दिल्ली.११०००३

इटली—राजदूत : डा० आमेदल ग्वीलैट, १३ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३

जापान—राजदूत : श्री कीनिया निसैकी, नं० ४ और ५, ५० जी० चाणक्यपुरी नई दिल्ली-११००२१

जोर्डन—राजदूत : श्री वाजीह अलकेलानी, ३५ मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

कोरिया—राजदूत : श्री यू सांगजिन, ११ बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-११०००१

रिपब्लिक आफ कोरिया—राजदूत : श्री चान-ह्वान-पक, ५ मानसिंह रोड, नई दिल्ली-११००११

कुवैत—राजदूत : श्री ऐसा अब्दुल रहमान एलऐसा, १९ फ्रेंड्स कालोनी वेस्ट, नई दिल्ली-११००१४

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लाओस—राजदूत : फगना साउक उपरावन, ४ सर्क्युलर रोड, साउथ वैस्टर्न एक्सटेंशन, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-११००२१

लेबनान—राजदूत : श्री महमूद हाफिज़, १० सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

मैक्सिको—राजदूत : श्री कैरलोस गुटी रर्ज, १३६ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३

मंगोलिया—राजदूत : श्री ग्वैनटुवैन डेस्टसेरन, ३४ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-

मोरक्को—राजदूत : (रिक्त) १९९ जोरबाग नई दिल्ली-११०००३

नेपाल—राजदूत : श्री कृष्ण बम मल्ल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-११०००१

नीदरलैंड—राजदूत : श्री तज़ारक अस्वीर म्यूरर्स, ६।५० एफ० शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

नार्वे : राजदूत : श्री तोबजोन क्रिश्चियन्सन, कोटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

ओमान : राजदूत : श्री अली मुहम्मद अलजमली, २२ पालम मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७.

पेरु : राजदूत : डा० रैनेहोफर लोपेस, डी०-२९०, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-११००२४.

फिलिपीन : राजदूत : श्री आर० एस ब्यूसंगो, ५० एन०, न्यायमार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

पौलैण्ड : राजदूत : श्री विक्टर किनैकी, २२ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३.

कुवातर : राजदूत : श्री सरीदा आसद जुबरने अलकाअबी, ए ३, वैस्ट एण्ड कालोनी, नई दिल्ली-११००२१.

रूमानिया : राजदूत : श्री पैतरे तनेसी, ९ तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली-११००११

सउदी अरब : राजदूत : श्री शेख युसूफ एलफोजन, ईस्टर्न एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली-११००१४

सेनेगल : राजदूत : डा० बाबाकर डिओप, पूर्वी मार्ग वसन्त विहार, नई दिल्ली-

स्पेन : राजदूत : श्री गिलैरमो नेदल, १२ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-११००११.

सूडान : राजदूत : अली अहमद सहलोल, ६ जोरबाग, नई दिल्ली-११०००३.

स्वीडन : राजदूत : काउंट एगजल लिवैनहोपत, न्यायमार्ग नई दिल्ली-

स्वीटजरलैण्ड : राजदूत : फ्रितज़ रियल, न्यायमार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-

सीरिया : राजदूत : मि० रैस्लन अलाउस, बी० ५८, पश्चिमी मार्ग वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७.

थाईलैण्ड : राजदूत : डा० ओवारत सूतीवतै नेरूयपथ, ५६ एन० न्यायमार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

टर्की : राजदूत : श्री गनडोव्यू उस्तन, २७ जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३.

उगांडा : उच्चायुक्त : (रिक्त) ६१ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३.

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ : राजदूत : मि० विक्टर एफ० माल्तसेव, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१

संयुक्त अरब एमीरेट्स : राजदूत : मोहम्मद ईसा अलअली, १०४ मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

संयुक्त राज्य अमेरिका : राजदूत : विलियम बी० सेक्सबी, शान्तिपथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-

उरुगवे : राजदूत : मि० एल्फ्रेडो ऊरुस्ते, ४५ रिंग रोड, लाजपतनगर-३, नई दिल्ली-२४.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वेनेजुएला : राजदूत : मिसिज रीता एम० डी एरिस्मंडी, एन-११४, पंचशीलमार्ग, नई दिल्ली-१७.

यमन : राजदूत : मि० अली हुसैन मंजल, सी०-१८ फ्रेंड्स कालोनी (ईस्ट) नई दिल्ली-१४.

यूगोस्लाविया : राजदूत : मि० इलीजा टोपेलोस्की, ३।५० जी०, नीति मार्ग चाणक्य-पुरी, नई दिल्ली

जेयरे : राजदूत : श्री इलेका मबौय, १६० जोरबाग, नई दिल्ली-

भारत में उच्चायुक्त

आस्ट्रेलिया : उच्चायुक्त : श्री ब्रस ग्राँट, १।५० जी०, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

बंगला देश : उच्चायुक्त : डा०ए० आर० मलिक, ५६ रिंग रोड, लाजपतनगर-३, नई दिल्ली-११००२४.

ब्रिटेन : उच्चायुक्त : सर माइकल वाल्कर, शान्तिपथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

कैनेडा : उच्चायुक्त : मि० जे० आर० मेबी, ७।८, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

घाना : उच्चायुक्त : पाल ग्वैकई डाह, ए ४२, वसन्त मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७.

कीनिया : उच्चायुक्त : श्री एस० के० किमालल, ई० २७, डिफेंस कालोनी नई दिल्ली-११००२४.

मलयेशिया : उच्चायुक्त : टेनश्री हाजी अब्दुल्ल खालिदबिन, ३ लिंक रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली ११००२४.

मारीशस : उच्चायुक्त : श्री रवीन्द्र घरबरन, ५ कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१.

न्यूजीलैण्ड : उच्चायुक्त : श्री आर० आर० कनिंबमी, ३९ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३.

नाइजीरिया : उच्चायुक्त : श्री सोली विलियम्स, १६९/१७१ जोरबाग, नई दिल्ली-११०००३.

सिंगापुर : उच्चायुक्त : श्री के० एम० बेरन : ४८ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३

श्रीलंका : उच्चायुक्त : मि० जस्टिन श्री वर्दने, २७ कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१ •

तंजानिया : उच्चायुक्त : मि० एडी हसन, ई १०४ और ई० १०६, ग्रेटरकैलाश, नई दिल्ली-११००४८.

त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो : उच्चायुक्त : सोलमन एस० एल० लच्छमन, १३१ जोरबाग, नई दिल्ली-११०००३.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत के गौरव

अब तक निम्न १४ विशिष्ट व्यक्तियों को 'भारत रत्न' से अलंकृत किया जा चुका है।

'भारत रत्न'

नाम	वर्ष
१. श्री सी० राजगोपालाचारी	१९५४
२. श्री जवाहरलाल नेहरू	१९५४
३. डा० एस० राधाकृष्णन्	१९५४
४. डा० भगवानदास	१९५५
५. डा० एम० विश्वेश्वरैया	१९५५
६. श्री गोविन्द वल्लभ पन्त	१९५७
७. डा० अण्णा साहेब कर्वे	१९५८
८. डा० विधान चन्द्र राय	१९६१
९. श्री पुरूषोत्तमदास टन्डन	१९६१
१०. डा० राजेन्द्र प्रसाद	१९६२
११. डा० जाकिर हुसैन	१९६३
१२. डा० पाण्डुरंग वामन काणे	१९६३
१३. श्री लालबहादुर शास्त्री	१९६६
१४. श्रीमती इन्दिरा गांधी	१९७१

नोबेल पुरस्कार

नोबेल पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, साहित्य, संस्कृति आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब तक निम्न तीन भारतीयों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

१. श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर	(साहित्य)	१९१३
२. सर सी० वी० रमन	(भौतिकी)	१९३०
३. डा० हरगोविन्द खुराना	(रसायन)	१९६८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९७४ के अलंकरण

पदम् विभूषण

१. बिनोद विहारी मुखर्जी, चित्रकार, देहरादून
२. हरीशचंद्र सरीन, गुजरात के राज्यपाल के सलाहकार
३. निरेन दे, भारत के महान्यायवादी, नई दिल्ली
४. डा० विजयेन्द्र कस्तूरी रंगा बरदराज राव, अथशास्त्री, नई दिल्ली

पदम भूषण

१. डा. एलिस मार्ग्ररेट बोनर, कलाकार, वाराणसी
२. डा. अरुणाचल श्रीनिवासन, सलाहकार, परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई
३. बोम्मिरेड्डी नरसिंह रेड्डी, फिल्मनिर्माता, मद्रास
४. प्रो. भूपति मोहन सेन, भूतपूर्व आचार्य, प्रेसिडेंसी कालेज, कलकत्ता
५. डा. कामिल बुल्के, हिंदी विद्वान, सेंट जेवियर कालेज, रांची
६. चिंतामणि कार, शिल्पी, विश्वभारती, पश्चिम बंगाल
७. डा. देवनहल्ली वेंकटरमणैया गुंडप्पा, कन्नड लेखक, बंगलौर
८. धीरेंद्र नाथ गाँगुली, फिल्म निर्माता, कलकत्ता
९. हबीब-उर-रहमान, मुख्य वास्तुकार, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग नई दिल्ली
१०. डा० हसमुख धीरजलाल सांकलिया, निदेशक, दकन कालेज, पूना
११. ठाकुर जयदेव सिंह, संगीत शास्त्री, लखनऊ
१२. जयंत पांण्डुरंग नाइक, शिक्षाशास्त्री, नई दिल्ली
१३. बिशप जान रिचर्डसन, कारनिकोबार, अंदमान निकोबार द्वीपसमूह के बिशप
१४. खुशवंत सिंह, सम्पादक, 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया' बम्बई
१५. श्रीमती मोगबाई केरडीकर, संगीतज्ञा, बम्बई
१६. डा. मोती चन्द्र, निदेशक, प्रिन्स आफ वेल्स संग्रहालय, बम्बई
१७. डा. राम कुमार करौली, हृदयरोग विशेषज्ञ, विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली
१८. डा. रमण विश्वनाथ, प्रोफेसर,वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली
१९. पं. सुखलाल जी संघवी, जैन विद्वान, अहमदाबाद
२०. डा. वसन्त शंकर हुजूरबाज़ार, वरिष्ठ प्राध्यापक तथा गणित और अंक-संकलन विभाग के अध्यक्ष, पुणे विश्वविद्यालय, पूना
२१. प्रो. तोप्पुर सीमापति सदाशिवन, वनस्पतिशास्त्री, मद्रास

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पदम्श्री

१. काज़ी अब्दुलसत्तार, उर्दू रीडर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
२. अच्युत पुरुषोत्तम काणविन्दे, वास्तुकार, नई दिल्ली
३. अलीहसन उर्फ कल्लू हफ़ीज, कुशल बुनकर, वाराणसी
४. अनन्त गोपाल शेवड़े, पत्रकार, नागपुर
५. बलदेवराज चोपड़ा, विशिष्ट इंजीनियर, भारतीय टेक्निकल मिशन, काबुल
६. देवकीनन्दन पाण्डे,सामाजिक कार्यकर्त्ता, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश
७. प्रो. दिनेश मोहन, डाइरेक्टर, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की
८. ऐमानी शंकर शास्त्री, चीफ प्रोड्यूसर, कर्नाटक संगीत, अकाशवाणी, नई दिल्ली
९. गुलाम कादिर लल्ला, कालीन निर्माता, श्रीनगर
१०. गिरीश करनाड, डाइरेक्टर, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना
११. डा. जगमोहन लाल करौली, डाक्टर, मेरठ
१२. डा. जोगेंद्र लाल गुप्त, प्लास्टिक सर्जन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
१३. ले. कमांडर जोगेंद्रसिंह, पर्वतारोही, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली
१४. श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम, समाजसेविका, मद्रास
१५. कैफी आजमी, उर्दू शायर, बम्बई
१६. केल्लूचरण महापात्र, ओडिसी गुरु, कटक
१७. कृपाल सिंह शेखावत, शिल्पकार, जयपुर
१८. डा. सूरजनंदन प्रसाद, बाल चकित्सक, पटना
१९. डा. महेश्वर नियोग, असमिया लेखक, गोहाटी
२०. श्रीमती माणिक अमर वर्मा, संगीतज्ञा, बम्बई
२१. श्रीमती मासूमा बेगम, समाज सेविका, सिकंदराबाद
२२. डा. मै० श्रीकान्त पण्डित नीलकण्ठ राव, निदेशक, गाँधी स्मारक कुष्ठ संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र
२३. श्रीमती नीना रिपजीत सिंह उर्फ नैनादेवी, संगीतज्ञा, नई दिल्ली
२४. डा. वामनद त्तात्रेय पटवर्धन, निदेशक शस्त्र अनुसंधान तथा विकास संस्था, पूना
२५. डा. शिवमंगलसिंह 'सुमन', हिन्दी कवि, उज्जैन
२६. सीताराम राव वल्लूरी, निदेशक, राष्ट्रीय एयरोनाटिकल प्रयोगशाला, बंगलौर
२७. सोमनाथ साधू, विस्तार अधिकारी, रेडियो कश्मीर-श्रीनगर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विज्ञापनदाताओं की सूची

		पृष्ठ
१. अग्रवाल ब्रदर्स,	गंगटोक	१५६
२. उ० प्र० सरकार (सूचना विभाग),	लखनऊ	२४०
३. एक नजर,	दिल्ली	२३४
४. किसान को-आपेरेटिव शुगर फैक्टरी लि०,	पीलीभीत	३०६
५. किर्लोस्कर आयल इंजन्स लि०,	पूना	५४
६. गुजरात स्टेट फाइनेंसियल कारपोरेशन,	अहमदाबाद	२६४
७. गुजरात सरकार—(निदेशक पर्यटन विभाग)	अहमदाबाद दूसरा आवरण	
८. गुजरात स्टेट रोड, ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन,	अहमदाबाद तीसरा आवरण	
९. डी० ए० वी० पी०,	नई दिल्ली	२१०
१०. नागपुर नगर निगम,	नागपुर	२३०
११. नगर पालिका,	मथुरा	२६६
१२. नगर पालिका,	वृंदावन	२७६
१३. नगर पालिका निगम	जबलपुर	१७०
१४. नेशनल मिनिरल डवलपमेंट कारपोरेशन,	हैदराबाद	६४
१५. प्रभात जर्दा फैक्टरी,	मुजफ्फरपुर	३६
१६. पंजाब सरकार (जन सम्पर्क विभाग)	चंडीगढ़	१६८
१७. फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्टरी,	सिंघटम	१५०
१८. फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, (प्लानिंग एंड डवलपमेंट डिवीजन)	सिन्दरी	१२४
१९. फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०,	बरौनी	१६०
२०. बनारसी दास भनोत एण्ड सन्स	जबलपुर	६०
२१. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल	भोपाल	१६
२२. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई दिल्ली	८६
२३. भोपाल सुधार न्यास	भोपाल	१८६
२४. भारत कोकिंग कोल लि०	सिजुआ	१६२
२५. म० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम	भोपाल	२१६
२६. म० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक	भोपाल	२२६
२७. म० प्र० विद्युत मंडल	भोपाल	२६३
२८. म० प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	भोपाल	१०१
२९. म० प्र० सरकार (सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय	भोपाल	३१२
३०. म० प्र० सरकार (उद्योग संचालनालय)	भोपाल	२२०
३१. म० प्र० सरकार (पर्यटन विभाग)	भोपाल	आर्ट प्लेट
३२. लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा	चंडीगढ़	२७०
३३. राजस्थान आवासन बोर्ड	जयपुर	६८
३४. राजकृषि एक्स्पोर्टस (प्रा०) लिमिटेड दिल्ली	अन्तिम आवरण पृष्ठ	
३५. सिक्किम डिस्टलरीज	सिक्किम	आर्ट प्लेट
३६. सर्राफ़ इन्डस्ट्रीज	नई दिल्ली	आर्ट प्लेट
३७. सिक्किम सरकार (पर्यटन विभाग)	गंगटोक	आर्ट प्लेट
३८. हिन्दुस्तान टाइम्स लि०	नई दिल्ली	२०६
३९. फर्टिलाइजर का०	सिन्दरी	३८०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

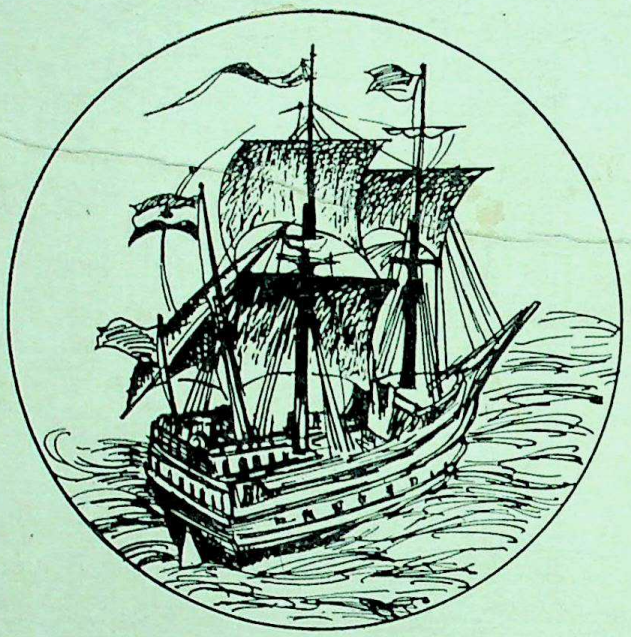

राजा सालमन और शीबा रानी के...

हाँ, इतिहास के उस प्राचीन काल में...गज-दन्त, मोर-पंख, मूँगे-मोती, रत्नाभूषण अन्न-वस्त्र, कलाकृतियाँ... जाने और क्या-क्या वस्तुएं बड़े-बड़े पोतों में भर-भरकर भारत से निर्यात होती थीं... जिससे यह देश संसार में बहुत धनी-मानी रहता था।

उस ऐतिहासिक प्राचीन निर्यात-परम्परा को जारी रखते हुए आधुनिक भारत को भी धनी-मानी बनाये रखना है।...भगवान की कृपा से भारत कोई निर्धन देश नहीं है, उसकी खनिज संपत्ति अपार है। जिन खनिजों का पूरा उपयोग स्वदेश में अब नहीं होता, उनके कुछ अंग विदेशों को निर्यात कर भारत के लिए बहुमूल्य मुद्रा पर्याप्त मात्रा में कमाना बहुत आवश्यक है। भारत की अर्थनीति की स्थिरता इसी कमाई पर निर्भर है।...भारत के इस राष्ट्रीय संपत्ति-साधन के महान कार्य में दत्त-चित्त होकर जाने कितने ही खनिजों और अन्य वस्तुओं का निरन्तर निर्यात कर कर रहे हैं।

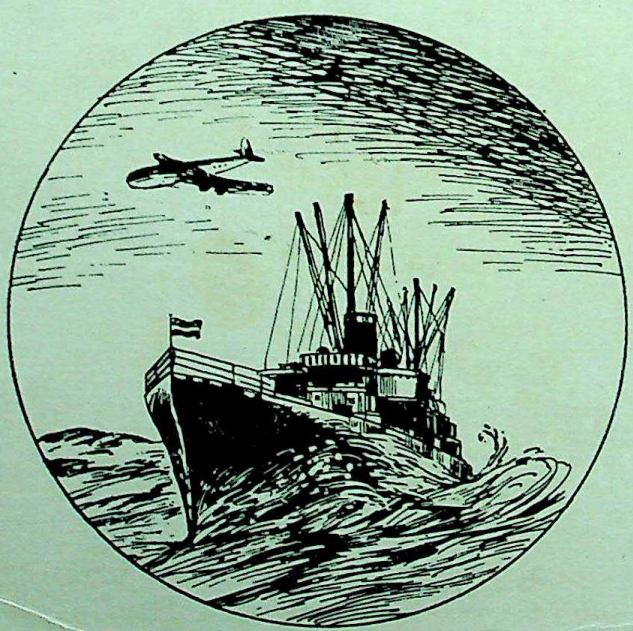

मेसर्स राजऋषि एक्स्पोर्ट्स (प्रा०) लिमिटेड,

4-ई, 'वन्दना', टालस्टाय मार्ग,
नयी दिल्ली-110001

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh